

धर्मपाल समग्र लेखन

१०.

भारत का पुनर्बोध

(भाषणो, लेखो एव शोधपत्रो का सकलन)

धर्मपाल

अनुवाद

केशा तिवारी

विजय तिवारी



धर्मपाल समग्र लेखन १०

भारत का पुनर्बोध

(भाषणो, लेखो एव शोधपत्रो का सकलन)

लेखक

धर्मपाल

सम्पादक

इन्दुमति काटदरे

अनुवाद

केशा तिवारी

विजय तिवारी

सर्वाधिकार

पुनरुत्थान ट्रस्ट, अहमदाबाद

प्रकाशक

पुनरुत्थान ट्रस्ट,

४, वसुधरा सोसायटी, आनन्दपार्क, काकरिया, अहमदाबाद - ३८००२८

दूरभाष ०७९ - २५३२२६५५

मुद्रक

साधना मुद्रणालय ट्रस्ट

सिटी मिल कम्पाउण्ड, काकरिया मार्ग, अहमदाबाद - ३८००२२

दूरभाष ०७९ - २५४६७७९०

मूल्य रु २६०-००

प्रति

२,०००

प्रकाशन तिथि

चैत्र शुक्ल १, वर्षप्रतिपदा, युगाब्द ५१०९

२० मार्च २००७

अनुक्रमणिका

मनोगत

सम्पादकीय

विभाग १ यूरोपीय आधिपत्य के प्रारम्भ मे भारतीय समाज की स्थिति और उसके दरिद्र होने की प्रक्रिया	१
१ भारत को पुनर्बोध प्राप्त करना ही चाहिए	३
२ भारत के भविष्य के लेख	१६
३ आधुनिक भारत मे मापदण्डो और गौरव का क्षरण	३२
४ पिछडेपन का प्रश्न	१०२
५ इतिहास की पृष्ठभूमि मे भारतीय कृषि की उत्पादकता	११९
६ भारत मे जनगणना (१८८१-१९३१)	१२६
विभाग २ यूरोपीय आधिपत्य के अन्त के बाद भारत की समस्याएँ	१३९
७ लोग कहाँ है ?	१४१
८ भारत के सासदो को पत्र	१४४
९ राष्ट्र निर्माण मे गाधीवादियो की भूमिका	१४८
१० जवाहरलाल नेहरू के मतानुसार भारतीय गणतन्त्र के प्रमुख के कार्य	१५५
११ भारत की आपातकालीन स्थिति का अन्त	१५८
१२ अनुसूचित जातियो का गठन	१६३
१३ एक विचारणीय विषय	१६६
१४ सुराज का तन्त्र	१७०
१५ जरा सोचे	१७६
१६ विकेन्द्रीकरण का प्रश्न चूक घोषित	१८५
१७ भारत के पुन औद्योगीकरण विषयक कुछ विचार	१९०
१८ प्रवाह को मार्ग दे	१९७
विभाग ३ यूरोप का स्वभाव और उसकी विश्वगत अभिव्यक्ति	२२१
१९ यूरोपीय आधिपत्य के पाँच सौ वर्ष	२२३
२० सन् १४९२ से यूरोप तथा विश्व के अन्य देशो की स्थिति	२२६
२१ आधुनिक विज्ञान एव गुलामी का समान आधार	२५५
२२ सत्याग्रह की विश्वपरिषद्	२६६
२३ भारत एव विश्व	२६८

धर्मपाल समग्र लेखन

ग्रन्थ सूची

- १ भारतीय चित्त, मानस एव काल
- २ १८ वी शताब्दीमे भारतमे विज्ञान एव तत्रज्ञान कतिपय समकालीन यूरोपीय वृत्तान्त
Indian Science and Technology in the Eighteenth Century
Some Contemporary European Accounts
- ३ भारतीय परम्परामे असहयोग
Civil Disobedience in Indian Tradition
- ४ रमणीय वृक्ष १८ वी शताब्दी मे भारतीय शिक्षा
The Beautiful Tree Indigenous Indian Education in the
Eighteenth Century
- ५ पचायत राज एव भारतीय राजनीति तत्र
Panchayat Raj and Indian Polity
- ६ भारत मे गोहत्या का अग्रेजी मूल
The British Origin of Cow slaughter in India
- ७ भारतकी लूट एव बदनामी १९ वी शताब्दी की अग्रेजो की जिहाद
Despoliation and Defaming of India
The Early Nineteenth Century of British crusade
- ८ गाधी को समझे
Understanding Gandhi
- ९ भारत की परम्परा
Eassys in Tradition, Recovery and Freedom
- १० भारत का पुनर्बोध
Rediscovering India

मनोगत

गाधीजी के अगस्त १९४२ के 'अग्रेजो, भारत छोड़ो' आन्दोलन के कुछ समय पूर्व से ही मैं देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन से पूर्णरूप से प्रभावित हो चुका था। उस समय मैंने जीवन के बीस वर्ष पूरे किए थे। अगस्त १९४२ में, हम दो चार मित्र, जिनमें मित्र श्री जगदीश प्रसाद मित्तल प्रमुख थे, उत्तरप्रदेश से 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के लिए ही कांग्रेस के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेने मुम्बई गए। मैंने उससे पूर्व १९३० का लाहौर का कांग्रेस सम्मेलन देखा था, परन्तु मुम्बई के सम्मेलन का स्वरूप और अपेक्षाएँ हमारे लिए एकदम नई थीं। सम्मेलन में हमें दर्शक के रूप में भाग लेने की अनुमति मिल गई। हमने वहाँ की सम्पूर्ण कार्यवाही देखी, सभी भाषण सुने। ८ अगस्त की सायकाल का गाधीजी का सवा दो घण्टे का भाषण तो मुझे आज भी कुछ कुछ याद है। उन्होंने प्रथम डेढ़ घण्टा हिन्दी में भाषण दिया, फिर पौन घण्टा अग्रेजी में। सम्मेलन में ५० हजार से अधिक भीड़ थी। सभी उपस्थित लोगो से, सभी भारतवासियो से तथा विश्व के सभी देशो से गाधीजी का मुख्य निवेदन तो यही था कि वे सभी भारत और अग्रेजो के वार्तालाप में सहायक हो। हमारे जैसे अधिकांश लोगो ने उस समय विचार किया होगा कि आन्दोलन का प्रारम्भ तो कुछ समय बाद ही होगा।

परन्तु दूसरे ही दिन सवेरे ५-६ बजे से ही पूरे मुम्बई में हलचल शुरू हो गई। मुम्बई से बाहर जानेवाली रेलगाड़िया दोपहर के बाद तक बन्द रहीं। अग्रेज और भारतीय पुलिस व्यापक रूप से लोगो की गिरफ्तारी करती रही। अन्ततः ९ अगस्त को शाम तक हमें दिल्ली जाने के लिए गाड़ी मिल गई। परन्तु रास्ते भर हलचल थी और गिरफ्तारिया हो रही थीं। हममें से अधिकांश लोग अपनी अपनी जगह पहुँचकर 'अग्रेजो भारत छोड़ो' आन्दोलन शुरू करनेवाले थे।

दिल्ली पहुँचकर मैं अन्य साथियो के साथ आसपास के क्षेत्रों में चल रहे आन्दोलन में जुड़ गया। कितने महीने तक इसी में ही सलग्न रहा। उस बीच अनेक गाँवों और कसबों में भी गया। वहाँ लोगों के घरों में रहा। वहीं से ही भारत के सामान्य जीव-

के साथ मेरा परिचय प्रारम्भ हुआ। दिसम्बर १९४२ में अनेक घनिष्ठ मित्रों ने सलाह दी की मुझे आन्दोलन के काम के लिए मुम्बई जाना चाहिए। इसलिए फरवरी १९४३ में मुम्बई गया और वहाँ रहा। आन्दोलन का साहित्य लेकर वाराणसी और पटना भी गया। मुम्बई में गांधीजी के निकटस्थ स्वामी आनन्द ने मेरे रहने खाने की व्यवस्था की थी। वे अलग अलग लोगों से मेरा परिचय भी कराते थे। वस्तुतः मेरा मुम्बई के साथ परिचय तो उनके कारण ही हुआ। मुम्बई में ही मैं श्रीमती सुचेता कृपलानी से भी एक दो बार मिला। उसी प्रकार गिरिधारी कृपलानी से मिलना हुआ। उस समय मैं खादी का धोती कुर्ता पहनता था और स्वामी आनन्द आदि के आग्रह के बाद भी मैंने कभी पतलून आदि नहीं पहना।

मार्च १९४२ में मुम्बई से दिल्ली और उत्तरप्रदेश गया। अप्रैल १९४३ में दिल्ली के चॉदनीचौक पुलिस थाने में मेरी गिरफ्तारी हुई और लगभग दो महीने अलगअलग थानों में रहा। वहाँ मेरी गहन पूछताछ हुई, धमकाया भी गया। यद्यपि मारपीट नहीं हुई। जून १९४३ में मुझे सरकार के आदेशानुसार दिल्ली से निष्कासित किया गया। एकाध वर्ष बाद यह निष्कासन समाप्त हुआ।

लम्बे अरसे से मेरा मन गाँव में जाकर रहने और काम करने का था। मेरे एक पारिवारिक मित्र गोरखपुर जिले के एक हजार एकड़ जितने विशाल फार्म के मैनेजर थे। उन्होंने मुझे फार्म पर आकर रहने के लिए निमंत्रण दिया। यह फार्म सुन्दर तो था परन्तु यह तो वहाँ रहनेवालों से कसकर परिश्रम कराने की जगह थी। गाँव जैसा सामूहिकता का वातावरण वहाँ नहीं होता था। वहाँ गाँव के लोगों से मिलने, बात करने का अवसर भी नहीं मिलता था। परन्तु एक बात मैंने देखी कि वहाँ लोग गरीब होने के बाद भी प्रसन्नचित्त दिखाई देते थे।

एक वर्ष बाद जून अथवा जुलाई १९४४ में यह फार्म छोड़ कर मैं वापस आ गया। तत्काल ही मेरठ के मित्रों ने मुझे श्रीमती मीराबहन के पास जाने की सलाह दी। मीरा बहन रूडकी के निकट एक आश्रम स्थापित करने का विचार कर रही थीं। बात सुनकर मैंने पहले तो मना करने का प्रयास किया परन्तु मित्रों के आग्रह के कारण अक्टूबर १९४४ में मैं मीराबहन के पास गया। रूडकी से हरिद्वार की दिशा में सात-आठ मील दूर गाँव वालों ने मीरा बहन को आश्रम निर्माण के लिए जमीन दी थी। आश्रम हरिद्वार से बारह मील दूर था। आश्रम का नाम दिया गया 'किसान आश्रम'। यहीं से मेरा ग्रामजीवन और उसके रहनसहन के साथ परिचय शुरू हुआ। उनकी कुशलताएँ और अपने व्यवहार, रहन सहन तथा उपाय दूढ़ निकालने की योग्यता मुझे यहीं जानने

को मिली। मैं तीन वर्ष किसान आश्रम में रहा। उसके बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वसन का कार्य चलता था उसमें सहयोग देने के लिए मैं दिल्ली गया। उस दौरान मेरा अनेक लोगों के साथ परिचय हुआ। उसमें मुख्य थीं कमलादेवी चट्टोपाध्याय और डॉ राममनोहर लोहिया। १९४७ से १९४९ के दौरान श्री रामस्वरूप, श्री सीताराम गोयल, श्री रामकृष्ण चाँदीवाले (उनके घर में मैं महीनो रहा), श्री नरेन्द्र दत्त, श्रीमती स्वर्णा दत्त, श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, श्री रूपनारायण, श्री एस के सक्सेना, श्री ब्रजमोहन तूफान, श्री अमरेश सेन, श्री गोपालकृष्ण आदि के साथ भी मित्रता हुई।

दिल्ली में भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों ने कहा कि फिलिस्तीन के यहूदी इजरायल नामक छोटा देश बना रहे है। वहाँ सामूहिकता के आधार पर जीवन रचना के महत्वपूर्ण प्रयास हो रहे है। उन लोगों ने इतने आकर्षक ढंग से उसका वर्णन किया कि मैंने इजरायल जाकर यह देखकर आने का निर्णय किया। नवम्बर १९४९ में इजरायल जाने के लिए मैं इंग्लैण्ड गया। वहाँ आठदस महीने रह कर नवम्बर-दिसम्बर में मैं पत्नी फिलिस के साथ इजरायल तथा अन्य अनेक देशों में गया। इजरायल के लोगों ने जो कर दिखाया था वह तो बहुत प्रशंसनीय और श्रेष्ठ कार्य था परन्तु भारतीय ग्रामरचना और भारतीय व्यवस्थाओं में उस का बहुत उपयोग नहीं है, ऐसा भी लगा।

जनवरी १९५० में मैं और फिलिस हृषीकेश के निकट निर्माणाधीन, मीराबहन के 'पशुलोक' में पहुँच गये। वहाँ मीराबहनने, मेरे अन्य मित्रों, और सविशेष मार्क्सवादी मित्र जयप्रकाश शर्मा के साथ मिलकर एक नए छोटे गाँव की रचना की शुरुआत की थी। उसका नाम रखा गया 'बापूग्राम'। गाँव ५० घरों का था। उसमें सभी पहाड़ी और मैदानी जाति के लोग साथ रहेंगे ऐसा प्रयास किया था। यह भी ध्यान रखा गया कि लोग अत्यन्त गरीब हों। परन्तु उस के कारण गाँव की रचना का काम अधिक कठिन हो गया। गाँव के लोगों के कष्ट बढ़े। गाँव में ५०० एकड़ जमीन थी, किन्तु अनेक जगली जानवर भी वहाँ घूमते थे। हाथी भी वहाँ आता-जाता रहता। इस लिए प्रारम्भ में खेती भी बहुत दुष्कर थी। खेती में कुछ बचता ही नहीं था। आज भी यह गाँव जैसे तैसे टिका हुआ है। १९५७ से गाँव के साथ मेरा सम्बन्ध ठीक-ठीक बढ़ा। मैं विभिन्न पचायतों का अध्ययन करता था। इसलिए गाँव के लोगों की समझदारी और अपने प्रश्नों की ओर देखने और उसे हल करने का उनका दृष्टिकोण भलीभाँति ध्यान में आने लगा। इस बात का भी एहसास होने लगा कि अपने अधिकांश शहरी और समृद्ध लोग गाँव को जानते ही नहीं। राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा आदि राज्यों में तो यह एहसास सविशेष हुआ। इस एहसास के कारण ही मैं १९६४-६५ में सन् १९०० के आसपास के अग्रेजों

द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों के अध्ययन की ओर मुड़ा।

लगभग १७५० से १८५० तक अंग्रेजों ने सरकारी अथवा गैर सरकारी स्तर पर इंग्लैण्ड में रहने वाले अपने अधिकारियों तथा परिचितों को लिखे पत्रों की संख्या शायद करोड़ों दस्तावेजों में होगी। उसमें ८० से ८५ प्रतिशत की प्रतिलिपियाँ भारत के कोलकता, मद्रास, मुम्बई, दिल्ली, लखनऊ आदि के अभिलेखागारों में भी हैं। लन्दन की ब्रिटिश इंडिया ऑफिस में और अन्य अनेक अभिलेखागारों में पाँच से सात प्रतिशत ऐसे भी दस्तावेज होंगे जो भारत में नहीं होंगे। उसमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके अध्ययन से अंग्रेजों ने भारत में क्या किया यह समझ में आता है। उस समय के इंग्लैण्ड के समाज और शासन तंत्र की यदि हमें जानकारी होगी तो अंग्रेजों ने भारत में जो किया उसे समझने में सहायता मिल सकती है।

१९५७ से ही, जब मैं एवार्ड (Association of Voluntary Agencies for Rural Development [AVARD]) का मंत्री बना तब से ही अनेक प्रकार से सीखने का अवसर मिला और अनेक व्यक्तियों की अनेक प्रकार से सहायता भी मिली। उसमें मुख्य थे श्री अण्णासाहब सहस्रबुद्धे और श्री जयप्रकाश नारायण। नागपुर के श्री आर के पाटिल ने भी १९५८ से १९८० तक इस काम में बहुत रुचि ली और अलग अलग ढंग से सहायता करते रहे। श्री आर के पाटिल पुराने आई सी एस थे, योजना आयोग के सदस्य थे, पूर्व मध्यप्रदेश के मंत्री थे और विनोबा जी के निकटवर्ती थे। १९७१ से गांधी शांति प्रतिष्ठान के मंत्री श्री राधाकृष्ण का सहयोग भी बहुत मूल्यवान था। इसी प्रकार गांधी विद्या संस्थान और पटना की अनुग्रह नारायण सिन्हा इन्स्टीट्यूट का भी सहयोग मिला। डॉ डी एस कोठारी भी शुरू से ही उसमें रुचि लेते थे।

१९७१ में 'इंडियन सायन्स एण्ड टेक्नोलॉजी इन द एटीन्थ सेन्चुरी' Indian Science and Technology in the Eighteenth Century और 'सिविल डिसेओबिडियन्स इन इंडियन ट्रेडिशन' Civil Disobedience in Indian Tradition ऐसी दो पुस्तकें प्रकाशित हुईं। उनका विमोचन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉ दौलतसिंह कोठारी ने किया। पहले ही दिन से उस पुस्तक का परिचय करनेवाले प्रजा समाजवादी पक्ष के नेता और साहित्यकार श्री गंगाशरण सिन्हा, विवेकानंद केन्द्र, कन्याकुमारी के श्री एकनाथ रानडे और अमेरिका की बर्कले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यूजिन ईर्शिक थे। ईर्शिक के मतानुसार 'सिविल डिसेओबिडियन्स इन इंडियन ट्रेडिशन' मेरी सबसे उत्तम पुस्तक थी। श्री रामस्वरूप और श्री ए बी चटर्जी, जो आई सी एस थे और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के सचिव थे, उनके मतानुसार 'इंडियन सायन्स एण्ड

टेक्नोलॉजी इन द एटीन्थ सेन्चुरी' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तक थी। १९७१ से १९८५ के दौरान इन दोनो पुस्तको का अनेक प्रकार से उल्लेख होता रहा। देशभर में इसका उल्लेख करनेवालो में मुख्य थे श्री जयप्रकाश नारायण, श्री रामस्वरूप और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री एकनाथ रानडे, प्रोफेसर राजेन्द्रसिंह और वर्तमान सरसंघचालक श्री सुदर्शन जी।

अभी तक ये पुस्तके मुख्य रूप से अंग्रेजी में ही हैं। उसका एक विशेष कारण यह है कि उसमें समाविष्ट दस्तावेज सन् १८०० के आसपास अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय लोगों ने अंग्रेजी में ही लिखे हैं। प्रारंभ में ही यह सब हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषा में प्रकाशित करना बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन जब तक यह सब भारतीय भाषाओं में प्रकाशित नहीं होता तब तक सर्वसामान्य लोग दो सौ वर्ष पूर्व के भारत के विषय में न जान सकेंगे, न समझ सकेंगे, और न ही चर्चा कर सकेंगे।

इसलिए इन पुस्तको का अब हिन्दी भाषा में अनुवाद प्रकाशित हो रहा है यह बहुत प्रशंसनीय कार्य है।^१

मैं १९६६ तक अधिकांशतः इंग्लैण्ड और सविशेष लन्दन में रहा। उस समय भारत से सम्बन्धित वहाँ स्थित दस्तावेजों में से पाँच अथवा दस प्रतिशत सामग्री का मैंने अवलोकन किया होगा। उनमें से कुछ मैंने ध्यान से देखे, कुछ की हाथ से नकल उतार ली, अनेकों की छायाप्रति बना ली। उस दौरान बीच बीच में भारत आकर कोलकता, लखनऊ, मुम्बई, दिल्ली और चेन्नई के अभिलेखागारों में भी कुछ नए दस्तावेज देखे।

उन दस्तावेजों के आधार पर अभी गुजरात से प्रकाशित हो रही अधिकांश पुस्तके तैयार की गई हैं। ये पुस्तके जिस प्रकार सन् १८०० के समय के भारत से सम्बन्धित हैं उसी प्रकार १८८० से १९०३ के दौरान गोहत्या के विरोध में हुए आन्दोलन के और १८८० के बाद के दस्तावेजों के आधार पर लिखी गई हैं। उनमें एकाध पुस्तक इंग्लैण्ड और अमेरिका के समाज से भी सम्बन्धित है। इसकी सामग्री इंग्लैण्ड में मिली है और यह पढ़ी गई पुस्तको के आधार पर तैयार की गई है।

१९६० से शुरू हुए इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य दो सौ वर्ष पूर्व के भारतीय समाज को समझना ही था। लेकिन मात्र जानना, समझना पर्याप्त नहीं है। उसका इतना महत्त्व भी नहीं है। महत्त्व तो यह जानने समझने का है कि अंग्रेजों से पूर्व का स्वतंत्र भारत, जहाँ उसकी स्थानिक इकाइया अपनी अपनी दृष्टि और आवश्यकतानुसार अपना समाज चलाती थीं, वह कैसा रहा होगा। अचानक १९६४-६५ में चेन्नई के एगमोर

अभिलेखागार मे ऐसी सामग्री मुझे मिली, और ऐसी ही सामग्री इंग्लैण्ड मे उससे भी सरलता से मिली। यदि मैं पोर्तुगल और हॉलैण्ड की भाषा जानता तो १६ वीं, १७ वीं सदी मे वहाँ भी भारत के विषय मे क्या लिखा गया है यह जान पाता। खोजने के बाद भी चालीस वर्ष पूर्व भारतीय भाषाओ मे इस प्रकार के वर्णन नहीं मिले।

हमे तो गत दो तीन हजार वर्ष के भारत और उसके समाज को समझने की आवश्यकता है। हम जब उस तरह से समझेगे तभी भारतीय समाज की पारम्परिक व्यवस्थाओ, तत्रो, कुशलताओ और आज की अपनी आवश्यकताओ और अपनी क्षमता के अनुसार पुन स्थापना की रीति भी जान लेगे और समझ लेगे।

भारत बहुत विशाल देश है। चार पाँच हजार वर्षों मे पडोसी देश - ब्रह्मदेश, श्रीलका, चीन, जापान, कोरिया, मगोलिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, कम्बोडिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, ईरान आदि के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। भारतीयो का स्वभाव और उनकी मान्यताएँ उन देशो के साथ बहुत मिलती जुलती है। सन् १५०० के बाद एशिया पर यूरोप का प्रभाव बढ़ा उसके बाद उन सभी पडोसी देशो के साथ की पारस्परिकता लगभग समाप्त हो गई है। उसे पुन स्थापित करना जरूरी है। इसी प्रकार यूरोप, खासकर इंग्लैण्ड और अमेरिका के साथ तीन सौ चार सौ वर्षों से जो सम्बन्ध बढ़े हैं उनका भी समझ बूझकर फिर से मूल्याकन करना जरूरी है। यह हमारे लिए और उनके लिए भी श्रेयस्कर होगा। देशो को बिना जरूरत से एक दूसरे के अधिक निकट लाना अथवा एक देश दूसरे देश की ओर ही देखता रहे यह भविष्य की दृष्टि से भी कष्टदायी साबित हो सकता है।

मकरसक्रांति

१४, जनवरी २००५

पौष शुद ५, युगाब्द ५१०६

धर्मपाल

आश्रम प्रतिष्ठान

सेवाग्राम

जिला वर्धा (महाराष्ट्र)

१ यह प्रस्तावना गुजराती अनुवाद के लिये लिखी गई है। हिन्दी अनुवाद के लिये श्री धर्मपालजी की ही सूचना के अनुसार उसे यथावत् रखा है मूल प्रस्तावना हिन्दी में ही है गुजराती के लिये उसका अनुवाद किया गया था। - स

सम्पादकीय

१

सन् १९९२ के जनवरी मास मे चैन्नई मे विद्याभारती का प्रधानाचार्य सम्मेलन था। उस सम्मेलन मे श्री धर्मपालजी पधारे थे। उस समय पहली बार The Beautiful Tree के विषय मे कुछ जानकारी प्राप्त हुई। दो वर्ष बाद कोईम्बतूर मे यह पुस्तक खरीद की और पढी। पढकर आश्चर्य और आघात दोनो का अनुभव हुआ। आश्चर्य इस बात का कि हम इतने वर्षों से शिक्षा क्षेत्र मे कार्यरत है तो भी इस पुस्तक मे निरूपित तथ्यो की लेशमात्र जानकारी हमे नहीं है। आघात इस बात का कि शिक्षा विषयक स्थिति ऐसी दारुण है तो भी हम उस विषय मे कुछ कर नहीं रहे है। जो चल रहा है उसे सह लेते है और उसे स्वीकृत बात ही मान लेते है।

तभी से उस पुस्तक का प्रथम हिन्दी मे और बाद मे गुजराती मे अनुवाद करके अनेकानेक कार्यकर्ताओ और शिक्षको तक उसे पहुँचाने का विचार मन मे बैठ गया। परन्तु वर्ष के बाद वर्ष बीतते गये। प्रवास की निरन्तरता और अन्यान्य कार्यों मे व्यस्तता के कारण मन मे स्थित विचार को मूर्त स्वरूप दे पाने का अवसर नहीं आया। इस बीच विद्या भारती विदर्भ ने इसका सक्षिप्त मराठी अनुवाद प्रकाशित किया। 'भारतीय चित्त, मानस एव काल', 'भारत का स्वधर्म' जैसी पुस्तिकाये भी पढने मे आयीं। अनेक कार्यकर्ता भी इसका अनुवाद होना चाहिये ऐसी बात करते रहे। इस बीच पूजनीय हितरुचि विजय महाराजजी ने गोवा के 'द अदर इडिया बुक प्रेस' द्वारा प्रकाशित पाच पुस्तकों का सच दिया और पढने के लिये आग्रह भी किया। इन सभी बातो के निमित्त से अनुवाद भले ही नहीं हुआ परन्तु अनुवाद का विचार मन मे जाग्रत ही रहा। उसका निरन्तर पोषण भी होता रहा। चार वर्ष पूर्व मुझे विद्याभारती की राष्ट्रीय विद्वत् परिषद के सयोजक का दायित्व मिला। तब मन मे इस अनुवाद के विषय मे निश्चय सा हुआ। उस विषय में कुछ ठोस बाते होने लगीं। अन्त मे पुनरुत्थान ट्रस्ट इस अनुवाद का प्रकाशन करेगा ऐसा निश्चय युगाब्द ५१०६ की व्यास पूर्णिमा को हुआ। सर्व प्रथम तो यह अनुवाद

हिन्दी में ही होना था। उसके बाद हिन्दी एवं गुजराती दोनों भाषाओं में करने का विचार हुआ। परन्तु इस कार्य के व्याप को देखते हुए लगा कि दोनों कार्य एक साथ नहीं हो पायेंगे। एक के बाद एक करने पड़ेंगे।

साथ ही ऐसा भी लगा कि यह केवल प्रकाशन के लिये प्रकाशन, अनुवाद के लिये अनुवाद तो है नहीं। इसका उपयोग विद्वज्जन करे और हमारे छात्रों तक इन बातों को पहुँचाने की कोई ठोस एवं व्यापक योजना बने इस हेतु से इस सामग्री का भारतीय भाषाओं में होना आवश्यक है। ऐसे ही कार्यों को यदि चालना देनी है तो प्रथम इसका क्षेत्र सीमित करके ध्यान केन्द्रित करना पड़ेगा। इस दृष्टिसे प्रथम इसका गुजराती अनुवाद प्रकाशित करना ही अधिक उपयोगी लगा।

निर्णय हुआ और तैयारी प्रारम्भ हुई। सर्व प्रथम श्री धर्मपालजी की अनुमति आवश्यक थी। हम उन्हें जानते थे परन्तु वे हमें नहीं जानते थे। परन्तु हमारे कार्य, हमारी योजना और हमारी तैयारी जब उन्होंने देखी तब उन्होंने अनुमति प्रदान की। साथ ही उन्होंने अपनी और पुस्तकों के विषय में भी बताया। इन सभी पुस्तकों के अनुवाद का सुझाव भी दिया।

हम फिर बैठे। फिर विचार हुआ। अन्त में निर्णय हुआ कि जब कर ही रहे हैं तो काम पूरा ही किया जाय।

इस प्रकार एक से पाँच और पाँच से ग्यारह पुस्तकों के अनुवाद की योजना आखिर बन गई।

योजना तो बन गई परन्तु आगे का काम बड़ा विस्तृत था। भिन्न भिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित मूल अंग्रेजी पुस्तकें प्राप्त करना, उन्हें पढ़ना, उनमें से चयन करना, अनुवादक निश्चित करना आदि समय लेनेवाला काम था। अनुवादक मिलते गये, कई पक्के अनुवादक खिसकते गये, अनेपक्षित रूप से नये मिलते गये और अन्त में पुस्तक और अनुवादकों की जोड़ी बनकर कार्य प्रारम्भ हुआ और सन २००५ और युगाब्द ५१०६ की वर्ष प्रतिपदा को कार्य सम्पन्न भी हो गया। १६ अप्रैल २००५ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक माननीय सुदर्शनजी एवं स्वयं श्री धर्मपालजी की उपस्थिति में तथा अनेपक्षित रूप से बड़ी संख्या में उपस्थित श्रोतासमूह के मध्य इन गुजराती पुस्तकों का लोकार्पण हुआ।

प्रकाशन के बाद भी इसे अच्छा प्रतिसाद मिला। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, ग्रन्थालयों में एवं विद्वज्जनों तक इन पुस्तकों को पहुँचाने में हमें पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। साथ ही साथ महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के अध्यापकों एवं

प्रधानाचार्यों के बीच इन पुस्तकों को लेकर गोष्ठियों का आयोजन भी हुआ।

इसके बाद सभी ओर से हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने का आग्रह बढ़ने लगा। स्वयं श्री धर्मपालजी भी इस कार्य के लिये प्रेरित करते रहे। अनेक वरिष्ठजन भी पूछताछ करते रहे। अन्त में इन ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन तय हुआ। गुजराती अनुवाद कार्य का अनुभव था इसलिये अनुवादक ढूँढने में इतनी कठिनाई नहीं हुई। सौभाग्य से अच्छे लोग सरलता से मिलते गये और कार्य सम्पन्न होता गया। आज यह आपके सामने है।

इस सच में कुल दस पुस्तकें हैं। (१) भारतीय चित्त, मानस एव काल (२) १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं तंत्रज्ञान (३) भारतीय परम्परा में असहयोग (४) रमणीय वृक्ष १८ वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा (५) पचायत राज एवं भारतीय राजनीति तत्र (६) भारत में गोहत्या का अंग्रेजी मूल (७) भारत की लूट एवं बदनामी (८) गांधी को समझे (९) भारत की परम्परा एवं (१०) भारत का पुनर्बोध। सर्व प्रथम पुस्तक '१८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं तंत्रज्ञान' १९७१ में प्रकाशित हुई थी और अन्तिम पुस्तक 'भारत का पुनर्बोध' सन् २००३ में। इनके विषय में तैयारी तो सन् १९६० से ही प्रारम्भ हो गई थी। इस प्रकार यह ग्रंथसमूह चालीस से भी अधिक वर्षों के निरन्तर अध्ययन एवं अनुसन्धान का परिणाम है।

२

विश्व में प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। यह पहचान उसकी जीवनशैली, परम्परा, मान्यताओं, दैनन्दिन व्यवहार आदि के द्वारा निर्मित होती है। उसे ही सस्कृति कहते हैं।

सामान्य रूप से विश्व में दो प्रकार की विचारशैली, व्यवहारशैली दिखती है। एक शैली दूसरों को अपने जैसा बनाने की आकांक्षा रखती है। अपने जैसा ही बनाने के लिए यह जबर्दस्ती, शोषण, कत्लेआम आदि करने में भी हिचकिचाती नहीं, यहाँ तक की ऐसा करने में दूसरा समाप्त हो जाय तो भी उसे परवाह नहीं। दूसरी शैली ऐसी है जो सभी के स्वत्व का समादर करती है, उनके स्वत्व को बनाए रखने में सहायता करती है। ऐसा करने में दोनों एक दूसरे से प्रभावित होती हैं और सहज परिवर्तन होता रहता है फिर भी स्वत्व बना रहता है।

यह तो स्पष्ट है कि इन दोनों में से पहली यूरोपीय अथवा अमेरिकी शैली है तो दूसरी भारतीय। इन दोनों के लिए क्रमशः 'पश्चात्य' और 'प्राच्य' ऐसी अधिक व्यापक

सज्ञा का प्रयोग हम करते हैं।

यह तो सर्वविदित है कि भारतीय सस्कृति विश्व में अति प्राचीन है। केवल प्राचीन ही नहीं तो समृद्ध, सुव्यवस्थित, सुसस्कृत और विकसित भी है।

परन्तु आज से ५०० वर्ष पूर्व यूरोप ने विस्तार करना शुरू किया। समग्र विश्व में फैल जाने की उसको आकांक्षा थी। विश्व के अन्य देशों के साथ भारत भी उसका लक्ष्य था। इंग्लैण्ड में ईस्ट इंडिया कम्पनी बनी। वह भारत में आई। समुद्रतटीय प्रदेशों में उसने अपने व्यापारिक केन्द्र बनाए। उन केन्द्रों को किले का नाम और रूप दिया, उनमें सैन्य भी रखा, धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ प्रदेश जीतने और अपने कब्जे में लेने का काम शुरू किया, साथ ही साथ ईसाईकरण भी शुरू किया। सन् १८२० तक लगभग सम्पूर्ण भारत अंग्रेजों के कब्जे में चला गया।

भारत को अपने जैसा बनाने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ की सभी व्यवस्थाओं-प्रशासकीय और शासकीय, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यावसायिक, शैक्षणिक और नागरिक को तोड़ना शुरू किया। उन्होंने नए कायदे कानून बनाए, नई व्यवस्थाएँ बनाई, संरचनाओं का निर्माण किया, नई सामग्री और नई पद्धति की रचना की और जबरदस्ती से उसका अमल भी किया। यह भी सच है कि उन्होंने भारत में आकर जो कुछ किया उसमें से अधिकांश तो इंग्लैण्डमें अस्तित्व में था। इसके कारण भारत दरिद्र होता गया। भारत में वर्ग संघर्ष पैदा हुए। लोगों का आत्मसम्मान और गौरव नष्ट हो गया। मौलिकता और सृजनशीलता कुठित हो गई, मूल्यों का हास हुआ। मानवीयता का स्थान यात्रिकता ने लिया और सर्वत्र दीनता व्याप्त हो गई। लोग स्वामी के स्थान पर दास बन गए। एक ऐसे विराट, राक्षसी, अमानुषी व्यवस्था के पुर्जे बन गये जिसे वे बिल्कुल मानते नहीं, समझते नहीं और स्वीकार भी करते नहीं थे, क्योंकि यह उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं था।

भारत की शिक्षाव्यवस्था की उपेक्षा करते करते उसे नष्ट कर उसके स्थान पर यूरोपीय शिक्षा लागू करने, प्रतिष्ठित करने का कार्य भारत को तोड़ने की प्रक्रिया में सिरमौर था। क्योंकि यूरोपीय शिक्षाप्राप्त लोगों के विचार, मानस, व्यवहार, दृष्टिकोण सभी कुछ बदलने लगा। उसका परिणाम सर्वाधिक शोचनीय और घातक हुआ। हमें गुलामी रास आने लगी। दैन्य अखरना बन्द हो गया। अंग्रेजों का दास बनने में ही हमें गौरव का अनुभव होने लगा। जो भी यूरोपीय है वह विकसित है, आधुनिक है, श्रेष्ठ है और जो भी अपना है वह निकृष्ट है, हीन है और लज्जास्पद है, गया बीता है ऐसा हमें लगने लगा। अपनी शिक्षण संस्थाओं में हम यही मानसिकता और यही विचार एक के

बाद एक आनेवाली पीढी को देते गए। इस गुलामी की मानसिकता के आगे अपनी विवेकशील और तेजस्वी बुद्धि भी दब गई। यूरोपीय, या यूरोपीय जैसा बनना ही हमारी आकांक्षा बन गई। देश को वैसा ही बनाने का प्रयास हम करने लगे। अपनी सरचनाएँ, पद्धतियाँ, सस्थाएँ वैसी ही बन गई।

गांधीजी १९१५ में दक्षिण अफ्रिका से भारत आए तब भारत ऐसा था। उन्होंने जनमानस को जगाया, उसमें प्राण फूँके, उसकी भावनाओं को अपने वाणी और व्यवहार में अभिव्यक्त कर, भारत के लिए योग्य हजारों वर्षों की परम्परा के अनुसार व्यवस्थाओं, गतिविधियों और पद्धतियों को प्रतिष्ठित किया और भारत को फिर से भारत बनाने का प्रयास किया। स्वतंत्रता के साथ साथ स्वराज को भी लाने के लिए वे जूझे।

परन्तु स्वतंत्रता मात्र सत्ता का हस्तान्तरण (Transfer of Power) ही बन कर रह गया। उसके साथ स्वराज नहीं आया। सुराज्य की तो कल्पना भी नहीं कर सकते।

आज की अपनी सारी अनवस्था का मूल यह है। हम अपनी जीवनशैली चाहते ही नहीं हैं। स्वतंत्र भारत में भी हम यूरोप अमेरिका की ओर मुँह लगाये बैठे हैं। यूरोप के अनुयायी बनना ही हमें अच्छा लगता है।

परन्तु, यह क्या समग्र भारत का सच है ? नहीं, भारत की अस्सी प्रतिशत जनसंख्या यूरोपीय विचार और शैली जानती भी नहीं और मानती भी नहीं है। उसका उसके साथ कुछ लेना देना भी नहीं है। उनके रीतिरिवाज, मान्यताएँ, पद्धतियाँ, सब वैसी की वैसी ही हैं। केवल शिक्षित लोग उन्हें पिछड़े और अधविश्वासी कहकर आलोचना करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं और अपने जैसा बनाना चाहते हैं। यही उनकी विकास और आधुनिकताकी कल्पना है।

भारत वस्तुतः तो उन लोगों का बना हुआ है, उन का है। परन्तु जो बीस प्रतिशत लोग हैं वे भारत पर शासन करते हैं। वे ही कायदे-कानून बनाते हैं और न्याय करते हैं, वे ही उद्योग चलाते हैं और कर योजना करते हैं। वे ही पढाते हैं और नौकरी देते हैं, वे ही खानपान, वेशभूषा, भाषा और कला अपनाते हैं (जो यूरोपीय हैं) और उनको विज्ञापनों के माध्यम से प्रतिष्ठित करते हैं। यहाँ के अस्सी प्रतिशत लोगों को वे पराये मानते हैं, बोझ मानते हैं, उनमें सुधार लाना चाहते हैं और वे सुधरते नहीं इसलिए उनकी आलोचना करते हैं। वे लोग स्वयं तो यूरोपीय जैसे बन ही गए हैं, दूसरों को भी वैसा ही बनाना चाहते हैं। वे जैसे कि भारत को यूरोप के हाथों बेचना ही चाहते हैं, जिन लोगों का भारत है वे तो उनकी गिनती में ही नहीं हैं।

इस परिस्थिति को हम यदि बदलना चाहते हैं तो हमें अध्ययन करना होगा -

स्वयं का, अपने इतिहास का और अपने समाज का। भारत को तोड़ने की प्रक्रिया को जानना और समझना पड़ेगा। भारत का भारतीयत्व क्या है, किसमें है, किस प्रकार बना हुआ है यह सब जानना और समझना पड़ेगा। मूल बातों को पहचानना होगा। देश के अस्सी प्रतिशत लोगों का स्वभाव, उनकी आकाशाएँ, उनकी व्यवहारशैली को जानना और समझना पड़ेगा। उनका मूल्यांकन पश्चिमी मापदण्डों से नहीं अपितु अपने मापदण्डों से करना पड़ेगा। उसका रक्षण, पोषण और संवर्धन कैसे हो यह देखना पड़ेगा। भारत के लोगों में साहस, सम्मान, आत्मगौरव जाग्रत करना पड़ेगा। भारत के पुनरुत्थान में उनकी बुद्धि, भावना, कर्तृत्वशक्ति और कुशलताओं का उपयोग कर उन्हें सच्चे अर्थ में सहभागी बनाना पड़ेगा। यह सब हमें पाश्चात्य प्रकार की युनिवर्सिटियों से नहीं अपितु सामान्य, 'अशिक्षित', 'अर्धशिक्षित' लोगों से सीखना होगा।

आज भी यूरोप बनने की इच्छा करनेवाला भारत जोरों से प्रयास कर रहा है और कुठाओं का शिकार बन रहा है। भारतीय भारत उलझ रहा है, छटपटा रहा है, और शोषित हो रहा है। भाग्य केवल इतना है कि क्षीणप्राण होने पर भी भारतीय भारत गतप्राण नहीं हुआ है। इसलिए अभी भी आशा है - उसे सही अर्थ में स्वाधीन बनाकर समृद्ध और सुसंस्कृत बनाने की।

३

धर्मपालजी की इन पुस्तकों में इन सभी प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध, विस्तृत निरूपण किया गया है। अंग्रेज भारत में आए उसके बाद उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए किन चालबाजियों को अपनाया, कैसा छल और कपट किया, कितने अत्याचार किए और किस प्रकार धीरे धीरे भारत टूटता गया, किस प्रकार बदलती परिस्थितियों का अवशतता से स्वीकार होता गया उसका अभिलेखों के प्रमाणों सहित विवरण इन ग्रंथों में मिलता है। इंग्लैंड के और भारत के अभिलेखागारों में बैठकर, रात दिन उसकी नकल उतार लेने का परिश्रम कर धर्मपालजी ने अंग्रेज क्लेक्टरो, गवर्नरो, वाइसरायों ने लिखे पत्रों, सूचनाओं और आदेशों को एकत्रित किया है, उनका अध्ययन कर के निष्कर्ष निकाले हैं और एक अध्ययनशील और विद्वान व्यक्ति ही कर सकता है ऐसे साहस से स्पष्ट भाषा में हमारे लिये प्रस्तुत किया है। लगभग चालीस वर्ष के अध्ययन और शोध का यह प्रतिफल है।

परन्तु इसके फलस्वरूप हमारे लिए एक बड़ी चुनौती निर्माण होती है, क्योंकि -

- आजकल विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास से यह इतिहास भिन्न

है। हम तो अग्रेजो द्वारा तैयार किए और कराए गए इतिहास को पढ़ते हैं। यहाँ अग्रेजो ने ही लिखे लेखों के आधार पर निरूपित इतिहास है।

- विज्ञान और तंत्रज्ञान की जो जानकारी उसमें है वह आज पढाई ही नहीं जाती।
- कृषि, अर्थव्यवस्था, करपद्धति, व्यवसाय, कारीगरी आदि की अत्यंत आश्चर्यकारक जानकारियाँ उसमें हैं। भारत को आर्थिक रूप में बेहाल और परावलम्बी बनानेवाला अर्थशास्त्र आज हम पढ़ते हैं। यहाँ दी गई जानकारियों में स्वाधीन भारत को स्वावलम्बन के मार्ग पर चल कर समृद्धि की ओर ले जानेवाले अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों की सामग्री हमें प्राप्त होती है।
- व्यक्ति को किस प्रकार गौरवहीन बनाकर दीनहीन बना दिया जाता है इसका निरूपण है, साथ ही उस सकट से कैसे निकला जा सकता है उसके संकेत भी हैं।
- संस्कृति और समाजव्यवस्था के मानवीय स्वरूप पर किस प्रकार आक्रमण होता है, किस प्रकार उसे यत्र के अधीन कर दिया जाता है इसका विश्लेषण यहाँ है। साथ ही उसके शिकार बनने से कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए दृढ़ता किस प्रकार प्राप्त होती है इसका विचार भी प्राप्त होता है।

यह सब अपने लिए चुनौती इस रूप में है कि आज हम अनेक प्रकार से अज्ञान से ग्रस्त हैं।

हमारा अज्ञान कैसा है ?

- शिक्षण विषय के वरिष्ठ अध्यापक सहज रूप से मानते हैं कि अग्रेज आए और अपने देश में शिक्षा आई। उन्हें जब यह कहा गया कि १८ वीं शती में भारत में लाखों की संख्या में प्राथमिक विद्यालय थे, और चार सौ की जनसंख्या पर एक विद्यालय था, तो वे उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें जब 'The Beautiful Tree' दिखाया गया तो उन्हें आश्चर्य हुआ (परन्तु रोमांच अथवा आनन्द नहीं हुआ।)
- शिक्षाधिकारी, शिक्षासचिव, शिक्षा महाविद्यालय के अध्यापक अधिकांशतः इन बातों से अनभिज्ञ हैं। कुछ जानते भी हैं तो यह जानकारी बहुत ही सतही है।

यह अज्ञान सार्वत्रिक है, केवल शिक्षा विषयक ही नहीं अपितु सभी विषयों में है।

इसका अर्थ यह हुआ कि हम स्वय को ही नहीं जानते, अपने इतिहास को नहीं जानते, स्वय को हुई हानि को नहीं जानते और अज्ञानियों के स्वर्ग में रहते हैं। यह स्वर्ग भी अपना नहीं है। उस स्वर्ग में भी हम गुलाम हैं और पश्चिममुखापेक्षी, पराधीन बनकर रह रहे हैं।

४

इस सकट से मुक्त होना है तो मार्ग है अध्ययन का। धर्मपालजी की पुस्तके अपने पास अध्ययन की सामग्री लेकर आई है, हम सो रहे हैं तो हमें जगाने के लिए आई है, जाग्रत है तो झकझोरने के लिए आई हैं, दुर्बल है तो सबल बनाने के लिए आई है, क्षीणप्राण हुए हैं तो प्राणवान बनाने के लिए आई है।

ये पुस्तके किसके लिए हैं ?

ये पुस्तके इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, जिसे आज की भाषा में ह्यूमेनिटीज़ कहते हैं, उसके विद्वानों, चिन्तकों, शोधकों, अध्यापकों और छात्रों के लिए हैं।

ये पुस्तकें भारत को सही मायने में स्वाधीन, समृद्ध, सुसंस्कृत, बुद्धिमान और कर्तृत्ववान बनाने की आकांक्षा रखने वाले बौद्धिकों, सामान्यजनों, सस्थाओं, सगठनों और कार्यकर्ताओं के लिए हैं।

ये पुस्तके शोध करने वाले विद्वानों और शोधछात्रों के लिए हैं।

प्रश्न यह है कि इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद क्या करें ?

धर्मपालजी स्वयं कहते हैं कि पढ़कर केवल प्रशंसा के उद्गार, अथवा पुस्तकों की सामग्री एकत्रित करने के परिश्रम के लिए लेखकों को शाबाशी देना पर्याप्त नहीं है। उससे अपना सकट दूर नहीं होगा।

आवश्यकता है इस दिशा में शोध को आगे बढ़ाने की, भारत की १८ वीं, १९ वीं शताब्दी से सम्बन्धित दस्तावेजों में से कदाचित् पाच सात प्रतिशत का ही अध्ययन इस में हुआ है। अभी भी लन्दन के, भारत की केन्द्र सरकार के तथा राज्यों के अभिलेखागारों में ऐसे असंख्य दस्तावेज अध्ययन की प्रतीक्षा में हैं। उन सभी का अध्ययन और शोध करने की योजना महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक सगठनों और सरकार ने करना आवश्यक है। आवश्यकता के अनुसार इस कार्य के लिए अध्ययन और शोध की स्थानीय और देशी प्रकार की सस्थाएँ भी बनाई जा सकती हैं।

इसके लिए ऐसे अध्ययनशील छात्रों की आवश्यकता है। इन छात्रों को मार्गदर्शन तथा संरक्षण प्राप्त हो यह देखना चाहिये।

साथ ही एक साहसपूर्ण कदम उठाना जरूरी है। विश्वविद्यालयों, और महाविद्यालयों के इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों के अध्ययन मण्डल (बोर्ड ऑफ स्टडीज) और विद्वत् परिषदों (एकेडमिक काउन्सिल) में इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, और पाठ्यक्रमों में इसके आधार पर परिवर्तन करना चाहिए। युनिवर्सिटी ग्रन्थ निर्माण बोर्ड इसके आधार पर सन्दर्भ पुस्तकें तैयार कर सकते हैं। ऐसा होगा तभी आनेवाली पीढ़ी को यह जानकारी प्राप्त होगी। यह केवल जानकारी का विषय नहीं है, यह परिवर्तन का आधार भी बनना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए व्यापक चर्चा जहाँ सम्भव है ऐसी गोष्ठियों एवं चर्चा सत्रों का आयोजन करना चाहिए।

इसके आधार पर रूपान्तरण करके जनसामान्य तक ये बातें पहुँचानी चाहिए। कथाएँ, नाटक, चित्र, प्रदर्शनी तैयार कर उस सामग्री का प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। इससे जनसामान्य के मन में स्थित सुषुप्त भावनाओं और अनुभूतियों का यथार्थ प्रतिभाव प्राप्त होगा।

माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले किशोर और बाल छात्रों के लिए उपयोगी वाचनसामग्री इसके आधार पर तैयार की जा सकती है।

ऐसा एक प्रबल बौद्धिक जनमत तैयार करने की आवश्यकता है जो इसके आधार पर सस्थाएँ निर्माण करे, चलाये, व्यवस्था का निर्माण करे। या तो सरकार के या सार्वजनिक स्तर पर व्यवस्था बदलने की, और नहीं तो सभी व्यवस्थाओं को अपने नियंत्रण से मुक्त कर जनसामान्यके अधीन करने की अनिवार्यता निर्माण करे। सच्चा लोकतंत्र तो यही होगा।

बन्धन और जकड़न से जन सामान्य की बुद्धि को मुक्त करनेवाली, लोगों के मानस, कौशल, उत्साह और मौलिकता को मार्ग देने वाली, उनमें आत्मविश्वास का निर्माण करनेवाली और उनके आधार पर देश को फिर से उठाया और खड़ा किया जा सके इस हेतु उसका स्वत्व और सामर्थ्य जगानेवाली व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है।

इन पुस्तकों के प्रकाशन का यह प्रयोजन है।

५

श्री धर्मपालजी गांधीयुग में जन्मे, पले। गांधीयुग के आन्दोलनों में उन्होंने भाग लिया, रचनात्मक कार्यक्रमों में भाग लिया, मीराबहन के साथ बापूग्राम के निर्माण में वे सहभागी बने।

महात्मा गांधी के देशव्यापी ही नहीं, तो विश्वव्यापी प्रभाव के बाद भी गांधीजी के अतिनिकट के, अतिविश्वसनीय, गांधीभक्त कहे जाने वाले लोग भी उन्हें नहीं समझ सके, कुछ ने तो उन्हें समझने का प्रयास भी नहीं किया, कुछ ने उन्हें समझा फिर भी उन्हें दरकिनार कर सत्ता का स्वीकार कर भारत को यूरोप के तत्रानुरूप ही चलाया। उन नेताओं के जैसे ही विचार के लगभग दो चार लाख लोग १९४७ में भारत में थे (आज उनकी संख्या शायद पाँच दस करोड़ हो गई है)। यह स्थिति देखकर उनके मन में जो मथन जागा उसने उन्हें इस अध्ययन के लिये प्रेरित किया। लन्दन के ओर भारत के अभिलेखागारों में से उन्होंने असंख्य दस्तावेज एकत्रित किए, पढ़े, उनका अध्ययन किया, विश्लेषण किया और १८ वीं तथा १९ वीं शताब्दी के भारत का यथार्थ चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। जीवन के पचास साठ वर्ष वे इस साधना में रत रहे।

ये पुस्तकें मूल अंग्रेजी में हैं। उनका व्यापक अध्ययन होने के लिए ये भारतीय भाषाओं में हो यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। कुछ लेख हिन्दी में हैं और 'जनसत्ता' आदि दैनिक में और 'मथन' आदि सामयिकों में प्रकाशित हुए हैं। मराठी, तेलुगु, कन्नड आदि भाषाओं में कुछ अनुवाद भी हुआ है परन्तु संपूर्ण और समग्र प्रयास तो गुजराती में ही प्रथम हुआ है। और अब हिन्दी में हो रहा है।

इस व्यापक शैक्षिक प्रयास का यह अनुवाद एक प्रथम चरण है।

६

इस ग्रन्थ श्रेणी में विविध विषय हैं। इसमें विज्ञान और तत्रज्ञान है, शासन और प्रशासन है, लोकव्यवहार और राज्य व्यवहार है, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र भी हैं। इसमें भारत, इंग्लैंड और अमेरिका हैं। परन्तु सभी का केन्द्रबिन्दु है गांधीजी, कांग्रेस, सर्वसामान्य प्रजा और ब्रिटिश शासन।

और उनके भी केन्द्र में है भारत।

अतः एक ही विषय विभिन्न रूपों में, विभिन्न सदस्यों के साथ चर्चा में आता रहता है। और फिर विभिन्न समय में, विभिन्न स्थान पर, भिन्न भिन्न प्रकार के श्रोताओं के सम्मुख और विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं के लिये भाषण और लेख भी यथा समाविष्ट हैं। अतः एक साथ पढ़ने पर उसमें पुनरावृत्ति दिखाई देती है—विचारों की, घटनाओं की, दृष्टान्तों की। सम्पादन करते समय पुनरावृत्ति को यथासम्भव कम करने का प्रयास किया है। इसीके परिणाम स्वरूप गुजराती प्रकाशन में ११ पुस्तकें थीं और हिन्दी में १० हुई हैं। परन्तु विषय प्रतिपादन की आवश्यकता देखते हुए पुनरावृत्ति कम करना हमेशा संभव नहीं हुआ है।

फिर, सर्वथा पुनरावृत्ति दूर कर उसे नये ढंग से पुनर्व्यवस्थित करना तो वेदव्यास

का कार्य हुआ। हमारे जैसे अल्प क्षमतावान लोगों के लिये यह अधिकारक्षेत्र के बाहर का कार्य है।

अतः सुधी पाठको के नीरक्षीर विवेक पर भरोसा करके सामग्री यथातथ स्वरूप में ही प्रस्तुत की है।

यहां दो प्रकार की सामग्री है। एक है प्रस्तुत विषय से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित यूरोप के अधिकारियों और बौद्धिकोंने प्रत्यक्षदर्शी प्रमाणों एवं स्वानुभव के आधार पर, विभिन्न प्रयोजन से प्रेरित होकर प्रस्तुत की हुई भारत विषयक जानकारी, और दूसरी है धर्मपालजीने इस सामग्री का किया हुआ विश्लेषण, उससे प्राप्त निष्कर्ष और उससे प्रकाशित ब्रिटिशरो के कार्यकलापो का, कारनामो का अन्तरंग।

इसमें प्रयुक्त भाषा दो सौ वर्ष पूर्व की अंग्रेजी भाषा है, सरकारी तंत्र की है, गैर साहित्यिक अफसरो की है, उन्होंने भारत को जैसा जाना और समझा वैसा उसका निरूपण करनेवाली है। और धर्मपालजी की स्वयं की भाषा भी उससे पर्याप्त मात्रा में प्रभावित है।

फलतः पढ़ते समय कहीं कहीं अनावश्यक रूप से लम्बी खींचनेवाली शैली का अनुभव आता है तो आश्चर्य नहीं।

और एक बात।

अंग्रेजों ने भारत के विषय में जो लिखा वह हमारे मन मस्तिष्क पर इस प्रकार छा गया है कि उससे अलग अथवा उससे विपरीत कुछ भी लिखे जाने पर कोई उसे मानेगा ही नहीं यह भी सम्भव है। इसलिए यहाँ छोटी से छोटी बात का भी पूरा पूरा प्रमाण देने का प्रयास किया गया है। साथ ही इतिहास लेखन का तो यह सूत्र ही है कि नामूल लिख्यते किञ्चित् - बिना प्रमाण तो कुछ भी लिखा ही नहीं जाता। परिणामतः यहाँ शैली आज की भाषा में कहा जाए तो सरकारी छापवाली और पाठित्यपूर्ण है, शोध करनेवाले अध्येता की है।

प्रमाणों के विषयमें तो आज भी स्थिति यह है कि इसमें ब्रिटिशरो के स्वयं के द्वारा दिये गये प्रमाण हैं इसलिये पाठको को मानना ही पड़ेगा इस विषय में हम आश्चस्त रह सकते हैं। (आज भी उसका तो इलाज करना जरूरी है।)

साथ ही, पाठको का एक वर्ग ऐसा है जो भारत के विषय में भावात्मक, या भक्तिभाव पूर्ण बातें पढ़ने का आदी है, अथवा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया, अर्थात् अमेरिका के दृष्टिकोण से लिखा गया विचार पढ़ने का आदी है। इस परिप्रेक्ष्य में विषय सम्बन्धी पारदर्शी, ठोस, तर्कनिष्ठ प्रस्तुति हमें इस ग्रंथवाली में प्राप्त है। अनेक विषयों

मे अनेक प्रकार से हमे बुद्धिनिष्ठ होने की आवश्यकता है इसकी प्रतीति भी हमे इसमें होती है।

७

अनुवादको तथा जिन जिन लोगो ने ये पुस्तके मूल अग्रेजी मे पढी हैं अथवा अनुवाद के विषय मे जाना है उन सभी का सामान्य प्रतिभाव है कि इस काम मे बहुत विलम्ब हुआ है। यह बहुत पहले होना चाहिये था। अर्थात् सभी को यह कार्य अतिमहत्त्वपूर्ण लगा है। सभी पाठको को भी ऐसा ही लगेगा ऐसा विश्वास है।

अनुवाद का यह कार्य चुनौतीपूर्ण है। एक तो दो सौ वर्ष पूर्व की अग्रेज अधिकारियो की भाषा, फिर भारतीय परिवेश और परिप्रेक्ष्य को अग्रेजी मे उतारने और अपने तरीके से कहने के आयास को व्यक्त करने वाली भाषा और उसके ही रग मे रगी श्री धर्मपालजी की भी कुछ जटिल शैली पाठक और अनुवादक दोनो की परीक्षा लेनेवाली है।

साथ ही यह भी सच है कि यह उपन्यास नहीं है, गम्भीर वाचन है।

सक्षेप मे कहा जाय तो यह १८ वीं और १९ वीं शताब्दी का दो सौ वर्ष का भारत का केवल राजकीय नहीं अपितु सास्कृतिक इतिहास है।

८

इस ग्रथावलि के गुजराती अनुवाद कार्य के श्री धर्मपालजी साक्षी रहे। उसका हिन्दी अनुवाद चल रहा था तब वे समय समय पर पृच्छा करते रहे। परन्तु अचानक ही दि २४ अक्टूबर २००६ को उनका स्वर्गवास हुआ। स्वर्गवास के आठ दिन पूर्व तो उनके साथ बात हुई थी। आज हिन्दी अनुवाद के प्रकाशन के अवसर पर वे अपने बीच मे विद्यमान नहीं हैं। उनकी स्मृति को अभिवादन करके ही यह कार्य सम्पन्न हो रहा है।

९

इस ग्रथावलि के प्रकाशन मे अनेकानेक व्यक्तियो का सहयोग एव प्रेरणा रहे हैं। उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना हमारा सुखद कर्तव्य है।

अनेकानेक कार्यकर्ता एव विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के सहसरकार्यवाह माननीय सुरेशजी सोनी की प्रेरणा, मार्गदर्शन, आग्रह एव सहयोग के कारण से ही इस ग्रथावलि का प्रकाशन सम्भव हुआ है। अतः प्रथमतः हम उनके आभारी हैं।

सभी अनुवादको ने अपने अपने कार्यक्षेत्र में अत्यन्त व्यस्त होते हुए भी समय सीमा में अनुवाद कार्य पूर्ण किया तभी समय से प्रकाशन सम्भव हो पाया। उनके परिश्रम के लिये हम उनके आभारी हैं।

यह ग्रन्थावलि गुजरात में प्रकाशित हो रही है। इसकी भाषा हिन्दी है। हिन्दी भाषी लोगों पर भी गुजराती का प्रभाव होना स्वाभाविक है। इसका परिष्कार करने के लिये हमें हिन्दीभाषी क्षेत्र के व्यक्तियों की आवश्यकता थी। जोधपुर के श्री भूपालजी और इन्दौर के श्री अरविद जावडेकरजी ने इन पुस्तकों को साद्यन्त पढ़कर परिष्कार किया इसलिये हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

अच्छे मुद्रण के लिये साधना मुद्रणालय ट्रस्ट के श्री भरतभाई पटेल और श्री धर्मेश पटेल ने भी जो परिश्रम किया है इसके लिये हम उनके आभारी हैं।

'पुनरुत्थान' के सभी कार्यकर्ता तो तनमन से इसमें लगे ही हैं। इन सभी के सहयोग से ही इस ग्रन्थावलि का प्रकाशन हो रहा है।

१०

सुधी पाठक देश की वर्तमान समस्याओं के निराकरण की दिशा में विचार विमर्श करते समय, नई पीढ़ी को इस देश के इतिहास में अग्रजों की भूमिका का सही आकलन करना सिखाते समय इस ग्रन्थावलि की सामग्री का उपयोग कर सकेंगे तो हमारा यह प्रयास सार्थक होगा।

साथ ही निवेदन है कि इस ग्रन्थावलि में अनुवाद या मुद्रण के दोषों की ओर हमारा ध्यान अवश्य आकर्षित करें। हम उनके बहुत आभारी होंगे।

इति शुभम् ।

सम्पादक

वसन्त पचमी

युगाब्द ५१०८

२३, जनवरी २००७



विभाग १

यूरोपीय आधिपत्य के प्रारम्भ में भारतीय समाज की स्थिति
और उसके दरिद्र होने की प्रक्रिया

- १ भारत को पुनर्बोध प्राप्त करना ही चाहिए
- २ भारत के भविष्य के लेख
- ३ आधुनिक भारत में मापदण्डों और गौरव का क्षरण
- ४ पिछड़ेपन का प्रश्न
- ५ इतिहास की पृष्ठभूमि में भारतीय कृषि की उत्पादकता
- ६ भारत में जनगणना (१८८१-१९३१)

१. भारत को पुनर्बोध प्राप्त करना ही चाहिए

(डॉ कृष्णन से साक्षात्कार)

कृष्णन जरा टेढ़ा प्रश्न करने के लिए मुझे क्षमा करे। प्रश्न यह है कि आपने ब्रिटिश शासन से पूर्व के, विशेष कर १८ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के भारतीय समाज में रुचि क्यों ली ? यह प्रश्न मैं आप से इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधानकर्ता या व्यवसायी नहीं हैं।

धर्मपाल मैं आपके इस विषय को अपने ग्राम विकास स्वयंसेवी संस्थाओं के सगठन (AVARD) के ससाधन के सदस्य में स्पष्ट करूँगा। मैं इस संस्था का सचिव था। और इस संस्था का हेतु गाँवों में चलनेवाली पंचायतीराज प्रथा का अध्ययन करना था। इस संस्था के लिए, और इसके साथ काम करते हुए मैंने जाना कि भारतीय समाज अधिकांशतः प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं के आधार पर काम करता था, और मैं अन्य भारतीय लोगों की तरह इस प्रकार की देशी कार्यपद्धति से अनजान और अनभिज्ञ था।

मैं आपको इसका एक ठोस उदाहरण देता हूँ। एक बार राजस्थान के एक गाँव में इस संस्था के सदस्य के नाते पंचायत प्रथा का अध्ययन करने के लिए मेरा जाना हुआ। हमने देखा कि पंचायत का अपना एक भवन है। हमने जब पंचायत के रिकॉर्ड और उसकी संचालन प्रक्रिया का अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि पंचायत के कार्यालय में कहीं भवन निर्माण के निर्णय का कोई उल्लेख नहीं था। हमने इस विषय में प्रश्न किया तो हमें बताया गया कि भवन निर्माण का निर्णय उन्होंने अपनी 'बीस्वा पंचायत' में किया था। यह पंचायत एक अनधिकृत परंपरागत स्तर पर चलनेवाली पंचायत थी।

यह एक अत्यंत दिलचस्प बात है। गाँव के लोग किस प्रकार कुछ मामलों को ग्रहण करते हैं और कैसे प्रतिभाव देते हैं यह अध्ययन करने लायक है। इस मामले में यह भी स्पष्ट किया कि हम अपने गाँवों के विषय में कितना कम जानते हैं। इसी प्रकार के अनुभव मुझे आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और अन्य स्थानों पर भी हुए। सन् १९६३ से १९६५ के दौरान हमने तमिलनाडु में पंचायती प्रथा का अध्ययन किया है। मैंने

तमिलनाडु के कई जिलों का दौरा किया, कई तत्त्वज्ञों के साथ चर्चा और विचार विमर्श किया। ताजोर में वहाँ के स्थानीय भारत सेवक समाज के अध्यक्ष से मैं मिला। उन्होंने मुझे बताया कि ताजोर क्षेत्र में सन् १९३७ के अरसे में सौ से भी अधिक 'समुदाय गाँव' अस्तित्व में थे। इन गावों के प्रत्येक सदस्य का अपने गाव की जमीन में हिस्सा था। इनमें से कोई भी जमीन जोतता परन्तु समयान्तर में इनमें परिवर्तन होता था। सम्पूर्ण जमीन ग्रामसमाज के अधीन रहती। ऐसा परिवर्तन एक ऐसी धारणा पर आधारित था कि समयान्तर में जमीन के उपजाऊपन में कमी या बढ़ोत्तरी होती रहती है। इसीलिये यदि पुन वितरण किया जाए तो समाज के सदस्यों में असमानता नहीं होगी।

रेव्यू रेकॉर्ड की जाँच करने पर मुझे मालूम हुआ कि ताजोर जिले में ३० प्रतिशत गाव सन् १८०७ में ऐसे समुदाय गाव थे। मैं जैसे जैसे १८ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और १९ वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का अध्ययन करता गया वैसे वैसे मुझे यह विश्वास होता गया कि भारतीय समाज का जो चित्र हम जानते हैं वह गलत है। इससे मुझे यह अनुभूति हुई कि किसी ने १८ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के ब्रिटिश शासन के रेकॉर्ड की व्यवस्थित जाच करनी चाहिए। यह काम अन्ततः मैंने ही किया।

कृष्णन ब्रिटिश राज्य पूर्व के भारतीय समाज के किसी निश्चित पहलू का आप अध्ययन नहीं करते थे ?

धर्मपाल मेरा उद्देश्य अंग्रेज शासन पूर्व के भारतीय समाज का हर सम्भव सतर्कतापूर्ण अध्ययन करना था।

कृष्णन किन्तु मेरी जानकारी में आपका काम १८ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और १९ वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के भारतीय समाज का अध्ययन करने का है और विशेष रूप से ब्रिटिश काल के रेकॉर्ड में प्राप्त जानकारी के प्रकाश में है। इसे क्या हम ब्रिटिश शासन पूर्व का भारतीय समाज कहेंगे ?

धर्मपाल बिलकुल सही। मेरा काम इस समय का ही है, क्योंकि इसी समय की ही सामग्री उपलब्ध थी। विशेषतः मेरा आशय भारतीय समाज पर अंग्रेज शासन के प्रभाव का था, इसीलिए मुझे भारत के ब्रिटिशों के द्वारा अधिग्रहण से प्रारम्भ करना पड़ा, जो सन् १७५० के लगभग एक वास्तविकता बनी हुई थी। व्यवस्थित वृत्त या रेकॉर्ड रखने का प्रारम्भ सन् १७५० के लगभग हुआ, क्यों कि उस समय के अंग्रेज अधिकारियों ने स्वयं जो कुछ देखा और सुना उसका सम्पूर्ण ब्यौरा उनके इन्लैंडवासी उच्चाधिकारियों को देने की आवश्यकता उपस्थित हुई। सन् १७५० से सन् १८३० की समयावधि में प्राप्त होनेवाली सामग्री सन् १८५० के बाद प्राप्त होनेवाली सामग्री की अपेक्षा अधिक

विस्तृत थी। प्रारम्भिक समय की सामग्री और वृत्त अधिक सम्पूर्ण और स्वतन्त्र था। जैसे जैसे अंग्रेज सरकार को भारत से सम्बन्धित बुनियादी जानकारी प्राप्त होती गई वैसे वैसे उन्होंने जानकारी निश्चित निर्धारित स्वरूप के ढांचे में मगवाना प्रारम्भ किया।

कृष्णन क्या वास्तव में यह परिवर्तन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के माध्यम से भारत में अंग्रेज शासन के कारण था ?

धर्मपाल मेरा मत है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज शासन काल के बीच अन्तर नहीं है। वास्तव में सन् १७८४ से भारत के सन्दर्भ में कोई भी निर्णय लेने में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका लगभग न के बराबर थी। निर्णय लेने का और विशेष महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ देने का दायित्व सन् १७८४ में अंग्रेज ससद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप स्थापित की गई सस्था 'भारत से सम्बन्धित मामलों के पंच' को सौंपी गई थी। सन् १८५८ में किये गये परिवर्तन से तो कारकुन की भूमिका से भी कंपनी को मुक्त कर दिया गया और यह काम भारत के राज्यों के विभागीय मंत्रियों को सौंपा गया। इसका अर्थ यह हुआ कि सन् १८५८ तक ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारत में शासन नहीं किया। सन् १७८४ से अंग्रेज सरकार का इस कम्पनी पर पूर्ण अकुश था। इसलिए इस प्रकार का अन्तर अयोग्य है।

कृष्णन अब मैं एक अलग प्रश्न पूछता हूँ। अंग्रेजों के लिए इस देश को अपने अधिकार में लेना क्यों सरल था ? अंग्रेज शासन से पूर्व भारतीय समाज के कौन से पहलू इसके लिए उत्तरदायी थे ?

धर्मपाल मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अंग्रेज शासन के पूर्व के भारतीय समाज के अच्छे बुरे पहलुओं का मुझे विशेष अंदाज नहीं है। मेरा ज्ञान मुझे प्राप्त जानकारी और अंग्रेज रिकॉर्ड पर आधारित है। और विशेष रूप से १८वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के भारत का है।

वास्तव में उत्तर देने से पूर्व और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि सन् १७०० के आसपास भारत में मुगल साम्राज्य की बुनियाद लडखड़ा गई। इसके बाद राजकीय परिवर्तन हुए। भारत के कई हिस्सों में राजा महाराजाओं ने अपने अधिकार जमाना प्रारम्भ किया, किन्तु यह नवजागृति अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय ताकतों की तुलना में धीमी और दुर्बल थी। विशेष प्रभावी नहीं थी और जब अंग्रेजों ने क्रमशः इस देश को जीतने का प्रयास किया तब ये राजा सगठित होकर उनसे लड़ नहीं पाए।

कृष्णन इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय के भारतीय जमींदार अत्यन्त बलवान होने के कारण पूँजीवादी सगठन से लड़ नहीं पाए ?

धर्मपाल मुझे ज्ञान नहीं है की हमारे यहाँ ऐसी कोई जमींदारी प्रथा थी। यह मैं इस धारणा के आधार पर कह रहा हूँ कि ऐसे सगठनों के स्वरूप अलग होते हैं। जब हम 'मुगलो की केन्द्रीय सत्ता' ऐसा कहते हैं तो उसका अर्थ केन्द्रशासित राज्य ऐसा किया जाता है। मुझे स्मरण है कि औरंगजेब ने एक बार अपने पौत्र को लिखा हुआ पत्र मैंने देखा था। पत्र में दो बातों का उल्लेख था। (१) जहागीर के शासन काल में बादशाह की आय ६० लाख रुपये और खर्च १,५०,००,०० रुपये था। यह घाटा अकबर द्वारा की गई बचत में से बराबर किया गया। (२) जहागीर के बाद आए शाहजहाँ ने इसमें सुधार किया। उसकी आय १५ करोड़ थी और खर्च १ करोड़ था। मुगल शासन की कुल आय दस से बीस करोड़ रुपये होती थी। यदि इस से छोटा सा हिस्सा ही सम्राट को प्राप्त होता था तो शेष आय क्या हुआ होगा। सभी इतिहासकार एक बात से सहमत हैं कि औरंगजेब के समय में उसके राज्य में आय कभी भी अदाजित आय के २० प्रतिशत से बढी नहीं। सर्वसामान्य स्पष्टीकरण यह है कि शेष ३० प्रतिशत राशि उस समय के जमींदारों में वितरित होती थी।

मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आय का इतना बड़ा हिस्सा स्थानिक स्तर पर ही रहता था और उसका उपयोग वर्षों पुराने रीतिरिवाज जैसे कि पाठशाला या धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद) या जलाशयों की देखभाल, मन्दिरों को अनुदान, धार्मिक गतिविधियाँ, विद्वानों, कवियों, वैद्यों, ज्योतिषियों, जादूगरों आदि को सम्मानित करने में होता था। यह एक अत्यन्त प्राचीन व्यवस्था थी जो मुगलों के शासन तक बनी रही। अंग्रेज आए तो उन्होंने तमाम प्रकार के कुल उत्पादन के ५० से ६० प्रतिशत के हिसाब से आय वसूलना शुरू किया। इससे कोई भी व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि इस तरह अपने गावों में जो कुछ अतिरिक्त पूँजी थी वह अन्यत्र चले जाने से वे लोग मन्दिरों और विद्यालयों की देखभाल नहीं कर पाए।

कृष्णन क्या आप यह कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने यह जानबूझ कर किया ?

धर्मपाल अंग्रेजों ने जो कुछ अपने लिए आवश्यक था वह किया। इंग्लैंड में भी किसान अपने कुल उत्पादन का ५० प्रतिशत हिस्सा जमींदार को देते थे और इस प्रकार वे सम्पूर्ण जमीन प्राप्त करते थे। यही प्रथा अंग्रेजों ने हम पर लादी। यह भारत के लिए बनाई गई कोई विशेष नीति नहीं थी। अंग्रेजों ने कदाचित् यह माना था कि यही बिलकुल

सही नीति है, क्यो कि उनके मानस मे केन्द्रीकृत समाज और राज्य की कल्पना थी। वास्तव मे यह व्यवस्था वहा एक हजार वर्ष पूर्व अस्तित्व मे थी। जब नोर्मन प्रजा ने सन् ११०० मे इग्लैंड पर विजय प्राप्त की तब इग्लैंड की ९५ प्रतिशत आय राजा, महाराजाओ, सम्राटो और गिरजाघरो मे वितरित होती थी।

कृष्णन क्या आप यह कह सकते है कि सन् १७५० या इससे पूर्व का भारत इग्लैंड की अपेक्षा अधिक अच्छा था ? भारत मे सामान्य मनुष्य की स्थिति कैसी थी ?

धर्मपाल यद्यपि इस मुद्दे पर मैं बहुत निश्चित नहीं हूँ। तो भी कुछ बाते भारतीय समाज का भिन्न चित्र प्रस्तुत करती हैं। उदाहरण के लिये सन् १८०४ के जुलाई के 'एडिनबरो रिव्यू' के अंक मे भारत के खेत-उत्पादन और मजदूरो के मुआवजे के प्रश्न पर ब्रिटन मे चर्चा हुई। तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि भारत की उत्पादकता इग्लैंड की उत्पादकता से बहुत अधिक है। विशेषत अग्रेजो को इस बात का आश्चर्य था कि भारत के कृषि मजदूरो को दिया जाने वाला मुआवजा इग्लैंड के मजदूरो को दिये जानेवाले मुआवजे की अपेक्षा बहुत अधिक था।

भारत का अर्थतन्त्र जब बिलकुल कगाल था तब भी भारत मे उत्पादकता और मुआवजे का अनुपात इग्लैंड की अपेक्षा इतना अधिक हो तो भारत जब पूर्ववर्ती वर्षों मे समृद्ध था तब यह उत्पादकता और मुआवजा कितना अधिक होगा ? सन् १८०६ की बेलारी जिले की उपभोक्ता स्थिति पर दृष्टिपात करने से भी इस पहलू का अनुमान लगाया जा सकता है। अग्रेज सत्ताधीशो ने उपभोक्ता स्थिति का अन्दाज लेने के लिए इस जिले के लोगो को तीन विभागो मे बाँटा। तीनों विभागो मे उपयोगिता की दृष्टि से खाद्य पदार्थों की मात्रा एक समान रहती थी। इस सूची मे तेईस (२३) चीजेथी जिनमे घी, तेल, नारियल, सागसब्जी और पान आदि का भी समावेश किया गया था। प्रत्येक व्यक्ति का वार्षिक उपभोक्ता खर्च प्रथम विभाग मे १७ रु, दूसरे विभाग मे ९ रु, और तीसरे विभाग मे ८ रु था।

सन् १८०५ मे ताजोर मे 'मिरासदारो' (जमीन के स्थायी उत्तराधिकारी) की सख्या ६२,००० थी जिसमे से ४२,००० लोग शूद्र या फिर इससे भी निम्न जाति के थे। ब्रह्माचल मे (वर्तमान सेलम मे) जमीन जोतने वाले, जिन्हे 'परिया' के रूप मे जाना जाता है उनकी सख्या छ लाख की कुल जनसख्या मे ३२,४७४ थी। सन् १७९९ मे चेंगलपट्टु जिले मे 'मिरासदारो' की सख्या ८,३०० दर्ज की गई थी और उस जिले के समाहर्ता के मन्तव्य के अनुसार वास्तविक सख्या इसकी अपेक्षा दस गुना अधिक थी। अधिक गहराई से अध्ययन किया जाए तो भारतीय जीवन और समाज का एक भिन्न

चित्र उभरकर सामने आया। उदाहरण स्वरूप मि एलेक्जान्डर रीड, जिन्होंने मद्रास जमीन रेव्यू पद्धति का प्रारम्भ किया, के अनुसार सन् १७८० के आसपास हैदराबाद में मालिक और नौकर के बीच कपडे के मामले में विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता था। बस इतना ही कि मजदूर की अपेक्षा मालिक के कपडे अधिक साफ सुथरे और व्यवस्थित रहते थे।

कृष्णन मैं मानता हू कि भारत में ब्रिटिश शासन के पूर्व की शिक्षा पर आपकी आगामी पुस्तक में अधिक दिलचस्प बातें और जानकारी होगी ?

धर्मपाल यद्यपि इससे सम्बन्धित गहन अध्ययन मद्रास प्रांत में सन् १८२२ और १८२५ के दौरान किया गया। सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि इस प्रान्त में ११,५७५ विद्यालय तथा १,०९४ महाविद्यालय और १,५७,१९५ और ५,४३१ छात्र क्रमशः थे। यह अध्ययन विशेष रूप से जातिगत ढाँचे पर भी प्रकाश डालता है। तमिलभाषी क्षेत्र में इस वृत्त के अनुसार शूद्र या निम्न जाति के छात्र ७० से ८० प्रतिशत थे। यह प्रतिशत उडियाभाषी क्षेत्र में ६२, मलयालमभाषी क्षेत्र में ५४ और तेलुगुभाषी क्षेत्र में ३५ से ४० था। मद्रास के गवर्नर ने इसका भी विशेष रूप से उल्लेख किया है कि विद्यालय में जाने योग्य आयु के बच्चों में से २५ प्रतिशत बच्चे विद्यालय जाते थे और शेष अधिकांश बच्चे घर पर ही शिक्षा प्राप्त करते थे।

मद्रास में २६,००० बच्चे घर पर और ५,५०० बच्चे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते थे। मलबार में महाविद्यालय स्तर पर १,६०० विद्यार्थी घर पर शिक्षा प्राप्त करते थे और केवल ७५ विद्यार्थी समुद्रिन राजा द्वारा चलाये जानेवाले महाविद्यालय में अध्ययन हेतु जाते थे। मलबार जिले में विद्यालय जानेवाली मुस्लिम छात्राओं की संख्या बहुत अधिक थी। १,१२२ लड़कियों पर मुस्लिम लड़कों की संख्या ३,१९६ थी। ६० वर्ष के बाद सन् १८८४-८५ में विद्यालय जानेवाली मुस्लिम लड़कियाँ केवल ७०० थीं। मैंने अधिकांश अभिलेख अपनी पुस्तक में प्रकाशित किये हैं। ब्रिटिश शासन पूर्व के भारतीय समाज की शिक्षा पर हमें अपने विचार बदलने की आवश्यकता है।

कृष्णन '१८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान और तन्त्रज्ञान' नामक आपकी पुस्तक अद्भुत है। यह सामग्री आपने कहा से प्राप्त की ? अपने विद्वानों और वैज्ञानिकों का इस पुस्तक के विषय में क्या अभिमत होगा ?

धर्मपाल जैसा कि पहले कहा है मैं विज्ञान और तन्त्रज्ञान या शिक्षा के साहित्य की खोज में था ही नहीं। मेरा मुख्य उद्देश्य उस समय के भारतीय समाज के विभिन्न आयामों का अध्ययन करना था। इस अध्ययन के दौरान मुझे विज्ञान और तन्त्रज्ञान से

सम्बन्धित बहुत साहित्य प्राप्त हुआ। अपने विज्ञान और तन्त्रज्ञान के स्वरूप की जानकारी के साथ साथ यह साहित्य अपने उस समय के सामाजिक सगठनों के विषय में भी बहुत कुछ कहता है। मैंने इससे सम्बन्धित बहुत सामग्री एकत्रित की। मेरे मित्रों ने मुझसे आग्रह किया कि मुझे इन जानकारियों को प्रकाशित करना चाहिए। अन्ततः मैंने ऐसा किया। विज्ञान के विषय पर काम करने वाले कई लोगों ने मेरे काम की प्रशंसा की और मेरे निष्कर्षों को सही बताया। परन्तु दुःख इस बात का है कि भारत में किसी भी अग्रगण्य पत्रिका ने कोई टिप्पणी नहीं की।

कृष्णन अपने विज्ञान और तन्त्रज्ञान के क्षेत्र की उपलब्धियों के कुछ अंश प्रस्तुत करेंगे ?

धर्मपाल खगोलशास्त्र और गणित को ही ले। अग्रेज सेना के बगाल के सेनाध्यक्ष और इंग्लैंड की ससद के भूतपूर्व सासद सर रॉबर्ट बार्कर ने एक अत्यन्त दिलचस्प लेख वाराणसी की प्रसिद्ध वेधशाला के विषय में लिखा है। वास्तव में, एन्सायक्लोपेडिया ब्रिटानिका ने अपने सन् १८२३ के संस्करण तक इस वेधशाला को विश्व की पांच प्रसिद्ध वेधशाला में से एक माना है। एफ आर एस (फेलो ऑफ रोयल सोसायटी) और एडिनबर्ग युनिवर्सिटी के गणितशास्त्र विभाग के प्रो. जोहन प्लेफेर ने सन् १७९० में एक शोधपत्र प्रस्तुत किया था। प्लेफेर का यह शोधपत्र एक पुस्तक की विस्तृत समीक्षा थी। यह पुस्तक फ्रेन्च इतिहासकार और खगोलशास्त्री बेइली ने भारतीय खगोलशास्त्र पर लिखी थी।

इसी समय में रुबेन बरो ने 'बाइनोमिअल प्रमेय' पर एक शोधपत्र प्रकाशित किया। इसके बाद प्रसिद्ध केसीनी के सहायक ली जेन्टील ने तमिलनाडु के लोग ग्रहण की स्थिति की गणना कैसे करते हैं इस पर एक अहवाल प्रस्तुत किया था। यह गणना बिना कागज पेन की जाती थी। जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता था वे थीं सीप तथा कठस्थ की गई सारिणिया। टेक्नोलोजी के सन्दर्भ में बहुत से शोधपत्रों में अपनी खेती विषयक श्रेष्ठ पद्धतियों के सम्बन्ध में निरूपण किया गया है।

गुजरात और मलबार की खेती पर सन् १८२० में कर्नल एलेक्जान्डर वॉकर ने एक अहवाल प्रस्तुत किया है। होलवेल ने भी चेचक के टीकाकरण विषय पर एक दिलचस्प पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में बगाल और अन्य क्षेत्रों में टीकाकरण की प्रथा और पद्धति पर विस्तार से लिखा है। सन् १८०२-०३ में अग्रेजों ने भारत की टीकाकरण की इस पद्धति को अमान्य, गैरकानूनी, घोषित करके इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

दक्षिण भारत में प्रचलित जुताई पद्धति पर केप्टन हालकोट ने एक पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि भारत के दूरस्थ छोटे गावों में उन्होंने कभी भी हल से जुताई की कल्पना नहीं की थी। क्योंकि वह हल तो आधुनिक यूरोपीय खोज के रूप में पहचाना जाता था। उन्होंने हलजोत के हल की सरल रचना की जानकारी दी है। वुड्ज नाम से पहचानी जानेवाली स्टील बनाने की भारतीय पद्धति पर बहुत से अहवाल प्राप्त हुए हैं। ऐसे अग्रेज विशेषज्ञों जिन्होंने इस वुड्ज का सूक्ष्मता से अध्ययन किया था कहा कि भारतीय स्टील विश्व में उपयोग में लिये जानेवाले स्टील की अपेक्षा बहुत ही श्रेष्ठ दर्जे का है।

कृष्णन परन्तु बहुत से अग्रेज भारत को और भारतीय लोगों को अज्ञान, शोषित, पीडित बताते हैं ?

धर्मपाल मैं मानता हूँ कि यह गलत धारणा है कि १९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अग्रेज कुछ निश्चित प्रकार के शब्दों जैसे की अज्ञान, व्यथा आदि का प्रयोग भारतीय लोगों के लिए सहजता से करते थे। १९ वीं शताब्दी में इंग्लैंड में भी वर्ग व्यवस्था, कठोर कानून व्यवस्था, प्रशासकीय और सेनागत ढांचा आदि जन्म, बक्षिस अथवा खरीदी पर आधारित था। ऐसी मानसिकता के कारण भारत की अत्यन्त प्राणवान और व्यवस्थित समाजरचना, उसकी शिक्षा सस्थाएँ जिनमें प्रवेश धन के कारण से नहीं मिलता था, भूमि का सामुदायिक स्वामित्व आदि समझमें आना ही असम्भव था। उनकी समझमें यह सब भारतीयोंकी न्यूनता और शिथिलता का ही परिचायक था।

सन् १८१३ में 'हाउस ऑफ् कोमन्स' में एक चर्चा हुई थी। कई सांसदों ने अभिमत प्रस्तुत किया था कि अत्यधिक उथलपुथल और विघटन की स्थिति से ग्रस्त होने के बावजूद भारतीय समाज और भारतीय जन की सहिष्णुता, सामाजिक सगठितता, समृद्धि और अभिजात व्यवहार किसी का भी मन मोह लेनेवाला था। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भारतीय लोगों की आत्मा का उद्धार करना था और इस कार्य का श्रीगणेश विलियम विल्बरफोर्स नामक अग्रेज द्वारा किया गया था। उसने यह तर्क दिया कि ग्रीस और रोम भी ईसाई धर्म में परिवर्तित होने से पूर्व कगाल स्थिति में ही थे। अतः यह कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि ईसाई धर्म के बिना ये लोग अधिक सुखी और प्रबुद्ध हो सकते हैं। विल्बरफोर्स ने समापन करते हुए आग्रहपूर्वक कहा कि भारतीय लोग ईसाई धर्म को नहीं अपनाएँ तो अधिकार और कगालियत में ही डूबे रहेंगे।

इसलिए मैं मानता हूँ कि 'अज्ञान', 'पीडित' आदि का उपयोग धार्मिक सन्दर्भ

मे भारत का उल्लेख करने के लिए होता था। भारतीय लोग सामाजिक और आर्थिक की अपेक्षा धार्मिक अधिक थे। सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन को सन् १८०० के बाद का लक्षण माना जाना चाहिये। इसके लिए विशेष रूप से भारतीय राज्यतन्त्र की फैली हुई रचना और अंग्रेजी सत्ता एव ससाधनो का केन्द्रीकरण बहुत हद तक उत्तरदायी है। इसका परिणाम यह हुआ कि आगामी १०० वर्ष के लिए इस सत्ता ने अपने अधिकार जमाने के लिए चीन और सेन्ट हेलेना तक अपना व्याप बढ़ाने का विचार किया। इसका उपयोग नये नये प्रदेशो और शहरो का निर्माण करने मे और निभाने मे तथा सेना की सहायता से अपनी सत्ता का व्याप बढ़ाने मे किया गया। इन क्षेत्रो से अधिकतम राजस्व प्राप्त करके उसका उपयोग ब्रिटिश अर्थतन्त्र के व्यापक हेतु सिद्ध करने के लिये किया गया।

परन्तु एक बार विघटन, दारिद्र्य, और पराधीनता से ग्रस्त हो जाने के बाद सम्पूर्ण भारतीय समाज निश्चित रूप से एक स्थगितता और कठिनता की स्थिति से घिर गया। विद्वानो ने यह स्थापित करना प्रारम्भ किया कि बिखराव, विघटन, और दारिद्र्य भारतीय सस्कृति का अगभूत लक्षण ही रहा है।

कृष्णन परन्तु भारतीय सस्कृति मे कुछ ऐसा तत्त्व है जिसने हमे अंग्रेजो के विरुद्ध प्रतिकार करने से रोका। क्या यह अपनी निष्क्रियता है या सहिष्णुता ?

धर्मपाल प्रथम दृष्टि मे हमे भारतीय समाज कुछ आलसी, थका हुआ, लापरवाह, सहिष्णु और निष्क्रिय लगता है, किन्तु उसमे न्याय अन्याय, सही गलत समझने की शक्ति है। ऊपर से दिखाई देनेवाली निष्क्रियता मे भी क्रान्ति की वृत्ति सजोनेवाला यह समाज है। लोगो का नैतिक विचार भी बहुत गहरा है। जब जब उन्हे नैतिक ठोकरे लगी है तब उन्होने किसान आदोलन और सविनय कानून भंग के आदोलन किये है।

उदाहरण स्वरूप सन् १८०३ के लगभग कन्नड जिले के सहायक समाहर्ता ने यह अहवाल दिया कि परिस्थिति बिगड रही है। ग्यारह हजार लोगो ने कर न देने का प्रतिज्ञापूर्वक दृढ निश्चय किया है। तहसीलदार के कार्यालय मे ३०० आन्दोलनकारी घुस गये और दमनकारी कानून और नमक और तम्बाकू के एकाधिकार के सम्बन्ध मे शिकायत की। इस समाहर्ता ने यह भी कहा था कि इन लोगो ने एक व्यक्ति को उसके कर भरने के दण्ड स्वरूप जाति से (समाज से) निकाल दिया। यह आक्रोश बरुर तक पहुँचा और बहुत शीघ्र ही कुन्दापुर पहुँचेगा।

सन् १८१०-११ मे अंग्रेजों के विरुद्ध मकान कर और दुकान कर के सम्बन्ध मे आन्दोलन के रूप मे कई बार प्रतिकार हुआ। सन् १८१० के अक्टूबर मास मे बगाल

प्रान्त में यह कर अमल में लाया गया था। इसका विरोध वाराणसी, पटना, भागलपुर, मुर्शिदाबाद और सरन के लोगो ने किया। वाराणसी के समाहर्ता और न्यायाधीश द्वारा गवर्नर जनरल को कोलकता भेजे गये अहवाल में मकान कर के विरोध में हुए आंदोलन की जानकारी दी। उदाहरण स्वरूप समाहर्ता कहता है कि रामपूर्ण नगर में लोगो ने तमाम प्रकार के कामकाज का बहिष्कार किया था। यहां तक कि मृतदेहों का अन्तिम सस्कार भी नहीं होता था।

उनके बताये अनुसार बीस हजार से भी अधिक लोग लगातार धरने पर बैठे थे, जब कि दूसरे अहवाल के अनुसार दो लाख से भी अधिक लोग सेकरोल शहर में एकत्रित हुए थे। यद्यपि यह सत्य है कि भारतीय लोग सैनिक संगठन और प्रशासकीय मामलों में अग्रेजों की अपेक्षा कम हैं।

कृष्णन आपने यह तर्क दिया है कि अन्याय का प्रतिकार करने के लिए भारत के पास प्राचीन सविनय कानूनभंग की पद्धति थी। क्या महात्मा गांधी इस प्रथा से परिचित थे ?
धर्मपाल महात्मा गांधी के द्वारा प्रारम्भ किये गये असहयोग आन्दोलन और सविनय कानूनभंग के उद्भव के विषय में दो मन्तव्य हैं। एक मन्तव्य के अनुसार गांधीजी ने यह विचार 'थोरो' और 'रस्किन' से प्राप्त किये। दूसरे मत के अनुसार ये विचार महात्मा गांधी के अपने हैं। महात्मा गांधी 'हिंद स्वराज' में अपने इन विचारों का निर्देश देते हैं। गांधीजी ने लिखा है कि हमें कानून का पालन करना चाहिए, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। उन्होंने यह भी कहा है कि हम भारत में सामान्यतः अक्रिय प्रतिकार करते हैं और उन्होंने इसका उल्लेख सौराष्ट्र के छोटे रजवाडों में देखा है। जब राजा की ओर से उनकी भावना को ठेस पहुंचानेवाला कोई आदेश जारी किया जाता था तब लोग गांव छोड़कर अन्यत्र चले जाते थे। राजा इसके बाद अपनी गलती मान कर सुधार करता था और अन्त में समझौता होता था।

मैं यह नहीं कहता कि महात्मा गांधी का सविनय कानूनभंग भारतीय परम्परा से आया है। एक प्रकार से तो यह उनके स्वभाव की ही पैदाइश है। शायद विदेश में भी इसको समर्थन प्राप्त होने के कारण उन्हें बल मिला होगा। परन्तु मैं मानता हूँ कि भारतीय परम्परा से ही बहुत कुछ अंश तक असहयोग आन्दोलन का विचार आया होगा। ऐसा लगता है कि इतिहासकारों की अपेक्षा गांधीजी को राजा और प्रजा के बीच के सम्बन्धों का ज्ञान अधिक होगा। भारतीय परम्परा या इतिहास में अधिक गहराई में न जाये तो भी भारत और ब्रिटेन से प्राप्त सामग्री के आधार पर गांधीजी के विचार अधिक सत्य होने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सविनय कानूनभंग पर मेरी पुस्तक इस दिशा में एक

प्रयास है।

कृष्णन यह अत्यन्त दिलचस्प बात है कि भारत में हमने एक अलग नीति अपनायी है जिसमें राजा को या शासनकर्ता को सम्पूर्ण सत्ता नहीं दी।

धर्मपाल हाँ, महाभारत में भी कहा गया है कि लोगों को एकत्रित होकर ऐसे राजा की हत्या कर देनी चाहिए जो प्रजा की रक्षा न कर सकता हो। लोग यदि राजा को राजस्व देते हों तो प्रजा की रक्षा करना राजा के लिए अनिवार्य है। प्रजा को लूटनेवाले राजा को 'कलि' कहना चाहिए। विशेष रूप से ऐसे राजा को पागल कुत्ते की मौत दी जानी चाहिए।

कृष्णन किन्तु अपने यहाँ तो ऐसे कई दुष्ट राजा हैं।

धर्मपाल हम केवल राजनीतिक मामलों की बात करते हैं। परन्तु मैं मानता हूँ कि पश्चिम में राजा सर्वसत्ताधीश होता था।

कृष्णन किन्तु, हिन्दू राज्यव्यवस्था में राजा अत्याचारी होते हैं यह अभिप्राय कैसे प्रचलित हो गया ?

धर्मपाल ब्रिटिश शासन के दौरान अपने राजाओं के द्वारा किये गये व्यवहार को देखकर ऐसा विचार आया होगा। मैं मानता हूँ कि यह पूर्ण जानकारी के अभाव में कही गई बात है।

कृष्णन जाति व्यवस्था के विषय में आपके क्या विचार हैं ? मैं मानता हूँ कि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जाति का प्रश्न सन् १८०० के बाद उत्पन्न हुआ है। मुझे लगता है कि जाति कई प्रश्न उपस्थित करती है। विशेष रूप से जब हम अपनी परम्परा का बचाव करते हैं तब।

धर्मपाल आप सही हैं। जाति भारत के पिछड़ेपन का मुख्य प्रतीक है। किन्तु हम ऐसे निष्कर्ष पर क्यों आए ? गाँवों की तरह जातियाँ भी भारतीय समाज का अभिन्न अंग हैं। यह सच है कि 'मनुस्मृति' के अनुसार समाज किसी निश्चित समय पर चार वर्ण में विभक्त था। परन्तु भारत में जातियाँ और वर्ग अस्तित्व में थे और आज भी अस्तित्व में हैं, किन्तु उन्होंने कभी भी गंभीर प्रश्न उपस्थित नहीं किए।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इनके बीच सहअस्तित्व है। इनके बीच लड़ाई भी होती थी और वे उत्सव भी साथ मिलकर मनाते थे। मनुस्मृति के नियमों और मान्यताओं के विपरीत जब अग्रजों ने भारत जीतना प्रारम्भ किया तब, अधिकांश भारत के राजा शूद्र वर्ण के थे। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह सम्भव है कि अलग अलग जाति और वर्ण का अस्तित्व भारतीय राज्यव्यवस्थातन्त्र की अपेक्षाकृत दुर्बलता के

कारण है। दूसरी ओर यह तर्क भी दिया जा सकता है कि जातियों के अस्तित्व ने भारतीय समाज की सुदृढता में वृद्धि की है। साथ ही साथ इसके बने रहने की शक्ति में भी वृद्धि की है और फिर से खड़े होने की ताकत भी वह प्राप्त करा देती है। किन्तु परिस्थितियों में और कैसी व्यवस्थाओं में जातियाँ भारतीय समाज का विभाजन करती हैं अथवा उन्हें सगठित करती हैं, ऐसे प्रश्नों के कोई निश्चित उत्तर प्राप्त नहीं हो सकते।

अंग्रेजों के लिए जाति एक बड़ा प्रश्न था। यह एक ऐसा दूषण था जिसका कोई हल नहीं था। इसलिए नहीं कि वे जातिरहित या वर्गव्यवस्था के अभाववाली पद्धति में मानते थे, किन्तु इसलिए कि यह जातिव्यवस्था उनके भारतीय समाज को तोड़ने के कार्य में विघ्नस्वरूप थी। मैं मानता हूँ कि जातिप्रथा ने भारत को जीतने में, भारत पर शासन करने में और भारत को अकुश में रखने में कठिनाईयों पैदा की थीं। आज के जातिप्रथा विरुद्ध आक्रोश के मूल में ब्रिटिश शासन ही है।

कृष्णन किन्तु क्या अंग्रेज शासन ने हमारे अन्दर राष्ट्रवाद पैदा नहीं किया ? कम से कम हमारे पाठ्यपुस्तक तो यही कहते हैं।

धर्मपाल सबसे पहले तो भारत को एक केन्द्रीय राज्य बना रहना चाहिए या नहीं यह एक कठिन प्रश्न है। हमारी सस्कृति की एकता के कारण ही भारत आज भारत है, इसके केन्द्रीय या सघ शासन के कारण नहीं। बहुत से ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं कि भारत के अनपढ़ और अज्ञानी, गाँव में बसने वाले लोग उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की यात्रा पर जाते थे। हिमालय में भी बहुत से ऐसे गाँव हैं जो तमिल मूल के हैं और 'पट्टी' के रूप में जाने जाते हैं।

मेरे मतानुसार भारतीय इतिहास में सन् १७५० से सन् १९४७ तक का समय एक निर्जीव समय है। यह कथन कदाचित अतिरजित लगेगा किन्तु मैं मानता हूँ कि यह वास्तविकता है। मौलिकता और सृजनात्मकता के सन्दर्भ में इस समय में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। बल्कि लोगों ने बहुत सहन किया है और अपने आप को बहुत छोटा बनाया है।

कृष्णन एक अन्तिम प्रश्न। अपनी परम्परा की ओर जाने का कोई विशेष अर्थ है ? क्या आप ऐसा मानते हैं कि आवश्यक है तो सम्पूर्ण प्रक्रिया को उलटाना सम्भव है ?

धर्मपाल मैं मानता हूँ कि इसका निराकरण इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को उलटाने में है। अधिकांश रूप से इस परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रारम्भ वैचारिक दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। उनका स्वदेशी का विचार वास्तव

मे पिछड़ेपन के ethnocentric अर्थ से सम्बन्धित था। किन्तु यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि आज यह विचार अधिक चला या फैला नहीं है। विदेशी विचारधारा और विदेशी ढांचे को इसका बहुत आकर्षण नहीं है। उनके मतानुसार ब्रिटिश काल के दौरान भारत में जो कुछ हुआ उसे उलटाया नहीं जा सकता है। यह इतिहास की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। यदि पश्चिम में जो हुआ वह वैश्विक प्रभाववाला है और तमाम सस्कार और सस्कृतियों को ऐसी प्रक्रिया से गुजरना पडता है तो भारत को भी इस से गुजरना होगा। वास्तव में यह सब अन्तिम तीन दशक से भारत में विकास और आयोजन के नाम पर होता आया है। यदि हम सब इसकी अनिवार्यता समझ सकते हैं तो हमारे लिए सबसे उत्तम मार्ग भारतीय समाज के विघटन की प्रक्रिया को तेज बनाकर नई सहस्राब्दी शीघ्र आ जाए ऐसा करना चाहिए।

किन्तु यदि हम ऐसा मानते हैं कि सस्कार और सस्कृति समयान्तर में स्वयं के मूल सस्कारों के स्रोत पर आधारित मार्गों से ही बदलते हैं तो फिर हमें एक बड़े आध्यात्मिक और बौद्धिक प्रयास की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हमें देशी और आचलिक कहे जाने वाले स्रोत की ओर मुड़ना चाहिए और जो बचने योग्य है उसे बचाना चाहिए और जिसे ध्वस्त करना है उसे ध्वस्त करना चाहिए।

यह आवश्यक नहीं है कि दूसरों के सभी अनुभवों से कुछ भी नहीं सीखना चाहिए। ऐसे अनुभवों का व्यवस्थित विश्लेषण होकर वे समझे जाएँ तो वे अत्यधिक मूल्यवान् सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार का पुनरावर्तन और पुनर्निर्माण कई भौतिक स्रोतों में भी बहुत से परिवर्तन करवाता है। इस प्रकार के परिवर्तन आंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होने चाहिए, किन्तु इस प्रकार के परिवर्तन यदि हो तो वे दान और मदद की अपेक्षा उत्थान के अधिक होने चाहिए। ये परिवर्तन ही एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करेंगे।

* मार्च १९८३ में बेगलोर के 'डेक्कन हेराल्ड' में प्रकाशित डा जी एस आर कृष्णन द्वारा लिया गया साक्षात्कार।

२. भारत के भविष्य के लेख

इंग्लैंड की भारत विषयक नीति स्पष्ट करनेवाले

कुछ ब्रिटिश अभिलेख १९४२-४३

अंग्रेजों के शासन के विरोध में भारत के संघर्ष की कथा उस शासन की तरह अब इतिहास बन चुकी है, परन्तु जिन लोगों ने इसमें भाग लिया था, अथवा जो इसके साक्षी बने थे, उनके लिए १९४२ का 'भारत छोड़ो' आन्दोलन सबसे अधिक स्मरणीय बन जाएगा। जो लोग इस आन्दोलन के पक्ष में थे, उसके प्रशंसक थे और उसमें सहयोग देनेवाले थे, उनके लिए ही नहीं, अपितु विरोधियों के लिए भी यह स्मरणीय बन जाएगा। ब्रिटिश वायसराय लिनलिथगो ने इस आन्दोलन के विषय में विन्स्टन चर्चिल को लिखा कि 'यह आन्दोलन १८५७ की क्रान्ति के बाद का सबसे बड़ा और गम्भीर आन्दोलन है, हमने इसकी गम्भीरता और व्यापकता सेना के बल पर विश्व से छिपाकर रखी है।' (अगस्त ३१, १९४२)

१८५७ के आन्दोलन के विषय में अनेक प्रकार से अध्ययन हुआ है, परन्तु 'भारत छोड़ो' आन्दोलन, इसके मूल और इसके परिणाम के विषय में बहुत कम लिखा गया है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि इस आन्दोलन के बाद तुरन्त ही बहुत महान और स्थिर परिणाम देनेवाली घटना घटी। भारत में ब्रिटिश शासन का ही अन्त हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी हो सकता है कि इस आन्दोलन के विषय में शोध के लिये सरकारी अथवा गैरसरकारी सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है।

ऐसी स्थिति में भले ही इनेगिने दस्तावेज हो, तब भी 'भारतीय सत्ता का हस्तान्तरण १९४२-४७ (हर मेजेस्टीज स्टेशनरी ऑफिस, लन्दन, मूल अंग्रेजी) का प्रकाशन इस समय को समझने के लिए और इसका अध्ययन करने के लिए एक मूल्यवान सामग्री उपलब्ध करवाता है। हम ऐसी अपेक्षा करें कि सिक्के का भारतीय पहलू अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, उसके नेताओं के इस समय से सम्बन्धित पत्रों की भी इस प्रकार व्यवस्था, सम्पादन और प्रकाशन हो और विचारविमर्श के लिए लोगों के सामने आएँ।

भारत सरकार के १९३५ के नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने १९३७ मे हुए विधानसभा के चुनाव लड़ने का निश्चय किया था। भारत के अधिकांश राज्यों मे कांग्रेस पर्याप्त बहुमत से विजयी हुई और कुछ समय के बाद गवर्नर और चुने हुए सभ्यों के मध्य आपसी सम्बन्धों के विषय मे कुछ आचार निर्धारित करके और कई समाधानों पर विचार-विमर्श करके वह सरकार बनाने के लिए भी सम्मत हुई। १९३८ के सितम्बर मे विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुआ और इन सभी मन्त्रियों ने एक साथ त्यागपत्र दे दिए, क्योंकि भारत के लोग नाझी जर्मनी एव फासिस्ट आक्रमण के विरुद्ध और इंग्लैंड, फ्रान्स, पोलैंड, इत्यादि की ओर सहानुभूतिपूर्ण विचारधारा रखते थे तो भी इनमे शामिल करने से पहले भारत का नाम मात्र के लिये भी अभिप्राय नहीं लिया गया।

इस सामूहिक त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और शासक अंग्रेजों के मध्य सत्ता के लिए आक्षेप प्रतिआक्षेप और कड़वाहट बढ़ती गई। ८ अगस्त १९४० के दिन वाइसरॉय लिनलिथगो का सुप्रसिद्ध बयान प्रसारित किया गया, जिसमे कहा गया था कि 'भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस' ही उनका लक्ष्य था और जब नए भारतीय राज्य के लिए समय आएगा, तब जिनको इस राज्य मे नहीं रहना है, उनको सम्हालने के लिए वे 'पक्षकार' नहीं बनेंगे। इस प्रकार भारत के विभाजन की सभावना सूचित होती थी। 'वाइसरॉय को अपनी कार्यवाहक समिति का विस्तार करने का' और 'युद्ध सलाहकार समिति' बनाने का अधिकार है, परन्तु यह सब 'युद्ध पूर्ण होने के बाद ही हो सकेगा।' अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय कांग्रेस ने नामजूर कर दिया, क्योंकि यह तो 'भारत की स्वतन्त्रता के स्वाभाविक अधिकार को नष्ट करने के लिए था।' यह प्रजा के अभिप्राय की मुक्त अभिव्यक्ति को अवरुद्ध करनेवाला था। इसके बाद तुरन्त ही कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व मे व्यक्तिगत स्तर पर नागरिक असहयोग का आन्दोलन प्रारम्भ किया।

१९४१ के दिसम्बर मे जैसे ही जापान युद्ध मे सम्मिलित हुआ और जर्मनी के पक्ष में खड़ा रहा, कि तुरन्त ही इंग्लैंड की भारत मे ही नहीं, बल्कि बर्मा, मलाया, सिंगापुर इत्यादि मे भी स्थिति वास्तव मे नाजुक बन गई। इस और अन्यान्य कारणों से एक वर्ष पूर्व जेल मे रखे हुए कांग्रेस के और अन्य नेताओं को अंग्रेजों ने मुक्त कर दिया, और भिन्न भिन्न पक्षों के साथ नए सिरे से बातचीत प्रारम्भ की। इस परिस्थिति के अनेक व्यापक सूचितार्थ होने के कारण भारत की राजकीय समस्या मे अमेरिका, चीन, और अन्य सत्ताओं ने भी अपनी अभिरुचि व्यक्त की।

इन दस्तावेजों का प्रथम खण्ड, ९ जनवरी, १९४२ से प्रारम्भ होता है। इन

तीन खण्डों की मुख्य घटनाएँ हैं - च्याग कार्ड शेक की भारत भेट (फरवरी, १९४२), क्रिप्स मिशन (मार्च-अप्रैल १९४२), 'भारत छोड़ो' आंदोलन की पूर्वतयारी और उसकी प्रतिक्रिया (मई १९४२ से आगे), महात्मा गांधी का अनशन (फरवरी-मार्च, १९४३) और अन्त में चीन और अन्य आन्तरराष्ट्रीय समुदाय के भारत की स्वतन्त्रता को दिए गए समर्थन और सहानुभूति को इंग्लैंड की स्वीकृति।

इन सभी दस्तावेजों में पाठकों को ध्यान में आनेवाली बात यह है कि जिनमें ब्रिटिशों का दीर्घ काल तक हित समाया हुआ होता है, ऐसी नीतियों के विषय में अंग्रेज कितने धूर्त हैं। परिस्थिति भिन्न भिन्न मोड़ लेती है तब भी अपनी मूल बात को कैसी सावधानी से वे पकड़ कर रखते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, विचारधारा और दृष्टिकोण में अन्तर होते हुए भी इंग्लैंड के सभी राजकीय पक्ष इंग्लैंड की भारत विषयक नीति और उद्देश्यों के विषय में पूर्ण रूप से एक हैं। इसी सन्दर्भ में सेक्रेटरी ओव् स्टेट फॉर इंडिया एल एस आमेरी की दृष्टि से भारत में ब्रिटिश वायसरॉय के रूप में क्लेमेन्ट एटली भी लिनलिथगो का अनुगामी बनने के लिए उतना ही लायक था जितना एन्टनी एडन। भारत विषयक नीति के विषय में जो भी मतभिन्नता हो, इन्हें भी पक्षापक्षी से अलग कर के देखा जाता था। इस विषय में एक दूसरा मुद्दा उल्लेखनीय है। यह है भारत के भावी विभाजन के विषय में ८ अगस्त १९४० का अंग्रेज सरकार का वक्तव्य। मानो यही वक्तव्य विभाजन के विचार पर लगी हुई अधिकृत मुहर थी। क्रिप्स जिस प्रस्ताव को ले कर भारत आया था, उसने पूर्व के वक्तव्य को प्रस्थापित करने के साथ साथ उसको अधिक ठोस आकार दिया, और आमेरी ने किंग ज्योर्ज षष्ठ के इस निजी सचिव को बताये अनुसार यह 'पाकिस्तान की सम्भावना को' ब्रिटिशों के द्वारा दी गई 'प्रथम आम सम्मति' थी। अर्थात् 'भारत हिन्दू और मुस्लिम इस प्रकार दो भागों में विभाजित होनेवाला था।' (खण्ड १ पृ २०८-अंग्रेजी)

वस्तुतः अकेले ब्रिटिशों ने ही दुःखद या सुखद रीति से भारत के विभाजन का विचार स्वीकार कर लिया था ऐसा नहीं था। विभाजन किस प्रकार होगा और हिस्से कैसे बनेंगे, इस विषय में मोहमद अली जिन्हा, तथा सिखों ने भी विचार करना प्रारम्भ कर दिया था। गवर्नर तथा डुपलैण्ड इत्यादि के समक्ष विभाजन के विषय में अपने विचार स्पष्ट करते हुए जिन्हा ने कहा कि 'जब तक मुस्लिमों का बहुमत न हो' तब तक १९३७ से पंजाब में होता रहा है उसी प्रकार दूसरी कोम के साथ उनको हमेशा समाधान करने की भूमिका में ही रहना पड़ेगा। इसलिए अपनी पाकिस्तान की रूपरेखा बनाते समय मुस्लिम क्षेत्र (बाद का पश्चिम पाकिस्तान) में से हिंदुओं के बहुमतवाला अम्बाला के

आसपास का विस्तार उन्होंने छोड़ दिया। उनकी योजना के अनुसार पाकिस्तान में ७५ प्रतिशत मुस्लिम होंगे और वे शक्तिशाली मुस्लिम सरकार बना सकेंगे।' प्रदेशों को विभाजित करने की आवश्यकता समझाते हुए उन्होंने कहा कि, अपने क्षेत्रों में मुस्लिमों का पूर्ण बहुमत होना आवश्यक है। इस समय के कृत्रिम रूप से बने हुए प्रदेशों में उससे कम बहुमत से काम नहीं चलेगा' (खण्ड १ पृष्ठ १३)

इसी प्रकार यदि विभाजन होता है, तो क्रिप्स के कथनानुसार सिखों को 'अम्बाला, जलधर, अमृतसर, गुरदासपुर और लाहौर जिलों का बना प्रदेश मिलेगा' (खण्ड २ पृष्ठ २२७)। सिखों ने क्रिप्स को दिए गए आवेदन में कहा, 'भारत का विभाजन चाहनेवाली और व्यक्तिगत कानून और अपनी सस्कृति को दूसरे पर थोपनेवाली किसी भी कौम की दादागीरी को वे नहीं कहेंगे।' (खण्ड १ पृष्ठ ४६७)

१९४७ में भारत के विभाजन के समय यदि कोई नई बात हुई, तो वह थी इन्हीं सभी विचारों की कृति में परिणति।

च्याग कार्ड शेक की भारत भेट

इन दस्तावेजों के अध्ययन से एक महत्वपूर्ण बात प्रकट होती है। वह यह कि चीन ने उसके तत्कालीन अध्यक्ष च्याग कार्ड शेक की भारत भेट के रूप में भारत को सहयोग दिया था, परन्तु ब्रिटिश सरकार ने उनकी सभी योजनाएँ विफल कर दी थीं। चीन के इस सरेआम सहयोग के तहत च्याग कार्ड शेक फरवरी १९४२ में भारत आया था। उसकी और उसकी पत्नी की सेवाग्राम के आश्रम में महात्मा गांधी से मिलने की इच्छा थी। वे वायसरॉय के निवास में रहना नहीं चाहते थे। (खण्ड १ पृष्ठ ५५) उनकी अन्य इच्छाएँ तो पूर्ण की गईं, परन्तु सेवाग्राम की मुलाकात किसी भी तरह मान्य नहीं की गई। चर्चिल ने च्याग को लिखा 'आपकी गांधीजी से मिलने के लिए सेवाग्राम की मुलाकात से हम युद्ध में जापान के विरुद्ध समग्र भारत को जो खड़ा करना चाहते हैं, उसमें विघ्न आएगा', इसलिए मैं आशा करता हूँ कि 'वायसरॉय की अथवा सम्राट की इच्छा के विरुद्ध सेवाग्राम जाने का आग्रह न रखें।' (खण्ड १ पृष्ठ १०४)

फिर भी यदि च्याग सेवाग्राम जाने का आग्रह नहीं छोड़ते हैं तो वायसरॉय के कहने पर आमेरीने उन्हें वर्धा जाने के लिए 'रेल, मोटर अथवा अन्य वाहन नहीं मिलने की व्यवस्था की थी।' लिनलिथगो ने उस समय कहा था कि 'च्याग को किसी भी प्रकार का या कितना भी बुरा लगे, तब भी इस विषय में उनको मेरी इच्छा का सम्मान

करना ही पड़ेगा।' (खण्ड १ पृष्ठ ८८)

च्याग कार्ड शेक ने लौटने से पूर्व की सध्या के अपने आम भाषण में आशा व्यक्त की कि 'हमारा साथी ग्रेट ब्रिटेन भारत के लोगो की ओर से बिना किसी भी प्रकार की माँग की प्रतीक्षा किये शीघ्रातिशीघ्र उनको राजकीय सत्ता सौंप देगा जिससे वे अपनी आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति का विकास कर सकें।' (खण्ड १ पृष्ठ १७३)

क्रिप्स मिशन

सम्पूर्ण तो नहीं पर कुछ अंश में भारत की स्वतन्त्रता के आन्दोलन में 'च्याग और चीन का सहारा था, जिसके फलस्वरूप ही मार्च १९४२ में क्रिप्स मिशन दिल्ली आया। वास्तव में तो च्याग जब भारत में थे तभी से ही चर्चिल ने ऐसे मिशन को भेजने की घोषणा करने का विचार कर लिया था।' (खण्ड १ पृष्ठ १०१)

क्रिप्स का भारत आगमन निश्चित होने के पीछे अन्य कई तत्त्व थे

(१) स्वयं इंग्लैण्ड में ही भारत को स्वतन्त्र करने के लिए जनता और समाचार पत्रों के माध्यम से दबाव बढ़ रहा था। (खण्ड २ पृ २२) (२) दक्षिणपूर्व एशिया में अंग्रेजों की स्थिति आतंकित सी बन गई थी। (खण्ड १ पृष्ठ ६५१) (३) एटली जैसे लोगों का विचार था कि, 'समय की गिनती करना भारत को खोने जैसा है'। 'लॉर्ड डरहाम ने जिस प्रकार केनेडा को ब्रिटिश शासन से बचाया था। उसी प्रकार भारत को भी साम्राज्य के लिए बचाना चाहिए। 'केनेडा में जो डरहाम ने किया भारत में भी वैसा ही कर सकनेवाले व्यक्ति की हमें आवश्यकता है।'

इस प्रकार के तर्क को सरकार के व्यूह में पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ। क्रिप्स मिशन की असफलता के कई महीनों के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रप्रमुख रूझवेल्ट को लग रहा था कि, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को साथ मिलकर कोई ऐसी व्यवस्था के विषय में सोचना चाहिए जिससे भारत एशिया के नहीं अपितु अमेरिका और यूरोप के विश्व का एक अंश बने (खण्ड २ पृ ४२४)।

यह तो प्रसिद्ध ही है कि, क्रिप्स अपने मिशन में सफल नहीं हुआ। इंग्लैण्ड के 'अनचेरिटेबल' के मतानुसार मिशन एक 'दाहिने पक्ष का तरकट था। वह क्रिप्स के नाम पर चर्चिल-आमेरी की योजना को साकार करने हेतु था।' यह बात क्रिप्स के भारत पहुंचने से पूर्व ही आमेरी ने लिनलिथगो को बता दी थी। (खण्ड १ पृ ३४)

स्वयं आमेरी को इस मिशन की सफलता के विषय में आशा नहीं थी और पर्याप्त

वादविवाद के बाद जैसे ही क्रिप्स उसे सफल बनाने हेतु अपने विवेक से कुछ करने लगा और उसने कुछ कहा कि 'नई व्यवस्था के अन्तर्गत' वाइसरॉय की 'कार्यवाहक समिति केबिनेट के साथ बात करेगी' (खण्ड १ पृ ५१८) तुरन्त ही चर्चिल ने उसे डाट दिया। (खण्ड १ पृ ५३३) कार्यवाहक समिति के फैसले का सम्मान करने हेतु 'वायसरोय निश्चित रूप से जो कुछ सम्भव होगा,' करेगे। इस प्रकार क्रिप्स के मतव्य को निर्देशित करते हुए ब्रिटिश युद्धपरिषद ने निश्चय किया कि 'वर्तमान सविधान मे वायसरॉय के अधिकार सीमित करनेवाली कोई भी नीति होने का प्रश्न ही नहीं है और युद्ध के समय मे इस परिस्थिति मे बदलाव लाने के विषय मे सोचा नहीं जा सकता है। (खण्ड १ पृ ५७१) यदि कॉग्रेस के नेताओ ने इस प्रकार की स्थिति मे बदलाव लाने के विषय मे सोचा है तो उनको अपनी सोच बदलनी पडेगी। (खण्ड १ पृ ५८१) क्रिप्स मिशन असफल हुआ इसमे कोई आश्चर्य नहीं है। क्रिप्स ने लिखा है, 'मुझे दु ख है कि मेरे साथियो को मुझ पर विश्वास नहीं है' और 'यदि मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं यह कार्य जारी नहीं रख सकता।' (खण्ड १ पृ ५७७)

किन्तु आमेरी के सोचने से और मिशन के अपना कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही उसकी असफलता निश्चित हो चुकी थी। उस समय के बोर्ड ओव् एज्युकेशन के अध्यक्ष आर ए बटलर के मतानुसार मिशन के दीर्घकालीन उद्देश्य स्पष्ट थे। बटलर ने आमेरी को लिखा, 'योजना ऐसी होगी की अपनी सैन्य व्यवस्था और अल्पसख्यको की सुरक्षा की दृष्टि से इंग्लैण्ड, पाकिस्तान, हिन्दू भारत एव 'मुटाटी-मुटान्डी' तथा राज्यों के समूह मे सधि होगी। जब हमे अखिल भारतीय समुदाय के साथ समझौता करना होगा तब केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डल होगा।

इस प्रकार की योजना से यह लाभ होगा कि खण्डो की प्रतिष्ठा निश्चित होगी एव समग्र की एकता बनी रहेगी।

'येन केन प्रकारेण भारत मे इंग्लैण्ड का प्रभाव बना रहना चाहिए ऐसी जो हमारी इच्छा है उसकी ही यह निश्चित रूप से स्पष्ट अभिव्यक्ति है। यह महत्त्वपूर्ण बात जिसमे समाई हुई है, ऐसे लेखन की अपेक्षा यह योजना अच्छी है ऐसा मैं मानता हूँ। कैम्पबेल बैनरमेन ने जो दक्षिण आफ्रिका मे किया वही हम भारत मे एक साथ प्राप्त करे यह सम्भव नहीं है। जैसा कि मैं प्रारम्भ से कहता आया हूँ कि इंग्लैण्ड को अभी भी भारत मे कुछ भूमिका निभानी है यह हम स्पष्ट रूप से प्रारम्भ में ही नहीं कहेंगे तो ठीक नहीं होगा।' (खण्ड १ पृ २५५)

तत्काल व्यवस्थापन के तौर पर इंग्लैण्ड का 'भारत की रक्षा का सम्पूर्ण दायित्व

निभाने का' आग्रह था। क्यो कि वे शासन के प्रत्येक विभाग पर अपना नियन्त्रण चाहते थे। २७ मार्च, १९४२ के दिन आमेरी ने एटली को लिखा, 'हमारी चर्चा के दौरान हमने स्पष्टरूप से समझा है कि 'सरक्षण' का अर्थ था 'अच्छा शासन'। (खण्ड १ पृ ४०३)

भारत के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया जाए इस सम्बन्ध में इंग्लैण्ड की सरकार के समुदायो में भिन्नभिन्न प्रकार के कई मत थे, परन्तु उन सब में समान और महत्त्व की चुनौती थी महात्मा गांधी।

राजकीय परिदृश्य से यदि महात्मा गांधी अदृश्य हो जाते तो सब कुछ आसान बन जाता। अन्य भारतीय नेताओं के प्रभाव के विषय में मतभिन्नता थी, उनसे किस प्रकार का व्यवहार किया जाय इस विषय में भी भिन्न भिन्न मत थे, उनको अग्रेजों के सहयोग में किस प्रकार खड़ा किया जाए इस विषय में भी भिन्न भिन्न अनुमान लगते थे। परन्तु प्रत्येक हलचल के समय महात्मा गांधी को ध्यान में रखना पड़ता था। चीन, और कुछ हद तक अमेरिका के भारतकी स्वतन्त्रता के लिये समर्थन और महात्मा गांधी क्या करते हैं और कहते हैं इसमें रुचि के कारण अग्रेजों का काम और कठिन हो गया। इससे परेशान होकर चर्चिल ने रुझवेल्ट से पूछा, 'श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं उत्कटापूर्वक आशा करता हूँ कि आप च्याग काई शेक को उसकी गतिविधियों से परावृत्त करने के लिए हरसम्भव उपाय करेंगे और सम्राट की सरकार पर कोई दबाव नहीं लायेंगे।' (खण्ड २ पृ ३८२)

'भारत छोड़ो' आंदोलन

भिन्न राष्ट्रों का दबाव होते हुए भी अग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में तैयारी चालू रखी। युद्ध परिषद ने अपनी ६ अगस्त, १९४२ को एटली की अध्यक्षता में हुई सभा में अनेक प्रकार के विचारविमर्श के बाद निश्चय किया कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति जैसे ही 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित करती है, तुरन्त -

(१) गांधीजी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को हिरासत में लेना चाहिए।

(२) गांधीजी को चुपचाप समुद्रमार्ग से भारत के बाहर किसी स्थान में (संभवतः सुदान) भेज देना चाहिए।

(३) गांधीजी के साथ कोई विशिष्ट व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत न हो, इसलिए अन्य दर्जन नेताओं को पकड़ कर हवाई मार्ग से पूर्व अफ्रीका भेज देना चाहिए।

(४) इस कार्यवाही की अग्रिम जानकारी अमेरिका के प्रमुख को और साम्राज्य के देशों के प्रधानमंत्रियों को दी जानी चाहिए और

(५) चीन के ब्रिटिश राजदूत को भी इस योजना से पूर्ण अवगत रखना चाहिए, परन्तु गांधीजी और अन्य कॉंग्रेसी नेता जब तक गिरफ्तार नहीं होते हैं, जनरल च्याग कार्डी शेक को इसकी जानकारी नहीं होने देने की सूचना देनी चाहिए।' (खण्ड १ पृ ४३५)

इससे पूर्व २४ जुलाई के दिन आमेरी ने लिनलिथगो को लिखा था कि 'मुझे हर्ष है कि कॉंग्रेसी नेताओं को युगाण्डा भेजने के मेरे इरादे के अनुरूप सभी योजनाएँ बन रही हैं। 'आमेरी ने आगे कहा, 'ये सभी घटनाएँ नाट्यात्मक तो हैं ही, परन्तु ये लोग किसी की भी पहुँच से बाहर हो, तो लगभग मृत्यु के समान ही हैं। लोग इनको हमेशा के लिए भूल जायेंगे।' (खण्ड १ पृ ३२३)

चीन तथा अन्य दबावों की उपेक्षा करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने जैसे ही 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित किया कि तुरन्त ही ८ अगस्त के दिन ब्रिटिशों ने महात्मा गांधी और कांग्रेस के विरुद्ध अपनी पूर्व योजित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। पूर्व में उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार वायसरॉय ने सम्पूर्ण घटना का '१८५७ के बाद का सबसे खतरनाक विद्रोह' कहकर वर्णन किया (खण्ड २ पृ ६६२)।

च्याग कार्डी शेक ने ब्रिटिश कार्यवाही का प्रबल विरोध किया और कहा कि अब अमेरिका मध्यस्थी करे यही एक मात्र रास्ता शेष था (खण्ड २ पृ ५१८)। इस और ऐसे अन्य सुझावों ने ब्रिटिशों को भडका दिया, और चर्चिल ने रुझवेल्ट को लिखा, 'मुझे सन्देह है कि च्याग हमारे लिए मुसीबत निर्माण करेगा।' (खण्ड २ पृ ५३२) च्याग ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और पंडित नेहरू को सन्देश भेजा था, 'आपकी गिरफ्तारी से मुझे चिंता होती है। राष्ट्र के लिए अपने स्वास्थ्य को सम्हाले।' परन्तु यह सन्देश उन तक पहुँचने नहीं दिया गया। (खण्ड २ पृ ५८०) चर्चिल ने च्याग को चेतावनी दी, 'मित्रों के लिए उत्तम नियम यह है कि किसी ने अन्यो के आन्तरिक मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए।' चर्चिल ने प्रमुख रूप से ध्यान दिलाया कि 'जब कम्युनिस्ट कोमिन्टाग मतभेद अत्यन्त उग्र थे, तब इंग्लैण्ड किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से सर्वथा दूर रहा था।' च्याग के अमेरिकी हस्तक्षेप के सूचन के विषय में चर्चिल ने कहा, 'जिसका मैं प्रधानमंत्री बनूँ अथवा सामान्य सभ्य भी बनूँ, ऐसी कोई ब्रिटिश सरकार नामदार सम्राट के राज्य के किसी भी कामकाज में दूसरे का हस्तक्षेप सहने के लिए तैयार नहीं होगी।' (खण्ड २ पृ ६३३)

च्याग की तरह अन्य लोगों को भी चिंता थी। गिरफ्तारी होने के बाद एक दो दिन में ही अमेरिका के युनाइटेड ऑटो मोबाइल के कारीगरों ने अपने वार्षिक अधिवेशन

मे प्रस्ताव पारित किया था, 'भारत क लोगो की अपनी स्वतन्त्रता के लिए की गई माग न्यायपूर्ण और लोकतान्त्रिक है। यह इस युद्ध के लोकतान्त्रिक और मुक्ति के उद्देश्य के अनुसार ही है। और उन्होंने ब्रिटिशरो से निवेदन किया कि वे 'भारतीय कांग्रेस के साथ कोई आपसी समझौता करे।' (खण्ड २ पृ ५०६) इसी को लेकर वॉशिंगटन के ब्रिटिश राजदूत ने लन्दन को लिखा, 'मैं टोनी से सहमत हू, (टोनी उस समय का उल्लेखनीय आर्थिक इतिहासकार था और वॉशिंगटन की ब्रिटिश एम्बसी का सलाहकार था।) कि वर्तमान भारतीय सकट के विषय मे ब्रिटिश लेबर पार्टी तत्काल और स्पष्टरूप से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करे, यह बहुत आवश्यक है। (खण्ड २ पृ ५०६)

इसके तुरन्त बाद ही एटली ने चर्चिल के कहने पर लेबर पार्टी और ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस ने 'भारतीय कोंग्रेस के असहयोग के आन्दोलन का विरोध करनेवाला निवेदन दिया। उसमे यह जोडा गया कि 'मजदूरो का आन्दोलन मानता है कि कोंग्रेस के नेताओ की भारत सरकार द्वारा की गई गिरफ्तारी समयानुकूल और सावधानीपूर्ण कदम है।' (खण्ड २ पृ ५३०)

ब्रिटिशरो के कारनामो का विरोध बढ़ता ही जा रहा था। उस विरोध को नष्ट करने के लिए लिनलिथगो और उसकी सरकार ने एक के बाद एक उपाय ढूँढने प्रारम्भ किए और उन उपायो को कार्यरूप मे परिणत करने लगे। लिनलिथगो के च्याग को दिए गए उत्तर के विषय मे आमेरी ने तार भेजा, 'च्याग काई शेक के उद्धत हस्तक्षेप के विरुद्ध दृढता के साथ व्यवहार करने के लिये हृदयपूर्वक समर्थन'। (खण्ड २ पृ ५७०) दक्षिण आफ्रिका के जनरल स्मट्स का निर्दोष सूचन था कि 'सरकार ने भारत की भावी सरकार के विषय मे विचारविमर्श करने के लिए नए सिरे से सभी समूहो के नेताओ के साथ चर्चा बैठक करनी चाहिए।' इसके उत्तर मे लिनलिथगो ने लिखा, 'जापान को पराजित करने की हमारी सेना की असफलता के कारण ही कोंग्रेस कितनी गर्वोन्मत्त बन गई है और परिस्थिति कितनी कठिन बन गई है, इसकी स्मट्स को कल्पना नहीं है।' (खण्ड २ पृ ६७३)

आतरराष्ट्रीय दबाव

अप्रैल १९४२ से जून १९४३ की अवधि मे भारत की माग को स्वीकार करने के विषय मे ब्रिटिशरो के ऊपर चीन तथा अन्य देशों का निरन्तर दबाव था। इन तीन खण्डो मे इस दबाव को दूर करने के विषय मे हजारो दस्तावेजो का समावेश है। चीन के अलावा केनेडा, अफघानिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड और दक्षिण

अफ्रिका इंग्लैण्ड नई पहल करे, यह चाहते थे।

इसी समय कई धनवान अमेरिकी भारत की यात्रा पर आना चाहते थे। इससे सामान्य रूपसे नीति का पालन करनेवाला लिनलिथगो अत्यंत व्याकुल हो जाता था। ३१ अगस्त, १९४३ के दिन उसने चर्चिल को लिखा, 'अब मुझे धमकी मिली है कि वेण्डेल विकी और शेरवुड एडी यहा आ रहे हैं, और एडी तो मामले में हस्तक्षेप करके सहायता करने की बात कर रहा है।' (खण्ड २ पृ ६६२) उसको लगता था कि ऐसी भेट से जो दबाव बढ़ता है, वह अपनी सरकार के लिए बहुत हानिकारक है। वास्तव में, 'उनकी व्यक्तिगत बातचीत में और मुलाकातों में एक ही प्रकार की बातें होने के कारण वातावरण दूषित रहता है,' और उसने चर्चिल से प्रार्थना की कि 'एडवर्ड हेलीफेक्स को इन भावनाशील शुभेच्छकों के प्रवाह को रोकने के लिए कहा जाय, जिससे हम यहा अपना काम कर सके।' बेचारे लिनलिथगो को आमेरी ने लिखा, 'तुम्हारे निवेदन के प्रति मुझे सहानुभूति है' और यदि विकी और एडी को भारत आने से रोका न जा सका, तो सूचित किया कि 'विकी बहुत उमदा और शौकीन आदमी है और विन्स्टन कहता है कि उमदा शेम्पेन उसको बहुत पसन्द है। एडी तो ऐसा आदमी है जो आबेडकर के साथ अस्पृश्यता के विषय में बात करेगा तो खुश हो जाएगा।' (खण्ड २ पृ ६७३)

चर्चिल अमेरिकनो को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वाइसरोय को शान्त करने के लिये उसने लिखा,

'हम श्री वेन्डेल विकी और शेरवुड एडी को भारत आने से रोकने के लिए वॉशिंग्टन को अवश्य कह सकते हैं। परन्तु दूसरे प्रकार से यह भी विचारणीय है कि यदि आवश्यक हो तो तुम उसको खुश करके उसका मत परिवर्तन कर सकते हो या नहीं। वेन्डेल विकी जब वहा था, तब मुझे ऐसा करने में बहुत सफलता मिली थी। मैंने इसके लिए बहुत मुसीबतें झेली थीं। भोजन में वह उत्तम साथ निभाता है और हमारी दृष्टि से देखना उसको अच्छा लगता है। इस देश को और हमारे मित्रराष्ट्र को जोड़ने के लिए यह अच्छा मित्र है।'

'मैं शेरवुड एडी को जानता नहीं हूँ, परन्तु प्राप्त जानकारी ऐसी है कि वह मित्रता के भाव से युक्त है। मैं हमेशा ऐसे अग्रणी अमेरिकनो को मिलने का अवसर प्राप्त कर लेता हूँ और उन पर अच्छा प्रभाव हो इसका ध्यान रखता हूँ। इसके परिणाम हमेशा अति सन्तोषकारक मिले हैं। तुम इस विषयमें क्या सोचते हो सूचित करो।

'किसी भी स्थिति में किसी भी विदेशी को अन्दरूनी व्यक्तियों से मिलने नहीं दिया जाए।' (खण्ड २ पृ ७००)

लिनलिथगो के ऊपर बहुत दबाव था। गाधीजी के अनशन और कॉंग्रेस के प्रति कठोरता के कारण हिन्दू आइ सी एस अधिकारियों की दुविधा बढ़ रही थी। (खण्ड ३ पृ ६८१)

सेना के कुछ लोगो ने 'कॉंग्रेस के विरुद्ध की किसी भी कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेने से मना कर दिया था।' (खण्ड २ पृ ६७२) फिर भी वह समझौता न करने के निर्णय में कायम था। बाद में जिसका लिनलिथगो के अनुगामी के रूप में विचार हुआ था, उस रिचार्ड लॉ जैसे लोगो ने अमेरिका के अभिप्राय पर विचार करने का परामर्श दिया था और मेकेन्जी किंग ने सहायता करने का प्रस्ताव रखा था, फिर भी लिनलिथगो अडिग रहा।'

गाधीजी का अनशन

इन दस्तावेजों में कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जिन पर हँसी आती है। गाधीजी के अनशन काल में चर्चिल निरन्तर पूछता रहता था, 'मैंने सुना है कि गाधी जब इस अनशन का सहारा लेता है, तब वह पानी के साथ ग्लुकोज पीता है। क्या इस बात की जानकारी मिल सकती है?' (खण्ड ३ पृ ४६३) वाइसरॉय ने उत्तर भेजा, 'कदाचित् ऐसा हो, परन्तु उनके सेवकों को विश्वास नहीं है। इस बार के (यूरोपीय) डॉक्टर कहते हैं कि इससे पूर्व के अनशन के समय गाधीजी ने सावधानी रखी थी कि उनके पानी में ग्लुकोज न मिलाया जाय। मुझे कहा गया है कि कल ही उनके वैद्यकीय परिचारकों ने उनको ग्लुकोज लेने के लिए समझाया था। आज भी आग्रह किया था, परन्तु उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया।' (खण्ड ३ पृ ४७०)

२५ फरवरी को चर्चिल ने पुनः तार भेजा, 'गाधी के अनशन के विषय में सन्देह अवश्य है। कोई गोलमाल पकड़ा जाय तो अच्छा होगा। निश्चित रूप से आसपास में जब इतने अधिक हिन्दू डॉक्टर हों, तो छिपकर उन्हें ग्लुकोज पिलाना बहुत सरल है। (खण्ड ३ पृ ५३८) इस समय वाइसरॉय ने अनुकूल हो कर दूसरे ही दिन तार भेजा, 'सरकारी डॉक्टरों की जानकारी के बिना उनको ग्लुकोज अथवा दूसरी कोई भी वस्तु पहुँचाना जरा भी कठिन नहीं है।' फिर लिखा, 'मैं कई अमेरिकी पत्रकारों को चतुरतापूर्वक सूचित करता हूँ कि यह कोई उनके हृदय को पिघलाने वाली बात नहीं है, उनके पैर खींचनेवाली बात है। (खण्ड ३ पृ ५४६) ये समाचार योग्य रीति से लिखवाकर पूरी दुनिया में प्रसारित किए गए, साम्राज्य के दूसरे देशों में एटली ने भेजे, और लिनलिथगो का तार मिला, उसी दिन चर्चिल ने स्मट्स को तार भेजा,

‘मुझे नहीं लगता है कि गांधी मरना चाहते हैं, मैंने पिछले सप्ताह खाया था, उससे भी अच्छा भोजन वे ले रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि उनके अनशन की पोल खुल जायेगी। इन सब झूठी बातों को तथा तमाशों को सत्य मानने वाले हम कितने मूर्ख हैं। यहाँ का अभिप्राय बिलकुल स्थिर है और वायसरोय बिलकुल सही है। उपवास प्रारम्भ होने से पूर्व हमें विश्वास था कि चौथा दिन मुसीबत वाला होगा। बाद में ग्यारहवाँ दिन आया और हमें कहा गया कि हम यदि उनका अनशन नहीं छुड़वायेगे, तो बहुत देर हो जाएगी और गांधी जीवित नहीं रह सकेगे। अब आज तो सोलहवाँ दिन है। उसने जब देखा कि यहाँ तो कोई ढीलापन नहीं दिखाई दे रहा है, तब उन्होंने अपनी तरफ से व्यवस्था कर ली, इस विषय में मैं क्या मानता हूँ, वह स्पष्ट शब्दों में कागज के ऊपर नहीं लिख सकता हूँ। यह तुम समझ सकते हो।’ (खण्ड ३ पृ ५४७)

२८ फरवरी को चर्चिल ने लिनलिथगो से कहा, ‘अब तो मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि यह बुद्धा बदमाश इस अनशन से अधिक ताजा हो कर बाहर आएगा।’ (खण्ड ३ पृ ५५३)

नये वायसरोय का चयन

खण्ड ३ में अनेक दस्तावेज लिनलिथगो के अनुगामी के प्रश्न की चर्चा करते हैं। चर्चिल को छोड़ सबका ही, एटली और आमेरी सहित, इस पद के लिए कभी कभी (अक्टूबर १९४२ से जून १९४३ तक) विचार हुआ था। १९३० में गांधी इरविन करार के एक पक्षकार के रूप में हेलिफैक्स का नाम भी वायसरोय पद के लिए सोचा गया था। एडन को इस कार्य को स्वीकार करने के लिए लिखते हुए आमेरी ने कहा, ‘आगामी पांच वर्ष भारत के लिए ही नहीं, तो समग्र साम्राज्य और विश्व के लिए सकटपूर्ण हैं। यदि इन वर्षों में भारत के लोग आपस में एकमत न हों, तब भी वर्तमान शासन व्यवस्था और ब्रिटिशों के साथ किसी न किसी समय या किसी भी रूप में दुश्मनी बढ़ाई, तो भारत पर किसी भी प्रकार से शासन करना कठिन हो जाएगा और कठिनाइयाँ निर्माण करनेवाली शक्तियों के समक्ष प्रदर्शित हमारी दुर्बलता के कारण वह हमसे अलग हो जाएगा।

हम भारत को खोएँगे, तो सम्पूर्ण मध्यपूर्व में और हिन्द महासागर के सभी ब्रिटिश देशों में हमारी स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। इतना ही नहीं तो साम्राज्य से इस प्रकार से अलग हुए भारत में नागरिक युद्ध प्रारम्भ हो जाएगा। उससे विदेशियों के षडयन्त्र को लाभ मिलेगा और अन्त में आक्रमण भी होगा। किसी भी रूप में एशिया भविष्य के लिए भयजनक क्षेत्र बन जाएगा और भारतीय साम्राज्य के बिखर जाने से

तीसरे विश्वयुद्ध के अलावा किसी भी बात की में कल्पना नहीं कर सकता हूँ।

यह सब सम्भव है। जो ठीक हो ही नहीं सकता, वहा उचित स्वरूप की दृढता और जो उचित विचार कर सकता है, उसके साथ विश्वास और सहानुभूतिपूर्वक वात करने से भारत को अधिक आशाप्रद मार्ग की ओर मोडा जा सकता है। इसलिए मैं विपरीत परिस्थिति को अनिवार्य नहीं मानता हूँ। भारतीयों को यदि समझाया जा सके कि उनके भविष्य के विषय में हम प्रामाणिकता से व्यवहार कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर एक ऐसे सविधान को बनाने के लिए सहमत किया जा सके, उनके लिए सहजीवन सम्भव बनाए और दुनिया का मुकाबला कर सके, तो आधा युद्ध तो हम जीत ही जाएंगे। एक बार उन्हें साथ की आवश्यकता प्रतीत होने लगेगी, तो उन्हें इंग्लैण्ड के साथ सम्बन्ध बनाए रखने के लाभ समझ में आयेगे। इस मार्ग में अडिग रहने के लाभ अधिक से अधिक स्पष्ट होते जायेगे और मुक्त होने का हेतु मनोवैज्ञानिक ढंग से दुर्बल होता जाएगा। भारत को बड़े भय से बचने के लिए अभी भी कोमनवेल्थ के शेष राज्यों की सहायता की आवश्यकता है। ऐसा होते हुए भी वह स्वयं भी इस भय का सामना करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत जितना अधिक शक्तिशाली बनेगा, उतना ही वह हमारे लिए शान्ति का स्रोत बनेगा।

‘इन सभी विषयों में व्यक्तिगत प्रभाव अधिक महत्त्वपूर्ण है। अपने भारतीय काउन्सिलरों का आदर, विश्वास और प्रेम जीत सकनेवाला वायसरॉय, जो बिना व्यक्तिगत नियन्त्रण खोए भारतीयकरण का विस्तार कर सके, जो भारत को यह मानने के लिए प्रेरणा दे कि भविष्य के स्वराज के लिए तैयारियाँ प्रामाणिकरूप से हो रही हैं और नैतिक और बौद्धिक समस्याएँ उसे स्वयं ही हल करनी हैं। इस प्रकार के विचारों में उनकी रुचि उत्पन्न कर सके और फिर भी सरकार की सत्ता अबाधित रख सके, वही इन पाच वर्षों से भी कम समय में संपूर्ण परिस्थिति को पूर्ण रूप से परिवर्तन कर देगा।’ (खण्ड ३ पृ ६८५)

एडन को भेजने का अन्तिम बार प्रयत्न करते हुए आमेरी ने चर्चिल से कहा कि एडन के जाने से भारत के वातावरण में परिवर्तन आएगा और ऐसा कोई उपाय मिलेगा, जिससे भारत में व्याप्त अनवस्था रुके और तीसरे विश्वयुद्ध का भय उत्पन्न न हो। अर्थात् कोमनवेल्थ के अन्तर्गत एक स्थिर भारतीय सरकार बनाई जाएगी।’ (खण्ड ३ पृ ७६३) एक बार तो एडन इस विचार को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया, फिर भी चर्चिल और राजा ज्योर्ज षष्ठ ने आशका व्यक्त की कि ऐसे समय में विन्स्टन (चर्चिल) ऐसे महत्त्वपूर्ण अधिकारी को निलंबित नहीं कर सकता है।’ (खण्ड ३ पृ ६८८)

आमेरी ने बाद में लिनलिथगो को लिखा, 'जानता हूँ कि राजा को लगता है, और विन्स्टन ने उनसे कहा है कि विन्स्टन को कुछ हो जाए तो एडन उसका अनुगामी है।' भारत की स्थिति में इस समय कोई बड़ा परिवर्तन आवश्यक नहीं लगता था। इसलिए वायसरोय के रूप में वेवेल का चयन हुआ ॥

दो प्रवाह

उपरोक्त संक्षिप्त निरूपण से जानकारी मिलती है कि 'भारत सत्ता का हस्तांतरण' के तीन खण्डों में प्रकाशित दस्तावेजों में भरपूर नाट्यपूर्ण सामग्री समाहित है, और आज के किसी राजकीय उपन्यास से भी अधिक उसको पढ़ने में आनन्द आएगा। बेचारे लिनलिथगो पर परामर्श की वर्षा हो रही है। उसको चिन्ता है कि वेन्डेल विकी को किस प्रकार शान्त किया जाय और शेखवुड एडी को किस प्रकार दूसरी दिशा में मोड़ा जाय। वास्तव में चिन्ता है बिवरली निकोलस की पत्रकारिता की प्रतिभा का योग्य उपयोग किस प्रकार किया जाय। इससे अधिक चिन्ता है सुन्दरवन क्षेत्र के दुष्ट लोगों को अपने लाभ में उपयोगी बनाने के लिए और जपानियों के लिये उपयोगी बनने से रोकने के लिए जयप्रकाश नारायण के साथ किस प्रकार कार्य किया जाय। (खण्ड ३ पृ ३७५) लिनलिथगो को चारों ओर से अनेक प्रकार से परामर्श मिलता था, उसने इन सुझावों को अधिक महत्त्व नहीं दिया। उसका मानना था कि जयप्रकाश नारायण को छोड़ दिया जाय, तो उनकी क्षमता के बावजूद गेरिलाओं को प्रशिक्षण देने के प्रस्ताव से वह सहमत नहीं होगा।' (खण्ड २ पृ २४८)

इतिहासकार एडवर्ड थोम्पसन की चर्चा से इन सुझावों का जन्म हुआ था। आमेरी भी इससे सम्मत था कि जब हम स्वयं उसके विरोध में खड़े होंगे, तब हमको स्वयं नए सिरे से हमारी अपनी धारणाओं की समीक्षा करनी होगी और जिनको वश में करना चाहिये, ऐसे बदमाश कौन हैं, और जिनका उपयोग हो सकता है, ऐसे बदमाश कौन हैं, अथवा जिनको उकसाना पड़ेगा, ऐसे बदमाश कौन हैं, यह निश्चित करना पड़ेगा। परन्तु दस्तावेजों में भारतीयों की रुचि उत्पन्न हो, ऐसी बात तो यह है कि भारत का भविष्य बनाने के लिए ब्रिटिशों का दिमाग किस प्रकार काम करता है, यह समझने के लिए इसमें सामग्री मिल जाती है।

भारत में ब्रिटिश शासन भविष्य में किस प्रकार का होगा, इस विषय में दो प्रकार के विचारप्रवाह इन दस्तावेजों में देखने को मिलते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप इंग्लैण्ड और भारत के सम्बन्धों का प्रवाह किस मार्ग से मुड़ेगा, इस विषय की दो धाराएँ भी पहचानी जा सकती हैं।

पहला दृष्टिकोण वाइसरॉय लिनलिथगो का है। यही मत उसके साथ काम करने वाले उसके सहयोगियों का और चर्चिल का भी है। लिनलिथगो के मतानुसार 'भारत और बर्मा का साम्राज्य के साथ स्वाभाविक मेल नहीं है। धर्म, इतिहास और वंश की दृष्टि से वे साम्राज्य से बिलकुल भिन्न हैं। इसलिए उन दोनों में से एक को भी साम्राज्य के लिए स्वाभाविक स्नेह नहीं है। वे साम्राज्य के अदर हैं, क्योंकि दोनों जीते गए देश हैं और जबर्दस्ती साम्राज्य में मिलाए गए हैं। उनको हमारे नियन्त्रण में रखा गया है और आज तक हमारे संरक्षण के अन्तर्गत हैं। मुझे सन्देह है कि जिस क्षण हम युद्ध में पराजित होंगे, उसी क्षण ये देश हमारी बलि देकर विजेताओं के साथ सन्धि करेंगे। अभी हमारे आदर्शों के कितने भी गुणगान करते हों, तब वे हमारे साथ खड़े नहीं रहेंगे। (खण्ड १ पृ २३)

इस के ठीक विपरीत दृष्टिकोण था एटली का। आमेरी तथा क्रिप्स सहित अनेक लोग उससे सहमत थे। लिनलिथगो का उपरोक्त मत सुनकर एटली ने आवेशपूर्वक कहा, 'वाइसरॉय ऐसा निवेदन करता है, यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है। यह तो साम्राज्य के विरुद्ध में प्रचार के भाषण से उद्धृत किये जैसा लगता है। यदि यह सत्य है तो हमारा भारत का शासन निश्चित रूप से आलोचना के योग्य माना जाएगा और भारत के किसी भी अन्तिमवादी का कार्य उचित माना जाएगा।' परन्तु एटली के मतानुसार 'यह सम्पूर्ण सत्य नहीं था।' उसके मतानुसार सत्य यह था कि,

'समग्र भारत विजय का फल नहीं था। अधिकांश भारत तानाशाही और अनवस्था से उबरने के लिए हमारी शरण में आया था। १५० वर्ष के इतिहास में इंग्लैण्ड और भारत में घनिष्ठ सम्बन्धों का निर्माण हुआ है।'

'भारत में हमारे शासन की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भले ही वे पूर्णरूप से इसको स्वीकार न करते हों, तो भी भारत का शिक्षित वर्ग इंग्लैण्ड के न्याय और स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को स्वीकार करता है। भारत के लोग अपने मापदण्डों से हमारा तिरस्कार नहीं करते हैं। इसके लिए वे हमारे ही मापदण्ड अपनाते हैं। हमने ही उनको मापदण्ड स्वीकार करना सिखाया है।' (खण्ड १ पृ ६०)

इंग्लैण्ड के भारत विषयक इस प्रकार के आपस में विरोधी दो प्रकार के अभिप्राय होना, इंग्लैण्ड के लिए नई बात नहीं थी। भारत में जबसे ब्रिटिश शासन का प्रारम्भ हुआ, तब से दो प्रकार के अभिप्राय भिन्न भिन्न सन्दर्भों में अभिव्यक्त होते रहे हैं। लिनलिथगो ने १९४२ में व्यक्त किया, उसी प्रकार का दृष्टिकोण क्लाइव, मनरो, माल्कम, मेटकाफ और अन्य अनेक लोगों ने समय समय पर व्यक्त किया था। मेटकाफ

ने ११ अक्टूबर, १९२८ को अपनी दैनन्दिनी में भारत में ब्रिटिश शासन की कमजोरियों के विषय में टिप्पणी की थी।

दूसरा दृष्टिकोण भी इतना ही पुराना था। डेढ़ सौ वर्ष तक कोर्नवॉलिस, विल्बरफोर्स, जेम्स मिल और मेकोले जैसे लोग मानते थे कि जैसा भी हो ब्रिटिश साम्राज्य मानवजाति के लिए आशीर्वाद समान था और इंग्लैण्ड ने भारत के लोगों को 'तानाशाही और अनवस्था से बचाने के लिये उन्हें न्याय और स्वतन्त्रता के सिद्धान्त सिखाए थे।'

सघर्ष पर जोर

अन्तमें इन अभिलेखों का महत्त्व इस बात में है कि ये हम में अस्थायी रूप से ही क्यों न हो, इस बात का प्रमाण देते हैं कि १९४२ के बाद अंग्रेज निरन्तर भारत के शिक्षित वर्ग को भारत की रीढ़ की हड्डी के समान सामान्य भारतीय समाज से अलग करने के प्रयास करते रहे। वास्तव में अंग्रेजों की नीति, जातियों के मध्य नहीं, अपितु प्रत्यक्ष स्वतन्त्रता आन्दोलन में ही सघर्ष निर्माण करने की थी। जातियों में सघर्ष के लिए अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। अनेक वर्ष व्यतीत होने पर इसने तो स्वयं ही गति पकड़ ली थी। भारत के लिए अब स्वतन्त्रता देना किसी भी स्थिति में अनिवार्य है, ऐसा प्रतीत होते ही अब ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता देनी चाहिए, जो विचार और दृष्टिकोण में ब्रिटिशों के अधिक से अधिक नजदीक हो यही काम सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बन गया। अब यह उनका उद्देश्य था कि महात्मा गांधी और उनके समान विचार रखने वाले लोगों को किसी भी प्रकार से प्रभावकारी और अधिकारवाले पदों से दूर करना चाहिए। इस विषय में ब्रिटिशों को अमेरिका का पूर्ण सहयोग मिला। रुझवेल्ट के कथनानुसार अमेरिका का लक्ष्य भी यही था कि,

'इनको ऐसी कोई व्यवस्था पर विचार करना चाहिए, जिससे भारत का स्थान यूरोप और अमेरिका के साथ हो, अर्थात् वह एशिया की नहीं परन्तु पश्चिम की भ्रमण कक्षा में रहे।' (खण्ड २ पृ ४२४)

इस दृष्टिकोण के समर्थन अथवा विरोध के लिए 'सत्ता का हस्तान्तरण' के शेष सात खण्डों का प्रकाशन होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

* ८ जुलाई १९७२ को दिल्ली के 'मेन स्ट्रीम (Main Stream)' में प्रथम प्रकाशित 'इण्डिया द ट्रांसफर ऑफ पावर, खण्ड १, २, ३ (जनवरी १९४२ से जून १९४३), एचएमएसओ, लन्दन (India The Transfer of Power, Vol I, II, III (January 1942 to June 1943) HMSO, London) पर टिप्पणी।

३. आधुनिक भारत में मापदण्डों और गौरव का क्षरण

(अठारहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध और उन्नीसवीं शताब्दी का परिप्रेक्ष्य)

हमारे योजनाकार दावा कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है। नाममात्र का ऋण लेने पर भी जब तक वह उसे चुका न दे तब तक देनदार के घर ग्रामवासी दास बनकर रहता था वे दिन अब अतीत की बात बन गई है ऐसी हमारी धारणा बन गई है। सन् १९७८ का राष्ट्रीय बन्धुआ मजदूर सर्वेक्षण का भारत के १० बड़े राज्यों का ब्योरा चौंका देनेवाला है। उसमें दर्शाया गया है कि वैसी ही बन्धक प्रथा अभी भी अस्तित्व में है। इतना ही नहीं तो ऐसे बन्धक पीढी दर पीढी बन्धक ही रहते हैं। ऐसे दस राज्यों को मिलाकर ऐसे बन्धुआ मजदूरों की संख्या २६ लाख के लगभग है। जिन राज्यों में इस प्रकार का सर्वेक्षण नहीं हुआ है वहाँ भी ऐसी ही स्थिति हो सकती है। केवल गाँवों में ही नहीं अपितु नगरों में भी ऐसी स्थिति हो सकती है। आज तो अब सब जानते हैं कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे अधिक जनसंख्यायुक्त राज्यों से हरियाणा और पंजाब के खेतों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर जाते हैं, और वहाँ उनके साथ बड़ा ही कठोर और दयनीय व्यवहार किया जाता है।

स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि भारत में ऐसा कैसे हो सकता है ? अहवाल में जिसका विस्तृत वर्णन किया गया है वैसी वर्तमान स्थिति का उद्गमस्थान कहाँ हो सकता है ? ऐसी स्थिति से निपटने के लिए किसी भी प्रकार की योजना करे उससे पहले उस स्थिति से इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि क्यों ऐसी भयंकर दशा और ऐसे अमानुषी व्यवहार को मान्यता दी जाती है। विचारहीन प्रगतिशील लोगों में बहुत प्रिय ऐसा एक मन्तव्य यह होता है कि ऐसी बर्बर स्थिति और व्यवहार तो भारत में प्राचीनकाल से ही रहा है। उनके मतानुसार गरीबी, अज्ञान, रोग भी पुरातनकाल से भारत के जीवन के अविभाज्य अंग ही रहे हैं।

हम अगर सुझावों के सन्दर्भ में सचमुच गंभीर हैं, तो ऐसे अभिप्रायों और अर्थघटनों की गहराई से छानबीन करने की आवश्यकता है। क्यों कि ऐसे अर्थघटन

अधिकतर कर्णोपकर्ण सुनी हुई बातों के आधार पर ही किये जाते हैं, न कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर। अभी हम जिस प्रथा और उससे सम्बन्धित अभिप्रायों की चर्चा कर रहे हैं वह भी ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में ही कर रहे हैं। ये ऐसे क्षेत्रों से आयात हुए हैं जहाँ भूमिदास 'कुर्वी' जैसी प्रथा आज भी अस्तित्व में है।

यह लेख दो सौ वर्ष पूर्व जब भारतीय समाज स्वयं के द्वारा निश्चित किए गए मापदण्डों के अनुसार चलता था उस समय का यथातथ और विस्तृत चित्र देने के लिए लिखा गया है। एक व्यक्ति का सम्मान तथा किसान, रोजिदा मजदूर आदि की स्थिति उस समय कैसी थी और समयानुसार उसमें किस प्रकार परिवर्तन आते गए और स्थिति कैसे बिगड़ती गई उसका पूर्ण निरूपण करने का इस लेख का उद्देश्य है। जिस ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर यह लेख आधारित है वह बताती है कि बन्धुआ मजदूरों की आज की वास्तविकता केवल १५० से २०० वर्ष पुरानी ही है। उस समय भारत के लोगों की मजदूरी पर सर्वाधिक कर वसूल किया जाता था। सम्पत्ति और उसकी व्यवस्था विदेशी सिद्धान्तों के आधार पर की जाती थी। परिणामस्वरूप समाजव्यवस्था सर्वथा टूट सी गई थी। ऐसे समय में राज्य की नीति और आवश्यकताओं के विभिन्न कारणों से अधिकांश सामान्य भारतीय मजदूरी करने की स्थिति में आ जाते थे और अधिक धनहीन लोगों को तो और भी कठिन मजदूरी करनी पड़ती थी।

एक से अधिक पीढ़ियों तक ऐसे विदेशी मापदण्ड थोपे जाने के कारण शासन व्यवस्था और उसकी आनुषंगिक अन्य व्यवस्थाएँ और उसके अधीनस्थ कार्य करनेवालों का मानस ऐसा बन गया कि ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय सभी को यह बात गौरवपूर्ण लगने लगी। उस अवस्था ने शासक वर्ग को बहकाया, सामान्य मनुष्य को असहाय बना दिया और कुल मिला कर मनुष्य का गौरव खण्डित कर दिया। शतकों से जिन मापदण्डों के आधार पर भारत के लोगों ने एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हुए अपनी समाजरचना बनाई थी उन्हीं मापदण्डों का इस थोपी हुई प्रणाली से ध्वंस हो गया। सच कहा जाय तो बन्धुआ मजदूरी की यह प्रथा भारतीय सर्व सामान्य मनुष्य का गौरव खण्डित करने की और समाज को अस्तव्यवस्त कर देने की एक बड़ी योजना का एक छोटा सा उदाहरण है।

इस बन्धुआ मजदूरी की प्रथा और उसी प्रकार के अन्य दूषणों को नष्ट करने के लिए सर्व प्रथम तो दो शताब्दियों से चली आ रही प्रक्रिया को पूर्णरूप से उलट देनी पड़ेगी, और बन्धुको, गरीबों और सहन करना ही जिसका एक मात्र जीवनकम बन गया

हैं ऐसे सभी लोगो का आत्मगौरव पुन प्राप्त करने की योजना बनानी पड़ेगी। भारत की पूर्ण सम्पत्ति की पुनर्व्यवस्था भी इस प्रकार से करनी पड़ेगी जिससे ऐसे लोगो को भारत की एकात्मता, समृद्धि और गौरव प्राप्त करने की सभी योजनाओ में स्वय की भागीदारी का अनुभव हो।

कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि ये सभी वर्ग (भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग) एक दूसरे के साथ लड़ते नहीं हैं अथवा आपस में ही असहिष्णु नहीं बनते हैं। परन्तु आज परिस्थिति अत्यन्त दूषित बन गई है। दुष्ट परन्तु बलवान के हाथों यह बड़ा वर्ग एक कठपुतली जैसा ही है। अनेकानेक कृत्य करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऐसी अवस्था में उनसे सदाचार की अपेक्षा करना असम्भव को सम्भव बनाने जैसी बात है। उसी प्रकार उनकी दयनीय स्थिति के विषय में शाब्दिक सहानुभूति व्यक्त करने का भी कोई अर्थ नहीं है। इतना ही होगा कि यह विषय चर्चा में रहेगा। हम में से ही जिन लोगो के पास थोड़ी बहुत सुविधा है वे सभी बन्धुआ मजदूरों के मालिकों जैसे ही हैं। हम बहुत सभ्य लग रहे हैं परन्तु अपनी व्यवस्था और व्यवहार के प्रकार उनसे भिन्न नहीं है।

प्रश्न उपस्थित होना उचित ही है कि दो सौ वर्ष पूर्व किसान और मजदूरों की स्थिति सम्पन्न, सहज और गौरवपूर्ण थी तो फिर यह अचानक और इतनी सम्पूर्णत यूरोपीय आधिपत्य के नीचे कैसे आ गई ? (सन् १७८० के आसपास बिहार और वाराणसी के लोकजीवन के निरूपण के लिए इस अध्याय के अन्त में जोड़ा गया परिशिष्ट 'क' देखें) इस प्रकार के परिवर्तनों की पार्श्वभूमि की कारणपरम्परा किंचित् जटिल है, परन्तु विश्व के इतिहास में अनेक देशों में ऐसा देखा गया है। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न देशों में ऐसा होता रहा है। यूरोप में भी ऐसा हुआ है। सन् १७५० के बाद इंग्लैण्ड का भारत में आधिपत्य हुआ। लेकिन वह स्वयं भी ग्यारहवीं शताब्दी में छोटी सी नोर्मन जाति के द्वारा परास्त हुआ था। उनके नेता विलियम (विजेता विलियम) का आधिपत्य वहाँ प्रस्थापित हुआ। परन्तु इस नोर्मन जाति की परम्परा और जीवनशैली वहाँ स्थापित हुई और मूल इंग्लैण्डवासी बिलकुल कगाल स्थिति में आ गये। ऐसी स्थिति वहाँ लगभग ८०० वर्ष तक रही। उसी प्रकार सन् १७५० के बाद विभिन्न राजकीय, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रकार के भारत को सरलता से इंग्लैण्ड के आधिपत्य का शिकार बना दिया। उसके बावजूद भी १७५० से १८५० का समय ब्रिटिशों के लिए पूर्ण विश्रान्ति का नहीं था। इन सौ वर्षों के समय में भारत में स्थान स्थान पर अस्वस्थता की स्थिति थी। इसके बावजूद भी बन्धुआ मजदूरों के इस प्रश्न के सम्बन्ध में सर्वथा भिन्न प्रकार

के विश्लेषण की आवश्यकता है। वर्तमान प्रचलन के लिए अल्पावधि का विश्लेषण उपयुक्त नहीं होगा।

१

पश्चिम, और विशेष कर के इंग्लैण्ड से सर्वथा विपरीत भारत में प्राचीन काल के समाज की रचना के मूल में व्यक्ति नहीं परन्तु जाति रही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत में व्यक्ति का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। वास्तव में तात्त्विक रूप से तो व्यक्ति अनादिकाल से सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता ही है। फिर भी सामाजिक स्तर पर अभी तक, और यूरोपीय आधिपत्य स्थापित किया गया तब तक व्यक्ति स्वयं की स्वाभाविक स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखते हुए स्वयं की अपेक्षा व्यापक ऐसे समाज का एक अविभाज्य अंग बनकर ही रहता था। परिवार के अंग के तौर पर व्यक्ति, कुल के अंग के तौर पर परिवार, जाति के अंग के तौर पर कुल और ऐसी विभिन्न प्रकार की अगागी भाव की रचना से समाज का अस्तित्व बना रहता था। इसी प्रकार परिवार, कुल इत्यादि विभागों का भौगोलिक रूप से भी मुहल्ला, ग्राम, नगर और वाराणसी, मदुराई, तजावुर, पाटलीपुत्र (वर्तमान पटना) जैसे महानगरों की बस्तियों के रूप में समायोजन होता था।

वर्षों तक विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी राजकीय अनवस्थापूर्ण समय आया और अनायास ही रचनागत परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सांस्कृतिक सकल्पनाओं के और उनकी अभिव्यक्ति के क्षेत्र में भी थे। सम्भव है कि महाभारत के समय का भारत, और महाभारत के समय के विषय में मतैक्य नहीं है तो चन्द्रगुप्त मौर्य के समय का, गुप्त युग का या हर्षवर्धन के समय का भारत आज के भारत से बहुत भिन्न था। भारत के इतिहास में किसी समय मनुसंहिता के अनुसार देश चलता था। मनुसंहिता में सामाजिक, आर्थिक, राजकीय जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में नियम और सूत्र दिए गए हैं। देश के कई भागों में या सम्पूर्ण देश में मनुसंहिता का नियम चलता था। परन्तु अन्य देश और अन्य सभ्यताओं के इतिहास को देखें, तो मनुसंहिता जैसे ग्रन्थों में जिस विस्तार और सावधानी पूर्वक समाजरचना का विवरण दिया गया है, उसके मूल तत्त्वज्ञान में बहुत गहरे नहीं हैं, और अपेक्षाकृत आधुनिक ऐसे अनेक समर्थ तत्त्वचिन्तकों ने जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उनसे विशेष अभिन्न नहीं हैं।

अनेक वर्ष पूर्व की समाजरचना और जीवन पद्धति का विचार न करे तो भी सोलहवीं, सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में यह बात सत्य है कि अधिकांश ब्राह्मणों ने अपनी वैदिक और शास्त्रीय परम्परा का अपना ज्ञान, अपना अध्ययन, उसके अनुरूप

अपनी सादगी और उस परम्परा के विषय में गर्व भी अठारहवीं शताब्दी में ठीक प्रकार से सम्हाल कर रखा हुआ था। वे लोग प्राचीन परम्परा की तरह अग्रहार, शासन, इत्यादि जैसी भिन्न व्यवस्थाओं में रहते थे। परन्तु इतिहास में कभी भी ब्राह्मण भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग नहीं रहा है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत में उनकी संख्या कुल जनसंख्या के लगभग ५ प्रतिशत ही थी। समग्र भारत में भी जिनको परम्परा से द्विज कहा जाता है, ऐसे लोगों की संख्या १५ प्रतिशत से कभी भी अधिक नहीं थी। इसी प्रकार अरब, तुर्क, अफगान, पर्शियन और मध्य एशिया की जातियों के वंशजों को छोड़कर जो मुसलमान थे, उनके द्वारा धर्मान्तरण किए जाने पर भी, उनकी पूर्व की जातियों के साथ उनके अच्छे सम्बन्ध थे। यही बात अभी अभी धर्मान्तरित होकर ईसाई बने हुए भारतीयों पर भी लागू होती है।

२

गत डेढ़ सौ वर्षों में हमारे देश में ब्रिटिश पद्धति का विद्वत् व्यवहार प्रारम्भ हुआ। इसी समय से यह धारणा प्रस्थापित हुई कि ब्राह्मण और ऊँचे घराने के मुस्लिमों को छोड़कर सभी, अर्थात् ८०, ८५ प्रतिशत लोग, ब्राह्मण और उमरावों के द्वारा किये गये शोषण का ही शिकार बने हुए थे, उनका जीवन अज्ञानमय और अधकारमय था। यूरोप में ब्रिटिशों की सन् १८०० से पूर्व ऐसी ही स्थिति थी, इसलिए उन्होंने भारत के विषय में भी ऐसा ही माना। यह बात भी समझने योग्य है कि अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश लेखक और विद्वानों के मतानुसार अज्ञान और अधकार का अर्थ भी कुछ अलग ही था। उनके अनुसार कला, कारीगरी, विज्ञान, टेक्नोलॉजी आदि अच्छी तरह जानते हुए भी यदि ईसाई पथ और उसकी आध्यात्मिक परम्परा का ज्ञान नहीं है, तो वे अज्ञान और अन्धकार में पड़े हुए हैं ऐसा ही माना जाना चाहिये। इस परिभाषा के अनुसार जो ईसाई नहीं हुए, ऐसे सभी हिन्दू ही नहीं, अधिक प्राचीन ग्रीक और रोमन लोग भी ज्ञान और प्रकाश से वंचित ही थे। होमर, सोक्रेटिस, प्लेटो इत्यादि का भी इनमें समावेश होता था।^२

परन्तु प्रश्न यह है कि यदि भारत अन्धकार और अज्ञान में डूबा भी नहीं है और मनुसंहिता अथवा उसी प्रकार के किसी धर्मशास्त्र की नींव पर भी आधारित नहीं है, तो फिर इतनी विशाल जनसंख्यावाला समाज किस प्रकार व्यवस्थित चलता था। किसान, कारीगर, लुहार, जुलाहे, वैद्य, ज्योतिषी, खगोलवेत्ता इत्यादि अपने व्यवसाय किस प्रकार चलाते थे और उनका विकास भी किस प्रकार करते थे? वस्तुतः अठारहवीं शताब्दी की

जो जानकारी मिलती है, उसके अनुसार सस्कृत को छोड़कर शेष शिक्षा तो लगभग ८५ प्रतिशत लोगों को प्राप्त थी।^३ इसीके साथ मुंबई प्रेसिडेन्सी के भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाली जातियों के रिवाजों के सन् १८२० में हुए सर्वेक्षण में विद्वानों के द्वारा निर्दिष्ट शास्त्र भी ऐसे रिवाजों को मान्य करते थे, और जातियों की पचायतों को ही उसमें अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार भी था।^४ इसी प्रकार का सर्वेक्षण यदि अन्य विषयों में किया जाए, तो हमें बहुत ही चौकाने वाली जानकारी मिल सकती है। इस प्रकार के अध्ययन से यह बात भी ध्यान में आ सकती है कि सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी के अधिकांश हिन्दू राजा ब्राह्मण नहीं, अपितु इसी प्रकार की अन्य जातियों के थे।

इसका अर्थ यह नहीं है कि सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में ब्राह्मणों का दर्जा श्रेष्ठ नहीं माना जाता था, अथवा वे अपनी जाति को विशिष्ट नहीं मानते थे, अथवा उनका सम्मान नहीं होता था। वस्तुतः सम्पत्ति और प्रतिष्ठा के अन्तर नहीं थे ऐसा भी नहीं है। ऐसे लोग भी थे, जिनके पास खूब सम्पत्ति थी और ऐसे भी थे, जो सामान्य रूप में सुखी थे, फिर भी सामान्य सम्पत्तिवाले ही थे। फिर भी, अमीर हो या गरीब, दैनिक अन्न, वस्त्र आदि के विषय में लगभग समानता थी। सत्रहवीं शताब्दी के एक यूरोपीय यात्री के विवरण के अनुसार सम्राट जहागीर भी सामान्य किसान की तरह खिचड़ी खाता था।^५ यह यात्री भारत की बहुत प्रशंसा करता था परन्तु डबल्यु एच मोरलेन्ड ने उसके द्वारा वर्णित इस जानकारी का उपयोग भारत की गरीबी सिद्ध करने के लिए किया। अठारहवीं शताब्दी के एक बड़े ब्रिटिश अधिकारी का विवरण है कि हैदराबाद राज्य में बहुत बड़े धनवानों को उसके नौकर से अलग पहचानने की एक ही निशानी थी - धनवानों के कपड़े सफेद धुले हुए होते थे, और नौकरों के कपड़े कम सफेद होते थे।^६ वास्तव में हिन्दू राजाओं के विषय में ब्रिटिशों की एक शिकायत यह थी कि वे बहुत सादा जीवन जीते थे और उनकी अधिकांश आय मदिरों, अग्रहारों और छत्रमों के लिये खर्च होती थी। वस्तुतः, आय का पर्याप्त अंश ऐसी सभी सस्थाओं के लिये खर्च होता था, जो भारतीय जीवनशैली में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानी जाती थीं।

आय के अन्तर के विषय में देखें तो सन् १७८८ में ब्रिटिश गणना के अनुसार टीपू सुलतान के सर्वोच्च अधिकारी, चित्रदुर्ग के गवर्नर का मासिक वेतन ९० रूपए था^७ जब कि कम से कम वेतन ८ से ५ रूपये था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सन् १८१८ में राजस्थान में उदयपुर के महाराजा का व्यक्तिगत भत्ता मासिक १००० रूपए था और पचास वर्ष से उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। परन्तु महाराजा को ब्रिटिश शासन के अनुरूप ऊपर उठाने के लिए उनका भत्ता दैनिक १००० रूपए किया गया।^८ इससे पूर्व

सन् १७८८ में गवर्नर जनरल वेलेस्लीने भी यही किया था। टीपू सुलतान स्वयं अपने लड़कों को देता था, उससे पाँच गुना अधिक भत्ता वेलेस्ली ने देना प्रारम्भ किया।^९

सन् १७५० के आसपास दक्षिण भारत में यूरोपीयों का आधिपत्य प्रारम्भ होने लगा। सन् १७५७ के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जनजीवन में आमूल परिवर्तन होने लगा। ऐसा नहीं था कि यूरोपीयों ने इस प्रकार का परिवर्तन करने की कोई निश्चित रूपरेखा बनाई थी। उन्होंने तो यूरोप में, और प्रमुख रूप से इंग्लैण्ड में अपने लोगों के लिए जो किया, वही सब भारत में करने का प्रारम्भ किया। इंग्लैण्ड के समान चढती उतरती श्रेणियाँ, श्रेष्ठ और कनिष्ठ सामाजिक वर्ग, उसी प्रकार की सिद्धान्त प्रणाली का यहाँ भी प्रारम्भ किया। उदाहरण के लिये, एडम स्मिथ ने कहा, 'इंग्लैण्ड' में आज एक मजदूर के परिवार के पोषण के लिए जो आवश्यक है, उससे अधिक मजदूरी चुकाई जाती है, परन्तु यहाँ भारत में तो जिसको सार्वत्रिक रूप से मान्य किया जा सकता है, ऐसी निम्नतम मजदूरी की श्रेणी कहीं नहीं है।' उसका कहना था कि विजेताओं की अपने प्रदेश में जो श्रेणी है, वही जीते गए प्रदेशों में भी होनी चाहिए। अन्तर है तो इतना ही कि विजेताओं का प्रमुख उद्देश्य जीते गए प्रदेश से अधिकतम सम्पत्ति अपने देश में ले जाना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये मजदूरों को अधिकतम काम करना पड़ेगा और उनका जीवन टिक जाय उतनी ही, अर्थात् न्यूनतम मजदूरी देनी होगी।^{१०} किसी कारण से यदि यह सम्भव नहीं है, तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उस प्रकार जीती गई प्रजा निःशेष हो जाएगी और विजेताओं के निवास वहाँ स्थापित हो जाएंगे।^{११}

परन्तु भारत में यूरोपीय लोगों के निवास के लिये जलवायु अनुकूल नहीं होने के कारण से यहाँ की अधिकतम सम्पत्ति मजदूरों के कठोरतम परिश्रम से ही यूरोप ले जाना सम्भव था। अतः मजदूरों के प्रति कोई दया दर्शाई नहीं जाती थी। यदि अति श्रम अथवा मजदूरी के कारण अधिक मात्रा में लोग मृत्यु को प्राप्त हो, तो उससे शासकों को कोई अन्तर नहीं पड़ता था। बंगाल में सन् १७६९ में लगभग एक तृतीयांश जनसंख्या मृत्यु को प्राप्त हुई।^{१२} भारत के अन्य भागों में भी थोड़े थोड़े वर्षों के अन्तराल में इसी प्रकार बड़ी संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त हुए।^{१३}

नई राजकीय पद्धति में जो कदम उठाये गए, उनमें प्रमुख इस प्रकार थे। (१) राजस्व में वृद्धि और केन्द्रीकरण, (२) भारत के लोगों की व्यवसाय आधारित अथवा प्रदेश आधारित जातिभावना का विघटन - जाति के स्थान पर व्यक्ति आधारित व्यवसाय रचना, (३) करों में वृद्धि और रोजगार में कमी के कारण उनकी उपभोग क्षमता में कमी, (४) सम्पत्ति के अधिकारों और कानून की परिभाषा में परिवर्तन (ऐसे

परिवर्तनों के लिये भारतीय शास्त्रों एवं परम्पराओं में प्रमाण ढूँढकर उन्हें न्याय्य ठहराने की युक्ति उपयोग में ली जाती थी जिससे वह विदेशी न दिखे अपितु भारत की ही सामाजिक परम्परा का सहज परिणाम माना जाय।)

३

राजस्व की गणना का प्रतिशत और केन्द्रीकरण, ये दोनों ऐसे बड़े विषय हैं कि उनका स्वतन्त्र अध्ययन करना पड़ेगा। परन्तु इंग्लैण्ड के विचार और व्यवहारपद्धति लागू करनी हैं, भारत को जीत लेना है और उस जीत को टिकाए भी रखना है, तो प्रथम उसकी अपनी राजस्व तथा धन से सम्बन्धित अन्य व्यवस्थाओं को तोड़ देना आवश्यक है। भारत की पद्धति प्रमुख रूप से विकेन्द्रित थी। अधिकांश राजस्व की आय, जहाँ से वह प्राप्त होती थी, वहीं पर उसका उपयोग करने के लिए दे दी जाती थी। उसका उपयोग व्यवस्था और अन्य आर्थिक विषयों, पुलिस और स्थानिक सेना तथा सांस्कृतिक और धार्मिक केन्द्रों के लिए होता था। ब्रिटिश शासन में अधिकांश व्यवस्थाएँ नष्ट कर दी गईं। जो कोई शेष रह गई थीं, उनको कम कर दिया गया था। राजस्व का प्रतिशत कुछ नए सिद्धान्तों और परिभाषाओं के अनुसार दुगुना या तीन गुना बढ़ा दिया गया। ब्रिटिश दफ्तर के अनुसार जब उन्होंने शासन की बागडोर सम्हाली, तब भारत की व्यवस्था के अनुसार किसी एक स्थान पर किसी एक प्रकार की जमीन पर कुल पैदावार का बारहवा अंश राजस्व के रूप में निश्चित किया जाता था, तो कहीं वह बढ़कर एक तृतीयांश होता था। उसकी निम्न और ऊपरी सीमा इस प्रकार थी, परन्तु ब्रिटिशरोंने इन सभी श्रेणियों को समाप्त कर दिया और कुल पैदावार का आधा राजस्व निश्चित किया। वह भी पैदावार में नहीं, अपितु पैसों के रूप में भरना पड़ता था। और एक बार निश्चित करने के बाद हर वर्ष नियमित रूप से भरना पड़ता था। वह भी स्थानिक रूप से नहीं, अपितु राज्य को भरना पड़ता था।^{१४} इंग्लैण्ड में एक किसान अपने जमीनदार को आधी अथवा चौथे भाग की उपज दे देता था, इस आधार पर उपरोक्त अनुपात न्यायपूर्ण माना गया,^{१५} साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के समय की कोई एक पुरानी पाण्डुलिपि खोज ली गई, जिसमें भूतकाल में भी भारत में ऐसी ऊँची गणना होने की जानकारी थी।^{१६} सन् १८५८ में जोन स्टुअर्ट मिल जैसे उच्च अधिकारी ने लिखा है कि भारत की विजय और उसकी सम्पूर्ण अधीनता का सम्पूर्ण खर्च भारत से वसूल किया गया था, और सन् १८५० तक सेन्ट हेलेना से चीनी समुद्र तक का पूरा क्षेत्र भारत ही गिना जाता था।^{१७}

राजस्व बढ़ाने के लिए और केन्द्रीकरण करने की प्रक्रिया में नई व्यवस्थाएँ

निर्माण की गई। इनमें एक थी जमीनदारी प्रथा और दूसरी थी रयतवारी। दोनों प्रथाओं में राज्य को सबसे वरिष्ठ जमीनमालिक के रूप में स्वीकार किया गया था। प्रजा जब सम्पूर्ण रूप से अधीन हो गई थी, तब ऐसी अधीनता की स्थिति में प्रथम बंगाल, विहार और बाद में देश के अन्य भागों में जमीनदारी प्रथा प्रारम्भ की गई।^{१८} सैद्धांतिक रूप से भारत की जमीनदारी सकल्पना ब्रिटिश जमीनदारी के समान ही थी। अनेक राजाओं को उनकी राजकीय सत्ता छीन लेने के बाद जमीनदार बना दिया गया। परन्तु ब्रिटिश और भारतीय जमीनदार में अन्तर इतना था कि ब्रिटिश जमीनदार स्वयं को प्राप्त होने वाले राजस्व का दस प्रतिशत राज्य को किराये के रूप में देता था, जबकि भारत के जमीनदार को ९० प्रतिशत देना पड़ता था। राजस्व का प्रतिशत तो बढ़ाया हुआ था ही।

शताब्दियों की परम्परायुक्त पुराने प्रतिशत वाली राजस्व पद्धति के स्थान पर स्थापित नयी पद्धति के ऊँचे प्रतिशत के कारण राजस्व वसूली का काम लगभग असम्भव बन गया। परिणाम स्वरूप जमीनदार बनने के १०-१५ वर्षों में तो बंगाल और बिहार के जमीनदार दिवालिये बन गए। राजस्व वसूल करने का कार्य सरल बनाने के लिए पुरानी प्रथा के स्थान पर नई व्यवस्थाएँ की गईं। तदनुसार यदि किसान राजस्व नहीं दे सकता है तो पीड़ियों से जो खेत जोत रहा है, उस खेत को किसान से छीन लेने और उसकी सम्पत्ति एवं मकान आदि को नीलाम करके पैसा वसूल करने का जमीनदारों को अधिकार दिया गया। यह अमानवीय प्रथा जहाँ आय का दस प्रतिशत ही किराया देना पड़ता था ऐसे इंग्लैण्ड में प्रचलित थी, इसलिए भारत में भी प्रारम्भ की गई। परन्तु भारत में तो ऐसी प्रथा की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।^{१९} (चर्चा के लिए देखिए परिशिष्ट ब) किसानों के अधिकार के विषय में सन् १८१२ में ब्रिटिश ससद की चयन समिति ने कहा, "इंग्लैण्ड में जिस प्रकार जमीन पर जोतने वाले का कोई अधिकार नहीं होता है, उसी प्रकार भारत में भी वंशपरम्परा के अधिकार से जमीन जोतने वाले का कोई अधिकार नहीं हो सकता है।" इसलिए गाँव में मिराशी प्रथा की परिभाषा ऐसी की गई कि "किसान को वंशपरम्परा के अधिकार से उसकी जमीन जोतने के लिए वरीयता दी जाएगी, परन्तु जोतने देने का या न देने का निर्णय करने का अधिकार तो राज्य का ही रहेगा, क्योंकि राज्य ही सम्पूर्ण जमीन का स्वामी है।"^{२०}

प्रारम्भमें वर्णित है, उस प्रकार जाति (भौगोलिक, व्यावसायिक या पारिवारिक) ही भारत में समाज व्यवस्था की प्रमुख इकाई थी। ब्रिटिश काल में उसके स्वरूप में इस

प्रकार के परिवर्तन किये गये जिससे अनेक प्रकार की विकृतियाँ निर्माण हुईं। फिर भी पारिवारिक इकाई तो अभी भी कदाचित् बनी हुई है। इसलिए अठारहवीं शताब्दी में वह कैसी थी उसका वर्णन करने की विशेष आवश्यकता नहीं है, परन्तु भौगोलिक और व्यावसायिक इकाइयों तो पूर्ण रूप से टूट चुकी हैं और आज कहीं दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए उसके विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना उपयुक्त है।

सभी प्रकार के समुदायों में सबसे प्रचलित और सबसे प्रभावी और अधिक परिचित था ग्राम समुदाय। ग्राम समुदाय का स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रहता था। उनमें दो स्वरूप महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। एक तो तमिलनाडु क्षेत्र में, जिसे "समुदायम"^{२१} कहा जाता था और दूसरा आज के उत्तर प्रदेश में, जिसे "भाईचारा" कहा जाता था।^{२२} ऐसे विशिष्ट स्वरूप हो या न हो, परन्तु सर्वत्र गाँव के विषय में, भूमि के क्रय विक्रय या जमीन से सम्बन्धित किसी भी विषय में निर्णय लेने का अधिकार तो ग्रामसमुदाय का ही था। समुदायम ग्राम हो या भाईचारा ग्राम, गाँव की सम्पूर्ण जमीन का स्वामित्व गाँव का अपना ही था। साथ ही प्रत्येक परिवार को वशपरम्परा से जमीन प्राप्त हुई ही थी। उसकी पैदावार उसकी अपनी ही थी। ब्रिटिशकाल के दफ्तर से, वैसे तो यह स्पष्ट नहीं होता है कि गाँव के प्रत्येक परिवार को समुदाय में प्रतिनिधित्व प्राप्त था या नहीं, यह सम्भव है कि जमीन के क्रयविक्रय के विषय में गाँव के कुछ परिवारों को प्रतिनिधित्व मिलता होगा, शेष सबको अन्य सामान्य बातें निश्चित करने के लिए मिलता होगा, और मानने में तो नहीं आता है, फिर भी ऐसे भी परिवार हो सकते हैं, जिन्हें ऐसा किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व मिलता नहीं था। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसको "बीस बिस्वा" पचायत (सभी जातियों की परिषद) कहते हैं, वह आज भी राजस्थान में कहीं कहीं बची हुई देखने को मिलती है।^{२३}

ये सभी समुदाय जैसे भी अस्तित्व में आए हों, और बने हों, सम्पत्ति की नई सकल्पनाओं और नए कानूनों के परिणामस्वरूप अब उनका बने रहना, वास्तव में असम्भव था। कुछ समय जैसे जैसे कैसे भी विकृत स्वरूप में उनका अस्तित्व बना रहा हो, तब भी अन्ततोगत्वा जमीनदारी, व्यक्तिगत अधिकार और सबके अधिकारों के नष्ट होने की व्यवस्था के सामने वे टिक नहीं सके और सर्वथा हताश हो गए। अब भूमि तथा पैसों की लेन देन पर समुदाय का कोई अधिकार नहीं रहा। परिणामस्वरूप पूरी सम्पत्ति कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित होने लगी, खेत जोतने वाले किसान कामचलाऊ नौकर माने जाने लगे और कभी पूर्ण न होने वाले ऋण में डूबने लगे।^{२४}

इसी प्रकार व्यावसायिक समुदायों में भी तोड़फोड़ की प्रक्रिया हो रही थी।

जिसमें कुशलता आवश्यक है, ऐसे कारीगरो के विषय में यह बात एकदम ध्यान आकर्षित करनेवाली थी। ऐसे ऐसे कानून तथा व्यवस्थाएँ बनाई गईं कि प्रत्येक व्यवसाय का मालिक नौकरी करने वाला बन गया। भारत के जुलाहों के विषय में तो इससे भी अधिक अपमानास्पद स्थिति थी।^{२५} वे सभी टेकेदारों के मजदूर बन गए। नई व्यवस्था के कारण उनकी आय बहुत कम हो गई। परिणामस्वरूप उनकी कुशलता, कारीगरी, उनके औजार, टेकनोलॉजी इत्यादि सब कुछ नष्ट होने लगा। अब समुदाय जैसा कुछ भी शेष बचा, तो वह रिश्तों और रीतिरिवाज तक ही सीमित था। टेकनोलॉजी और कारीगरो का युग समाप्त हो गया था।

यह सब कुछ ब्रिटिश परम्परा के अनुसरण के रूप में हुआ था। अठारहवीं शताब्दी में भी ब्रिटिश शासकों को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों में सामान्य लोगों की सहभागिता कल्पना में ही नहीं आती थी। अठारहवीं शताब्दी के दरम्यान कारीगरो के विभिन्न प्रकार के मडल बनाने का प्रयास हुआ था, परन्तु शासकों ने इन सभी प्रयासों को अनेक उपायों से असफल किया था। उन्नीसवीं शताब्दी में भी बहुत कठिन संघर्ष के बाद कारीगरो की किसी भी प्रकार की सामूहिक कार्य की रचना सम्भव नहीं थी, फिर भी उन्नीसवीं शताब्दी पूरी होते होते ब्रिटिश शासक इस प्रकारकी किसी भी व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सके थे।^{२६}

५

इस प्रकार समुदायों को विच्छिन्न करके दुर्बल बनाने के साथ ही १७५० के बाद ब्रिटिश शासकों ने जो पहले से ही कम थे ऐसे मजदूरी के प्रतिशत और भी कम कर दिए। यह कार्य भी उन्होंने इंग्लैण्ड में किया था उसी प्रकार किया।^{२७}

१७६६ के एक अधिनियम के अनुसार कोलकता में जो भारतीय यूरोपीयों की नौकरी करते थे, उनका वेतन और भत्ता कम नहीं किया गया। ऐसा भी कहा गया कि "कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रकार का वेतन लेकर नौकरी करने से इनकार करेगा, तो उसकी सम्पत्ति, भूमि इत्यादि छीन ली जाएगी, और उसको कोई आश्रय नहीं मिलेगा। और यदि उसके पास अपने स्वामित्व की कोई जमीन नहीं है, तो "उसे दण्ड अथवा कैद अथवा शारीरिक दण्ड दिया जाएगा।"^{२८} यह भी समझा दिया गया कि अन्त में इस प्रकार की कार्यवाही मात्र यूरोपीय लोगों की नौकरी करने वाले भारतीयों के लिए ही नहीं थी, (अन्य लोगों के लिए भी थी)। प्रतिष्ठा की श्रेणियाँ निर्धारित करने के लिए १७६६ में और एक अधिनियम बनाया गया कि "जो कोई निवासी कोलकता में पालकी रखना

चाहते हैं" उन्हें , लिए आवेदन करना पड़ेगा, और "जो लोग नियम का उल्लंघन करेंगे" उन्हें जमा करवानी पड़ेगी, और ऐसे तीन नियमभंग होंगे, तो पालकी का अधिकार समाप्त ।।^{२९}

फिर भी वेतन और की दरें कम कर देना, लोगों की सहभागिता समाप्त कर देना, उनकी गरीबी करना इतना ही पर्याप्त नहीं था। जमीन और सम्बन्धी राजस्व नीतियाँ, इसके मूल में थीं। साथ ही कारीगरों का, मनुष्यों का, सरकारी या यूरोपीयों के घर में काम करने की मजदूरी का प्रतिशत कम करते ही रहने का क्रम तो शताब्दी में निरन्तर बना ही रहा। एकदम ध्यान आकर्षित

उदाहरण बंगाल के मिदनापुर जिले का है। १८४७ में मिदनापुर में लोक विभाग में लगभग ५० वस्तुओं के भाव घटा दिए गए, जिसमें मजदूरी का भी हिस्सा था। यह कमी एक ही वर्ष के अन्दर लगभग ६० प्रतिशत जितनी थी। सरकार ने इस कमी को मान्य किया, इतना ही नहीं, वह दूसरे विभागों में भी कारी दी। इस कमी का परिणाम यह हुआ कि १८४४ में जितनी घनफीट दीवार बनाने के लिए ११ आने मजदूरी चुकाई जाती थी, उतनी ही दीवार के ११ में पाँच आने और १ पाई चुकाई जाने लगी।^{३०}

इस प्रकार मापदण्ड तोड़ देने से, व्यवस्था बदलने से, आय और मजदूरी में कमी से और इस प्रकार के अगणित छोटे बड़े उपायों से भारतीय समाज के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अत्यन्त बिगड़ गई। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में बिहार के विभिन्न जिलों में (उदाहरणार्थ हजारी बाग) भूमिहार की कमीशनेर प्रारम्भ हुई। इस पद्धति को कमियाज कहा जाता था। यही प्रकार डेन्सी के अनेक जिलों में भी प्रारम्भ हुआ।^{३१} मद्रास प्रेसिडेन्सी के विवरण के अनुसार तमिल जिले के अधिकांश क्षेत्रों के खोद लोगों को उनकी सम्पत्ति गवानी पड़ी थी और जो उनके ही स्वामित्व में थे, ऐसे खेतों में गणोंत भी नहीं, तो कुली के रूप में उनकी मजदूरी आ पड़ी थी। इसी प्रकार की परिस्थिति चेगलपट्टु, दक्षिण तमिलनाडु, मलबार इत्यादि क्षेत्रों में भी निर्माण हुई थी।^{३२} १८१४ के एक अनुसार चेगलपट्टु जिले के पचम लोग प्रथम तो बिना जमीन के हो गए और जिनकी स्थिति अत्यन्त दारिद्र्यग्रस्त हो गई थी। १८८० की उनकी स्थिति से भी हीनतर स्थिति थी।^{३३}

गत पाचसों वर्षों का अध्ययन विजित लोगों के लिये आत्मबोध का साधन बनेगा और अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पहचान करने में सहायक सिद्ध होगा।

६

इस प्रकार भारतीय समाज में प्रचलित और प्रतिष्ठित मापदण्ड, नियम, वरीयताएँ - सब बदल दिया गया और उसके परिणामस्वरूप व्यक्ति के गौरव को और समाज की व्यवस्था को अत्यधिक हानि पहुँची और सब विच्छिन्न हो गया। यह सब करने के लिए एक प्रेरणा तो, इंग्लैण्ड में प्रचलित थी उसी पद्धति को भारत में भी लागू करने की इच्छा थी। परन्तु सेना के बल का या सेना की कार्यवाही का प्रयोग किए बिना ही इंग्लैण्ड की सर्वोपरिता और हुकमशाही प्रस्थापित हो सके, ऐसी स्थिति और व्यवस्था का निर्माण करने की भी बहुत बड़ी प्रेरणा थी।

कोलकता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, प्रख्यात प्राच्य विद्या विशारद विलियम जोन्स के एक भाषण में इन बदले हुए मापदण्डों का एक उदाहरण देखने को मिलता है। मालिक अपने नौकर अथवा कारीगर के होश ठिकाने लाने के लिए उचित सजा किस प्रकार कर सकता है, इस विषय पर मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि यदि यह सजा उचित है तो भी नौकर की मृत्यु होती है तो उसमें मालिक का दोष नहीं है।^{३४} (उस समय इंग्लैण्ड में उचित सजा ३० से ५० कोड़ों की होती थी। ब्रिटिश सेना में गम्भीर प्रकार के अपराधों के लिए १५०० से २००० कोड़े लगाए जाते थे, जिसको कठोर सजा मानी जाती थी) यह कहने की कदाचित् ही आवश्यकता है कि ऐसी सजा भोगने वालों की संख्या पर्याप्त थी और कोड़े खाकर लोग मर भी जाते थे। १७९७ में चेगलपट्टु के एक जिलाधीश द्वारा दी गई ऐसी सजा का उदाहरण प्रसिद्ध है। उस जिलाधीश ने समुदाय के मुखिया को ही ऐसी सजा दी थी और उसकी मृत्यु हुई थी।^{३५}

केवल घरेलू नौकरों को अथवा गाँव के जिद्दी मुखिया को ही ऐसी सजा दी जाती थी, ऐसा नहीं है। गर्भपात को आज के जाग्रत समाज में प्रगति का लक्षण माना जाता है। उस समय के भारत में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यदि ऐसी घटना घटती, तो परिवारों में और समुदायों में उसका अलग प्रकार से विचार किया जाता था, परन्तु ब्रिटिश शासन में वह गम्भीर अपराध माना जाता था^{३६} और उसके लिए १५०० कोड़ों की सजा थी।^{३७} यदि ऐसे अत्याचारों का विरोध भारतीय परम्परा के अनुसार आन्दोलन आदि से किया गया तो उसको भी अपराध मानने के कानून बनाए गए थे।^{३८} इससे पूर्व जो लोग गाँव के पुलिस विभाग में अथवा सेना में थे, उनकी नौकरी पूर्ण रूप से छीन ली गई थी, इसलिये उन्होंने ब्रिटिश शासन का जब विरोध किया, तो बंगाल में उनको डाकू मान लिया गया, पकड़ लिया गया, और नए बनाये हुए १७७३ के बंगाल के कानून के

अनुसार उनके वतन के गाँव में ले जाकर गाँव के लोगों के सामने ही उनका वध किया गया था और उनके सगे सम्बन्धियों को राज्य के गुलाम मान कर बेच दिया गया था।^{३९}

नए कानूनों का पालन इतने से रुका नहीं। समय बीतने पर व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय आदि भारतीय जनजीवन के सभी पहलुओं को ये कानून अपना शिकार बनाने लगे। इन कानून और व्यवस्था की सकल्पनाएँ और प्रक्रिया पूर्ण रूप से ब्रिटिश थीं, परन्तु शब्दावली भारतीय थी, ऐसे शास्त्रग्रन्थ और उनकी ऐसी बातें, जो उनके हेतु को पुष्ट करने योग्य लगती थीं, उन सबका अंग्रेजी अनुवाद किया गया और उन्हें अधिकृत स्वरूप दे दिया गया। यह अनुवाद भी बहुत सुविधाजनक और जबरदस्ती किया गया था, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात् वे जो कुछ करते थे, वह सब भारत की ही व्यवस्था के अनुसार करते थे, ऐसा बताने का उनका इरादा था। समय बीतते भारत के नवशिक्षित भद्रवर्ग ने यह परिवर्तन इस प्रकार स्वीकार कर लिया, मानो अनादि काल से भारत में ऐसा ही हो रहा हो। १७८० के आसपास बंगाल के सरकारी अधिकारियों और उनके निकटवर्ती समूह में तो ऐसा ही माना जाता था कि वाराणसी के पण्डितों की अपेक्षा विलियम जोन्स का भारत के शास्त्रों का ज्ञान अधिक था।^{४०} १७८० के आसपास वाराणसी के एक ब्राह्मण पर हत्या का आरोप लगाया गया। वहाँ के ब्रिटिश रेसिडेन्ट जे डकन को वाराणसी की ब्राह्मण सभा ने परामर्श दिया कि उस हत्या के आरोपी ब्राह्मण के मस्तक पर काला टीका लगाना चाहिए और उसका देशनिकाला करना चाहिए। परन्तु डकनने उस विषय में कोलकता में विलियम जोन्स से परामर्श किया। विलियम जोन्स ने वाराणसी के रेसिडेन्ट जोनाथन डकन को बताया कि हत्या के आरोपी ब्राह्मण के मस्तक पर काला टीका करके देशनिकाला देना, शास्त्रसम्मत अवश्य है, परन्तु यह काला टीका तपाये हुए लोहे के छड़ से दिया जाने वाला दाग होता है और वह भी सबकी उपस्थिति में दिया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि तपाये हुए लोहे के छड़ से दाग देने की प्रथा उस समय इंग्लैण्ड में प्रचलित थी। वस्तुतः, वाराणसी के ब्राह्मण ने स्वयं हत्या नहीं की होगी, अपितु अपने ही अथवा अन्य किसी के दोष का प्रायश्चित्त मागा होगा। परन्तु ब्रिटिश शासन में इसको हत्या मानना और इंग्लैण्ड के प्रचलन के अनुसार दाग देना प्रारम्भ हुआ।

उस समय में यह सब रूपान्तर किस प्रकार से हुआ, उसकी प्रक्रिया का यदि गहराई से अध्ययन किया जाय, तो इस विषय में भी आश्चर्य नहीं होगा कि व्यक्तिगत और सम्पत्ति के विषय में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार थे।^{४१} हिन्दुओं की अधिकांश जातियों में दहेज जैसी प्रथा ही नहीं थी^{४२} और सती प्रथा भी किसी छोटे

समुदाय में, किसी छोटे गाँव में अपवादस्वरूप घटने वाली घटना थी।^{४३} इस अध्ययन से यह समझ में आता है कि आर्थिक, सामाजिक और राजकीय जीवन में ब्रिटिश पद्धतियाँ जबर्दस्ती थोप दी गई थीं, इतना ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी इंग्लैण्ड की मान्यता के अनुसार जो अधिकृत और सन्माननीय माने जाते हो, और कानून की दृष्टि से जो स्वीकृत हो, उसका ही आग्रह रखा जाता था। संक्षेप में, भारतीय जीवन उसकी स्वाभाविक विविधता खो करके सर्वथा एकविध बन गया। व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में आई एकविधता एकदम यान्त्रिक और निर्जीव थी।

७

अन्य देशों को जीतने में यूरोप का प्रमुख उद्देश्य धन एकत्रित करके यूरोप में ले जाने का था। नोर्मन विजय के समय से धन इकट्ठा करना और उसमें वृद्धि करते रहना, यही ब्रिटिश शासन पद्धति का प्रमुख सिद्धान्त था।^{४४} यूरोप ने अमेरिका पर अधिकार किया और बाद में अमेरिका में मजदूरी के लिए लोग चाहिए, इसलिए अफ्रीका जीत लिया, इसके पीछे भी प्रमुख उद्देश्य धन प्राप्त करना ही था। जॉन लॉक जैसे चिन्तक ने इस धनसंग्रह की वृत्ति को तात्त्विक रूप में प्रस्तुत किया। उसने कहा कि मनुष्य अपनी इच्छानुसार ही इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करता रहेगा। यदि वह अधिक सम्पत्ति इकट्ठा करता है तो कुछ भी गलत नहीं करता है। परन्तु यदि वह बेकार में खर्च कर दे, तो वह गलत कहा जाएगा।^{४५}

अपनी दुनिया जीत लेने की प्रवृत्ति और उद्देश्य को उचित सिद्ध करने के लिए इंग्लैण्ड के अनेक विचारकों ने बहुत लिखा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने १७६६ में लिखा, "भारत से जितनी अधिक सम्पत्ति इकट्ठा करके लायी जा सकती है, उतना अधिक अच्छा"।^{४६} भारत से किस प्रकार इंग्लैण्ड में सम्पत्ति लाना - ईस्ट इण्डिया कंपनी के माध्यम से या किन्हीं व्यक्तियों के माध्यम से या राजकीय व्यवस्था के माध्यम से उस विषय की चर्चा के समापन में उसने कहा, "भारत में इस कार्य को कौन करेगा इस सन्दर्भ में तो बहुत खींचातानी होगी, परन्तु जिस प्रकार भी धन भारत से इंग्लैण्ड में आए, किसी भी व्यक्ति ने अपने अधिकार के रूप में उसका उपभोग करना उसे खोने जैसा होगा।^{४७} एडिनबरो यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक एडम फर्ग्युसन ने अधिक स्पष्ट शब्दों में लिखा। अपने विद्यार्थी जॉन मेकफरसन को १७७३ में फर्ग्युसनने लिखा, "बारह महीने में कंपनी को कुछ नुकसान हुआ है। अभी भी उसका खतरा दिखाई देता है, परन्तु मुझे लगता है कि बहुत नुकसान नहीं होगा। कंपनी के लोगों को (व्यक्तियों को)

उचित मार्ग से धन एकत्रित करने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अन्ततोगत्वा भारत का धन इंग्लैण्ड में लाने का यही सबसे सरल और स्वाभाविक मार्ग है। शासन ने कम्पनी को अपने तरीके से काम करने देना चाहिए। भारत में कोई भी जो कुछ भी करे, उसका दायित्व उसका ही होना चाहिए। परन्तु अधिक से अधिक धन वे इंग्लैण्ड में लाये, ऐसा करना चाहिए। इस हेतु वे जो कुछ करे, उसे मान्य करना चाहिए।^{४८}

भारत में जो भी व्यवस्थाएँ स्थापित हुईं, योजना बनी, कानून बने, नीति निर्धारण हुआ, सब धन प्राप्त करके इंग्लैण्ड ले जाने के लिए हुआ। इसके लिए एक स्पष्ट एवं निर्दोष उपाय नागरिक सेवा और सेना में जुड़ने के लिए इंग्लैण्ड से आए हुए लोगों के वेतन और भत्ते बहुत अधिक रखने का विचार था। ऊँचे वेतन से आकर्षित हो कर इंग्लैण्ड से अधिक से अधिक लोग भारत में आने लगे। चर्च में काम करने के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए, लेखक के रूप में आनेवाले लोगों का अविरत प्रवाह चला। लेखक के रूप में आए हुए लोग तो आगे चलकर जिलाधीश बन गए। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में १६-१७ वर्ष की आयु में लेखक के रूप में कार्य प्रारम्भ करने के लिए ५००० पाउण्ड देने पड़ते थे।^{४९} लेखक के रूप में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए सब इतनी बड़ी राशि देते थे ऐसा नहीं था। अनेक लोग तो नियुक्ति करने का अधिकार रखने वाले लोगों के या तो सम्बन्धी होते थे अथवा आश्रित होते थे।

धन कमाने के लिए, भारत आने के लिए जहोन लोक अथवा फर्ग्युसन से परामर्श लेने की चिन्ता भी कोई नहीं करता था। इससे पहले भी भारत में आने का सिलसिला प्रारम्भ हो गया था। प्रारम्भ के वर्षों में आने वालों में एक था टॉमस पिट। टॉमस पिट भारत में मद्रास का गवर्नर रहकर १७०० में तो इंग्लैण्ड वापिस लौट गया था। पिट परिवार की विशाल संपत्ति उसीने बनाई थी। वह लॉर्ड चैथम का दादा और विलियम पिट का परदादा था। लॉर्ड चैथम और विलियम पिट अठारहवीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में प्रधानमंत्री बने थे। टॉमस पिट के बाद तो भारत में आनेवाले महत्वाकांक्षी लोगों का ताता बंध गया था। बदमाश रोबर्ट क्लाइव और वॉरन हेस्टिंग्स तो ऐसे थे, जिन्हें इंग्लैण्ड की सज्जनता सिद्ध करने के लिए किसी की मारपीट करने की आवश्यकता पड़ने पर अपराधी के रूप में बलि का बकरा बनाया जा सकता था।

धन सम्पादन करने के लिए कुछ भी करने की छूट होते हुए भी भारत में आए हुए ब्रिटिशर इंग्लैण्ड के नियमों को देख करके तो कुछ कर नहीं सकते हैं। विलियम जोन्स और टी बी मॅकोले जैसे तो नहीं करेंगे। फिर भी विलियम जोन्स, और मॅकोले जैसे लोगों का भी मूल उद्देश्य तो भारत में आकर कुछ ही वर्षों में इतना धन कमाने का था

जिससे इंग्लैण्ड लौटने के बाद शेष जीवन अपने स्वाभिमान, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा के अनुरूप आराम से बिताया जा सके।⁴⁰ यही बात बाद में आए हुए गवर्नर जनरल और वाइसरॉय को भी लागू थी। जब भारत आने का प्रस्ताव रखा जाता था, तब वे भारत में रहते हुए कितना धन अर्जित किया जा सकेगा उसी की गणना सर्व प्रथम करते थे। गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आए लॉर्ड एमहर्स्ट ने १८२० में कहा था कि उसके भारत में आने से पहले उसे बताया गया था कि वह अपनी आय का ५० प्रतिशत बचा सकेगा। परन्तु यहाँ आने के बाद उसका अनुभव था कि वह ६० प्रतिशत बचा सकता था। उसने अपने मित्र अर्ल मोरले से लिखा, "मे स्वयं से यह नहीं पूछता हूँ कि मैं कितना बचा सकूँगा, परन्तु यह पूछता हूँ कि आराम और वैभव में जीवन यापन करने के लिए मुझे कितनी आवश्यकता रहेगी। इन दो सूत्रों को समक्ष रखते हुए मैं किसी भी वस्तु के बिना चला नहीं लेता हूँ। यदि मैं पूरी अवधि तक अर्थात् पाच वर्ष भारत में रहूँगा, तो प्रति वर्ष ३००० पाउण्ड मिलेंगे। इतना धन अपने साथ लेकर इंग्लैण्ड आऊँगा।"⁴¹

मोस्ट्रुअर्ट एल्किन्स्टन मुंबई का गवर्नर था। उसकी राजनयिक कुशलता प्रसिद्ध थी। उसकी आर्थिक महत्वाकांक्षा उचित दायरे में थी। उसकी महेच्छा थी कि उसके इंग्लैण्ड वापिस लौटते समय उसके पास ३ लाख पाउण्ड हो, जिससे वह प्राचीन कवियों के काव्यग्रन्थों और नए प्रकाशनों को पढ़ सके।⁴² उसके मित्र स्ट्रेची ने उसे परामर्श दिया कि ६० हजार पाउण्ड की बचत होने तक भारत में रहना चाहिए। परन्तु वह परामर्श उसे आजीवन कारावास के दण्ड समान लगा।⁴³ फिर भी वास्तव में वह स्ट्रेची के परामर्श के अनुसार ही बचत कर सका।

टॉमस मनरो भी एल्किन्स्टन के समान तेज था। उससे भी अधिक समय वह भारत में रहा। नवरचित केनेरा जिले के जिलाधीश के रूप में उसकी नियुक्ति हुई, परन्तु उसे लगा कि वह प्रतिष्ठा को हानि पहुँचायेगी,⁴⁴ क्योंकि इस जिले में कमाई करने की सम्भावना बहुत कम थी। फिर भी उसने यह नियुक्ति स्वीकार कर ली। उसने जिले की राजस्व की आय बढ़ाने के हर सम्भव प्रयास किए, जिले में व्यवस्था बनाई और पन्द्रह महीनों में ही, दूसरे अच्छे जिले में अपना स्थानान्तरण करवा लिया। यह स्थानान्तरण उसे अच्छा कार्य करने के परिणामस्वरूप मिला था। जिस जिले में उसका स्थानान्तरण था, वह वर्तमान रायलसीमा क्षेत्र था और ब्रिटिशरो ने उसे निजाम से १७९९ में प्राप्त किया था। इस नए जिले में उसके लिए पूर्ण स्वतन्त्रता थी। उसने राजस्व खूब बढ़ा दिया। जो राजस्व नहीं देते थे, ऐसे लोगों पर १५ प्रतिशत आयकर डाल दिया।⁴⁵ उस समय की सिचाई व्यवस्था की पूर्ण उपेक्षा की। आज दो शताब्दियों

के बाद भी उसके द्वारा किए गए नुकसान का असर दिखता है। यहाँ विशेष रूपसे उल्लेख करना चाहिए कि ब्रिटिशों के द्वारा राजस्व निर्धारित किये जाने के बाद लगभग २० से ३० वर्ष तक उस राजस्व का एक निश्चित अंश जिलाधीश को कमिशन के रूप में मिलता था।^{५६}

१७७३ के ब्रिटिश संसदीय कानून के अनुसार गवर्नर जनरल, गवर्नर, उनकी काउन्सिल के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि का मानधन इंग्लैण्ड में ही निर्धारित होता था, परन्तु शेष अधिकारियों का मानधन लॉर्ड कोर्नवॉलिस ने हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया था। उसके द्वारा निश्चित किया गया सिद्धान्त इस प्रकार था, "ऐसे सभी वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन इतना होना चाहिए कि निर्धारित समय तक अपना कर्तव्य पूर्ण करने के बाद, वे जब इंग्लैण्ड वापिस लौटें, तब अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप अच्छा जीवन बिताने के लिये पर्याप्त धनराशि बचाकर अपने साथ ले जा सकें।"^{५७} इससे निम्न श्रेणी के अधिकारियों के लिए कॉर्नवॉलिस का विचार यह था कि ऐसे लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद जीवन में आर्थिक चिन्ता न रहे, और वे लोग एक सभ्य नागरिक का जीवन बिता सकें, और अपनी सूझबूझ और कुशलता से राज्य का हित करते रहे।

नागरिक सेवाओं की अपेक्षा सेना की सेवाओं में कार्यरत लोगों की संख्या बहुत बढ़ी थी। उनकी भी स्थिति ऐसी ही थी। भारत में आने का मुख्य उद्देश्य अधिक पैसा कमाने का ही था। एक बात स्पष्ट है कि १८६० तक एन्साइन से लेकर कर्नल के पद तक की नियुक्तियाँ निश्चित राशि से खरीदी जा सकती थीं।^{५८} निश्चित की हुई प्रारम्भिक राशि के उपरांत नियुक्ति के बाद भी निश्चित की गई अवधि के अनुसार अधिक राशि देनी पड़ती थी। भूमिदल और नौकादल के अधिकारी अपने वेतन के साथ साथ लूट में भी निश्चित अंश प्राप्त करते थे। यह अंश उनके पद को ध्यान में रखकर निश्चित होता था।^{५९} लेफ्टेनन्ट से कर्नल तक के अधिकारियों को जिलाधीश और नायब जिलाधीश जैसी नागरिक सेवा का अवसर भी प्राप्त होता था।

इस प्रकार के वातावरण में येन केन प्रकारेण धन कमाना उचित और प्रतिष्ठापूर्ण उद्देश्य माना जाता था, साथ ही यह भी माना जाता था कि उसमें इंग्लैण्ड का भी हित समाया हुआ है, इसलिए धन इकट्ठा करने के सभी रास्ते खुल गए थे। १७५० के दशक में मद्रास में और १७५७ के बाद बंगाल में रोबर्ट क्लाइव और उसके साथियों ने विपुल मात्रा में जो भेट प्राप्त की थी, उनके विषय में तो बहुत लेख प्राप्त होते हैं। इंग्लैण्ड की सरकार का शासन प्रारम्भ हुआ, इसके बाद तो इस प्रथा को मान्यता भी प्राप्त हुई और

उसका अपनी अपनी पद्धति से अधिकाधिक विकास हुआ। प्रारम्भ में ऐसी अधिक आय निजी व्यवसायो के द्वारा प्राप्त की जाती थी। नमक बनाने का व्यवसाय इसका उदाहरण माना जा सकता है। उस क्षेत्र के सभी जुलाहो का स्वामित्व, सेना और नागरिक सेवा के अधिकारियो को व्यापार करने के परमिट और स्थानीय कर से मुक्ति जैसे उपाय भी अधिक आय प्राप्त करने के लिए किए जाते थे।

फिर भी इंग्लैण्ड का भारत पर पूर्णरूप से आधिपत्य स्थापित होने तक यह "अधिक आय" प्राप्त करने के महत्त्वपूर्ण उपाय कुछ कठिन थे। जब कोई एक शासक ब्रिटिश सरकार का संरक्षण स्वीकार करता था तब प्रथम तो ब्रिटिशर उसे अपनी सेना रखने के लिए मजबूर करते थे। यह सेना उन्हें अपनी रक्षा करने के लिए, अथवा नया प्रदेश जीत कर अपने राज्य की सीमा बढाने के लिए चाहिए थी। ऐसी रक्षा प्राप्त करने का मूल्य उसे देना पडता था। यदि इसके लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं होता था तो उसे ब्रिटिश अधिकारी, व्यापारी, काउन्सिल के सदस्य, स्वयं गवर्नर से उधार मिल सकता था। उसके व्याज का प्रतिशत सन् १७५५ से १८०० तक ३६ से ६० जितना था। यह व्याज अथवा मूल राशि लौटाने के लिए पूरा का पूरा क्षेत्र लेनदार को दे देना पडता था। ऐसी जमीन या तो लेनदार के नाम हो जाती थी अथवा उसके कोई सगे सम्बन्धी अथवा नकली नाम हो जाती थी। इस प्रकार का लेनदेन बिल्कुल नीचे के स्तर के अमलदारो तक होता था। १७८५ में मद्रास प्रेसिडेन्सी के गवर्नर लॉर्ड होबार्ट की निम्नलिखित टिप्पणी से इस पद्धति के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। (देखिए परिशिष्ट 'च')

"यूरोपीय साहुकार अपने नौकर अथवा चपरारी को गाँव में भेजता है। उसके पास नवाब के दीवान का आदेश होता है। उसमें गाँव के चौकीदारो को, इस नौकर अथवा चपरारी को सहयोग देने का निवेदन किया जाता था। वह भले ही लेख में निवेदन हो, व्यवहार में आदेश होता था। वह चपरारी या नौकर गाँव के लोगो से वसूली करने हेतु जाता है। वसूली करना सरल काम नहीं होता है, इसलिए उसके लिए आवश्यक कानूनी अधिकार भी उसको दिया जाता है। इसके बाद की प्रक्रिया ऐसी होती है यदि रैयत राजस्व देने में हा ना करती है, तो बिना किसी भी प्रकार की कार्यवाही के उसे बेडियो में जकडा जाता है, कोडे फटकारे जाते हैं और चपरारी तथा पहरेदारो का भत्ता चुकाने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार यदि रैयत को १०० चक्रम चुकाने हैं, तो वह ११० या ११५ चक्रम चुकाने पर ही मुक्त हो सकता है। यदि उसकी साख अथवा धन समाप्त हो जाता है और राजस्व देने की

स्थितिमें नहीं होता है तो उसे अपने पशु और बीज दे देने पड़ते हैं।^{६०}

इस पद्धति की चाहे निदा की जाती हो या उसे प्रोत्साहित किया जाता हो या उसकी उपेक्षा की जाती हो, सम्पत्ति किसी भी प्रकार से वह अन्ततोगत्वा इंग्लैण्ड तक पहुँच जाती थी।^{६१} समय बीतते भारत की संपत्ति इंग्लैण्ड तक पहुँचाने के माध्यमों में अधिक सुधार हुआ। परन्तु इसके परिणामस्वरूप भारत में गरीबी का जो साम्राज्य स्थापित हुआ, उसके विषय में बेलारी के जिलाधीश ने १८२३ में लिखा

"भारत से जो धन प्राप्त होता है वह भारत में ही खर्च करने पर कानून से नियन्त्रण किया गया। वह धन इंग्लैण्ड भेजने के लिए था। इस प्रकार हर रोज भारत का धन इंग्लैण्ड जाने के कारण आज की स्थिति का निर्माण हुआ है। (अर्थात् ब्रिटिश शासित प्रदेश बिल्कुल गरीब बन गया है।)^{६२}

८

इस प्रकार का व्यवहार व्यापक होने के लिए व्यक्तिगत लोभ और लालच बहुत कारणभूत थे। फिर भी जहाँ लॉक और एडम् स्मिथ जैसे लोगों के लेखों से उसे व्यवस्थित रूप प्राप्त हुआ। उस समय इंग्लैण्ड में भी इस प्रकार के मापदण्डों का अस्तित्व था। इंग्लैण्ड का समाज इतनी महत्त्वाकांक्षा से भर गया था कि उसके पुत्र समग्र विश्वको इंग्लैण्ड की महत्ता का स्वीकार करनेवाला बना दे, इंग्लैण्ड की उन्नति के लिए समग्र विश्व का उपयोग करे और पूर्ण विश्व की सम्पत्ति खींच कर इंग्लैण्ड में लाएँ यही उसकी मनीषा थी। इस महत्त्वाकांक्षा ने तो इन अमलदारों के लोभ को अधिक भड़का दिया। ऐसे मनोभावों से प्रेरित होकर समर्थ लोग तब तक इंग्लैण्ड लौटने का विचार भी नहीं कर सकते थे जब तक धन इकट्ठा न कर ले, क्योंकि यदि वे बिना धन लिए जाएँगे तो इंग्लैण्ड के समाज में उनकी प्रतिष्ठा तनिक भी नहीं रहेगी। केवल मोस्ट्रुअर्ट एल्फिन्स्टन अथवा टॉमस मेकोले की ही यह समस्या नहीं थी, वॉरन हेस्टिंग्स जैसे को भी उसके मित्र खजाना इकट्ठा न करे, तब तक इंग्लैण्ड नहीं लौटने का परामर्श देते थे, क्योंकि, उस समय के लोगों ने लिखा है कि अठारहवीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में बिना धन के जीवन बहुत कठिन था।^{६३}

इस प्रकार सम्पत्ति और उससे सम्बन्धित विषयों की इतनी अधिक महत्ता होने के कारण से भारत के सामान्य लोगों का जीवन बहुत कठिन हो गया। एक तो इनको परतन्त्र बना दिया गया था, कामकाज में उनको कुछ नहीं पूछा जाता था, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विषयों में स्वतन्त्रता नहीं रही थी और इसके उपरान्त उनके साथ

आत्यन्तिक रूप से मानवताहीन व्यवहार किया जाता था। ऐसा तो नहीं था कि लोगो ने इसका सहज रूप से स्वीकार कर लिया। जहाँ भी सम्भव हुआ, वहाँ उन्होंने विरोध किया। जिन को भी गेरिला युद्ध करना आता था उन्होंने वह किया।^{६४} किसानो ने तथा नगर के लोगो ने भी विरोध प्रदर्शित करते हुए बड़े आन्दोलन किए।^{६५} भारत के लोगो को जितने प्रकार से विरोध प्रदर्शित करने का अनुभव था, उतने प्रकार से उन्होंने विरोध किया। परन्तु एक अथवा दूसरे कारणो से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। परिणामत ब्रिटिशरो का अत्याचार और बढ़ गया। अन्ततोगत्वा भारतीय समाज अधिक दब गया, कुचला गया। यह सब दीर्घकाल तक चलते रहने के कारण से भारतीय समाज अन्त में छिन्नविछिन्न हो कर बिखर गया। जो भी पारम्परिक मूल्य और रिवाज थे, वे सब नष्ट हो गये। पराजित समाज दो भागो में बँट गया। एक ओर थोड़े परन्तु समर्थ लोगो का समूह था, जिन्होंने समझौता कर लिया और पाश्चात्य शैली अंगीकार कर ली। दूसरी ओर भारत का विशाल निर्धन वर्ग था, जो दिन प्रतिदिन निर्धन से निर्धनतर बनता गया, उसका अधिक से अधिक शोषण होता रहा और अन्त में उसने सभी प्रकार से आत्मविश्वास गवा दिया।

१७७२ में एडमिरल हारलैण्ड की टिप्पणी के अनुसार स्थिति अधिक से अधिक जकडनयुक्त बनती गई, साम्राज्य के लिए लोग निचोड़े गए और समय बीतते वह भारतीय जीवन का अभिन्न अंग तथा भारत के लिए स्वाभाविक स्थिति मानी गई।^{६६} आज भारत के बौद्धिक अठारहवीं शताब्दी के भारत की यही स्वाभाविक स्थिति मानते हैं।

९

ज्यो ज्यो ब्रिटिश शासनविस्तार हुआ त्यो त्यो ब्रिटिशरो को अपनी सेना को सतत क्रियाशील रखने की आवश्यकता लगने लगी। सेना को वे मात्र सैनिकी कारणो से ही नहीं, अपितु राजकीय कारणो से सक्रिय रखना चाहते थे। सेना की इस सक्रियता का क्षेत्र निजाम के राज्य से लेकर सौराष्ट्र के एक छोटे से राज्य तक था, क्यो कि सी टी मेटकाफ और अन्य लोगो ने लिखा है कि भारत पर इंग्लैण्ड का आधिपत्य तभी बना रह सकता है, जब तक भारत की प्रजा को लगता है कि इंग्लैण्ड की सेना अजेय है तथा भारत में सर्वत्र फैली हुई है।^{६७} यह धारणा बनाए रखने के लिए वे सेना को हमेशा घुमाते रहते थे। अतः भारत के मार्गों पर सेना की टुकड़ियाँ हमेशा कूच करती हुई दिखाई देती थीं। प्रारम्भ में सेना की इस प्रकार की हलचल वास्तव में युद्ध के कारण से ही होती थी, क्योकि अपना प्रदेश बढ़ाने के लिए युद्ध आवश्यक थे, परन्तु १८०३ के बाद ऐसी

हलचल केवल सेना का अस्तित्व बनाए रखने के लिए होती थी।

समय बीतता गया और सेना का कद बढ़ता गया। १८५० तक तो उसका कद ३ लाख सैनिकों का था। इनमें एक चतुर्थांश सैनिक यूरोपीय थे। आगे सेना का साज सरजाम भी बढ़ा। सैनिकों के साथ-साथ अन्य काम करने वालों की संख्या बढ़ी और जिन अधिकारियों को परिवारों के साथ रखने की अनुमति प्राप्त थी, उनके परिवारों की संख्या भी बढ़ी।

इनके यातायात के लिए वाहनव्यवहार चाहिए। साज सरजाम और मनुष्य बढ़े तो साथ ही वाहनव्यवहार भी बढ़ा। दक्षिण भारत में १००० सैनिकों की एक रेजिमेन्ट के साथ उसके परिचारक, मजदूर, घोड़े, खच्चर इत्यादि के लिए ३०० से ८०० गाड़ियों की आवश्यकता पड़ती थी।^{६८} इसके उपरांत ५०० - ७०० मील की कूच के लिए भोजनपानी की भी आवश्यकता पड़ती थी।

इस सैनिक हलचल के कारण प्रजा पर कैसा अत्याचार होता होगा और उनको कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, उसकी कल्पना की जा सकती है। परन्तु लगभग एक पूरी की पूरी शताब्दी की अवधि में प्रजा की कठिनाइयाँ जानने के लिए कल्पना की आवश्यकता ही नहीं है। ब्रिटिश दफ्तर की टिप्पणियाँ और विवरण बहुत विस्तृत और स्पष्ट हैं। सैनिक हलचल और उसके परिणाम स्वरूप निर्माण होने वाली प्रजा की कठिनाई ब्रिटिश शासन के लिए भी कभी कठिनाई पैदा कर देती थी। हाउस ऑफ़ कोमन्स सिलेक्ट कमेटी का १८५८ का विवरण सूचित करता है,

“भारत के कुछ भाग में बेगार प्रथा प्रचलित है, परन्तु प्रजा को सेना की ऐसी बेगार से मुक्त करना चाहिए। इस रूप में सत्ता का कृत्रिम प्रदर्शन किया जाएगा, तो समस्या होगी। प्रजा की स्थिति के उदाहरण इस विवरण में दर्शाए गए हैं। बिचौले अधिकारियों का अत्याचार इससे भी बढ़ जाएगा। अन्त में सरकार को ही नुकसान होगा, क्योंकि लोग तो उसको सरकार के द्वारा होने वाला अत्याचार ही मानेंगे, जबकि वास्तव में सरकार को उसकी जानकारी तक नहीं होती है।”^{६९}

केवल चार वर्ष पूर्व ही, १८५५ में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त बोर्ड ऑफ़ कमिश्नर के एक से अधिक बार अध्यक्ष रह चुके और पूर्व के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने नवनियुक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग को १५ वर्ष पूर्व का अपना अनुभव बताया। शिमला के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को सरकारी काम के लिए किस प्रकार पकड़ करके लाया जाता था, उसका वर्णन करते हुए उसने लिखा,

“शिमला का सेनापति जब मैदानी प्रदेश में जाने के लिए चला, तब मैं उसकी

भेट करने गया था। उस समय मने वहाँ अत्यधिक सख्या मे लागो को इकट्टे हुए देखा। लगभग ३००० लोग मार्ग के दोनो ओर पक्ति बनाकर खड़े थे। ये लोग सेनापति के रसाले का सामान ढोने के लिए बेगार मे पकड़ कर लाए गए थे।^{१७०}

एलनबरो के पत्र के साथ शिमला के पूर्व पोलिटिकल एजन्ट केनेडी का एक विवरण भी था। १८१६ के आसपास ब्रिटिश किस प्रकार स्थानीय रूप से लोगो को अनिवार्य कठिन मजदूरी के लिए पकड़ कर लाते थे, इसके प्रति केनेडी ने एलनबरो का ध्यान आकर्षित किया है। १८१८ से १८३२ के बीच उस पर्वतीय क्षेत्र मे चार गज चौड़ा और ३०० से ८०० मील लम्बा मार्ग, इस प्रकार बेगार मे पकड़कर लाए गए मजदूरो से बनवाया गया था। परन्तु इतना मार्ग पर्याप्त नहीं लगने के कारण अभी दूसरा १५० मील का मार्ग इसी प्रकार से बनवाने की योजना थी। इस विषय मे केनेडी ने इन शब्दो मे लिखा था,

“इस पद्धति से अत्यन्त कठिन काम करवाने के लिए जबर्दस्ती के कारण सम्पूर्ण प्रदेश मे सर्वत्र अत्यन्त क्रोध और घृणा व्याप्त हो गई है। मैं उसका ठीक से वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ। लोग तथा उनके नेता आत्यन्तिक आक्रोश से भर गए हैं। क्योंकि सम्पूर्ण वर्ष भर उन्हें इसी प्रकार से जबर्दस्ती काम करना पड़ता है। अधिकांश लोग वर्षा मे भीगने के कारण बुखारग्रस्त हुए है।”^{१७१}

केनेडी इन सभी अत्याचारो का हूबहू वर्णन करता है। प्रतिदिन जो भी ब्रिटिश अधिकारी, सेनानी, सैनिक, उनके परिचारक आते थे, उनकी सेवा करनी पड़ती थी। उनके खाने पीने की सभी प्रकार की सामग्री का प्रबन्ध करना पड़ता था। उनका सामान उठाना पड़ता था। उपर से यह सामग्री नि शुल्क देनी पड़ती थी। इन सभी कामो के लिए बड़ी सख्या मे लोगो को बेगार के लिए पकड़कर लाया जाता था। यह क्रम वर्षो तक अविरत बना रहता था।^{१७२} यही पद्धति ब्रिटिश सरकार के नौकर तथा अन्य यात्री भी प्रयोग मे लाते थे।

यह बेगार पद्धति इतनी प्रख्यात बन गई थी कि अन्य स्थानो मे भी अपनाई जाती थी। कुमाऊँ और गढ़वाल के कमिश्नर टी एच बेट ने एक बार लिखा कि यह सत्य है कि पद्धति अमानुषी है, परन्तु अब उसको समाप्त करने का तो विचार भी नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः, शिमला जैसे प्रदेश मे जब वरिष्ठतम अधिकारी इस प्रकार करते हैं, तब दूसरे लोगो को उसके दोष बताना धृष्टता मानी जाएगी।^{१७३} वस्तुतः शिमला के रास्ते और उनके लिए अपनाई गई पद्धति पश्चिम उत्तर प्रदेश की सरकार स्वयं भी अपनाने योग्य आदर्श मानती है।^{१७४}

इस वर्णन से कदाचित् ऐसा लगता है कि बेगार की पद्धति पहाड़ी प्रदेशों में अथवा जहाँ ब्रिटिश अधिक मात्रा में निवास करते थे वहीं प्रचलित होगी। परन्तु ऐसा नहीं है। १७७० से १९२० तक बेगारी ब्रिटिश सरकार का एक अविभाज्य अंग था। सन् १८०० से १९०० के काल में तो उसकी मात्रा अपरिमित थी। १८८७ में भारत सरकार के गृहविभाग के सचिव ने लन्दन के राज्य सचिव को 'समुदाय के हित के लिए व्यक्तिगत कठिनाई को' न्याय्य बनाने का प्रयास किया।^{७५} अर्थात् ब्रिटिश स्थापित करना चाहते थे कि राज्य जो कुछ कहता और करता है वह ठीक ही होता है। इसलिए अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का तथा मजदूरों का समूह बनाया जाए, यह प्रजा का कर्तव्य ही था।

वाइसरॉय लॉर्ड रिपन ने १८८२ के अक्टूबर में इस बलात् मजदूरी की प्रथा का औचित्य समझाया। आसाम में चलने वाली बेगार प्रथा का लॉर्ड रिपन ने विस्तार से विश्लेषण किया। उसने लिखा,

तीन प्रकार से इस बलात् मजदूरी करवाने के अवसर उपस्थित होते हैं -

- १ रास्तों के निर्माण और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए,
- २ यात्री अधिकारी के सामान को लाने ले जाने के लिए, तथा
- ३ सेना की टुकड़ियों और उनके साजसज्जाम को ले जाने के लिए।

रास्तों के निर्माण के विषय में तो मुझे लगता है कि महत्त्वपूर्ण रास्तों के लिए "लोक निर्माण विभाग" यदि ध्यान देता है और अच्छी व्यवस्था करता है, तो मजदूरी की आपूर्ति निःशुल्क की जा सकती है। गाँव के छोटे रास्ते बनाने में तो मालिक स्वयं ही रुचि रखता है, इसलिए वह स्वयं ऐसे रास्ते बनवा लेगा। जिला समितियों का तन्त्र इस में सहायक हो सकता है।

अधिकारियों का सामान ढोने की जबर्दस्ती के विषयमें विरोध होने की सम्भावना है। उसको हम जितनी जल्दी समाप्त कर दें, उतना ही अच्छा होगा। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए हमें शीघ्र ही कदम उठाने चाहिए। मैं ऐसा सामान ले जाने के लिए हाथी की व्यवस्था का विचार कर सकता हूँ। यदि यह व्यवस्था प्रस्थापित हो जाती है, तो बेगारी प्रथा कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जाएगी।

परन्तु सैनिक व्यवस्था के लिए सबसे अधिक निःशुल्क और बलात् मजदूरी की आवश्यकता रहती है। मैं कहीं नागा आक्रमण जैसे अपवाद स्वरूप अभियान की बात नहीं करता हूँ। ऐसे अवसरों पर तो नियम का उल्लंघन करके भी कुछ व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं। मैं तो नियमित रूप से होने वाली सैनिक यातायात और पुलिसथानों की

व्यवस्था की बात करता हूँ। बहुत जल्दी सैनिक अधिकारियों के साथ मिलकर बेगार का विकल्प ढूँढने का प्रयास करने हेतु मैं विचार कर रहा हूँ। बेगार प्रथा गलत है, यह मनमें बैठ जाता है तो मार्ग निकलना कठिन नहीं है। इस विषय में सैनिक विभाग और सेना के स्थानीय अधिकारियों के साथ बात करनी चाहिए।^{७६}

परन्तु गत एक सौ वर्षों से बेगारी जितनी चुरस्त और व्यापक रूप से व्यवहार में थी उतने ही प्रबल रूपसे उसके विरुद्ध तर्क, आपत्ति, चर्चा, योजना इत्यादि भी चलते रहते थे। परिणाम शून्य था। पंजाब सरकार के सचिव ने १८८७ में इस प्रथा के विषय में स्पष्टीकरण देते हुए कहा, “पंजाब में जो गैरकानूनी और अमान्य पद्धति से चलता है, वही सम्पूर्ण भारत में भी न्यूनाधिक अंश में चलता है। बिना किसी भी प्रकार के कानूनी अधिकार के मनुष्यों को और वाहनो को बेगार में पकड़ा जाता है।^{७७}

ऐसे बेगार में पकड़ने के विषय में अभिलेख १७७० के समय में भी प्राप्त होते हैं। ये अभिलेख आर्कोट के नवाब के प्रदेश के हैं। २५ सितम्बर १७७२ में आर्कोट के नवाब के दरबार में रहने वाला ब्रिटिश अधिकारी एडमिरल हाल्लेन्ड लन्दन को विवरण भेजता है,

“नवाब की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि जो बैल खेतों के काम में जोत में लगने चाहिए, उन्हींको और मनुष्यों को अनिवार्य रूप से बेगार में पकड़ लिया जाया जाता है। यूरोपीय लोगों की यह और इसी प्रकार की अन्य अत्याचारपूर्ण हरकतों के सामने लोगों को कितना अधिक क्रोध है उसकी जानकारी सलग्न विवरण में भेजी है।”^{७८}

परन्तु समय के प्रवाह में बेगार प्रथा यूरोपीय लोगों के लिए पूर्ण रूपसे सहज बन गई। एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसकी वृद्धि होती ही गई। १८१८ तक तो निज़ाम के हैदराबाद में उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि वहाँ के ब्रिटिश रेसिडेन्ट को इसका विवरण गवर्नर जनरल को भेजना पड़ा। रेसिडेन्ट ने अपने पत्र में लिखा, “यदि यह प्रथा इसी प्रकार चलती रही तो सरकार की बहुत बदनामी होगी। एक स्थान से पकड़ी हुई बेगार को दूसरे स्थान में मुक्त नहीं किया जाता है। यदि मुक्त किया जाता है तो उसका किराया नहीं चुकाया जाता है। वस्तुतः बेगार के लिए किसी पकड़ कर लाना चाहिए इसका कोई विवेक नहीं रहता है। किसान, व्यापारी, कारीगर, स्थानिक अधिकारी, जो भी हाथ लगता है उसे काम छुड़वा कर सामान उठाने के लिए बाध्य किया जाता है। सामान्य वर्णन करने के स्थान पर ठोस उदाहरण देने से विषय अधिक स्पष्ट होगा।

“ब्रिगेडियर जनरल डोवटन के केन्द्र में एक टुकड़ी सामान लेकर जा रही थी।

अभी तो हैदराबाद से वे निकले ही थे। उस समय तो उनके पास पशुओं की कमी नहीं हो सकती। फिर भी उन्होंने खेतों में चल रहे हल छुड़वा दिए और बैलों को उनका सामान ढोने के लिए पकड़ लिया। कोलकता के एक सज्जन ने यहाँ आने के बाद कहा कि जब वे निज़ाम के प्रदेश से गुजर रहे थे, तब उन्होंने एक गाँव को पूर्ण रूपसे वीरान हुआ देखा। गाव के निवासियों ने कुली के रूप में पकड़े जाने के भय से बचने के लिए गाँव छोड़कर भाग जाना पसन्द किया था। इसके बाद तुरत ही एक सिपाही ४० पुरुषों को अधिकारी का सामान उठाने के लिए पकड़ कर लाया था। पुन एक बार जब वह जालना से निकला, तो उसने देखा कि सिपाही के द्वारा बेगार में पकड़ कर लाया गया एक व्यक्ति अपना बोज नीचे पटक कर भाग जाने का प्रयास कर रहा था। सिपाही ने यह देखा तो अपनी छड़ी से वह उसे फटकारने लगा। गत वर्ष एक अधिकारी का सामान ढोने वाले कुलियों को वर्षा के दिनों में बिना भोजन या आश्रय दिए इतने समय तक रोका गया कि उनमें तीन चार तो मर गए, और इस विषय में अधिकारी तो अनजान ही थे।'

इन उदाहरणों को देखने पर समझ में आता है कि रास्ते के किनारे स्थित गाँव बेगार के भय से खाली हो जाने के कारण से अपने ही अधिकारी और उनके रसाले को यात्रा करने में बहुत कठिनाई होती है। साथ ही निज़ाम सरकार को भी परेशानी होती है। इस से अधिक कलकित करनेवाली और कोई प्रथा हो सकती है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

तीन वर्ष पूर्व ब्रिगेडियर जनरल डोवटन ने मेरी प्रार्थना सुन कर एक आदेश प्रसारित किया कि कुली, बैल या गाड़ियाँ बेगार में न पकड़ी जाएँ। बहुत अनिवार्य रूपसे उसकी आवश्यकता पड़ने पर उसके पैसे चुकाए जाएँ। आदेश में पैसे चुकाने का प्रतिशत भी दर्शाया गया था। व्यक्तिगत काम के लिए तो किसी भी प्रकार इन सबका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अपने सैनिक बल का उपयोग कर इस आदेश का कठोरता के साथ पालन हो, यह भी ब्रिगेडियर जनरल ने देखा। परन्तु यात्रा करने वालों ने उस ओर बहुत ध्यान नहीं दिया। कई अधिकारियों ने तो ये पशु नि शुल्क प्राप्त होते थे इसलिए अपने पशु बेच दिए थे और कई सिपाही तो अपने थैले और मशक उठाने के लिए भी कुलियों को पकड़ते थे।''७९

ब्रिटिश रेसिडेन्ट ने इस प्रकार का पत्र बगाल तथा अन्य प्रेसिडेन्सी को भी भेजा था। मद्रास प्रेसिडेन्सी ने यह पत्र सभी जिलों के मजिस्ट्रेटों को भेज दिया और इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी तथा अपना अभिप्राय देने के लिए कहा। वास्तव में

प्रत्येक जिले के मजिस्ट्रेट के पास हैदराबाद के रेसिडेन्ट जेसी ही कथाएँ कहने को थीं। कुछ के वर्णन तो इससे भी भयावह थे। अन्त में सन् १८२९ के अप्रैल में यह एकत्रित की हुई जानकारी की ओर मद्रास प्रेसिडेन्सी की सरकार ने ध्यान देना प्रारम्भ किया। उस समय का सम्पूर्ण पत्रव्यवहार देखने पर मद्रास के गवर्नर टोमस मनरोने कहा कि बेगार की यह प्रथा 'इतनी व्यापक हो गई है कि हमें उसके अत्याचारों के पचासवें भाग की भी जानकारी नहीं मिलती है।' ८०

मनरो ने कहा, "एक भी सैनिक जत्था, एक भी रक्षक, एक भी व्यक्ति ऐसे बेगार में पकड़े गए लोगों के बिना अपने स्थान से हिलता तक नहीं है। इसके लिए गाँव के लोगों पर अत्याचार करने ही पड़ते हैं। लोग उसके प्रति आक्रोश व्यक्त करते हैं। राजमार्ग अन्य देशों में जहाँ से गुजरता है, उन गाँवों के लिए लाभकारी है, जबकि भारत में इससे उलटा है। यहाँ तो रास्ते के किनारे बसे गाँवों से लोग बेगार में पकड़े जाने के भय से गाँव छोड़कर चले जाते हैं। कहीं कहीं तो पूरा गाँव खाली हो जाता है। गाँव के लोग रास्ते से दूर किसी नये स्थान को निवास के लिए ढूँढ लेते हैं। सेना के जत्थे जहाँ पड़ाव डालते हैं, और मजिस्ट्रेट के लिये आवश्यक खाने पीने की तथा अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कहा जाता है, तब मजिस्ट्रेट तहसीलदार को अनाज तथा अन्य सामग्री एकत्रित करने का आदेश देता है। तहसीलदार भी दस बारह मील दूर बसे गाँवों से यह सब इकट्ठा कर सकता है। लोग स्वेच्छा से यह सब नहीं देते हैं, इसलिए जबर्दस्ती लाना पड़ता है। यही बात मनुष्यों की भी है। उनको भी जबर्दस्ती लाना पड़ता है। वे लोग भाग न जाएँ, इसके लिए अपराधियों की तरह उनको भी कैद में रखा जाता है। (समूह में रखा जाता है) यदि जत्थे समय पर नहीं पहुँचते हैं, तो उनके पहुँचने तक इन सबको रोक कर रखा जाता है। उनको पर्याप्त कीमत अथवा मजदूरी कभी चुकाई नहीं जाती है। उन्हें रोककर रखा जाने का लाभ भी नहीं दिया जाता है। उनके घर से पड़ाव के स्थान तक का भत्ता नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं तो जो कुछ चुकाया जाता है, उस से बिचौले अपना भाग छीन लेते हैं। यदि जत्थे के पास पशु कम है, तो जिन बैलों को हल से छुड़ाकर लाया गया है, उन्हीं को जत्थे के साथ भेज दिया जाता है। एक बार गए हुए बैल शायद ही लौटते हैं।" ८१

मनरो का अभिप्राय था, "सैनिक जत्थों की अपेक्षा यात्रा करने वाले यूरोपीय लोग अधिक अत्याचार करते हैं।" इसके बाद सकोच करते हुए उसने यह भी कहा कि इतने बड़े पैमाने पर अत्याचार स्थानिक अधिकारियों की अपेक्षा "हमारे अधिकारी" ही अधिक करते हैं। ८२

इस प्रकार का कठोर अभिप्राय व्यक्त करने के बाद मद्रास प्रेसिडेन्सी की सरकार ने परिस्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठाना निश्चित किया। नए नियम व्यवहार में लाए गए। उन नियमों को जिलाधीश, न्यायाधीश और सेनाधिकारियों को भेज दिया गया। फिर भी स्थिति यह थी कि यह बलात् मजदूरी और मुफ्त का अनाज भंडार विदेशी शासन में अनिवार्य विषय बन गया था। आगे चल कर केवल सैनिक जत्थों और यात्रियों के लिए कुली तथा खाद्यसामग्री ही नहीं, तो रास्ते बनाने के लिए, मकान और बाँध बनाने के लिए, मरम्मत करने के लिए इसकी अधिक से अधिकतर आवश्यकता पड़ने लगी। परिवर्तन इतना हुआ कि अब सरकारी दफ्तरों से “बेगार” “बलात् मजदूरी” जैसे शब्द अदृश्य हो गए। उनके स्थान पर “नियमानुसार मजदूरी” जैसे शब्द लिखे जाने लगे।

१८४२ के नवम्बर में लन्दन स्थित अधिकारियों ने मद्रास प्रेसिडेन्सी की सरकार को फटकार देने वाला पत्र लिखा, क्योंकि उन्हें इस प्रकार का विवरण प्राप्त हुआ था कि “अधिकांश जिलों में बलात् मजदूरी की प्रथा कभी कभार ही देखने को मिलती थी, और वह भी विशेष आवश्यकता पड़ने पर”^{८३} इस प्रकार की फटकार वाला पत्र सन् १८४४ में सभी जिलाधीशों को भेजा गया था। उसके उत्तर में मदुरा के जिलाधीश ने अपने जिले की स्थिति का वर्णन करते हुए राजस्व बोर्ड को लिखा,

“बलात् मजदूरी की प्रथा केवल जहाँ रास्ते बहुत ही खराब हालत में होते हैं तब उनकी मरम्मत के लिए, और मिट्टी के काम तक सीमित है। मुझे लगता है कि कोर्ट की टिप्पणी इस विषय में तो नहीं ही होगी, क्योंकि जब तालाब विभाग के नए नियम बनाए गए और लोक निर्माण विभाग को भेजे गए, तब उसमें सूचित किया गया था कि यदि गाँव के कुली तालाब के नुकसान को नहीं रोकेगा, तो उनको सजा दी जाएगी। राजस्व बोर्ड को मालूम है कि रास्तों की सुरक्षा के लिए मैं रैयत का कितना उपयोग करता हूँ और जब तक इससे अलग कोई आदेश नहीं प्राप्त होता है, तब तक मैं वही करता रहूँगा। बोर्ड यदि ऐसा आदेश भेजेगा, तो मैं आशा करता हूँ कि बोर्ड उसका विकल्प भी सूचित करेगा।

यह पत्र मैंने भेजा नहीं होता और भेजने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए, परन्तु सरकार जब हम पर अविश्वास दर्शाती है, तब मुझे मेरा कर्तव्य निभाने में अत्यन्त असुरक्षितता का अनुभव होता है।”^{८४}

इसके उत्तर में बोर्ड ने क्या लिखा, यह भी ध्यान देने योग्य है,

“नामदार कोर्ट की बलात् मजदूरी हेतु फटकार मात्र सामान्य प्रकार के कामों के लिए की जाने वाली बलात् मजदूरी के विषय में ही है। समयानुक्रम में होने वाले काम, जैसे कि तालाब के बाँध तथा रास्तों की मरम्मत करना, गटर साफ करना तथा जो भी लोगों की सुखसुविधा के लिए आवश्यक है, उन सभी कार्यों के विषय में यह फटकार लागू नहीं है। ये सभी काम तो परम्परा से होते आए हैं, और वे उन्हें आनन्द से करते हैं।”^{८५}

लोग ऐसे काम किस प्रकार आनन्द से करते हैं, यह भी जानने योग्य है। राजस्व बोर्ड ने सभी जिलाधीशों को परिपत्र भेजा था। पुरानी वेगार प्रथा को फिर से प्रारम्भ करना, किसी भी प्रकार से मान्य नहीं किया जाएगा।” इस विषय में जिलाधीशों से कुछ स्पष्टीकरण मागे गए थे। गजाम के जिलाधीश ने लिखा,

“आपके गत १९ अप्रैल के परिपत्र क्रमांक १९०२ के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि इस जिले का राजमार्ग वर्षों से अधूरा पड़ा है। बैलगाड़ियों से तो यात्रा ही नहीं सकती है। सिर पर सामान ले जाने की प्रथा सामान्य है, परन्तु कभी कभी वे इनकार कर देते हैं। उस स्थिति में मैंने उनसे कहा कि वे नियमानुसार बोज ढोने वाले ही हैं, इसलिए वे इनकार नहीं कर सकते हैं। मेरी आग्रहपूर्वक सिफारिश है कि इस व्यवस्था को हमेशा के लिए निश्चित किया जाए, और उसको व्यापक बनाया जाए, तथा जो नाविक भी काम करने से इनकार करे, उन्हें तीस कोड़े मारने की सजा दी जाए”।^{८६}

इस प्रकार की बलात् मजदूरी की प्रथा भारत के किसी एक भाग में नहीं, अपितु सम्पूर्ण भारत में प्रचलित थी। जैसे जैसे गरीबी बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी भयावहता कम होती गई, क्योंकि आर्थिक और राजकीय नीतियों के कारण मजदूरी करने की मजदूरी के कारण मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लोग इतनी बड़ी मात्रा में बेकार होने लगे थे कि पेट भरने के लिए दिन के अन्त में दो चार पैसे मिल जाएँ, इस हेतु वे मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते थे। परन्तु सन् १८४० में अभी इतनी विकट स्थिति नहीं हुई थी, इसलिए बलात् मजदूरी के सितम ढाए जाते थे।

ब्रिटिश शासन के २७ वर्ष में ही, अर्थात् सन् १८४२ में उत्तर प्रदेश के कुमाऊँ जिले के निवासी ब्रिटिश शासन के विषय में शिकायत करने लगे। उनकी यह शिकायत सरकारी काम करने के लिए अनिवार्य रूप से करने वाली मजदूरी के विषय में ही थी। कुमाऊँ के कमिश्नर ने ही यह जानकारी दर्ज की है।^{८७} उसे जब पूछा गया तब उसने इस प्रकार की जानकारी दी। यह जानकारी वर्ष १८४१-४२ और १८४३ के एक

चतुर्थांश भाग की है। विभिन्न कामों के लिए कितने व्यक्ति रखे गए थे इस विषय की यह जानकारी है।

१	कार्यपालक इन्जीनियर, कुमाऊ को	४,८२८
२	सैनिक अधिकारी, अलमोड़ा (सिपाहियों के लिए घास सहित) को	६,१८६
३	सैनिक और कार्यपालक अधिकारी, लोहाघाट और पिथौरागढ़ को	९,२६१
४	सरकारी चाय के बगीचे, अलमोड़ा, भीमताल, हवालबाग को	१,९००
५	सरकारी भूमिति सर्वेक्षण के अधिकारी को	३४७
	कुल	२२,५२२

“मुझे लगता है कि इस जानकारी से यह समझ में आएगा कि इस जिले में बलात् मजदूरी से सम्बन्धित सभी को इस बात की जानकारी है।

इस पद्धति के कारण ग्रामवासियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, इस बात से मैं भली भाँति से परिचित हूँ, परन्तु मुझे यह भी लगता है कि बिना अधिक खर्च की व्यवस्था किए यह प्रथा शिथिल भी नहीं की जा सकती है अथवा समाप्त भी नहीं की जा सकती है। इसलिए अधिक खर्च करने की अनुमति मुझे नहीं मिलेगी, तो मैं अन्य कोई भी सुझाव नहीं दे सकता हूँ।

वस्तुतः मुझे कहना चाहिए कि मुल्की अधिकारी अपने वार्षिक प्रवास के दौरान जिन मजदूरों को साथ में ले जाते हैं, उनकी इस सूची में गणना नहीं की गई है। ये मजदूर मान्यता प्राप्त हो, या न हो, उनकी इच्छा से विरुद्ध ही सिपाहियों के लिए घास लाने का या अधिकारियों के लिए चूना लाने का काम उन्हें करना पड़ता है।”

लगभग इसी अरसे में सन् १८४४ के अगस्त में उत्तर पश्चिम प्रान्त के न्याय विभाग के अधिकारियों को भेजे गए एक परिपत्र में निजामात अदालत के रजिस्ट्रारने लिखा, “माना जाता है कि कमिश्नर की कचहरी के अधिकारी जब बड़े पडाव डालते हैं और वहाँ बहुत जत्थे जमा होते हैं, तब वे थानेदार से आग्रह रखते हैं कि व्यापारी और कारीगरों को ऐसे पडावों के साथ काम मिल ही जाएगा यह मान कर मजदूरी की अपेक्षा के बिना जुड़े। ऐसी माँग को थानेदार बिना शिकायत, बिना उसकी असलियत जाँच किए और उससे होनेवाले अन्याय के प्रति बिना ध्यान दिए सतुष्ट भी करते हैं।”

सैनिक पडावों के साथ किस प्रकार के कारीगर और व्यापारी चलते थे, उसकी एक सूची उत्तर पश्चिम प्रान्त की सरकार ने सैनिक बोर्ड को १५-६-१८४४ को दी है। वह इस प्रकार है -

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (१) आटा और दाल बेचने वाले | (२) मिटाई बेचने वाले |
| (३) पसारी | (४) फुटकर व्यापारी |
| (५) नून्दीवाला श्रोफ | (६) तम्बाकू बेचने वाले |
| (७) तबोली | (८) सूजी बनाने वाले |
| (९) भठियारा | (१०) रसोइया |
| (११) कुजडा | (१२) मछुआरा |
| (१३) बासती | (१४) वाझाज |
| (१५) तातार | (१६) कसाई |
| (१७) मास बेचने वाले | (१८) मोची |
| (१९) सीकलगर | (२०) धोवी |
| (२१) तेली | (२२) भडभूजा |
| (२३) मोदी | (२४) ऊँटवाला |
| (२५) खानसामा | (२६) पायदोस |
| (२७) लोहार | (२८) सुतार |
| (२९) सोनी | (३०) मुर्गे पालने वाले |
| (३१) कुम्हार | (३२) तोडीवाला |
| (३३) हुक्का बनाने वाले | (३४) चुल्हीगर ^{१०} |

इसके उत्तर में सैनिक अधिकारियों ने कहा कि "बाजार अथवा अन्य किसी भी प्रयोजन से लोगों पर किसी भी प्रकार की जबर्दस्ती नहीं की जाती है।"^{११} इस पर निजामात अदालत ने थानेदारों को सूचना दी कि इस प्रकार के कामों में किसी भी प्रकार की सहायता न दी जाय,^{१२} परन्तु इस प्रकार की सूचना देते ही अनेक प्रकार की समस्याएँ पैदा हुईं और कुछ ही दिनों में वायव्य प्रान्त की सरकारने निजामात अदालत को लिखा,

"अदालत ने जो नियम बनाया है, उसका पालन सामान्य स्थितियों में तो सम्भव है, परन्तु बड़े सैनिक पड़ावों में अथवा छावनियों के परिवर्तन में तो मनुष्यों की आवश्यकता पड़ेगी ही। उस समय थानेदारों का कर्तव्य हो जाएगा कि वे ऐसे पड़ावों और ऐसी कूचों को हर प्रकार से मदद करें। इन लोगों को अपनी मेहनत का फल अथवा सामान की कीमत मिल जाए, इसके लिए थानेदार अपनी सत्ता और शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।"^{१३}

इसी प्रकार अन्य समस्याएँ भी पैदा हुईं। यमुना के पश्चिम में बननेवाली नहर के

कार्यकारी अधीक्षक ने वायव्य प्रान्त की सरकार को निजामात अदालत के इस प्रकार के आदेश से कैसी कठिनाई पैदा होगी, इस विषय में लिखा। कर्नल के मजिस्ट्रेट, दिल्ली के कमिश्नर और अम्बाला के गवर्नर जनरल के नायब सूबे के साथ काम करने में पैदा होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए उसने आगे कहा,

“कुछ वर्ष पूर्व जब लॉर्ड विलियम बैण्टिक गवर्नर जनरल थे, तब बलात् मजदूरी को प्रतिबन्धित करने हेतु कठोर आदेश दिए गए थे। परन्तु उस सरकार तथा सेना दोनों का अनुभव है कि जब आवश्यकता पड़ती थी, तब इन आदेशों का उल्लंघन करना पड़ता था। उसके उदाहरण भी हमारे सामने मौजूद हैं। ब्रह्मपुर विभाग की नहर के बगल से जाने वाले रास्ते की मरम्मत के समय और गवर्नर जनरल अथवा सरसेनापति के काफले की कूच के समय इन आदेशों को किनारे करना पड़ता था। इसलिए यदि अदालत के आदेश को बदला नहीं गया, तो इतनी विकट परिस्थिति निर्माण होगी कि मैं मुझे दिया गया दायित्व निभा नहीं पाऊंगा। यदि नहर की सुरक्षा के कार्य में इस प्रकार विघ्न पैदा किए जाएंगे, तो मेरी यहाँ काम करने की सिद्धता नहीं है।

इसके साथ यमुना के पश्चिम में स्थित नहर के लिए ३१ अगस्त, १८४४ को पूर्ण होने वाले वर्ष में ५,१८,२०४ व्यक्ति काम में लगाए गए थे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सवार, बरकदाज, चपरासी, खलासी, माली अथवा बेलदार को छोड़ अन्य किसी को भी इतने लोगों को एकत्रित करने के काम में लगाया नहीं गया था। अधीक्षक को अपने व्यक्ति न लगाने पड़े, इसलिए मुल्की अधिकारियों ने इन लोगों को इकट्ठा करने में सहायता की, यह बात अलग है। यही पद्धति आज भी कायम रखी जा सकती है। यदि मुल्की विभाग को व्यक्ति देने की मनाई की जाएगी, तो नहर काम के अधिकारियों को मासिक ४३,००० व्यक्तियों के हिसाब से रखने का काम स्वयं ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करेंगे, तो सरकार का काम बिल्कुल ठप्प हो जाएगा।

सामान्य अदाज से करनाल में नहर के काम के भाव बढ़ रहे हैं। हाल ही में सैनिक बोर्ड के बहकावे से लॉर्ड एलनबरो ने कोलकाता में एक काम में ६०० रूपए अधिक खर्च हो जाने के कारण १,००० रूपए दण्ड करार दिया था। यदि सरकार हमारे विरुद्ध इस प्रकार के कदम उठाएगी, तो मैं इस विभाग में रहना पसन्द नहीं करता हूँ। कोलकाता शहर में मैं चार वर्ष न्यायाधीश के रूप में रहा, उस समय जेसोर के कमिश्नर के सामने एक भी ऐसा किस्सा नहीं हुआ था। २४ परगना जैसे नामचीन इलाके में भी मेरे काम के सामने कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। यह सब देखते हुए लगता है कि वर्तमान नियम और व्यवस्थाएँ कैसी भी हो, परन्तु नहर के काम के लिए इच्छित

स्थानिक मजदूर प्राप्त करने के विषय में मेरे अथवा नहर अधिकारियों के सामने सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।''१४

इसी प्रकार मजदूर और बेगार करने वालों को प्राप्त करने की प्रथा मुंबई प्रेसिडेन्सी के इलाकों में भी थी। इस प्रथा पर सरकारी मनाई तो थी, परन्तु वह मनाई किसी की जानकारी में नहीं थी। और होने पर भी कोई उस ओर ध्यान नहीं देता था। मुंबई की सरकारने १८४९ के सितम्बर में लंदन कार्यालय को सूचित किया कि १८२७ के अधिनियम १२ के विभाग १७ के क्रियान्वयन के विषय में जाँच करने की व्यवस्था की गई है। यह अधिनियम कुली और बेगारी की जबर्दस्ती न करने का अधिनियम है। इससे सलग्न उसका विवरण कहता है,

''सदर अदालत के उत्तर से जानकारी होती है कि अहमदाबाद कलेक्टरेट में बेगारी विषयक अधिसूचनाओं को विभिन्न गाँवों के चौक में चिपकाया गया था, परन्तु गत पाँच वर्षों में उन्हें प्रकाशित नहीं किया गया। खेड़ा कलेक्टरेट में केवल १६ अक्टूबर १८३८ को एक दिन के लिए ही उसको प्रकाशित किया गया था। भरूच, सूरत, पूणे, नगर, सोलापुर, खानदेश इत्यादि कलेक्टरेट में इस प्रकार के कोई आदेश नहीं दिए गए थे। तन्ना कलेक्टरेट में केवल एक बार सन् १८३६ में इस अधिनियम की सार्वजनिक जानकारी दी गई थी। कुली और बेगारी के विरुद्ध में धारवाड कलेक्टरेट में केवल दो बार आदेश दिए गए थे। बेलगाँव कलेक्टरेट में कुली और बेगारी की जबर्दस्ती के विरुद्ध १८४६ फरवरी में जिले के अधिकारियों को पत्रक भेजा गया था। उसमें जो सवार रास्ते से अपरिचित हैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कुलियों को लगाने की छूट दी गई थी। १८३७ के नवम्बर में बेलगाँव के नायब मजिस्ट्रेट ने वेगुरला की ओर जानेवाले भीडभाड वाले रास्ते में बेगार पकड़ने के विरुद्ध आदेश दिए थे।

इस अधिनियम के सन्दर्भ में जो भी केस चलाए गए थे, उस विषय में अदालत ने टिप्पणी की कि सभी मजिस्ट्रेटों का कहना था कि एक भी केस अधिकृत रूप से दर्ज नहीं किया गया है। अलग अलग मजिस्ट्रेटों के इस प्रकार के उत्तर हमारे स्व पूर्व प्रमुख को अत्यन्त असन्तुष्ट करनेवाले लगे थे। उनका अभिप्राय था कि गत पाँच वर्षों में कोई शिकायत नहीं की गई, यह बात ही आश्चर्यकारक है। इससे तो यह विश्वास होता है कि लोगों की रक्षा के लिए बनाए गए अधिनियमों की जानकारी लोगों को होने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। क्योंकि यदि जानकारी होती, तो केस किये जाते, जाँच होती, स्पष्टीकरण होते।''१५

महाबलेश्वर क्षेत्र की स्थिति के विषय में मुंबई सरकार ने लन्दन को सूचित

किया, "हमें इस विषय में सूचित किया गया है कि महाबलेश्वर के आसपास के गाँवों के निवासियों को वर्षा प्रारम्भ होने से पूर्व पहाड़ों को छोड़कर जाने वाले यात्रियों के लिए खेतों के काम छुड़वाकर बैल, गाड़ियाँ और मनुष्यों को बेगार में पकड़ कर लाया जाता था। इसलिए सदर अदालत ने तन्ना के मजिस्ट्रेट को स्पष्टीकरण करने के लिए बुलाया था। उनको पूछा गया था कि अधिनियम होते हुए भी ये सारी बातें अदालत के ध्यान पर क्यों नहीं लाई गईं।" १६

चालीस वर्ष के बाद १८८७ में इस स्थिति की समीक्षा करते हुए भारत सरकार के गृह सचिव ने उस समय की मुंबई सरकार की स्थिति का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया,

'मुंबई प्रेसिडेन्सी के सभी देशी राज्यों में जमीनदारों और सरकारी अधिकारियों के लिए लोगों को बेगारी में पकड़ कर लाने का रिवाज है। यह विषय अभी न्यायालय के अधीन है। अंग्रेजी राज्य में गाँवों में यह प्रथा कायम है। वह तहसीलदारों के अधीन है। विशेष करके जमीनदार उससे लाभान्वित होते हैं। जबकि देशी अधिकारी अथवा जमीनदार इस प्रकार की मजदूरी करवाते हैं, तब उनको नाम मात्र की, मजदूरी देने का प्रचलन है। इस हेतु उनसे कर जैसा कुछ लिया जा सकता है। ब्रिटिश प्रदेशों में तो केवल सैनिक जत्थों की हेराफेरी के लिए गाड़ियाँ मगवाने की या नहरों का निर्माणकार्य अथवा मरम्मत के लिए सिचाई कानून के अन्तर्गत मजदूरों को बुलाने के स्वरूप में ही यह प्रथा प्रचलन में है। अधिकारियों के लिए तबू और सामान ढोने के लिए ही गाड़ियों का उपयोग ब्रिटिश राज में किया जाता है।' १७

८ जुलाई १८३६ के दिन जबलपुर के कमिश्नर ने ब्रिटिश अधिकारियों और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के व्यक्तिगत कार्यों के लिए बेगार पर मजदूर लाने के उदाहरण उत्तर पूर्व प्रदेश की सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इस वर्णन से लगता है कि यह प्रथा व्यवहार में बहुत अधिक प्रचलित थी। इसलिए उसका वर्णन यहाँ विस्तार से देना उचित होगा। कमिश्नर का विवरण सूचित करता है,

"मुझे सूचित करते हुए दुःख होता है कि ब्रिटिश अधिकारियों का व्यवहार भी उतना ही (देशी लोगों के जितना ही) खराब था। इस पर भी एक अनिष्ट बहुत व्यापक था। एक अंग्रेज को अपने आवास में जो कुछ चाहिए - भेड़, मुर्गी, मजदूर, निर्माण कार्य का सामान आदि, उसके लिए पुलिस और राजस्व अधिकारी को आदेश देकर मगवा लिया जाता था। उसका परिणाम यह होता था कि उचित से बहुत कम कीमत चुकाई जाती थी। सागर में तो मैंने देखा कि अंग्रेज लोगों को गाँव के बाजार से जो कुछ चाहिए,

स्थानिक मजदूर प्राप्त करने के विषय में मेरे अथवा नहर अधिकारियों के सामने सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।''^{१४}

इसी प्रकार मजदूर और बेगार करने वालों को प्राप्त करने की प्रथा मुंबई प्रेसिडेन्सी के इलाकों में भी थी। इस प्रथा पर सरकारी मनाई तो थी, परन्तु वह मनाई किसी की जानकारी में नहीं थी। और होने पर भी कोई उस ओर ध्यान नहीं देता था। मुंबई की सरकारने १८४९ के सितम्बर में लंदन कार्यालय को सूचित किया कि १८२७ के अधिनियम १२ के विभाग १७ के क्रियान्वयन के विषय में जाँच करने की व्यवस्था की गई है। यह अधिनियम कुली और बेगारी की जबर्दस्ती न करने का अधिनियम है। इससे सलग्न उसका विवरण कहता है,

''सदर अदालत के उत्तर से जानकारी होती है कि अहमदाबाद कलेक्टरेट में बेगारी विषयक अधिसूचनाओं को विभिन्न गाँवों के चौक में चिपकाया गया था, परन्तु गत पाँच वर्षों में उन्हें प्रकाशित नहीं किया गया। खेड़ा कलेक्टरेट में केवल १६ अक्टूबर १८३८ को एक दिन के लिए ही उसको प्रकाशित किया गया था। भरुच, सूरत, पूणे, नगर, सोलापुर, खानदेश इत्यादि कलेक्टरेट में इस प्रकार के कोई आदेश नहीं दिए गए थे। तन्ना कलेक्टरेट में केवल एक बार सन् १८३६ में इस अधिनियम की सार्वजनिक जानकारी दी गई थी। कुली और बेगारी के विरुद्ध में धारवाड कलेक्टरेट में केवल दो बार आदेश दिए गए थे। बेलगाँव कलेक्टरेट में कुली और बेगारी की जबर्दस्ती के विरुद्ध १८४६ फरवरी में जिले के अधिकारियों को पत्रक भेजा गया था। उसमें जो सवार रास्ते से अपरिचित हैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कुलियों को लगाने की छूट दी गई थी। १८३७ के नवम्बर में बेलगाँव के नायब मजिस्ट्रेट ने वेगुरला की ओर जानेवाले भीडभाड वाले रास्ते में बेगार पकड़ने के विरुद्ध आदेश दिए थे।

इस अधिनियम के सन्दर्भ में जो भी केस चलाए गए थे, उस विषय में अदालत ने टिप्पणी की कि सभी मजिस्ट्रेटों का कहना था कि एक भी केस अधिकृत रूप से दर्ज नहीं किया गया है। अलग अलग मजिस्ट्रेटों के इस प्रकार के उत्तर हमारे स्व पूर्व प्रमुख को अत्यन्त असन्तुष्ट करनेवाले लगे थे। उनका अभिप्राय था कि गत पाँच वर्षों में कोई शिकायत नहीं की गई, यह बात ही आश्चर्यकारक है। इससे तो यह विश्वास होता है कि लोगों की रक्षा के लिए बनाए गए अधिनियमों की जानकारी लोगों को होने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। क्योंकि यदि जानकारी होती, तो केस किये जाते, जाँच होती, स्पष्टीकरण होते।''^{१५}

महाबलेश्वर क्षेत्र की स्थिति के विषय में मुंबई सरकार ने लन्दन को सूचित

किया, "हमें इस विषय में सूचित किया गया है कि महाबलेश्वर के आसपास के गाँवों के निवासियों को वर्षा प्रारम्भ होने से पूर्व पहाड़ों को छोड़कर जाने वाले यात्रियों के लिए खेतों के काम छुड़वाकर बैल, गाड़ियाँ और मनुष्यों को बेगार में पकड़ कर लाया जाता था। इसलिए सदर अदालत ने तन्ना के मजिस्ट्रेट को स्पष्टीकरण करने के लिए बुलाया था। उनको पूछा गया था कि अधिनियम होते हुए भी ये सारी बातें अदालत के ध्यान पर क्यों नहीं लाई गईं।" १६

चालीस वर्ष के बाद १८८७ में इस स्थिति की समीक्षा करते हुए भारत सरकार के गृह सचिव ने उस समय की मुबई सरकार की स्थिति का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया,

'मुबई प्रेसिडेन्सी के सभी देशी राज्यों में जमीनदारों और सरकारी अधिकारियों के लिए लोगों को बेगारी में पकड़ कर लाने का रिवाज है। यह विषय अभी न्यायालय के अधीन है। अंग्रेजी राज्य में गाँवों में यह प्रथा कायम है। वह तहसीलदारों के अधीन है। विशेष करके जमीनदार उससे लाभान्वित होते हैं। जबकि देशी अधिकारी अथवा जमीनदार इस प्रकार की मजदूरी करवाते हैं, तब उनको नाम मात्र की, मजदूरी देने का प्रचलन है। इस हेतु उनसे कर जैसा कुछ लिया जा सकता है। ब्रिटिश प्रदेशों में तो केवल सैनिक जत्थों की हेराफेरी के लिए गाड़ियाँ मगवाने की या नहरों का निर्माणकार्य अथवा मरम्मत के लिए सिचाई कानून के अन्तर्गत मजदूरों को बुलाने के स्वरूप में ही यह प्रथा प्रचलन में है। अधिकारियों के लिए तबू और सामान ढोने के लिए ही गाड़ियों का उपयोग ब्रिटिश राज में किया जाता है।' १७

८ जुलाई १८३६ के दिन जबलपुर के कमिश्नर ने ब्रिटिश अधिकारियों और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के व्यक्तिगत कार्यों के लिए बेगार पर मजदूर लाने के उदाहरण उत्तर पूर्व प्रदेश की सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इस वर्णन से लगता है कि यह प्रथा व्यवहार में बहुत अधिक प्रचलित थी। इसलिए उसका वर्णन यहाँ विस्तार से देना उचित होगा। कमिश्नर का विवरण सूचित करता है,

'मुझे सूचित करते हुए दुःख होता है कि ब्रिटिश अधिकारियों का व्यवहार भी उतना ही (देशी लोगों के जितना ही) खराब था। इस पर भी एक अनिष्ट बहुत व्यापक था। एक अंग्रेज को अपने आवास में जो कुछ चाहिए - भेड़, मुर्गी, मजदूर, निर्माण कार्य का सामान आदि, उसके लिए पुलिस और राजस्व अधिकारी को आदेश देकर मगवा लिया जाता था। उसका परिणाम यह होता था कि उचित से बहुत कम कीमत चुकाई जाती थी। सागर में तो मैंने देखा कि अंग्रेज लोगों को गाँव के बाजार से जो कुछ चाहिए,

वह लाने के लिए कोतवाली में एक जमादार और चार बरकदाजो को तैनात किया गया था। जहाँ जहाँ मैंने इस प्रथा को रोकने का आग्रह किया, वहाँ मुझे कहा गया कि बिना पुलिस की सहायता के किसी भी अग्रेज को बाजार से कोई भी वस्तु नहीं मिल सकती है। यह प्रथा इतनी लज्जास्पद बन गई थी कि गरीब लोग भी अपनी वस्तुओं को अग्रेजों को बेचने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको भय लगता था कि उसकी कीमत बहुत कम मिलेगी।''^{९८}

विशिष्ट सैनिक अधिकारों के विषय में उसने कहा,

''जाँच के बाद मुझे यह मानने के लिए पर्याप्त कारण मिलते हैं कि बैतूल से मिरजापुर जाते हुए प्रत्येक पड़ाव में कर्नल कोस्टलीने ४० से ५० लोगों को अपना निजी मालसामान ढोने के लिए रोका था और एक बार भी उन्हें उचित दाम नहीं चुकाए थे। उनमें कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला था। कर्नल कोस्टली के विषय में लोगों में ये जो बातें होती हैं, वे सच हैं ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि उसी समय सेना के दूसरे अधिकारियों के जत्थों की कूच भी हो रही थी, और उनके विषय में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी। १८ वीं रेजिमेंट ने बैतूल जिले में शापुर से केसुला तक कूच की थी, और दो पड़ाव डाले थे। एक पड़ाव में ३० व्यक्तियों को बेगार के लिए लाया गया था, उनको सामान ढोने के बाद रात्रि में पहरा देने के लिए भी रखा गया था, क्योंकि जहाँ पड़ाव था, वह स्थान निर्जन था और वहाँ पहरा देने के लिए दूसरे लाग उपलब्ध नहीं थे। दूसरे दिन फिर से उनको सामान ढोने के लिए कहा गया और केसुला पहुँचने के बाद उनको मुक्त कर दिया गया। उनमें कुछ को तीन पैसे दिए गए, कुछ को दो आना (८ पैसे)। बेल्ये से ५० व्यक्तियों को बेगार के लिए रोका गया था। कुछ को ३ पैसे तो कुछ को ४ पैसे चुकाए गए थे और कुछ को कुछ भी नहीं दिया गया।

''उपरोक्त कथन के अनुसार कुछ ही लोगों को राजस्व अधिकारी एकत्रित कर सका, और उनसे प्रमाण प्राप्त कर सका। पुलिस और राजस्व अधिकारियों की जब पूछताछ की गई, तब उन्होंने अपने बचाव में कहा कि यह प्रथा तो बहुत सामान्य है और वे स्वयं उसे रोकने का साहस नहीं कर सकते हैं। उनमें से एक, जबलपुर के नायब पेशकारने कहा कि मैंने जब बेगारियों को बहुत कम बेगारी दी जाती है ऐसी शिकायत की, तब कर्नल कोस्टली ने व्यग्रपूर्ण ढंग में कहा कि राजस्व अधिकारी चाहे तो पूरी बेगारी चुका दे, सैनिक अधिकारियों के लिए यह सम्भव नहीं है। इसके उपरांत इस बात का भी निर्णय कर लिया गया है कि मिट्टी के घड़े, घास, जलाने की लकड़ी, मुर्गी, बतख, अडे, दूध, दही आदि तो बिना कीमत चुकाए प्राप्त किया जाए।''^{९९}

ब्रिटिश सेना "देसी राज्यों" से गुजरती थी, तब क्या होता था, उस विषय के भी इसी प्रकार के विवरण मिलते हैं। इस विषय में भारत सरकार ने १८४३ में लन्दन को लिखा,

"ब्रिटिश फौज जब देशी राज्यों से गुजरती है, तब लोगों को बेगारी के लिए बुलाया जाता है, ऐसी रैयत की ओर से जब अत्यधिक शिकायतें आने लगीं, तब इस प्रथा को बन्द करने हेतु प्रेसीडेन्ट ने अधिसूचना जारी की।^{१००}

वर्तमान का एक उदाहरण ले। ब्रिटिश भारतीय सेना के सरसेनापति ने १८९१ में विचार किया कि सेना की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और सेना में होनेवाली भर्ती बढ़ाने के लिए सब से अच्छा कदम यह उठाया जाय कि सभी सैनिकों को घर में या बाहर, सभी पेन्शनरों को और पुन नौकरी में जुड़े लोगों को बेगार से मुक्ति दी जाय।^{१०१} इस के विषय में उसने आग्रहपूर्ण तर्क दिये। इस तर्क को लेकर भारत सरकारने यदा कदा विचार किया और बाद के बीस वर्ष में सैनिकों को पूर्ण रूप से नहीं, तो कुछ मात्रा में बेगार से मुक्ति मिली। परन्तु सन् १९१० में सैनिक विभाग ने सैनिकों को बेगारी से पूर्ण रूप से मुक्ति देने का मुद्दा फिर से उठाया।^{१०२} इस समय विशेष सन्दर्भ था कुमाऊँ और गढ़वाल के सैनिकों का। वाइसरॉय की काउन्सिल में इस विषय में भिन्न भिन्न मत दर्शाए गए, और अन्त में, यह पूरा मामला सयुक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) की सरकार को विचार विमर्श हेतु दे दिया गया।

सयुक्त प्रान्त की सरकार ने इस विषय पर लम्बी चर्चा की। अन्त में वह इस निष्कर्ष पर पहुची कि ऐसी मुक्ति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सन् १८२० से ही यह प्रथा चली आ रही है। सन् १८२० में जब कुमाऊँ और गढ़वाल का शासन अंग्रेजों के पास आया, तब हर जमीनदार के साथ इस प्रकार के लिखित करार हुए थे, कि चली आ रही प्रथा के अनुसार वे कुली और बरदास पूरी करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए सयुक्त प्रान्त की सरकार सैनिकों को बेगार से मुक्ति नहीं दे सकती है। १९ अक्टूबर, १९१० को भेजे गए लम्बे पत्र में इस निष्कर्ष का बचाव करते हुए सरकार लिखती है,

'यदि इस प्रकार की मुक्ति दी जाती है, तो सैनिकों के अतिरिक्त भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, जिनके लिए ऐसा काम करनेवाले लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। गढ़वाल जिले में ऐसे गाँव हैं, जहाँ मात्र यात्रियों के पुरोहित ही रहते हैं। ये लोग हर वर्ष बेगारी से मुक्ति मिलने हेतु निश्चित किया गया कर चुकाते हैं। यदि सैनिकों को बेगारी से मुक्ति दिया जाता है, तो इन लोगों को अधिक कर चुकाना पड़ेगा। इससे सैनिक अन्य गढ़वालियों का सद्भाव खो देंगे क्योंकि उसके मूल करार से जो बन्धन निर्माण

हुआ है, उस से तो पूर्ण मुक्ति मिलती ही नहीं है।^{१०३}

फिर भी अलग अलग कानून, नियम, व्यवस्थाओं के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने बेगार की जो प्रथा प्रारम्भ की थी, वह समग्र भारत में १९१० तक कम होने लगी थी। इसके दो कारण थे। एक तो पूरी उन्नीसवीं शताब्दी में मजदूरी करने वालों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, और दूसरा भारत में रेल्वे प्रारम्भ हुई थी। फिर भी जहाँ जहाँ मजदूरी करने वालों की संख्या कम थी और रेल्वे नहीं जा सकती थी, ऐसे कुमाँऊँ गढ़वाल जैसे क्षेत्रों में यह प्रथा १९१० में भी कायम थी, और उसको ठीक भी माना जाता था।

१०

यह बलात् मजदूरी अर्थात् वेठ और जबरन् मालसामान प्राप्त करने की प्रथा अर्वाचीन समय में कब प्रारम्भ हुई और क्रमशः बढ़ती गई, इसकी चर्चा अब तक की गई है। परन्तु अन्य अनेक विषयों की तरह एक या दूसरे स्वरूप में प्राचीन काल से वह चलती होगी यह सम्भव है। भारत में 'कुरवी' के नाम से, यूरोप में 'सर्फडम (serfdom)' के नाम से प्राचीन काल से उन्नीसवीं शताब्दी तक यह प्रथा अस्तित्व में रही है। बावरिया में सातवें शतक में किसानों को सप्ताह में तीन दिन जमीनदार के लिए जबरन् मजदूरी करनी पड़ती थी,^{१०४} अठारहवीं शताब्दी में हंगरी में वर्ष में ५२ दिन^{१०५} और १८३५ में इंग्लैण्ड में बलात् मजदूरी से ही 'स्थानिक रास्तों का निर्माण किया जाता था'।^{१०६}

भारत में भी प्राचीन या अर्वाचीन काल में विभिन्न प्रदेशों में बलात् मजदूरी की प्रथा 'कुरवी' के नाम से प्रचलित होने की सम्भावना है। अनेक बार कहा जाता है कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की इमारत इस प्रकार की बेगार से ही बनी है। इसमें कुछ भी तथ्य है, तो भी इस प्रथा का मूल कहा है, भारत में कितनी मात्रा में यह प्रचलित है, आदि विषय में बहुत गहरे अनुसन्धान की आवश्यकता है। केवल कहीं कहीं कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, उससे ही इस प्रकार के गंभीर विषयों के बारे में निर्णयात्मक रूप से कुछ कहना उचित नहीं है। अथवा यूरोप में यह प्रथा थी, इसलिए यहाँ भी होनी ही चाहिए, यह भी नहीं माना जा सकता है। इस के लिए अधिक ठोस जानकारी की आवश्यकता है।

इस प्रकार की कोई ठोस जानकारी पूर्व के समय की तो उपलब्ध नहीं है। यहाँ तो ब्रिटिश शासन में जो प्रथा प्रचलन में थी, उसीका वर्णन किया गया है। साथ ही यह

भी दर्ज करना चाहिए कि ब्रिटिश शासन में जो प्रथा अपनाई गई थी, वह शायद इससे पूर्व भी रही होगी, ऐसा अनुमान हम करते हैं, तो यह प्रथा व्यवहार में आते ही यहाँ के लोग अत्यन्त आश्चर्य चकित हो गए और भयभीत हो गए थे, यह भी उतना ही सत्य है।

भारत के कुछ भाग में अथवा समग्र भारत में गाँव के लोग यात्रियों का सम्मान करते थे। यह सम्मान केवल सेवाभाव से होता था। उसका कोई मूल्य नहीं लिया जाता था। परन्तु यह सब जबरन थोपा नहीं जाता था। परन्तु १८८१ में जब ब्रिटिशों ने आसाम में बलात् मजदूरी की प्रथा प्रारम्भ की, तब वहाँ यात्रियों की मेहमानदारी के लिए राजस्व की आय से ही कुछ राशि देने की व्यवस्था पहले से ही थी।^{१०७} ब्रिटिशों ने इस आर्थिक व्यवस्था को बन्द कर दिया। सेवाभाव और स्वेच्छा के स्थान पर जबरन मजदूरी करवाना प्रारम्भ किया। और ब्रिटिशों की सैनिक या मुल्की आवश्यकता इतनी अधिक थी कि ऐसी बलात् मजदूरी का कोई अन्त ही नहीं था। वस्तुतः उनका व्यवहार इतना कठोर और निर्दय था कि पूरी उन्नीसवीं शताब्दी में उसके कारण भय और आतंक का साम्राज्य व्याप्त था। पर्याप्त लम्बे समय तक यह प्रथा अस्तित्व में रही। उसको शासन का समर्थन भी मिला, कानून और प्रशासन भी उसके ऊपर मान्यता की मुहर लगाते रहे। परिणाम यह हुआ कि जब इस प्रकार के कानून निरस्त हो गए और बेगार पर प्रतिबन्ध लग गया, तब भी "उच्च" वर्ग की मानसिकता तो वैसी बनी रही। अतः आज भी हरिजन, आदिवासी इत्यादि के शोषण के रूप में, उनके साथ कठोर व्यवहार के रूप में यह प्रथा अपना अस्तित्व सूचित करती है। इस प्रथा को कानून का नहीं, परन्तु परम्परा का समर्थन प्राप्त होता रहता है।

दूसरे एक पहलू की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित होने की आवश्यकता है। वह है बहुत ऊँचा व्याज दर। ब्रिटिश शासन में दुर्बल वर्गों से और नवाब तथा राजाओं से भी ऊँचे दर पर व्याज वसूल किया जाता था। यदि राजा या नवाब ऐसे ऊँचे दर देने से इनकार करते थे, तो उनकी राजधानी के नगर अथवा राज्य में आतंक फैलाने की धमकी दी जाती थी। इस मुसीबत से राज्य को बचाने के लिए तजावुर के राजा जैसे व्याज का ऊँचा दर चुकाने के लिए कबूल हो जाते थे, ब्रिटिश फौज को रखना मान्य करते थे और इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो जाते थे।^{१०८}

निम्न स्तर में जुलाहे, किसान और अन्य कारीगरों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता था। भारत का नैतिक स्तर इस प्रकार का था कि एक बार किसी भी कारण से कर्ज लिया है, तो उसको किसी भी स्थिति में वापस चुकाना ही चाहिए, परन्तु ब्रिटिशों के इस व्यवहार के कारण इस नैतिक मूल्य को बहुत हानि हुई। ब्रिटिश किसी न किसी

बहाने जुलाहो को कुछ राशि देते थे, (बहुत ऊँचा व्याज लेते थे) परिणाम स्वरूप उनकी आवश्यकता के अनुसार कपड़ा बुनना जुलाहे अपना कर्तव्य मानते थे। परन्तु इससे जुलाहो का व्यवसाय ही नष्ट हो जाता था।^{१०९} अठारहवीं शताब्दी में अंग्रेजों की यह चालाकी क्रमशः बढ़ती ही गई। इस सम्बन्ध के उदाहरण इतने प्रसिद्ध हैं कि उसके अस्तित्व का प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

११

यह, और इस प्रकार की कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज छिन्न - विच्छिन्न हो गया, लोगों की आत्मगौरव की भावना नष्ट हो गई, भारत के मूल्य और स्तर गिर गये और अन्त में समाज दीन, हीन और मानसिक रूप से पराधीन हो गया। आगे भारत में असस्कारिता बढ़ती गई, हिंसा बढ़ती गई और अंग्रेजों ने कमजोर और शक्तिशाली वर्गों में व्यवस्थागत संघर्ष पैदा कर दिया। इस दीन हीन अवस्था ने आर्थिक सकट तो पैदा कर ही दिया, परन्तु सांस्कृतिक दरिद्रता भी उतनी ही बढ़ गई। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज का सन्तुलन बिल्कुल बिगड़ गया। इस विषय में विज्ञान का अग्रणी इतिहासकार स्व. ज्योर्ज सार्टन कहता है, 'पश्चिम के राष्ट्रों ने उनके पूर्व के बाधवों को गुलाम बनाने का और उनका शोषण करने का ही काम नहीं किया, उससे भी बहुत अधिक नुकसान किया है। वे पूर्व के आध्यात्मिक महत्त्व को समझ नहीं सके, इसलिए उस परम्परा से उनको वंचित कर देने के प्रयास उन्होंने किए। उनकी भौतिक सम्पत्ति को ही जीत लेने से उनको सन्तोष नहीं हुआ, तो वे उनकी आत्मा को जीत लेना चाहते थे। आज हम उनके लोभ और मूर्खता का मूल्य चुका रहे हैं।'^{११०}

इस प्रकार कई पीढ़ियों तक भयानक लूट चली। शारीरिक तौर पर कुछ दुर्बल माने जाने वाले समाज की यह लूट थी। आज भारतीय समाज के प्रत्येक पहलू में जो दूषितता दिखाई दे रही है, वह उसी का परिणाम है। समाज के एक समय के प्रतिष्ठाप्राप्त वर्ग को आज शिक्षा, निवास, स्वच्छता, सार्वजनिक उत्सव और मनोरंजन से वंचित रहना पड़ता है। इस स्थिति में उनकी कुशलता और मौलिक क्षमताओं का ह्रास होना स्वाभाविक है। उनके व्यवसायों की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। उनका मूल्य केवल आर्थिक सदर्भ तक सीमित रहा। राजनीति में उनका योगदान लगभग निःशेष हो गया। वर्णाश्रम व्यवस्था और वर्णों के वशानुक्रम के कारण नहीं, अपितु व्यवसायों की अप्रतिष्ठा के कारण आज की पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति की व्यवस्था का जन्म हुआ है और उनकी प्रतिष्ठा की हानि हुई है। आज ये पिछड़ी जातियाँ विगत डेढ़

सौ, दो सौ वर्षों में हुए नुकसान को, अपनी प्रतिष्ठा की खाई को पाटने के प्रयास करती है। उनके प्रयासों में आपत्तिजनक लगने वाली बातें होने पर भी उनकी यह प्रवृत्ति समझ में आती है। क्योंकि राजकीय दृष्टि से हम स्वतन्त्र हुए, उसके बाद गांधीजी को छोड़ अन्य किसी ने भी उनकी प्रतिष्ठा लौटाने का, उनके व्यवसायों को सम्मानजनक और उपयोगी बनाने का, और उनका मनुष्य के रूप में स्वीकार करने का प्रयास नहीं किया है।

इस समय विवादास्पद मानी जाने वाली बहुआमजदूरी की प्रथा बहुत भयावह लगती है, परन्तु दो सौ वर्षों में जो मानहानि हुई है, उसका वह एक कुरूप प्रतीक मात्र है। जैसे तो जरूरतमद व्यक्ति किसी से ऋण लेता है, और बदले में स्वयं बंधक होकर, मजदूरी करके ऋण चुकाने का प्रयास करता है तो वह अवमानना की स्थिति होते हुए भी तत्काल आवश्यकता उपस्थित होने पर लगभग सम्पूर्ण विश्व में प्रचलित प्रथा है। परन्तु इस अवमानना की स्थिति में फँसे लोगों को वशानुगत बन्धक ही मानना और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना तो दूषित समाज में ही सम्भव होने वाली बात है। दो सौ वर्षों में भारत की सामाजिक स्थिति इतनी दूषित हो गई है कि इस प्रकार का सम्भव है और स्वाभाविक भी है।

कुछ पीढ़ियों पूर्व मजदूरी की इस प्रकार की व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी, ऐसा नहीं है, परन्तु नीचे दिए गए १८४० के कोकण के ठेकेदारी के मजदूर के बानाखत से मालूम होता है कि उसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं था। एक करार इस प्रकार है,

‘चाकरी खत (नौकरी पत्र) शक १७६४, फाल्गुन शुक्ल पक्ष २’

ऋण देने वाले का नाम मलारा का अलादीन मीर खाजिया, ऋण लेनेवाले का नाम मलाकस का फकीर वालाद शेख दौसद। मैंने (कर्जदार) तुमसे (देनदारसे) मेरे विवाह हेतु ६१ सुरती रुपये उधार लिए हैं। अतः प्रतिमास ४ रुपये १ आना के हिसाब से पन्द्रह महीने तक तुम्हारे नौकर के रूप में रहना कबूल करता हूँ। मैं रात और दिन तुम्हारी नौकरी करूँगा। मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, तो नौकरी से प्राप्त राशि घटाकर शेष राशि व्याज के साथ भरूँगा। उक्त स्थान के वाला वालुद और बाला भावे इसके जामीन रहेंगे। यदि मैं राशि लौटाने में चूक करूँगा, तो वे मुद्दल और व्याज भरने के लिए कबूल होते हैं। व्याज सहित मुद्दल की रकम से, मेरे द्वारा की गई नौकरी की राशि कम की जाएगी। यह करार पत्र हम दोनों को बधनकर्ता रहेगा। हम यह करार अपनी स्वेच्छा से करते हैं। १११

दूसरा भी एक पत्र, थोड़े परिवर्तन के साथ, इस प्रकार है,

‘चाकरी खत, शक १७६४, शुभकृत, माघ शुक्ल पक्ष ७’

ऋण देनेवाले (वस्तु रखकर पैसे देने वाले) का नाम रणछोड़ गोविंदजी पटेल। रहवासी मलार। कर्जदार का नाम धरमा बिन माधो नावील, रहवासी मलार। मैंने (कर्जदारने) तुमसे (देनदार से) सुरती चलन के ५१ रूपए मेरे विवाह हेतु लिए हैं। प्रति वर्ष दस रूपये के हिसाब से मैं पाँच वर्ष तक तुम्हारी चाकरी करने के लिए बधा हूँ। जब तक राशि भरपाई नहीं होती, तब तक रात दिन मैं चाकरी करूँगा। तब तक रीति के अनुसार तुम्हें मुझे अन्न वस्त्र देना है। जामीन के रूप में मैं इसी गाव के पोथुराव बिन केशव रावल, मधो बिन हाजी रावल और गुणो बिन मनु रावल को नियुक्त करता हूँ। ये तीनों सामूहिक या अलग अलग इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं धर्मा यदि चाकरी खत के अनुसार व्यवहार नहीं करता हूँ, तो वे इन शर्तों का पालन करेंगे और वे भी शर्तों का पालन नहीं करते हैं, तो मेरे द्वारा की गई चाकरी को रद्द मानकर, मेरे द्वारा ली गई रकम व्याज के साथ लौटाने के लिए मैं बधा हूँ। मुझे ५१ रूपए नकद मिले हैं। हम इस खत को साथ मिल कर और हमारी इच्छा से लिखते हैं।^{११२}

१२

ऐसा कहा जाता है, कि भारत में और भी एक प्रथा प्रचलन में थी। वह थी ‘कृषक गुलामी’। यह शब्द यूरोप के ‘सर्फडम’(Serfdom) शब्द से बना है। परन्तु अठारहवीं शताब्दी में जब भारत में जमीन की मालिकी, अधिकार इत्यादि की और निरकुश बिक्री और नीलाम की नई संकल्पनाएँ पविष्ट हुईं, तब यह ‘कृषक गुलामी’ की प्रथा भी लागू की गई। पूर्व में बताया गया है, तदनुसार भारत में खेतमजदूरों की प्रथा अलग थी, उसकी सगठनात्मक रचना अलग थी। उस रचना के अनुसार जमीन जोतनेवाले को वशानुगत अधिकार प्राप्त थे, परन्तु वे अधिकार किसानों की जाति की मान्यता के अधीन थे। उसको जोतने के लिए वश परंपरा से अधिकार होते हुए भी, उसको बेचना या बदलना किसान अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। कभी कभी तो उनकी जाति से भी अधिक वे पूरे गाँव की मान्यता के अधीन थे। जब ब्रिटिशों ने उनकी नई संकल्पनाएँ लागू की, तब किसानों के अधिकारों में परिवर्तन होते हुए भी, जिस गाँव में वे और उनके पूर्वज हजारों नहीं, तो सैकड़ों वर्षों से रहते थे, उस गाँव को छोड़ने की वे कल्पना तक नहीं कर सकते थे। परन्तु ब्रिटिश मानस को तो नियम के अनुसार मालिकी का अधिकार बदलने के बाद भी, उस जमीन पर उनका रहना, यूरोपीय सर्फडम (Serfdom) जैसा ही लगता था। उसको उन्होंने ‘कृषक गुलामी’ का

नाम दिया था।^{११३}

इस प्रकार खेती करनेवाली अधिकांश प्रजा को 'कृषक गुलामों' की जमात में रख दिया गया। बाद में ब्रिटिशों ने विशेष रूप से मलबार क्षेत्र में 'गैर कृषक गुलामी' की प्रथा के विषय में भी लिखना प्रारम्भ किया। उसकी पूरी सम्भावना है कि ब्रिटिशों के आने से पूर्व भी पूरे भारत में अथवा भारत के कुछ भाग में इस प्रकार की गुलामी अस्तित्व में थी।^{११४} परन्तु सम्भावना इस बात की अधिक है कि इस प्रकार की गुलामी की प्रथा अधिक प्राचीन नहीं होकर सन् १५०० के बाद भारत के पश्चिम समुद्री किनारे के क्षेत्रों के यूरोपीय लोगों के सम्पर्क में आने के बाद अस्तित्व में आई हो। यह तो बहुत प्रसिद्ध बात है कि सोलहवीं शताब्दी में दक्षिण और मध्य आफ्रिका से लोगों को पकड़ने का, उन्हें गुलाम बनाने का और गुलाम के रूप में बेचने का व्यवसाय यूरोपीय लोगों के लिए बहुत लाभ देने वाला व्यवसाय बन गया था। ऐसे अनेक गुलामों को भारत में भी लाया जाता था। जिस प्रकार अन्य अनेक मूल यूरोपीय प्रथाएँ और चीजवस्तुएँ भारत में लागू की गई थीं, उसी प्रकार से गुलामी की प्रथा भी यूरोप से भारत में आयात हुई हो, इसमें कोई नवीनता नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में कभी किसी प्रकार की गुलामी अस्तित्व में नहीं थी।^{११५} सन् १२०० के बाद भारत के मुसलमान शासक आफ्रिका के लोगों को गुलाम बना कर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लाने लगे। यहाँ, इतना ही सूचित करने का प्रयोजन है कि ब्रिटिश जिसको 'कृषक गुलामी' कहते थे और भारत में अत्र तत्र जो गुलामी की प्रथा थी, उस विषय में गहन शोध की आवश्यकता है।

फिर भी, ब्रिटिश भारत में आए, उससे पूर्व समाज के कमजोर और शक्तिशाली वर्गों के, या व्यक्ति और समाज के अथवा अन्यान्य समाजों के जिस प्रकार के भी सम्बन्ध रहे हो, तब भी एक बात निश्चय रूप में सच है कि ब्रिटिशों के आने के बाद राजकीय अधीनता के परिणामस्वरूप ये सबध पूर्णरूप से दूषित हो गए। ब्रिटिश शासन में समाजरचना की नई सकल्पनाएँ और पद्धतियाँ अत्याचारपूर्वक लागू की गई थीं। भारतीय जीवन पर उसका बहुत ही घातक और छिन्नविच्छिन्न कर देनेवाला प्रभाव हुआ। विभिन्न वर्गों में किसी प्रकार का संघर्ष अथवा ऊँचनीच का भेदभाव पूर्व में भी रहा होगा, फिर भी आज जो बर्बरता और शोषण दिखाई देते हैं, वह ब्रिटिश भले ही कहे कि बहुत वर्षों से है, तब भी प्रमुख रूप से इन दो सौ वर्षों के अंग्रेजी शासन की ही देन है। यह सही है कि सन् १९४७ के बाद भारतीय शासन ने विचारहीनतापूर्वक अंग्रेजों की ही व्यवस्थाएँ, रचनाएँ और सकल्पनाएँ आगे चला रखी हैं। उसके परिणाम स्वरूप यह

‘चाकरी खत, शक १७६४, शुभकृत, माध शुक्ल पक्ष ७’

ऋण देनेवाले (वस्तु रखकर पैसे देने वाले) का नाम रणछोड गोविंदजी पटेल। रहवासी मलार। कर्जदार का नाम धरमा बिन माधो नावील, रहवासी मलार। मैंने (कर्जदारने) तुमसे (देनदार से) सुरती चलन के ५१ रूपए मेरे विवाह हेतु लिए हैं। प्रति वर्ष दस रूपये के हिसाब से मैं पाँच वर्ष तक तुम्हारी चाकरी करने के लिए बंधा हूँ। जब तक राशि भरपाई नहीं होती, तब तक रात दिन मैं चाकरी करूंगा। तब तक रीति के अनुसार तुम्हें मुझे अन्न वस्त्र देना है। जामीन के रूप में मैं इसी गाव के पोथुराव बिन केशव रावल, मधो बिन हाजी रावल और गुणो बिन मनु रावल को नियुक्त करता हूँ। ये तीनों सामूहिक या अलग अलग इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं धर्मा यदि चाकरी खत के अनुसार व्यवहार नहीं करता हूँ, तो वे इन शर्तों का पालन करेंगे और वे भी शर्तों का पालन नहीं करते हैं, तो मेरे द्वारा की गई चाकरी को रद्द मानकर, मेरे द्वारा ली गई रकम व्याज के साथ लौटाने के लिए मैं बंधा हूँ। मुझे ५१ रूपए नकद मिले हैं। हम इस खत को साथ मिल कर और हमारी इच्छा से लिखते हैं।^{११२}

१२

ऐसा कहा जाता है, कि भारत में और भी एक प्रथा प्रचलन में थी। वह थी ‘कृषक गुलामी’। यह शब्द यूरोप के ‘सर्फडम’(Serfdom) शब्द से बना है। परन्तु अठारहवीं शताब्दी में जब भारत में जमीन की मालिकी, अधिकार इत्यादि की और निरकुश बिक्री और नीलाम की नई संकल्पनाएँ प्रविष्ट हुईं, तब यह ‘कृषक गुलामी’ की प्रथा भी लागू की गई। पूर्व में बताया गया है, तदनुसार भारत में खेतमजदूरों की प्रथा अलग थी, उसकी सगठनात्मक रचना अलग थी। उस रचना के अनुसार जमीन जोतनेवाले को वशानुगत अधिकार प्राप्त थे, परन्तु वे अधिकार किसानों की जाति की मान्यता के अधीन थे। उसको जोतने के लिए वश परंपरा से अधिकार होते हुए भी, उसको बेचना या बदलना किसान अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। कभी कभी तो उनकी जाति से भी अधिक वे पूरे गाँव की मान्यता के अधीन थे। जब ब्रिटिशों ने उनकी नई संकल्पनाएँ लागू की, तब किसानों के अधिकारों में परिवर्तन होते हुए भी, जिस गाँव में वे और उनके पूर्वज हजारों नहीं, तो सैकड़ों वर्षों से रहते थे, उस गाँव को छोड़ने की वे कल्पना तक नहीं कर सकते थे। परन्तु ब्रिटिश मानस को तो नियम के अनुसार मालिकी का अधिकार बदलने के बाद भी, उस जमीन पर उनका रहना, यूरोपीय सर्फडम (Serfdom) जैसा ही लगता था। उसको उन्होंने ‘कृषक गुलामी’ का

नाम दिया था।^{११३}

इस प्रकार खेती करनेवाली अधिकांश प्रजा को 'कृषक गुलामों' की जमात में रख दिया गया। बाद में ब्रिटिशों ने विशेष रूप से मलबार क्षेत्र में 'गैर कृषक गुलामी' की प्रथा के विषय में भी लिखना प्रारम्भ किया। उसकी पूरी सम्भावना है कि ब्रिटिशों के आने से पूर्व भी पूरे भारत में अथवा भारत के कुछ भाग में इस प्रकार की गुलामी अस्तित्व में थी।^{११४} परन्तु सम्भावना इस बात की अधिक है कि इस प्रकार की गुलामी की प्रथा अधिक प्राचीन नहीं होकर सन् १५०० के बाद भारत के पश्चिम समुद्री किनारे के क्षेत्रों के यूरोपीय लोगों के सम्पर्क में आने के बाद अस्तित्व में आई हो। यह तो बहुत प्रसिद्ध बात है कि सोलहवीं शताब्दी में दक्षिण और मध्य आफ्रिका से लोगों को पकड़ने का, उन्हें गुलाम बनाने का और गुलाम के रूप में बेचने का व्यवसाय यूरोपीय लोगों के लिए बहुत लाभ देने वाला व्यवसाय बन गया था। ऐसे अनेक गुलामों को भारत में भी लाया जाता था। जिस प्रकार अन्य अनेक मूल यूरोपीय प्रथाएँ और चीजवस्तुएँ भारत में लागू की गई थीं, उसी प्रकार से गुलामी की प्रथा भी यूरोप से भारत में आयात हुई हो, इसमें कोई नवीनता नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में कभी किसी प्रकार की गुलामी अस्तित्व में नहीं थी।^{११५} सन् १२०० के बाद भारत के मुसलमान शासक आफ्रिका के लोगों को गुलाम बना कर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लाने लगे। यहाँ, इतना ही सूचित करने का प्रयोजन है कि ब्रिटिश जिसेको 'कृषक गुलामी' कहते थे और भारत में अत्र तत्र जो गुलामी की प्रथा थी, उस विषय में गहन शोध की आवश्यकता है।

फिर भी, ब्रिटिश भारत में आए, उससे पूर्व समाज के कमजोर और शक्तिशाली वर्गों के, या व्यक्ति और समाज के अथवा अन्यान्य समाजों के जिस प्रकार के भी सम्बन्ध रहे हों, तब भी एक बात निश्चय रूप में सच है कि ब्रिटिशों के आने के बाद राजकीय अधीनता के परिणामस्वरूप ये सब पूर्णरूप से दूषित हो गए। ब्रिटिश शासन में समाजरचना की नई सकल्पनाएँ और पद्धतियाँ अत्याचारपूर्वक लागू की गई थीं। भारतीय जीवन पर उसका बहुत ही घातक और छिन्नविच्छिन्न कर देनेवाला प्रभाव हुआ। विभिन्न वर्गों में किसी प्रकार का संघर्ष अथवा ऊँचनीच का भेदभाव पूर्व में भी रहा होगा, फिर भी आज जो बर्बरता और शोषण दिखाई देते हैं, वह ब्रिटिश भले ही कहे कि बहुत वर्षों से है, तब भी प्रमुख रूप से इन दो सौ वर्षों के अंग्रेजी शासन की ही देन है। यह सही है कि सन् १९४७ के बाद भारतीय शासन ने विचारहीनतापूर्वक अंग्रेजों की ही व्यवस्थाएँ, रचनाएँ और सकल्पनाएँ आगे चला रखी हैं। उसके परिणाम स्वरूप यह

सघर्ष, तथा कथित निम्न वर्ग के शोषण और उसके वर्बर स्वरूप में वृद्धि ही हुई है।

इसलिए, हमें समझना ही चाहिए कि दीन, दुःखी और वंचित लोगो की सहायता अवश्य करनी चाहिए, परन्तु वह मात्र तत्काल निर्माण की गई व्यवस्था के स्वरूप की ही हो सकती है। वह कोई स्थायी उपाय नहीं है। आज की बहुआ मजदूरो की प्रथा भारत के लोगो को गरीब, दया और दान के पात्र तथा विकास के योग्य मानने का विचार, ये सरलता से सुलझनेवाले प्रश्न नहीं हैं, तत्काल उपायो से इनका हल निकलनेवाला नहीं है, जब तक उनके मूल में रहनेवाले विचार, ख्याल और सकल्पनाओ को समझे नहीं, तब तक भारत में निश्चित रूप से कुछ भी उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। क्योंकि यह वर्गसघर्ष अथवा कमजोरो के प्रति कठोर, क्रूर और अत्याचारी बनने का विचार मात्र ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं है, नगरीय क्षेत्र में तो यह अधिक है और महानगरो में तो यह अत्यंत भयकर स्वरूप में है, क्योंकि अत्याचार के साथ-साथ वहाँ अपेक्षा और सम्बन्ध का बिलकुल अभाव भी है। भारत की सही समस्या तो है शिक्षित, प्रबुद्ध और शक्तिशाली वर्ग और ससाधन रहित फिर भी परिश्रमी ऐसे विशाल वर्ग के बीच पड़ी हुई गहरी खाई। एक वर्ग ने तो जीवन के सभी क्षेत्रों में विदेशी व्यवस्थाएँ प्रस्थापित कर दी हैं, यहाँ तक कि उनके शौचालय भी विदेशी हैं, जब कि दूसरा वर्ग ससाधनरहित परन्तु परिश्रमी है, परन्तु ये नई व्यवस्थाएँ उसके लिए भी एक न सुलझायी जा सके ऐसी पहली है, जिसका उनको भय लगता है। शहर के शिक्षित व्यक्ति के द्वारा बनाई गई पगडडी पर गाँव का शिक्षित व्यक्ति चलने का प्रयास कर रहा है। इस मूलभूत प्रश्न को हम समझे, उस ओर ध्यान दे, तभी कुछ व्यावहारिक उपाय मिलेगा, और लगभग २६ लाख जितने बहुआ मजदूरो के प्रश्न के साथ साथ अनेक प्रकार की समस्याओ से हम मुक्त होंगे।

सन्दर्भ

- १ एडम स्मिथ (वेल्थ ऑव नेशन्स्, १८६५, पृ १२७, ६४७, ७८८)। भारत में खेतमजदूरों की मजदूरी का प्रतिशत अधिक था और किसान के द्वारा दिया जाने वाला भू राजस्व कुल पैदावार के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं था। ब्रिटिश हुकूमत से पूर्व स्थिति ऐसी थी। ब्रिटिशरो ने इस भू राजस्व को बढ़ाकर पचास प्रतिशत कर दिया। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मजदूरी कम करने के प्रयासों के बाद भी सन् १८०० के आसपास भारत के खेतमजदूरों की मजदूरी उस समय के इंग्लैंड के मजदूर से अधिक ही थी। (एडिन बरो रिव्यू, १८०३) ब्रिटिश चित्रकार विलियम होजीस के यात्रा वर्णन में सन् १७८० के समय के भारत के वाराणसी-बिहार क्षेत्र के ग्रामीण जीवन का वर्णन परिशिष्ट 'क' में दिया गया है।

- २ इस प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कोमन्स में सन् १८९३ के जून २२ और जुलाई १ को दिए गए भाषणों में देखी जा सकती है। ये भाषण 'हेन्सार्ड' (Hansard) में प्रकाशित हुए हैं। जिस पर यह चर्चा हुई थी, उस चार्टर बिल की धारा १३ इस प्रकार थी। 'इस समिति का मत है कि ब्रिटिश आधिपत्यवाले भारत के देशी निवासियों के सुख और कल्याण की चिन्ता करना इस देश का कर्तव्य है। इन में धार्मिक और नैतिक सुधार हो, उन्हें कुछ उपयोगी ज्ञान प्राप्त हो इस हेतु उपाय होने चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ कोई भी व्यक्ति भारत जाना और वहाँ रहना चाहे, तो उसे कानूनी सुविधाएँ मिलनी चाहिए।'
- इससे पूर्व की धारा १२ कहती है,
- 'इस समिति का मत है कि इस्ट इन्डिज के ब्रिटिश प्रदेशों में स्थापित किए गए चर्च को एक विशप और तीन सहायकों के अधिकार में रखा जाए और भारत से प्राप्त होनेवाले राजस्व की आय से इनका खर्च चलाया जाए।'
- ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कोमन्स में १८९३ में हुई इस लम्बी चर्चा के और टोमस बेबिंग्टन मेकाले और जेम्स मिल के भाषण और लेख इसी लेखक के 'भारत की बदनामी और लूट' (Despoliation and defaming of India, The Early Nineteenth Century British Crusade) में दिए गए हैं। (पुनरुत्थान, २००७)
- ३ जानकारी के लिए देखिए इसी लेखक का 'रमणीय वृक्ष अठारहवीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा' (पुनरुत्थान २००७)
- ४ देखिए अन्वियों के साथ आर्थर स्टील 'मुबई प्रेसिडेन्सी के दिवानी मुकद्दमे में प्रयुक्त दक्षिण के प्रदेश के हिन्दू कानून और रीतिरिवाज, (The Law and custom of Hindoo castes within The Dekkan Provinces subject to The Presidency of Bombay Chiefly effecting civil suits) मुबई, १८२७
- ५ एफ पेलसार्ट जहागीर का भारत (Jehagir's India), भाषान्तर और सम्पादन डबल्यु एच मोरलेन्ड, १८२५ पृ ६०
- ६ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ़ स्कॉटलैंड एम एस ८३२६ जेम्स स्टुअर्ट के कागज हैदराबाद के जीवन का वर्णन (A Description of Life in Hyderabad) एलेक्स रीड, नवम्बर १७७९
- ७ ब्रिटिश म्यूजियम वेलेस्ली के कागज मैसूर कमिशन के कागज (Papers of The Mysore commission) १७९९
- ८ आई ओ आर राजपूताना ड्राफ्ट्स एन्ड, प्री कोम (Rajpootana Drafts and Pre Com) १८२९-३०, राजकीय और विदेशी (वापिस लिये हुए) पृ ७८, १८१/ एम
- ८ ब्रिटिश म्यूजियम वेलेस्ली के कागज मैसूर कमिशन के कागज , १७९९
- १० एडम स्मिथ दि वेल्थ ऑफ़ नेशन्स (The wealth of Nations) मोडर्न लाइब्रेरी न्यूयॉर्क, १९६५ पृ ७४
- ११ सन् १५०० से १८०० तक के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी समाप्त हो गए, इस विषय की सामग्री विपुल मात्रा में उपलब्ध है। १९६६ का विद्वत्पूर्ण अध्ययन दर्शाता है कि सन् १५०० में अमेरिका के मूल निवासियों की संख्या लगभग ८० से ११२ मिलियन अर्थात् ८ से ११२ करोड़ थी। पूरे यूरोप की कुल संख्या से भी यह संख्या बड़ी थी। (करन्ट एन्थ्रोपोलोजी Current Anthropology) खण्ड ७, क्रम ४, अक्टूबर १९६६, पृ ३९५,

४४९ 'अमेरिका के मूल निवासियों का अनुमान Estimating Aboriginal American population हेनरी एफ डोबिन्स'

- १२ अठाहरवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से सम्बन्धित अधिकांश इतिहासग्रन्थ यह जानकारी देते हैं। एडम स्मिथ (वेल्थ ऑव नेशन्स पृ ४९३) के मतानुसार धान की फसल पर ब्रिटिशों के कुछ अनुचित नियमों के कारण और अन्यायी बन्धनों के कारण हुई कमी अकाल में परिणत हुई।
- १३ ब्रिटिश कालखण्ड के विवरणों के साथ साथ इतिहास की पुस्तकों और सरकार के विवरण भी अकाल के वर्ष, क्षेत्र, व्याप, और मृत्यु के आंक की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यह सब प्रकाशित हुआ है और उपलब्ध है।
- १४ उदाहरण के रूप में हाउस ऑव कॉमन्स के कागज देखिए १८१२, खण्ड ७, पाँचवाँ विवरण, पृ १६
- १५ आई ओ आर फ्रान्सिस फिलिप के कागज, बंगाल प्रान्त की सरकार के लिए योजना (A Plan For The Government of the Provinces of Bengal) रोबर्ट क्लाइव १७७२ पृ ४, पादटीप, साथ ही देखिए 'बारामहाल रेकोर्ड्स' Baramahal Records १७९२-९९ खण्ड २१, पृ ११७-११८, जहाँ सूचित किया गया है कि इंग्लैंड और वेल्स के खेतमजदूरों की कमाई कुल पैदावार के १८ प्रतिशत थी।
- १६ १७७०-१७९० के बंगाल रेवन्यू विवरण (Bengal Revenue Report) में और १८१२ के पाँचवें विवरण में इस विषय पर चर्चा हुई है।
- १७ जे एस मिल मेमोरियल एन्ड पीटीशन फ्रॉम दि कोर्ट ऑव डायरेक्टर्स ऑव दि इस्ट इंडिया कम्पनी टु ब्रिटिश पार्लियामेंट (Memorial and Petition From The Court of Directors of The East India Company To British Parliaments) १८५८
- १८ ११ फरवरी १८०१ को मद्रास भेजे गए रेवन्यू पत्र में जमींदारी स्थापित करने के लिए तर्क प्रस्तुत किया गया है।
- १९ आई ओ आर बंगाल के रेवन्यू बोर्ड की कार्यवाही पी/५२/२३, पृ ३७०-३८१ और पी ५२/४७, पृ ६०१-१८ (परिशिष्ट 'ख' में इस से उदाहरण दिया गया है।)
- २० हाउस ऑव कॉमन्स के कागज १८१२, खण्ड ७, पाचवा वृत्त।
- २१ 'समुदायम्' व्यवस्था के विस्तृत वर्णन मद्रास प्रेसिडेन्सी के प्रारम्भ के राजस्व विवरण में मिलते हैं। तजावुर के जिलाधीश के १८०५ के विवरण के अनुसार जिले के ५७८३ गावों में १७७४ समुदाय गाव थे। लेखक के 'मद्रास पचायत पद्धति' में परिशिष्ट ४ में तजावुर के गाव का वर्णन दिया गया है, (पुनरुत्थान २००७) १७८३ का एलेकजेन्डर डालरिम्पल का और १७९९ का रामनाथपुरम विषयक विवरण परिशिष्ट 'ग' और 'घ' में दिया गया है।
- २२ गवर्नर जनरल लोर्ड विलियम बैण्टिक (१८३२) के मतानुसार उत्तर भारत के 'भाईचारा' गाव और मद्रास प्रेसिडेन्सी के 'समुदायम्' गाँव लगभग समान रूप से गठित हैं। बैण्टिक के वृत्त का अनुच्छेद ५४ कहता है, 'भाईचारा' गाव का स्वरूप ३१ दिसम्बर १८२४ की सर टॉमस मनरो की टिप्पणी के नौवें अनुच्छेद के वर्णन के अनुसार ही है। वे कहते हैं, 'एलिस के कथनानुसार आर्कोट गाव की पूरी जमीन समुदाय के अधिकार में थी। यह सामुदायिक अधिकार अनेक रेवन्यू अधिकारियों की प्रशंसा को प्राप्त हुआ है। उसका विभाजन करके व्यक्तियों का स्वामित्व स्थापित करना देश पर आपत्ति लाने के समान माना जाता है।'

२३ १९५७ में पचायत राज लागू किया गया, इसके बाद भी राजस्थान में इस प्रकार की गांव के भिन्न भिन्न समूहों के प्रतिनिधियों की बनी हुई पचायत काम करती थी। १९६१ में अवार्ड का अध्ययन समूह जब राजस्थान गया, तब उसी जानकारी मिली कि सिचाई तालाबों की सुरक्षा अथवा पचायत घर के लिए फंड एकत्रित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी पुरानी दीस बिस्वा पचायत करती थी, न कि कानून द्वारा स्थापित नई पचायत।

२४ सन् १८०० के बाद विभिन्न प्रेसिडेन्सियों में जमीन का नीलाम और विक्री, बड़ी मात्रा में किसानों का जमीन का स्वामित्व छीन लेने के और भूमिहीन और भिखारी बनाए गए किसानों का एक बड़ा वर्ग निर्माण करने के सम्बन्ध में सरकारी टिप्पणियाँ बहुत बड़ी मात्रा में मिलती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होने से पूर्व यहाँ के किसानों का मिरासदारों जैसा अधिकार था। अलग अलग क्षेत्र की टिप्पणियों में यह तथ्य स्पष्ट रूप से निरूपित है। उदाहरण के लिये तजावुर जिले में जमीन के टुकड़े किये जाने के ३०-४० वर्ष बाद भी मिरासदारों की कुल सख्या ६२,०४८ थी, जिसमें से १७,१४९ ब्राह्मण और १,४५७ मुसलमान थे। (तमिलनाडु स्टेट आर्काइव्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कार्यवाही, खण्ड ४०७, २०-५-१८०५, पृ ३४८८-८९)

चेंगलपट्टु जिले में (१७६० से १७९५ के दौरान वह जागीर के रूप में पहचाना जाता था। इस कालखण्ड में यहाँ का जनजीवन अत्यन्त बिखर गया था) ८,३८७ मिरासदार थे और वे १५,९९४ हिस्सों का स्वामित्व रखते थे। चेंगलपट्टु का जिलाधीश ६-६-१७९९ के अपने विवरण में सूचित करता है,

‘मिरासदारों की ८,३०० की सख्या कम लगती है, परन्तु इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि केवल परिवार का ज्येष्ठ व्यक्ति ही मालिक के रूप में अपना नाम गिनता है, उसके नाम में ही परिवार के सभी सभ्यों के नाम समाविष्ट होते हैं, और वह सख्या दर्शाई गई सख्या से दस गुनी अधिक हो सकती है।’ (हाउस कॉमन्स के कागज, १८१२, जेड एल प्लेस का ‘जागीर विषयक वृत्त’ अनुच्छेद ३४७)।

बारामहाल (१७९२-९९) में ६,००,००० की कुल जनसख्या में खेती करने वाले ‘परिया’ की सख्या ३२,४७४ थी। अन्य व्यवसाय करने वालों की सख्या ३६,४७८ थी। (बारामहाल रेकोर्ड - Baramahal Records), खण्ड ३ पृ ७

२५ उदाहरण के रूप में देखिए (तमिलनाडु स्टेट आर्काइव्स पब्लिक सन्ड्रीज खण्ड १२१ टोमस मनरो का पत्र एरीड को १३-१२-१७९३), ब्रिटिश आधिपत्य के तुरन्त बाद ही जुलाहों का विरोध, हेनरी गोजर अ पर्सनल नेरेटीव ऑव टु यर्स इम्प्रीजनमेन्ट इन बर्मा १८२४-२६) (A Personal Narrative of Two Years Imprisonment in Burma १८२४-२६)। डबल्यू बोल्ट के मतानुसार ‘भारत के विषय में विचार’ (Consideration of Indian) में बंगाल के जुलाहे अब इस प्रकार के करार से बंधने के लिए असमर्थ हो गए तब जबर्दस्ती रेशम बुनने के लिये विवश न होने के उद्देश्य से उन्होंने अपने आँठे काट दिए।’

२६ वेब, सिडनी और बिएट्रीस ‘द हिस्ट्री ऑव ब्रिटिश ट्रेड युनियनिज्म, (The History of British Trade Unionism) १९२० में मजदूर, कारीगर आदि के समूह को गैरकानूनी घोषित करने के उद्देश्य से इंग्लैंड में १७७० में प्रारम्भ करके एक के बाद एक जो कदम उठाए गए, उसका विस्तृत वर्णन किया गया है।

- २७ वही, पृ ५६, वेब के मतानुसार '१८०८ में इंग्लैण्ड के करघे पर काम करने वाले जुलाहों को दस वर्ष तक मिलती थी, उसके तीसरे भाग की मजदूरी मिलने लगी।'
- २८ ब्रिटिश म्यूझीयम लिवरपूल के कागज एड एम एस ३८४१३ देसी नोकरा के लिये नियम बगाल की निरीक्षण समिति की कार्यवाही, १३-५-१७६६
- २९ वही, ३०-१०-१७६६, गौरव के पदों का क्रम स्थापित करने के विषय में कोलकता के निवासियों द्वारा होने वाले पालकी के उपयोग को प्रतिबन्धित करने के विषय में
- ३० पश्चिम बगाल स्टेट आर्काइव्ज राजस्व विभाग की कार्यवाही १९-५-१८४७,
- ३१ तमिलनाडु स्टेट आर्काइव्ज राजस्व विभाग रेवेन्यू बोर्ड की कार्यवाही १२८४, १६-५-१९१६, विविध विभाग, सेटलमेंट विभाग, सन्दर्भ विहार और उड़ीसा के जमीन रेकार्ड के नियामक का २९-२-१९१६ का पत्र क्रमांक १७५ टी।
- ३२ वही, पृ २
- ३३ तमिलनाडु स्टेट आर्काइव्ज राजस्व विभाग ८७५, १९ अप्रैल, १९१६ 'पचम तथा अन्य मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति की जाच', पृ २
- ३४ नेशनल लाइब्रेरी ऑव वेल्स एम एस ५४७६, १७८८ के लिए विलियम जोन्स की ग्रान्ड ज्यूरी में नियुक्ति।
- ३५ आई ओ आर मद्रास रेवेन्यू बोर्ड की कार्यवाही, दिसम्बर, १७९६ और जनवरी, १७९७, जिलाधीश प्लेस बोर्ड को लिखता है, 'मुझे तीनो मुकादमों को दो दर्जन कोड़े मारने का दण्ड आवश्यक लगा।'
- ३६ आई ओ आर मुर्शिदाबाद की रेवेन्यू काउन्सिल की कार्यवाही (मुद्रित) २१-१-१७७१
- ३७ आई ओ आर ओमें सग्रह एम एस १६, पृ ४६६३-४, इलाहाबाद में कोर्ट मार्शल, १३-६-१७६६
- ३८ बगाल और मुबई प्रेसिडेन्सी के रेकार्ड में 'विरोध' के उदाहरण अधिक मात्रा में उल्लिखित हैं। १७९५ से बगाल में 'विरोध' फौजदारी अपराध माना जाने लगा।
- ३९ आई ओ आर रेवेन्यू विभाग, बगाल, ३-११-१७७२, 'न्याय व्यवस्था की योजना' - १५-८-१७७२, विभाग ३५
- ४० आई ओ आर जोनाथन डकन को विलियम जोन्स का पत्र, डकन वाराणसी में ब्रिटिश रेसीडेन्ट था। डकन जब मुबई का गवर्नर बना, तब उसने ही इसका वर्णन किया था।
- ४१ नेशनल लाइब्रेरी ऑव वेल्स विलियम जोन्स के कागज मद्रास के जिलाधीश एफ डबल्यू एलिस के भाषण और लेख।
- ४२ युनिवर्सल हिस्ट्री (१७५०), एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका (१८००) और एम एस एस १७५३ (बोडलेन, ऑक्सफर्ड) के अनुसार भारत में अठारहवीं शताब्दी में सामान्य रूप से दहेज का प्रचलन नहीं था।
- ४३ बगाल प्रेसिडेन्सी में अधिकृत रूप से वर्णित 'सती' घटनाओं का बड़ा हिस्सा सन् १८१५ में सबसे कम ३७८ और अधिक से अधिक १८१८ में ८३९ था। १८१५ से १८२६ के दौरान यह सख्या ५००-६०० की है। बगाल में सबसे अधिक अक कोलकता विभाग का है। वाराणसी, ढाका और पटना में क्रमशः कम है। मुम्बई प्रेसिडेन्सी की दर्ज की गई सख्या

- (१८२० में सर्वाधिक - ६७) में अधिकांश दक्षिण कोकण की है। मद्रास प्रेसिडेन्सी में सख्या इससे भी कम है। (१८१५ में ८०, १८१८ में १८३, १८२० में १७, १८२१ में ७)। इसमें बड़ी घटनाएँ गजाम, मसूलीपट्टम, विशाखापट्टनम और तजावुर में घटी हैं।
- ४४ ग्यारहवीं शताब्दी के बाद इंग्लैंड पर आधारित अनेक इतिहास देखिए। साथ ही देखिये 'मेकिंग ऑफ द फोर नेशन्स (Making of The Four Nations) पृ ४२, ४३
- ४५ जॉन लॉक टु ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट (Two Treaties of Government) सम्पादन लेस्लेट, केम्ब्रिज प्र १९६७, जेरेमी रिफिकिन के 'एन्ट्रोपी ए न्यू वर्ल्ड व्यू (Entropy A New world view)' में उद्धृत, दि वाइकिंग प्रेस, न्यूयॉर्क, १९८०, पृ २६
- ४६ लन्दन, पब्लिक रेकोर्ड ऑफिस ३०-५-५४-२, पृ २८७-२९०
- ४७ वही
- ४८ एडिनबरो यूनिवर्सिटी सर जॉन मेकफरसन को एडम फर्ग्युसन के पत्र (१७७३-१८०८), ३-११-१७७३ का पत्र
- ४९ इस्ट इंडिया कम्पनी के कामकाज के विषय में प्रकाशित ब्रिटिश विवरणों में यह जानकारी मिलती है। १७६० से १८६० के समय में मिलने वाले विवरणों की मात्रा अधिक है। उदाहरण के रूप में एल सधरलेन्ड और सी एच फिलिप्स के लेख।
- ५० जी केनन 'विलियम जोन्स', खण्ड २, एडमड बर्क को जोन्स का पत्र, १७-३-१७८२, पृ ५२०-५२३,
- ५१ ब्रिटिश म्यूजियम एड एम एस ४८२२५ मोर्ले कागज प्रथम लॉर्ड मोर्ले को एम्हर्स्ट का पत्र ११-१२-१८२४ और २६-१२-१८२४, पृ १०८-१११ और ११२-११३
- ५२ आइ ओ आर मोन्स्ट्रुअर्ट एल्फिन्स्टन के कागज स्ट्रेची को एल्फिन्स्टन का पत्र, २३-११-१८२१
- ५३ वही, स्ट्रेची को एल्फिन्स्टन का पत्र, २२-१२-१८२२
- ५४ एम मार्टिन (सम्पादन) दि डिस्पैचीज, मिन्ट्स एन्ड कोरसपोन्डन्सीज ऑफ मार्क्विस् वेल्लेस्ली (The Dispatches Minutes and correspondences of Marquis Wellesley) पू खण्डों में १८३६-३७ में प्रकाशित, खण्ड २, पृ ५८-५९
- ५५ तमिलनाडु स्टेट आर्काइव्स रेवन्यू बोर्ड विविध, खण्ड ३८, क्रमांक १७९१, १५-८-१८०१, अनुच्छेद १७
- ५६ देखिए मद्रास प्रेसिडेन्सी और भारत के अन्य क्षेत्रों के रेवन्यू बोर्ड की कार्यवाही और परामर्श, मुख्य रूप से सन् १८०० के आसपास।
- ५७ आइ ओ आर एच एम, खण्ड ७९ 'सरकारी विभागों की व्यवस्था,' गवर्नर जनरल की टिप्पणी।
- ५८ हाउस ऑफ कोमन्स कागज, १८५७ (२), खण्ड १८, पृ-३१८-१९ विभिन्न रेजिमेंट में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकृत मूल्य।
- ५९ मुख्य रूप से देखिए वेल्लेस्ली के कागज (ब्रिटिश लाइब्रेरी एड एम एस) १७९९ के मैसूर के विद्रोह के विभाजन के विषय में। इसी प्रकार के दिल्ली, लखनऊ इत्यादि स्थानों के १८५७-५८ के विद्रोह के विभाजन के विषय में देखिए ब्रिटिश पार्लामेन्टरी कागज।

- ६० हाउस ऑफ् कोमन्स के कागज १७९६-७, खण्ड ४४ (साथ ही खण्ड १०६ पृ ३३७-४०) लॉर्ड होवार्ट की टिप्पणी, २४-१०-१७९५, यह टिप्पणी परिशिष्ट (ड) में दी गई है।
- ६१ १७५०-१८५० के विविध विवरण।
- ६२ तमिलनाडु स्टेट आर्काइव्ज रेवन्यू बोर्ड की कार्यवाही २५-८-१८२३ की कार्यवाही, रेवन्यू बोर्ड को बेलारी के जिलाधीश का पत्र, १७-८-१८२३, अनुच्छेद १८
- ६३ ब्रिटिश म्यूजियम वॉरन हेस्टिंग्स के कागज एड एम एस २९, १४४, वॉरन हेस्टिंग्स को साइक्स का पत्र, २५-११-१७७९, 'आशा करता हूँ कि आप कुछ विचारशील बनेंगे, अन्यथा आप यहाँ आयेँगे तब आपको खूब सीधा किया जाएगा। आप इंग्लैंड को जानते हैं, इसलिए इस विषय पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।' इस प्रकार के पत्र दूसरे मित्रों ने भी वॉरन हेस्टिंग्स को लिखे थे।
- ६४ बगाल, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेन्सी के विविध विवरण, १८२० के बाद के।
- ६५ इसी प्रकार के विरोध के उदाहरणों के लिए देखिए लेखक का 'भारतीय परम्परा में असहयोग', पुनरुत्थान २००७, तथा १७८० से १८५० के समय के बगाल, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेन्सी के रेवन्यू रेकोर्ड।
- ६६ आई ओ आर गृह विविध, १११ अर्ल ऑफ् रोकफोर्ड को सर रोवर्ट होलेन्ड का पत्र (क्र १२) २५-८-१७७२
- ६७ लन्दन पी आर ओ एनलबरो कागज पी आर ओ/३०/९/४ भाग १/२, टिप्पणी दि ११-१०-१८२९, सी टी मेटकाफ द्वारा
- ६८ तमिलनाडु स्टेट आर्काइव्ज मिल कोन्स ९-१२-१८४५ पृ १६७७४-६
- ६९ हाउस ऑफ् कोमन्स के कागज १८५९ सत्र २ खण्ड ५, सिलेक्ट कमेटी का वृत्त भारत में यूरोपीय उपनिवेशी और स्थिरता के विषय में (on European colonisation and settlement in India) पृ २७५
- ७० लीड्ज पब्लिक लाइब्रेरी केनिंग के कागज छोटे मोटे पत्रव्यवहार लॉर्ड केनिंग को अर्ल एनलबरो का पत्र, १२-१०-१८५५, 'सिमला के पास के पहाड़ियों से जबर्दस्ती कराये जाने वाले काम के विषय में नोटिस' साथ में जोड़ी गई। यह बेगार करवाने वाला था लेफ्टेनन्ट कर्नल केनेडी, सिमला विभाग का पूर्व पोलिटिकल एजन्ट, ९-१०-१८५५
- ७१ वही
- ७२ वही
- ७३ उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव्ज रेवन्यू बोर्ड की कार्यवाही रेवन्यू बोर्ड को कुमाऊँ के कमिश्नर का पत्र, ३०-९-१८५१ अनुच्छेद ९
- ७४ उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव्ज, रेवन्यू बोर्ड की कार्यवाही, १८-१०-१८५०, रेवन्यू बोर्ड को उत्तर पश्चिम प्रदेश की सरकार का पत्र, ८-१०-१८५०
- ७५ आई ओ आर एल/पी एन्ड जे/६/२०५, गृहसचिव, (भारत सरकार) की 'बलात् मजदूरी' की टिप्पणी, पृ ५
- ७६ नेशनल आर्काइव्ज ऑफ् इंडिया गृहन्याय विभाग, अक्टूबर, १८८२ अनुच्छेद 'ए' लॉर्ड रिपन की टिप्पणी २०-९-१८८२,

- ७७ आइ ओ आर डफरीन कागज वाइसरॉय डबल्यू, जे मेटलेन्ड के निजी सचिव डी एम वेलेस का सेक्रेटरी ऑव स्टेट फार इंडिया के सचिव को पत्र, २७-५-१८८७
- ७८ आई ओ आर गृह विविध १११ अर्ल ओफ रोकफोर्ड को सर रोबर्ट हारलेन्ड का पत्र (क्र १२), सेट ज्योर्ज किला, २५-९-१७७२
- ७९ तमिलनाडु स्टेट आर्काइव्ज रेवन्यू बोर्ड की कार्यवाही ४-११-१८१९, हैदरावाद के रेसिडेन्ट गवर्नर जनरल के प्रति, २५-७-१८१९
- ८० तमिलनाडु स्टेट आर्काइव्ज न्यायिक, परामर्श परामर्श ६-४-१८२१ गवर्नर सर टॉमस मनरो की टिप्पणी, पृ-८३४
- ८१ वही पृ ९३४-३६
- ८२ वही पृ ९३६-३९
- ८३ तमिलनाडु स्टेट आर्काइव्ज रेवन्यू बोर्ड कार्यवाही ५-८-१८४४
- ८४ वही २-९-१८४४
- ८५ वही २६-५-१८६०, रेवन्यू बोर्ड के प्रति गजाम के जिलाधीश १८-५-१८६०
- ८६ वही मद्रास के रेवन्यू बोर्ड की कार्यवाही, मई-जून १८६०
- ८७ आई ओ आर उत्तर पश्चिम प्रदेश सदर रेवन्यू बोर्ड की कार्यवाही, कुमाऊँ के कमिशनर सदर रेवन्यू बोर्ड प्रति, ९-८-१८४२ (क्र ४९४) अनुच्छेद ३
- ८८ वही २७-५-१८४३
- ८९ वही (फौजदारी) कार्यवाही १३-९-१८४४ निजामत अदालत के रजिस्ट्रार न्यायाधिकारी के प्रति, २४-८-१८४४
- ९० वही, उत्तर पश्चिम प्रदेश सरकार (न्याय विभाग) मिलिट्री बोर्ड प्रति, १५-६-१८४४
- ९१ वही, निजामत अदालत के रजिस्ट्रार न्यायाधिकारी प्रति २४-८-१८४४
- ९२ वही
- ९३ वही, निजामत अदालत प्रति, १३-९-१८४४ (क्र ४०४६)
- ९४ वही, उत्तर पश्चिम प्रदेश न्याय विभाग की कार्यवाही, ९-१०-१८४४, क्र ६९, जम्मू के पश्चिम में स्थित नहरो के कार्यवाहक अधीक्षक केप्टन ए एच इ बोइलो, सरकार प्रति २६-९-१८४४,
- ९५ वही, बोर्ड का सग्रह क्र १,२२,५१०, मुबई के न्याय विभाग का पत्र, ८-९-१८४९, (क्र ३०) अनुच्छेद ६७-६९
- ९६ वही, अनुच्छेद ७८
- ९७ आई ओ आर एल/ पी एन्ड जे/६/२०५ गृहसचिव की 'बलात् मजदूरी' विषयक टिप्पणी
- ९८ वही बोर्ड का सग्रह क्र ७४,८६२, जबलपुर के कमिशनर उत्तर पश्चिम प्रदेश की सरकार प्रति, ८-७-१८३६
- ९९ वही
- १०० वही, क्र ९०,०२६, भारत के राजकीय विभाग की ओर से पत्र, १५-२-१८४३ (क्र २) अनुच्छेद ७३,
- १०१ नेशनल आर्काइव्ज ऑव इंडिया पब्लिक (ए) फरवरी १९११, कमान्डर-इन-चीफ की टिप्पणी, १८९१

- १०२ वही उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, भारत सरकार के गृह विभाग प्रति १९-१०-१९१०, अनुच्छेद २
- १०३ वही, अनुच्छेद ९
- १०४ एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका (१९११), 'वधुआपन' विषयक लेख।
- १०५ वही, 'कुरवी' विषयक लेख।
- १०६ वही
- १०७ नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया गृहन्याय विभाग, अक्टूबर १८८२, कामरूप के नायब कमिश्नर, आसाम के मुख्य कमिश्नर के प्रति, १३-७-१८८२, इस मुद्दे पर कई भारतीय अधिकारियों के अवतरण दिए गए हैं।
- १०८ इस विषय में विपुल मात्रा में प्रकाशित तथा हस्तलिखित सामग्री उपलब्ध है। इस प्रकार की पूर्व की घटनाओं (१७६४) के लिए देखें मेजर मेकन्जी की जर्नल (नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्कॉटलैंड)
- १०८ देखिए पादटीप २५
- ११० ज्योर्ज सार्टन दि अप्रीसीएशन ऑफ एन्शियन्ट एण्ड मीडियल साइन्स डयूरींग द रेनेसा, (The Appreciation of Ancient and Medieval Science during the Renaissance) (१४५०-१६००) पृ १७३
- १११ आइ ओ आर बोर्ड का संग्रह क्र ९५,६९८, पृ-२ से १५, १८४३ सेवा करार - ३
- ११२ वही, सेवा करार - २
- ११३ तमिलनाडु स्टेट आर्काइव्स मद्रास रेवन्यू बोर्ड की कार्यवाही, विशेष ५-१-१८१८ की बोर्ड की टिप्पणी, जिसमें बड़ी मात्रा में खेती और उसके समान अन्य व्यवसायों में मजदूरी करने वाले 'परिया' लोगों को 'कृषक गुलाम' मान लिया गया है।
- ११४ वही, १८२० के आसपास के मलबार विषयक टिप्पणी, जो उपरोक्त मुद्दे को स्थापित करना चाहती है।
- ११५ सन् १४५० से यूरोपीयों ने पश्चिम और मध्य अफ्रिका से लोगों को पकड़ना प्रारम्भ किया। सन् १५०० तक तो यह प्रमुख व्यवसाय बन गया। सन् १५०० से १८३० के बीच लगभग एक करोड़ अफ्रिकनों को गुलाम के रूप में पकड़ा गया था। ये सब अमेरिकन और एटलाटिक द्वीपों के निवासी थे। गुलामों पर आक्रमण करने की, उनको पकड़ने की और भूमिमार्ग से अथवा समुद्रमार्ग से भेजने की प्रक्रिया में लगभग एक करोड़ अफ्रिकनों की मृत्यु हुई। इस कारण से अफ्रिका के प्रदेश वीरान बन गए और उनका समाज और राज्य छिन्नविच्छिन्न हो गए।

परिशिष्ट क

वाराणसी, बिहार प्रदेश के जीवन का वर्णन (१७८०)

इन प्रदेशों में घूमते हुए विभिन्न प्रकार के फकीरों का मिल जाना असामान्य बात नहीं है। इन फकीरों का दिखावा भयावह होता है। कभी तो पूर्ण परिवार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमता रहता है। यह पूरा समूह बहुत सुन्दर चित्र जैसा दिखाई

देता है। कभी उनके साथ सामान लदे ऊँट होते हैं। पूरे समूह में कुछ बेल के ऊपर सवार रहते हैं, स्त्रियाँ हेकड़ी में बंठी होती हैं, (हेकड़ी अर्थात् परिवहन का विशेष साधन) छोटे बालक टट्टु पर बंटे होते हैं। ये टट्टु बगाल की पूर्व पहाड़ियों से लाए गए होते हैं। इन टट्टुओं को वहाँ तान्या कहा जाता है। वे अधिकांश रक्षक होते हैं। पुरुष पैदल चलते हैं। उनके हाथ में भाला और बंदूक होती हैं। उनकी ढाल और कारतूसों का पट्टा पीठ के पीछे लटकते रहते हैं। एक चित्रकार के लिए यह बहुत मूल्यवान विषय है। भारत में ऐसे यात्रियों के लिए निवास के स्थान को सराय कहते हैं, जैसे यूरोप में केरेवान सराय होता है। इनमें कई राजमार्ग पर होते हैं। इन सरायों को या तो सखावती लोग बनाते हैं, या वे सार्वजनिक खर्चों से बनते हैं। प्रजा की सुविधा का ध्यान रखने वाले जिस सम्राट की मंने पूर्व में बात की है, उसने बगाल के पूर्वी किनारे से पश्चिम में लाहौर तक स्थान स्थान पर ऐसे सराय बनवाए थे। सुलतान शुजा जब बगाल प्रान्त का सूबा था, तब राजमहल के पास निर्मित एक भव्य सराय आज भी देखने को मिलती है। यह सराय वर्गाकृति है। बगाल की दिशा से अन्दर प्रवेश करने के लिए बड़ा सुन्दर दरवाजा है। यह दरवाजा जितना सुन्दर है, उतनी ही सैनिकशक्ति भी रखता है। चारों ओर बीस फीट ऊँची दीवार है। चारों ओर दीवार से सटे आवासीय कक्ष हैं। इन कक्षों में यात्री अपना सामान रखते हैं और सोते हैं। अन्दर का चौक पशुओं के लिए है। इस सराय के रक्षक गरीब लोग हैं। वे यात्रियों को छोटा सा बिस्तर देते हैं। इसका सामान्य मूल्य चुकाया जाता है। उसका मूल्य कदाचित इंग्लैंड की पेनी के बराबर होता है। मूल्य चुकाने के विषय में हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमान अधिक उदार मालूम पड़ते हैं। बगाल दरवाजे के सामने एक दूसरा दरवाजा है। वह केवल दीवार में बना सामान्य दरवाजा है।

मैं मोघीर से चला और जलमार्ग से कोलकता वापिस लौटा। यहाँ मुझे अत्यन्त सुन्दर दृश्यों की पकितिया देखने को मिलीं। गंगा के विभिन्न प्रकार के घाट और गाव की विभिन्न प्रकार की नौकाएँ। गंगा का प्रवाह नदी की अपेक्षा सागर का ही आभास कराता है। गंगा का पट दो से पाँच मील चौड़ा है। कहीं तो पाँच से भी अधिक है। बड़ी से बड़ी नौका भी बीच में पहुँचती है, तो छोटे बिन्दु के समान लगती है, और सामने का किनारा तो मात्र भूरी क्षितिज रेखा के समान लगता है। गंगा के अगाध जलराशि के सामने इंग्लैंड की नदियाँ (हाइन भी) छोटे झरनों के समान लगती हैं। ग्रीष्म ऋतु में गंगा के प्रवाह में नौकाविहार से अधिक आनन्द की मुझे कल्पना तक नहीं होती है। गंगा के प्रवाह के ऊपर से आने वाली हवा इतनी शीतल होती है कि उससे आनन्ददायक ताजगी का अनुभव होता है। सूर्यास्त के बाद लगर के सहारे नौकाएँ किनारे पर खड़ी रहती हैं।

वहा पर किनारा साफ सुथरा होता है। बाजार नजदीक होता है। इससे लोगो को बहुत सुविधा होती है। नदी के किनारे पर सामान्य रूप से हिन्दुओ के छोटे मन्दिर होते हैं। घाट और नदी मे उतरने के लिए सीढियाँ भी होती है। प्रात काल सूर्योदय के समय या उसके बाद स्त्रिया नदी मे स्नान करती है और बालक लम्बे समय तक जलपरी और जलदेवता की तरह पानी मे खेलते है। सुदर युवतियाँ भीगी साड़ी और चादरो सहित, पानी ले जाती हुई दिखाई देती है। और इतना ही सुन्दर और नवीन दृश्य हे स्नान करके आसपास की दुनिया से बिलकुल अलग होकर ध्यानमग्न होकर मन्त्रोच्चार करनेवाले ब्राह्मणो का। ये भक्त कमर मे छोटी धोती को छोड अन्य कोई कपडा नहीं पहनते है। एक चित्रकार के लिए इससे अद्भुत दृश्य अन्य कहीं नहीं मिल सकता।

हिन्दुओ मे आश्चर्यजनक रूप से स्वच्छता के विषय मे सावधानी देखने को मिलती है। उनकी गलियाँ हमेशा साफ होती है। उनके ऊपर पानी छिड़का हुआ होता है। घरों के दरवाजे पर रगोली भी दिखाई देती है। हिन्दू स्त्रियो का सादगी और गरिमापूर्ण व्यक्तित्व एक अपरिचित को भी मन्त्रमुग्ध कर देता है। नीची नजर करके और धीरे धीरे कदम रखते हुए वे चलती हैं, और अगर विदेशी वहा से गुजरता है तो वह कितना ही विशिष्ट या विचित्र हो, तब भी उसकी ओर देखती नहीं हैं। न वे इधर उधर देखती है। पुरुष उनके आतिथ्य के कारण ध्यान आकर्षित करते है। यात्रियो की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए वे तत्पर रहते है। मेरे द्वारा पालकी मे की गई पूर्ण यात्रा मे मेरी प्रत्येक आवश्यकता, चाहे चाय के लिए उबलता पानी हो, या दूध हो, अथवा अडा हो - मुझे उन वस्तुओ को प्राप्त करने मे कहीं कहना नहीं पडा, अथवा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। अत्यंत सादगी के साथ परन्तु अत्यन्त तत्परता से लोग मेरी सेवा करते थे ऐसा मैंने अनुभव किया।

परिशिष्ट ख

बगाल के किसानो की जायदाद छीन लेने के विषय मे चर्चा।

श्री लॉ १९-७-१७९०

जमीनदार जमीन का मालिक है। अब उसकी सभी जगह स्वीकृति दी गई है। परन्तु यह कहना अधिक सत्य है कि वह जमीन की पैदावार के दसवे हिस्से का मालिक है। शेष नौ हिस्से के साथ उसका कोई लेनादेना नहीं है।

रेवन््यू बोर्ड के सदस्य, टॉमस लॉ की टिप्पणी १५-१२-१७९०

इल्लैंड मे एक लॉर्ड को थोड़ा भी भूमि कर डुबोने नहीं दिया जाता है। यदि वह

कर नहीं भर सकता है तो उसे अपनी भूमि किसानों से छीन लेने की अनुमति दी जाती है। तो फिर इस देश में जहाँ जमीनदार पैदावार का नौ दशांश हिस्सा कर के रूप में देता है, वहाँ तो किसान से भूमि छीन लेने की अनुमति देना अधिक आवश्यक है। हम तो वह यदि कर नहीं भरता है, तो सामान्यतः उसको निकाल भी देते हैं। वास्तव में भूमि छीनने का अधिकार तो अपनी ही जमीन में होने वाली पैदावार का स्वाभाविक अधिकार है। खेतमजदूर को समान स्तर का नहीं मानने की व्यवस्था है। कर यदि समय पर भरा नहीं जाता है, तो तुरन्त ही नुकसान भरपाई करने के लिये बाध्य करना ही उसका उपाय है।

श्री वेन्डरहेडन की टिप्पणी १५-१२-१७९०

मैं श्री लॉ के विचारों से सहमत हूँ। जमीन लेने का अधिकार जमीनदार का स्वाभाविक अधिकार है। उसने जिसके साथ करार किया है, ऐसे खेतमजदूर करार के पालन में असफल होते हैं तब जमीनदार को ऐसा करना ही पड़ेगा। अन्यथा अन्य सभी विषयों में, जहाँ अन्य लोगों के साथ भी उसने इस प्रकार के करार किए होंगे, वहाँ वह अपना काम सरलता से नहीं कर सकेगा। मुझे लगता है कि जमीनदार और उसके नौकरों के बीच के सभी विषयों में यह अधिकार लागू होना चाहिए।

श्री चेपमन की टिप्पणी १५-१२-१७९०

मेरा अभिप्राय है कि जमीनदार और प्रमुख किसान को जमीन लेने का अधिकार होना चाहिए, और उसका उल्लंघन न हो, इसके लिए श्री वेन्डरहेडन द्वारा प्रस्तुत किए गए नियन्त्रण और दण्ड भी लागू होने चाहिए।

श्री ग्रेहाम १५-१२-१७९०

जमीनदार को उसके किसानों और रेंयत से लगान वसूल करने का अधिकार है, ऐसा अभिप्राय सभी अधिकारियों का है। हमने जिस सचिव को श्रीपुर भेजा था, उसने भी इस विषय में विस्तृत टिप्पणी की है। वह टिप्पणी हमारी ८ अप्रैल की कार्यवाही में शामिल भी की गई है। वह टिप्पणी तथा इस समय बोर्ड के सदस्यों के जो सुझाव हैं, उसके आधार पर मेरा अभिप्राय बनता है कि जमीनदारों को विधिवत यह अधिकार दिया जाता है, उससे पूर्व काउन्सिल के माननीय लॉर्ड के समक्ष विचार करने हेतु रखने के लिए, हमें एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए, जिसमें श्री वेन्डरहेडन के नियन्त्रणों का भी समावेश हो।

श्री वेन्डरहेडन के नियन्त्रणों को स्वीकार करने के लिए मैं बोर्ड के साथ सहमत हूँ।

रेवन्यू बोर्ड का प्रस्ताव

प्रस्ताव पारित किया जाता है कि काउन्सिल के गवर्नर जनरल को यह परामर्श दिया जाना चाहिए कि जमीनदार और जमीन के मालिक किसानों को उनके किरायेदार किसानों से किराया वसूल करने के लिए जमीन लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए, साथ ही श्री वेन्डरहेर्डन के नियन्त्रणों को भी लागू करना चाहिए।

रेवन्यू बोर्ड सरकार प्रति १५-१२-१७९०

जिलाधीश जब तक जमीनदार और उनके पास काम करने वाले किसानों के बीच हिसाबों को व्यवस्थित नहीं करता, तब तक जमीनदारों के पास किसानों से जमीन लेने का अधिकार न होने से कर जमा करने में जो विलम्ब होता है और जो नुकसान होता है, उसको देखते हुए हम यह सूचित करने की अनुमति चाहते हैं कि इस प्रकार का नियम बनाया जाए, जिससे सभी जमीनदार और जमीन के मालिक किसानों को आवश्यक लगनेवाले नियन्त्रणों के साथ उसके नीचे काम करने वाले किसानों की अथवा किरायेदारों की, उनका किराया वसूल करने हेतु जमीन ले लेने की अनुमति दी जाए।

बंगाल सरकार का उत्तर २४-१२-१७९०

लगता है कि किराया वसूल करने के लिए इस समय जो नियम हैं, उनमें जमीनदारों के पास पूरे अधिकार की व्यवस्था है। जमीनदारों के द्वारा किसी भी प्रकार का अत्याचार किया जाता है तो रैयत रेवन्यू अदालत में अरज करके न्याय माग सकती है। यदि पहले से ही जमीनदारों को दी गई जमीन ले लेने के अधिकार को बढ़ाने की आवश्यकता होगी, तो आपकी इस सिफारिश पर आगे विचार किया जाएगा।

आपके चित्तागोण के जिलाधीश को भेजे गये पत्र के विषय में हमारा अवलोकन है कि सरकार की वर्तमान आवश्यकता का सार्वजनिक राजस्व-वसूली के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। उस वसूली के कार्य में सर्वसामान्य नियमों को ही आपके मार्गदर्शक नियमों के रूप में स्वीकार करके चलना है।

रेवन्यू बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल द्वारा राजाशाही के कमिश्नर जे एच हेरिग्टन के पत्र के साथ बंगाल सरकार को पेश किया गया २३-६-१७९२

राजाशाही कमिश्नर २३-६-१७९२

इंग्लैंड में यह आवश्यक लगा है कि जमीन मालिक को शेष किराया जल्दी वसूल करने के लिए, नियन्त्रण में रहते हुए, किसानों की जमीन ले लेने का अधिकार दिया

जाए। इस देश में भी अधिकार का दुरुपयोग न हो, इस विषय में आवश्यक सावधानी रखते हुए यदि जमीनदारों को इस प्रकार का अधिकार दिया जाता है, तो वह आपत्तिजनक नहीं माना जाना चाहिये। इस विषय में बोर्ड तथा काउन्सिल के गवर्नर जनरल निर्णय करने के लिए योग्य व्यक्ति माने जाएँ। और यह विषय आपके विचाराधीन भी है। इसलिए मैं उसका अधिक विस्तार नहीं करता हूँ। फिर भी जमीनदारों को उनका अधिकार मिलना चाहिए और उस हेतु व्यवस्था बननी चाहिए ऐसा मानता हूँ इसलिये मेरा समर्थन देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ।

बोर्ड ऑफ़ रेव्यू को सरकार का उत्तर २०-७-१७९२

आपकी जानकारी और मार्गदर्शन हेतु इसके साथ जमीनमालिक और जमीनदार किसानों को किराया वसूल करने के लिए किरायेदारों, तहसीलदारों और प्रजा की जमीन ले लेने के अधिकार को न्यायिक समर्थन प्रदान करने वाला नियमन भेजा जा रहा है।

परिशिष्ट ग

कोरोमडल के तटीय प्रदेश में जनता की आंतरिक सरकार

- १ निस्सन्देह आज तक की सभी प्रकार की सरकारों में जनता सरकार सर्वश्रेष्ठ है। आज कोरोमडल के तटीय प्रदेशों में उसके अवशेष दिखाई देते हैं। वैसे तो उसमें अनेक विदेशी तत्त्व घुस गए हैं। जनशासन की विशेषता इन विषयों में देखी जा सकती है कि सरकार को चुकाने का राजस्व जमीन की पैदावार का एक निश्चित हिस्सा होता है। वह अनाज के रूप में चुकाया जाता है। प्रत्येक गाँव स्वयं ही एक पूर्ण जाति होता है। वह राज्य के संरक्षण में होते हुए भी अपना शासन अपनी ही व्यवस्था के अनुसार चलाता है।
- २ प्रत्येक गाँव में अनेक लोक अधिकारी होते हैं, जैसे कि न्याय करने वाला अधिकारी, गाँव का लेखा रखने वाला कनकपिल्लै, अनाज तोलने वाला, लोहार, नाई इत्यादि। अधिक प्रगतिशील गाँव में वैद्य, ज्योतिषी आदि भी होते हैं। इन सब लोगों को गाँव की पैदावार से अपना हिस्सा प्राप्त होता है।
- ३ गाव में घर और बगीचे को छोड़कर किसी की स्वतन्त्र स्वामित्व की भूमि नहीं होती है। गाव की भूमि सामूहिक स्वामित्व की होती है। वह एक साथ जोती जाती है और पैदावार उचित अनुपात में सबको बाँट दी जाती है।
- ४ स्वामित्व की भूमि न होने पर भी व्यक्तियों को खूब लाभ होता है। लेखा में उसको नि शुल्क भेट की जमीन (मान्यम्) कहा जाता है। कुछ अंश तक वह

गाँव की ही व्यवस्था होती है। लोक अधिकारियों के लिए वह खेराती भूमि मानी जाती है। वह पुरानी ओर नई ऐसे दो शीर्षको के अतर्गत होती है। पहला शीर्षक स्थाई होता है और उसका प्रारम्भ कब हुआ, यह शायद कोई नहीं कह सकता है। दूसरा हाल ही के दिनाक का होता है जो दो प्रकार के अपरिचित लोगों को दिया जाता है। एक 'इनाम' कहा जाता है, जहाँ कोई रसीद अथवा अग्रिम (बाना) देना नहीं पड़ता है। दूसरा 'श्रोत्रियम्' कहा जाता है, जहाँ जमीन के सही मूल्य से बहुत कम राशि देनी पड़ती है। इस सारी भूमि को सब मिलकर जोतते हैं। सरकारी जमीन को भी वे ही जोतते हैं, परन्तु उसकी पैदावार का कुछ हिस्सा सरकार को मिलता है।

- ५ मन्दिरों एवं ब्राह्मणों को पैदावार का कुछ अंश प्राप्त होता है। मन्दिर के साथ चर्च को भी प्रथम अंश प्राप्त होता है। यह धर्म के प्रति आदर और श्रद्धा के कारण तो होता ही है परन्तु करचोरी आदि को नियन्त्रण में रखने का भी इससे अच्छा उपाय नहीं है।
- ६ पैदावार का कुछ अंश तालाब और पानी के प्रवाह को सुरक्षित रखने के लिए दिया जाता है। यह अंश पूरी भूमि की कुल पैदावार से होता है। अर्थात् सरकार और प्रजा का अंश बाटने से पूर्व वह निकालकर दिया जाता है। परिणाम यह है कि सरकारी धन से भी मान्यता की पैदावार तालाब इत्यादि की मरम्मत करने में अधिक प्रयुक्त होती है।
- ७ धर्मस्थान में वार्षिक पैदावार का नियमित हिसाब रखा जाता है।
- १४ धर्म का प्रमुख भिद्धान्त है, खेरात और उदात्तता समाज के लिए लाभकारी वृक्षों को काटना, लगभग अक्षम्य अपराध माना जाता है। यात्रियों की सुविधा के लिए चौतरा बनाने के लिए अथवा धर्मशाला के लिए दान देना, व्यक्तिगत रूप से बड़े पुण्य का काम माना जाता है। भविष्य में भी उनका नाम इस प्रकार लोगों की स्मृति में रहे, ऐसी उनकी इच्छा होती है।
- ३३ भूमि के लिए उत्तम खाद प्राप्त करने की दृष्टि से भेड़-बकरियों से अधिक अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए भारत के लोग अपनी भेड़-बकरियों से कभी अलग होना नहीं चाहते। परन्तु ब्रिटिश सेना की टुकड़ियों के लिए यहाँ के लोगों से जबर्दस्ती उनके पशु छीन लिए जाते हैं। इस मुसीबत को दूर करने के लिए मैंने सूचित किया था कि कपनी ही कुछ भेड़-बकरियाँ खरीद ले और जागीर (चेगलपट्टु जिले में) की जमीन में उनका पालन करना प्रारम्भ करे। उनके लीद

की खाद पर पालन करनेवाले का अधिकार हो। ऐसा करने से आवश्यक भेड़े भी मिल जाएगी और गाव के लोगों को असुविधा भी नहीं होगी। जहा भेड़ों का पालन होता है, वहा उनकी कीमत १ पेगोडा (एक प्रकार का चलन) की ७ से ८ भेड़े होती है। सेना की टुकड़ियों को वे १ पेगोडा की ५ मिल सकती है।

जिसका उल्लेख पहले किया गया है, उस मेरे मित्र ने जनताशासन के एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण पहलू की ओर मेरा ध्यान दिलाया है। वह है रक्षा व्यवस्था। 'पालेगर का लागा प्रत्येक वस्तु पर होता है, परन्तु किसी भी वस्तु के खो जाने पर दूढ़ निकालने का दायित्व भी उसीका होता है। चोरी और लूट को रोकने का अधिकारी को ही उत्तरदायी ठहराने से अच्छा दूसरा रास्ता हो ही नहीं सकता है। मेरी जानकारी में मद्रास में भी यह व्यवस्था थी। गवर्नर सॉन्डर्स के कार्यकाल में प्रेसीडेन्ट और काउन्सिल के पास, उस प्रदेश में रहने वाले एक यूरोपीय की शिकायत आई थी, कि पटनायक ने (पालेगर ने) नुकसान भरपाई करने के लिए इनकार किया था। पालेगर ने स्पष्टता की कि इस व्यक्ति ने (यूरोपीय) उसका कर देने से इनकार किया था, इसलिए उसका नुकसान भरपाई लेने का अधिकार नहीं बनता था। शायद इस प्रकार की व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भारतीय प्रकार की प्रामाणिकता चाहिए। यहा (इंग्लैंड में) तो (यदि ऐसी व्यवस्था होती है तो) वस्तु खोई न हो, तब भी पालेगर को नुकसान भरपाई करने के लिए कहा जायगा और ऐसा होने पर तो कुबेर का खजाना भी नुकसान भरपाई करने के लिए कम पड़ेगा। अन्यथा कयामत के दिन तक नुकसान भरपाई के लिये प्रतीक्षा करने की व्यवस्था कानून को करनी पड़ेगी।

परिशिष्ट घ

जमीन के अधिकार और ग्राम सगठन

१२ यह हर प्रकार से बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है कि जमीन बेचने के विषय में सौदा हो, इससे पूर्व मालिकी के अधिकारों के विषय में सभी बाते अच्छी प्रकार से समझ ली जाएँ। इसलिए तिन्नेवेली, पोलाम, रामनद और शिवगगा जिले में मान्यम और देवस्थान की जमीन के अतिरिक्त, अन्य जमीन की मालिकी के विषय में स्थिति स्पष्ट समझना आवश्यक है।

एक अग्रहार वाडिकी अर्थात् ऐसे गाव जिनकी जमीन की मालिकी स्पष्टरूप से ब्राह्मणों की है।

दो पुदरा वाडिकी अर्थात् ऐसे गाव जिनकी जमीन की मालिकी स्पष्टरूप से शूद्रों की है।

तीन ऐसे गाव जहा की जमीन पूर्ण रूप से वजर हो गई थी और जहा शूद्रो को निमन्त्रित कर , उनको निवास करने और जोतने हेतु दी गई थी।

९३ अग्रहार वाडिकी के विषय मे जमीन को यह नाम ब्राह्मणो के कारण मिला है। केवल इसलिए ही नहीं कि वे उच्च वर्ण के है, तो ये गाव सर्व प्रथम उनको समर्पित किए गए थे इसलिए, और उनका इन गावो पर मुख्य अधिकार है इसलिए। वह जमीन अनेक प्रकारो से प्राप्त तो हुई है, परन्तु मुख्य रूप से राजा अथवा अन्य सम्पन्न लोगो के द्वारा उनको दी गई है, और ब्राह्मणो को दान देने हेतु ही उन्होने क्रय की है। अनेक वर्ष व्यतीत होने पर इस के स्वामित्व मे अनेक परिवर्तन हुए हैं। मालिको की इच्छानुसार परिवर्तन करने के, बेचने के और खरीदने के अनेक उदाहरण है। प्रत्येक परिवर्तन, क्रय अथवा विक्रय के समय जमीन से सम्बन्धित गाव के प्रत्येक व्यक्ति की सहमति और अनुमति आवश्यक है। इसी स्वामित्व को 'पग' अथवा 'भागम्' कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हिस्सा अथवा अनुपात। चार 'पग' का एक 'काराई' होता है। प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से मे अनेक 'काराई' होते है। गाव के कोष से इस 'पग' अथवा 'काराई' के अनुपात में हिस्सा मिलता है। जमीन के 'याचम' हिसाब की तरह यह बहीखाता भी बहुत सावधानी से तैयार किया जाता है। भूमि के किसी भी निश्चित हिस्से पर किसीका भी अधिकार निरन्तर रूप मे नहीं होता। यही 'काराई' का अर्थ है। सपूर्ण लाभ और सपूर्ण हानि सबकी एक समान होती है। सबकी मालिकी के कठोर और निश्चित नियमो के अनुसार सबको हिस्सा मिलने के कारण पूरे गाव का जो राजस्व होता है, उसके लिए भी सभी समान रूप से जिम्मेदार होते है। यह व्यवस्था सबको इतनी अधिक अनुकूल लगती है कि निश्चित समय पर जमीन का परिवर्तन या बँटवारा लगभग चिड्डी डाल कर होता है। जमीन की मालिकी निश्चित समय के लिए बदलती है। इस प्रकार जमीन एक मालिक से दूसरे मालिक के पास जाती है, जिससे सबको समान लाभ मिल जाते है।

९४ पुदरा वाडिकी के गाव गाँव के निवासियो मे खूब भिन्नता दिखाई देती है। यह भिन्नता स्वामित्व की नहीं, अपितु जाति की ही अधिक दिखाई देती है। अन्तर केवल इतना है कि अग्रहार वाडिकी मे स्वामित्व और वर्चस्व ब्राह्मणो का होता है, जबकि पुदरा वाडिकी मे शूद्रों का। सामान्य रूप से ब्राह्मण शूद्रों को अपने साथ मिलने नहीं देते क्यो कि उनको लगता है कि इससे उनका महत्त्व और

प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। दूसरी ओर शूद्र भी ब्राह्मणों को अपने साथ मिलने नहीं देते क्योंकि उन्हें भय लगता है कि ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता के कारण वर्चस्व स्थापित कर देंगे, उनके अधिकार छीन लेंगे और सत्ता जमा देंगे। इस स्वाभाविक ईर्ष्या और आशंका के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से भी भिन्न जाति के होने के कारण दोनों के मध्य जमीन की अदल बदल या क्रयविक्रय नहीं होता है। अतः आर्थिक सन्तुलन बना रहता है। जाति भेद तो हमेशा रहता ही है। आपकी विशेष जानकारी के लिए मैं एक रैयत से दूसरे को जमीन बेचने का मुसद्दा साथ में भेज रहा हूँ। साथ ही इन दस्तावेजों का अनुवाद भेज रहा हूँ।

करारपत्र में प्रथम वार, तिथि, महिना और मलबार में चलने वाले साठ सवत्सर के अनुसार वर्ष का नाम लिखा जाता है। शालिवाहन शक और कलियुगाब्द लिखा जाता है। नक्षत्र और शुभ मुहूर्त भी लिखा जाता है और बाद में उसका मुसद्दा प्रारम्भ होता है।

एक 'अ' गाँव का 'क ख', जिसके २८ भाग होते हैं, वह उसी गाँव के 'च छ' को यह करारपत्र लिख कर देता है। अर्थात् मेरे छ हिस्सों में से एक हिस्सा मैं आपको बेचता हूँ, उसका यह करारपत्र मैंने लिखा है। यह सौदा पूर्ण और अबाधित है। आपने कीमत अदा की है, मैंने स्वीकार की है। एक सौ चक उसकी कीमत के तहत मुझे मिले हैं। अब यह जमीन आपकी है। इसलिए उसके नजा, पुजा, जमीन, मिट्टी, पानी, पत्थर, खजाना, जंगल की पैदावार, कुआँ, जमीन के अंदर का पानी, जमीन पर उगने वाले वृक्ष, जमीन से प्राप्त प्रत्येक लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी, जब तक कावेरी में पानी बहता है, वनस्पति उगती है, तब तक, दूसरे समय के अन्त तक, क्रय, विक्रय, बक्षिस आदि किसी भी प्रकार के परिवर्तन के अधिकार सहित आपकी है। इसलिए मेरी पूर्ण सहमति से मैं यह जमीन 'च छ' को देता हूँ। यह करारपत्र पेरामल पिल्लार्ई ने लिखा है, जो गाँव का कनकपिल्ले है और गाँव के सभी मालिकों की ओर से अधिकृत होने की अपेक्षा करता है।

९५ इस दस्तावेज में अधिकार छाड़ने की और प्राप्त करने की गाँव के लोगों की भावना पूर्ण रूप से व्यक्त होती है। अधिकारों की व्याख्या एकदम निश्चित स्वरूप में हुई है फिर भी उसकी शैली आज के जैसी नहीं है। यह करारपत्र सार्वत्रिक रूप से जिन अधिकारों की मान्यता प्रस्थापित हुई है, उसके परिणामस्वरूप तैयार हुआ है।

९६ अन्त मे ऐसी जमीन है जहा निवास करने वाले अपनी इच्छा के अनुसार उसको बेच नहीं सकते है। देश का बड़ा हिस्सा यही जमीन है। पुदरा वाडिकी के गाँवो के साथ उसकी उलझन हो जाती है। यह जमीन उसके सभी मालिको की मृत्यु हो जाने के कारण राज्य के अधिकार मे आती हे, अथवा वह सर्वथा ऊसर और खराब जमीन होती है, जहा लोगो को निवास करने के लिए और जोतने के लिए निमत्रित किया गया होता है। परन्तु कुछ भी हो, उसके विषय मे कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है। हमारे लिए इतना जानना पर्याप्त है कि इस प्रकार से प्राप्त हुई जमीन जब सर्वप्रथम मालिकी के अधिकार से दी गई होगी, तब बाद मे पीढी दर पीढी उसी मालिक के पास रही होगी। प्रत्येक जमीन रखने वाले की जमीन भी उसके घर के समान ही प्रसिद्ध होती है। उसकी मालिकी का अधिकार छीन लेने का प्रयास नहीं होता है। अग्रहार वाडिकी और पुदरा वाडिकी की तरह उसके लेने और देने के सौदे नहीं होते है।

९७ अनेक वर्षों तक रैयत अपनी जमीन जोतता है। कोई विपत्ति न आने तक, अथवा पानी कम न होने तक यह क्रम बना रहता है। व्यक्तिगत आपत्ति के समय वह अपनी जमीन गिरवी रखता है और अच्छी स्थिति आने पर उसको मुक्त कर लेता है। पानी आदि की कमी होने पर गाँव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं और उपलब्ध पानी से कुल कितनी जमीन जोती जा सकेगी, उसका अनुमान कर प्रत्येक जमीनमालिक को, अनुपातन जोतने के लिए हिस्सा निश्चित किया जाता है। सभी सामूहिक रूप से ही खेती करते है और जब फसल काट ली जाती है, तब अपनी अपनी मूल जमीन मे लौटते है।

९८ इस काश्तकारी के विषय मे आपको बताने मे मैने कोई जानकारी शेष नहीं रखी है। यह सारी जानकारी, सम्पूर्ण विवरण के साथ आपके पास रहेगी, तो यहाँ हमेशा के लिए निवास करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वह आपको ठीक ध्यान मे रहे इस हेतु यह विवरण भेजा है।

९९ इस स्थिति के अतीत मे झाकने पर समझमे आता है कि अनेक युगो की क्रान्तियो मे, प्रथम राजा के शासन से लेकर अन्तिम हिन्दू राजा के पतन तक के दीर्घ काल मे जमीनधारक अथवा जमीन के बँटवारे के सम्बन्ध मे अथवा प्रजा की मालिकी के विषय मे कभी भी किसी प्रकार का सन्देह नहीं रहा है। प्रजा की मालिकी एक स्वीकृत विषय है, सिवाय कि वह खराबे की जमीन है अथवा अन्यान्य कारण से राज्य के अधिकार मे गई है। अत्यन्त दूर के अतीत

से लेकर आज तक बिना किसी भी प्रकार की दखलदाजी जमीन की मालिकी प्रजा के पास ही रही है। सर्वस्वीकृत नियमों के अनुसार इन अधिकारों की पुष्टि होती रही है। उनके इतिहास में और कानून में अनेकों बार प्रजा के अधिकार का उल्लेख होता रहा है।

- १०० हिन्दू शासन पुरानी विचारधारावाला, अत्याचारपूर्ण और सिंहासन पर बैठे शासक की मनस्वी इच्छा के अनुसार चलता है, ऐसा मानना एक परम्परा बन गई है। सैद्धांतिक रूप से बात तो ऐसी ही है। परन्तु व्यवहार में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। उनके धर्म के आदेश कानून जैसे प्रभावी और परिणामकारी होते हैं। अपने व्यवहार में ये शासक अच्छे और न्यायी होते हैं। विगत समय में उनके देश पर मुसलमानों के आक्रमण हुए और हिन्दू न्यायतन्त्र में मुसलमानी कानून भी प्रविष्ट हुए। परिणामस्वरूप उलझने निर्माण हुई और न्याय के विषय में साम्प्रदायिक पक्षपात के तत्त्व प्रवेश कर गए। फिर भी जमीन के अधिकारों के विषय में मूलभूत कोई बदलाव नहीं हुआ। सबसे पहले जिसको जमीन जोतने के लिए मिली, वह कितना भी गरीब हो, तब भी उसकी जमीन कभी छीनी नहीं जाती थी। हाँ, उसे अपना सार्वजनिक हिस्सा अवश्य देना पड़ता था। इस अधिकार का उल्लंघन अब शिवगंगा, तिन्नेवेली और अन्य हिस्सों में हो रहा है, फिर भी उनकी मूल न्यायभावना में अभी भी बदल नहीं आया है।

परिशिष्ट च

भारत में ब्रिटिश सूदखोरी के कुछ नमूने

नामदार नवाब वलाजाह के जन्मतनशीन होने के बाद प्रस्तावित व्यवस्थाओं की जो चर्चा हो रही है उसके कारण से सार्वजनिक रिकार्ड के विषय में सामान्य रूप में होता है उससे कुछ विशेष जानकारी के साथ ही नवाब के राजस्व विभाग के प्रशासन की पद्धति के विषय में भी कुछ कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है, क्योंकि मेरे विचार में उसमें परिवर्तन करने की अत्यधिक आवश्यकता है। वह इस देश के हित में होगा, क्योंकि यह प्रदेश प्रत्यक्ष रूप में नवाब के शासन में होने के बाद भी उसकी रक्षा करने का और उसका भला करने का सरकार का दायित्व है। इसके अतिरिक्त जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से नवाब को पैसे उधार दिये हैं उन्हें अपनी राशि सुरक्षित रूप से वापस प्राप्त हो यह देखना भी ससद का दायित्व है। नामदार नवाबने कम्पनी के सैनिकी थाने का निभाव करने का भी वचन दिया हुआ है। इस कारण से भी मामला विचारणीय है। यूरोप के

सज़नो का साहूकारी का लम्बे अरसे से जो प्रचलन रहा है, और कर्नाटक सरकार जिस प्रकार अपने राज्य के कुछ प्रदेश गिरवी रख रही है उसे देखते हुए और नवाब की मृत्यु के बाद मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है और उस आधार पर जो विचार मेरे मनमें आ रहे हैं उन्हें मैं बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। साथ ही मुझे यह अभिप्राय देने की भी अनुमति दी जाए कि डायरेक्टरों का यह माननीय कोर्ट निश्चित रूप से इस पद्धति के विरुद्ध आदेश और अवलोकन देता है तो भी अभी मैं जो जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उस जानकारी के अभाव में यह पद्धति बनी ही रहती है।

नवाब के राज्य के दक्षिण के जिले, विशेष रूप से तिनेवेली, प्रेसीडेन्सी से पर्याप्त दूरी पर होने के कारण इस प्रकार के नाटकों के लिये रगमच बन गये हैं, और अब तो नेलोर, आर्कोट और त्रिचिनापल्ली में भी वही सब कुछ हो रहा है जो अत्यन्त कुख्यात है।

लेनदेन मद्रास में होता है। वहीं पर नवाब ने किश्त चुकानी होती है। नवाब और कुछ उद्योगगृहों, अथवा नवाब और कम्पनी के नौकरों के बीच नवाब के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिये निश्चित की गई राशि चुकाने के विषय में करार होने के साथ इस लेनदेन की शुरुआत होती है। साहूकार को पूर्व का अनुभव होता है, इसलिये वह केवल प्रदेश गिरवी रख लेना ही पर्याप्त नहीं समझता। वह व्याज चुकाने की राशि भी नवाब के हाथ में देना आवश्यक मानता है। गिरवी रखे हुए प्रदेश की व्यवस्था हेतु उसकी ओर से एक व्यक्ति की नियुक्ति करना भी वह आवश्यक समझता है। साथ ही उसे वहाँ एक दमदार अधीक्षक का होना भी आवश्यक लगता है। उसका सन्धान जिले के सैनिकी अधिकारी के साथ होना भी उसे आवश्यक लगता है। वह विभिन्न प्रकार के सट्टे भी करता है जिसके तहत वह व्याज में खासी बढोतरी कर सकता है, और अपने हिस्से की राशि सग्रहित करना सरल बना ले सकता है। इस सन्धान के कारण से दोनों पक्षों के हितों की रक्षा होती है। एक पक्ष को स्थानीय स्तर पर पूर्ण अधिकार होता है, दूसरे को वहाँ के द्रव्य में रुचि होती है। आगे इस व्यवस्था का सन्धान उस व्यक्ति से होता है जिसकी स्थानीय अमलदार के रूप में नवाब के द्वारा नियुक्ति हुई है। उसके बाद व्यवस्था कुछ इस प्रकार से की जाती है। साहूकार जिस व्यक्ति की वहाँ अधीक्षक के रूप में नियुक्ति करता है वह उस जिले की व्यवस्था देखेगा और नवाब के द्वारा उसे फौजदार का पद दिया जाएगा। फौजदार, सेना अधिकारी और साहूकार - इन तीनों के बीच दरबार में जो करार हुआ है उसके अनुसार व्यवस्था बिटाई जाएगी। इस व्यवस्था को पूर्णता प्रदान करने के लिये साहूकार की ओर से तहसीलदार की नियुक्ति होगी,

जिससे निरन्तर, एक दूसरे से समन्वित, एकरूपता से व्यवहार निभेगा। इस व्यवहार से नामदार नवाब का एक उद्देश्य सिद्ध होगा। उधार ली हुई राशि की किश्त चुकाना सुगम होगा और उसके लिये तत्काल अपने खजाने से पैसा निकालना नहीं पड़ेगा। वह अपना प्रदेश और प्रजा को साहूकार की ओर से नियुक्त प्रशासक के अधिकार में दे देगा। दरबार में जो करार हुआ है उसके तहत गिरवी रखे हुए प्रदेश पर नवाब का कोई नियन्त्रण या अधिकार नहीं रहेगा। प्रशासक का तो उस प्रदेश या प्रजा से प्रत्यक्ष कोई सम्बन्ध है ही नहीं। अतः साहूकार के हित की रक्षा हो और दिये हुए पैसे कम से कम समय में वापस प्राप्त हो जाय इस उद्देश्य से उसे जचने वाले किसी भी प्रकार के उपाय वह कर सकता है।

विभिन्न प्रदेशों में सरकारमान्य सूद का दर अलग अलग होता है। साहूकार का दरबार में कितना प्रभाव है वह उसका आधार कतई नहीं होता है। सामान्य रूप से व्याज का दर मासिक ४ प्रतिशत है। राजस्व वसूल करने के लिये नियुक्त लोगों का वेतन उसमें जुड़ता है। यह वेतन निश्चित है और वह नवाब ने देना होता है। तहसीलदार के द्वारा किये गये व्यय से यह अधिक होता है। यह इस सौदे का स्वाभाविक लाभ माना जाता है। जैसे ही व्यवस्थापक अपना पद ग्रहण करता है, तुरन्त अपने सहायक भी नियुक्त कर लेता है। ये लोग सहव्यवस्थापक, प्रशासक और किराया वसूल करनेवाले होते हैं। इसके बाद इस उत्पीड़क व्यवस्था का दूसरा अंक प्रारम्भ होता है। तहसीलदार अत्यन्त दुराग्रही होता है। व्यवस्थापक को उसकी मागे पूरी करनी पड़ती है। देशी और यूरोपीय दोनों साहूकार उसकी सहायता करते हैं। साहूकार अग्रिम राशि देता है। प्रथम चरण में तहसीलदार इस अग्रिम राशि के लिये जमानत देता है। यह जमानत वहा की प्रजा अथवा अनाज होता है। आगे चलकर साहूकार की तीन चौथाई राशि अनाज के रूप में चुकाई जाती है और उसके नौकरो के कब्जे में रखी जाती है। शेष एक चौथाई राशि प्रजा राजस्व के रूप में और सूखे अनाज की खेती करके चुकाती है। मौसम के प्रारम्भ में ही यह राशि प्रजा से जबरन वसूल की जाती है। इसके लिये पैदा होने से पहले ही फसल को गिरवी रखना पड़ता है। ली हुई धनराशि का व्याज तो उसी क्षण से प्रारम्भ हो जाता है।

इस समय साहूकार अपने नौकरो और चपरासियों को गाव में भेजता है। उनके साथ नवाब के व्यवस्थापक का वहा के रक्षकों के लिये लिखित आदेश होता है। यह आदेश प्रजा से जमानत वसूलने के कार्य में सहायता करने के लिये होता है। लिखा तो होता है 'सहायता करना', परन्तु उसका निहितार्थ होता है 'आदेशानुसार करना'।

सम्पत्ति इतनी अनिश्चित होती है और वसूलने की चिन्ता इतनी अधिक होती है कि गाव की परम्परा और प्राप्त अधिकार से ऊर्जा प्राप्त कर वह यथासम्भव कठोर कार्यवाही करता है। अतः इस प्रकार घटना घटती है - रैयत यदि पैसा देने में हिचकिचाती है तो उसे भूखा रखा जाता है, डण्डे से ठोका जाता है और जो मार रहा है उसका भत्ता देने के लिये भी उसे विवश बनाया जाता है। जिस व्यक्ति को एक सौ चक्रम (लगभग ४० पेगोडा) चुकाना है उससे एक सौ दस या पन्द्रह चक्रम वसूले जाते हैं। यदि यह राशि स्रोत समाप्त हो जाता है - और वह होता ही है - तो उसे अपनी सम्पत्ति - पशु अथवा बीज - दे देनी पड़ती है।

यह तो इस पद्धति का प्रथम चरण है। यह सारी स्थिति का मूल स्रोत है। इसका दूसरा चरण इस प्रक्रिया का परिणाम है। इन दोनों चरणों में कार्य सिद्ध करने के लिये जिन साधनों का प्रत्यक्ष प्रयोग किया जाता है उनका या उसका भविष्य में राजस्व पर क्या प्रभाव होगा उसका विचार नहीं किया गया है। इस नाटक का सूत्रधार प्रत्यक्ष रगमच से पर्याप्त दूरी पर और अदृश्य होता है, तथा आदेशों का पालन करनेवाले प्याटो की सवेदना निरन्तर अभ्यास के कारण बधिर हो जाने के कारण से व्याज के उपर व्याज और उसके भी व्याज के अफीम के नशे में अन्त करण गहरी नींद में पड़ जाता है।

अभी तक तो मैं ने रैयत से प्राप्त की जानेवाली जमानत की राशि की सहायता से पैसा वसूलने की प्रगति का वर्णन किया है। अब प्रत्यक्ष फसल प्राप्त होने तक क्या क्या होता है उसका भी वर्णन करना कम समझदारी का काम नहीं है।

इस कार्य में जुटे लोगों का प्रयास अनाज का मूल्य कृत्रिम रूप से बढ़ाने का होता है। यदि अनाज की कीमत कम होगी तो ऊँचे दर के व्याज का पैसा वे किस प्रकार चुका सकेंगे ? वही तो उनके लिये आय का एक मात्र स्रोत है। यदि वे व्याज नहीं चुका सकते हैं तो साहुकार की बड़े लाभांश की अपेक्षा पूर्ण नहीं होगी। इस उद्देश्य को सिद्ध करने का उपाय सरल और सुलभ होता है। प्रजा इतनी विवश होती है कि जैसे ही फसल पैदा होती है उसे जल्दी से बेचनी पड़ती है क्योंकि वसूली करनेवाले का डण्डा उसके सिर पर ही होता है। अनाज खरीदने वाला अपना एकाधिकार प्रस्थापित कर देता है। मौसम समाप्त होते होते वह अनाज के भाव बढ़ा देता है। प्रजा को ऊँचे दाम देकर अनाज खरीद करना पड़ता है क्योंकि उसके पास बचा खुचा अनाज तब तक समाप्त हो जाता है। यदि मौसम की समाप्ति पर किसी के पास अनाज बचता है तो उसका समान रूप से बटवारा करके बेचने के लिये बाध्य किया जाता है। इस प्रकार से बाध्य बनाते समय उसे सौगंध दी जाती है। इस सौगंध के कारण (अनाज पैदा करनेवाले भी)

उसे ऊँचे दाम पर खरीद करते हैं। यह उनकी प्राचीन परम्परा और रीति है क्योंकि नामदार नवाब वलाजाह के साथ तिनेवेली के बुनकरो को जब कम्पनी के रेसिडेंट के सीधे आधिपत्य में जाना पड़ा तब भी उन्होंने सब कुछ छोड़ा परन्तु सौगंध लेने और देने का अधिकार लाख प्रयासों के बाद भी नहीं छोड़ा था।

सरकार के निम्न श्रेणी के नौकर प्रजा के हित की रक्षा के लिये होते हैं परन्तु वे तो सीधे ही साहूकार के कृत्रिम नियन्त्रण में आ जाते हैं। बिना उसकी अनुमति एक आना, या अनाज का एक कण भी बिना चोरी किये इधर उधर नहीं किया जा सकता है। मैं देखता हूँ कि गिरवी रखे गये जिले में जैसे ही साहूकार अथवा उसका प्रतिनिधि पहुँचता है, प्रत्येक गाँव में उसकी सूचना पहुँच जाती है। उसकी जानकारी और उसकी अनुमति के बिना पैसा या अनाज गाँव से बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध होता है। इस प्रतिबन्ध का दायरा पेगोडा, मान्यम् और शिबन्दी तक पहुँच जाता है। कचहरी से इसके व्यय हेतु परवाने दिये जाते हैं। जिसके पास सनद होती है उसे कचहरी में आकर उस सनद पर हस्ताक्षर और मुहर लगवा कर परवाना प्राप्त करना पड़ता है। जिस के पास इस प्रकार का परवाना होता है वही व्यय कर सकता है।

सही मौसम में यदि तुकवी (कृषि के लिये अग्रिम राशि) के प्रबन्ध से पशु वापस लाये जा सकते हैं, कृषि के लिये बीज बचाकर रखे जा सकते हैं तो सहूलियत होती है। परन्तु इस वसूली के चक्कर में तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिये इन दोनों की बलि चढ़ जाती है और साहूकार की झोली भरती है। इसका नियन्त्रण करने का कोई उपाय नहीं है अतः इस स्थिति में सुधार होने के भी कोई आसार नहीं है। अनाज के दर बढ़ाने के लिये मैंने कुछ उपाय सूचित किये, परन्तु यह विषय तो अनन्त और असीम है। तिनेवेली का व्यवस्थापक वहा के पालेगर को रक्षा करने के बदले में मिलनेवाले अनाज को भी बेचने की अनुमति नहीं देता है। विगत समय में अनाज का अभाव हो गया था। तब पालेगर लोगों को अनाज बाट रहा था। इस प्रकार की शिकायत नवाब के व्यवस्थापक एकताब खान की ओर से कम्पनी के जिलाधीश के पास पहुँची थी। (मेरे पास प्रमाण नहीं होता तो मैं यह बात बताने का साहस नहीं करता।) पालेगर के अनाज बेचने का अनिष्ट सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किये बिना दूर नहीं हो सकता है। सरकार ने अनाज भरे हुए जहाज भेजे। जिनका एकाधिकार था उन लोगों को अनाज खरीदने के लिये समझाया गया। उसमें उनका भी लाभ है यह बताया गया। इस से बाजार में अनाज की आपूर्ति हो सकती थी। इतना करने पर भी कम्पनी एकाधिकार के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकी। लोग तो एकाधिकार वाले व्यापारी द्वारा कितने भी ऊँचे दाम बताये

जाने पर भी खरीद करने के लिये विवश थे। यह अनाज भी नवाब की रक्षा के लिये तैनात सैन्य के जत्थे के निभाव हेतु खरीदा जाता था।

इतना बताने के बाद यह सरकार - यदि इसे सरकार कहा जा सकता है तो - कितनी अत्याचारी है इस विषय में किसी प्रकार की टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप लोग गरीब बन जाते हैं, राजस्व कम हो जाता है यह तो एक बात है परन्तु नामदार नवाब के सारे स्रोत किस प्रकार सूख जाते हैं यह बताना भी उपयोगी रहेगा।

बिना किसी अत्युक्ति से भी अनुमान किया जा सकता है कि केवल एक तिनेवेली प्रदेश उपर वर्णित शर्तों पर ३,००,००० पेगोडा के बदले में गिरवी रखा गया है। चार प्रतिशत के व्याजदर से ६ मास के ७२,००० पेगोडा व्याज की राशि बनती है। पैसा सूद पर देनेवाले की शिबन्दी का खर्च ३,००० पेगोडा से कम नहीं होता है। अतः ६ मास का सरकार का नुकसान ७५,००० पेगोडा हुआ।

एक सज़न निजी तौर पर तीन वर्ष से भी कम समय में ५०,००० पाउण्ड से भी अधिक राशि जमा कर सकता है तो वह महदाश्चर्य ही माना जाना चाहिये। परन्तु यह आश्चर्य यदि सत्य स्थिति है तो उसका खुलासा होना चाहिये या उसके प्रमाण दिये जाने चाहिये।

परन्तु दृश्य यहाँ समाप्त नहीं होता। प्रमुख साहूकार और व्यवस्थापक का लेनदेन पूरा हो जाने के बाद निचले स्तर के अधिकारियों का इसी प्रकार का लेनदेन शुरू होता है। यह लेनदेन पचास हजार से लेकर एक लाख पेगोडा का होता है। इससे सरकार का बोज और बढ़ जाता है। आपत्ति के समय में पैसे उधार दिये होने पर भी व्याज तो लिया ही जाता है। जब तक पूरी किश्ते नहीं चुकाई जाती तब तक व्याज देना होता है। दूसरी ओर देनदार का दण्ड, गुड्डियम, दण्ड की भरपाई आदि से तो छुटकारा होता नहीं है। अतः उसके व्याज से भी छुटकारा नहीं होता है।

गिरवी रखे गये प्रदेश के बदले में प्राप्त की हुई राशि तो व्यवस्थापक को वापस करनी ही होती है। इस देश की परम्परा भी उसे ऋण चुकाने के लिये बाध्य करती है। अतः उसकी कल्पना में जो भी आते हैं वैसे प्रयास वह ऋण चुकाने के लिये करता है। अतः मन्दिरो और मठों को दिये जाने वाले दान में कटौती होती है, वेतनभोगियों के वेतन स्थगित हो जाते हैं, कुछ खर्चपानी के लिये थोड़ी राशि उन्हें तत्काल उपयोग के लिये दी जाती है। इनकी प्रमुख आय तो भत्तों की होती है और शेजवाल का काम करते हुए वे इसको अधिकारपूर्वक प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही, कुशल होने के कारण से वे बहुत

सारी भेंट भी प्राप्त करते हैं। व्यवस्थापक का अनुभव परिपक्व होने के कारण से उसे मालूम होता है कि प्रजा को बन्धक बनाने से उसकी आर्त पुकार दया और मानवता से प्रेरित होकर अंग्रेज सरकार सुनेगी, अथवा एक नीति के तहत भी विद्रोही और अनुशासनहीन प्रजा के कोलाहल को शान्त करने का प्रयास करेगी। अतः सरकार जब आपत्तिग्रस्त होती है तभी वेतनभोगियों के बाकी भत्ते और वेतन चुकाने के लिये बाध्य करने हेतु सारे ससाधन और स्रोत समाप्त कर दिये जाते हैं।

यदि वर्तमान व्यवस्था का यह निरूपण सही है तो ऐसा प्रश्न स्वाभाविक रूप में पूछा जा सकता है कि इस स्थिति में राजस्व क्यों समाप्त नहीं होता है। क्यों कि मेरे द्वारा वर्णित इस स्थिति की दिशा तो सर्वनाश की ओर ही संकेत करती है। उसे कोई भी, कुछ भी बचा नहीं सकता। खेती के ससाधन क्रमशः कम होते हैं, अनाज का भाव बढ़ता जाता है। (ब्रिटिशों की अमानवीयता के कारण) भारत में इस प्रकार का दुष्ट सिद्धान्त प्रचलन में है कि अकाल के समय में सरकार के सौभाग्य से अधिक कमाई करने का अवसर होता है क्यों कि अनाज का भाव ऊँचा होता है और अनाज का अभाव होने के कारण से लोगों को ऊँचे दाम देकर भी अनाज खरीदना पड़ता है। (यह सरकार का भी दुर्भाग्य माना जाना चाहिये।) जब अकाल नहीं होता है तब तो अनाज सुलभ होता है। उसे बाहर भेजना भी कठिन होता है। अभाव के समय में उसी अनाज से लोगों का निभाव होता है। जब आपूर्ति माँग से कम होती है तब बाजार के नियम के अनुसार भाव ऊँचे ही होते हैं।

राजस्व वसूल करने के लिये साहुकार का इस प्रकार का व्यवहार कोई नई बात नहीं है। परन्तु यूरोपीयों के भारत में आने से पूर्व इतनी शोषणपूर्ण सूदखोरी यहाँ नहीं थी। इसका अनिवार्य परिणाम यह हुआ है कि इस देश के सभी ससाधन समाप्त हो गये हैं, लोगों की सम्पत्ति निःशेष हो गई है और ह्रास का सिद्धान्त लागू हो गया है। इसमें किसी को कोई सन्देह नहीं है। सरकार के अनेक कृत्रिम और कठोर उपायों के बाद भी यह तथ्य किसी से छिपा नहीं रह सकता। मैं इस तथ्य का गम्भीर रूप में अनुभव कर रहा हूँ। सन् १७९२ में की गई सन्धि के तहत हमने सुरक्षा का वादा किया था उसे पूरा नहीं किया जा सकता है इसलिये मैं चिन्तित हूँ। साथ ही, कोरोमण्डल के तटीय प्रदेश के ससाधन ही ब्रिटिश हितों का आधार हैं। राजस्व वसूल करने की इस पद्धति से सारे ससाधन ही नष्ट हो जाएँगे और हमारी सुरक्षा भी समाप्त हो जाएगी। नामदार नवाब जब किशते चुकाना बन्द कर देंगे तब होनेवाली क्षति हम पूरी नहीं कर पाएँगे। हमारे द्वारा की जानेवाली वसूली और चुकाई जानेवाली राशि हमें उचित प्रतीत होती हो तो भी उसके

साथ उपरिवर्णित सभी अमानवीय एव असाधारण उपाय जुड़े हुए हैं। जब यह पद्धति नाकाम हो जाएगी तब समग्र प्रजा पूर्ण रूप से दरिद्र बन गई होगी। हमें तब उस स्थिति को स्वीकार करने के लिए सिद्ध होना पड़ेगा। इस स्थिति में हम नवाब से उसका प्रदेश छीन लेंगे। परन्तु हमें तो नष्ट विनष्ट प्रदेश ही मिलेगा। उस समय उदार और अनुकम्पा से पूर्ण सरकार का रूप धारण करना पड़ेगा और प्रजा की सहायता करनी पड़ेगी। हमें जब बहुत आवश्यकता होगी तभी हमारी आय के स्रोत बन्द हो जायेंगे। मानवता के नाते उस समय भी हमको प्रजा की सहायता करनी पड़ेगी। यह एक उलझनभरी स्थिति है। कोई भी ज्ञात उपाय हमें इससे उबार नहीं सकता है। सन् १७९२ की संधि के कारण तो हमारी स्थिति और भी द्विधापूर्ण बन गई है। उस संधि के तहत ससद ने सभी प्रकार का ऋण चुकाने का अभिवचन दिया है। हम उसे निलम्बित नहीं कर सकते हैं। सैन्य का वेतन रोकने पर तो हम अपने ही उपर सकट ढाएँगे।

इतने महान अनिष्ट के भय तथा उसके परिणामों का निवारण करने का विचार करना और उपाय ढूँढना ही वर्तमान सरकार की महती आवश्यकता है। मेरे लिये भी यह अत्यन्त प्रक्षुब्ध करनेवाली बात है कि इतना बड़ा विनाश ढाया जा रहा है और उसका परिणाम भी कल्पना में आ रहा है तब भी उसे रोकने का उपाय ढूँढने में मैं असमर्थता का अनुभव कर रहा हूँ।

इस प्रकार के व्यवहार को प्रतिबन्धित करने का एक भी उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। एक यूरोपीय के लिये देशी नौकरों के माध्यम से इस प्रकार के आदेशों की अवज्ञा करना बहुत सरल है। सूदखोरी का लाभांश इतना बड़ा होता है कि साहसी लोग लालच रोक नहीं पाते। यूरोपीय लोगों का दरबार में प्रवेश प्रतिबन्धित करना भी परिणामकारी नहीं होगा क्योंकि व्यवहार के और रास्ते तो खुले ही हैं। सुदूर पालमकोटा में रहनेवाला अधीक्षक चेपोक में अत्यन्त समीप रहनेवाले ग्रामवासी के समान ही सरलतापूर्वक नवाब तक अपनी मांग पहुँचा सकता है। जब तक स्वयं नवाब को अपना हित समझमें नहीं आता है और अपनी प्रजा एव अपने प्रदेश को सूदखोरो के हवाले कर देना बन्द नहीं करता है तब तक इस भारी लाभांश की लालच से बन्द कानों को विवेक और नीतिमत्ता की ध्वनि सुनाई नहीं देगी।

यह रोग अत्यन्त हठी है और इसका मूलगामी उपाय करने की आवश्यकता है। मेरा अभिप्राय निःसन्देह रूप से यह है कि इसके मूल कारण को दूर करना ही एक मात्र उपाय है। किश्ते चुकाने के लिये जिन प्रदेशों को नवाबने गिरवी रखा है उन प्रदेशों को नवाब के कब्जे से पूर्ण रूप से मुक्त कर देना चाहिये। नवाब का व्यवहार देखकर इस

भयावह स्थिति के सही कारण की कल्पना कोई भी कर सकता है। इस एक ही मामले में किस सीमा तक और कितने प्रकार से व्याज का हिसाब होता है इसकी कल्पना तक किसीको नहीं हो सकती। पूरे कर्नाटक में यह जाल फैल गया है। फिर भी भयसूचक शखनाद सुनते ही समान उद्देश्य के लिये सब इकट्ठे हो जायेंगे। दरबार को सूद पर पैसा देने वाले उद्योगगृह व्यक्तियों से पैसा लेते हैं। अतः ये व्यक्ति भी इस सूदखोरी से सीधे नहीं तो परोक्ष रूप में सम्बन्धित हैं। उन्हें भी इसका उतना ही भय है जितना प्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुए लोगों को है। प्राप्त होने वाले व्याज का लाभ भी सभी के समान सरोकार का विषय है। इस सिद्धान्त के समान सूत्र से जुड़े हुए लोग नवाब की सहायता करने के, तन्त्र को सुव्यवस्थित करने के और राष्ट्रहित के किसी भी प्रयास का विरोध करेंगे।

नामदार नवाब के समक्ष मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें कम्पनी बहुत सी सहूलियत दे रही है यह मैं जानता हूँ। परन्तु जिस भयावह अनिष्ट के आसार मुझे दिखाई दे रहे हैं उनके चलते मैं इससे अलग किसी भी प्रकार का विचार नहीं कर सकता। नवाब की सरकार तो राजस्व के सभी स्रोत नष्ट कर देने पर तुली हुई है।

∴ सन् १९६६ से कुछ ब्रिटिश अभिलेखागारों से लेखक द्वारा सकलित जानकारी के आधार पर यह आलेख तैयार किया गया है। प्रमुख रूप से १९८०-८१ में तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल के अभिलेखागारों से यह जानकारी प्राप्त हुई है।

४. पिछडेपन का प्रश्न

१

इतिहास में इससे पूर्व कभी नहीं हुआ उस प्रकार आज भारत में एक दूसरे से बिलकुल भिन्न ऐसे दो समाज अस्तित्व में हैं। इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है, दोनों एक दूसरे के समान्तर चलते हैं। एक समाज ऐसा है, जो बहुत छोटा है परन्तु छोटा होते हुए भी उसमें कई करोड़ लोगों का समावेश हो जाता है। उसके विचार, उसके ससाधन, उसकी प्रेरणाएँ, उसके मनोरंजन के स्रोत भारत के बाहर हैं। इस समाज में सभी वैभवपूर्ण जीवन नहीं जीते हैं। उसमें भी अनेक लोग ऐसे हैं, जो तपश्चर्या करते हैं। कई स्वयं को प्राचीन भारतीय मूल्यों के लिए, समाजवाद के लिए, महात्मा गांधी के वैश्विक विचारों के लिए समर्पित मानते हैं। परन्तु ये सब एक नहीं तो दूसरे प्रकार से अधिकार में बैठे हुए हैं। स्थिति ऐसी बनी हुई है कि उनकी पहल अथवा उनकी सहमति के बिना सार्वजनिक जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है। भारत के बाहर दृष्टि गड़ाये बैठा लोगों का यह बड़ा तबका निःसन्देह अभिजात है, मृदुभाषी है, कल्पना में सद्भावपूर्ण भी है। परन्तु दैवयोग से विदेश व्यापार और विदेश प्रवास (आधुनिक उपकरण, विमानयात्रा, बहुमजिले होटल और ऐसा ही सब कुछ), विदेशी सहायता और विदेशी मुद्रा की अमर्यादित इच्छा ही उनकी पहचान बन गई है। ये दो इस समाज के साक्षात् देव हैं।

इनको छोड़ शेष सभी भारतवासी दूसरे प्रकार का समाज हैं। यह समाज एक ही प्रकार के लोगों से बना हुआ नहीं है। उसमें भिन्न भिन्न वर्ग हैं। वर्गों के बीच बहुत बड़े फासले हैं। इस समाज के अधिकांश लोग अत्यधिक अव्यवस्थित जीवन जीते हैं। इस समाज का लगभग आधा हिस्सा कठिनाई से अपना निर्वाह करता है। परन्तु इतनी भिन्नता होते हुए भी, जो एक बात समान है, वह यह कि सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए यह समाज उस दूसरे समाज पर ही आधारित है, जिसके हाथ में सत्ता और निर्णय की लगाम है। दूसरा एक लक्षण यह है कि अपने सभी व्यवहारों में वह देशी मान्यताओं

और वाक्प्रचारो का ही उपयोग करता है, भले ही वह आधुनिक यन्त्रो और उनके अनुरूप पद्धतियो का प्रयोग करता हो। इसलिए उसको सत्ताशील समाज की भाषा और लहेजा आने की बात तो दूर, समझ मे भी नहीं आती है। इस समाज के अनेक युवक-युवतियाँ सत्त्वशील है और अभिजात वर्ग के सदस्य बनने की महत्वाकाक्षा रखते है, कुछ को इसमे सफलता भी मिलती है, परन्तु कुल मिलाकर इन दोनो समाजो मे कोई निश्चित समसम्बन्ध निर्माण नहीं होता है, उल्टे अन्तर और दूरी बढती ही जाती है।

यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि पिछड़ेपन के प्रश्न के विषय में विचारविमर्श करने के लिए यहाँ उपस्थित सब, इस लेखक समेत, इस भारत के बाहर देखनेवाले वर्ग के ही है। यद्यपि इससे उनकी चर्चा करने की योग्यता तत्त्वत कम नहीं होती है, फिर भी इस विषय को स्मरण मे रखने की आवश्यकता है ही।

‘पिछड़ापन’ भी इस विशाल दूसरे वर्ग का एक लक्षण है।

२

‘पिछड़ेपन’ की सकल्पना सास्कृतिक और आर्थिक दोनो अर्थों मे लागू की जाती है। सास्कृतिक दृष्टि से देखे तो जाति पिछड़ेपन की निशानी है। परन्तु जाति को इस प्रकार निशानी मानने के निर्णय पर हम कैसे पहुँचे ? प्राचीन काल से गाँव की तरह ही जाति भी भारतीय समाज का अभिन्न अंग रही है। यह सच है कि ‘मनुस्मृति’^१ जैसे ग्रथो के अनुसार एक समय भारत चार वर्णों मे विभाजित था। ये चार वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी परम्परा के अनुसार इन चार वर्णों से ही समय व्यतीत होने पर भिन्न-भिन्न जातियो की रचना हुई है। वस्तुतः इन चार वर्णों मे किसी भी व्यक्ति को कोई अक्षम्य अपराध करने पर परिवार सहित वर्ण से निष्कासित कर दिया जाता था। ऐसे परिवार अत्यज कहे जाते थे (चडाल, परिहा आदि)। दूसरी एक परम्परा के अनुसार (जो अलग अलग जातियो और जनजातियो की विशेष परम्परा के रूप मे स्वीकृत है) प्रत्येक जाति की एक दैवी उत्पत्ति रही है। नृवशशास्त्र की धारणा के अनुसार जातियाँ पूर्व के जनजाति समूहो से विकसित हुई हैं। काल के प्रवाह मे ये समूह विशाल जनसमाज की ठोस रचना मे तो मिल नहीं पाये, फिर भी उनकी विचारधारा और मान्यताएँ उन्होने अपना ली है। हाल की शताब्दियो मे इन जातियो और जनजातियो के साथ साथ धार्मिक समूहो मे भी वृद्धि हुई है। भारत की कई जातियो और जनजातियो का इस्लाम और ईसाई पथ मे धर्मान्तरण होने के बाद इस मे वृद्धि हुई है। साथ ही भारत के बाहर के क्षेत्रों से भारत मे आकर निवास करने वाले लोगो का भी एक उल्लेखनीय समूह है, जिसने अपने रीतिरिवाज का पालन करते हुए भी भारत को अपना

घर बनाया है।

भारत में प्राचीन काल से ही जातियों और जनजातियों का अस्तित्व रहा है और आज भी वह है ही। फिर भी इतिहास में कभी जाति, आज की तरह बहुत बड़ी समस्या नहीं रही है। इतिहास में दृष्टिपात करने पर ध्यान में आता है कि सभी जातियों का सह अस्तित्व रहा है, उनका आपस में आदान प्रदान होता रहा है, कई समूह साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं, तो परस्पर लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक दक्षिण भारत में दाईं और बाईं के रूप में जातियों का विभाजन होता था। हमारी सामान्य धारणा से विपरीत, यहाँ तक कि 'मनुस्मृति' से भी विपरीत, कम से कम जब अंग्रेजों ने भारत को जीतना प्रारम्भ किया तब भारत के विभिन्न भागों में राजा ऐसी जातियों से होते थे जिन्हें शूद्र वर्ण कहा जाता है। यहाँ इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जिनको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण में समाविष्ट किया जा सकता है, ऐसे लोगों की संख्या हिन्दुओं में बहुत कम है (१२ प्रतिशत से लेकर ५ प्रतिशत)।

यह सम्भव है कि अलग अलग जातियों और जनजातियों का अस्तित्व भारत के राज्यतन्त्र का एक कमजोर पहलू था। परन्तु ऐसा भी कहा जा सकता है कि जातियों और जनजातियों के कारण ही भारत दीर्घजीवी रहा है, उसकी टिके रहने की क्षमता बढ़ी है और एक बार पतन होने के बाद भी वह उठ कर खड़ा हुआ है। किन् परिस्थितियों और कैसी व्यवस्थाओं के कारण जातियाँ और जनजातियाँ भारतीय समाज का विभाजन करती हैं या उसमें सुसवाद निर्माण करती हैं इस पर अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है और न इसका कोई निश्चित उत्तर ढूँढा गया है। वास्तव में ऐसे कोई प्रश्न भी व्यवस्थित ढंग से पूछे नहीं गए हैं। अंग्रेजों के लिए, और उनसे भी पहले अन्य कई लोगों के लिए जाति एक बहुत बड़ा अवरोध था, एक अनिवार्य अनिष्ट था, इसलिए नहीं कि वे जातिविहीन समाजरचना में विश्वास करते थे अथवा वश परम्परा में विश्वास नहीं करते थे। परन्तु इसलिए कि जातिव्यवस्था भारतीय समाज को तोड़ने के उनके लक्ष्य में अवरोध थी, प्रत्येक व्यक्ति विभाजन करने में रुकावट पैदा करता था, और भारत को जीतने का और उस पर शासन करने का काम बहुत कठिन बन जाता था। भारतीय समाज की जातियों के सगठन के विरुद्ध अभी जो आक्रोश है और जो सैद्धांतिक चर्चा हो रही है और जिस के परिणामस्वरूप आज वह व्यवस्था मान्य या अमान्य होती है, उसका मूल ब्रिटिश शासन में है।

एक ओर तो अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को अनिष्ट करार दिया, परन्तु दूसरी ओर उनको भारत को जीतने की ओर साथ ही उसी प्रकार के वर्गीकरण की आवश्यकता थी।

इसलिए उनका ध्यान 'मनुस्मृति' की तरफ आकर्षित हुआ। 'मनुस्मृति' का उन्होंने विद्वत्तापूर्ण अध्ययन करवाया। साथ ही उसकी कुछ व्यवस्थाओं - प्रमुख रूप से वर्णव्यवस्था - को कानूनी समर्थन भी दिया। इसका परिणाम बहुत गम्भीर हुआ। भारत के विशाल जनसमूह को अपनी वशानुगत सम्पत्ति से वंचित करने के लिए और परम्परागत व्यवसायों को उनसे छीनने के लिए, असंख्य सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव और कर्मकांडों में सहभागी होने और उनका संचालन करने का उनका अधिकार उनसे छीन लेने के लिए अंग्रेजों ने वर्णव्यवस्था का उपयोग किया। अनेक जातियों में रीतिरिवाजों के विषय में जो लचीलापन था उसको भी अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। साथ ही उनको इतने प्रकार से नीचा दिखाया कि वे धीरे धीरे एक दूसरे से अलग और दूर हो गये। यात्रिक पद्धति से जातियों के अनुसार सूची बनाने का काम उन्होंने प्रारम्भ किया। इस प्रकार जातियों में आपस में जो सम्बन्ध और सतुलन था, वह बिलकुल नष्ट हो गया।

एक शताब्दी के बाद, उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त भाग में ब्रिटिशों की नीति के जो परिणाम प्राप्त हुए थे, उनसे निकलकर वापस मुड़ने के प्रयास प्रारम्भ हुए। धीरे धीरे उसी के परिणाम स्वरूप आज जिसे 'पिछड़ी जाति आन्दोलन' कहा जाता है वह शुरू हुआ। जिस रूप में उसके उद्देश्य प्रस्तुत किए जाते हैं, उससे यह सूचित होता है कि जिस पिछडेपन से वे सघर्ष कर रहे हैं, यह बहुत प्राचीन काल से चली आ रही व्यवस्था है। वास्तव में उनका सांस्कृतिक और आर्थिक पिछड़ापन (धार्मिक क्रियाकांडों में ही उनका विशेष महत्त्व है, उस विशेष स्थिति में धार्मिक क्रियाकांडों से अलग) तो सन् १८०० के बाद आया है। जो भी आन्दोलन अथवा क्रान्ति वे चला रहे हैं, वह तो सन् १८०० पूर्व की स्थिति, उनकी प्रतिष्ठा, उनके अधिकार फिर से प्राप्त करने के लिए ही है।

३

इतिहास के कम में भारत के लोग अनेक अनिष्टों के शिकार बने हैं। उनके ऊपर अनेक विदेशी आक्रमण हुए हैं, अत्याचार हुए हैं। उनके सांस्कृतिक और धार्मिक स्थान नष्ट हुए हैं। उन्हें राजकीय अधीनता भी सहनी पड़ी है। फिर भी इस दीर्घ काल में उन्हें ऐसा कभी नहीं लगा कि वे कहीं भी निम्न दर्जे के हैं अथवा आज की भाषा में कहे तो 'पिछड़े' हैं। यह स्वाभाविक भी है। कोई व्यक्ति, समूह अथवा जाति अपना वर्णन करते समय कभी नहीं कहेगा कि वह स्वयं पिछड़ा है। ऐतिहासिक और पर्यावरणीय कारणों से जिस प्रकार अभी तक यूरोप कष्टमय और सघर्षमय जीवन जीता आया है, वही हाल भारत का भी होता है, तो उसमें आश्चर्यचकित होने का कोई कारण नहीं है। अन्य कई

कारणों से समाज अथवा समाज के कुछ घटक दरिद्र बन गए हो अथवा उन्हें परेशानी उठानी पडी हो, यह भी सम्भव है, परन्तु मात्र इसी कारण से किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि वह स्वयं 'पिछड़ा' बन गया है। 'जगलीपन' की ही तरह 'पिछड़ापन' भी अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सजा है, जो हमारे सांस्कृतिक मापदण्डों को नहीं अपनाते, ऐसे पराये लोगों को दी जाने वाली सजा है। दूसरे पर प्राप्त विजय को न्यायपूर्ण ठहराने के लिए, दूसरे को अपने अधीन बना देने के लिए, दूसरे को नष्ट कर देने के लिए 'पिछड़ेपन' की सजा का सहारा लिया जाता है। जब पराधीन लोग इस सजा को स्वीकार कर लेते हैं और अपने लिए उसका उपयोग करने लगते हैं, तब समझना चाहिए कि उन्हें जीतने की और पराधीन बनाने की प्रक्रिया पूर्ण हुई है और पराधीन लोगों ने अपनी ही दृष्टि में अपना गौरव खो दिया है। भारत के जनसमाज के या उसके किसी एक हिस्से के सोलहवीं, सत्रहवीं, या अठारहवीं शताब्दी में समृद्ध या गरीब होने में दो मत हो सकते हैं। परन्तु उस समय में 'पिछड़ेपन' की सजा तो उनको किसी प्रकार लागू नहीं की जा सकती। इससे विपरीत आक्रमणकारी यूरोप के लोगों को उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि भारत के लोग उनको (यूरोपीयों को) पिछड़ा मानते हैं, क्योंकि उनकी रहन सहन की पद्धति और उनका लोभ भारत में जगलीपन और असस्कारिता का ही लक्षण माना जाता था। उनकी चमड़ी का रंग रोगिष्ठ माना जाता था और अठारहवीं शताब्दी में इंग्लैंड में प्रचलित दहेज प्रथा को भारत में क्रोध से भौंहे चढाकर देखा जाता था।^२ परन्तु अठारहवीं शताब्दी के अंत तक भारतीय समाज पूर्ण रूप से जीत लिया गया, और पराधीन बन गया। तब से धारा बदल गई और सोच समझकर 'पिछड़ेपन' और उसके समान अन्य सजाओं का प्रयोग भारतीयों के लिए होने लगा।

४

विलियम विल्बरफोर्स व्क्टोरियन इंग्लैंड का पिता माना जाता है। सन् १८१३ की ग्रीष्म ऋतु में ब्रिटिश हाउस ऑफ कोमन्स में एक दीर्घ चर्चा चली थी। उसमें विल्बरफोर्स ने भारत के लोगों की स्थिति को अत्यन्त दारुण चित्रित की। उसने कहा कि भारत के लोग अज्ञान के गर्त में गहरे डूबे हुए हैं।^३ दूसरे एक अंग्रेज जेम्स मिल ने भी इसी प्रकार की बातें प्रस्तुत कीं। सन् १८१७ में उसने 'हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया' नामक ग्रंथश्रेणी प्रकाशित की। उसमें साहित्यिक भाषा में खूब विस्तार से विल्बरफोर्स से भी बढ़कर भारत के लोगों के अज्ञान, दरिद्रता, और दुर्दशा की बातें उसने प्रस्तुत कीं। मिल के कथनानुसार 'नपुंसक की तरह हिन्दुओं में गुलामों के सभी लक्षण हैं। एक अशिक्षित समाज से भी अधिक मात्रा में वे कपटी, झूठे, और

षड्यन्त्रकारी है।' वे 'कायर' और 'सवेदनाशून्य है', 'अपने घरों में और व्यक्तिगत तौर पर भी वे घृणाजनक रूप में अस्वच्छ हैं।'^४ यहाँ इस बात का भी उल्लेख करना चाहिए कि जेम्स मिल का अभिप्राय मुस्लिम और चीनियों के विषय में भी ऐसा ही है। विल्बरफोर्स और जेम्स मिल द्वारा निरूपित बातों को दूसरों ने भी काटछाँट कर स्वीकार कर ली थीं। आज भी वे इसी प्रकार से प्रचलित हैं। अन्तर केवल इतना ही आया है कि पश्चिम जिस प्रकार अपना दृष्टिकोण बदलता है, उसी प्रकार इन विषयों का महत्त्व भी बढ़ता घटता रहता है। अब ईसाई पथ अपनाकर आत्मा का उद्धार करने के उद्देश्य के स्थान पर जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा है, 'पाश्चात्य'^५ बना कर, अथवा आज की भाषा में 'आधुनिक' बना कर हिन्दू का सम्पूर्ण रूपान्तर करना उद्देश्य बन गया है।

५

लगभग उसी समय में, अर्थात् सन् १८०० से १८२५ में कम प्रसिद्ध लेख और टिप्पणियों में भारत का भिन्न भिन्न प्रकार का चित्र उभर कर आता है। उनमें कुछ यहाँ उद्धृत करने योग्य हैं।

१८०४ में इंग्लैंड में प्राप्त जानकारी के आधार पर भारत में खेती की उपज और खेतीकाम की मजदूरी के दरों के प्रश्न पर चर्चा हुई थी। इंग्लैंड और भारत के आकड़ों की तुलना करने से यह बात ध्यान में आई थी कि भारत की खेती की उपज इंग्लैंड से अनेक गुना अधिक थी। ब्रिटिशों को जिस बात का अधिक आश्चर्य हुआ, वह तो यह था कि इंग्लैंड के खेतमजदूरों को प्राप्त मजदूरी से भारत के खेतमजदूरों को प्राप्त मजदूरी भी बहुत अधिक थी। उस समय टिप्पणी की गई थी कि सन् १८०० के आसपास जब भारत का अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर था और निरन्तर बिगड़ता ही जा रहा था, तब भी मजदूरी के दरों के विषय में यदि इतनी उन्नत स्थिति है, तो स्थिति बिगड़ने की शुरुआत हुई, उससे पूर्व वह कितनी उन्नत रही होगी।^६

भारत में शिक्षा विषयक कोई निश्चित नीति निर्धारित करने से पूर्व अंग्रेजों ने उस समय की देशी शिक्षण पद्धति के विषय में कुछ सर्वेक्षण कराए थे। मद्रास प्रेसीडेन्सी (वर्तमान तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश का अधिकांश विस्तार, वर्तमान कर्णाटक के कुछ जिले, केरल और उड़ीसा) में सन् १८२२ से १८२५ के दौरान विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था। यह सर्वेक्षण दर्शाता है कि प्रेसीडेन्सी में उस समय भी ११,५७५ शालाएँ और १,०८४ कॉलेज अस्तित्व में थे जिनमें क्रमशः १,५७,१८५ और ५,४३१ छात्र अध्ययन करते थे। इन विद्यालयों में पढ़नेवाले छात्रों की जातियों का विवरण अधिक आश्चर्यजनक था। तमिलभाषी प्रदेश में शूद्र और शूद्र से भी निम्न मानी जाने वाली

जातियों का ७० से ८० प्रतिशत, उड़िया भाषी प्रदेशों में ६२ प्रतिशत, मलयालम भाषी प्रदेशों में ५४ प्रतिशत और तेलुगु भाषी प्रदेशों में ३५ से ४० प्रतिशत छात्र इन जातियों के थे। मद्रास के गवर्नर का अनुमान था कि विद्यालय जाने की आयु के लड़कों का २५ प्रतिशत ही विद्यालय में जाता था। पर्याप्त सख्या में लड़के और बहुत बड़ी सख्या में लड़कियाँ घर में ही शिक्षा प्राप्त करते थे। मद्रास नगर की जानकारी के अनुसार २६,४४६ लड़के घर में पढ़ते थे और ५,५३२ विद्यालय जाते थे। कॉलेज स्तर पर अध्ययनरत छात्र, जो घर में ही पढ़ते थे, उनकी सख्या मलबार में अधिक थी। वह थी १,५८७ जब कि उस समय निर्धन बन गये सामुद्रिन राजा के परिवार के द्वारा चलाए जानेवाले कॉलेज में पढ़नेवालों की सख्या केवल ७५ थी। मलबार जिले में ही विद्यालय जानेवाली मुस्लिम लड़कियों की सख्या आश्चर्यजनक रूप से १,१२२ थी, जबकि लड़कों की सख्या ३,१९६ थी।^७ ६२ वर्ष के बाद १८८४-८५ में मुस्लिम लड़कियों की सख्या केवल ७०५ थी। इसी समय में मुस्लिमों की जनसख्या दुगुनी हो गई थी।

अधिक गहरे उतरने पर तो अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध और उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध के ब्रिटिश विवरण से भारतीय सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का भी इसी प्रकार का चित्र उभर कर आता है। उसमें केवल विज्ञान और तन्त्रज्ञान का ही एक अभिजात स्वरूप नहीं अपितु समाजजीवन का भी सुन्दर चित्र दिखाई देता है। (अग्रेजों के द्वारा की गई जाँच के अनुसार अठारहवीं शताब्दी में भारत में उत्तम इस्पात बनता था और इस्पात बनाने की बहुत सारी भट्टियाँ भी थीं।)^८ एलेकझान्डर रीड, जो बाद में मद्रास (चेन्नई) की राजस्व पद्धति का जन्मदाता बना था, उसके मतानुसार सन् १७८० के आसपास हैदराबाद में नौकर और मालिक को एक दूसरे से अलग दर्शाने वाली बात केवल उतनी ही थी कि मालिक के कपड़े नौकर के कपड़ों से अधिक सफेद थे।^९

सन् १८०६ में बेलारी जिले में सग्रहित जानकारी में भारत के अर्थतन्त्र और व्यय के विषय में जानकारी मिलती है। यह जानकारी जिले के लोगों के कुल खर्च की तो है ही, साथ में तीन प्रकार के वर्गों के खर्च का विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत करती है। ये तीन प्रकार के वर्ग ब्रिटिशों ने बनाए थे। ये तीन वर्ग थे अमीर, मध्यम और निम्न वर्ग। ये श्रेणियाँ भी आर्थिक आधार पर बनी हुई थीं। इस अनुमान के अनुसार अनाज के खर्च को देखे, तो अमीर वर्ग के लोग उत्तम प्रकार के अनाज का उपभोग करते थे, जब कि शेष दो वर्गों के लोगों के अनाज की गुणवत्ता थोड़ी कम थी। परन्तु तीनों वर्गों में मात्रा समान थी - व्यक्तिश प्रतिदिन आधा सेर। वस्तुओं की सूची में २३ अन्य वस्तुओं का

समावेश होता था, जैसे दाल, सुपारी, घी, तेल, इमली, कच्चा और पक्का नारियल, दवाई, कपड़े, इधन, सागसब्जी, पान इत्यादि। खर्च करने की पद्धति का उदाहरण देते हुए यह विवरण सूचित करता है कि छ व्यक्तियों के एक परिवार का पान खाने का एक वर्ष का हिसाब प्रथम वर्ग में ९,६००, दूसरे वर्ग में ४,८०० और, तीसरे वर्ग में ३,६०० पान था। घी और तेल का अनुपात अदाज से ३ १ १ था और दाल का ८ ४ ३ था। प्रति व्यक्ति वार्षिक खर्च था १७ रूपए ३ आना ४ पाई प्रथम वर्ग का, ८ रूपये दो आना ४ पाई दूसरे वर्ग का और ७ रूपए ७ आना तीसरे वर्ग का।^{१०}

उपरोक्त जानकारियाँ बहुत व्यापक हैं। वास्तविक रूप में हो सकता है कि व्यक्तिगत तौर पर प्रथम वर्ग के अनेक लोगो का खर्च औसत से अधिक हो और तीसरे वर्ग में अनेक लोगो का औसत से कम। कर्नाटक क्षेत्र में सर्वेक्षण करके सन् १७९९ में प्राप्त जानकारी से ऊँचे और निचले वर्ग के अन्तर का अदाज आता है। टीपू सुलतान के राज्य के अधिकारियों की आय के विषय में बहुत जाँच करने के बाद ब्रिटिशर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि चित्रदुर्ग का गवर्नर टीपू के शासन में सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाला अधिकारी था। उसका वेतन था मासिक सौ रूपए।^{११} उसी समय उसी क्षेत्र में एक सामान्य मजदूर का वेतन था मासिक ४ रूपए। अग्रेजो के शासन में वेतन के आकड़े ध्यान देने योग्य हैं। अग्रेज जिला कलक्टर का वेतन था मासिक १,५०० रूपए, ब्रिटिश गवर्नर काउन्सिल के सदस्य का वेतन था मासिक ६,००० से ८,००० रूपए। ये नए अन्तर केवल ब्रिटिशरो तक ही सीमित नहीं थे। इसी प्रकार के अन्तर भारतीयों के लिए भी लागू किए गए थे। उदयपुर के महाराणा के व्यक्तिगत भत्ते के विषय में यह नीति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उदयपुर ब्रिटिश सरक्षण के अन्तर्गत नहीं आया था, तब तक महाराणा को मासिक १,००० रूपए भत्ता मिलता था। परन्तु सन् १८१८ में ब्रिटिश सरक्षण के अन्तर्गत आते ही राज्य के अन्य अनेक प्रकार के खर्च या तो कम कर दिए गए, या बन्द कर दिए गए, परन्तु महाराणा का भत्ता दैनिक १००० रूपए हो गया।^{१२}

भारत के गावों की जमीन के अधिकारों के विषय में एक अलग प्रकार का चित्र उभर कर आता है। भारत में ऐसे गाँव हैं, जहाँ पूरा गाँव समुदायम् के रूप में सगठित हुआ है। (शायद गाँव के सभी परिवार नहीं, परन्तु जमीन जोतने वाले सभी परिवार।) इस समुदायम् के सभी सदस्यों को उनके हिस्से की जमीन जोतने का अधिकार मिला हुआ है। समयान्तर में उनकी जोतने की जमीन बदलती भी रहती है। सन् १८०७ में तजावुर जिले में ३० प्रतिशत गाँव समुदाय गाँव थे। जोतने की जमीन में परिवर्तन इसलिए होते हैं कि अनेक वर्षों तक जुती हुई जमीन की उर्वरता बढ़ती घटती रहती है,

और जोतने वालों की स्थिति भी उसी प्रकार बदलती रहती है। परिणाम स्वरूप उनकी स्थिति में असन्तुलन होने की सम्भावना रहती है। परिवर्तन करने से इस असन्तुलन को दूर किया जा सकता है।^{१३} सन् १८०५ में तजावुर में मिरासदारों की संख्या ६२,०४८ थी। (मिरासदार का अर्थ है जमीन का स्थायी अधिकार रखने वाला) उनमें ४२,००० से अधिक शूद्र और उससे भी निम्न वर्ग के थे।^{१४} बडामहाल (वर्तमान तमिलनाडु का सेलम जिला) में परिहा नामक समूह में जमीन जोतने वालों की संख्या ३२,४७४ थी। उस समय कुल जनसंख्या ६,००,००० थी।^{१५} सन् १७८८ में चेगलपट्टु के जिलाधीश के द्वारा दर्ज की गई मिरासदारों की संख्या ८,३०० थी। परन्तु जिलाधीश का मत था कि निरासदारों की वास्तविक संख्या दर्ज की गई संख्या से दस गुनी अर्थात् लगभग ८०,००० थी।^{१६} यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि समग्र भारत में निश्चित रूप से जमीन जोतने वालों के अधिकार वशानुगत थे। परन्तु सन् १७८० से ब्रिटिशों ने इन अधिकारों को छीन लेना प्रारम्भ किया। पहले तो उन्होंने राजस्व बढ़ाना प्रारम्भ किया। इंग्लैण्ड में भी जमीन जोतनेवालों को स्थायी और वशानुगत अधिकार नहीं दिए जाते थे, इसलिए यहाँ वे दिए जाँ यह उनको मान्य नहीं था।^{१७}

ऊपर वर्णित वास्तविकता कोई जड़ता अथवा यात्रिक जीवनचर्या पर आधारित नहीं लगती है। भारतीय समाज सतही रूप से शिथिल, थकामादा और आलसी लगता है, परन्तु इसे सहनशीलता और अक्रियता भी कहा जा सकता है। फिर भी उसमें न्याय और अन्याय, उदात्तता और नीचता की समझ और ऊपर से दिखाई देने वाली निष्क्रियता के नीचे गहराई तक व्याप्त सक्रियता अनुभव में आती है। बहुत गहराई तक एक व्यापक नैतिकता की भावना भी दिखाई देती है। जहाँ जहाँ और जब जब इस भावना का अतिक्रमण होता है अथवा उसके ऊपर आघात किया जाता है, तब तब उसका तीव्र प्रतिकार विरोध, त्रागा^{१८} और आन्दोलन के रूप में होता है। किसानों का आन्दोलन होता है, वर्तमान शैली का शब्दप्रयोग करे तो, 'नागरिक अवज्ञा' होती है। वाराणसी में ब्रिटिशों के द्वारा लगाये गये आवास कर के विरुद्ध सन् १८१०-११ में दीर्घकालीन आन्दोलन हुए हैं। अधिकृत विवरण के अनुसार पूरे नगर का काम कई दिन तक बन्द हो गया था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि मृतदेहों पर अग्निसंस्कार भी नहीं होते थे, इसलिए मृतदेहों को गंगा के पानी में बहा देना पड़ता था। वाराणसी के जिलाधीश के कथनानुसार २०,००० से अधिक लोग अविरत धरना देने के लिए बैठते थे, जब कि दूसरा एक विवरण सूचित करता है कि सिकरोली से वाराणसी के बीच इकट्ठा हुआ समूह दो लाख का था।^{१९}

६

उपर्युक्त चित्र और प्रस्तुत की गई जानकारी केवल अधिकृत फाइलो से ही प्राप्त की जा सकती है, ऐसा नहीं है। सन् १८१३ में इंग्लैण्ड में हाउस ऑफ़ कोमन्स में जब भारत की स्थिति के विषय में चर्चा चली, तब ये सभी जानकारियाँ जिनके पास थीं, ऐसे गैरसरकारी लोग भी बहुत थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कोमन्स के अनेक सदस्य ऐसी अनेक प्रकार की जानकारी देते थे। वे इस मत के भी थे कि भारत के लोग इतनी अशान्ति और अराजकता से गुजरते हुए भी ब्रिटिशों की दया अथवा कृपा की उनको आवश्यकता नहीं थी। उनके व्यवहार में जो आभिजात्य, सहिष्णुता, सामाजिक बन्धुता, उद्यमिता और समृद्धि दिखती थी उससे किसी को भी उनकी ईर्ष्या हो सकती थी।

वैसे तो ये विषय चर्चा के केन्द्रबिन्दु में नहीं थे। भारतीय समाज की जागृति ब्रिटिशों की असफलता का ही संकेत था। हाउस ऑफ़ कोमन्स को भारतीय समाज की आत्मा के उद्धार की चिन्ता थी। विलियम विल्बरफोर्स और उसके अनुयायी तो इस बात से व्यथित थे कि भारत के लोग 'शोषित' 'वंचित' और गहन अज्ञान के गर्त में डूबे हुए थे, और जब तक उनको ईसाई न बनाया जाए, वे इसी स्थिति में रहने वाले थे। विल्बरफोर्स जानता था कि ग्रीस और रोम के लोग भी ईसाई नहीं बने तब तक इसी प्रकार से शोषित, वंचित और अज्ञानी थे। अतः ईसाई न होते हुए भी भारतीय सुखी और प्रसन्न हो, यह मानना तो बिलकुल असम्भव था।^{२०}

यह बिलकुल गलत धारणा है कि उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रिटिश किसी भी प्रकार से आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के विषय में चिंतित थे, अथवा 'अज्ञान' और 'दारुण' शब्दों का उपयोग वे आर्थिक, सामाजिक सन्दर्भ में करते थे। उस समय इंग्लैण्ड में या इंग्लैण्ड के बाहर फैले हुए साम्राज्य में उनकी चिन्ता बिलकुल अलग प्रकार की थी। उस समय सदियों पुरानी और कट्टर ऊँच नीच की भावना ब्रिटिशों के दिमाग में गहरे तक बैठी हुई बाते थीं^{२१} - २०० जितने अपराधों (जिस में पाँच या पाँच से अधिक शिलिंग की चोरी का भी समावेश होता था)^{२२} के लिए मृत्युदंड को न्यायपूर्ण मानने की कठोर कानून पद्धति, जन्म, आरक्षण या धन से जिसमें प्रवेश मिलता था^{२३} ऐसा सैनिकी और मुल्की ढाँचा, अपराधियों को ४०० से ५०० (कभी तो २०००) कोड़े मारने की सैनिकी सजा,^{२४} इस प्रकार की ब्रिटिश मानसिकता के लिए भारतीय समाज का चैतन्य, सवादितायुक्त सामाजिक ढाँचा, जहाँ प्रवेश धन के कारण नहीं मिलता था ऐसी शिक्षण संस्थाएँ, जमीन का सामुदायिक स्वामित्व, किसानों के अधिकारों की सुरक्षा, अथवा अन्याय का प्रतिकार करने की उनकी नैतिक शक्ति रास आनेवाली बाते नहीं

थीं। वे उनकी असफलता की सकेत थीं। अतः आँख में तिनके की तरह यह दुःखदायक विषय था।

७

जीवन विषयक आदिम विचार और रिवाज (पाश्चात्य लोग स्वयं से भिन्न सस्कृति को इस प्रकार वर्णित करते हैं।) से अलग आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन भारत में सन् १८०० के बाद की सकल्पना है। इसका प्रथम कारण तो भारत की समाजरचना को विच्छन्न कर देने का ब्रिटिशरो का आशय है। तो दूसरा कारण ब्रिटिशरो द्वारा किया गया सत्ता और ससाधनो का पूर्ण केन्द्रीकरण है। उसका परिणाम यह हुआ कि बाद के सौ वर्ष तक केन्द्रीकृत अपार सम्पत्ति और अबाध सत्ता का उपयोग (१) और अधिक विजय प्राप्त करने के लिए (इस विजय की सीमाएँ चीन और अफ्रिका के अटलांटिक किनारे पर स्थित द्वीप हेलेना तक फैली थीं) और विजित प्रदेशो पर सैनिक शासन स्थापित करने के लिए,^{२५} (२) नए महानगर निर्माण करने के लिए और सुरक्षा के लिए, यूरोपीय लोगो के निवास के अन्य केन्द्र स्थापित करने के लिए और सैनिक छावनियाँ खड़ी करने के लिए, (३) विभिन्न प्रकार की मागो को सन्तुष्ट करने के बहाने भारत का अधिकाधिक धन भारत से बाहर इंग्लैंड का अर्थतन्त्र सुदृढ बनाने के हेतु से ले जाने के लिए होता था। अन्त में अराजकता, गरीबी, पराधीनता को बढ़ाने की कोई गुजाइश नहीं रही। और स्थिति यह हुई कि यदि इन्हे बढ़ाया जाए तो आय में नुकसान ही होता। तब पूरे भारतीय समाज को बिलकुल उपेक्षित और ठप्प कर दिया गया। बाद में विद्वानो पर इस निष्कर्ष पर आने का दायित्व आया कि अराजकता, गरीबी आदि तो भारतीय सस्कृति में पहले से ही थे, भारत के लोग हमेशा पराधीन रहे हैं, उनके लिये गरीबी और कगालियत यह कोई नई बात नहीं है। यह समझ तो आज भी प्रचलित है।

ब्रिटिश शासन के सम्बन्ध में इस प्रकार के निष्कर्ष शायद कठोर और अतिशयोक्तिपूर्ण लगेगे, परन्तु ब्रिटिशरो के ही दो कथन इस विषय को समझाने के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। पहला सन् १६०० के वर्ष का है। वह आयर्लैन्ड से सम्बन्धित है। आयर्लैन्ड को किस प्रकार पूर्ण रूप से अधीन बना दिया जाए, इस विषय का है। दूसरा सन् १८०० के वर्ष में दक्षिण भारत को पूर्णरूप से अधीन बना देने की समस्या विषयक है। ये दोनों कथन समझने योग्य हैं। प्रथम कथन आयर्लैन्ड के इंग्लिश एटर्नी जनरल सर ज्जोन डेविस का है। आयर्लैन्ड विषयक अधिक प्रभावी नीति के विषय में वे इस कथन में सूचित करते हैं,

'आयर्लैन्ड पर पूर्ण विजय के लिए जो अवरोध रह गए थे, वे दो प्रकार के थे।

पहला था युद्ध में ढीलापन और दूसरा था नागरिक प्रशासन में लापरवाही। फसल यदि अच्छी चाहिए, तो खेत अच्छी प्रकार से जोतना पड़ता है। तभी वह अच्छे बीज के लायक बनता है। वह ठीक प्रकार से जोता जाए और उसमें अच्छी खाद डाली जाए, और यदि उसमें अच्छा बीज न बोया जाए, तो जोता हुआ सब बेकार हो जाता है। उसमें मात्र खर पतवार ही उग आता है। इसी प्रकार एक जगली देश को प्रथम युद्ध से अच्छी प्रकार तोड़ना चाहिये, तभी वह अच्छे प्रशासन के योग्य बनता है। उस देश को पूर्णरूप से जीत लिया जाए और पराधीन बना दिया जाए, परन्तु बाद में ठीक प्रकार से शासन न किया जाए, तो वह फिर से पूर्व में था वैसा जगली बन जाता है।^{१२६}

दूसरा कथन भारत से सम्बन्धित विषयों के कमिश्नर बोर्ड के अध्यक्ष हेनरी डडास का भारत के विषय में है। ११ फरवरी, १८०१ को उसने मद्रास प्रेसिडेन्सी की सरकार को पत्र भेजा था। राजस्व और कानूनी व्यवस्थाओं को स्थाई बनाने के विरोध में परामर्श देते हुए उसने सूचित किया था,

‘कर्णाटक और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में बहुत अन्तर है। बंगाल में स्थाई कर प्रस्थापित करने का विचार किया गया था, परन्तु कर्णाटक में ऐसा नहीं हो सकता था। बंगाल का प्रदेश सरकारी आदेश का पालन करने में और उसके अनुकूल बनने में अच्छी तरह से अभ्यस्त है, परन्तु कर्णाटक में ऐसा नहीं है। उनके लिए सरकार जो लाभ प्रदान करती है और शुभ भावना रखती है, उसको स्वीकार करने के लिए योग्य परिपक्वता उनमें नहीं है। किसी भी व्यवस्था को स्थायी करने का प्रयास व्यर्थ होगा। जब तक उनका मन उनको दिए जाने वाले लाभों का महत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है, तब तक ऐसा कुछ करना व्यर्थ होगा। उनका विद्रोही और स्वाभिमानी स्वभाव जब तक कुचल नहीं दिया जाता—उत्तर की सरकारों में ऐसा ही हुआ है—तब तक कोई सुधार प्रभावी नहीं हो सकता है। जिन जिन देशों पर यह बात लागू होती है, उन सब देशों को पहले तो पूर्णरूप से अधीन बना देना चाहिए, जिससे वे इस सिद्धांत को मान्य करेंगे। उनको जो लाभ मिलते हैं, उनके लिये वे हमारी शान और शुभेच्छा को समझ कर हमारे ऋणी बनने चाहिए। उनका जीवन हमारी ओर से मिलने वाले रक्षण के कारण निश्चिन्त रहता है, इसके लिए भी उन्होंने कृतज्ञ होना चाहिए। यह पूर्णरूप से निर्विवाद तथ्य है।^{१२७}

८

ये सभी तथ्य सूचित करते हैं कि ‘पिछड़ापन’ और इस सजा से आज जो अर्थ समझा जाता है (पिछड़ी जाति, पिछड़े वर्ग इत्यादि) उससे अलग यदि हम सामाजिक

अभिव्यक्ति, राजकीय सहभागिता और भौतिक तथा आर्थिक ससाधनों को छीन लेना, ऐसा अर्थ करे, तो अधिक योग्य है। इसके साथ दो शताब्दियों तक हम दरिद्र से दरिद्रतर होते गए उसका प्रभाव भी उसमें जोड़ना चाहिए। मूल रूप से पिछड़ेपन का उपाय तो इस प्रक्रिया को पलटने में है। निश्चित रूप से महात्मा गांधी के नेतृत्व में मनोवैज्ञानिक और वैचारिक स्तर पर इस प्रक्रिया को पलटने का प्रारम्भ हुआ ही था। गांधीजी की 'स्वदेशी' की सकल्पना उस पिछड़ेपन के स्वाभाविकपन के पहलू का ही उपाय करनेवाली है। गांधीजी के कथनानुसार "स्वदेशी" अपने दायरे के अंदर की, हमारे आसपास के परिवेश में ही मिलने वाली वस्तुओं का उपयोग करने की और जो दूर का है, उसे छोड़ने की भावना है। इसके अनुसार धर्म के विषय में कहूँ तो मेरे पूर्वजों के धर्म का ही अनुसरण करना मैं पसंद करूँगा। वह मेरे बिलकुल निकट के परिवेश के उपयोग के सिद्धांत का अनुसरण है। यदि मुझे वह क्षतिपूर्ण लगता है, तो उसकी क्षतियों को दूर करना वह मेरे द्वारा की गई उसकी सेवा होगी। अर्थशास्त्र के विषय में मेरे नजदीक के ही पड़ोसी के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपयोग करना और उसको अधिक से अधिक कुशल और पूर्ण बनाने का प्रयास करके उनकी सेवा करना स्वदेशी है।^{२८}

परकीय विचार से ओतप्रोत भारत में स्पष्ट ही है कि प्रक्रिया पलटने का यह क्रम लम्बा नहीं चला। परकीय स्वरूप और ढांचा तथा अन्य वैश्विक ताकतों को इसके प्रति कोई शत्रुता नहीं होने पर भी उसमें कोई रुचि भी नहीं है। उनके मतानुसार ब्रिटिश शासन काल में भारत में जो कुछ हुआ, वह खेदजनक होने पर भी अब उसको बदला नहीं जा सकता है। अब वह इतिहाससिद्ध वास्तव है।

गत एक हजार वर्षों में पश्चिम में जो कुछ हुआ, उसका यदि इतना सार्वभौम महत्त्व है और सभ्यताओं को ऐसी ही प्रक्रिया में से गुजरना है, तो भारत को क्या करना है, वह निश्चित है। वास्तव में गत तीन दशकों से भारत में यही हो रहा है, परन्तु गांधीयुग की स्मृतियों और मूल्यों के कारण वह थोड़ा दबा हुआ है। यदि भारत को यूरोप जैसा ही बनना इतना अधिक अनिवार्य लगता है, तो ऐसे प्रश्नों को उठाना बन्द करके भारतीय समाज को विखण्डित करने की प्रक्रिया को अधिक गति प्रदान करनी चाहिए, जिससे वह सहस्राब्दी बहुत जल्दी आ जाए। इतना ही नहीं, तो वर्तमान दुःख और उसका भय निःशेष हो जाए। परन्तु यदि ऐसा पक्का नहीं होता है, और हम मानते हैं कि सभ्यता और सस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा हो सकती है और वह भी अपने मानस में अवस्थित है ऐसे ही मार्ग और समाज का निर्माण करने वाली सकल्पनाओं के द्वारा ही हो सकता है, तो भारत, और भारत जैसे अन्य देशों को आध्यात्मिक और बौद्धिक स्तर के भगीरथ प्रयास करके आत्मप्रतिष्ठ होने

की आवश्यकता है। ऐसे प्रयत्न करने में गाधीजी का भारतीय दृष्टिकोण, दर्शन और कौशल, प्रतिभा और प्राथमिकताएँ महत्त्वपूर्ण बन जाती हैं। हम निश्चित रूप से जिसको व्यापक अर्थ में प्रयुक्त कर सकते हैं, ऐसे 'देशी ससाधन' जैसे शब्द को पकड़ लेने की आवश्यकता है। (मानसिक ससाधन, पारम्परिक ज्ञान के ससाधन, भौतिक और शुद्ध वस्तुएँ ये देशी ससाधन हैं।) जो नष्ट करने लायक है, वह सब नष्ट कर देना चाहिए। जिसे बचा सकते हैं और जो बचाने लायक है, उसे बचाना चाहिए। प्राप्त सभी ससाधनों का उपयोग करके उसकी नींव पर नए सिरे से ढाचा खड़ा करना चाहिए। ऐसा सब करने में दूसरे लोगों का उपयोग निषिद्ध ही मानना चाहिए ऐसा नहीं है। हम योग्य प्रकार से पृथक्करण करते हैं और ठीक प्रकार से पचा सकते हैं तो ऐसे सभी अनुभव बहुत मूल्यवान सिद्ध हो सकते हैं। अनिवार्य सकट तो उससे दूर किए ही जा सकते हैं। ऐसी पुनर्प्रतिष्ठा के लिए भारत में जो ससाधन और सम्पत्ति है, उसका पुनर्बँटवारा करना आवश्यक है, अर्थात् ससाधन और सपत्ति महानगरो से ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने की आवश्यकता है, जहाँ उसका सही उद्गम है। इसी प्रकार का परिवर्तन आंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने की आवश्यकता है। परन्तु ऐसा परिवर्तन दान और सहायता के रूप में नहीं अपितु गलती सुधारने और प्रायश्चित के रूप में होना चाहिए।^{२९} ऐसा होता है तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव अलग ही होगा। सहायता और दान सरकारी स्तर पर हो या गैरसरकारी, दीर्घकाल में लेने वाले समाज को अधिक से अधिक दीन और छिन्नविच्छिन्न कर देता है। अब यह सबको समझ में भी आने लगा है।

सन्दर्भ

- १ सन् १८०० के आसपास ऐसा लगता है कि अठारहवीं शताब्दी में भारत के जिन शास्त्रग्रन्थों और धर्मग्रन्थों को तथा उनके जाननेवालों को अधिक मान्यता देते थे, वही अंग्रेजों के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण माने जाने लगे। परन्तु स्थिति कदाचित् दूसरी भी हो। अठारहवीं शताब्दी और उससे भी पूर्व भारत के लोगों के लिए अधिक महत्त्व के शास्त्र और साहित्य कदाचित् दूसरा ही था। अंग्रेज तो भारत में राजकीय, कानूनी और बौद्धिक सकल्पनाओं और प्राथमिकताओं को ही बदलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 'मनुस्मृति' जैसे ग्रन्थों में रुचि लेना और उसको मान्यता देना प्रारम्भ किया। वास्तव में 'मनुस्मृति' को तो भारतीयों ने वर्षों से एक तरफ रख दिया था। मद्रास के एफ डबल्यू एलिस के सन् १८०० के बाद के लेख और १७८० और १७९० के दशकों में विलियम जोन्स की न्यायालयीन कार्यवाही और निर्णयों के आधार पर जाना जाता है कि धर्म और रिवाज के विषय में भारतीयों के मान्य ग्रन्थ दूसरे ही थे। सन् १८२७ में आर्थर स्टील के द्वारा लिखे गये 'दिवानी मुकद्दमो विषयक दक्षिण के, मुख्य रूप से मुम्बई प्रेसिडेन्सी के

अभिव्यक्ति, राजकीय सहभागिता और भौतिक तथा आर्थिक ससाधनों को छीन लेना, ऐसा अर्थ करे, तो अधिक योग्य है। इसके साथ दो शताब्दियों तक हम दरिद्र से दरिद्रतर होते गए उसका प्रभाव भी उसमें जोड़ना चाहिए। मूल रूप से पिछड़ेपन का उपाय तो इस प्रक्रिया को पलटने में है। निश्चित रूप से महात्मा गांधी के नेतृत्व में मनोवैज्ञानिक और वैचारिक स्तर पर इस प्रक्रिया को पलटने का प्रारम्भ हुआ ही था। गांधीजी की 'स्वदेशी' की सकल्पना उस पिछड़ेपन के स्वाभाविकपन के पहलू का ही उपाय करनेवाली है। गांधीजी के कथनानुसार "स्वदेशी" अपने दायरे के अंदर की, हमारे आसपास के परिवेश में ही मिलने वाली वस्तुओं का उपयोग करने की और जो दूर का है, उसे छोड़ने की भावना है। इसके अनुसार धर्म के विषय में कहूँ तो मेरे पूर्वजों के धर्म का ही अनुसरण करना मैं पसंद करूँगा। वह मेरे विलकुल निकट के परिवेश के उपयोग के सिद्धांत का अनुसरण है। यदि मुझे वह क्षतिपूर्ण लगता है, तो उसकी क्षतियों को दूर करना वह मेरे द्वारा की गई उसकी सेवा होगी। अर्थशास्त्र के विषय में मेरे नजदीक के ही पड़ोसी के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपयोग करना और उसको अधिक से अधिक कुशल और पूर्ण बनाने का प्रयास करके उनकी सेवा करना स्वदेशी है।^{१२८}

परकीय विचार से ओतप्रोत भारत में स्पष्ट ही है कि प्रक्रिया पलटने का यह क्रम लम्बा नहीं चला। परकीय स्वरूप और ढांचा तथा अन्य वैश्विक ताकतों को इसके प्रति कोई शत्रुता नहीं होने पर भी उसमें कोई रुचि भी नहीं है। उनके मतानुसार ब्रिटिश शासन काल में भारत में जो कुछ हुआ, वह खेदजनक होने पर भी अब उसको बदला नहीं जा सकता है। अब वह इतिहाससिद्ध वास्तव है।

गत एक हजार वर्षों में पश्चिम में जो कुछ हुआ, उसका यदि इतना सार्वभौम महत्त्व है और सभ्यताओं को ऐसी ही प्रक्रिया में से गुजरना है, तो भारत को क्या करना है, वह निश्चित है। वास्तव में गत तीन दशकों से भारत में यही हो रहा है, परन्तु गांधीयुग की स्मृतियों और मूल्यों के कारण वह थोड़ा दबा हुआ है। यदि भारत को यूरोप जैसा ही बनना इतना अधिक अनिवार्य लगता है, तो ऐसे प्रश्नों को उठाना बन्द करके भारतीय समाज को विखण्डित करने की प्रक्रिया को अधिक गति प्रदान करनी चाहिए, जिससे वह सहस्राब्दी बहुत जल्दी आ जाए। इतना ही नहीं, तो वर्तमान दुःख और उसका भय निःशेष हो जाए। परन्तु यदि ऐसा पक्का नहीं होता है, और हम मानते हैं कि सभ्यता और सस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा हो सकती है और वह भी अपने मानसमें अवस्थित है ऐसे ही मार्ग और समाज का निर्माण करने वाली सकल्पनाओं के द्वारा ही हो सकता है, तो भारत, और भारत जैसे अन्य देशों को आध्यात्मिक और बौद्धिक स्तर के भगीरथ प्रयास करके आत्मप्रतिष्ठ होने

की आवश्यकता है। ऐसे पचत्न कर्म में गांधीजी का भारतीय दृष्टिकोण, दर्शन और कौशल, पतिभा और प्राथमिकताएँ महत्त्वपूर्ण बन जाती हैं। हम निश्चित रूप से जिसको व्यापक अर्थ में प्रयुक्त कर सकते हैं, ऐसे 'देशी ससाधन' जैसे शब्द को पकड़ लेने की आवश्यकता है। (मानसिक ससाधन, पारम्परिक ज्ञान के ससाधन, भौतिक और शुद्ध वस्तुएँ ये देशी ससाधन हैं।) जो नष्ट करने लायक है, वह सब नष्ट कर देना चाहिए। जिसे बचा सकते हैं और जो बचाने लायक है, उसे बचाना चाहिए। प्राप्त सभी ससाधनों का उपयोग करके उसकी नींव पर नए शिर से ढांचा खड़ा करना चाहिए। ऐसा सब करने में दूसरे लोगों का उपयोग निमित्त ही मानना चाहिए ऐसा नहीं है। हम योग्य प्रकार से पृथक्करण करते हैं और ठीक प्रकार से पचा सकते हैं तो ऐसे सभी अनुभव बहुत मूल्यवान् सिद्ध हो सकते हैं। अनियमित सफाई तो उससे दूर किए ही जा सकते हैं। ऐसी पुनर्प्रतिष्ठा के लिए भारत में जो ससाधन और सम्पत्ति हैं, उसका पुनर्बँटवारा करना आवश्यक है, अर्थात् ससाधन और सम्पत्ति महानगरों से ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने की आवश्यकता है, जहाँ उसका सही उद्गम है। इसी प्रकार का परिवर्तन आंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने की आवश्यकता है। परन्तु ऐसा परिवर्तन दान और सहायता के रूप में नहीं अपितु गलती सुधारने और प्रायश्चित्त के रूप में होना चाहिए।^{१९} ऐसा होता है तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव अलग ही होगा। सहायता और दान सरकारी स्तर पर हो या गैरसरकारी, दीर्घकाल में लेने वाले समाज को अधिक से अधिक दीन और छिन्नविच्छिन्न कर देता है। अब यह सबको समझ में भी आने लगा है।

सन्दर्भ

- १ सन् १८०० के आसपास ऐसा लगता है कि अठारहवीं शताब्दी में भारत के जिन शास्त्रग्रंथों और धर्मग्रंथों को तथा उनके जाननेवाला को अधिक मान्यता देते थे, वही अंग्रेजों के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण माने जाने लगे। परन्तु स्थिति कदाचित् दूसरी भी हो। अठारहवीं शताब्दी और उससे भी पूर्व भारत के लोगों के लिए अधिक महत्त्व के शास्त्र और साहित्य कदाचित् दूसरा ही था। अंग्रेज तो भारत में राजकीय, कानूनी और बौद्धिक सकल्पनाओं और प्राथमिकताओं को ही बदलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 'मनुस्मृति' जैसे ग्रंथों में रुचि लेना और उसको मान्यता देना प्रारम्भ किया। वास्तव में 'मनुस्मृति' को तो भारतीयों ने वर्षों से एक तरफ रख दिया था। मद्रास के एफ डबल्यू एलिस के सन् १८०० के वाद के लेख और १७८० और १७९० के दशकों में विलियम जोन्स की न्यायालयीन कार्यवाही और निर्णयों के आधार पर जाना जाता है कि धर्म और रिवाज के विषय में भारतीयों के मान्य ग्रन्थ दूसरे ही थे। सन् १८२७ में आर्थर स्टील के द्वारा लिखे गये 'दिवानी मुकदमों विषयक दक्षिण के, मुख्य रूप से मुम्बई प्रेसिडेंसी के

- हिन्दू जाति के कानून और रिवाज' से यह विषय अधिक स्पष्ट होता है। इस क्षेत्र की सर्वसामान्य मान्यता यह थी कि शास्त्रों से भी परम्परा अधिक महत्त्वपूर्ण है। धृष्टता मानी जाएगी, फिर भी यह सत्य है कि सन् १८०० के बाद पाश्चात्य लोगों के अनुसरण के कारण शिक्षितों में, विशेष करके अंग्रेजी पढ़े हुए लोगों में श्रीमद् भगवद्गीता अधिक पढ़ी जाने लगी, जबकि सामान्य लोगों में श्रीमद् भागवत अधिक मात्रा में सुना, पठन किया और माना जाता था। सन् १८०० पूर्व के भारतीय समाज को वास्तविक रूप में जानने के लिये युवा पीढ़ी के शोध छात्रों ने पश्चिम के रंग में रंग जाने से पूर्व भारत के लोगों की दिनचर्या से लेकर उनके जीवन की रचना, उनका लेखन, वाचन कैसा था, उस विषय में गम्भीर और विस्तृत अध्ययन प्रारम्भ करना चाहिए।
- २ सन् १५०० से १७०० के समय में यूरोप के लोग भारत के विषय में क्या मानते थे और भारत के लोग यूरोपीय लोगों की चमड़ी, रहनराहन और रिवाजों के विषय में क्या मानते थे, इस विषय में खूब लिखा गया है। सोलहवीं, सत्रहवीं, और प्रारम्भिक अठारहवीं शताब्दी के हकलोइट और चर्चिल के सफलनों में भी यह व्यक्त हुआ है। १८५७-५८ के विरोध के वर्णनों में यूरोपीय लोगों की सफेद चमड़ी लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, ऐसी टिप्पणी है। 'युनिवर्सल हिस्ट्री' 'इन्साइक्लोपीडीया ब्रिटानिका' और ऑक्सफोर्ड के बोडलेन की १७५३ की पाण्डुलिपियों में भारत के लोग (यूरोप की) देहजप्रथा को हेय दृष्टि से देखते हैं, ऐसे उल्लेख हैं।
- ३ हेन्सार्ड 'प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियानिटी इन इंडिया' शीर्षक से इंडिया चार्टर बिल की धारा क्र १३ की चर्चा।
- ४ जेम्स मिल, 'हिस्ट्री ऑव ब्रिटिश इंडिया' १८१७, खण्ड १, विशेष 'हिन्दू' प्रकरण।
- ५ कार्ल मार्क्स, 'न्यूयॉर्क डेइली ट्रिब्युन में,' ८-८-१८५३
- ६ एडिनबरो रिव्यू जुलाई १८०४, डॉ टेनन्ट्स इंडियन रीक्रिएशन, पृ ३२३-३२४
- ७ तमिलनाडु स्टेट आर्काइव्स बोर्ड ऑव रेवन्यू की कार्यवाही १८२२-२६। उन्नीसवीं शताब्दी में सुरक्षित रहे हुए भारतीय स्वदेशी शिक्षण विषयक यह और अन्य सामग्री लेखक की पुस्तक 'रमणीय वृक्ष १८ वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा' में उपलब्ध है। (पुनरुत्थान २००७)
- ८ नेशनल लाइब्रेरी ऑव स्कॉटलैन्ड एम एस ८३२६ जेम्स स्टुअर्ट मिल के लेखन हंटराबाद के जीवन का वर्णन, १७७८
- १० तमिलनाडु स्टेट आर्काइव्स बोर्ड ऑव रेवन्यू की कार्यवाही, खण्ड २०३० १३-७-१८४६, बेलारी के जिलाधीश के द्वारा रेवन्यू बोर्ड को लिखा पत्र, १८-६-१८४६ जिसमें १२१६ फझली में कर्नल मनरो द्वारा हुए खर्च के अदाज का विवरण है।
- ११ ब्रिटिश म्यूजियम वेलेस्ली के कागज मैसूर कमिशन के कागज, १७८८
- १२ आई ओ आर (इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड) ड्राफ्ट और पूर्व टिप्पणी १८२८-३०, राजपूताना, राजकीय और विदेशी (वापिस लिया हुआ) पृ ७८, १४१
- १३ टी वेंकासामी राव मद्रास प्रेसिडेन्सी के तजावुर जिले की पोथी, १८३३, एच जे स्टोक्स का परिशिष्ट
- १४ तमिलनाडु स्टेट आर्काइव्स रेवन्यू बोर्ड की कार्यवाही, खण्ड ४०७, २०-५-१८०५, पृ ३४८८-८९
- १५ बारामहाल रिकार्डज, खण्ड ३ पी - २ (मुद्रित ग्रंथ)

- १६ हाउस ऑफ़ कोमन्स के समन १८१२ का प्र. ७, अक्टूबर ३४७ जागीर विषयक एल प्लेस का विवरण
- १७ वी
- १८ अधिकारी अथवा सार्वजनिक न्याय विभागगत अथवा अन्याय करने के विरोध के रूप में आन्दोलन करने का प्रयत्न 'हाउस ऑफ़ उरीजनी गवार्नी' में अधिक था एसा लगता है। अन्तर्गत पीछे के वक्त में उच्च माने वाले जल जल जैसे कि चाराणरी व वाताण और गुजरात, 'मोगल' के वक्त में अन्तर्गत वक्त में ऐसा ही सत्ताधिकारियों के द्वारा उन्नत लूटी जाने पर भी व्यक्ति या परिवार आदि अन्तर्गत वक्त में ऐसा ही सत्ताधिकारियों के द्वारा उन्नत लूटी जाने पर भी यह कार्य हुआ माना जाता था। ब्रिटिश रेकार्ड में वर्णित ऐसी घटनाएँ होती हैं कि उस समय भारत के लोग सिर्फ़ ही जितने ही सत्ताधिकारियों के होते थे, और आज निराका 'भारत इकोनामी' माना जाता है उस समय पर आन्दोलन जैसे कुछ आघातित थे।
- १९ धर्मपाल 'भारतीय संसद में अखण्डयोग' पृष्ठ १११-११२
- २० हेरार्ड 'सुन २२ सलाह' ११८१३ की प्राप्ति का ऑव विधियानिटी इन इंडिया' पर चर्चा, इंग्लैण्ड के भारत से सम्बन्धित विषयों के विषय में ब्रिटिश हाउस ऑव कोमन्स में हुई चर्चा ऐतिहासिक भाषी जाती है। आन्तर्गत तौर पर भारत विषयक चर्चा के समय गृह में बहुत ही कम उपस्थिति रहती थी। चर्चा के समय अधिक उपस्थिति रही और 'भारत में ईसाई मत का प्रचार' यह प्रस्ताव ५४ पक्ष १ और ३२ विरोध में, इस प्रकार २२ के बहुमत से पारित हुआ। यह प्रस्ताव, जॉन्स मिल का भारत विषयक लेख तथा ऐसे कई लेख, उस समय के भारत की स्थिति को जानने के लिए गंभीरतापूर्वक पढ़े जाने की आवश्यकता है।
- २१ ब्रिटिश समाज का वर्णानुक्रम के अनुसार विभाजन १८१२ में कोलकोन (Colquhoun) द्वारा दिया गया था। ग्रामीण विभाग ने उन्नीस प्रकार के विवरण १६८८ के वर्ष के विषय में दिए थे, ग्रामीण विभाग के अनुसार ५,११,५८६ परिवार २१ वशों में विभाजित हुए थे। उसके कारण २४,४७,१०० पाउण्ड स्टर्लिंग की प्रतिवर्ष वृद्धि होती थी। दूसरी ओर ८,४८,००० परिवार चार श्रेणियों में विभाजित होने के कारण ६,२२,००० पाउण्ड स्टर्लिंग की कमी हुई थी। ये परिवार ५,००० खलारी, ३,६४,००० मजदूर और नोकर ४,००,००० झापड़ी वाले और भिखारी तथा ३५,००० सामान्य शिपाही थे।
- २२ हाउस ऑव कोमन्स के कागजपत्र १८१८, खण्ड ८, फौजदारी कानून का विचार करने के लिए बनी हुई समिति का ८-७-१८१८ का विवरण। इस समिति ने कुछ कानूनों के विषय में पुनर्विचार किया जैसे-मृत्युदंड के स्थान पर १४ वर्ष का सश्रम कारावास अथवा देशनिकाल।
- २३ सभी सैनिक पद, एडज्युटन्ट से लेकर कर्नल तक के लिए अधिकृत रूप से कीमत निश्चित की गई थी। सन् १८६० तक तो यही स्थिति थी। हाउस ऑव कोमन्स का हिसाबपत्र (१८५७-२, खण्ड १८ पृ-३१८-९) १७१८-२० से १८२१ तक का मूल्यपत्र भी बताता है कि रेजिमेन्ट ऑव होर्स कर्नल की कीमत (१७१८-२० में) ७५०० पाउण्ड स्टर्लिंग और एडज्युटन्ट की पाउण्ड स्टर्लिंग २००। एक सबसे ऊँची और दूसरी सबसे नीची।
- २४ सोलहवीं, सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में ब्रिटिश कानून किस प्रकार सजा देता था, उसके बहुत लेख उपलब्ध हैं। वे सजाएँ हैं फॉसी देना, जीवित जला देना, हाथ पैर काट देना, वध

- स्तम्भ पर लटकाना, कोड़े मारना इत्यादि। सन् १८५० तक न्याय की कस्टडी में और सेना में कोड़े मारने का कार्य तो अतिशय सामान्य था। कोड़े भी विविध प्रकार के होते थे।
- २५ जहोन स्टुअर्ट मिल के सन् १८५८ के विवरण के अनुसार सन् १७६० के बाद भारत को जीतने की, अधीन बनाने की और उसके ऊपर शासन करने की सभी किमते भारत के राजस्व से ही चुकाई जाती थीं। इग्लैंड का एक भी पैसा उसमें खर्च नहीं होता था।
- २६ 'आयर्लैण्ड पूर्ण रूप से क्यो नहीं जीता गया, उसके सही कारणों का इतिहास'।
- २७ आई ओ आर, रेवन्यू डिस्पेच टु मद्रास, ११-२-१८०१
- २८ 'सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय' खण्ड १३, पृ २१८ (अंग्रेजी) मद्रास के मिशनरी सम्मेलन में भाषण, १४-२-१८१६, बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी में दिए गए ऐतिहासिक भाषण के बाद, आठ दिन के बाद ही यह भाषण हुआ था।
- २९ हारे हुए पक्ष को जीते हुए के प्रति कुछ खर्च अथवा नुकसान चुकाना पड़ता है। यह नुकसान उसको जो कुछ खर्च अथवा नुकसान हुआ है, उसके अनुरूप होता है, परन्तु अधिक तो जीते हुए का विरोध करने के दण्ड के रूप में होता है। परन्तु पूर्व में माना जाता था उसके अनुरूप, और विशेष रूप से आन्तरराष्ट्रीय नीतिगत व्यवस्था के अनुरूप, अथवा विश्ववन्द्य अथवा वैश्विकताकी वर्तमान धारणा के अनुसार विश्व के अन्यान्य देशों के सम्बन्धों के सन्तुलन के लिये दो बातें अनिवार्य बन जाती हैं। एक तो विश्व की सभी प्रजाओं का वैशिष्ट्य, उनकी सामाजिक राजकीय अभिव्यक्तियों, सहित अनुल्लङ्घ्य माना जाता है, विश्व की व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है जिस में बिना प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रमण के सभी सभ्यताएँ और जीवनशैलिया सहअस्तित्व बनाए रख सकती हैं। दूसरी बात यह है कि गत कुछ शताब्दियों में विश्व के बलवान देशों के लिये विश्व के ससाधनों की लूट और शोषण कल्पनातीत सीमा तक पहुँच गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि शोषित और वंचित प्रजा, यदि भौतिक रूप में बची भी है (सामान्य रूप से तो नहीं बची है) तो उसकी और अधिक उपेक्षा हुई है और उसमें एक स्थगितता आ गई है। इस स्थगितता और विघटनने उन्हें अकथ्य दुःखों के गर्त में डाल दिया है। इतना ही नहीं तो जीवन के हर क्षेत्र में अनेकानेक प्रकार की समस्याएँ भी निर्माण कर दी हैं। इस प्रकार कोने में धकेली गई सभ्यताओं ने अपने ही पुरुषार्थ और पद्धति से फिर जीवित होने का प्रयास किया है। परन्तु आज के विश्व में किसी को भी इस प्रकार कोने में धकेल देना असम्भव सा हो गया है इसलिये दूसरा विकल्प यह है कि विश्व के धनवान दश (वंचितों के देश के धनवान हिस्से भी) विश्व में जो भयावहता निर्माण हो गई थी, और जो आज भी है, उसके लिये पश्चात्ताप का अनुभव कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि विश्व के सभी ससाधनों का पुनर्बटवारा होना आवश्यक है। (आज ब्राण्डट आयोग ने जैसा परामर्श दिया है वह तो अत्यन्त अल्प है। उससे तो यह अलग ही है।) विश्व की शान्ति के लिये भी यह बटवारा आवश्यक हो गया है। क्योंकि यह तो मानना ही पड़ेगा कि ऐसी लूट और शोषण नहीं चलने देना है तो उसे निश्चयपूर्वक और विचारपूर्वक उलटाना भी पड़ेगा। इसी प्रकार का पश्चात्ताप समृद्ध देशों ने अपने ही देश के शोषितों और वंचितों के प्रति भी प्रदर्शित करना पड़ेगा।

* दिसम्बर १९८२ में वाराणसी के गांधी अध्ययन संस्थान में आयोजित 'पिछड़ापन' विषयक गोष्ठि में प्रस्तुत पत्र।

५. इतिहास की पृष्ठभूमि में भारतीय कृषि की उत्पादकता

गोष्ठी का विषय है 'उत्तम कृषि के लिए प्राकृतिक ससाधनो का उपयोग।' मे कृषिशास्त्र अथवा कृषिविषयक टेकनोलॉजी के विषय मे लगभग कुछ नहीं जानता हूँ। फिर भी ऐसी आतर्राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी मे भाग लेने का आमत्रण मुझे मिला है उसको मे बड़ा सम्मान समझता हूँ। २०० वर्ष पहले भारत केसा था, यह जानने के लिए उत्सुक भारत के एक सामान्य इतिहासकार के रूप मे मुझे उस समय की भारत की सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक स्थिति कैसी थी, यह जानने मे बहुत रुचि है। मुझे इस वात की भी जिज्ञासा रहती है कि अन्य देशो मे, और विशेष करके शीघ्रता से फैलने वाले और विजयी होने वाले पश्चिम यूरोप के देशो मे ये सभी पहलू कैसे हैं, और भारत उनकी तुलना मे कहा खडा है।

बीस वर्ष पूर्व भारत विषयक सामग्री की खोज के दौरान दो सौ वर्ष पूर्व की भारत की टेकनोलोजी तथा अर्थव्यवस्था के अनेक पहलुओ के विषय मे महत्त्वपूर्ण तथा निश्चित जानकारी प्राप्त हुई। उनमे कुछ कृषि विषयक जानकारीयो भी थीं। उन जानकारीयो के आधार पर पिछले कुछ वर्षो मे मेरे कुछ साथियो के साथ मिलकर मे तमिलनाडु के सर्वेक्षण के अभिलेखो का अध्ययन कर रहा हूँ। यह सर्वेक्षण टॉमस बर्नाड नामक एक ब्रिटिश इन्जीनियर के द्वारा उसके ऊपरी अधिकारी के आदेशानुसार सन् १७७० के आसपास किया गया था। मद्रास का इलाका सीधा ब्रिटिश आधिपत्य मे गया, उसके बाद लगभग तुरत ही यह सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण से प्राप्त सामग्री का विश्लेषण अभी हम कर ही रहे है, परन्तु गत ५०-१०० वर्षो मे भारतीय कृषि जिस स्थिति में है उसके परिप्रेक्ष्य मे इस सर्वेक्षण के अनुसार लगभग ८०० गाँवो की खेती की उपज की सतही जानकारी भी वास्तव मे चौका देने वाली है।

हम जिस पर काम कर रहे है, वह १७६२ से ६६ के पाँच वर्षो की कृषि उपज की जानकारी है। हमारे विश्लेषण के अनुसार इन पाँच वर्षो मे भूमि की औसत उत्पादन क्षमता प्रति हेक्टर ३६ क्विटल धान और १६ क्विटल अन्य अनाज की है। यह औसत २४ हजार हैक्टर सिचाई की और १४ हजार हैक्टर बिन सिचाई की भूमि की है। उस

क्षेत्र की कुल उपज की औसत हर वर्ष १२ लाख क्विंटल धान और लगभग दो लाख क्विंटल सूखे अनाज की है। इस क्षेत्र के जमीन जोतने वाले और न जोतने वाले परिवारों की कुल संख्या लगभग २६,००० है। इसका तात्पर्य यह है कि उस समय प्रति परिवार एक वर्ष में लगभग ५७ क्विंटल अन्न पैदा होता था।

सर्वेक्षण के ८०० गाँवों में १३० गाँव ऐसे हैं, जहाँ सिचाई युक्त भूमि की औसत उपज प्रति हेक्टर ५० क्विंटल से अधिक है। इन १३० में बहुत से गाँव ऐसे हैं, जहाँ जुताई की जमीन में प्रति वर्ष १०० क्विंटल से अधिक धान पैदा होता है। उदाहरण के लिये कालाकडूर नामक गाँव में सिचाईयुक्त खेती में १२० हेक्टर में लगभग १५०० टन धान पैदा होता है, चिन्नमबेदु में ४३५, सोमगलम में ७३ हेक्टर में ७५० टन धान पैदा होता है। अन्य भी कुछ गाँव हैं, जहाँ सिचाईयुक्त भूमि और पैदावार की औसत इसी स्तर की है। इन १३० गाँवों की पैदावार का स्तर इतना ऊँचा है कि उस क्षेत्र की एक पचमाश भूमि उस क्षेत्र की कुल पैदावार का ५० प्रतिशत अनाज पैदा करती है। १३० गाँवों की औसत पैदावार ७००० हेक्टर जुताई वाली जमीन में प्रति हेक्टर ८२ क्विंटल जितनी ऊँची है। इन १३० गाँवों की कुल पैदावार का लगभग आधा हिस्सा केवल १८ गाँवों में ही पैदा होता है। इन गाँवों की औसत पैदावार प्रति हेक्टर सौ क्विंटल से भी अधिक है।

८०० गाँवों के विशाल क्षेत्र में प्रति हेक्टर ३६ क्विंटल और उससे भी अधिक पैदावार वाले गाँवों में प्रति हेक्टर ८२ क्विंटल धान की पैदावार बहुत ऊँची कही जाती है। वस्तुतः भारतीय सदर्थ में देखे तो चेगलपट्टु की जमीन तजावुर या गोदावरी जिले की जमीन की तुलना में कम पैदावार वाली मानी जाती है। भारत के अन्य भागों में भी ब्रिटिश पूर्व के समय की खेत पैदावारों की जानकारी लगभग इसी प्रकार की है। 'आइने अकबरी' के अनुसार सामान्य स्तर की गेहूँ की पैदावार भी हरित क्रान्ति के बाद की भारत की अच्छी से अच्छी पैदावार से अधिक थी। चोल समय के (१० से १३ वीं शताब्दी) शिलालेख के आधार पर तैयार हुए, दि केम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया (The Cambridge Economic History of India) के अनुमान के अनुसार तमिलनाडु के दक्षिण आरकोट जिले की विविध प्रकार की जमीनों में प्रति हेक्टर लगभग ३३ क्विंटल धान पैदा होता था, और उसकी तुलना में कम उपजाऊ मानी जाने वाली रामनद जिले की अच्छी से अच्छी जमीन में प्रति हेक्टर लगभग ६६ क्विंटल धान पैदा होता था। एक निरीक्षक के अनुसार १८ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इलाहाबाद में प्रति हेक्टर ४० क्विंटल गेहूँ पैदा होते थे। सन् १८०० के अनुमान के अनुसार कोईम्बतूर में

प्रति हेक्टर ३५ क्विंटल आर पटना तथा गया की कम उपजाऊ जमीन में उससे कुछ कम मात्रा में गेहूँ पैदा होते थे। १८०७ में मद्रास प्रेसिडेन्सी राजस्व विभाग के सदस्य जेहन होजसन के अंदाज से कोईमूतर की अच्छी जमीन में प्रति हेक्टर लगभग ६० क्विंटल धान पैदा होता था। १८०४ के आसपास 'एडिन बरो रिव्यू' (Edinburgh Review) में भारतीय कृषिपैदावार विषयक चर्चा हुई थी। भारत की कृषिपैदावार उस समय की इंग्लैंड की कृषिपैदावार से तीन गुना अधिक थी। चेगलपट्टु के ८०० गाँवों की यहाँ प्रस्तुत जानकारी का क्षेत्र भी इतना बड़ा है कि उस जानकारी को अपवाद या अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता है। वस्तुतः वह कोई एक दो व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त व्यक्तिगत अंदाज भी नहीं है।

भारतीय कृषक की ऐसी महती उपलब्धि का रहस्य क्या है ? यह स्पष्टीकरण दिया जाता है कि जमीन पर लोकसंख्या का भार कम होने के कारण अच्छी से अच्छी जमीन ही खेती के लिए उपयोग में ली जाती थी। इसमें कदाचित तथ्य हो सकता है। विश्व के सभी देशों में यही बात लागू हो सकती है। फिर भी अधिकांश निरीक्षक इस विषय में एकमत हैं कि १८ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नाइट्रोजनयुक्त खाद के आविष्कार के बाद की हरित क्रान्ति में भी इंग्लैंड की जो कृषिपैदावार थी, उससे अठारहवीं शताब्दी और उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की कृषिपैदावार अधिक थी। लगभग १८४० के बाद इंग्लैंड के किसान अधिक मात्रा में खाद का उपयोग करने लगे थे। प्रारम्भ में वे तेजी से बढ़ने वाले ब्रिटिश लोहे के कारखानों के अवशेष रूप पोटाश का उपयोग करते थे, बाद में १८४० से ६० के दौरान दक्षिण अमेरिका के पेरू से लाखों टन के हिसाब से पक्षियों की बीट मगवाते थे। दक्षिण अमेरिका में शतकों में ऐसी पक्षियों की बीट इकट्ठी हुई थी। इसके बाद वे कृत्रिम खाद का उपयोग करने लगे।

केवल उत्तम जमीन के कारण ही भारत के किसान अधिक पैदावार प्राप्त करते थे, यह नहीं कहा जा सकता है। कृषि के लिए वे किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे, उसकी जानकारी भी आवश्यक है। अठारहवीं शताब्दी के अनेक पाश्चात्य निरीक्षकों ने भारतीय किसान की कृषिविषयक अत्यन्त उन्नत टेक्नोलॉजी की जानकारी दर्ज की है। बुवाई के लिए उत्तम बीज, उत्तम औजार और खेत तथा फसल की उत्तम प्रकार की देखभाल इस टेक्नोलॉजी के मुख्य अंग हैं।

अभी अभी ज्ञात हुआ है कि आग्रा के आसपास के क्षेत्रों में लगभग ४१ प्रकार की फसलें ली जाती थीं। उत्तरप्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी ली जानेवाली फसलों की संख्या भी लगभग इतनी ही थी। दक्षिण भारत के विषय में एलेकझान्डर वॉकर

(वह मलबार और गुजरात में १७८० से १८१० के मध्य था।) कहता है कि अकेले मलबार क्षेत्र में ही ५० तक धान की जातियाँ पैदा होती थीं। बीज की इतनी अधिक विविधता और जमीन तथा ऋतु के अनुसार उसमें परिवर्तन करने की भारतीय किसान की कुशलता विश्व के किसी भी देश के किसानों की तुलना में उसे श्रेष्ठ सिद्ध करती थी। अन्य देश के किसानों में ऐसी कुशलता बहुत कम थी।

एलेकजान्डर वॉकर यह भी कहता है कि भारत का किसान अलग अलग बीज तथा जमीन के लिए अलग अलग प्रकार के हलो का उपयोग करता था। केप्टन टोस हेलकोट ने सन् १७८५ में जब दक्षिण भारत के खेत में हल देखा, तब उसको आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार का हल तो पश्चिम यूरोप का ही आविष्कार हो सकता है। भारत के हल से वह इतना प्रभावित हो गया, और उसको इंग्लैण्ड के हल से वह इतना श्रेष्ठतर लगा कि विविध प्रकार के हलो के नमूने एकत्रित करके उसने लंदन के अर्ध सरकारी कृषि निगम को भेज दिए।

अपने खेत और उसमें खड़ी फसल की देखभाल करनेवाला भारतीय किसान तो दत्तकथारूप है। गुजरात से गुजरते हुए एलेकजान्डर वॉकर वहाँ के खेत की स्वच्छता और सुंदरता देखकर बोल उठा, 'समग्र विश्व में गुजरात के किसान के खेत से अधिक सुंदर खेत किसी का नहीं हो सकता है।' भारत के किसान की कुशलता और सावधानी देख कर उसने कहा, 'मैंने केप कोमोरिन से कच्छ की मरुभूमि तक अत्यन्त कठिनाई से होनेवाली कृषि, खाद, पशुओं के चारे के लिए घास, बीज परिवर्तन, फसल परिवर्तन आदि की जानकारी प्राप्त की है। (परन्तु इतनी कुशलता कहीं देखी नहीं है।)'

खेत और खेतपैदावार के प्रत्येक पक्ष में ऐसी कुशल और सावध देखभाल के कारण ही भारत के किसान, पद्धति और औजारों के विषय में भी श्रेष्ठ सिद्ध हुए हैं और परिणामस्वरूप अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छी फसल भी ले सके हैं। इसी के परिणामरूप एलेकजान्डर वॉकर कहता है कि इसी प्रकार से मलबार का किसान धान काटने के लिए यत्र भी तैयार कर सकता है। वस्तुतः भारत के किसान की कृषिविद्या का मुख्य पहलू भूमि का उपयोग करने की योग्य पद्धति है। जैसे अभी हमने बात की, चेंगलपट्टु के ८०० गाँवों में आधी जोतने योग्य जमीन पानी में थी। कुल जोतने लायक जमीन लगभग ५४,००० हेक्टर थी। २६,००० हेक्टर जमीन के लिये सिंचाई के विविध स्रोत उपलब्ध थे। १८,००० हेक्टर में जगल था। इस प्रकार हरियाली और पानी की विपुलता के कारण पैदावार का अनुपात भी अधिक होना स्वाभाविक था।

सन् १९४७ से ही हम खेतपैदावार में वृद्धि से सम्बन्धित समस्याओं का सामना

कर रहे हैं। इस हेतु हमने बाहर से अनेक प्रकार की टेकनोलॉजी आयात की है। प्रत्येक विषय में प्रगति के लिए और नए विचारों के लिए हम यन्त्रवत् आदत से मजबूर होकर बाहर की ओर ही ताकते हैं। खेती के विषय में भी ऐसा ही करें, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। परन्तु बाहर से आयात की जाने वाली टेकनोलॉजी हमारी अन्न की समस्या हल नहीं कर सकती है। इतना ही नहीं तो ऐसी आयाती टेकनोलॉजी हमारी जमीन के लिए अत्यंत हानिकारक है। ऐसा लगता है कि हमारी अच्छे से अच्छी जमीन में भी वर्ष में ५०-६० क्विंटल फसल लेने के लिए हम जमीन की उर्वरता का नाश कर रहे हैं। ऐसी टेकनोलॉजी कदाचित् अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका जैसे देशों के अनुकूल हो सकती है। क्योंकि वहाँ बिना निवास की विशाल जमीन उपलब्ध है। उस जमीन से कुछ जमीन का उपयोग करते करते, उसके उर्वरताशून्य बन जाने पर उसको छोड़ दिया जा सकता है, और कृषि के लिए दूसरी जमीन का उपयोग हो सकता है। छोड़ दी गई जमीन समय व्यतीत होने पर प्राकृतिक रूप से पुनः कृषियोग्य बन जाती है। परन्तु ऐसी पद्धति भारत के लिए कितनी उचित है, इसका विचार करना चाहिए। भारत भौगोलिक दृष्टि से भी घनी आबादी तथा हरियाली वाला होने के कारण ३०, ४० या १०० वर्षों में भी हमारी कृषियोग्य भूमि बजर बनानेवाली टेकनोलॉजी हमारे अनुकूल नहीं है।

हमारे पास सन् १८५० की तुलना में विचार करने के लिए कुछ अधिक समय है। हमें आधुनिक विज्ञान, टेकनोलॉजी और पाश्चात्य सस्थाओं का अनुभव भी प्राप्त है, इसलिए हमें २०० वर्ष पूर्व का भारतीय किसान बिना आज की विनाशकारी पद्धति का उपयोग किए प्रति हेक्टर दस टन तक की फसल प्राप्त करने के लिए क्या क्या करता था, वह जानने के गंभीर प्रयास करने चाहिए। आज तो हमने सिंचाईयुक्त जमीन पर आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग किया है। वर्षा पर आधारित खेती को हमने छुआ नहीं है। ऐसी वर्षा पर आधारित खेती के विषय में भारतीय किसान की ऊँची पैदावार देनेवाली पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए।

ऐसा तर्क किया जाता है कि आज की विशाल जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारतीय पद्धति नहीं चलेगी। हमें आधुनिक पाश्चात्य पद्धति अपनानी ही पड़ेगी।

यह तर्क ठीक है या नहीं, इसकी जाँच करना पहले जरूरी है। यदि इसमें तथ्य है, तो हमें कुछ लघु अवधि की और कुछ दीर्घ अवधि की नीति निश्चित करनी चाहिए। भारत और पाश्चात्य पद्धतियों का संयोजन करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके और जमीन हमेशा के लिये क्षतिग्रस्त न हो जाए, उसकी उर्वरता बनी रहे ऐसा

करना अपनी नीति का एक भाग होगा। भविष्य की जनसंख्या वृद्धि का ध्यान करते हुए योजना बनाना, यह दूसरा भाग होगा। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और पूरी बीसवीं शताब्दी में भारत के पुनरुत्थान के सम्बन्ध में बहुत ऊहापोह हुआ है। फिर भी इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर कभी ढूँढ़े नहीं गये हैं। बहुत लंबे समय तक भारत का संचालन ऐसे लोगों के हाथ में रहा है, जिनकी भारत की स्वभावगत वास्तविकताओं की जानकारी नहीं के बराबर है, और जो १५०-२०० वर्ष के ब्रिटिश शासन में प्रचलित और प्रस्थापित ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अवशेषों को ही ब्रिटिशों की विरासत मानकर देश के लिए उपयोग में लाते रहे हैं। ऐसे लोग सब ज्ञान, टेक्नोलॉजी, पद्धति यूरोप और अमेरिका से आयात कर रहे हैं। भारत के लोग या भारत का ज्ञान - दो में से एक के साथ भी उनका कोई सबंध स्थापित नहीं हुआ है।

उज्वल भविष्य के लिए विदेशों से किसी भी प्रकार का ज्ञान और किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी आयात करने से पूर्व हमारा अपना आध्यात्मिक और बौद्धिक अधिष्ठान ठीक प्रकार से अवगत कर के उस आधार पर ही बाहर से कुछ स्वीकार करने की योजना बनाना बहुत आवश्यक है। ऐसे जागृत प्रयास इस प्रकार के हों, जिनके परिणामस्वरूप एक या दो पीढ़ियों में हमारी लोकसंख्या बढ़ने की अपेक्षा स्थिर रहे, इतना ही नहीं, बल्कि कम भी हो-२०५० तक शायद ५० करोड़ जितनी हो। तब भी ऐसे प्रयासों का आधार तो आध्यात्मिक और बौद्धिक रीतिसे अत्यंत बलवान होना चाहिए।

पश्चिम से कुछ भी सीखने की अरुचि होने के कारण मैं इन बातों को आग्रहपूर्वक कह रहा हूँ ऐसा नहीं है। विश्व का समस्त ज्ञान देशी और विदेशी का मिश्रण ही होता है। इतिहास के प्रारम्भ काल से ही टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता ही रहा है। पश्चिम ने भी गत ६००-७०० वर्षों में जो सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, वे इस आदान प्रदान का ही परिणाम हैं। ब्रिटिशों ने उत्तम प्रकार का पोलाद बनाने की, प्लास्टिक सर्जरी की और अन्य कई कलाएँ अठारहवीं शताब्दी के भारत से प्राप्त की हैं। परन्तु जो कुछ लेते हैं, उसे हमारी परिस्थिति, क्षमता तथा आवश्यकताओं के अनुकूल बना कर आत्मसात करने से ही सफलता और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। यूरोप ने ऐसा किया है। सभी विषयों में विवेकपूर्वक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो योग्य हैं, उसी को स्वीकार करके, आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करने के बाद उसका उपयोग करने की पद्धति ही योग्य मानी जाती है।

भारत की उत्तम कृषि के लिए प्राकृतिक ससाधनों के विनियोग के विषय में हम यदि वास्तव में गंभीर और प्रामाणिक हैं, तो इस समय जो कुछ चल रहा है, उसकी

दिशा पलटकर हमे अपने लोगो से और अपने ही प्राकृतिक परिवेश से सीखने की शुरुआत करनी चाहिए।

चेगलपट्ट के ८०० गाँवों का उत्पादन और उत्पादन क्षमता

१७६२-१७६५

	कुल नमूने	धान के उत्पादन की क्षमतायुक्त गाँव ५० क्वि /हेक्टर	धान उत्पादन की क्षमतायुक्त गाँव १०० क्वि /हेक्टर
गाँवों की संख्या	८००	१३०	१८
कुल परिवार	२५,६२०	६,६९८	२,४५५
कुल जमीन (हेक्टर में)	१,५१,८२१	२६,४२४,	९,४१५
जंगल के अतर्गत जमीन (हेक्टर में)	१५,८००	२,२०१	३९८
सिचाईयुक्त जमीन (हेक्टर में)	२३,३९२	४,९६७	१,७९८
सिचाईयुक्त खेती (हेक्टर में)	३४,१३६	७,२०३	३,७४५
सूखी खेती (हेक्टर में)	१३,८५७	२,३६४	१,००६
धान की पैदावार (५ वर्ष की औसत) (१७६२-६५, क्विटल में)	१२,३४,३२९	५,९१,१०७	३,२६,११४
दाल की पैदावार (१६६२-६५, ५ वर्ष की औसत क्विटल में)	२,१७,८९०	७१,९७५	२२,४२९
धान की पैदावार क्षमता क्वि /हेक्टर	३६ १६	८२ ०६	८७ ०८
दाल की पैदावार क्षमता क्वि /हेक्टर	१५ ७२	२५ १३	२२ ३०
क्षेत्र की औसत उत्पादन क्षमता क्वि /हे	३० २६	६५ ८७	७३ ३६
प्रतिपरिवार उत्पादन (क्वि में)	५६ ६८	९९ ००	१४१ ९७

* १९९० में नई दिल्ली के इण्डिया इंटरनेशनल सेंटर (India International Centre) में आयोजित 'उत्तम कृषि के लिये प्राकृतिक ससाधनों का व्यवस्थापन (Natural Resource Management for Sustainable Agriculture) विषयक आन्तरराष्ट्रीय गोष्ठि में प्रस्तुत पत्र

६. भारत में जनगणना (१८८१-१९३१)

लगता है कि अंग्रेज भारत में आए और बड़े बड़े प्रतिष्ठान और कारखाने^१ बनाने लगे, उससे पहले से ही वे जहाँ जहाँ स्थिर हुए, वहाँ के सर्वेक्षण करना, वहाँ की जनसंख्या गिनना, वहाँ की संपत्ति और सैनिक क्षमता का अंदाज लेना आदि कार्य करने के लिए उन्हें कहा जाता था। इस प्रकार जनगणना, अन्य सर्वेक्षण आदि जैसे काम तो अंग्रेजों ने भारत में लगभग सन् १६०० से पूर्व ही प्रारम्भ कर दिए थे, और लगभग १७५० के आसपास जब अंग्रेजों ने भारत के अधिकांश प्रदेशों में सैनिकी और राजकीय आधिपत्य जमा दिया, उसके बाद तो ऐसे बार बार होने वाले सर्वेक्षण एक आम बात हो गई।

सन् १७५० के बाद हुए सर्वेक्षणों में दो सर्वेक्षण महत्वपूर्ण और ब्यौरेवार सर्वेक्षण थे। एक था मद्रास (चैन्नई) के नजदीक चेगलपट्टु जिले का और दूसरा था बंगाल और बिहार प्रदेश की 'बाजी और चाकरण जमीन'^२ का। चेगलपट्टु के १७६७ से १७७४ दरम्यान किए गए सर्वेक्षण में दो हजार से अधिक बस्तियों को समाविष्ट किया गया था। जमीन, पानी के स्रोत, मकान, बस्तियों के प्रत्येक घर में रहने वाले लोगों के व्यवसाय, कृषिपैदावार, लकड़ी, पशु, भेड़बकरी इत्यादि की विस्तृत पैमाइश की गई थी। १७७० में किए गए बंगाल के 'बाजी और चाकरण जमीन' के सर्वेक्षण में इससे भी अधिक विस्तृत पैमाइश की गई थी। सन् १८०० आते आते प्रत्येक जिले में ऐसे सर्वेक्षण किए गए थे। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक प्रति वर्ष अन्यान्य प्रकार के सर्वेक्षण हो रहे थे।

एक प्रकार से देखें, तो ये सर्वेक्षण उस ब्रिटिश विजय के अभिन्न अंग थे। समय बीतते भारत पर वर्चस्व जमाने के लिए और लोगों का नियन्त्रण करने के लिए एक प्रभावी साधन थे। साथ ही राज्य की नीति निर्धारित करने के लिए उनके परिणाम और निष्कर्ष बहुत उपयोगी थे। वैसे तो इस प्रकार के सर्वेक्षणों का विचार भारत में पैदा नहीं हुआ था। ब्रिटिश कार्यपद्धति के अभिन्न अंग के समान यह विचार इंग्लैण्ड में उत्पन्न हुआ था। इन सर्वेक्षणों में आगे चलकर एक एक व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन लिखना प्रारम्भ हुआ। जमीन, मकान, घोड़ा, औजार, यंत्रसामग्री, इत्यादि की गणना होने लगी। इंग्लैण्ड में जनगणना १८०१ में हुई थी और उसके बाद आज तक हर दस वर्ष में होती

रहती है।

१८५० के आसपास अग्रेज पूरे भारत की जनगणना करने का विचार करने लगे थे, परन्तु ठीक १७ फरवरी १८८१ के दिन वह काम प्रारम्भ हो सका। १८८१ की जनगणना कोलकता के सेन्सस कमिशनर (जनगणना आयुक्त) के निर्देशन में और प्रत्येक प्रान्त के प्रेसीडेन्सी के और देशी रजवाड़ों के सेन्सस सुपरिन्टेन्डन्ट (जनगणना अधीक्षक) के निरीक्षण में की गई थी। इस गणना के अनुसार भारत का जमीनी क्षेत्रफल १३,८२,६२४ वर्ग मील था और जनसंख्या २५,३८,८१,८२३ थी। अखिल भारतीय जनगणना का लिखित विवरण अलग अलग प्रकरणों में विभाजित था। यहाँ उसका उल्लेख उपयोगी होगा।

१८८१ की जनगणना के लिखित विवरण के प्रथम खण्ड के साथ साथ अन्य तीन खण्ड भी प्रकाशित हुए थे। उसमें ऊपर दिए गए विवरण और विभागों के साथ संबंधित अकों की सारिणिया दी गई थीं। चार खण्ड मिलकर कुल लगभग १२०० फोलियो थे। प्रदेशों में और प्रेसीडेन्सी में यही क्रम अपनाया गया था। सन् १९४१ में की गई सातवीं जनगणना तक यही पद्धति थोड़े बहुत सुधार के साथ अपनाई गई थी। १९४१ की जनगणना अधूरी थी, क्योंकि अग्रेज और उनकी सरकार विश्वयुद्ध में लगी हुई थी। इसलिए उस विषय का प्रकाशित साहित्य तुलना में बहुत कम था। १८८१ से १९४१ तक की इन सातों जनगणनाओं के विवरण के कुल पृष्ठों की संख्या १,२०,००० जितनी होती है। लंदन की इंडिया ऑफिस के पुस्तकालय में मुद्रित प्रतियों के आधार पर स्विट्ज़र्लैंड में तैयार हुई ३६८३ माइक्रोफिश के रूप में भी उपलब्ध है। जिसके लिए, और जहाँ यह जनगणना हुई थी, उस संपूर्ण भारत का या किसी एक प्रदेश का भी संपूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है।

इंडिया ऑफिस लंदन में अथवा स्विट्ज़र्लैंड में भी कार्यालयीन अथवा सार्वजनिक उपयोग के लिए तैयार हुए मूल विवरण का आधा भाग ही उपलब्ध है। समग्र भारत और अलग अलग प्रदेशों के सभी विवरण उपलब्ध होते हुए भी गाँव और शहर, परगना और जिला इत्यादि के विषय में ब्यौरेवार जानकारी उसमें नहीं मिलती है। यह जानकारी मूल विवरण में तो छपी ही होगी। देशी रजवाड़ों ने व्यक्तिगत रूप में छोटे पैमाने पर जो विवरण तैयार किए होंगे, उन्हें भी इसमें शामिल नहीं किया गया है।

उपलब्ध होने वाले अधिक विस्तृत विवरण १८९१ (७२२ माइक्रोफीश) १९०१ (७५१ माइक्रोफीश) और १९३१ (५८८ माइक्रोफीश) की जनगणना के हैं। उनमें भी १८९१ के मैसूर राज्य के सभी विवरण सर्वाधिक विस्तृत हैं।

क्रम	अनुच्छेद	विवरण	पृष्ठक्रमांक
१	१-२९	क्षेत्र और घनता	१-१५
२	३०-७६	लोगो के पथ	१६-५०
३	७७-११५	स्त्री पुरुष अनुपात	५१-८३
४	११६-१५३	नागरिक स्थिति (विवाहित, अविवाहित, विधवा)	८४-११३
५	१५४-१७१	आयु	११४-१४१
६	१७२-२४०	मृत्युदर और आयु की अवधि	१४२-१८३
७	२४१-३५८	भाषा	१८४-२१६
८	३५९-३८५	जन्मस्थान के आकडे	२१७-२२६
९	३८६-४०४	शिक्षा के आकडे	२२७-२५४
१०	४०५-४३३	पागल, अध, बहरे, गूगे, और कुष्ठरोगी	२५५-२७०
११	४३४-४४८	नगरीय और ग्रामीण	२७१-२७६
१२	४४९-६९१	जाति के आकडे	२७७-३४६
१३	६९२-७७३	व्यवसाय	३४७-४५२
१४	७७४-७८९	यातायात	४५३-४६६
१५	७९०-८०५	उपसहार	४६७-४७३

२

प्रत्येक जनगणना जमीन के क्षेत्रफल तथा प्रदेश की भूरचना के वर्णन से प्रारम्भ होती है। बाद के दशकों में, विशेष करके १९२१ और १९३१ में, भारत के देशी उद्योगों के हास का वर्णन भी है, साथ ही साथ यत्र आधारित आधुनिक उद्योगों के विस्तार का भी वर्णन है। उसमें पशु आदि की भी गणना है। फिर भी प्रत्येक जनगणना का मुख्य प्रयोजन तो भारत में रहने वाले लोगों की संख्या, उनके जातिगत, सांस्कृतिक, सामाजिक लक्षण और मन का झुकाव तथा उनकी आर्थिक गतिविधियाँ और आर्थिक समूहों के विषय में जानकारी इकट्ठी करना था। लगभग १९११ तक यहाँ के लोगों के धर्म, पथ और उपपथों के विषय में अधिक से अधिक अनुमान और छानबीन होती थी, और इससे भी अधिक यहाँ के सामाजिक वर्गों का वर्णन किया जाता था, सूचियाँ बनाई जाती थीं, गणना की जाती थी और विभिन्न प्रकार से 'जाति' की सारिणियाँ तैयार की जाती थीं।

१८९१ तक 'जाति' में इनकी रुचि बहुत बढ़ गई थी। पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रान्त, अवध (वर्तमान उत्तरप्रदेश), मद्रास प्रेसीडेन्सी और हैदराबाद राज्य की जनगणना के विवरणों में जातियों की अनुक्रमणिका भी शामिल की गई थी। पंजाब की अनुक्रमणिका में उपजातियों के रूप में एक लाख से भी अधिक नाम थे। उत्तर प्रदेश में ५४,०००, मद्रास प्रेसीडेन्सी में लगभग ३०,००० और हैदराबाद में लगभग ५,००० उपजातियों का उल्लेख था। १८९१ में पंजाब में ४० लाख से अधिक मुसलमान, हिन्दू, सिख, और जाटों में उपजातियों की संख्या ११,००० अंकित थी। दूसरे अलग अलग समूहों के लिए ऐसी उपजातियों की संख्या ११०० से लेकर २००० तक की थी। मद्रास प्रेसीडेन्सी में परियार की उपजातियों की संख्या लगभग ३५० और पल्ली की लगभग ३६५ थी। १९११ की गणना में पंजाब की उपजाति की गणना में कुछ परिवर्तन किया गया था, परन्तु उसके बाद भी पंजाब की सूची में ५०,००० से अधिक जातियों के नाम थे। पंजाब के जाटों की अभी भी ४,४७३ उपजातियाँ थीं।

१९११ की जनगणना के अनुसार पंजाब की चयन की गई १५ जातियों की उपजातियों की संख्या निम्नलिखित सारिणी में दी गई है।

१५ चयनित जातियों की उपजातियों की संख्या

क्रम	जाति	वर्ष १८९१	वर्ष १९११ (सुधारित)
१	अग्रवाल	७०३	२८६
२	अहीर	५८७	४२०
३	आवान	२२४९	१०१३
४	बिलोच	१५५१	१०६०
५	ब्राह्मण	२१७३	१४८४
६	चूड़ा	३९१६	२३०५
७	फकीर	१०२२	९२७
८	जाट	११,१६१	४४७३
९	खत्री	३०८६	१५५९
१०	लोहार	३०५७	१८६८

११	माछी	१०४७	७८४
१२	मुसल्ली (ऊपर 'चूडा' के साथ सम्मिलित)		५८९
१३	राजपूत	५७२३	३५८६
१४	शेख	१६२७	१०६८
१५	सुनार	१५७६	१४९४

यदि सभी प्रदेशो ने, प्रेसीडेन्सियो ने और देशी रजवाडो ने ऐसे विवरण तैयार किए होते और छपवाए होते तो उपजातियो के कुल नामो की सख्या तीन से पाँच लाख हुई होती। इन सूचियो को बनाने मे और उनका वर्गीकरण करने मे बडी बडी गलतिया हुई थीं, फिर भी यह तो स्पष्ट ध्यान मे आता है कि प्रत्येक परिवार स्वय को अपने वश के आधार पर पहचानता है और उपजाति के रूप मे जो नाम देता है वह उसके कुल का नाम है। उस अनुक्रमणिका मे की गई अपेक्षा को पूर्ण करनेवाले गोत्र, उपजाति या जाति के नाम नहीं है।

इन विवरणो के अनुसार किसी भी प्रान्त या प्रेसीडेन्सी मे मुख्य जातियो की सख्या ३० से ५० थी और प्रत्येक प्रान्त मे वह कुल बस्ती के लगभग ७५ प्रतिशत थी। बगाल जैसे प्रान्त मे जहा मुसलमानो की सख्या बहुत अधिक थी, वहा मुसलमान धीरे धीरे 'शेख' के रूप मे पहचाने जाने लगे, और वे मुसलमानो की कुल बस्ती के ७५ प्रतिशत जितने हो गए। ऐसी मुख्य जातियो के अलावा लगभग एक सौ से तीन सौ तक अन्य समूह थे, जो कुल जनसख्या के २५ प्रतिशत जितने थे और विभिन्न कारीगरी के व्यवसाय करते थे। इसके अतिरिक्त अधिकाश प्रान्तो मे एक सौ से तीन सौ छोटे छोटे समूह थे, जो कुछ हजार अथवा सौ की गिनती मे बैठते थे।

३

जनगणना का निर्देशन करने वाले लोगो के लिए 'जाति' एक उलझनभरा और फिर भी आकर्षण का विषय था। फिर भी भारत का स्त्री और पुरुष का अनुपात उनके लिए अधिक रुचि का विषय बना। यूरोप मे प्राचीन और मध्य युग मे शिशुहत्या का प्रचलन था, उस बात का ब्रिटिशरो को ध्यान था, इसी कारण से इस विषय के प्रति उनका ध्यान एकदम आकर्षित हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने सत्रहवीं शताब्दी से यही सुना था कि भारत के कुछ प्रदेशो मे सती प्रथा का भी अस्तित्व है, और गुजरात तथा

उत्तर प्रदेश के कुछ प्रदेशों में लड़कियों को दूध में मुँह डुबोकर मार दिया जाता है। इस कारण से भी स्त्री-पुरुष अनुपात की ओर उनका ध्यान अधिक गया। उसी से यह धारणा प्रचलित हुई कि भारत में लड़कियों की हत्या की जाती है, और नहीं तो स्त्रियाँ अपेक्षा और दुर्व्यवहार की शिकार तो होती ही हैं।

१८८१ की भारतव्यापी जनगणना पुरुषों की कुल संख्या १२,९९,४९,८५१ बताती है, जबकि स्त्रियों की १२,३९,४९,९७०। बंगाल और उड़ीसा मिलकर पूर्व तथा मद्रास प्रेसिडेन्सी, मैसूर और त्रावणकोर मिलकर दक्षिण में स्त्रियों की संख्या कुछ अधिक है, जबकि मध्य, उत्तर और पंजाब, कश्मीर, उत्तर पश्चिम प्रान्त जैसे उत्तर भारत में पुरुषों की संख्या अधिक है। जहाँ स्त्रियों की संख्या अधिक है, ऐसे बंगाल और उड़ीसा की तुलना यूरोप के जर्मनी, नेदरलैण्ड्स, स्पेन आदि के साथ हो सकती है, जबकि मध्य और उत्तर की तुलना ग्रीस के साथ, जहाँ ५१ ७ प्रतिशत पुरुष और ४८ ३ प्रतिशत स्त्रियाँ थीं। बड़े माने जाने वाले प्रदेशों में मात्र पंजाब में पुरुषों का अनुपात अधिक था और वह था ५४ २५ प्रतिशत और ४५ ७५ प्रतिशत स्त्रियाँ।

स्त्रियों की संख्या का अनुपात कम है इस तथ्य पर भार देना और उसके कारण ढूँढना अग्रेजों ने १८८१ की जनगणना से पहले ही प्रारम्भ कर दिया था। १८७२ में उत्तर पश्चिमी प्रदेश में हुई जनगणना में इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया गया था और जाति के अनुपात के विषय में लम्बा ६०० पृष्ठों का विवरण तैयार किया गया था। डबल्यू सी प्लाउडन, जिसके निर्देशन में यह १८७२ की उत्तर पश्चिमी प्रदेश की जनगणना की गई थी, उसे ही १८८१ की जनगणना का मुख्य कमिश्नर बनाया गया। यह सूचित करता है कि ब्रिटिशों को स्त्री-पुरुष अनुपात जानने में बहुत रुचि थी। इस बात का भी उल्लेख करना चाहिए कि भारत के कुछ प्रदेशों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक थी, और अधिकांश प्रदेशों में समान थी, परन्तु अग्रेजों की ऐसी रुचि और सरोकार के कारण उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के अधिकांश प्रदेशों में स्त्रियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी हुई। अग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा, उस समय तक स्त्रियों की संख्या का अनुपात सन् १८०० से पूर्व के अनुपात से ५ प्रतिशत कम हो गया।

दशक के बाद दशक में जनगणना में अधिकाधिक ब्यौरेवार जनाकारियाँ इकट्ठी होने लगीं। अभी तक जिन विषयों का उल्लेख नहीं हुआ था, ऐसी भारतीय समाज की कई बातों की प्रविष्टियाँ होने लगीं। ये विवरण बहुत विचित्र और विस्मय पैदा करने वाले

भी थे। उदाहरण के रूप में उसमें दर्ज किया गया था कि मेसूर राज्य की अधिकांश जातियाँ १८ और ९ 'फणा' में बँटी हुई थीं, ब्राह्मणों के कर्मकांडों के व्योरे वारीकी से उसमें शामिल थे। इसी प्रकार उत्तर भारत के जाट और अन्य जातियों के विषय में भी विवरण दिया गया था। यह भी लिखा गया था कि मेसूर राज्य के १९,६३० गाँवों में ७,९३५ गाँवों के नाम के अंत में 'हल्ली', १२८९ के अंत में 'उरु' और १७७० गाँवों के नाम के अंत में 'पुर' आता था।

प्रारम्भ की जनगणना में भारत के धर्म, पथ और जातियों के विषय में खूब टिप्पणी की गई थी। १८८१ में हुई पंजाब की जनगणना में दर्ज की गई टिप्पणी के कुछ नमूने इस प्रकार हैं।

१ हिन्दू धर्म का उसके अनुयायियों पर असर

'हिन्दू धर्म का उसके अनुयायियों के चरित्र पर कोई खास प्रभाव है, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वह स्वयं ही ऐसे चरित्र की निष्पत्ति और अभिव्यक्ति है वास्तव में हिन्दू धर्म का प्रभाव पूर्ण रूप से नकारात्मक है। इन धर्मावलम्बियों को आचार विचार के विषय में कोई चिन्ता नहीं है, वह उनमें धार्मिक या राजकीय कोई महत्त्वकांक्षा नहीं जगाता है, उन्हें धर्मान्तरण की भी चिन्ता नहीं है, वह अत्याचार के उपदेश नहीं देता है। वह 'जियो और जीने दो' से सतुष्ट है। हिन्दू शान्ति से और करकसरपूर्ण सादगी से जीता है। वह अपनी जमीन जोतता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, अपनी स्त्रियों को पूजापाठ करने देता है, त्योहार और उत्सवों के समय उनके साथ मंदिर जाता है। उसकी एक मात्र महत्त्वाकांक्षा है अपना घर बनाने की और अपनी लड़की का विवाह पड़ोसी से अधिक धूमधाम से करने में पैसा खर्च करने की।'

२ पूर्व पंजाब के मुसलमानों के विषय में

'पूर्व पंजाब में मूल पवित्र इस्लाम की श्रद्धा केवल सैयद, पठान, अरब और विदेशी मूल के मुसलमानों में ही देखने को मिलती थी। ये सभी अधिकांश नगर में रहने वाले लोग थे। गाँव में रहने वाले मुसलमान तो मात्र नाम के ही मुसलमान थे। वे परिक्रमा करते थे, कलमा पढ़ते थे और स्थानीय देवताओं की पूजा करते थे। परन्तु विप्लव के बाद (१८५७ के स्वातंत्र्य संग्राम के बाद) बहुत जागृति आ गई। मुल्ला मौलवियों ने खूब लम्बे चौड़े प्रवास करके सच्चे इस्लाम का उपदेश देना प्रारम्भ किया और मुसलमानों को मूर्ति पूजा बंद करने के लिए समझाया परन्तु पूर्व पंजाब का गाँव का मुसलमान अभी

भी बिलकुल नापाक है। चेनिग कहता है, 'गाँव का मुसलमान दोनो पथो की दावत खाता है, परन्तु उपवास किसी का नहीं रखता है।'

३ पापी और निष्कासित जातियों के विषय में

'इस अध्याय के प्रारम्भ में मैंने सूचित किया है कि उच्च वर्ण के लोग पापी और जाति बहिष्कृत को अपने धर्म में नहीं गिनते हैं, भले ही वे लोग उनके सभी आचारों का पालन करते हों, और उनके द्वारा निर्धारित की गई मर्यादाओं में रहते हों। इस वर्ग में लगभग २०,१२,००० हिन्दू, १,७३,००० सिख, ४,८२,००० मुसलमान और सैकड़ों बौद्धों का समावेश होता है। मुझे लगता है कि इन लोगों के आचार विचार के विषय में हम कुछ भी जानते नहीं हैं। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि उन लोगों में जो मुसलमान नहीं बन गए हैं, वे अपने लोगों के मृतदेहों का अग्रिसस्कार करते हैं और 'फेरा' करके विवाह करते हैं। अधिकांश लोगों के विवाह ब्राह्मण कराते हैं, परन्तु ऐसे ब्राह्मण भी उनके यजमानों के कारण ही पतित माने जाते हैं, और उन्हें जाति के बाहर कर दिया जाता है।'

४ जाति पर धर्मान्तरण का प्रभाव।

एक मुसलमान राजपूत, जाट या गुजर सामाजिक, जातिगत, कारोबार से सम्बन्धित और राजकीय विषयों में हिन्दू राजपूत, जाट या गुजर से जरा भी अलग नहीं है। उसके सामाजिक रीतिरिवाज जरा भी नहीं बदलते हैं। उसके जातिगत बंधन जरा भी ढीले नहीं होते हैं। उसके विवाह और विरासत विषयक नियम जरा भी बदलते नहीं हैं। अन्तर मात्र इतना ही है कि वह उसकी चोटी काट देता है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है, और विवाह उत्सव में हिन्दू के साथ साथ मुसलमानी पद्धति भी अपनाता है।

मैंने धर्म विषयक अध्याय में सूचित किया है कि मुसलमान बनने के बाद भी वह मूल देवताओं की मूर्ति की पूजा करता है। केवल अभी अभी ही उसने ऐसा करना बन्द किया है। (मध्यम वर्ग, नगर और कस्बे में रहने वालों के विषय में स्थिति जरा अलग है। उनको अपने जाति के विषय में कोई अभिमान नहीं है। उच्च शिक्षा और दूर के निवास के कारण शहरों में गाँव की तरह जातिगत रूढ़ियों का पालन सम्भव नहीं होता है। इस स्थिति में धर्मांतरित हुए लोग 'शेख' उपनाम अपना लेते हैं। वैसे यह उपनाम बदलना और धर्मान्तरण करना भी अपवादरूप ही होता है।)

५ इस्लाम की विजय का जाति पर प्रभाव

पश्चिम पजाब की तरह पूर्व पजाब में मुस्लिम आक्रमण इतना व्यापक नहीं था और आक्रमणकारियों का देश इतना नजदीक भी नहीं था कि स्थानीय लोगों के रीतिरिवाज व्यापक रूप में और सर्वथा बदल जाँय, फिर भी उत्तर भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमण के परिणामस्वरूप जाति के बन्धन शिथिल होने के स्थान पर अधिक कठोर और दृढ़ बन गए। ऐसा करने के लिए सरल पद्धति थी हिन्दुओं का नेतृत्व राजपूतों से छीन कर ब्राह्मणों के हाथ में देना।

इस प्रश्न की अधिक विस्तार से चर्चा करने के लिए भारत की समाज रचना की अधिक ब्योरेवार जानकारी होना आवश्यक है। मेरे पास वह नहीं है। परन्तु मेरे सुझावों को प्रमाणित करने के लिये मैं संक्षेप में कुछ बातें कहूँगा। हम जानते हैं कि हिन्दू धर्म के प्राचीन और मध्यकालीन समय में समाज के नेतृत्व के विषय में ब्राह्मण और क्षत्रियों में दीर्घ संघर्ष हुआ था (देखिए 'म्यूर की संस्कृत पुस्तक' Muir's Sanskrit Texts - खण्ड १) मुसलमानों को राजपूत राजा अपने राजकीय दुश्मन लगते थे, इसलिए उनकी सत्ता छीन लेना और उनको परास्त करना उन्हें आवश्यक लगता था, परन्तु ब्राह्मणों की ओर से उनको ऐसा कोई भय नहीं था। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों की ओर बहुत ध्यान नहीं दिया।

५

जनगणना के माध्यम से भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, और आर्थिक पहलू की विविधता के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है, परन्तु इस जानकारी में अप्रत्याशित भय, आतंक और विषाद देखने को मिलते हैं।

जिनके विषय में ये जानकारियाँ एकत्रित की गई हैं, उनके लिये तो नित्य परिचय होने के कारण से सब कुछ बहुत परिचित था। वे तो इस स्थिति में रहने के लिये बाध्य हो गये थे। एक शतक से भी अधिक समय के लिये इतनी कठिनाइयों से गुजरने के बाद भी वे जी रहे थे। इस जानकारी का मूल्य तो इस दृष्टि से है कि लोग किस दारुण स्थिति से गुजरे थे इसका इकट्ठा विवरण हमें मिले।

१८८१ की मद्रास की जनगणना की टिप्पणी है, 'मद्रास में पैदा होने वाले बच्चों में २८ प्रतिशत बच्चे एक वर्ष के होने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, लड़कों में नौ वर्ष के होने से पहले और लड़कियों में चौदह वर्ष की होने से पहले आधे बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते हैं।' टिप्पणी आगे कहती है, 'इंग्लैण्ड में पुरुष ४५ वर्ष के और स्त्रियाँ ४७ वर्ष

की नहीं होती, तब तक जनसख्या इस प्रकार आधी नहीं हो जाती है', और जो मद्रास मे होता है, वह सभी जगह होता होगा, ऐसा मान लिया जाता था।

दूसरी भयानक जानकारी विधवाओ की सख्या के विषय मे है। १८८१ और १८९१ की जनगणना सूचित करती है कि एक से साठ वर्ष की आयु की स्त्रियो मे २० प्रतिशत विधवाएँ होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि पाँच स्त्रियो के समूह मे दो अविवाहित हैं, तीन विवाहितो मे से दो सधवा है और सर्वसामान्य रूप से एक विधवा है। भारत के कुछ प्रदेशो मे, और कुछ जातियो मे विधवाओ का अनुपात एक तृतीयाश या इससे अधिक है, जबकि शेष अर्थात् साठ प्रतिशत जनसख्या मे यह अनुपात पद्रह प्रतिशत से कम है।

इस प्रकार के अन्य अनेक विवरण है, परन्तु आधे बच्चे नौ या चौदह वर्ष के होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएँ और पाँचवे भाग की स्त्रियाँ विधवा हो जाएँ, ऐसा समाज बहुत दु खी होता है और उसकी करुणता पराकाष्ठा पर पहुँची होती है यही कहा जा सकता है। भारतीय समाज की ऐसी स्थिति वास्तव मे कब थी, यह बहुत व्यापक और गहन जाँच का विषय है। परन्तु अग्रेजो ने भारत की विजय का अभियान प्रारम्भ किया, तब से ही भारतीय समाज की निरन्तर लूट खसौट हुई है, लोगो को अनहद सताया गया है और भारत की भूमि तथा अन्य सम्पत्ति की उपेक्षा और शोषण के कारण दूसरा बच्चा जल्दी जन्म ले, उसकी प्रतीक्षा बढी होगी, और बच्चो की सख्या अधिक हो ऐसी इच्छा भी बलवत्तर हो जाती होगी। बच्चों की सख्या अधिक होगी, तो अन्त मे उनमे आधे तो बचेगे। वस्तुतः इसी कारण से औपचारिक विवाह आयु कम हुई होगी। ऐसी इच्छा विशेष रूप से ब्राह्मणो मे अधिक होती है, जिनमे विवाहित होना शुभ माना जाता है। यदि किसी की छोटी आयु मे ही मृत्यु हो, तो वह गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करके ही स्वर्गवासी हो यह वाछनीय माना जाता है।

मृत्यु का यह अनुपात है तो ब्रिटिश शासन के सौ, डेढ सौ वर्षों मे जनसख्या आधी हो जानी चाहिए। इस प्रकार १८८० तक, या इससे भी पूर्व हो जाना चाहिए। चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी मे काले बुखार के कारण जनसख्या वैसे भी आधी हो गई थी। यदि जाँच के बाद यही वास्तविकता है, तो १७५० के आसपास भारत की जनसख्या तीस से चालीस करोड़ होनी चाहिए, अब तक की धारणा के अनुसार पन्द्रह से बीस करोड़ नहीं। यह बात भी विचार करने योग्य है कि आज एक परिवार औसत पाँच व्यक्तियो का बना हुआ माना जाता है' परन्तु यह बात अठारहवीं शताब्दी के परिवार को लागू नहीं है। खेती विषयक अक ध्यान मे लेने पर तो यह सिद्ध हो सकता है

कि उस समय के परिवारो मे पति पत्नी और दो या तीन बालको के अलावा अनेक लोगो का समावेश होता था।

६

जनगणना के साथ साथ भारतीय समाज को परिचालित करने के लिए महत्त्वपूर्ण नीतियाँ भी प्रयुक्त की गई देखने मे आती थीं और लागू भी की जाती थीं। यह काम ठीक नीचले स्तर मे चुस्ती से होता था। यह काम खास करके उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध मे और बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध मे भारतीय समाज के विभिन्न भागो मे होता था। इन सभी नीतियो के प्रभाव और सफलता को मापने के लिए और जाँच करने के लिए जनगणना एक महत्त्वपूर्ण साधन था। सन् १८८१ की भारतव्यापी जनगणना से पूर्व सन् १८५० और १८७५ मे सभी प्रान्तो मे और देशी रजवाडो मे एक या एक से अधिक बार जनगणना की गई थी। सन् १८७५ मे लन्दन मे उसका ६४ पृष्ठो का विवरण ब्रिटिश ससद के सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार हुआ था। ब्रिटिश शासन के अतर्गत आधिपत्य वाले भारत मे, देशी 'भारतीय' भारत को मिलाकर भारत की कुल जनसख्या २३,८८,३०,९५८ थी। इसमे 'भारतीय' भारत की जनसख्या ४,८२,६७,९१० थी। इस विषय मे अधिक विस्तार से जानकारी नहीं दी गई थी।

इस विवरण मे सूचित किया गया था कि ब्रिटिश भारत की कुल १९,०३,६३,०४८ और कुल हिन्दुओ की १४,९१,३०,१८५ की जनसख्या मे ८७,१२,८९९ जाति से निष्कासित लोग थे। कुल जनसख्या मे ४,०८,८२,५३८ मुसलमान थे। (बिहार, बंगाल और उड़ीसा मे कुल १,९५,५३,८३१ मुसलमान थे।) मुसलमानो मे ७,९०,९८४ सैयद, १८,४१,६९३ पटान २,१९,७५५ मुगल, ४७,००,३२० शेख और ३,२६,७४,८०० बिना वर्ग के थे। यह लक्षणीय है कि ३०-३५ वर्षो के बाद की १९११ जनगणना मे अकेले बंगाल मे ही २,२९,५२,९४४ और समग्र भारत मे ३,२१,३१,३४२ शेख थे। १७७५ का विवरण बंगाल मे १०,६९,४९७ शेखो की सख्या सूचित करता है।

१४,९१,३०,१८५ हिन्दुओ मे ८७,१२,९९८ जाति से निष्कासित (जिनमे आधे से अधिक केवल मद्रास मे थे) के अतिरिक्त १,७७,१६,८२५ 'अर्ध हिन्दू मूल आदिवासी', ५,९५,८१५ देशी ईसाई, ११,७४,४३६ सिख, २८,३२,८५१ बौद्ध और जैन थे। इनमे २४,८७,८३१ उस समय के ब्रिटिश बर्मा मे रहने वाले बौद्ध थे।

जाति से निष्कासित (जो बाद मे दलित तथा अस्पृश्य, १९३१ मे बाह्य जातियाँ

और अन्त में अलग अलग प्रदेशों की सूचियों के समूह के अनुसार अनुसूचित जातियों के रूप में गिने जाते थे) लोग इसी प्रकार सख्या में बढ़ते गये जैसे शेख बढ़े थे। १९३१ में जनगणना आयुक्त जे एच हटन ने उनको बाह्य जातियाँ कहा और उनकी कुल सख्या ५,०२,५०, ३४७ हुई। उस समय हिन्दुओं की सख्या २३,८६,२२,६०२ थी। इसी प्रकार जिन्हे 'आदिम जातियाँ' कहा गया, उनकी सख्या २,४६,१३,८४८ थी।

७

जनगणना के विवरण में अंग्रेजी में साक्षरता का आग्रह और यथासम्भव सस्कृत के उल्लेख की उपेक्षा करना ही अंग्रेजों का नीतिगत आग्रह प्रतीत होता है। एस्टोनियन, जापानी और चीनी जैसी भाषाओं सहित विश्व की लगभग एक सौ भाषाएँ जनगणना के पत्रक में होते हुए भी सस्कृत का समावेश 'अन्य भाषाएँ' के कोष्ठ में हुआ था। १८९१ से ही कुछ चयन की गई जातियों के साक्षरता विषयक अक एकत्रित किए जाते थे। १८९१ के पंजाब की साक्षरता विषयक सारिणी में २३८ वे पृष्ठ पर शीर्षक लिखा गया था, 'अंग्रेजी जानने वाले और न जानने वाले जाति, जनजाति और वशानुसार साक्षरों की सख्या।' पंजाब की जनसख्या में २,५१,३०,१२७ कुल साक्षर थे। इनमें पुरुषों की सख्या ७,९९,१७७ थी और स्त्रियों की २०,२०५, अंग्रेजी में साक्षरों की सख्या थी ४०,५५६ पुरुष और ४,८७७ स्त्रियाँ, इनमें से २१,८४९ पुरुष और ४,११६ स्त्रियाँ अंग्रेजी मूल के थे और एक छोटा हिस्सा यूरोप के अन्य देशवासियों का अथवा यूरेज़ियन था। परन्तु उस समय तक ४१९३ खत्री, २६८४ ब्राह्मण, १३०७ अरोड़ा, ११४९ बनिए, १३१९ शेख, ७६३ कैथ, ७३६ राजपूत, ६५३ जाट, ५६५ बलोच, ५१७ सैयद और १,३७५ देशी ईसाई अंग्रेजी में साक्षर थे। अंग्रेजी साक्षरता १३९ सोनी, ८० नाई, ८० लुहार, १५७ तबान, ३५ जुलाहे, २५ तेली और ९९ झींवार तक पहुँची थी। ७७१ स्त्रियाँ अंग्रेजी जानती थी, उनमें से ५८९ देशी ईसाई स्त्रियाँ थीं। अन्य स्त्रियों में २८ खत्री, १८ शेख, ८ बलोच, १३ ब्राह्मण, १० राजपूत, ११ सैयद, २ कलाल और १ चमार थी।

१९४१ तक सभी प्रदेशों के जाति के अनुसार साक्षरता और उसमें भी अंग्रेजी साक्षरता के अक एकत्रित किए गए। ये अक सूचित करते हैं कि साधारण साक्षरता और अंग्रेजी साक्षरता को योजनापूर्वक मिलाया जाता था और देशी साक्षरता अंग्रेजी साक्षरता से आगे न जाय, इसका ध्यान रखा जाता था। इसका विस्तृत विश्लेषण करने पर ध्यानमें आता है कि अधिकांश प्रदेशों में देशी साक्षरता और अंग्रेजी साक्षरता का

अनुपात १० १ का और कम पश्चिमीकृत प्रदेशों में १५ १ का रहा है। अनेक जातियों में तो वैसे भी सामान्य लोग साक्षरता से दूर थे और अंग्रेजी से तो और भी दूर। परन्तु ब्राह्मण, खत्री, कायस्थ जैसी जातियों के नगरनिवासी पुरुषों में अंग्रेजी साक्षरता की मात्रा १९३१ तक ५० प्रतिशत तक पहुँची थी।

सन्दर्भ

- १ भाडार इत्यादि के मकानों के लिए, नहीं कि वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखानों के लिए एक प्रकार की किलेबन्दी।
- २ ऐसी जमीन जिसके कर का उपयोग परंपरागत और ऐतिहासिक रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक और धर्मादाय कार्यों तथा स्थानिक पुलिस और सैनिकों के वेतन के लिये होता था।

विभाग २

यूरोपीय आधिपत्य के अन्त के बाद भारत की समस्याएँ

- ७ लोग कहाँ है ?
- ८ भारत के सासदों को पत्र
- ९ राष्ट्र निर्माण में गांधीवादियों की भूमिका
- १० जवाहरलाल नेहरू के मतानुसार
भारतीय गणतन्त्र के प्रमुख के कार्य
- ११ भारत की आपातकालीन स्थिति का अन्त
- १२ अनुसूचित जातियों का गठन
- १३ एक विचारणीय विषय
- १४ सुराज का तन्त्र
- १५ जरा सोचे
- १६ विकेन्द्रीकरण का प्रश्न चूक घोषित
- १७ भारत के पुन औद्योगीकरण विषयक कुछ विचार
- १८ प्रवाह को मार्ग दे

७ लोग कहाँ हैं ?

अभी अभी लोकसभा में तृतीय पंचवर्षीय योजना के मुसद्दे पर चर्चा हुई है। आचार्य कृपलानी, डॉ. मेलकोटे, और अन्य कुछेक सदस्यो ने आशकाएँ व्यक्त की है। परन्तु कुल मिलाकर सभी चर्चाएँ नीरस रहीं। स्वतन्त्र पक्ष के मतविभाजन की माग के ऐतिहासिक निर्णय से भी उन चर्चाओ में कोई प्राण नहीं आया और सरकार का प्रस्ताव ८ (आठ) विरुद्ध २२५ मतों से स्वीकृत हुआ।

परन्तु वर्तमान आयोजन की समस्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे प्रस्तुत करती है। ये मुद्दे इस या उस मंच पर की जानेवाली एकाध चर्चा में ही पूर्ण हो जानेवाले नहीं हैं। यदि एक के बाद एक पंचवर्षीय (या फिर पाँच से अधिक या कम समयावधि की) योजना को केवल कर्मकाण्ड मात्र बनने नहीं देना है तो प्रजा के प्रतिनिधियों को ससद में, धारासभाओं में या फिर इस प्रकार के अन्य किसी भी राजनैतिक या सामाजिक मंच पर अपनी दैनन्दिन व्यस्तता से समय निकालकर वास्तविकताओं का विश्लेषण करना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए, और उनके साथ अपना व्यावहारिक एवं भावात्मक सम्बन्ध पुनः स्थापित भी करना चाहिए।

निस्सन्देह देश के पास, देश में और देश के बाहर विद्वानों के द्वारा किए गए हमारी अन्यान्य गतिविधियों के मूल्यांकन, सर्वेक्षण और निष्कर्ष अथवा निर्णय विपुल मात्रा में उपलब्ध हैं। सचमुच यह सब पढ़ना, और पढ़कर उसे सकलित कर सम्भावना व्यक्त करना भी एक बहुत बड़ा कार्य बन गया है। वास्तव में तो यह भी पूछा जा सकता है कि जो कुछ उपलब्ध है उसे समझ पाना भी हमारे लिए सम्भवतः असम्भव बन चुका हो तो ऐसे में अधिक विश्लेषण की गुंजाइश ही कहाँ रह जाती है। आयोजन एवं विकास का प्रश्न मात्र आकड़ों और गिनती का ही विषय नहीं है, प्रतिव्यक्ति आय, यन्त्रसंचालित वाहन, वायरलेस सेट, साइकिल, रेल्वे इंजन व डिब्बो इत्यादि की संख्या या उर्वरक का वितरण अथवा आर्थिक विकास का दर इत्यादि का ही प्रश्न नहीं है। यदि अन्य कुछेक गंभीर प्रश्न नहीं होते तो यह सारी जानकारी विकास की दिशा जानने हेतु उपयोगी भी सिद्ध होती। परन्तु जनसमाज का दौर्मनस्य, बेकारों की बढ़ती हुई संख्या, समाज के

कुछ बड़े तबको की, विशेष रूपसे भूमिहीन खेतिहर मजदूरो की, बढ़ती हुई गरीबी जैसे प्रश्न तो है ही। गरीबी का मापदण्ड केवल द्रव्य नहीं होने पर भी जो स्वयं दूध का उत्पादन करते हैं ऐसे सम्पूर्ण शाकाहारी ग्रामीणों को भोजनमें अत्यन्त कम मात्रामे दूध उपलब्ध होता है यह चिन्ता का विषय है। तर्क हो सकता है कि उन्हें दूध नगर के ग्राहकों को, सरकारी डेरी को या अन्य उपभोक्ताओं को बेचना चाहिए या नहीं इसका निर्णय करने के लिए वे स्वतन्त्र हैं, परन्तु यह तर्क अर्थहीन है। निश्चित रूपसे आयोजन में कुछ गम्भीर गड़बड़ी है जिससे दूध उत्पादकों को दूध स्वयं ही उपयोग में न लेकर बेचना पड़ता है।

किसान, बाध एवं कारखाने या ग्रामीण कार्यशाला में कार्यरत कारीगर एवं नवयुवक किसी भी देश की सम्पत्ति है। विशेष रूपसे भारत में ऐसे लोगों के लिए ही तो हम दिखावा करके आयोजन बनाते हैं, घण्टो चर्चाएँ करते हैं, रातों में जागरण करते हैं। हमारे आयोजनकर्ताओं एवं नेताओं को चिन्ता या सहानुभूति नहीं है ऐसा भी नहीं है। हमारी योजना के सामाजिक हेतु व उद्देश्यों के विषय में विरोध लगभग न के बराबर है। परन्तु वास्तविकता से जिसका कोई मेल नहीं है ऐसे स्वनिर्मित स्वप्नों का दर्शन करते करते स्वयं को पूर्णतया भूल जाने की क्षमता हम रखते हैं। सार्वजनिक चर्चाओं में हम पारदर्शी नहीं हैं। परिणामस्वरूप व्यक्तिगत चर्चाओं में हम असम्बद्ध बातें करते हैं। जिसके फलस्वरूप वास्तविकता और आयोजन इन दोनों के बीच की खाई बढ़ती जाती है। यह कदाचित् हमारी दो सौ वर्षों की पराधीनता और उसके परिणाम स्वरूप पैदा होनेवाली लघुताग्रन्थि का परिणाम हो। इसका परिणाम यह होता है कि जिनके लिए हम योजनाएँ बनाते हैं, एवं सपने देखते हैं वे लोग हि चित्र में कहीं भी स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। लोग तो केवल मजदूर ही हैं, रोजी रोटी कमानेवाले ही हैं, भारत का पुनर्निर्माण करने की योजना के साहस या क्षमता में उनकी सहभागिता का बोध तो उन्हें होता ही नहीं है।

इस दौर्मनस्य की जड़े बहुत गहरी हैं। वे भारत की आत्मा से जुड़ी हैं। बाँध, इस्पात और कारखानों से बाहर निकलकर हमें मनुष्य के विकास की, जिन्हे हम अज्ञानी मानते हैं ऐसे भारतीयों के विकास के, चींटियों के साथ जिनकी तुलना करते हैं ऐसे लाखों बेचारे हिन्दुस्तानियों के विकास के मुद्दे पर आने से पहले भारत की इस आत्मा को जाग्रत करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की जागृति असम्भव नहीं है। अनेकों प्रकार की विकट परिस्थितियों में भी गांधीजी ने इस प्रकार की जागृति को सम्भव बनाया है। हम सभी एक प्रकार से गांधीजी के वारिस हैं। हममें केवल विनम्रता एवं प्रामाणिक अनुभूति की कमी है।

यह सत्य है कि दुनिया से, जागतिक सस्थाओं से या अन्यान्य देशों से हमने जो सहायता प्राप्त की है उससे हमारी सामान्य कठिनाईयाँ हलकी हुई हो तो भी परोक्ष रूप से उसके कारण से हम सामान्य मनुष्य से विमुख होकर बहुत दूर हो गए हैं। भिन्न परिस्थितियों में ऐसी सुलभ सहायता, छोटीछोटी सुविधाएँ और हमारा यत्नो के प्रति लगाव कदाचित् मूल्यवान सिद्ध होता परन्तु वर्तमान समय में तो इसने हमें लोगों से मिलने से, उन्हें अपना दृष्टिकोण समझाने से, एव ऐसा न कर सके तो, हमारे स्वयं के व्यक्तित्व में बदलाव करने से ही रोक दिया है। वास्तव में ऐसा लगता है कि हमने जन सामान्य से सम्पर्क के सभी क्षेत्र खो दिए हैं।

जब तक यह खोया हुआ सम्पर्क पुनः स्थापित नहीं होता, तब तक कोई भी योजना ठोस स्वरूप धारण नहीं कर सकती, फिर चाहे विश्व सहायताओं की भरमार ही क्यों नहीं कर देता। भिन्नभिन्न मंच, समितियाँ, या नामी सस्थाओं में चर्चाएँ या वादविवाद करते रहने से कुछ नहीं होगा। इन सबका प्रयोजन अवश्य है, परन्तु जब भारतीय एकात्मता का भाव बनाये रखते हुए पुनर्रचना का एक आन्दोलन शुरू किया जाएगा, क्षेत्रशः स्थानीय आवश्यकताओं व अपेक्षाओं के अनुसार उसका लक्ष्य निश्चित किया जाएगा और भव्यता नहीं अपितु उनके हृदय स्वीकार कर सके ऐसी योजना में लोगों को सहभागी बनाया जाएगा तभी सब कुछ सम्भव होगा, अन्यथा नहीं।

* जुलाई से अगस्त, १९६० के 'अवार्ड' के मुखपत्र में प्रकाशित लेख। यह लेख सभी सासदों को भी भेजा गया था। इंग्लैण्ड में शूमाखर के पास भी यह पहुँचा था। १९६२-६३ में पूणे की गोखले इन्स्टीट्यूट ऑफ़ इकोनोमिक्स एण्ड पोलिटिक्स (Gokhale Institute of Economics and Politics) में दिये गये भाषण में शूमाखर ने इसके कुछ अंश का उपयोग किया था।

८. भारत के सांसदों को पत्र

२१ नवम्बर १९६२

नयी दिल्ली

प्रिय मित्र,

ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी सभी कांग्रेसी सांसद, धारासभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, प्रदेश व जिले की कांग्रेस समिति के सदस्यों को कुछ समय पूर्व भेजे गए पत्रक में सूचित करती है कि 'प्रधानमन्त्री की आलोचना के सन्दर्भ में विधायक भूमिका की आवश्यकता है।' जो प्रधानमन्त्री की आलोचना करते हैं वे सभी षडयन्त्रकारी हैं ऐसा आग्रहपूर्वक कहने की आवश्यकता है।

बोमडीला के पतन की सूचना आकाशवाणी से प्रसारित करते हुए प्रधानमन्त्री ने कहा कि 'विदेशियों के द्वारा भारत पर किए जानेवाले इस प्रकार के आक्रमणों को हम नहीं सहेंगे।' 'हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए।' 'इस प्रकार के कृत्यों का सामना करने के लिए व आक्रमणकारियों को जब तक भारत से खदेड़ न दे तब तक हम चैन की सास नहीं ले सकते हैं। इसके लिए हमें सुदृढ़ बनना चाहिए। एक छोटे से पराजय से हम डर गए हैं यह मानकर शत्रु के द्वारा किए गये प्रस्तावों का स्वीकार हम नहीं करेंगे।' 'इस प्रकार की कोई भी पीछेहट हमें अपने निश्चय में से हिला नहीं सकती।' उन्होंने अन्त में कहा कि 'मैं अभी और इसी क्षण शत्रु से कहना चाहता हूँ कि हम आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और अन्त में विजय भारत की ही होगी।'

अफसोस ! ऐसे शब्द एवं भावनाओं का उभार तो देश गत पन्द्रह वर्षों से सुन रहा है। केवल सन्दर्भ बदलते हैं। कभी वह 'अधिक अन्न उगाएँ' होता है तो कभी स्टील प्लाण्ट्स और बॉधों के रूप में आधुनिक मन्दिरों का निर्माण होता है, कभी राष्ट्रीय एकता या पाकिस्तान से हमारी लड़ाई या पुराने 'वहमो' के आधार पर लड़ा जानेवाला युद्ध होता है। या ऐसी अन्य सैंकड़ों बातें होती हैं। वास्तविकता यह है कि ऐसे गुब्बारों से सत्त्व निकल गया है और प्रधानमन्त्री की प्रत्येक सूचना के प्रसारण के बाद आशा, निश्चय

और साहस जाग्रत होने के स्थान पर लोग अधिक हताश हो जाते हैं।

कदाचित प्रधानमन्त्री को सत्य का ज्ञान हुआ हो और वे बदल गए हो। परन्तु लोगो को इस बात की प्रतीति कैसे हो। पिछले ३० दिनों मे सरकार के द्वारा किया गया कार्यकलाप तो इसका सकेत नहीं देता है। २० अक्टूबर के बाद सरकार के द्वारा उठाए गए कदमो को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उल्टे उसकी गणना हो सकती है। प्रधानमन्त्री ने रक्षामन्त्री को मुक्त कर दिया परन्तु इसके बाद तुरन्त ही उन्होंने सार्वजनिक रूप मे इसके लिए पश्चात्ताप व्यक्त किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और राष्ट्रीय नागरिक समिति की रचना हुई है। सुरक्षा परिषद के ३० सदस्यो से अभी भेट करना बाकी है। दूसरी परिषद के विषय मे जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। भगवान करे इन दोनो परिषदो के क्रमश अध्यक्षपद पर शोभायमान प्रधानमन्त्री तथा उनकी पुत्री तथा प्रधानमन्त्री का दरबार इस देश व देश की स्वतन्त्रता की रक्षा करे। परन्तु हम क्या आशा कर सकते है ? अतीत तो समर्थन नहीं करता है।

इस बार प्रधानमन्त्री पुरातन समय के १९२९ के समय के लगते है। पर हम किस प्रकार भरोसा कर ले।

नामशेष हो चुके बोमडीला या चुशुल या किसी सीमावर्ती प्रदेश मे ७३ वर्ष के वृद्ध प्रधानमन्त्री कन्धे से कन्धा मिलाकर खड़े रहे यह अपेक्षा तो कोई नहीं करेगा। परन्तु वे जो कुछ कह रहे हैं वह पूर्ण प्रामाणिकता से ही कहते है, यदि उनकी प्रतिज्ञा का कुछ अर्थ है, यदि उनकी देशभक्ति मे कुछ आवेश है तो प्रधानमन्त्री तेजपुर, गोहाटी, या शिलोग या ऐसे ही किसी स्थान पर जाकर आसाम के लोगो को सुविधा प्रदान करके उनका विश्वास सम्पादित कर सकते है, नियुक्त किए गए सेनाधिकारियो का निरीक्षण कर सकते है और चीनी दलो से भारत की भूमि मुक्त नहीं होती तब तक वहीं रह सकते है। परन्तु उनमे इतना साहस है ? स्वय द्वारा बोले गए वचनो को वे मानते भी है ? उन्हे स्वय कोई आशा है ?

१८ नवम्बर १९५० के दिन भारत सरकार से चीन ने कहा था, 'चीन का पीपल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत के लोगो को मुक्त करेगा व चीन की सीमा की रक्षा करेगा। चीनी सरकार की यह दृढ नीति है।' चीन के द्वारा कही गई यह सीमा कौनसी थी ? क्या भारत सरकार ने इसकी जाच की थी ? क्या प्रधानमन्त्री ने इस पर विचार किया था ?

चीन को 'षडयन्त्रकारी दुश्मन' कहने से लोकप्रियता मिलती होगी, परन्तु क्या हमें उचित समय पर इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी ? १२ वर्ष की समयावधि को कम

तो नहीं कहा जा सकता।

देश के लिए समय बहुत तेजी से बीत रहा है। चीनी इस देश के भूभाग का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लेंगे तो समय आने पर उन्हें खदेड़ा नहीं जा सकेगा ऐसा नहीं है। अन्ततोगत्वा सत्य की विजय नहीं होती ऐसा भी नहीं है। आक्रमणकारियों को प्रथम देश में प्रवेश करने देना और बाद में उन्हें देश से खदेड़ने के लिए अनन्तकाल तक प्रयत्नशील रहना ही क्या इस देश के भाग्य में लिखा है ?

सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री को व्यक्तिगत रूप से स्वयं ही निश्चित कर लेना चाहिए। हमारी सीमाओं की रक्षा करनेवाले जवान और आसाम के निश्चित सुरक्षा व्यवस्था के विश्वास की अपेक्षा करनेवाले नागरिकों के साथ वे प्रत्यक्ष रूप से रह सकते हैं ? उनमें इतना साहस है ? अपनी व्यक्तिगत भव्य प्रतिमा से ऊपर उठकर वे समूह के एक सदस्य बन सकते हैं ? उनके द्वारा निर्मित इस मामले की उलझी गुत्थी के विषय में वे क्षमाप्रार्थी हैं ? प्राचीनकाल में तो उनके स्थान पर स्थित कोई भी शासक अपने साथियों और ईश्वर से क्षमायाचना के लिये सैकड़ों हजारों मील घुटनों के बल चलकर आया होता। ऐसा करने के स्थान पर वे इस लायक न होने पर भी सार्वजनिक रूप में जनता से क्षमायाचना कर सकते हैं ? यदि उन्हें सचमुच पश्चाताप हो रहा है तो भारत के लोग उनके समान वृद्ध शासक को क्षमा करने में पीछेहट नहीं करेंगे।

इस सकट के समय में इतना बड़ा दायित्व निभा सकें इतने सक्षम वे नहीं हैं यह कोई अपराध नहीं है। बीते हुए समय में उनसे जो हो सका, उन्होंने किया ही है। परन्तु यह समय पूर्वकाल में किए गए कार्यों की और देखने का नहीं है। यह समय तो ऐसा कुछ करने के लिये है कि जिससे चीनी हमारे देश में अब और आगे न बढ़ सके, समयान्तर पर उन्हें देश से खदेड़ा जा सके। इसके अतिरिक्त यह भी देखना है कि जो युद्ध हो रहा है उसका कुछ परिणाम निकले। लोग इस विषयमें निश्चित होना चाहते हैं कि हम दृढतापूर्वक, एक निश्चित योजना के अनुसार युद्ध कर रहे हैं।

अब चीनी युद्धविराम का प्रस्ताव रख रहे हैं। यह वास्तव में कपट भी हो सकता है। परन्तु यदि मन्त्रणा और निर्णय का समय आए और जब भी आए तब सब कुछ कर सके और लोग जिनमें विश्वास रख सके ऐसे लोग चाहिए। प्रधानमन्त्री की पिछली कार्यपद्धति तो ऐसी रही है कि वे व्यक्तिगत सौदे ही करते हैं।

यदि प्रधानमन्त्री निश्चित नहीं कर सकते हैं तो, कांग्रेस पक्ष या देश की ससद अथवा ये दोनों नहीं करते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमन्त्री को निवृत्त होने का परामर्श देना चाहिए। और देश को ऐसी सरकार प्रदान करनी चाहिए कि जिसे वह स्वयं क्या कर

रही है उसका पता चलता हो, जो विजय की केवल बातें ही न करके वर्तमान में भी कुछ कर सकती हो।

भारत के लोगों को शर्मिन्दा बनाया गया है। सरकार की कार्यपद्धति से वे उलझन में पड़ गए हैं। लोग कब तक प्रतीक्षा करें ? इस देश के जो भी समझदार लोग हैं उन्होंने लोगों की शर्म और गुस्से की सीमा टूट न जाए और वे अशोभनीय मार्ग पर न बह जाय यह देखना चाहिए। अपने देश के लोगों के नहीं परन्तु आक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सके ऐसे किसी को मन्त्री का दायित्व सौंपने की आवश्यकता है। जो लोग प्रधानमन्त्री की आलोचना करते हैं वे प्रधानमन्त्री से कम देशभक्त नहीं हैं। अन्तर् इतना ही है कि उनकी देशभक्ति अधिक ठोस व बलवान है।

९. राष्ट्र निर्माण में गांधीवादियों की भूमिका

गांधीवादी, रचनात्मक कार्यकर और विभिन्न स्वयंसेवी क्रियाकलापो में कार्यरत सभी कार्यकर्ताओं की स्वातंत्र्योत्तर काल में क्या भूमिका है ? क्या वे (अ) अपने स्वप्न के समाज का रेखाचित्र बनाकर अपने से सम्भव सर्वश्रेष्ठ प्रयत्नों से उसे साकार करना चाहेंगे ? अपने स्वप्न के भविष्य के समाज की आकृति बनाकर सम्भव है वैसे उत्तम प्रकार से वर्तमान में उसे साकार करना है ? या (ब) मानव प्रयासों के विभिन्न क्षेत्रों में अपने व्यक्तिगत आदर्श प्रस्तुत कर श्रेष्ठ मापदण्ड प्रस्थापित करेंगे ? या (क) कल्याण राज्य को समर्पित सरकार के द्वारा पुकारने पर उसकी इच्छा के अनुसार सब कुछ करने के लिए सिद्ध रहेंगे ? या (ड) भिन्न समय एवं स्थिति में भी गांधीजी के कथनानुसार लोगों को यदि सत्ता के द्वारा अपना अपमान होता प्रतीत होता है तो सत्ता का प्रतिकार करने की शक्ति का विकास करने का और उससे भी बढ़कर सत्ता को नियन्त्रण और नियमन में रखने की क्षमता निर्माण करने की दिशा में लोगों को शिक्षित करने का महत्त्वपूर्ण दायित्व निभायेंगे ?

बहुत ही दुःख एवं सकोच के साथ लेखक अपने विचार कागज पर उतार रहा है। मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ उसके विषय में गांधीवादी निश्चितरूप से गम्भीरतापूर्वक विचार करते होंगे। इस बात में बिलकुल सन्देह नहीं है कि जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं वह उनके लिए अधिक दुःखदायी होगी।

१९६४ अप्रैल में परिपत्रित और मई १९६४ में मुंबई में 'जनता' नामक पत्रिका में प्रकाशित और प्रमाणों के अभाव में नहीं, अपितु अधिक ठोस कारणों से वे आज के समय की मांग के अनुरूप उचित प्रतिसाद नहीं देते होंगे। उनके जैसा धैर्य मुझमें नहीं है एवं उनके समान अनुभव व दूरदर्शिता भी नहीं है, इसलिए मैं अपने विचार सार्वजनिक रूप में रख रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि इसमें वे भी जुड़े ही हैं।

कार्यकर्ताओ के समक्ष बहुत रास्ते खुले थे। गाधीजी मानते थे कि जिनकी अत्यधिक आवश्यकता है एव जिन्हे सरकार मे जाने मे रुचि है ऐसे अति अल्प लोगो के अतिरिक्त शेष सभी को विशाल लोक सेवक सघ का सदस्य बन जाना चाहिए और कुछ शताब्दियो की अवमानना, अनवस्था व कुशासन से पीड़ित भारतीय समाज को प्राणवान बनाकर उसकी पुनर्चना का कार्य करना चाहिए। दिल्ली मे प्राप्त स्वराज्य को प्रत्येक नगर, कस्बा एव गाँव तक ही नहीं अपितु प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाने का कार्य सरकार की अपेक्षा इन लोकसेवको का अधिक है। इस स्वराज्य को हाडमास का मूर्त स्वरूप देने के लिए उन्होने नया राज्यतन्त्र, नये आर्थिक सम्बन्ध एव नूतन समाज के दृष्टिकोण से सम्पूर्ण प्रौद्योगिकी को कसने की बात कही। बीस के दशक मे उनके द्वारा दिया गया रचनात्मक कार्यक्रम-समय बीतने के साथसाथ कुछ नई बाते भी उसमे जुड़ी थीं - गाधीजी के मतानुसार स्वराज का सही वाहक था।

परन्तु परिस्थिति ने कुछ भिन्न रूप लिया। अपवादो को छोड़कर अधिकतर स्वतन्त्रतासेनानी एक नहीं तो दूसरी तरह से सरकार मे जुड़ गए। कुछ सरकार के आधारस्तम्भ बने, कुछ भिन्न स्तर पर उसके कार्यवाहक बने तो कुछ उसके अधिकृत आलोचक बने। जो कुछ बाहर रहे एव जिन्हे सही मे राजनीति से घृणा थी उन्होने रचनात्मक कार्यक्रम मे नये सिरे से समर्पित होने का निश्चय किया। परन्तु उसमे एक बहुत बडा अन्तर था। स्वतन्त्रता के बाद की सरकार के प्रति उनका रवैया बदल चुका था।

मूलत रचनात्मक कार्यक्रम गाँधीजी के द्वारा विदेशी शासन को दिया गया उत्तर था। यद्यपि उसमे एक सीमा तक सहअस्तित्व के सोपान अवश्य थे। फिर भी विदेशी शासन की ही उपज हो या उसका प्रतीक हो ऐसी कोई भी बात का स्वतन्त्रता आन्दोलन मे कोई स्थान नहीं था। सरकार के द्वारा की गई किसी भी कृति को उचित मानने की प्रवृत्ति रचनात्मक कार्यक्रम ने कभी नहीं बनाई थी। भारत को पराधीन बनानेवाली हर एक बात को पुन ढालना अथवा उसे बदलकर उसके स्थान पर पर्याय स्थापित करना ही उसका आशय था। स्वतन्त्रता के बाद रचनात्मक कार्यक्रम के प्रति समर्पित कार्यकर्ता नयी सरकार की बहुत सी गतिविधियो एव विचार से व्यथित थे। फिर भी कुल मिलाकर अब तक सरकार के द्वारा प्रारम्भ किया गया एव चलाया गया सब कुछ उन्होने स्वीकार कर लिया है। यद्यपि इस स्वीकार मे निष्ठा या उत्साह भी नहीं दिखाई देता है।

तर्क दिया जा सकता है कि रचनात्मक कार्यकर एव सत्याग्रह करने मे भी पीछे

नहीं रहनेवाले अन्य बहुत से लोगो ने स्वतन्त्र भारत मे यह मानने की गलती की कि सरकार का सम्मान बना रहना चाहिए एव उसके प्रति नरम रवैया अपनाना चाहिए। जबकि यह सत्य है कि, इन कार्यकरो के लिए कठोर रवैया अपनाकर उनके द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय आदर्शों के विरुद्ध सरकार जो कुछ भी करे उसका खुलकर विरोध करना सम्भव था। फिर भी पूर्व के जैसी उग्रता एव असीम शत्रुतापूर्वक नयी सरकार एव उसकी सत्ता का विरोध करने मे अस्वाभाविकता और अवास्तविकता तो थी ही। स्वतन्त्र भारत की सरकार जितनी उनकी थी उतनी ही अन्यो की भी थी। इसलिए सरकार के सामने उग्रता एव बहिष्कार मे वे शिथिल पड जाय यह उनका दोष नहीं था। पर उन्होने अपनी गतिविधियो का क्षेत्र सीमित कर दिया यही उनका दोष था। उन्होने स्वय को सामान्य एव कर्मकाण्ड माने जाने योग्य रचनात्मक कार्यक्रम अथवा उसके समान ही गाधीवाद की परिधि के बाहर के कार्यक्रम को समर्पित कर दिया। ऐसा उन्होने शुभभाव से किया। फिर भी यह कृत्य उन्हीं के प्रमुख उद्देश्य को नष्ट करनेवाला सिद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वे राष्ट्रीय नीति एव पुरुषार्थ के क्षेत्र से ही बाहर कर दिए गए।

२

अत्यन्त खेदपूर्ण बात यह है कि गाधीवादियो मे से किसी ने भी गाधीजी के बाद आज के समाज मे स्वय की क्या भूमिका है इस विषय मे बिलकुल ही विचार नहीं किया है। सरकार की भूमिका एव अपना सरकार के प्रति क्या रवैया है इस विषय मे सोचने की उन्हे इच्छा ही नहीं थी। अथवा समय ही नहीं था। अधिकाश लोगो के अनुसार सरकार एक ऐसा अनिवार्य अनिष्ट था जिसे वे अपने स्वप्न के समाज मे कोई स्थान देना ही नहीं चाहते थे। कुछ लोगो को सरकार की कुछ बाते और नीतियाँ अच्छी नहीं लगती थीं फिर भी सरकार चलानेवाले सभी स्वतन्त्रता सग्राम मे सहभागी उनके अपने वरिष्ठ साथी होने के कारण से उनमे पूर्ण विश्वास रखकर वे शान्त हो गए थे। भले हमारी यह चाह रही कि एक लम्बे अन्तराल के बाद हम बिना सरकार के भी अपना काम कर लेगे, परन्तु अभी तो जब तक सरकार व अन्य सत्ताकेन्द्रों का अस्तित्व है तब तक उन सभी से सावध रहकर उन पर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता है यह दृष्टि रचनात्मक कार्य करनेवाले स्वयसेवको के मन मे ही आई नहीं ऐसा लगता है।

शासको के प्रति नरम रवैया रखकर उनकी सभी बाते ग्रहण करने के बावजूद गाधीवादी कदाचित् अपने आप में भी यह मान्य करने से डरते हैं कि मुक्त समाज में अधिकाश गतिविधिया-लोकतान्त्रिक सरकार सहित-रचनात्मक कार्यक्रम से कुछ खास

भिन्न नहीं है। दोनो की कार्यपद्धति एव गुणवत्ता मे कदाचित् अन्तर हो सकता है , परन्तु तत्त्वत दोनो का उद्देश्य एक ही है।

गाँधीवादियो की 'आदर्श समाज' के प्रति निष्ठा कदाचित् उनके लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न करती होगी। इस निष्ठा ने उन्हे वर्तमान सुधार के प्रति अपेक्षित रवैया रखने के लिए बाध्य किया है। इसी कारण वे (१) विचार का प्रचार या (२) भविष्य के प्रतिमान के विषय मे किए गए प्रयोग या (३) बारडोली, साबरमती, एव सेवाग्राम के समय मे आत्मसात् की गई व्यक्तिगत तपस्या एव समर्पण का यान्त्रिक पुनरावर्तन करने की दिशा मे आगे बढे है।

इस को कम नहीं समझना चाहिए, परन्तु इतना तो कहना ही पडेगा कि गाधीवादी अवमानना होते ही सत्ता का प्रतिरोध करने की क्षमता मे वृद्धि करना चूक गए हैं। यह क्षमता तो गाधीजी के अभिप्राय मे स्वराज के लिए पूर्वशर्त के समान थी। गाधीजी ने यह भी कहा था कि 'सत्ता को नियन्त्रित करना एव नियमन मे रखने की अपनी क्षमता के प्रति जाग्रत रहने के लिए जनसामान्य को शिक्षित कर के ही स्वराज्य प्राप्त करना होगा।' राज्य को हमेशा दूर रखने की चिन्ता मे या रचनात्मक कार्यकलापो के द्वीप के प्रति आसक्ति के कारण से गाधीवादी गाधीजी के समय मे सत्ता के नियमन एव नियन्त्रण की जो भी थोड़ी बहुत क्षमता भारत के लोगो ने प्राप्त की थी उसे भी नष्ट करने मे कारणभूत बने।

३

मेरा उद्देश्य अपने अपने क्षेत्र व विषय में कार्यरत एव रचनात्मक कार्य करनेवाले हजारो स्वयसेवको के क्रियाकलापो को कम समझना नहीं है। उनमे से बहुतो ने तो ऐसा अग्रगामी काम किया है कि उसकी उपेक्षा करना या उसे आगे नहीं बढ़ाना वे सभी एक या दूसरे प्रकार से जरूरतमदो को सहारा एव राहत प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। उनका जीवन सुसह्य बनाने के हरसम्भव प्रयास वे कर रहे है और यह सचमुच बहुत प्रशंसा के पात्र ही हैं।

परन्तु इतना उत्तम कार्य एव इतना समर्पण, इतनी प्रेमपूर्ण देखभाल एव साथ ही स्वाभाविक रूपसे व्यक्तिगत सहानुभूति रखने पर भी इन रचनात्मक स्वयसेवी हजारो कार्यकरो की उपलब्धियो का कुल परिणाम सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से चलनेवाली गतिविधियो की तुलना मे बहुत ही अल्प है। इसके अतिरिक्त कार्यकरो के इतने विपुल कार्य के सामने हमारा समाज आज बहुत हीन बन गया है। गत वर्षों की

तुलना में झूठ एवं खोखलापन बहुत बढ़ गया है।

इस निरूपण से कदाचित् ऐसा लगेगा कि मैं रचनात्मक स्वयंसेवी कार्यक्रम एवं प्रयास छोड़ देने का सुझाव दे रहा हूँ। ऐसा विलकुल नहीं है। मेरा आग्रह यह है कि हमें भारत की वर्तमान स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहिए एवं भारत के समाज के लिए अपनी भूमिका के विषय में नये सिरे से विचार करना चाहिए। सत्ता के विरुद्ध सत्याग्रह या सघर्ष करने की बात में नहीं कर रहा। इस विषय में जो सक्षम हैं वे समय आने पर बिना विचार किए नहीं रह पाएँगे। मेरी चिन्ता का विषय यह है कि इतने चिन्ता, समर्पण, अच्छाई एवं परिश्रम के बावजूद भी भारत के बहुत से लोगों के लिए जीवन अत्यधिक सत्त्वहीन एवं दुष्कर बन गया है। हमारे स्वातन्त्र्यसंग्राम का भी यह विधिवैचित्र्य ही है कि स्वतन्त्रता के बाद भी अधिकतर लोगों को दैनिक जीवन में स्वतन्त्रता का अनुभव नहीं हो रहा है। उन्हें पग पग पर सताए जाने का अनुभव हो रहा है। इस स्थिति का निर्माण करने में किसी एक व्यक्तिविशेष का दोष ही नहीं सकता परन्तु कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई गाँधीवादी, कोई रचनात्मक कार्यकर ऐसी स्थिति को सह नहीं सकता। यह तो रचनात्मक कार्यक्रम की नींव में स्थित बात का ही निषेध हो रहा है।

४

और एक बात। 'रचनात्मक' गतिविधियों को तेजी से बढ़ावा देने की मनीषा से प्रेरित होकर गांधीवादी सरकार की इस प्रकार की विभिन्न बातों को बिना सोचविचार के समर्थन देने लगे जिन्हें गांधीजी झूठ का पुलिन्दा कहते थे। इसके अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। भोले होने से अधिक हानिकारक ये रचनात्मक कार्यकर स्वयं ही इसका एक उदाहरण हैं। सरकार विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं तालीम के कार्यक्रमों में जो उद्देश्य, प्रक्रियाएँ एवं पद्धति का उपयोग करती हैं उसके साथ ये कार्यकर वास्तव में सहमत न होने पर भी सहभागी बनते हैं और उसे सफल बनाते हैं।

उदाहरण के तौर पर ग्रामीण कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को ही ले। सरकार के कथनानुसार यह ग्रामीण क्षेत्र का कार्यकर ग्रामजनों का मित्र, मार्गदर्शक एवं चिन्तक होना चाहिए। खेती, शिक्षा, विविध कारीगरी इत्यादि ग्रामीण क्षेत्र की गतिविधियों के विषयों में इस कार्यकर द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए। परन्तु वास्तव में वह इस योग्य होता नहीं है। यदि ऐसी कल्पना की जाए कि ग्रामीण क्षेत्र का कार्यकर प्रधानमंत्री के अंश के समान प्रभावशाली होगा तब तो कदाचित् आनेवाली अनेक पीढ़ियों तक प्रत्यक्ष

रूप से ऐसा हो ही नहीं सकता। अधिक से अधिक वह गाँव में घूम सकता है, क्लर्की कर सकता है और जिसमें सरकारी या अन्य सत्ताधारियों से पाला पड़ता है ऐसे छोटे मोटे काम करवा सकता है। वह ग्रामजनों का पढालिखा भाई बन सकता है। सामान्यरूप से उसका चित्र एक बिना कामकाजी व्यक्ति का है। कभी कभी वह नगरीय एवं ग्रामीण जीवन के आपसी आदान प्रदान से निर्मित कड़ी बनकर अपनी मौलिकता एवं समझदारी दर्शा सकता है। यह सामान्य होने के बावजूद बहुत उपयोगी एवं आदरपात्र कार्य है। यदि ऐसी ही व्याख्या ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर की होती तो हजारों गाँवों को समृद्ध बनाने में उसकी शक्तियों का उपयोग हुआ होता। और उसे सन्तोष एवं सार्थकता का अनुभव हुआ होता। परन्तु ऐसा होने के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकरों में, वे जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके कारण व्यापक हताशा, अविश्वास एवं दोषदर्शी वृत्ति देखने को मिलती है।

ऐसी मिथ्या बातों की निरर्थकता के प्रति दृढ़ता पूर्वक ध्यान केन्द्रित किया जाता तो रचनात्मक कार्यकर कदाचित् निरन्तर बढ़ती हुई मिथ्या प्रशंसा और अविश्वास को बहुत कम कर सके होते, कदाचित् रोक भी सकते।

५

ऐसी बहुत सी परिस्थितियों की चर्चा की जा सकती है जिनमें हमने बिना सोचे-समझे सिद्धान्तों एवं सत्यनिष्ठा के साथ समझौता किया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यकर को स्वयं को तो हानि हुई ही परन्तु उससे भी अधिक सार्वजनिक हानि हुई। इसी कारण से अन्याय, विभिन्न प्रकार के झूठ, एवं अनवस्था का सही रूपमें प्रतिरोध करनेवाले लोगों की अवमानना एवं उपेक्षा होती है। इतना ही नहीं तो सार्थक उपलब्धियों एवं प्रस्तावों के प्रति भी लोग साशक बनते हैं। जहाँ पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक जाती हो वहाँ चद्र की अपेक्षा करने के कारण भव्य स्वप्न भी अर्थहीन बन जाते हैं।

गांधीवादियों एवं स्वैच्छिक कार्यों के नेताओं से मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि वे वर्तमान भारत में स्वयं की क्या भूमिका है उस सम्बन्ध में पुनर्विचार करें। आज भी अन्य कई लोगों की अपेक्षा वे लोगों के अधिक निकट हैं। अभी भी वे विभिन्न प्रकार की विदेशी सकल्पनाओं के शिकार नहीं बने हैं। अभी भी वे केवल सूत्रों के सम्मोहन से ग्रस्त नहीं हुए हैं। सच तो यह है कि शासन में लोगों की साझेदारी चाहिए। परन्तु आज शासकों एवं लोगों के बीच मानसिकता एवं संस्कृति के भेद के कारण दूरत्व बढ़ रहा है।

गाधीवादी कार्यकर आज भी थोड़े से प्रयास से इस दूरत्व को निरस्त कर सकते हैं।

भारत के लोगो के लिए जो अनुकूल है या भारत के लोग जिसकी अपेक्षा करते हैं उसके अनुसार व्यवहार करने की शासको को कोई परवाह ही नहीं है। दृढ निश्चय एव सबसे प्रेम एव अनुकम्पा के कारण गाधीवादी अभी भी शासको की लापरवाही, अपकृत्य एव तानाशाही को नियन्त्रित करने में समर्थ बन सकते हैं। यह सच है कि वे अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। गाधीजी भी लोगो के साथ एव सहयोग के कारण ही वह सब कुछ कर पाये जो उन्होने किया। लोग जो अनुभव करते थे, जो चाहते थे और उन्हे जो अच्छा लगता था परन्तु वे उसे व्यक्त नहीं कर पाते थे उन सभी बातो का मूर्त रूप गाधीजी थे। गाधीवादी और स्वैच्छिक कार्य करनेवालो को कम से कम इस समय तो अपनी सभी मनोरम्य कल्पनाओ, विचारप्रणालियो एव समस्याओ के समाधान के विचारो को एक ओर रखकर लोगो को सुनना चाहिए एव लोग आज के लिए एव आनेवाले कल के लिए क्या चाहते हैं वह जानकर उनकी आवश्यकताओ को पूर्ण करने में उन्हे सहायता करनी चाहिए। उन्हे यदि उपदेश देने की लालसा हो तो उपदेश शासको को देना चाहिए। जहाँ तक लोगो का सवाल है, उनका सर्व प्रकार से सेवक बनने की आवश्यकता है। लोगो के सर्व प्रकार के काम करके अपनी सफलता सिद्ध करनी चाहिए। इसके बाद एक ऐसा समय आएगा कि यदि वे चाहते हैं तो अपनी सोच जनसामान्य के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगे, यदि उन्हें रुचि हो तो। अभी तो उन्हे अपनी दुकान बन्द करके जनता के प्रवक्ता बनना चाहिए।

१०. जवाहरलाल नेहरू के मतानुसार भारतीय गणतन्त्र के प्रमुख के कार्य

Every man's के २२ दिसम्बर के अक मे दिल्ली सरकार विषयक अपनी मान्यता के विषय मे सर्वोदय कार्यकरो मे पैदा हुए विवाद के विषय मे पढा। लगता है कि ये लोग एव अन्य कई, फिर से १९४९ की स्थिति मे पहुँच गए है। ८ दिसम्बर, १९४९ को तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्रप्रसाद को एक पत्र लिखा। पत्र मे लिखा, 'मुझसे कहा गया है कि कुछ सप्ताह पूर्व वर्धामे एक सर्वोदय सम्मेलन हुआ था। उस समेलन मे कुछ भाषण अत्यत तीखे थे। एकाध सप्ताह पहले कोलकता के इण्डियन एसोसियेशन हॉल मे एक बैठक हुई थी। जे सी कुमारप्पा उसके अध्यक्ष थे। प्रफुल्ल घोष एव उनके गुट के अन्य लोग भी उसमे उपस्थित थे। कुमारप्पा एव प्रफुल्ल घोष ने बगाल सरकार एव केन्द्र सरकार के विरोध मे तेजाबी भाषण किए। इतना ही नहीं सरकार अनाज का सग्रह न कर सके इसलिए किसानो को भूमि जलाने की नीति का अनुसरण करने का आवाहन किया। उनका उद्देश्य सरकार को अधिक परेशान करके उसे टिकाने लाना था।'

श्री नेहरू को, वर्तमान प्रधानमन्त्री उनकी पुत्री के समान ही, इस प्रकार के व्यवहार से बहुत बुरा लगा था। उन्हे गुस्सा आ गया था। उन्हे इस प्रकार का विरोध एव परामर्श बेमानी लगता था। परन्तु इसी पत्र मे प्रारम्भ मे लिखी हुई कुछ बातो से पता चलता है कि सर्वोदय कार्यकर ऐसा व्यवहार क्यों करते थे। नेहरू लिखते है, 'हमारे आसपास क्या दिखाई देता है ? मै कोई कठिन आर्थिक परिस्थिति की बात नहीं कर रहा। वह भी एक महत्त्वपूर्ण विषय है ही। परन्तु मुझे इससे भी अधिक पीड़ा इस बात की है कि बापू के द्वारा तैयार किया गया ढाँचा बहुत तेजी से टूट रहा है। कांग्रेस मे चाहे जितने दोष हो पर फिर भी वह भारत के चित्त एव मन का प्रतिनिधित्व करती है। उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। यदि कोई लेने का प्रयास भी करे तो समग्र भारत मे अराजकता, कष्ट ओर बिखराव का साम्राज्य हो जायेगा। ऐसी काँग्रेस हमारी आखो के सामने बिखर रही है। इसका बिखरना भी कदाचित् सहाय है, परन्तु स्थिति तो उससे भी

बदतर होती जा रही है। आज कोई अनुशारान वचा ही नहीं है। सामूहिक प्रयास होता ही नहीं है, सहयोग की भावना नहीं है, कुछ अपवादों को छोड़कर कोई रचनात्मक प्रयास नहीं है। छल, प्रपच एव तोड़फोड़ में ही हमारी शक्ति का व्यय हो रहा है।' यह सम्भव है कि वर्धा में जो लोग एकत्रित हुए थे वे भी 'बहुत तेजी से टूट पड़ने की' एव बिखरने की ही बात कर रहे थे। परन्तु वे सरकार को एव उसके नेताओं को उसमें कारणभूत मानते थे। और उनके द्वारा रची गयी पद्धतियों से ही सरकार को ठिकाने लाने की बात सोच रहे थे।

यह टूट पड़ना इत्यादि जैसी टिप्पणियाँ यदि निश्चित उद्देश्य से की गई हो तो भी वह श्री नेहरू को केवल कभी कभार आया हुआ विचार नहीं था। इसके पूर्व भी १९ जून को उन्होंने सरदार पटेल से कहा था, 'हम बहुत तेजी से जनसामान्य के मत से विमुख हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हम केवल सरकार बनकर ही रह गए हैं, अन्य कुछ भी नहीं। इस सबकी अन्तिम फलश्रुति कोलकता है। दिल्ली में भी कॉग्रेस की कोई गरिमा रह गई है ऐसा नहीं लगता है। हमारे कार्यकर्ता यदि कोई बड़ा एव प्रभावी व्यक्ति उपस्थित न हो तो, सभाएँ करने में सकोच का अनुभव करते हैं। यदि हम इस वास्तविकता पर नहीं सोचेंगे तो हमेशा के लिए उपेक्षित हो जाएँगे।'

यह जानना भी उपयोगी सिद्ध होगा कि ऐसी स्थिति पैदा होने के कारणों के विषय में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के विचार क्या थे। श्री नेहरू को उन्होंने १२ दिसम्बर को लिखा, 'इस समय की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारणों के विषय में विचार करना उपयुक्त रहेगा, और यदि उचित लगता है तो मैं दूसरे पत्र में इस विषय पर लिखूँगा।' उन्होंने वह पत्र लिखा हो या नहीं, परन्तु सरकार एव लोगों के बीच निर्मित खाई, एव १९४९ में सर्वोदयी लोगों के दुःख एव गुस्से का कारण जानना उपयोगी रहेगा।

१९४९ की स्थिति निर्माण होने के लिए जो भी घटना घटी हो, श्री नेहरू के द्वारा की गई इन बातों के बाद के २५ वर्ष मानो प्रतीक्षा का समय था ऐसा लगता है। एक प्रकार से २५ वर्ष के इस प्रतीक्षा समय का भी कुछ उपयोग हो सकता है, परन्तु लगता है कि भारत ने बहुत कुछ खोया है। विशेष रूपसे स्वतन्त्रता आन्दोलन ने जो आशा एव भावनाएँ जगाई थीं उनका तो हास हुआ ही है परन्तु जिन आधाररूप बातों को १९४७-४९ के काल में उत्तेजनापूर्वक एक ओर रख दिया गया था वे आज पुनः हमारे समक्ष उपस्थित हो गई हैं।

भले ही हम लम्बी चौड़ी बातें करते हो तो भी यह सत्य है कि अग्रेज हमारे यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से गए हो तो भी उनके कथनानुसार यह केवल 'ट्रान्सफर ऑफ पावर' -

‘सत्ता का हस्तान्तरण’ ही है। हमने इस सोपी हुई सत्ता का स्वीकार किया एव सत्ता के साथ ही मनोवैज्ञानिक एव प्रशासनिक सूचितार्थों का भी स्वीकार कर लिया। इससे यह समझ में आता है कि भारत अपना मार्ग स्वयं ही निश्चित करके उसके अनुरूप प्रशासनिक, न्यायिक एव राजनैतिक जीवनस्तर क्यों निश्चित नहीं कर पा रहा है। राजनैतिक क्षेत्र में व्याप्त बहुचर्चित भ्रष्टाचार एव अविरत बढ़ते हुए सशय का कारण भी यही है। यह भ्रष्टाचार एव अराजकता इत्यादि सारी छोटी मोटी वाते अग्रेजों के द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को बनाये रखने की फलश्रुति है। इसके फलस्वरूप भारतीय सोच, एव आचारविचार दूषित हुए हैं, विशेष रूपसे वरिष्ठ अधिकारियों के। यहाँ तक कि उस समय पनपकर तैयार हो रहे गणतन्त्र के राष्ट्रपति कैसे होने चाहिए यह भी ब्रिटिश प्रभाव में रहकर ही सोचा जाता था। ११ सितम्बर १९४९ के दिन श्री नेहरू द्वारा डॉ राजेन्द्र प्रसाद को लिखे गए पत्र के अनुसार राष्ट्रपति गणतन्त्र की राजधानी में राजद्वारी लोगों के बीच एव गवर्नर जनरल को शोभा देनेवाली विभिन्न औपचारिकताओं एव कार्यकलापों को उचित न्याय देने के लिये स्वयं को सक्षम बना सके ऐसे होने चाहिए। ऐसी स्थिति में राजनीति एव राजनेता भटक जाय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वरिष्ठ नेता चाहते हों या नहीं, ब्रिटिशों के द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं का स्वीकार करने के साथ ही स्वतन्त्रता आन्दोलन के सहभागी एव भिन्न भिन्न स्तर पर चुनाव जीतकर आए हुए लोग एक तरफ कर दिए जाएँ यह अनिवार्य एव स्वाभाविक था।

एक बार सत्ता एव उससे प्राप्त लाभों का स्वाद लग जाता है एव इस व्यवस्था में अनेक गुणा वृद्धि होती है तो उसके पश्चात् स्थापित व्यवस्था का स्वयं को सुदृढ बना कर मनमानी करने का प्रयास करना भी अत्यन्त स्वाभाविक है। परन्तु सर्वोदय कार्यकर्ता ही नहीं कॉंग्रेसियों के लिए भी प्रश्न केवल श्रीमती इंदिरा गांधी का या अन्यान्य मुख्यमन्त्रियों का साथ देना या विरोध करना नहीं है। प्रश्न है भारत के लोगों की इच्छा एव आवश्यकताएँ पूर्ण करने के लिए अधिक योग्य एव मौलिक रास्ते ढूढने का, बनाने का एव प्रस्थापित करने का। यह कार्य अभी तक उपेक्षित ही रहा है।

* २४ दिसम्बर १९७४ को लन्दन में लिखित और नई दिल्ली के ‘एवरीमेन्स (Every man's)’ के लिये ‘तन्त्री को पत्र (A Letter to the Editor)’ के रूपमें प्रेषित पत्र

११. भारत की आपातकालीन स्थिति का अन्त

जिसे चमत्कार कह सकते हैं ऐसी घटना का उत्सव मनाने हम यहाँ महात्मा गांधी का नाम धारण करनेवाले विशाल कक्ष में एकत्र हुए हैं। यह मुझे अत्यन्त उपयुक्त लगता है। आप सभी को भी लगता ही होगा। दि फ्रेंड्स ऑफ़ इण्डिया सोसायटी (The Friends of India Society) भारत मित्रमंडल के निमन्त्रण से हम यहाँ एकत्र हुए हैं। हमें उनका अभिनन्दन करना चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने विश्वमत को चालना देने का महान कार्य किया है, विशेष कर विश्व में फेले हुए भारतीय मूल के लोगों के मतनिर्माण का कार्य किया है। परन्तु इसलिए भी कि उन्होंने इतनी शीघ्रता से इस उत्सव का आयोजन किया है। निश्चित रूप से हम सब भारत को, भारत की चुनी गई नई लोकसभा को एवं नवरचित सरकार को हार्दिक बधाई देते हैं।

हम जिसका उत्सव मना रहे हैं वह सही अर्थ में शान्त क्रान्ति है। यह एक दुर्घट राजनैतिक स्थिति का चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से गांधीमार्ग से होनेवाला पूर्ण रूपान्तर है। कई घटकों को इसका श्रेय मिल सकता है। सबसे बड़ा श्रेय तो भारत के जनसामान्यकी विवेकशक्ति एवं समजदारी को ही मिलेगा। समय समय पर जो सिद्ध होता आया है उस तथ्य को उन्होंने एक बार फिर सत्य सिद्ध करके दिखा दिया है। वह तथ्य है, "सत्यमेव जयते न अनृतम्"। यह सच है कि भारत की अधिकांश जनता आपातकाल के दौरान गलियों में नहीं आई थी, लोगोंने सामने आकर अपना विरोध व्यक्त नहीं किया था। उन पर अत्याचार करनेवालों के प्रति हिंसापूर्ण आचरण नहीं किया गया था। यह बात व्यक्त करने लायक हो या न हो परन्तु लगता है कि यदि खुला विरोध करने से कुछ होनेवाला ही नहीं है ऐसा प्रतीत होता है तो लोग अपने घरों में ही घुसे रहते हैं। मैंने ब्रिटिश समय का कुछ अध्ययन किया है। इसलिए मुझे ज्ञात है कि उस समय में भी ऐसा ही होता था। यह बात आप सब भी जानते ही हैं। सन् १८११ में ब्रिटिशरो ने जब मकान कर लागू किया तब वाराणसी के एवं अन्य स्थान के लोगो ने व्यापक रूप से आन्दोलन किया था। परन्तु अन्त में उन्हें दबा दिया गया था। इस विरोध की तासीर ऐसी थी कि वाराणसी एवं अन्य अनेक नगरों में सब काम रुक गया।

यहाँ तक कि लोगोने स्मशान में मृतदेहों को जलाना भी बन्द कर दिया था। यह आन्दोलन दबाया गया तब वाराणसी के समाहर्ता ने सरकार को लिखा कि लोगो को यह प्रतीति हो गई है कि उनके मालसामान की नीलामी या जप्ती करके कर वसूली करने से सरकार को रोका नहीं जा सकता है। परन्तु वे 'अपना आग्रह नहीं छोडेगे एव स्वखुशी से कर का भुगतान नहीं करेगे। इस प्रकार की घटनाएँ भारत में अनेको बार घटी होगी, परन्तु आज हम जो देख रहे हैं उससे यह सिद्ध होता है कि जब भारत के लोगो को मौका मिलता है तब वे उभरकर आगे आते हैं एव अपना निश्चित किया हुआ काम पूरा करते हैं।

दूसरा श्रेय ऐसे अनगिनत कार्यकर्ताओं एव उससे भी अधिक उनके परिवार के सदस्यों को जाता है। ये ऐसे कार्यकर्ता हैं, जिन्हें २० मास एव कुछेक को २० मास से भी अधिक समयका कारावास हुआ था। उन्हें मानसिक रूप से कष्ट तो झेलना ही पडा, साथ ही साथ कारावास का कष्ट भी कम नहीं था। उनमें से बहुत कम को राजकैदी माना गया था। भारत में राजकैदियों को अच्छा कहा जानेवाला भोजन, पढने के लिए पुस्तके एव अन्य सुविधाएँ मुहैया कराई जाती हैं, परन्तु यह सख्या तो बहुत कम थी। अधिकांश कार्यकर्ताओं को तो पीटा भी जाता था, असह्य यातनाएँ भी दी जाती थीं, उनकी नौकरी भी छिन गई थी एव उनके घर परिवार भी बिखर गए थे। ये कार्यकर्ता एव उनके परिवार के सदस्यों ने प्रखर सहनशक्ति दिखाई है।

तीसरा श्रेय विश्वबिरादरी के हक में जाता है, जो स्वतन्त्रताप्रेमी एव लोकतान्त्रिक मिजाजवाले भारतीयों के साथ अडिगतापूर्वक रही। भारतीय जुल्मों के सामने इंग्लैण्ड की प्रतिक्रिया तो सचमुच प्रशंसनीय है। मैं यह भी कहूँगा कि इन बीस मास में इंग्लैण्ड ने भूतकाल में भारत के प्रति जो अपराध किया था उसके प्रायश्चित स्वरूप एक प्रकार की तपस्या ही की है।

परन्तु मैं एक नाम का उल्लेख अवश्य करूँगा, एव आप सब भी मेरे साथ सहमत होंगे ही कि उस एक मानव के बिना जो कुछ हुआ उसका एक अंश भी नहीं हो सकता था, कम से कम अभी कुछ समय तक तो नहीं ही। वह है एक महामानव अर्थात् जयप्रकाश नारायण। वे सन्त हैं या राजनीतिज्ञ, आन्दोलनकारी हैं या प्रत्याघाती, यह मैं नहीं जानता। परन्तु मुझे लगता है, एव मैं मानता हूँ और आपको भी लगता होगा कि राजनारायण (जो इन्दिरा गांधी की प्रतिद्वन्द्विता में जीते हैं) एव इन्दिरा गांधी द्वारा नियुक्त किए गए सभी उम्मीदवारों की प्रतिद्वन्द्विता में जीतने वाले लोगों में जनसामान्य को जयप्रकाश नारायण एव उनके तत्त्व एव सत्त्व का चित्र ही स्पष्ट दिखाई देता है।

भारतवासियों के साथ साथ हम भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह जयप्रकाश नारायण को दीर्घायु प्रदान करें, जिससे वे भारत को नए एव सुयोग्य मार्ग पर ले जाएँ। कुछ भारतवासियों के समान ही यहाँ उपस्थित अधिकांश लोग जयप्रकाश नारायण जो कुछ भी कहते हैं उससे सहमत नहीं होते होंगे। परन्तु मुझे विधास है कि कॉंग्रेसियों एव कॉंग्रेस के प्रति सहानुभूति रखनेवाले लोगो, मार्क्सवादियों के साथ साथ हम सब भी इस विषय में एकमत हैं ही। यह एक ही महामानव ऐसा है जो भारत को वर्तमान स्थिति से बाहर निकाल कर एक अच्छे भविष्य की ओर ले जाएगा। ऐसा एक मौका हम ३० साल पूर्व खो चुके हैं।

हम इन्दिरा गांधी को भी भूल नहीं सकते। भारतवासियों को एव हमें भी इस बात के लिए उनका आभारी होना चाहिए कि अपने प्रधानमंत्री के रूप में किए गए शासन के अन्तिम दो मास उन्होंने लोकतन्त्र की ओर अपना झुकाव बनाए रखा। कुछ लोगो को वे व्यक्तिगत रूप से हार गई इस बात का दुःख भी है। २१ तारीख के बीबीसी के कार्यक्रम में मैंने कुछ लोगो को (कुछ युवको को) इस प्रकार दुःखी होते हुए सुना, परन्तु मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ है वह भारत के लिए तो सही है ही परन्तु उनके स्वयं के लिए भी अच्छा ही हुआ है। यह हार उन्हें उनके द्वारा ही सर्जित पेचीदा उलझनों से बाहर निकलने में सहायता करेगी एव उन्हें एकान्त जीवन जीने का मौका देगी। आज विशेष रूप से उन्हें इसकी बहुत आवश्यकता है। हमें याद रखना चाहिए कि उनकी आयु अभी ६० साल की है। भारत में इसे छोटी आयु नहीं माना जाता।

साथ ही मुझे अधिकार नहीं है तो भी मैं कहूँगा कि भारत में नियम ही नहीं तो ऐसी परम्परा बनाना बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति की आयु ६० वर्ष होने पर वह सक्रिय राजनीति से निवृत्त हो जाए। (भारत का राष्ट्रपतिपद इस का अपवाद हो सकता है)। साथ ही कोई भी व्यक्ति दस वर्ष से अधिक चुनाव के द्वारा प्राप्त संवैधानिक पद पर नहीं रहेगा। युवाओको और आनेवाली युवा पीढ़ियों को देश चलाने में सहभागी बनने का एव कर्तृत्व दिखाने का अवसर मिलना चाहिए।

मुझे यह भी कहना चाहिए कि यह टिप्पणी मैं उपस्थित कुछ अनुभवसम्पन्न एव वृद्ध नेताओं के लिए नहीं कर रहा। उन सभी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। वे स्वयं भी गत ३० वर्षों की राजनीति के शिकार हुए ही हैं। परिस्थिति अनुकूल होती तो उन्होंने भी यही सुझाव दिया होता। इस बात पर मैं सजय गांधी के साथ सहमत हूँ, जब कि मेरा एव उनका आशय भिन्न है। वैसे तो मैं वृक्षारोपण का महत्त्व भी उनके समान ही मानता हूँ। परन्तु दुर्भाग्य से उन्हें किसी ने यह नहीं बताया कि भारत की राजनीति में

वृद्ध एव अनुभवी नेताओं की सख्या इसलिए अधिक है कि उनके नाना एव मातुश्री ने किसी अन्य को यश एव प्रसिद्धि प्राप्त करने का अवसर ही नहीं दिया था, जिसके कारण बड़ी आयु वाले परन्तु अत्यन्त क्षमतावान लोग एक बड़ी सख्या में गत २० वर्षों से प्रतीक्षा में ही खड़े हैं। आज अब उनकी अपेक्षा पूर्ण होने का संयोग निर्मित हुआ है। अब तक भारतीय विचारधारा ऐसी ही रही है कि युवा अपने कार्यों से यश सम्पादन करें एव प्रौढ़ वानप्रस्थ बनकर अध्यात्मसाधना करें तथा युवकों का मार्गदर्शन करें। श्रीराम, श्रीकृष्ण, अर्जुन, अभिमन्यु आदि तथा शंकराचार्य, अकबर, शिवाजी, विवेकानन्द इत्यादि भी इसी कारण अपना कर्तृत्व दिखा सके थे।

हमारे लिए एव इन्दिराजी के लिए यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हेरोल्ड विल्सन के समान ही अधिकांश लोग उनके लिए जब श्रेष्ठ अभिप्राय रखते थे तभी सन् १९७२ में ही उन्होंने प्रधानमन्त्री पद का त्याग नहीं किया। खैर, आज भी यदि वे सार्वजनिक जीवन से निवृत्त होगी तो भारतीय लोग उनका सम्मान बनाए रखेंगे एव उनका व उनके परिवार का शान्तिपूर्ण जीवनयापन करने में सहयोग करेंगे।

भारत में नवजीवन का प्रारम्भ हुआ है। हम आशा करते हैं कि जनता पार्टी एव उसके सहयोगियों के घोषणापत्र के अनुसार भारत में सचमुच नया प्रारम्भ होगा। हम ऐसी भी आशा करते हैं कि भारत की आम जनता, उसके कस्बे, उसके गाँव, नगर, शहर, उसकी व्यावसायिक कुशलताएँ, उसका सामाजिक जीवन अब अकुरित होगा एव समृद्ध बनेगा। दो शताब्दियों तक इन सबका बहुत नुकसान एव उपेक्षा हुई है। हमें भूतकाल का शोक मनाते हुए ही नहीं बैठे रहना चाहिए। परन्तु भारत का पुनर्निर्माण अब इससे अधिक विलम्ब नहीं सह सकता। इस कार्य में भारत को एक एक भारतवासी के सहयोग की आवश्यकता रहेगी। केवल इन्दिरा गांधी के प्रतिद्वन्द्वित्व में जीते हुए जनप्रतिनिधियों का या उनको वोट देनेवाले कतिपय भारतवासियों का ही नहीं, इन्दिरा गांधी के समय में दबे रहनेवाले सभी कॉंग्रेसी, नक्सलवादी एव उनके जैसे ही अन्य समूह, ऐसे हजारों लोग जो वर्षों तक कारावास में सड़ते रहे उन सभी से सहायता एव सक्रिय सहयोग की आवश्यकता रहेगी। भारत को समग्र विश्व की भौतिक या तान्त्रिक सहायता की नहीं अपितु शुभेच्छा की आवश्यकता है। भारत को अपना सही मार्ग निर्माण करने के लिए अपने ही साधन एव अपने ही लोगों की मौलिक क्षमताओं पर निर्भर रहना चाहिए। भारत अपना रास्ता बनाएगा एव अपने ही अनुकूल तन्त्रज्ञान का विकास करेगा तभी वह समग्र विश्व की समस्याओं के निवारण में अपना योगदान भी दे पायेगा।

अन्तमे भारत के लोगो ने जब भारत के शासनको महान पुरुषार्थ के आचरण की ज्योढी पर लाकर खडा कर लिया है तब जिन्होने कारावास की यातनाएँ सही है, नोकरी खोई है, ऐसे लोगो को भूलना नहीं चाहिए। बहुतो ने तो आपातकालीन स्थिति के विरोध मे सेवानिवृत्ति ले ली थी। ऐसे लोगो के प्रतिनिधि के रूप मे जस्टिस खन्ना का नाम लिया जा सकता है। जस्टिस खन्ना आपातकाल क सम्पूर्ण समय मे लोगो की स्वतन्त्रता एव मूलभूत अधिकारो के लिए उनके साथ कधे से कधा मिलाकर खडे थे। अब जिनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के रूप मे हो चुकी है ऐसे जस्टिस वेग को उनकी नियुक्ति मे हुई भूल समझमे आएगी ऐसी मुझे आशा है। भारत के न्यायाधीश की परम्परा के अनुरूप एव स्वयं अपनी विवेकबुद्धि का अनुसरण करके वे अपने पद से निवृत्ति ले ले जिससे सरकार जस्टिस खन्ना की नियुक्ति कर सके। यद्यपि उनकी यह नियुक्ति बहुत ही अल्पकालीन होगी। परन्तु जस्टिस खन्ना के अतिरिक्त ऐसे हजारो लोग एव परिवार भी है जिन्हे अन्याय हुआ है। उनकी आवश्यकताओ को उपेक्षित नहीं किया जाएगा ऐसी हम अपेक्षा करते हैं।

मैंने आपका बहुत समय लिया है। आप उकता गए होंगे। आपके धैर्य के लिए आपका आभार।

* २६ मार्च, १९७७ को लन्दन में भारतीय वाय एम सी ए (young Men's christian Association) की बैठक के अध्यक्ष के रूपमे दिया गया भाषण।

१२. अनुसूचित जातियों का गठन

बिहार पिछड़ी जाति पंच (उनके अध्यक्ष के नाम से जो मुगेरीलाल पंच के नाम से जाना जाता है) के पाँचवे रिपोर्ट में बिहार के अनुसूचित समूहों की बात कही गई है। उस रिपोर्ट में ऐसे समूहों की संख्या एवं कुल जनसंख्या विषयक कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए बिहार के समाज में पशासन के द्वारा लादी गई एवं दीर्घकाल से चली आ रही स्थिति के कारण से जिन प्रश्नों का उद्भव हुआ है उनकी गम्भीरता एवं व्याप्ति का कोई चित्र स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसे समूहों के नाम एवं उनकी संख्या की सूचना वे जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ के जनसंख्या अधिकारी के पास अथवा शासकीय अधिकारी के पास उपलब्ध होंगे। किसी भी प्रकार की नीति का निर्धारण करते समय ऐसी सूचनाएँ उपलब्ध होना अति आवश्यक है।

पंच ने अपने वृत्तान्त में ऐसे समूहों के प्रश्नों के विषय में बहुत चिन्ता व्यक्त की है। साथ ही उसकी प्रस्तावना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दिखाई देती है। उस वर्णन के अनुसार ये सभी समूह ऐसे हैं जिनके पूर्वज योद्धा थे, जिन्होंने फिरगियों के साथ निरन्तर लड़ाई की थी एवं अन्त में फिरगी की प्रबल सत्ता के सामने उन्हें झुकना पड़ा था। योद्धा होने के उपरान्त उनका मुख्य व्यवसाय शिकार, जादूगरी, नटविद्या, कलाबाजी, मदारी, गारुडी, नाटक, एवं लोहारीकाम का था। उनकी पूर्ण शरणागति के बाद उन्हें शेष समाज से अलग कर दिया गया। उन पर पुलिस द्वारा निगरानी रखी जाती थी। अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे चोरी एवं भीख की ओर मुड़े। चोरी करने एवं भीख मागने का उनका उद्देश्य धरना देना या अपनी जिद मनवाना भी था। इतना ही नहीं उनसे कानूनन मजदूरी भी करवाई जाती थी। कुछ समय बाद उनमें से कुछ लोगों को ब्रिटिश मुक्तिसेना संगठन (Salvation Army Organisation) के हस्तक भी रखा गया था।

ऐसी पार्श्वभूमि की जानकारी होने के बावजूद पंच ने अपने विश्लेषण एवं सिफारिशनामों में उसका उपयोग नहीं किया है यह विचित्र लगता है। ऐसा न करने का कारण यह हो सकता है कि पंच में विचारविमर्श करते समय इन समूहों से किसी भी

अन्तमे भारत के लोगो ने जब भारत के शासनको महान पुरुषार्थ के आचरण की ज्योढी पर लाकर खडा कर लिया है तब जिन्होने कारावास की यातनाएँ सही है, नोकरी खोई है, ऐसे लोगो को भूलना नहीं चाहिए। बहुतो ने तो आपातकालीन स्थिति के विरोध मे सेवानिवृत्ति ले ली थी। ऐसे लोगो के प्रतिनिधि के रूप मे जस्टिस खन्ना का नाम लिया जा सकता है। जस्टिस खन्ना आपातकाल के सम्पूर्ण समय मे लोगो की स्वतन्त्रता एव मूलभूत अधिकारो के लिए उनके साथ कधे से कधा मिलाकर खडे थे। अब जिनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के रूप मे हो चुकी है ऐसे जस्टिस बेग को उनकी नियुक्ति मे हुई भूल समझमे आएगी ऐसी मुझे आशा है। भारत के न्यायाधीश की परम्परा के अनुरूप एव स्वयं अपनी विवेकबुद्धि का अनुसरण करके वे अपने पद से निवृत्ति ले ले जिससे सरकार जस्टिस खन्ना की नियुक्ति कर सके। यद्यपि उनकी यह नियुक्ति बहुत ही अल्पकालीन होगी। परन्तु जस्टिस खन्ना के अतिरिक्त ऐसे हजारो लोग एव परिवार भी हैं जिन्हे अन्याय हुआ है। उनकी आवश्यकताओ को उपेक्षित नहीं किया जाएगा ऐसी हम अपेक्षा करते हैं।

मैंने आपका बहुत समय लिया है। आप उकता गए होंगे। आपके धैर्य के लिए आपका आभार।

१२. अनुसूचित जातियों का गठन

बिहार पिछड़ी जाति पच (उनके अध्यक्ष के नाम से जो मुगेरीलाल पच के नाम से जाना जाता है) के पाँचवे रिपोर्ट में बिहार के अनुसूचित समूहों की बात कही गई है। उस रिपोर्ट में ऐसे समूहों की संख्या एवं कुल जनसंख्या विषयक कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए बिहार के समाज में पशासन के द्वारा लादी गई एवं दीर्घकाल से चली आ रही स्थिति के कारण से जिन प्रश्नों का उद्भव हुआ है उनकी गम्भीरता एवं व्याप्ति का कोई चित्र स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसे समूहों के नाम एवं उनकी संख्या की सूचना वे जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ के जनसंख्या अधिकारी के पास अथवा शासकीय अधिकारी के पास उपलब्ध होंगे। किसी भी प्रकार की नीति का निर्धारण करते समय ऐसी सूचनाएँ उपलब्ध होना अति आवश्यक है।

पच ने अपने वृत्तान्त में ऐसे समूहों के प्रश्नों के विषय में बहुत चिन्ता व्यक्त की है। साथ ही उसकी प्रस्तावना सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिखाई देती है। उस वर्णन के अनुसार ये सभी समूह ऐसे हैं जिनके पूर्वज योद्धा थे, जिन्होंने फिरगियों के साथ निरन्तर लड़ाई की थी एवं अन्त में फिरगी की प्रबल सत्ता के सामने उन्हें झुकना पड़ा था। योद्धा होने के उपरान्त उनका मुख्य व्यवसाय शिकार, जादूगरी, नटविद्या, कलाबाजी, मदारी, गारुडी, नाटक, एवं लोहारीकाम का था। उनकी पूर्ण शरणागति के बाद उन्हें शेष समाज से अलग कर दिया गया। उन पर पुलीस द्वारा निगरानी रखी जाती थी। अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे चोरी एवं भीख की ओर मुड़े। चोरी करने एवं भीख मागने का उनका उद्देश्य धरना देना या अपनी जिद मनवाना भी था। इतना ही नहीं उनसे कानूनन मजदूरी भी करवाई जाती थी। कुछ समय बाद उनमें से कुछ लोगों को ब्रिटिश मुक्तिसेना संगठन (Salvation Army Organisation) के हस्तक भी रखा गया था।

ऐसी पार्श्वभूमि की जानकारी होने के बावजूद पच ने अपने विश्लेषण एवं सिफारिशनामों में उसका उपयोग नहीं किया है यह विचित्र लगता है। ऐसा न करने का कारण यह हो सकता है कि पच में विचारविमर्श करते समय इन समूहों से किसी भी

प्रतिनिधि को साथ नहीं रखा गया था। इसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप प्रस्तावना के बाद जो विश्लेषण एव उपाय दर्शाए गए वे सभी सामान्य ही बन कर रह गए, फिर पंच के मन में चाहे जितनी शुभकामनाएँ एव उदारता हो। उदाहरण के तौर पर प्रस्तावना में दर्शित उनकी कुशलताओं (लोहारीकाम, नटविद्या, जादूगरी इत्यादि) की ओर ध्यान देने के स्थान पर ऐसी सिफारिश की गई कि उन्हें खेती एव बुनाई काम में एव अधिक से अधिक सरकार के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के रूप में काम पर लगाया जाए। पूर्वोक्त कुशलताएँ उनके साहित्य में प्रतिबिम्बित होने की एव कहीं कहीं तो प्रत्यक्ष व्यवहार में होने की भी पूर्ण सम्भावना है। एक ओर अहवाल में कहा गया है कि उनके साथ काम करनेवाले लोगों को प्रेम एव सद्भाव से व्यवहार करना चाहिए, और दूसरी ओर स्थान स्थान पर उनके प्रति तिरस्कार का रुख भी देखने को मिलता है। उदाहरण के लिये परिच्छेद २०३ में कहा गया है, 'परन्तु जो लोग ऐसी योजनाओं का लाभ नहीं लेना चाहते एव पडावों में ही रहना चाहते हैं उनके साथ हमें कड़ा व्यवहार करना पड़ेगा।' अत्यन्त खेद की बात है कि उनके पूर्वजों की बहादुरी एव विपरीत परिस्थिति में टिके रहने की उनकी सहनशक्ति की प्रशंसा करने के स्थान पर हम अविचारी रूप से फिरगियों के समान ही व्यवहार करते हैं। हमारी भावनाएँ उनके प्रति शुभ हैं इसकी अनुभूति अगर हम उन्हें करवाना चाहते हैं तो वे क्या चाहते हैं यह हमने उन्हीं से पूछना चाहिए। उनकी स्वभावगत क्षमताएँ क्या क्या हैं, अपने विकास एव कल्याण के विषय में उनका अपना मत क्या है यह जानना चाहिए। अधिकारियों के साथ पड़े हुए उनके पाले का अब तक का अनुभव अत्यन्त भीषण रहा है। अभी भी उनके व्यक्तिगत एव सामाजिक जीवन के साथ जुड़े प्रश्नों के विषय में उनका स्वयं का कोई अभिप्राय नहीं लिया गया तो यह बहुत ही अनुचित होगा।

अहवाल में उनके जातीय व्यवहार, उनकी नशेबाजी एव ऐसी अन्य कई आदतों के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। वह सब कदाचित् सच हो तो भी ऐसी आदतों के गुलाम वे अकेले ही नहीं हैं। हमारे शासकवर्ग में उच्च जीवन जीनेवाला वर्ग इन सभी बातों में उनके जैसा ही है। खासकर बड़े नगरों में। अन्तर केवल इतना ही है कि अधिकारियों के पास सब कुछ है, मँहगी से मँहगी शैक्षणिक एव स्वास्थ्य से सम्बन्धित सुविधाएँ उन्हें प्राप्त हैं, जबकि इन लोगों के पास अपना कहा जा सके ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का दुहरा मूल्यांकन छोड़कर जो लोग सामने आवाज नहीं उठा सकते उनके साथ सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार दर्शाया जाए तो हमारे समाज को ही लाभ होगा।

पूर्ण सम्भावना है कि इस समूह में से अच्छी संख्या में लोग केवल लोहे के उपकरणों की मरम्मत करनेवाले ही नहीं अपितु वास्तव में लोहे एवं फौलाद के उत्पादक भी थे। अठारहवीं एवं उन्नीसवीं शताब्दी की प्राप्त सूचनाओं के अनुसार भारत के कई भागों में विपुल मात्रा में लोहे एवं इस्पात का उत्पादन होता था। उसका स्वरूप कुटीर उद्योगों (लघु उद्योगों) का था।

* ७ दिसम्बर १९७७ को लिखित। १९७६ का बिहार सरकार के पिछड़ी जाति आयोग के पाचवें अहवाल पर टिप्पणी

१३. एक विचारणीय विषय

(विधानसभा के सदस्यों के निवास व पेन्शन)

१९७५ के अन्त में कोमनवेल्थ पार्लामेन्टरी असोसियेशन (Commonwealth Parliamentary Association) ने दिल्ली में एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन की अन्य उपलब्धियाँ जो भी रही हो परन्तु हमें एक पुस्तक अवश्य मिली। वह है 'दी कोमनवेल्थ पार्लामेन्ट्स'। (The Commonwealth parliaments) एक वर्ष में ही उस पुस्तक का दूसरा संस्करण भी प्रकाशित हो चुका है। परन्तु लगता है कि उसमें निहित कुछ खास सूचनाओं की ओर भारतवासियों का ध्यान नहीं गया है। उसकी पूर्ति - २ में एक ध्यानाकर्षक सूचना दी गई है। उसका शीर्षक है 'विभिन्न कोमनवेल्थ देशों में सासदों एवं अधिकारियों को प्राप्त वेतन, अधिदेय एवं अन्य सुविधाएँ।' निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पता चलेगा कि इस सूचना का अध्ययन विधानसभा के सदस्यों के साथ ही सर्वसामान्य लोगों ने भी करना चाहिए।

कोमनवेल्थ के तेइस देशों की जानकारियाँ दी गई हैं। इस में विधानसभा अध्यक्ष, भिन्न भिन्न समितियों के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, नीचले गृहों के सदस्य, प्रतिनिधि सभा अर्थात् House of Representatives, सामान्य सदस्यों की सभा अर्थात् House of commons, लोकसभा इत्यादि के साथ ही उच्च गृह, सेनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, राज्य सभा इत्यादि के सदस्य एवं अधिकारीगण को मिलने योग्य वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी इसमें समाविष्ट है।

सदस्यों से सम्बन्धित सूचनाओं की सूची तो बहुत विस्तृत है। उसके सोपान इस प्रकार हैं। (१) वेतन (२) विशेष भत्ते (३) पर्यटन खर्च एवं सुविधाएँ (४) अन्य भत्ते (५) पेन्शन (६) अन्य मुख्य सुविधाएँ। इनमें से कुछ विभाग जैसे (३) एवं (६) - के उपविभाग भी हैं।

यह सब राशि देशों में प्रचलित चलन में दर्शाई गई है। इसलिए उसकी तुलना नहीं हो सकती। तुलनात्मक उद्देश्य से यदि उन सबको किसी एक देश के चलन में बदल दिया जाए तब भी कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि एक तो प्रत्येक देश में

प्रतिव्यक्ति आय का अनुपात भिन्नभिन्न होगा एव दूसरा अलग अलग देशो मे एक ही प्रकार के कामो के लिए अलग अलग अनुपात मे वेतन निर्धारित किया गया होगा। इस पूर्ति मे वेतन की राशि के विषय मे जो जानकारी दी गई है वह इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है जितनी कि अन्य सुविधाएँ। जिसके आधार पर ये सुविधाएँ दी गई है उन मार्गदर्शक सिद्धांतो की जानकारी तो और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है।

संसद सदस्य एव मतदारो के बीच सम्पर्क सुलभ हो (एव उसके लिए डाकसेवा नि शुल्क हो) यह एक अच्छी लोकतान्त्रिक पद्धति का मापदण्ड हो तो केनेडा का स्थान सबसे प्रथम माना जाएगा। ऐसा ही छपा है एव उसी पर सोचे तो, 'संसद सदस्य के द्वारा भेजी गई या अन्य किसी के द्वारा संसद सदस्य को प्रेषित की गई डाक केनेडा के किसी भी भाग मे नि शुल्क होगी।' (पृष्ठ २४९) केनेडा की सेनेट के सदस्यो के लिए भी ऐसी ही सुविधा है। अन्य देशो के संसद (आस्ट्रेलिया, बहामा, फिजी, गुयाना, जमैका, मालावी, माल्टा, मोरेशियस, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, श्रीलका, यू के एव झाम्बिया) कमअधिक अनुपात मे इस सुविधा का लाभ उठाते है। परन्तु उन्हे जो लोग पत्र भेजते है उन्हे वह लाभ नहीं मिल पाता है।

भारतवासियो की रुचि के अनुरूप अन्य सूचना यह है कि सदस्य एव उनके परिवार को राजधानी मे नि शुल्क वैद्यकीय चिकित्सा एव निवास की सुविधा मिलेगी। सदस्यो को पेन्शन भी मिलेगा। इन तीनों सुविधाओ के विषय मे जानकर मनमे जिज्ञासा अवश्य जागेगी।

सदस्यो एव उनके परिवार को नि शुल्क वैद्यकीय चिकित्सा प्रदान करने के विषय मे भारत अकेला नहीं है। सिंगापुर मे भी इसी प्रकार की सुविधा है। मलेशिया मे केवल संसद सदस्यो को ही नि शुल्क वैद्यकीय चिकित्सा (पृ २५५) प्राप्त होती है, उनके परिवार के सदस्यो को नहीं।

परन्तु जिन २८ देशो की जानकारी पुस्तक मे दी गई है उसमे भारत के संसद सदस्य विशिष्ट हैं। उन्हे एव उनके परिवार को भी राजधानी मे सरकारी आवास की सुविधा प्राप्त होती है। आस्ट्रेलिया, कनाडा, तन्जानिया, यू के जैसे देश अपने संसद सदस्यो को कमअधिक अनुपात मे कार्यालय की सुविधाएँ तो प्रदान करते है, परन्तु सैंकडो की सख्या मे उन्हे एव उनके परिवार को आवास की सुविधा प्रदान नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो अब राज्यों मे विधानसभा के सदस्यो को भी उनके परिवार के साथ राज्यों की राजधानी मे सरकारी आवास की सुविधा दी जाती है।

भारत के संसद सदस्य सरकारी आवास की प्राप्ति मे तो अन्य देशो के संसद

सदस्यो से आगे है। परन्तु पेन्शन प्राप्त करने में अन्य देश आगे हैं। विशेष गोरे गिने जाने वाले देश जैसे कि आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एव यू के में किसी न किसी प्रकार से पेन्शन या निवृत्ति भत्ता चुकाया जाता है।

प्रश्न यह है कि नि शुल्क डाक, नि शुल्क वैद्यकीय चिकित्सा, राजधानी में नि शुल्क आवास एव पेन्शन के प्रबन्ध के विषय में कोमनवेल्थ देशों में इतना अन्तर क्यों है ? इस प्रश्न के कई स्पष्टीकरण होंगे, एव उनमें से कुछ तो ऐतिहासिक माने जाने योग्य होंगे। उनमें से कुछ भारत को लागू होते हो तो उनका उल्लेख उचित माना जाएगा।

उपर्युक्त कथनानुसार यदि ससद सदस्य एव उनके मतदारों के आपसी सम्पर्क अधिक लोकतान्त्रिक देशका लक्षण माना जाता है तो केनेडा अन्य देशोंकी अपेक्षा अधिक लोकतान्त्रिक देश माना जाएगा। इसी प्रकार कुछ वर्षों तक दायित्व निभाने के बाद ससद सदस्य को पेन्शन दिये जाने की व्यवस्था भी कदाचित लोकतन्त्र के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यदि ससद सदस्य किसी प्रतिष्ठित घराने से ताल्लुक रखता है या समाज के धनाढ्य वर्ग से या नौकरी से निवृत्त होकर थोड़ा बहुत पेन्शन प्राप्त करके आता है, या अब इसने किसी भी प्रकार की आय की आवश्यकता ही न रहे इतना धन एकत्र कर लिया है तभी ससद सदस्यों के लिए किसी भी प्रकार के पेन्शन का प्रबन्ध नहीं करना पड़ेगा। या जिस देश में ससद की सदस्यता समाप्त होने पर साधारण जीवन में समाहित हो जाना स्वाभाविक होता है वहाँ पेन्शन की आवश्यकता नहीं रहेगी। अथवा गांधीवादी सोच रखनेवाले देशों में भी पेन्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि परिवार एव समाज ऐसे लोगों का पोषण स्वयं ही करता है। साथ ही साथ ससद सदस्य भी समाज के साधारण वर्ग का जीवन ही अपनाते हैं। भाग्यवश भारत अभी उस स्थिति में नहीं पहुँचा है जहाँ समाज में समाहित होना स्वाभाविक हुआ हो। अब तो भारत भी अन्य देशों के समान ही गांधीवादी विचार से विमुख बनता जा रहा है, भले ही हमारे नेता इस बात से सहमत न हों। फिर भी भारत के ससद सदस्यों के लिए पेन्शन की व्यवस्था नहीं है। उसका कारण यही है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कोमन्स के सदस्यों के लिए भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत के ससद सदस्य यदि केवल धनाढ्य एव प्रतिष्ठित परिवारों से या सेवानिवृत्त होकर ही न आनेवाले हों तो उनके लिये अधिक से अधिक पेन्शन की व्यवस्था होना आवश्यक है। मौजूदा हालात तो ऐसे बन रहे हैं कि बहुत से ससद सदस्य एव विधानसभा के सदस्य सामान्य परिवारों से आ रहे हैं। यह स्थिति अच्छी भी है। इसे टिकाए रखना है एव स्वस्थ राजनीति को प्रोत्साहित करना है तो दोनों सदनों की

सदस्यता के बाद अधिक से अधिक पेन्शन प्राप्त हो एव उससे अधिक समय बीतता है तो अनुपात कम हो। ऐसा करने से युवा प्रतिभा भी भारत की विधानसभा एव ससद मे आएगी।

ससद सदस्य एव विधानसभा के सदस्यो के लिए पेन्शन की व्यवस्था तो राज्यतन्त्र को अधिक लोकतान्त्रिक बनाने के लिए आवश्यक है, परन्तु सरकारी आवास की व्यवस्था उतनी ही हानिकारक है। हमारे देश मे ऐसी व्यवस्था होने के कारण भी इतिहास मे प्राप्त हो सकते है। हमारी ससद एव विधानसभा इंग्लैण्ड की उपनिवेशी पद्धति का ही परिणाम है। ७०-८० वर्ष की समयावधि मे वाइसरॉय एव गवर्नर की काउन्सिल ने आज की ससद एव विधान सभा का रूप धारण किया है। ब्रिटिश काउन्सिलरो को आवास की सुविधा इस लिये आज के उनके वारिस के समान ही प्राप्त होती थी। ससद सदस्य एव विधान सभा के सदस्यो को भी आवास की सुविधा प्राप्त है। यद्यपि उसका अनुपात कुछ कम हुआ है। भारत के जनप्रतिनिधियो ने बिना सोचे स्वय को उपनिवेश के शासको की रीतिनीति मे ही ढाल लिया है। वे यह नहीं सोचते हैं कि ब्रिटिश काउन्सिलर विदेश मे आए थे, वे अपने देश से हजारो मील दूर थे, कर्तव्य निभाने के लिये ही आए थे, कर्तव्य पूर्ण होने पर उन्हे यहाँ न रहकर इंग्लैण्ड वापस जाना था। उनके लिए तो आवास की व्यवस्था करना आवश्यक था, परन्तु हमारे ससद सदस्य और विधानसभा के सदस्य कोई उपनिवेशी नहीं है। उनके निर्वाचनक्षेत्र मे ही उनके घर है। वे ससद सदस्य या विधानसभा सदस्य न रहकर भी वहीं रहनेवाले है, इसके अलावा सासद तथा विधानसभा सदस्य के रूप मे वे आजीवन रहनेवाले भी नहीं हैं, तब सरकारी आवास व्यवस्था और वह भी अपने सम्पूर्ण परिवार के साथ यह उनके लिए कोई आवश्यकता की बात नहीं है। उन्हे अपने क्षेत्र मे रहने की आवश्यकता है, राजधानी मे नहीं। अपने क्षेत्र मे भी उन्हे कार्यालय, सचिव इत्यादि की आवश्यकता हो सकती है, आवास की नहीं। हमारी राजधानी के केन्द्र की मकान से सम्बन्धित कठिनाइयो को देखते हुए ससद या विधानसभा का अधिवेशन शुरू होने पर उन्हे अस्थायी आवास एव भोजन प्राप्त करवाने की व्यवस्था आवश्यक है।

पेन्शन की व्यवस्था न होना एव आवास की व्यवस्था होना भी उन्हे अपने समाज से अलग करने की ही बात हुई। इस स्थिति का निवारण करने के लिए कुछ करना बहुत ही आवश्यक है।

१४. सुराज का तन्त्र

आज भारत को अनेको प्रश्न सताते हैं। आपातकाल एव आपातकाल की ओर ले जाने वाले उससे पूर्व के कई वर्षों ने हमारी समस्याओं को बढ़ा दिया है एव उन्हें जटिल भी बना दिया है। सभी समस्याओं की सिरमौर गरीबी की समस्या है। अभी अभी हुए सर्वेक्षणों के अनुसार लगभग ४० प्रतिशत लोग मुश्किल से जीवित रहा जा सके उससे भी बदतर हालत में जी रहे हैं। १९७२-७३ के अहवाल के अनुसार उनकी औसत दैनिक प्रतिव्यक्ति आय लगभग ३० नए पैसे हैं। स्पष्ट है कि बहुतों की उससे भी कम है। इसका क्या अर्थ है, यह तो जीवन आवश्यक वस्तुओं के आजकल क्या दाम हैं यह जानने पर ही पता चलेगा। आज सस्ते से सस्ते चाय के एक प्याले की कीमत १५ नए पैसे हैं। बिहार की सस्ते दाम की दुकान में कम गुणवत्तावाले गेहूँ का मूल्य भी १३० रूपए किलोग्राम, चावल १६२ रूपए किलोग्राम, चीनी २१५ रूपए किलोग्राम, सरसों का तेल १० रूपए किलोग्राम है। यही चीजे खुले बाजार में खरीदी जाएँ तो क्रमशः १५५ रूपए, २२० रूपए ४०० रूपए, एव १७०० रूपए प्रति किलोग्राम पड़ेगी। सस्ते भाव की दुकान की स्थिति देखते हुए बहुत से लोगों को इन वस्तुओं को खुले बाजार से खरीदना पड़ता है। क्यों कि एक ओर इन दुकानों की संख्या कम होती है, वे बहुत दूर दूर होती हैं। इन दुकानों में प्रवेश पाने की शक्ति या पहुँच गरीबों के पास नहीं होती है। अतः उन्हें खुले बाजार में ही जाना पड़ता है। गरीबों के लिए मक्का टोस खुराक माना जाता है, परन्तु वह सस्ते भाव की दुकान पर नहीं मिलता है एव खुले बाजार में उसका मूल्य १५० रूपए प्रति किलोग्राम होता है।

इस गरीबी के कई कारण हैं। इसके कारण हमारे इतिहास में पड़े हुए हैं। परन्तु वह इतिहास कोई प्राचीन नहीं है। भारत में गरीबी हजारों वर्षों से चली आ रही समस्या नहीं है। वर्तमान गरीबी केवल सौ वर्ष पुरानी ही है। उस समय के अंग्रेजों के हिसाब के अनुसार पूर्वी उत्तरप्रदेश एव बिहार के खेतमजदूरों की दैनिक मजदूरी इंग्लैण्ड के मजदूरों की अपेक्षा अधिक थी। वह भी तब जब भारत तेजी से गरीब बनने लगा था। आज हम जो भी धारणा करते हैं उससे उस समय का जीवन बहुत भिन्न था। विलियम होज

नामक एक प्रसिद्ध चित्रकार सन् १७८१-८३ के दौरान पूर्वी उत्तरप्रदेश एव बिहार मे पर्यटन के लिए आया था। वह लिखता है कि 'हिन्दुओ मे स्वच्छता की भावना आश्चर्यजनक है। उनके गाँवो के रास्ते हमेशा बुहारे जाते है। रास्तो पर पानी का छिडकाव भी किया जाता है। घर के आगन मे कभी कभी रगोली भी बनाई जाती है।'

उस समय से भारत मे जो गरीबी प्रारम्भ हुई एव आज भी उसकी जो स्थिति है उसके कारण भी हमे जानने चाहिए। एक तो खेतीहर किसानो के अधिकार छिन गए, गाँवो के उद्योग एव खेती टूट से गए, इसलिए बेकारी बढने लगी, भूमि की देखभाल एव सिचाई के स्रोतो की उपेक्षा होने लगी, गाँव के चारागाह एव जगल नष्ट होने लगे एव इस के परिणाम स्वरूप त्रस्त लोगो की शारीरिक एव मानसिक शक्ति क्षीण होने लगी। इसके बाद तो ब्रिटिशरो की नीति के कारण समाज ऐसे टूटने लगा कि गरीबी एव उससे जन्म लेनेवाले कष्ट जीवन के चिरस्थायी भाग ही बन गए। कुछ काल के पश्चात घटनाएँ कुछ इस प्रकार ही घटने लगीं। फलस्वरूप गरीबी के कष्ट इस प्रकार से दैनन्दिन जीवन का हिस्सा बन गए कि अब उससे देश को उबारने का प्रयास करनेवाले लोगो को वह असम्भव सा लगता है। साक्षात राम एव कृष्ण अवतार लेकर धरती पर आ जाँए तो भी वे कुछ नहीं कर पायेगे। इतना यह प्रश्न विकट बन गया है।

गत सौ वर्षों से गरीबी एव उससे पैदा होनेवाले कष्टो के विषय मे बहुत चर्चाएँ हो रही है। गत तीस वर्षों मे गरीबी नाबूद करने के वचन खुलकर दिए गए है, योजनाएँ बनाई गई है, परन्तु उसमे तनिक भी सफलता न मिलने के कारण क्या है ? कारण यह है कि आज गरीबी के उपरान्त एक अन्य तत्त्व भी देखने को मिलता है। वह है प्रशासकीय एव राजकीय ढाँचा। यह ढाँचा हमारी सभी सार्वजनिक गतिविधियो पर नियन्त्रण करता है। इस ढाँचे की नींव विदेशी है। आज उसका रूख, पद्धति एव नियम एकदम अप्रस्तुत बन गए हैं। इसीलिए किसी दुष्ट आशय से नहीं अपितु अपने सविधान के कारण ही हमारे लिए यह प्रश्न एक बडे विघ्न के समान बन गया है। आज के हमारे उद्देश्यो से वह एकदम विपरीत है इसलिए हमारे सभी प्रयासो को विफल कर देता है। यह ढाँचा ब्रिटिशरो की आवश्यकताओ के अनुसार रचा गया था। भारत से अधिक से अधिक धन बटोरना एव भारतवासियो को दबाकर एव डराकर रखना ही उस ढाँचे का लक्ष्य था। यह गौण बात थी कि यह धन इंग्लैण्ड मे खर्च होगा या अन्य प्रदेश जीतने मे, या फिर प्रेसिडेन्सी के केन्द्रो मे, या फिर सभी जगहो पर।

कालान्तर मे शासको के अपने देश में तो इस ढाँचे मे कई बदल हुए, परन्तु

भारत में तो लगभग एक शताब्दी तक वह ज्यो का त्यो ही रहा। वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ तक तो वह स्वयं ब्रिटिशों के लिए भी अत्यन्त जटिल, भाररूप एवं अनुपयोगी बन गया था। फलस्वरूप मोन्टेग्यू चेम्सफर्ड सुधार आया, विकेन्द्रीकरण आया एवं सन् १९२० के बाद की विधानसभाएँ एवं स्थानीय सस्थाएँ आईं। मोन्टेग्यू चेम्सफर्ड सुधार कहता है, 'ऐसी शिकायतें आईं हैं कि अधिकारी एवं जनसामान्य के बीच कोई सम्पर्क न रहने के कारण ही वर्तमान असन्तोष निर्माण हुआ है, जिलाधिकारी नीति नियमों में अत्यधिक जकड़ गए हैं, ऊपरी अधिकारी के लिये किये जाने वाले लिखित कार्य से ही उसे फुरसत नहीं मिल पाती है, वह मनुष्य नहीं रहा, यन्त्र बन गया है।' इतनी चेतना होने पर भी सन् १९२० में हुए सुधार का कोई परिणाम नहीं निकला। क्यों कि मूलभूत ढाँचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सन् १९४७ के बाद तो सरकार के अनेकों विभाग बढ़ गए, कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई एवं फलस्वरूप जड़ता एवं जटिलता में और वृद्धि हो गई।

परन्तु इस प्रकार का विश्लेषण एवं निरीक्षण कोई नई बात नहीं है। मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री, उनके सलाहकार एवं सहायक कदाचित् इस जटिलता के ब्रिटिश मूल से अनजान होंगे, परन्तु कुछ भी नया करना कितना असम्भव है, और कदाचित् सम्भव भी है तो भी कितना निरर्थक है यह भली प्रकार जानते हैं। बिहार के वरिष्ठ मन्त्री तो मानते ही हैं कि यदि सचिवालय के स्टाफ को घटाकर एक तिहाई कर दिया जाए तो कदाचित् वे बेहतर ढंग से काम कर पाएँगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्र की भी यही स्थिति होगी।

सरकार चलानेवालों को इसमें भी अधिक अच्छे उपाय सूझते ही होंगे। परन्तु उन उपायों को वे ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उस पर विचार विमर्श नहीं होता है एवं अमल किया जा सके ऐसे निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाते हैं। भारत की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सरकार को निश्चयपूर्वक काम करने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रयास करने के स्थान पर भारत के वर्तमान विदेश मन्त्री भी (३, दिसम्बर, १९७७ का गांधी मैदान, पटना का प्रवचन) सरकारी तन्त्र की जड़ता एवं उसके भ्रष्ट प्रभावों का रोना रोते हैं। वैसे तो सरकारी तन्त्र सर्वत्र कुछ अंश तक जड़तायुक्त होता ही है एवं सरकारी लोग भी असभ्य होते ही हैं परन्तु भारत में तो उसकी पराकाष्ठा है।

भारत की समस्या भगवान के द्वारा सर्जित नहीं है, वह हल न होने वाली नहीं है। यह तो हमारे पूर्व शासकों के द्वारा पैदा की गई है। दृढ़ इच्छाशक्ति एवं उचित सोच विचार से राजनैतिक एवं उसके आनुषंगिक उपाय सोचकर उनसे मुक्त हुआ जा सकता है।

निश्चितरूप से प्रयासों की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। यह भी सत्य है कि लोग अभी भले ही विपरीत स्थिति से गुजर रहे हों तो भी परिवर्तन के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। सरकारी ढाँचा भी इसमें अपवाद नहीं है। उनके क्रियाकलाप में, उनके स्थान में, कोई भी परिवर्तन सूचित किया जाता है तो यह तन्त्र उपर से नीचे तक हिल जाता है। परिवर्तन की आवश्यकता व उपयोग के विषय में कितना भी समझाया जाए तो भी कर्मचारी कुछ न कुछ विरोध तो करेंगे ही। आज केवल मन्त्रियों को ही यह निरर्थकता समझ में आती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिकांश कर्मचारी एवं अधिकारीगण को भी इसका अनुभव आया है। मन्त्री अपने विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों से कभी कभी कामकाज के विषय में विचारविमर्श करते ही हैं, विभागों की मुलाकात करते हैं तब उनके ध्यान पर यह कठिनाई आती ही है, यदि मन्त्री इसका सम्पर्क न रखते हों तो उन्हें ऐसे सम्पर्क में रहने की आवश्यकता है।

बिहार सरकार के २५०-३०० कर्मचारियों वाले लेखा विभाग की दुर्दशा का उदाहरण ही पर्याप्त है। वहाँ कर्मचारियों को बैठने की भी जगह नहीं है एवं काम करने के लिए कोई साधन नहीं है। स्थान के अभाव में वहाँ के पुस्तकालय के पुस्तक भी बोरो में भरकर रखे गए हैं। करोड़ों रूपयों की अत्यन्त मूल्यवान् सामग्री को जग लग गया है। बँटकर प्राप्त हुआ अनुदान ३१ मार्च को वापस न देना पड़े इसलिए अन्धाधुन्ध खरीदी की जाती है। स्वतन्त्रता के तीस वर्ष बाद भी हम ऐसी कोई पद्धति नहीं ढूँढ पाए कि इस वर्ष का खर्च नहीं किया हुआ अनुदान बाद के वर्ष में उपयोग में ले जाया जा सके और अधिक निरर्थक खर्च बचाया जा सके।

तन्त्र को उपयोगी बनाने के लिए एवं काम सरल बनाने के लिए, सुधार लाने के लिए किसी को दण्डित करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सुविचारित सिद्धान्तों के आधार पर ढाँचे की पुनर्रचना करने की आवश्यकता है। ऐसा पुनर्रचित ढाँचा काम को व्यवस्थित एवं सुकर बनाएगा। मनुष्यों एवं साधनों को आवश्यकता के अनुसार फिर से कुशलतापूर्वक काम पर लगाना पड़ेगा। जहाँ दोनों आवश्यकता से अधिक हैं वहाँ उन्हें कम करने से ही काम ठीक हो जाएगा। जो विभाग अनुपयोगी है उन्हें बन्द कर देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें फिर से खोला जा सकेगा। हमारे सामने रोजगारी, साक्षरता, स्वास्थ्य एवं समाजसेवा के इतने काम हैं कि वर्तमान कार्यरत लोगों को मुक्त करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। केवल उनका स्थानान्तरण ही करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए तो यह परिवर्तन बहुत ही अनुकूल होगा। कुछेक के लिए प्रतिकूल होगा यह भी सच है। इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जिन लोगों

को सचिवालय के मुख्य केन्द्र से दूर जिला, तहसील या ग्रामकेन्द्रों पर भेजा जाएगा उन्हें कुछेक अन्य सुविधाएँ भी देना चाहिए, जैसे - अधिक भत्ता, वैद्यकीय चिकित्सा सुविधा, नये काम में पदोन्नति इत्यादि। जिन लोगों को अपने वतन, गाँव या नगर में जाने की इच्छा हो और वहाँ उनके लिए निर्धारित काम की अनुकूलता भी हो तो उन्हें वहीं भेज देना चाहिए। सचमुच स्वयं ने जहाँ जन्म लिया एव पले बड़े हो ऐसे वतन से जान बचा कर दूर भेजने की ब्रिटिश पद्धति को ही पहले दूर करना चाहिए। इसी प्रकार बार बार स्थानान्तरण करने की पद्धति भी ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि केवल हमारा तन्त्र ही नहीं तो हमारा मानस भी कुण्ठित हो गया है।

तीव्रता से सतानेवाली समस्याओं के निवारण के लिए तन्त्र में परिवर्तन करने की एव उस प्रकार से तन्त्र को कार्यरत करने की आवश्यकता है। इस बात पर सभी सहमत हो जाएँ तो उसे ठोस स्वरूप देने की विभिन्न पद्धतियाँ अमल में लाई जाएँ। उदाहरण के तौर पर केबिनेट एव अन्य मन्त्रालयों की समितियाँ तत्काल करने योग्य एव सुस्पष्ट परिवर्तन का प्रथम विचार करें। दूसरे क्रम में केबिनेट सक्षम अधिकारियों को परिवर्तन की योजना तैयार करने को कहे। तृतीय क्रम में सगठनात्मक रचना के क्षेत्र में कार्यरत व्यावसायिक इकाइयों को भी मार्गदर्शन करने के लिए कहा जाए। अन्त में, भारतवासियों का स्वभाव एव उनकी आवश्यकताएँ समझ सकें ऐसे वैचारिक एव प्रशासनिक दक्षतावाले लोगों की एक सक्षम समिति बनाकर उसे वर्तमान ढाँचे की समीक्षा करने एव वैकल्पिक ढाँचा तैयार करने का काम सौंपा जाए।

परन्तु केवल कारोबार सम्बन्धी ढाँचा सुधारने से काम नहीं चलेगा। उस ढाँचे की कार्यप्रणाली में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। पिछले तीस वर्षों में ग्राम पचायत हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, चुने गए जनप्रतिनिधि हताश दिखाई देते हैं। चुने जाने के बाद उन्हें जो सरकारी आवास मिलता है उसके कारण से वे जनसामान्य से एकदम बिछड़ से जाते हैं। हमारी ग्राम पचायत, विधानसभाएँ, लोकसभा अधिक उपयोगी कैसे बने एव हमारे चुने गये जनप्रतिनिधि अधिक सार्थकतापूर्ण कार्य किस प्रकार कर सकें इस विषय पर गम्भीर विचार विमर्श की आवश्यकता है। एक पद्धति ऐसी भी सूचित की जा सकती है कि विधानसभा को अनेको छोटीछोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाए एव उन्हें तत्कालीन प्रश्न समझने की, अवलोकन करने की, उनका हल करने के लिए उपाय योजना करने की सत्ता दी जाए। अन्तिम निर्णय करते समय ही ऐसी विधानसभा एक साथ बैठे एव अन्तिम कार्रवाई करें।

जनता मोर्चा की सरकार ने जो कुछ किया है, या जो योजना बनाई है उसका

मूल्य कम आकने के लिए यह वहस नहीं की है। यह तो स्पष्ट ही है कि हमारा तन्त्र जितना निरर्थक है उतना ही भारी खर्चीला भी है। व्यक्तिगत रूप से मन्त्री एव मुख्य मन्त्री भी तथा बहुत से कारोबार करनेवाले अपेक्षाकृत सादा जीवन जीते हैं। परन्तु व्यक्तिगत जीवन की सादगी चाहे जितनी अच्छी हो तो भी हमारी समस्याओं को हल करने की क्षमता उनमें नहीं है। समस्या तो दीर्घकालीन गरीबी की है, आत्यन्तिक सामाजिक विघटन की है एव यह सब विदेशी, अकार्यक्षम सरकारी पद्धति की फलश्रुति है।

प्रथम तो ऐसा परिवर्तन करना चाहिए जिससे कुण्टित तन्त्र में चेतना का संचार हो। उस जगह हुए तन्त्र को अपनी जिम्मेदारी का ख्याल हो, व्यर्थ खर्च बन्द हो एव स्वयं को सौंपे गए काम को पूर्ण करके दिखाने की वृत्ति हो। इसके बाद ही उसमें कार्यरत लोगो एव अन्य साधनों के स्थानान्तरण या पुनर्चना के विषय में सोचा जा सकेगा। आज तो थोड़ा कुछ करने के लिए भी बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। कड़ी मेहनत एव व्यक्तिगत समस्याओं के प्रति सवेदनशीलता मूल्यवान् बातें हैं परन्तु आज उतना पर्याप्त नहीं है। महत्त्वपूर्ण बात तो विचारशीलता की है। बिना सोचे ही हमने जिन पद्धतियों को स्वीकार कर लिया है उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। हमारे मार्ग का सबसे बड़ा अवरोध हमारी विचारहीनता है।

१५. जरा सोचें

अभी दिल्ली में एक हास्य विनोद चल रहा था। एक बैठक में अपने साथियों के समक्ष प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अभी बीस साल और जीनेवाले हैं एव ग्यारह वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर रहनेवाले हैं। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी। यह उन्होंने सब को आतंकित करने के लिए कहा या कौतुकित करने के लिए, यह तो नहीं कह सकते। यदि हम अधीर न हो गए हो तो श्री मोरारजीभाई देसाई की इस प्रकारकी घोषणा कुछ लोगों को आनन्दित करेगी एव कुछ लोगों में कौतुक जगाएगी। इसके स्थान पर यह घोषणा भयभीत कर रही है, हमारे विषाद को और गहरा बना रही है एव आशका का निर्माण कर रही है। आचार्य कृपलानी लिखते हैं, 'गत वर्ष प्रधानमंत्री के चुनाव में मैंने सहयोग किया यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी।'

परन्तु हम ऐसी स्थिति में फँस गए हैं इसके लिए केवल मोरारजीभाई देसाई, चौधरी चरणसिंह या बाबू जगजीवन राम ही दोषी नहीं हैं। जनता मोर्चा की सरकार बनी यह एक शान्त क्रान्ति थी, परन्तु पंद्रह माह बीते न बीते कि हालात बिगड़ गए। आज लोगों के सामने इन्दिरा गांधी एव जनता मोर्चा इन दोनों में किसे चुनना यह एक बड़ा उलझन भरा प्रश्न है। परन्तु यह दुःखी या हताश होने का समय नहीं है। हमें जो चाहिए एव उसे पाने के लिए जो हम करते हैं उन दोनों में आपस में विरोधाभास है यह समझने की आवश्यकता है। हमारी सोच एव हमारा लक्ष्य दो विरुद्ध दिशाओं में गति करते हैं। हम इस विरोध को किस प्रकार मिटा पाएँगे यह जब तक नहीं समझते हैं तब तक हमारा सकट दूर नहीं होगा।

कृपलानीजी जिस पर शोक व्यक्त कर रहे हैं वह मार्च १९८८ की मूर्खता भारत के हाल ही के इतिहास की एकमात्र घटना नहीं है। हम बारबार ऐसी मूर्खता करते रहे हैं। लगभग तीन सौ से भी अधिक वर्षों तक भारत अत्याचार सहता रहा। फिर उसने विद्रोह किया। फलस्वरूप क्रान्ति हुई। अन्ततोगत्वा वह हताश हो कर बैठ गया। सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र ऐसे लोगों के हवाले हो गया जो क्रान्ति के उद्देश्यों को मूर्त रूप देने के प्रति घृणा का भाव रखते हैं। वे या तो बलशाली नहीं हैं, या मूलतया 'जैसे थे' की वृत्ति

रखते हैं, या बिलकुल मूर्ख हैं।

तीन प्रकार के उदाहरण भारत के इतिहास में दिखाई देते हैं। एक, मराठा काल, दूसरा अंग्रेजों की ओर से भारत सरकार को सत्ता का हस्तान्तरण किया गया तब का काल, एवं तीसरा जनता मोर्चा की सरकार टूटी तब का काल। भारत का राज्य अंग्रेजों के हाथ में गया यह प्रचलित मान्यता के अनुसार मुगलों के हाथ से नहीं, अपितु मराठाओं के हाथ से। शिवाजी महाराज के द्वारा प्राप्त किया गया बहुत ही कम समयावधि में मराठाओं ने खो दिया। इन्दिरा गांधी के विनाशकारी शासन से भारत को मुक्त करने के लिये जिस अभूतपूर्व निर्णायक शक्ति को प्रदर्शित करते हुए जनता ने जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर सरकार बनाने के लिए नियुक्त किया उन्होंने ही अपनी सरकार का विध्वंस कर देश को पुनः इन्दिरा गांधी के हवाले कर दिया।

अब ऐसा भी कहा जाता है कि मार्च १९७७ का लोकनिर्णय क्रान्ति नहीं थी, परन्तु आपातकालीन समय की ज्यादतियों के विरोध में किया गया नकारात्मक मतदान था। इस प्रकार से लोगों के क्रियाकलापों का मूल्य कम आकर भारत का जैसे रिवाज बन गया है। अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा तब भी ऐसा ही कहा गया था कि वे वृद्ध नेताओं एवं ब्राउन इल्लिश्मेन जैसे बुद्धिमानों से तग आ गए थे। इसलिए उन्होंने 'सत्ता का हस्तान्तरण' किया। महात्मा गांधी से पूर्व एवं महात्मा गांधी के समय में हुए इसी प्रकार के कितने ही शान्त एवं अहिंसक प्रतिरोधों को क्रान्ति के रूप में नहीं अपितु केवल असंतुष्टों के नकारात्मक रूख के स्वरूप में ही पहचाना गया।

क्रान्ति किसे कहते हैं? अंग्रेजों के समकालीन लेखकों के अनुसार सिराजुद्दौला को परास्त कर १७५७ में उसका स्थान मीर जाफर ने लिया उसे क्रान्ति कहते हैं। इतिहास की दृष्टि से देखें तो भारत में या विश्व में इस स्थान परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यही हाल सन् १७८९ की फ्रान्स की क्रान्ति या सन् १९१७ की अमेरिका की क्रान्ति के हैं।

१७८९ या १९१७ की तुलना में या फिर जिसे भी अंग्रेजों ने क्रान्ति की सजा दी है उन सब की तुलना में १९२० से महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ स्वराज्य का आन्दोलन, या फिर जिसके कारण अंग्रेजों ने भारत से चले जाने का त्वरित निर्णय किया ऐसी १९४६ की परिस्थिति, या फिर फरवरी, मार्च १९७७ में देश की जनता ने आपातकालीन स्थिति के विरोध में आन्दोलन करके नए चुनाव करवाए वह घटना निश्चितरूप से अनेक गुना क्रान्ति कहलाएगी। इतिहास में कभी भी लोगों ने दमनकारी शासन को हटाने की हलचल में इतनी बड़ी सख्या में भाग नहीं लिया है। इस सन्दर्भ में

मार्च १९७७ के निर्णय को नकारात्मक मत कहना हास्यास्पद है।

मार्च १९७७ के चुकादे को 'नकारात्मक मत' कहने के विषय में हम अधिक गहराई में जाएँ उससे पूर्व विश्व की क्रान्ति के नाम से जानी जानेवाली घटनाओं की पार्श्वभूमि एवं उद्देश्यों को ठीक प्रकार से समझने की आवश्यकता है। तभी हम फरवरी मार्च १९७७ की घटना का मूल्य अधिक अच्छी तरह समझ पाएँगे।

हाँ, इसमें अन्तर तो है ही। शासन में बदलाव लाने के विषय में भारत के लोग जो कुछ भी करते हैं वह अपेक्षाकृत अहिंसक होने के कारण विश्व की किसी भी ऐसी घटना की अपेक्षा कम रक्तरेजित होता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व के कारण एवं उनके सर्वव्यापी प्रभाव के कारण १९४० एवं १९७७ की घटनाएँ पूर्णतः रक्तविहीन थीं। रक्तपात, लूट एवं खानाखराबी ही यदि क्रान्ति के मापदण्ड हो तो फरवरी मार्च १९७७ की तो क्या, उससे पूर्व घटित अनेको महत्वपूर्ण घटनाओं को भी 'क्रान्ति' का नाम नहीं दे सकते। परन्तु यदि जनसामान्य की सक्रियता से प्रवर्तमान शासन का अन्त होता है तो फरवरी मार्च १९७७ की घटना सर्वप्रथम 'क्रान्ति' मानी जाएगी क्योंकि उसमें आमजनता की भूमिका सबसे अधिक थी।

इसीलिए फरवरी, मार्च १९७७ या १९४० या १८५७ की असफलताएँ या मराठा एवं अन्य लोगों के अग्रजों से पराजित होने की जिम्मेदारी भारत के बुद्धिमानों की है। विजय के लिए जाग्रत हुई जनशक्ति को वे योग्य मार्ग पर मोड़ नहीं सके। महात्मा गांधी अथवा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व के कारण जब अनिश्चित शासन पराजित होता है तब बौद्धिक लोग हुकूमत की बागडोर आपने हाथों में ले लेते हैं एवं हालात पहले के समान ही हो जाते हैं। एक तरह से यह शायद महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण जैसे की असफलता ही मानी जाएगी। उन्होंने क्रान्ति के बाद के समय की आवश्यकता को ठीक से समझा नहीं, उस समय के लिए योग्य व्यक्तियों, योग्य साधनों को नहीं चुना। नई रचनाके नए नियम नहीं बनाए। यह सब किया होता तो उनकी प्रेरणा से लोगों ने जो प्राप्त किया था उसे परिणामलक्षी एवं दीर्घजीवी बना पाए होते।

बार बार भारत में ऐसी गभीर भूले क्यों होती रहती हैं ? भारतवासियों का जोश रातोंरात जग उठता है, प्रचंड प्रतिरोध, बहिष्कार एवं सत्याग्रह का निर्माण होता है। तत्काल सफलता मिलती है। एवं जोश जिस तरह से जगा था उसी तरह से रातोंरात ठण्डा भी हो जाता है। ऐसा होने के शायद गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। भारत के ऐसे जोश की तुलना कदाचित् भूकम्प या आँधी से की जा सकती है। अन्तर केवल इतना है कि लोगों का उफान कम विनाशक है, या दृश्य रूप से विनाशक नहीं है।

भारतवासी केवल ऊपरी तौर पर अनिच्छनीय व्यवस्था को हटा देते हैं परन्तु शेष पूरा का पूरा ढाँचा वेसा का वेसा ही रहने देते हैं। वह ढाँचा थोड़ा हिलता अवश्य है परन्तु फिर स्थिर हो जाता है, फलस्वरूप भारत की प्रत्येक क्रान्ति अत्यन्त अल्प समय में असफल हो जाती है।

भारत की ऐसी द्वन्द्वत्मक स्थिति के लिए मानसिकता के उपरान्त अन्य कारण भी हैं। एक कारण है दीर्घकाल की मानसिक उलझन। भारत की मानसिकता है कि राज्य चलाना एक बड़ा परिवार चलाने के बराबर है। इसलिए मान लिया जाता है कि शासन की धुरा एक बार किसी विद्वान एव गुणवान व्यक्ति को सौंपने पर समाज में सब कुछ ठीक ही चलेगा। साधन एव ढाँचा दुष्ट होंगे तो भी वे समाज का कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे। समाज की वर्तमान रचना एव शासन की आज की रीति नीति से प्रजा एक लम्बे अरसे से अपरिचित है उसका भी यह परिणाम हो सकता है। इसके अलावा सामाजिक तथा बौद्धिक क्षेत्रमें भारतीय मन एक लम्बे अरसे से मूर्च्छित अवस्था में रहा है उसका भी यह परिणाम हो सकता है या इसमें भी गहरे कारण होंगे। वी एस नायपाल लिखते हैं, 'भारत का भारी सकट तो ऐसी घायल सभ्यता है जिसे बौद्धिक पोषण के बिना ही काम चलाना पड़ता है।'

यदि भारत को दो सौ वर्ष के अंग्रेजी शासन के द्वारा निश्चित किया गया मार्ग छोड़कर अपनी ही सृजनशीलता एव मौलिक रूप से अपना काम करना है तो एक अच्छे व्यक्तित्व, सुखी परिवार, एव सुआयोजित समाज का निर्माण करनेवाले तत्त्व कौन से हैं यह जानना होगा। यह तो अविवादित है कि किसी भी प्रकार की व्यवस्था में सत्य, प्रेम व करुणा तो मानव निर्माण के आधारभूत मूल्य हैं, परन्तु समाजरचना में केवल इतने से ही काम नहीं चलता। समाज को तो सुनियोजित ढाँचे व नियम की आवश्यकता पड़ती ही है। भारत की करुणता यह है कि उसका सामाजिक ढाँचा एव कायदे कानून वर्षों से क्षीण होते रहे, दो सौ वर्ष के अंग्रेजी शासन ने उसका सर्वनाश किया एव उसके बाद के समय में विदेशी एव मूल भारतीय मूल्यों का सघर्ष निरन्तर चलता रहा और उन मूल्यों में विकृति आई। फलस्वरूप नई रचना एव नई रीतिनीति का निर्माण सम्भव हो ही नहीं पाया।

केवल समाज का ढाँचा एव रीतिनीति का हास हुआ है ऐसा नहीं है। हम व्यक्तिगत जीवन के प्राचीन मूल्यों का गुणगान करते हैं, ज्यों ज्यों समय बीतता है त्यों त्यों हम अधिक मुखरित होकर प्राचीन मूल्यों की प्रशंसा करते हैं परन्तु व्यवहार में उस प्रकार का आचरण बिलकुल नहीं दिखता है। नहीं तो सभी लोग हमेशा जिसकी बहुत ही

प्रशंसा करते हैं उस आश्रमव्यवस्था के अनुसार लोगो का व्यक्तिगत जीवन क्यों नहीं चलता ? शास्त्रो ने तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एव सन्यास ऐसे चार आश्रम एक व्यक्ति के लिए बताये हैं। परन्तु इस व्यवस्था का उल्लघन केवल अज्ञानी ही नहीं करते अपितु सबसे घृणित रूप तो सार्वजनिक जीवन में पड़े हुए वरिष्ठतम लोगो में दिखाई देता है। वे तो मरते दम तक दुन्यवी बन्धनो से ग्रस्त रहने में ही सार्थकता समझते हैं।

इसलिए स्वाभाविक रूप से ही विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र में एक ओर तो एक तिहाई जनसंख्या निरन्तर अभावों में जी रही है, एव भूख के कारण मौत के मुहों में चली जा रही है, जबकि दूसरी ओर महान नेता पुराने एव चिरपरिचित, उधार लिए हुए पारम्परिक मूल्यों का राग अलाप रहे हैं। वे इसी प्रकार की किसी बात में जागरूकता दिखाते हैं जिसका सम्बन्ध उस सत्ता को टिकाए रखने के साथ हो, या उनके लम्बे चौड़े परिवार का कोई लाभ होनेवाला हो, या उनके स्वार्थी मित्रों को कुछ मिलनेवाला हो। वे अपने पुख्त सन्तानों एव उनके दुष्कृत्यों के प्रति दयाभाव रखते हैं। सचमुच तो भारत पुख्त बच्चों का देश बन गया है। केवल पूर्व या वर्तमान प्रधानमन्त्री के ही नहीं पर उनके ही स्तर के अन्य नेताओं के चालीस पचास वर्ष के पुत्र भी छोटे बच्चों के समान अपने मातापिता का पल्लू पकड़कर चलते हुए दिखाई देते हैं।

केवल बड़े लोगो के पुत्र ही दोषी हैं ऐसा नहीं है। उनकी ही आयु एव प्रतिष्ठा के हजारों अन्य युवक भी उनके समान ही हैं। अपने परिवारजनों के प्रति अपने दायित्व का यह विकृत रूप है। अपने व्यक्तिगत जीवन की दुःखद घटनाओं की स्मृति या फिर अन्य कोई मनोकायिक कारण इस प्रकार की मानसिकता की पृष्ठ भूमि में रहे होंगे। अब भारत के सामाजिक एव राजनैतिक ढाँचे में सत्तारूढ वृद्ध आत्यन्तिक असुरक्षितता की ग्रन्थि से पीडित हैं ऐसा लगता है। इसीलिए वे अपने आसपास स्थित किसी को भी आगे नहीं आने देते हैं। विश्व का इतिहास देखे तो महापुरुष, विद्वान एव भारत के भी बड़े लोगो ने पचास वर्ष की आयु तक ही - औसतन तीस वर्ष की आयु में ही - महानता प्राप्त की है। यह देखते हुए आज की स्थिति पर आशका का साया पड़े बिना नहीं रह सकता। गांधीजी ४० - ५० वर्ष के होने से पूर्व ही महात्मा कहलाए एव केवल गांधीजी ही क्यों स्वामी विवेकानन्द, श्री अरन्विद, अतीत में देखे तो आदि शंकराचार्य, राम, कृष्ण, शिवाजी, महाराणा प्रताप, अकबर आदि सभी को यह बात लागू है। इतना ही नहीं जब जवाहरलाल नेहरू भी प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख बने एव उन्होंने घोषणा की कि भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम का ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता ही है तब उनकी आयु ४० वर्ष थी।

आज हमारे समक्ष यदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई काम है तो वह यह कि राजनैतिक एव सामाजिक जीवन की जकडन दूर हो और वह अविरत रूप से चलता रहे। तीस वर्षों से पूर्ण रोजगारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं परन्तु अभी तक यशस्वी नहीं हुए हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण काम ही है। परन्तु बन्धन दूर करने की आवश्यकता तो उससे भी अधिक है। यह सच है कि गत तीस वर्षों की राजनैतिक महत्वाकांक्षा छिन गई है। परन्तु ऐसे लोगो को सन्तुष्ट करने के लिए हम देश के भविष्य को सकट में नहीं डाल सकते हैं। सन् १९७७ में ऐसा किया वही हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई।

कुछ देशो में तो ऐसी किसी भी समस्या का हल सर काटकर ही किया जाता है। परन्तु हम अहिंसक प्रजा हैं। इसलिए अन्य कोई उपाय करना पडेगा। या तो जो सत्ता से वंचित रह गए हैं उन्हें अध्यात्म की ओर मोडे, नहीं तो सत्ता सोपने के बजाय उन्हें सभी प्रकार के मानसम्मान से नवाजे। सत्ता सोपने से तो नुकसान ही होगा। पिछले महीनो में पर्याप्त नुकसान हो चुका है। आशा, अपेक्षा एव पुरुषार्थ की अभिलाषा के स्थान पर हम मृत्यु सदृश मूर्च्छा से प्रभावित हो गए हैं।

हम युवको को सार्वजनिक जीवन में लाएँ एव देश में सब कुछ ठीक चले इसका दायित्व उन्हें सोपे। इस प्रकार सामाजिक राजनैतिक जीवन को खुला वातावरण मिलेगा। साथ ही नए नीतिनियम एव नई व्यवस्थाएँ भी करनी पडेगी, भले ही वे अस्थायी हो। एक व्यवस्था तो ऐसे लोगो की करनी पडेगी जो स्वेच्छा से सार्वजनिक जीवन से निवृत्ति लेते हैं। अभी ऐसी मान्यता प्रचलित है कि सार्वजनिक जीवन में कार्यरत लोगो को किसी भी प्रकार का पेन्शन या अन्य कोई मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। गांधीजी के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है। परन्तु यह बात तर्कसंगत नहीं है। इसके कई विपरीत प्रभाव भी हैं। अन्य एक अव्यावहारिक बात यह भी निर्मित हुई है कि जब तक एक हद तक शारीरिक मानसिक पगुत्व नहीं होता तब तक विधानसभा, ससद या ऐसे कई स्थानो पर चिपके रखा जा सकता है। साथ ही ऐसी कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं होने से लोग जब तक पद पर होते हैं तब तक पैसा बनाने का काम भी करते रहते हैं। हम यदि सर काटने की प्रवृत्ति के काम के प्रारम्भ की शुरुआत न करनेवाले हो तो ऐसी कोई सुसंस्कृत व्यवस्था करना अनिवार्य हो जाता है।

ऐसा हो सकता है कि अपेक्षाकृत कम आयु के नेता अपने बुजुर्गों से अधिक कार्यक्षम एव गुणवान नहीं होंगे। कदाचित वे अपने बुजुर्गों से भी अधिक झगडालू हों। परन्तु महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि देश वर्तमान आवश्यकताओं एव वर्तमान मूल्यों के अनुसार चलना चाहिए। जिसे देश का संचालन इस प्रकार करने की इच्छा है उन्होंने

अपनी समझ एव मौलिकता के रहते ऐसी क्षमता हस्तगत कर लेनी चाहिए। जो निराश हो गए हैं, बेहूदा हो गए हैं, स्वयं को छोड़कर अन्य किसी के विषय में सोच ही नहीं सकते, जड़ एव असवेदनशील हो गए हैं वे देश नहीं चला सकते। तथा जो स्वयं ऐसे बन गए हैं वे अन्य ऐसे लोगों को गाली दे एव स्वयं उनमें से एक नहीं हैं ऐसा माने इससे अधिक लज्जास्पद एव हानिकारक बात और कोई नहीं हो सकती।

दूसरी व्यवस्था प्रधानमंत्री एव राज्यों के मुख्यमन्त्रियों के सत्ता एव अधिकारों के बीच बनी हुई खाई को दूर करने के लिए करनी पड़ेगी। अभी तो धारणा ऐसी है कि राजनैतिक महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति बिना प्रधानमंत्री बने कुछ कर ही नहीं सकता। साथ ही साथ प्रधानमंत्री पद का विशेष भार भी कम करने की आवश्यकता है। यदि नौजवान एव महत्वाकांक्षी लोग राज्य में ही रहने के लिए प्रस्तुत रहे ऐसी स्थिति निर्माण करनी है तो प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री को लगभग समान दर्जा देना चाहिए। आगामी कुछ वर्षों तक तो प्रधानमंत्री के उपरांत चार या पाँच उपप्रधानमंत्री हों, यह बहुत ही आवश्यक लगता है। इन सभी को भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों का स्वतन्त्र अधिकार एव दायित्व सौंपना चाहिए। ये सभी प्रधानमंत्री के समकक्ष माने जाने चाहिए। भारत के राज्यतन्त्र के लिए, अच्छे संचालन के लिए एव विकास के लिए ऐसी व्यवस्था बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। भारत जैसे विशाल देश के लिए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए देश के लिए इंग्लैण्ड का या अन्य किसी यूरोपीय देश का न्यादर्श किसी भी प्रकार से उपयोगी सिद्ध नहीं होगा।

भारत की प्रतिभा एव भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप नए तन्त्र की रचना नहीं होती तब तक राज्यों में भी अस्थाई रूप से इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहिए एव उसे जिले तक ले जाना चाहिए। यदि जिलों को तत्काल चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन दिया नहीं जा सकता है तो राज्य के केबीनेट स्तर के मन्त्री को राज्य की योजनाओं को एक एक जिले में क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपना चाहिए। राज्य की विधानसभा का कार्यबोज येनकेन प्रकारेण कम करना चाहिए, एव अधिकतम निर्णय जिला स्तर पर लिए जाएँ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। सचिवालयों में एव राज्यों में अनुपयोगी हैं ऐसे अनेक विभागों को बन्द करने का समय आ गया है।

सरकार कॉंग्रेस की हो या वर्तमान जनता पार्टी की, हम एक ही बात दोहराते रहते हैं, एक ही प्रकार से निश्चित समयावधि में योजनाएँ पूर्ण करने का निर्णय करते हैं। यह जादू का अक दस वर्ष का है। परन्तु ये दस वर्ष पूर्ण ही नहीं होते। हम स्वीकार करते हैं कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन अनेक गुना बढ़ गया है। खेती की पैदावर

दुगुनी हो गई है। परन्तु खेती पर निभनेवाले लोगो की सख्या भी उतनी ही बढ़ गई है। साथ ही यातायात बढ़ने एव सीधे द्रव्यप्राप्ति का अर्थविचार प्रबल बनने के कारण योजना कल्याण राज्य की बनती है परन्तु पौष्टिक अन्न के अभाव में लोगो का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा है। जब योजनाएँ शुरू हुईं तब आज की अपेक्षा लोग अधिक स्वस्थ थे। आवास, भोजन एव सांस्कृतिक जीवन के स्तर में तो कोई सुधार नहीं हुआ है।

इसी समयवाधि में महानगरो में एव भद्र विस्तारो में रहनेवाले पाँच, दस या पचीस लाख लोगो का जीवन स्तर अनेको गुना उच्च हो गया है एव वे लोग तो लन्दन न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टन, पेरिस, रोम, टोकियो जैसे नगरो में बसने वालो की बराबरी करने योग्य जीवन शैली अपनाने लगे हैं। उनका जीवन सहूलियतो से भरपूर बन गया है क्यो कि भारत में तो उन्हें अनेको प्रकार से लोगो की सेवा भी उपलब्ध है।

हम कब से चर्चा कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति में भारी सुधार की आवश्यकता है, भूमि सुधार करके अधिक फसल प्राप्त करने की तथा ग्राम विकास करने की आवश्यकता है, पूर्ण रोजगारी के अवसरो का निर्माण करके सभी को रोटी - कपडा - मकान प्राप्त करवाने की आवश्यकता है। जहाँ हमारी जनसख्या बड़े समूहो में रहती है ऐसे क्षेत्रो में आय एव ससाधन के स्रोतो का निर्माण करने की आवश्यकता है। सर्व प्रथम तो आवास क्षेत्रो में पीने के स्वच्छ जल की व्यवस्था करना आवश्यक है। परन्तु इनमें से एक को भी हम अल्पाश में भी पूर्ण नहीं कर पाए हैं।

गाधीजी कहते थे, 'भूखे को इश्वर अन्न के रूप में ही दिखाई देता है।' आज भी हमारी एक तिहाई भाग से भी अधिक जनसख्या भूखे पेट सोती है। यह सख्या प्रतिदिन, प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। जिस देश पर प्रकृति की कृपा हो, जो देश सत्य, अहिंसा एव शांति की बात करता हो वहाँ इससे अधिक लज्जास्पद बात क्या हो सकती है ? इस लज्जा का अनुभव करने के स्थान पर जब भी भूखे एव बेरोजगारो के लिए कुछ ठोस कार्य करने की बात आती है तब हम भरे पेट से बहुत सी सुख-सुविधाओ को भोगते हुए नीति एव अध्यात्म का उपदेश देते हैं। बेकारी भते के प्रबन्ध से कितनी नैतिक हानि है उस पर प्रवचन करते हैं। मानो हमें किसी असाधारण व्यवस्थाएँ करने पर बाध्य किया जाता है इस तरह प्रतिभाव देते हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर उसके कितने विपरीत प्रभाव होंगे, हम दिवालिए हो जाएँगे, देश के कुछ हिस्सो में ऐसा प्रबन्ध हो सकता है, सम्पूर्ण देश में तो असम्भव है, इस प्रकार की गहरी चिंता में डूब जाते हैं। हम ऐसे निर्णय पर आते हैं कि बेकारो और बेरोजगारो को अति अल्प सहायता देना जहाँ सम्भव है वहाँ भी नहीं देना चाहिए। (हमने इंग्लैण्ड की व्यवस्था के आधार पर अपना

व्यवस्था तन्त्र बनाया है, परन्तु हमें इस बात का पता नहीं है कि इंग्लैण्ड में भी १४वीं १५वीं शताब्दी में जब समाज बिखरने की स्थिति में था तब गरीबों को राहत सामग्री प्रदान करने का कर्तव्य राज्य का ही माना जाता था।) इससे बढ़कर बुद्धि एवं हृदय की विकृति और क्या हो सकती है।

हम ऐसी विकृत एवं दूषित बुद्धि का उपयोग सभी क्षेत्रों में करते हैं। हमारे देश में यदि दीर्घदृष्टा लोग हैं, बड़े लोग हैं तो उन्हें एक क्षण रुकने की, सोचने की, आत्मचिन्तन करने की अतीव आवश्यकता है।

हम सोचेंगे तो पाएँगे कि भारतवासियों ने जिस क्षण भारत के पुनरुत्थान का अवसर हमें दिया उसी क्षण से हम गलत रास्ते पर चल पड़े। यह हमारी सबसे बड़ी और गम्भीर गलती है। हम इस देश की विशालता एवं महानता के अनुरूप इस देश का संचालन करेंगे ऐसी अपेक्षा लोग हमसे करते थे। परन्तु हम विश्वासघाती सिद्ध हुए। हमने चाहे जानबूझकर, पक्के बदइरादे से ऐसा न किया हो फिर भी गलती तो हो ही गई है। यदि हमारे सभी नेता, चितक, सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर भी गांधीजी के साथ तुलना के लिये प्रस्तुत होते हैं तो हम तो महात्मा गांधी के ही शब्दों में, कह सकते हैं कि हमने 'हिमालय जैसी गलती की है।' आज भारत के बड़े बड़े नेता, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, असह्य सर्वोदय कार्यकर्ता, अन्य सामाजिक कार्यकर्ता, आपातकालीन स्थिति के विरोध में आन्दोलन करनेवाले कार्यकर्ता और आज जो लोग शासन की धुरा सभाले हुए हैं, उन सभी को आत्मचिन्तन करने की आवश्यकता है। जो कुछ भी हुआ है एवं हो रहा है उसकी भद्दी वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। हमारी आकाक्षाएँ, हमारे आदर्श किस प्रकार नष्ट हुए यह सोचना पड़ेगा, तथा हमारे मूल प्रश्नों का हल ढूँढने में हमारी बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। हमारी प्रतिज्ञाएँ, हमारी महत्वाकाक्षाएँ, हमारे आग्रहों को मूर्त स्वरूप देने के लिए प्रयासशील रहना पड़ेगा। एकाध वर्ष में तो हालात पूर्णतया हमारे काबू से बाहर हो जाएँगे। उसके बाद क्रान्ति की बात करना तो केवल शब्दछल ही होगा।

१६. विकेन्द्रीकरण का प्रश्न चूक घोषित

पचायती राज सस्थाओं के विषय में तैयार किया गया अहवाल केवल आठ मास की समयावधि में ही पेश कर दिया गया इसके लिए अशोक मेहता समिति अभिनन्दन के पात्र है। जो लोग भिन्न विचार के हैं उनको व्यर्थ ही प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। वे अपने वैकल्पिक विचार भी देश के समक्ष रख सकेंगे।

समिति ने चुनी गई सस्था की द्विस्तरीय रचना की हिमायत की है। एक - भारत के प्रत्येक जिले में, जिला स्तर की ४०० एव मडल स्तर की ४०,००० इकाईयाँ हों। मडल अर्थात् १४,००० से २०,००० जनसंख्या की इकाई। इसके अलावा जब तक मडल स्थान कार्यरत न हो जाए तब तक ब्लॉक स्तर की इकाईयाँ जिला परिषद की असवैधानिक इकाई के रूप में कार्यरत रहे। उसमें ग्रामसमिति की भी हिमायत की गई है। इस ग्राम समिति में प्रत्येक विस्तार के मडल या जिला स्तर पर चुने गए प्रतिनिधि हों। छोटे छोटे किसानों के, महिला मडल के, युवक मडल के, स्वैच्छिक सस्थाओं के प्रतिनिधियों का समावेश उसमें हो। यह ग्राम समिति वर्ष में दो बार ग्रामसभा का आयोजन करे। उस सभा के मडल पचायत के कार्यों का ब्यौरा समिति के द्वारा ग्रामजनों के समक्ष रखा जाए। साथ ही वह ग्रामजनों का प्रतिभाव मडल पचायत तक पहुँचाने का कार्य भी करे।

समिति ने इस नई रचना को 'विकास पचायत' नाम दिया है। और इसे 'न्याय पचायत' से अलग करने एव रखने की हिमायत की है। यह बात ध्यान देने योग्य है। इसके अलावा समिति, पचायती राज के चुनावों में राजकीय पक्षों से भी प्रत्याशी को अपना सहयोग देती है। समिति का मानना है कि इससे 'राजनीतिक पक्षों की समिति के कार्यों के प्रति अभिमुखता में वृद्धि होगी एव उच्चस्तरीय राजनैतिक प्रक्रियाओं के साथ संयोजित करने वाली कड़ियों को जोड़ने में यह बात सहायक सिद्ध होगी।'

समिति के कथनानुसार राज्य के कोष से लगभग ३१७५ कोटि रूपयों का प्रबन्धन जिला एव मडल स्तर की सस्थाओं के द्वारा सम्पन्न होगा, जिससे ८० प्रतिशत राशि जिला पचायत को प्राप्त होगी और २० प्रतिशत ४०,००० मडल पचायतों के लिए

रहेगी। इतनी अधिक प्रतीत होने वाली राशि से कुछ नियत दायित्वो, जैसे कि इन सभी कार्यों के लिए वर्तमान में राज्यस्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को जिला या मडल स्तर पर भेजकर उनके वेतन में खर्च होगी। और कितनी राशि वास्तव में नए विकास कार्यों के लिए रहेगी इसकी कोई स्पष्टता अहवाल में नहीं की गई है। इस राशि से कितनी सीधे केन्द्र सरकार के द्वारा एव कितनी राज्य सरकार के सचिवालयों एव विभिन्न विभागों के माध्यम से खर्च की जाएगी इसकी सूचना की अपेक्षा करना हमारे लिए कदाचित् कुछ ज्यादा ही होगा। इसके अतिरिक्त इन नई सस्थाओं को अन्य अतिरिक्त खर्च के लिए उपयोगी राशि विविध नये एव पुराने करो के माध्यम से प्राप्त करने की बात आग्रहपूर्वक की गई है। इन करो में १५० वर्ष पुराने मकान कर, व्यवसाय कर, वाहन कर इत्यादि का भी समावेश है। इस प्रकार के स्थानीय करो से प्राप्त आय बहुत अधिक तो नहीं हो सकती। ऐसे स्थानीय कर का अनुमान भी लगभग १०० करोड़ लगाया गया है।

समिति की 'विकास' एव कमजोर वर्गों के लिए चिन्ता वास्तव में गहरी है। अहवाल के अलग अलग सदस्यों से यह स्पष्ट दिखाई देती है। फिर भी उसमें पूर्ण रोजगारी एव उसके लिए पचायती राज सस्थाओं की जिम्मेदारी का कोई उल्लेख नहीं है। जहाँ तक समिति का सबंध है वहाँ तो ऐसी किसी समस्या का अस्तित्व ही नहीं प्रतीत होता है। अहवाल में 'चौखम्भा राज' और पचायतो के लोकतन्त्र के मूल आधार होने का उल्लेख अवश्य है।

समिति अनिच्छापूर्वक यह भी दर्ज करती है कि 'इस नई रचना को आवश्यक प्रतिष्ठा एव निरन्तर कार्यक्षमता दिलाने के लिए भारत सरकार के द्वारा सवैधानिक रूप से कुछ विचार करने की आवश्यकता है।' अन्य एक हिमायत के रूप में दर्ज करती है कि 'जहाँ सुदृढ पारम्परिक जनजातियों के 'सगठन' कार्यरत है वहाँ उन्हें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को कार्यरत रखने की छूट देनी चाहिए।' ये दोनों हिमायतें स्वागत योग्य हैं। परन्तु यह समझ में नहीं आता है कि समिति ने यह बात सभी पचायती राज समितियों पर लागू क्यों नहीं की। ऐसा किया होता तो सभी समितियाँ किसी भी प्रकार की निरीक्षक सत्ता के हस्तक्षेप के बिना अपना कार्य करने के लिए सक्षम होतीं। अपने ही क्षेत्र से अपने ही प्रयास से प्राप्त आय का अपने ही क्षेत्र के विकास की योजनाओं के लिए स्वयं ही उपयोग कर सकने के लिए सक्षम होतीं।

समिति का वृत्तान्त बहुत विस्तृत है। पर्याप्त रूपसे तर्कपूर्ण है। बहुत सी अकीय पूर्तियाँ हैं फिर भी सब कुछ धुँधला है। कहीं कहीं तो उसमें आनुपातिक असन्तुलन भी दिखता है। एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। विश्व के यू एस ए, फ्रांस, जर्मनी, जपान जैसे

देशो में जहाँ प्रारम्भ से ग्रामीण जनसंख्या का आधिक्य था वहाँ गत ४०-५० वर्षों में वह नगण्य हो गई है वहीं भारत में नगरीय जनसंख्या जो १९२१ में ११.२ प्रतिशत थी वह १९७१ में १९.९ प्रतिशत हुई है उससे समिति को लगता है कि 'नागरीकरण की गति उल्लेखनीय मात्रामें बढ़ी' है।

भारत में राज्य की रचना स्वतन्त्रतापूर्वक जो थी लगभग आज भी वही है। यह सच है कि स्थानीय, राज्य या केन्द्र स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में तीस वर्षों में कई गुना वृद्धि ही हुई है। सरकार के विभाग, निगम एवं मंडलों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। फिर भी स्वतन्त्रता संग्राम के काल में और स्वतन्त्रताप्राप्ति के बाद सविधान की रचना के समय उसकी रचना करनेवाले लोगों में तीव्र असन्तोष व्याप्त था कि हम स्वतन्त्रता के परिणामस्वरूप जो चाहते थे वह हमें प्राप्त नहीं हुआ है। महात्मा गांधी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन सार्थक होते नहीं दिखते थे। सविधान कैसा होगा यह जब उन्होंने जाना तब महात्मा गाँधी ने कहा, 'सविधान समिति कहती है कि सूचित सविधान में ग्रामपंचायत के कार्य एवं विकेन्द्रीकरण इन दो विषयों पर कोई टिप्पणी नहीं है। मुझे कहना चाहिए कि यह मेरी समझ में नहीं आता है। स्वतन्त्रता का अर्थ यदि लोगोंकी अपनी आवाज ही होता है तो सविधान में उसे स्थान ही नहीं दिया गया है, पंचायत के पास जितनी अधिक सत्ता होगी उतना ही लोगों के लिए अच्छा होगा। ('हरिजन', २१ दिसम्बर १९४७)

गांधीजी का अभिप्राय और सविधानसभा के अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद के द्वारा व्यक्त की गई सदस्यों की चिन्ता को ध्यान में रखकर सरकारके सर्वैधानिक परामर्शदाता श्री बी. एन. राउने मई १९४८ में कहा, 'वर्तमान स्तर पर सविधान के मुसद्दे में पंचायत का विषय समाविष्ट नहीं किया जा सकता।' वैसे भी श्री बी. एन. राउ तथा सविधान रचना समिति के अन्य सदस्यों को पंचायत या विकेन्द्रीकरण जैसी बातों में कुछ खास रुचि नहीं थी। वर्तमान सविधान ऐसे लोगों ने ही तैयार किया है। अन्त में एक अन्य विचार के रूप में सविधान में एक नई धारा (वर्तमान धारा ४० ए) एक सान्त्वना के रूप में ('राज्य ग्राम पंचायतों की रचना के लिए योग्य कदम उठायेगा। राज्य को देखना है कि ग्रामपंचायतों के स्वतन्त्र प्रबन्ध के लिए किस प्रकार सक्षम बने।') जोड़ दी गई। मूल आशय तो ऐसी रचना करना था जहाँ वह गाँव की आधारभूत इकाई से रचना होते होते ऊपर की ओर जाए और जो बातें नीचे के स्तर पर सम्भव नहीं हैं उन्हें ऊपरी स्तर पर सौंपा जाए। परन्तु हुआ उससे विपरीत। सविधान के रचनाकारों को यह बात समझ में तो आई परन्तु उसका कोई अर्थ नहीं था। इसके बाद बलवन्तराय मेहता अध्ययन समिति एवं उसीके जैसी अन्य समितियों ने अपना अहवाल दिया, कितने ही परिसंवाद

एव चर्चासत्र आयोजित हुए, भूदान एव ग्रामदान का आन्दोलन हुआ, गाँव को सुदृढ़ बनाने के कई प्रयास हुए तो भी १९४७ के पूर्व की स्थिति ही प्रवर्तमान है। श्री जयप्रकाश नारायण के शब्दों में 'यह उल्टा पिरामिड' है, जिसमें हमारी व्यवस्थाओं की जड़े जमीन में नहीं हैं एव उसको पोषण मूल इकाईयों से न मिलकर ऊपर से ही मिलता है।

स्पष्ट है कि राज्य की रचना के विषय में दो प्रकार के मत हैं और दोनों एक दूसरे से भिन्न एव अन्तिम छोर के हैं। एक सोच तो प्रभावी रूप से पश्चिमी है। इंग्लैंड में इसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या दी गई है। और नॉर्मन विजय से प्रारम्भ करके उन्नीसवीं शताब्दी तक इंग्लैंड में उसका व्यवहार भी होता रहा है। उसके अनुसार सम्पूर्ण सत्ता एव ससाधन विजेता के आधिपत्य में रहते हैं एव निम्नस्तर के लोगों को विजेता की इच्छा के अनुसार ही रहना पड़ता है। भारत में अग्रेजों ने जिस प्रकार का ढाँचा बनाया और उसका क्रियान्वयन किया वह यही था। इसके विपरीत प्रकार का ढाँचा महात्मा गाँधीने सूचित किया। वह ढाँचा मूल में भारतीय था। इस ढाँचे के अनुसार राज्य तो मात्र एक छत्र या शिखर के समान है जिसके पास प्रारम्भ से अधिकांश सत्ता एव ससाधन रहते हैं। शिखर नीचे पर आधारित होता है, यूरोप के समान नीचे शिखर की सत्ता के अन्तर्गत नहीं होती। इस भारतीय रचना के अनुसार सभ्य समाज के अधिकांश कार्य स्थानीय स्तर पर, छोटे छोटे समूहों के द्वारा होते हैं एव वे जो नहीं कर सकते वही राज्य करता है।

परन्तु कोई भी रचना हो उसके पुरस्कर्ता एव आलोचक तो होते ही हैं। कुछ लोगों के मतानुसार 'उल्टा पिरामिड' सैनिकी शक्ति एव आधुनिक औद्योगीकरण के लिए अनुकूल है। तो अन्य कुछ लोगों के मतानुसार विकेन्द्रित रचना में लोगों की सहभागिता एव प्रत्यक्ष आपसी सम्बन्ध अधिक होता है। उनके अभिप्राय में कस्बों, गावों, मुहल्लों एव छोटे नगरों में लोगों को अपनी स्वयं की बातों में अधिकार न सौंपा जाए, वे स्वयं ही व्यवस्थाओं में भागीदार न बनें एव विशाल राज्यतन्त्र का स्वयं एक सक्रिय अंश है ऐसी उनकी भावना न बने, जब तक उनकी भावना एव आदर्शों के अनुरूप ही राज्य है ऐसी प्रतीति उन्हें न हो तब तक भारत में लोकतन्त्र का ढाँचा सुदृढ़ नहीं बन पाएगा।

१९७४-७५ में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए एक आन्दोलन ने एव उसके बाद लोकमत से या लोकनिर्णय से बनी जनता पार्टी द्वारा १९७७ में दिए गए वचनों से लोगों में एक आशा जगी थी कि आखिर एक लम्बे अन्तराल के बाद भारत में सार्थक एव उपयोगी पद्धति से सरकार काम करेगी। १९७७ में जब अशोक मेहता

समिति की रचना हुई तब ऐसा विधास जगा कि यह उस दिशा में उठाया गया पहला चरण है। परन्तु उस समिति ने जो वृत्तान्त दिया वह तो स्वतन्त्रता के बाद के तीस वर्षों में जो कुछ हुआ था उससे जरा भी भिन्न नहीं है। एक नया प्रारम्भ करने के स्थान पर यह समिति प्रबन्धन सुधार समिति एव उसके समान ही अन्य समितियों के द्वारा कही गई बातों का ही पुनरावर्तन कर रही है। वास्तव में विकेन्द्रीकरण एव स्थानीय आवश्यकताओं, कुशलताओं एव मान्यताओं के अनुरूप स्वशासन एव सवैधानिक ढाँचे का विषय तो अन्ततोगत्वा कूडेदान में ही चला गया है।

* नई दिल्ली के 'द ऑल इण्डिया पंचायत परिषद (The All India Panchayat Parishad)' के जर्नल 'पंचायत सन्देश (Panchayat Sandesh)' के सितम्बर-अक्तूबर १९७८ (पृ १५-१६) में प्रकाशित १९७८ के 'अशोक मेहता कमिटी ऑन पंचायत राज इन्स्टीट्यूशन्स (Ashok Mehta Committee on Panchayat Raj Institutions)' के अहवाल पर अवलोकन।

१७. भारत के पुनः औद्योगीकरण विषयक कुछ विचार

अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक खेती, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियाँ, प्रबन्धन, पुलीस एवं सैनिकी उद्यमों के अतिरिक्त उद्योगों से जुड़े हुए लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग २० से २५ प्रतिशत थी। इनमें अधिकांश लोग घर, मन्दिर, किले एवं अन्य सार्वजनिक भवननिर्माण काम में तथा रास्ते एवं तालाबों के निर्माणकार्य में लगे थे। चिनाई काम में उपयोगी सामग्री में पत्थर, ईंट, मिट्टी, विभिन्न प्रकार की फर्श, लकड़ी, कुछ धातुएँ, विभिन्न प्रकार का चूना आदि का समावेश होता था। अन्य एक बड़ा भाग कपड़ा उत्पादन के कपास ओटने, धुनने, कातने, बुनने, छापने, रगने एवं सजाने जैसे विभिन्न उपविभागों से जुड़ा हुआ था। सन् १८०० के आसपास भारत में बुनकरों की संख्या लगभग १५ से २० लाख परिवारों की थी। रेशम, ऊन, या सूत कातनेवाले परिवारों की संख्या उससे लगभग १० गुना अधिक थी। इन दोनों उद्योगों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण उद्योग था धातु उद्योग, जिसमें धातु खोदना, गलाना, उन से गृहोपयोगी चीजें बनाना, उपयोगी रसायन तैयार करना, नमक एवं गन्धक तैयार करना इत्यादि का समावेश होता था। नदी, तालाब, या समुद्र से मछली पकड़ना भी एक उद्योग था। रंग तैयार करने के लिए, उसे पकाने के लिए, उपयोगी द्रव्य तैयार करने के लिए वनस्पति एकत्र करना, चीनी, स्पिरीट, औषधी, वनस्पतिजन्य प्रसाधन, इत्र इत्यादि बनाने के उद्योग भी थे। लकड़ी, लोहा, चादी, सोना, हीरा, ताबा, पीतल, कासा, काच इत्यादि से अनेक प्रकार की वस्तुएँ बनानेवाले कारीगर भी बड़ी संख्या में थे। इसके अतिरिक्त तेली, मोची, कुम्हार इत्यादि भी थे।

अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक चिनाईकाम एवं विविध प्रकार के धातुकाम से जुड़े हुए लोग शिक्षण में या फिर धार्मिक समारोहों में स्वयं को ब्राह्मण से कम नहीं समझते थे। ब्राह्मण भी उन्हें ऐसे मौकों पर स्वयं से भी उच्च स्थान एवं सम्मान देते थे। परन्तु अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, शराफी इत्यादि में जुड़े हुए लोगों की दुर्दशा शुरू हुई। इसके कारणों के विषय में सोचने पर ऐसा लगता है कि या तो विदेशी शासन के आधिपत्य की धँस बढ़ी होगी या फिर खेती और उद्योग के बीच

किसी प्रकार का आन्तरिक सघर्ष निर्माण हुआ होगा या फिर दोनो के अतिरिक्त अन्य किसी कारक का निर्माण हुआ होगा। भारतीय उद्योगो के हास का सकेत इस बात से मिलता है कि मदुराई के तिरुमल नायक महल के या जयपुर के सवाई जयसिंह की खगोलशास्त्र की वेधशाला के निर्माण मे यूरोप एव अन्य पाश्चात्य देशो के शिल्पियो को बहुत महत्त्व दिया गया था।

उन्नीसवीं शताब्दी मे भारतीय उद्योगो का सर्वतोमुखी हास हुआ। सभी उद्योग जैसे थम से गए। शताब्दियो की परम्परा से जो लोग इन उद्योगो से जुड़े थे वे सब केवल मजदूर बनकर रह गए। उन्हे परा कोटि का हीनताबोध करवाया गया। इंग्लेड मे भी इसी प्रकार से हो रहा था एव भारत मे जो कुछ भी हुआ वह उसी की प्रतिकृति थी। कोयले एव बाष्प की ऊर्जा प्राप्त होने के बाद तो इंग्लैंड के अतिरिक्त यूरोप के देशो मे भी ऐसा हुआ था। यह सब सन् १७५० के आसपास शुरू हुआ। परन्तु प्रारम्भ के, विस्थापित होने के समय के बाद इंग्लेड के कारीगर नए औद्योगिक ढाँचे मे धीरे धीरे समाविष्ट हो गए एव कुछ समय के पश्चात् खेती तथा आनुवाशिक कामो से जुड़े हुए लोग भी ऊर्जा आधारित उद्योगो मे समाविष्ट हो गए। इंग्लेड तथा यूरोप के अन्य देशो के ऐसे लोग नए औद्योगिक ढाँचे मे वरिष्ठ कारीगर, निरीक्षक, आलेखक, प्रशिक्षक के रूप मे जुड़े न कि बेमानी, कठोर मजदूरी करनेवाले मजदूरों के रूप मे।

परन्तु भारत मे कुछ अलग ही हुआ। नया रूप धारण किए हुए यूरोप के व्यापार एव वाणिज्य मे जो आवश्यकताएँ निर्मित हुई थीं उन्हे पूर्ण करने के लिए ब्रिटिश शासित भारत मे कारीगर एव उद्योजको की नियति अलग रूप से निर्मित हुई या बनाई गई। प्रारम्भ में वस्त्र उद्योग के, धातु उद्योग के, चिनाई उद्योग के कारीगर स्थानान्तरित हुए एव बेघर बने, बाद मे बधन मे पड़े एव नष्ट हुए। इसके कारण सर्जक, शिल्पी इत्यादि केवल मजदूर बनकर ही रह गए। शेष सभी ससाधनो के तथा उपयोगिता के अभाव के कारण उद्योग क्षेत्र के औद्धत्य एव जगालियत का शिकार हो गए। खान एव धातु उद्योग या तो सीधे सीधे प्रबन्धन सम्बन्धी प्रतिबन्ध के कारण या भार कर वसूली के आर्थिक घर्षण के कारण या सरकार द्वारा खान एव जगलो को सरकारी सम्पत्ति मानकर अपने कब्जे मे ले लेने के कारण और ब्रिटिश तथा अन्य यूरोपीय माल की आयात निर्यात की सुविधा की सहायता सुलभ होने के कारण नष्ट हो गए। धुनाई से लेकर छपाई तक के सम्पूर्ण वस्त्र उद्योग की भी सन् १९१५ के अरसे मे यही दशा हुई। सन् १९२० के आसपास तो भारतीय उद्योग बिल्कुल टूट गया। सन् १९२१ मे महात्मा गांधी को यह स्थिति देखने को मिली थी।

देश के प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों में उद्योग की स्थिति सन् १८०० से ही दयनीय हो गई थी। ऐसी ही स्थिति अन्य केन्द्रों की भी होने लगी। खेती, व्यापार, वाणिज्य के हास के कारण उद्योगों को भी नुकसान होने लगा। गाँवों एवं कस्बों में कारीगरों का एक सम्मानजनक स्थान था। अधिकांश कारीगरों के अपने मकान थे। मकान के पिछले हिस्से में बाड़े थे, मान्यम जमीन थी एवं फसल तैयार होने पर पर्याप्त मात्रा में उसमें उन्हें हिस्सा भी प्राप्त होता था। इसी प्रकार व्यापार, वाणिज्य एवं शराफी करनेवाले लोगों से भी उन्हें अंश प्राप्त होता था। जैसे जैसे ब्रिटिशों की तानाशाही एवं सार्वत्रिक आर्थिक दुर्दशा के कारण यह केन्द्र टूटने या नष्ट होने लगे वैसे वैसे यह कारीगर समुदाय गरीब बनता गया। अधिकांश बेकार बन गए। उन पर कानून की विभिन्न धाराएँ लगाकर उनकी जमीन, मकान व मान्यम के अधिकार छीन लिए गए। सम्पूर्ण उन्नीसवीं एवं बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में यही चलता रहा और स्थानीय ढाँचे के अगभूत सभी कारीगर एवं उनके सदृश अन्य सभी अपने स्थान छोड़कर विस्थापित बनने के लिये बाध्य हो गये। भारत में सर्वत्र यही चलता रहा, क्योंकि उनका उद्देश्य सम्पूर्ण देश को पशुपालन के माध्यम से कच्चा माल तैयार करनेवाला क्षेत्र बनाना ही था। बढई, लुहार या कुम्हार का भी खेती के लिए उपयोगी औजार तैयार करने भर का उपयोग था।

सन् १८८० के लगभग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष कोलकाता एवं मुम्बई में, नया औद्योगिक ढाँचा तैयार होने लगा। इसके पीछे अनेकों कारण थे, परन्तु, अंग्रेजों की मशा स्वयं द्वारा प्राप्त की गई नई संपत्ति के किसी प्रकार से निवेश की थी। इस नए औद्योगिक ढाँचे के लिए बहुत बड़े पैमाने पर सस्ते दर की मजदूरी की आवश्यकता थी। भारत में ऐसी सस्ती एवं प्रभूत मात्रा में मजदूरी को ही प्रोत्साहित किया गया। यह कहना बिल्कुल सच होगा कि ये सभी सस्ते मजदूर पहले के प्रतिष्ठापित कारीगर ही थे। खान एवं धातु उद्योग के कारीगर, लोहे, इस्पात एवं अन्य धातु के उद्योगों में काम करनेवाले कारीगर, पत्थरकाम, शिल्प, स्थापत्य के क्षेत्र के कारीगर, रंगरेज, राजगीर, तालाब खोदनेवाले, लोक निर्माण विभाग के तथा ठेकेदारों के मजदूर बन गये। इन सभी को सीधे सीधे मजदूर के रूप में या बहुत हुआ तो मुकादम के रूप में ही रखा जाता था।

इस प्रकार भारतीय उद्योग का मुख्य कारीगर वर्ग ऐसे व्यवसायों एवं जातियों से बना हुआ था। ये जातियाँ ऐतिहासिक परम्परा से ये सब काम करती रही थीं। आज भी यही लोग ये सभी काम कर रहे हैं। स्पष्ट है कि यह पूरा कारीगर वर्ग, जो पीढ़ियों से इन सभी प्रकार की कारीगरी के कार्यों में विशाल अनुभव के कारण अत्यन्त कुशल है, वह यदि नष्ट हो जाता है तो आज के आधुनिक इंजिनियर, मैनेजर, उद्योजक उद्योगों को

सुचारू रूप से चलाने में नाकाम सिद्ध होंगे। भारत के आधुनिक उद्योगक्षेत्र में इन सबका स्थान उसी प्रकार का है जैसे प्रबन्धन एवं अन्य सेवाओं में अधिकारी वर्ग का। दोनों में केवल उनका पद ही उन्हें प्रभावशाली बनाता है, ज्ञान या कुशलता नहीं। काम करने योग्य ढाँचे या सस्थाएँ बनाने के लिए इन सभी के पास कोई कार्यकुशलता नहीं है यह तो सार्वत्रिक अनुभव से हमें ज्ञात है।

भारतीय उद्योगों के जानकार पारम्परिक कारीगर तो आज भी विपुल मात्रा में औद्योगिक ढाँचे के बाहर रहकर व्यक्तिगत रूप से अपनी पद्धति से ही कार्यरत हैं। वर्तमान परिभाषा के आधार पर उनमें से अधिकांश लोग 'पिछड़ी जाति' एवं अन्य 'पिछड़ी जाति' - बी सी एवं ओ बी सी - वर्ग के लोग माने जाते हैं। उनका व्यवसाय एवं उनकी जाति भारत के राजनैतिक एवं व्यवस्थातन्त्र के ढाँचे में अपने लिए स्थान की अपेक्षा रखते हैं तो यह स्वाभाविक है। १९ वीं शताब्दी के मध्यकाल से इस ढाँचे में ब्राह्मण, कायस्थ एवं ऐसी ही अन्य जातियाँ प्रमुख स्थान पर हैं एवं बी सी एवं ओ बी सी गौण बन गई हैं। परन्तु इन सभी जातियों को सार्वजनिक ढाँचे में स्थान मिलना ही चाहिए यह तो आवश्यक है ही, साथ ही यह वर्ग यदि भारत के औद्योगिक ढाँचे में मेरुदण्ड के समान बनता है तो हमें बहुत लाभ होगा। उद्योगों की समग्र प्रक्रियाओं का उन्हें उत्तम ज्ञान है, उनके पास परम्परा है, परम्परा के कारण ही अभ्यास है, कुशलता है, परिश्रम है, लगन है, एवं समझ है। वर्तमान औद्योगिक ढाँचे में जो मुकादम और प्रबन्धक के रूप में कार्यरत हैं उनके पास ऐसा ज्ञान या कुशलता नहीं है, क्योंकि वे उस परम्परा से सम्बन्धित नहीं हैं। वे भारत की जनसंख्या का दो प्रतिशत भाग भी नहीं हैं। आज भी हम यदि इस मूल भारतीय कारीगर वर्ग को जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वे आज भी व्यक्तिगत या जातिगत रूप से उतना ही ज्ञान, उतनी ही समझ, उतनी ही कुशलता एवं वैसी ही दृष्टि के स्वामी हैं। उन्हें अपनी कुशलता पर विश्वास भी है। मद्रास के आसपासके पत्थरकटे को यह विश्वास है कि उन्हें मौका दिया जाय तो वे तजावुर के बृहदेश्वर मन्दिर के समान या तिरुअनन्तपुरम् के सूचीन्द्रम् के समान भव्य मन्दिर का निर्माण कर सकते हैं। एक सुनार को भी विश्वास है कि वह कम्प्यूटर बना सकता है। ऐसा ही हर बात के लिए माना जा सकता है।

ब्रिटिशों से हमें जो विरासत के रूप में मिला है वह है राजनैतिक, सांस्कृतिक, रचनाकीय एवं आध्यात्मिक रूप से अस्तव्यस्त या बिखरा हुआ भारत ब्रिटिश शासन में जिस दारिद्र्य एवं अभाव का निर्माण हुआ उसके कारण भारतीय जन का भौतिक नुकसान तो हुआ ही, उनकी व्यक्तिगत एवं सामाजिक शक्ति तो नष्ट हुई ही परन्तु उनकी

ज्ञान की पद्धतियाँ एव व्यावसायिक एव कारीगरी के क्षेत्र की कुशलता भी नष्ट हो गई। सत्ता के हस्तान्तरण के रूप में भारत को ब्रिटिशों ने जिन भारतीयों के हाथों में सौंपा वे पूर्णतः पश्चिमी मानसिकता वाले थे एव राजनैतिक तथा व्यवस्थाकीय रूप से पश्चिम के रंग में रंगे हुए थे। ये प्रजा के एक बहुत ही छोटे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। महात्मा गांधी की प्रेरणा एव स्वतन्त्रता आन्दोलन का उत्साहप्रेरक वातावरण होने पर भी भारत एक उजड़ा हुआ वीरान प्रदेश बन गया था एव भारतीय प्रतिभा एव बुद्धि का उसमें कोई स्थान नहीं था। आज ऐसा लगता है कि ब्रिटिशों की पकड़ थोड़ी ढीली हुई है फिर भी भारतीय प्रतिभा का उपयोग करने में कोई अन्तर आया है ऐसा नहीं लगता है।

यह स्थिति बहुत समय तक सही नहीं जा सकती। मूल स्रोतों की कमी, प्रत्येक क्षेत्र में कभी पानी, कभी उपजाऊ जमीन का अभाव, बेरोजगारों एव अल्प रोजगारीवालों की बढ़ती हुई संख्या, सामाजिक जीवनकी अनवस्था, अव्यवस्था एव अनारोग्यकर स्थिति—यह सब उस स्तर पर पहुँच चुका है कि अब तत्काल दिशा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमारे लोगों की प्रतिभा, कुशलता, मौलिकता, सूझबूझ इन सभी के आधार पर एक नई रचना बनाने की आवश्यकता है। भारतीय समाज को जीवित रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। पारम्परिक व्यवसाय करनेवाली जातियों को इस बदली हुई दिशा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा यह कहने की आवश्यकता नहीं है।

आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हमने आधुनिक उद्योगों का जो मायाजाल बनाया है उसे तो सहना ही पड़ेगा, परन्तु भारत की आज की आवश्यकताओं में इन उद्योगों का स्थान गौण है। यही बात वर्तमान विज्ञान एव टेक्नोलोजी की सस्थाओं के भी विषय में सही है। इन सस्थाओं का निर्माण पुराने ब्रिटिश मॉडल के आधार पर हुआ है। कुछ मॉडल तो गत शताब्दी के हैं, कुछ ५० साल पुराने हैं। ये सभी सस्थाएँ आज के औद्योगिक ढाँचे को तान्त्रिक, व्यवस्थाकीय एव अनुसन्धानात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए ही बनी हैं। यदि अब तक उपेक्षित भारतीय औद्योगिक प्रतिभा को पुनः प्रतिष्ठित किया जाए तो उद्योगों को नवजीवन प्राप्त होगा, इसका आधार विशाल बनेगा एव उत्पादन दस गुना हो जाएगा।

मूल भारतीय प्रतिभा का महत्तम उपयोग करना है तो हमें एक नए औद्योगिक ढाँचे की आवश्यकता होगी। उत्पादन की पद्धतियाँ एव हमारा अभिगम हमें पूर्णरूप से बदलना पड़ेगा। नए ढाँचे के लिए उपयोगी सिद्ध होनेवाले अनुसन्धान एव विकास के ढाँचे की रचना करनी होगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि पश्चिम के मॉडल के आधार पर रचित आधुनिक औद्योगिक ढाँचे को हम तत्काल छोड़ दें। हम उसका पूर्णरूप से

सैद्धान्तिक निषेध कर दे, ऐसा भी नहीं करना है। वह तो यथाकाल होगा ही, परन्तु वह समय अभी दूर है, क्यो कि सिद्धान्त के आधार पर पश्चिम के ढाँचे का विरोध करने के लिए हमें मनुष्य, समाज, राज्य और उसे बनाये रखनेवाली सस्थाओं के आपसी सम्बन्धों के विषय में गहराई से एव मूल रूप से अध्ययन करना होगा। वर्तमान पाश्चात्य औद्योगिक ढाँचे का अभी तो केवल प्रयोजन बदलने की आवश्यकता है। उसका उपयोग मूल आवश्यकताओं एव उपयोगी वस्तुओं, ऊर्जा एव विदेशियों का प्रतिरोध करने के लिए सुरक्षा के साधनों का निर्माण करने में होना चाहिए। दैनिक उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन तो भारतीय कारीगरों की देखरेख में चलनेवाले भारतीय उद्योगों को ही सौंप देना चाहिए। ऐसे उद्योगों में यन्त्र एव अन्य सामग्री भी भारतीय कारीगरों के द्वारा निर्मित होनी चाहिए। देखा जाए तो कई वर्षों से दैनिक उपयोग की वस्तुएँ कुटीर उद्योग एव लघुउद्योगों के द्वारा निर्मित होनी चाहिए इस विषय पर चर्चा चल रही है। इस चर्चा को मूर्त स्वरूप नहीं मिल पाया इसके लिए हमारा प्रयास एव दुर्बल इच्छाशक्ति ही कारण है। यह दुर्गुण सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। पुन प्रस्थापित होनेवाले या हो रहे भारतीय औद्योगिक टेक्नोलोजी के ज्ञान एव व्यवस्थाकीय पद्धतियों का निर्माण करने के लिए किसी भी प्रकार का ठोस विचारविमर्श नहीं किया गया। हम तो अठारहवीं शताब्दी की पद्धतियों एव प्रयुक्तियों को उलट पलट कर पाश्चात्य प्रकार का औद्योगीकरण किस प्रकार किया जाए इसकी बहस ही करते रह गए। 'उपयुक्त तन्त्रज्ञान' - पाश्चात्य सोच से उपाार्जित इस अतिपाश्चात्य सकल्पना ने तो हमारी उलझन और भी बढ़ा दी है। वास्तव में देखा जाए तो 'उपयुक्त तन्त्रज्ञान' की सकल्पना के जनक इ एफ शूमाकर को इस पाश्चात्य ढाँचे में भारत के देशीय तन्त्रज्ञान का कोई स्थान हो सकता है ऐसा नहीं लगा। उनके अनुसार तो यह तन्त्रज्ञान मृत अतीत की मृत वस्तु थी।

पश्चिम को एव पश्चिम के मानवों को गत १५०-२०० सालों में ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि उनके अतिरिक्त कोई अन्य सभ्यता भी अपने आप अपना जीवन जी सकती है। यदि ऐसी कोई सम्भावना दृश्यमान होती है तो पश्चिम उसकी जड़ें उखाड़कर फेंक देने का प्रयास करता है। अभी कुछ समय से वह चुनाव का अवसर देने लगा है। उसके पास विनाश की एक से अधिक पद्धतियाँ हैं। वह एक राजनैतिक ढाँचा या शिक्षण पद्धतियाँ या तन्त्रज्ञान की पद्धति एव साधन हमें प्रदान करता है। हमें यदि एक पद्धति पसन्द नहीं आती है तो हम दूसरी पद्धति को अपना सकते हैं। पश्चिम के लिए तो आप कुछ भी चुने, सब समान ही है। परन्तु हमें वह उस से मुक्त हो कर अपने साधन एव पद्धतियों का उपयोग करने की छूट नहीं देता। जो कुछ भी चुना जाए, हमारा विनाश तो

निश्चित ही है।

प्राचीन ग्रीस के जमाने से आज तक यूरोप की जलवायु एव भूमि को देखते हुए लगता है कि उसे अपना जीवन बनाए रखने के लिए व्यापार की अनिवार्यरूप से आवश्यकता है। पिछले कई सौ वर्षों के दौरान शिक्षणतन्त्र ने एव बर्बर शारीरिक तथा औद्योगिक शक्ति ने उसे जैसे सनातन सत्य का स्वरूप दे दिया है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी राजनैतिक अपरिपक्वता के कारण ऐसे आंतरराष्ट्रीय व्यापार एव आयातनिकास के षडयन्त्र में हम फस गए हैं। इससे भी अधिक अन्तर्विरोधी बात तो यह है कि जहाँ जहाँ हमारी बात कोई सुनता है ऐसा लगता है वहाँ वहाँ हम इस वृत्ति प्रवृत्ति का प्रचार भी करते हैं।

एक बार हम अपने औद्योगिक ढाँचे की दिशा परिवर्तित करने का निर्णय करे एव उसमें अप्रतिहत वृद्धि भी करना चाहे तो हमें कुछ काम विशेष रूप से करने पड़ेंगे। (१) कुशल एव माहिर कारीगरों की खोज करना। (२) भारतीय उद्योगों के लिए विभिन्न क्षेत्रों से कितनी सख्या में कारीगर मिल पाएँगे, इसका अनुमान लगाना। (३) उनमें कितने लोग विविध प्रकार से पाश्चात्य टेक्नोलोजी से भी परिचित हैं, इसकी जानकारी लेना (४) नए औद्योगिक ढाँचे के लिए 'अनुसन्धान एव विकास' प्रारम्भ करने की पद्धति खोज निकालना एव यह सब बड़े पैमाने पर करने के लिए तन्त्रयुक्त एव सस्थाकीय रचना की योजना बनाकर उस पर अमल करना।

हमें समझ में आया कि ऐसा सम्पूर्ण देशी ढाँचा बनाने में हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जिन्हें देशी के साथ साथ पाश्चात्य टेक्नोलोजी का भी ज्ञान है। ऐसे कई लोग हमें मिल जाएँगे, जिनकी सहायता से हमें तीव्र गति से नई विज्ञान एव टेक्नोलोजी की सस्थाओं का निर्माण करना होगा और उनका दर्जा वर्तमान आई आई टी के समान ही रखना होगा। अन्य देशों की ऐसी उच्च सस्थाओं जैसे कि अमेरीका की एम आई टी की बराबरी कर सके इस प्रकार का शिक्षण एव शोधकार्य उसमें होना चाहिए। उसमें प्रवेशप्राप्ति के मापदण्ड एव नियम भी वैसे ही प्रतिष्ठित होने चाहिए।

हाल में हुए शोध के अनुसार १७५० के करीब विश्व के कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग ७३ प्रतिशत उत्पादन भारत एव चीन का मिलाकर होता था। हम यदि उचित ढाँचा निर्मित करते हैं एव लोगों को एक मौका देते हैं तो आज भी भारत एव चीन अपनी सन् १७५० की स्थिति बहुत ही अल्प समय में प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

* १९९०-९१ में प्रथम लिखा गया, अभी तक अप्रकाशित, १९९९ में कुछ विस्तार से लिखा गया लेख

१८. प्रवाह को मार्ग दें

मित्रो, मैं इन सभी बैठको में उपस्थित रहा हूँ। मैं ने इनमें बहुत कुछ सीखा है। परन्तु मुझ पर जिसका गहरा प्रभाव हुआ है। उसी विषय पर मैं आप से बात करूँगा। कुछ समय पूर्व मैंने सुना कि अब्दुल समद साहब के एक सभा को सम्बोधित करने के बाद श्रोताओं में दो व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे थे। उनमें एक हिन्दू था एवं एक मुस्लिम। हिन्दू ने मुस्लिम से पूछा, 'अयोध्या में हुए विध्वंस से आपको गहरा सदमा पहुँचा होगा।' मुस्लिम ने कहा, 'हाँ, परन्तु अल्लाह जो चाहते हैं, वही होता है। फिर इसी कारण से हम और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं। नहीं तो हमें बात करने का मौका ही नहीं मिलता है।'

यह कैसा समाज है ? वर्तमान समय के एक बहुत बड़े पत्रकार श्री गिरिलाल जैन ने एक लेख में लिखा है कि वे स्वयं बहुत कम आधुनिक मुस्लिमों को जानते हैं। पिछले पचास वर्षों में गिरिलाल जैन लाखों व्यक्तियों से मिले होंगे। फिर भी आधुनिक मुस्लिमों की संख्या बहुत ही कम है। आधुनिक ही क्यों, वे रुढ़िवादी मुस्लिमों से भी नहीं मिले होंगे। क्योंकि यह तो बहुत ही कठिन बात है।

मुझे लगता है कि गिरिलाल जैन की यह निर्दम्भ स्वीकारोक्ति है।

परन्तु हममें से भी लगभग कोई मुस्लिमों को नहीं जानता है। मुसलमान तो क्या अन्य किसी हिन्दू को भी नहीं जानते हैं। यहाँ चेन्नई में हमारा एक अध्ययन समूह है। इस समूह में विज्ञान, समाजशास्त्र, इत्यादि क्षेत्र के कई तेजस्वी लोग हैं। भारत के ८ से १० स्थानों पर उनके मित्र एवं साथी कार्यकर्ता हैं, परन्तु विभिन्न प्रकार के लोगों को जानने के विषय में वे भी बहुत सीमित हैं। उनके सम्पर्क भी अधिकांश रूप में ब्राह्मणों के साथ ही हैं। उनका किसानों, कारीगरों या ऐसे अन्य लोगों के साथ कोई सम्पर्क नहीं है। इसी प्रकार मुसलमानों के साथ भी सम्पर्क नहीं है। उन सबका व्यक्तिगत रूप से कोई मुसलमान मित्र हो सकता है, परन्तु इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। यह बात हम सभी को समानरूप से लागू है।

मैं आपके सामने मेरी स्मृति में बसी एक घटना को प्रस्तुत करूँगा। उत्तरप्रदेश में

अतिरजन खेडा नामक एक स्थान है। यह एक प्राचीन स्थान है। यहाँ लगभग ईसा पूर्व १५०० वर्ष के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुछ वर्ष पूर्व मैं इस स्थान पर गया था। प्रथम मैं कलेक्टर एव अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ गया था, फिर अकेला भी गया था। यह स्थान लगभग एक मील लम्बी एव आधा मील चौड़ी एक पहाड़ी है। एक चौकीदार अकेला उसकी चौकी करता है। मुझे देखकर यह चौकादार पुरानी बातें बताता है। वह किसी पौराणिक युग के राजा की बात बताता है। वह ऐसे समय की बात करता है जब देश में किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। बातें करते करते वह बोला, 'परन्तु मैं अकेला ही हूँ न।' मैंने उससे पूछा कि अकेला कैसे ? तब उसने बताया कि 'मैं ईसाई हूँ। इस गाँव में ईसाई का एक ही घर है।'

मुझे लगा, ऐसा क्यों ? यह व्यक्ति पौराणिक विषयों का जानकार है। फिर भी इसे इस गाँव में अकेले होने का अहसास होता है। स्थानीय लोग उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं है। परन्तु उसे अपनापन नहीं लगता है। लोगो ने उसे स्वीकार करके अपने में से एक नहीं माना है। मुझे लगता है कि यह स्थिति सार्वत्रिक है। अलग अलग रूप से हमारा सकोच होता जा रहा है। हम टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। हम इस प्रकार के समाज में रहते हैं, और इस प्रकार के समाज में ही अयोध्या जैसे प्रश्नों का उद्भव भी होता है।

समाज के टुकड़े होने की स्थिति का निर्माण आज ही हुआ है ऐसा नहीं है। यह स्थिति बहुत समय से चली आ रही है। यह वर्तमान की, या सन् १९४७ के बाद की, या १७५० के बाद की स्थिति भी नहीं है। उससे भी पुरानी है। इस स्थिति का निर्माण मुस्लिम शासन के समयकाल का भी नहीं है। कदाचित्त यह हिन्दुस्तान के हिन्दू समाज की स्वभावगत समस्या है, हिन्दू विचार, हिन्दू पद्धति, हिन्दू सस्थाओं से उद्भूत समस्या है। अथवा कदाचित्त अन्य सस्कृतियों के आक्रमण से बचने के लिए हिन्दुओं द्वारा अपनाई गई एक रीति है। कुछ भी हो, परन्तु मैं इस स्थिति को समझ पाने में असमर्थ हूँ।

मैं एक अन्य घटना का उल्लेख करता हूँ। लगभग १९६० के आसपास मैं कुछ लोगों से मिला था। उनसे मिलकर मैं भारत से परिचित हुआ। वह भारत मेरा, हमारा या यहाँ उपस्थित लोगों का भारत नहीं था। मैं उस समय ग्वालियर से दिल्ली जा रहा था। मैं सुबह दस बजे की गाड़ी से चढ़ा एव मुझे छ घंटों की यात्रा तीसरे दर्जे में करनी थी। गाड़ी में बहुत भीड़ थी, परन्तु किसी ने मुझे बैठने के लिये जगह दी। बैठने की जगह देने के लिए कोई नीचे बैठ गया था। वह दस बारह लोगों का समूह था। उसमें तीन चार

स्त्रियाँ थीं और शेष सभी पुरुष थे। मैंने उनसे पूछा, 'आप लोग कहाँ से आ रहे हैं ?' उन्होंने बताया कि 'हम लगभग तीन महिनो से यात्रा पर निकले हैं।' वे सभी रामेश्वरम् तक जाकर वापस आ रहे थे। हम बातचीत करने लगे।

उनके पास छोटी बड़ी गठरियाँ थी। कुछ मिट्टी के घड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि 'इन घड़ो मे क्या है।' उन्होंने बताया कि उसमे उनका भोजन का सामान है। वे लोग लखनऊ के उत्तर मे स्थित अलग अलग गाँवो के निवासी थे। घी, आटा, गुड इत्यादि सामान वे अपने साथ लेकर निकले थे। अभी भी बचा हुआ सामान उनके साथ था।

महिलाएँ बैठक पर नहीं परन्तु नीचे बैठी थीं। आने जाने वाले लोगो की टोकरे भी उन्हे लगती थीं। परन्तु उससे उन्हे कोई परेशानी नहीं थी। परन्तु खाने के सामान के घड़े को यदि किसी का पैर छू भी जाए तो उन्हे आपत्ति थी। इसीलिए वे घड़े को सम्हाल रही थीं।

हम बाते कर रहे थे। मैंने पूछा कि सब एक ही जाति के होंगे। उन्होंने कहा, 'नहीं, हम एक ही जाति के नहीं हैं, अलग अलग जाति के हैं।' मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है ? उन्होंने कहा, 'यात्रा के समय जाति नहीं मानी जाती।' मुझे आश्चर्य हुआ। मैं यह नहीं जानता था। मैं ३८ साल का था। मैं एव मेरे जैसे अनेक लोग हमारे देश के लोगो के रीतिरिवाजो के विषय मे लगभग कुछ भी नहीं जानते थे।

मैंने पूछा, 'आप लोग मद्रास गए थे ? मुबई गए थे ?' उन्होंने कहा 'हाँ, हम इन नगरों से गुजरे थे।' 'आपने वहाँ क्या क्या देखा ?' उन्होंने कहा, 'कुछ भी देखने के लिये समय ही नहीं था।' मैंने आधुनिक भारत के कई महत्वपूर्ण स्थानो के नाम बताए। वे अधिकाश स्थानो से गुजरे थे, परन्तु कहीं भी रुके नहीं थे। मैंने पूछा, 'अब आप दिल्ली जाएँगे ?' उन्होंने कहा, 'हाँ' 'आप दिल्ली मे रुकेगे ?' 'नहीं नहीं, हमे तो केवल गाडी ही बदलनी है। हम तो हरिद्वार जा रहे हैं।' मैंने कहा, 'दिल्ली तो स्वतन्त्र भारत की राजधानी है। आप उसे नहीं देखेगे ?' उन्होंने कहा, 'नहीं, हमारे पास समय नहीं है। फिर कभी देख लेगे, अभी नहीं। अभी तो हमे हरिद्वार जाना है, फिर जल्दी ही घर वापस जाना है।'।

हमने लगभग पाँच छह घटे बात की। मैं मनमे सोच रहा था, 'इस भारत की चिन्ता कौन करेगा ? हम किस भारत की बात कर रहे हैं ? हम तो आधुनिक ज्ञानमन्दिरो जैसे विश्वविद्यालयो वाले आधुनिक भव्य भारत की ही चिन्ता करते हैं। हम ये आधुनिक ज्ञानमन्दिर किसके लिए बनाते हैं ? इन यात्रियो को उनकी कोई चिन्ता ही नहीं है। परन्तु ये यात्री ही तो भारत के प्रतिनिधि हैं। परन्तु जिस भारत के प्रतिनिधि

जवाहरलाल नेहरू थे उस भारत के प्रतिनिधि ये लोग नहीं हैं। हम लोग भी जवाहरलाल नेहरू जैसे ही हैं, इन यात्रियों जैसे नहीं।'

इसी कालखण्ड में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ भारत में आई थीं। उनकी भेट का वर्णन लन्दन के 'दि इकोनोमिस्ट (The Economist)' में प्रकाशित हुआ था। उसके अनुसार रानी एलिजाबेथ अपने साथ अपना खानसामा एव सीधा सामान इंग्लैंड से लेकर आई थीं। वे तो यूरोपीय बन चुके आधुनिक भारतीय स्थानों के ही दर्शन करना चाहती थीं।

मैंने सोचा, कितनी समानता है। भारत के लोगों एव रानी एलिजाबेथ का व्यवहार कितना समान है। वे यात्री सचमुच राजसी ठाठवाले थे। बात हिन्दू या मुसलमान की नहीं है, अपने देश की संस्कृति की है। इस विषय में भारत के हिन्दू, मुसलमान एव इसाई सभी समान हैं।

भारत के लोगों की दुनिया ही अलग है। हम जिसके विषय में बात कर रहे हैं वह भारत उनका भारत नहीं है। हम जिस हिन्दुत्व की बात करते हैं वह हिन्दुत्व भी उनका हिन्दुत्व नहीं है। उनका हिन्दुत्व एव हमारा हिन्दुत्व एकदम भिन्न है। इसी प्रकार जिस इस्लाम की हम, श्री शाहबुद्दीन या जामा मस्जिद के शाही इमाम बात करते हैं वह भारत के लोगों का इस्लाम नहीं है। हम अर्थात् भारत के विद्वान एव भारत के लोगों की दुनिया अलग अलग हैं।

ये शाही इमाम कौन हैं ? हम उन्हें केवल इमाम कहने के स्थान पर शाही इमाम क्यों कहते हैं ? कदाचित हम गत कई शताब्दियों के दौरान शाही रीतियों, शाही पद्धतियों एव शाही मिजाज के साथ जुड़ गये हैं। परन्तु जनसामान्य की शाही अर्थात् राजसी पद्धतियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा सम्बन्ध विदेशीयत के साथ अधिक है। इसलिये हम सल्तनत, लोदी, मुघल आदि के विषय में बात करते हैं। परन्तु वे लोग किस प्रकार के राजा या शासक थे ? उनकी जड़े तो हमेशा अस्थिर ही थीं। और फिर वे कभी भी समग्र भारत के शासक नहीं थे। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एव भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम शासकों के राज्य के विस्तार के विषय में बहुत ही अतिशयोक्ति की है। ऐसी बातों के जनक तो यद्यपि इतिहासकार ही हैं परन्तु इतिहासकारों की कोई गणना नहीं करता तो चलता है, संघ एव बी जे पी की गणना करनी ही पड़ती है।

भारत में मुस्लिम शासन कैसा था ? उसके आयाम कौन से थे ? मुस्लिम शासन कभी भी आधे भारत से अधिक क्षेत्र में नहीं था। और फिर उसकी समयावधि

कितनी थी ? लगभग सन् १२०० से १७०० तक। निश्चित रूप से कहा जाय तो सन् १६९० तक, क्योंकि औरंगजेब के शासन का अन्त सन् १६९० में हुआ। ब्रिटिश लोग यह भ्रान्ति प्रचारित एवं प्रसारित करते रहे कि सन् १८५७ तक दिल्ली में मुस्लिम शासन था। परन्तु ब्रिटिशों ने आर्कोट के नवाब के विषय में भी ऐसा ही किया था। आर्कोट का नवाब तो ब्रिटिश छावनी का ताबेदार था। जब वह अग्रेजों से सन् १७४८ में जुड़ा तब तो वह केवल १६ वर्ष का था। वह सन् १७९० तक जीवित रहा। उसके बाद उसका पुत्र, अथवा अन्य कोई सम्बन्धी उसका अनुगामी बना। वह १७९९ तक रहा। सन् १७९९ में कानूनी तौर पर कर्नाटक ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत ले लिया गया तब आर्कोट का नवाब कर्नाटक का नवाब बन गया। परन्तु उसे निष्कासित कर दिया गया। ब्रिटिशों की यही पद्धति है। वे जो कुछ भी करते हैं उसे कानून के अनुसार सही होने का स्वरूप देते हैं। हम उसी में फँस गए। हमें यह स्वीकार करने में झटका लगने के स्थान पर आनन्द आता है। राममनोहर लोहिया कहते थे कि यदि जवाहरलाल नहेरू ने कहा होता कि वे स्वयं थानेदार के पुत्र हैं, बड़े अमीर उमरावों के नहीं, तो उनके स्वयं के लिए एवं देश के लिए वह लाभदायक होता। महान उमराव खानदान का होना, उसमें क्या विशेष है ? कुछ हजार मुस्लिम भी अरबों, तुर्कों, अफगानों एवं ईरानियों के सीधे वंशज हैं फिर भी उनकी मानसिकता भी जवाहरलाल नहेरू के समान ही है। इन मुस्लिमों ने नहेरू से प्रेरणा ली या नहेरू ने इन मुस्लिमों से यह तो शोध का विषय है।

हम एक सामान्य मनुष्य के वंशज हैं, ऐसा क्यों नहीं कह पाते हैं। या फिर श्रीराम, श्रीकृष्ण, या अन्य किसी महापुरुष के वंशज हैं ऐसा क्यों कहते हैं ? यदि ऐसा ही है तो हम सब एक ही पूर्वज के वंशज हैं ऐसा कहना चाहिए। इसके बदले हम समाज को टुकड़ों में बाँटते हैं। एक ओर कुछ लोग हैं, दूसरी ओर बहुत लोग हैं। यह समूची पद्धति ही क्षतियुक्त है। ऐसा करते हैं इसीलिए एक बहुत कम लोगों का समूह जो कहता है उसमें समाज के अधिकांश लोगों को कोई रुचि नहीं रहती। समाज में फिर कोई परिणाम दिखाई नहीं देता है।

गत ४५ वर्षों से भारत में क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं बदला है। मैं नहीं कहता कि ४५ वर्ष बिलकुल व्यर्थ ही हो गए हैं। देखा जाय तो कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, परन्तु हमने ४५ वर्ष व्यतीत करने के सिवाय और कुछ नहीं किया है।

जब मैं ऐसी बातें करता हूँ, तो लोग कहते हैं, 'परन्तु हम केन्द्रीकरण को छोड़ भी तो नहीं सकते। हमारे लिए केन्द्रीकरण बहुत ही मूल्यवान है।' हम इस प्रकार कहते हैं जैसे सारी दुनिया केन्द्रीकरण चाहती हो। इसलिए हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। परन्तु

दुनिया चाहती है इसलिए ही हमें ऐसा क्यों चाहना चाहिए ? यदि केन्द्रीकरण हमें रास नहीं आता है, हमारी क्षमताओं के साथ सगत नहीं है तो हमें उसे हृदय से चिपकाये रखने की क्या आवश्यकता है ? हम यदि पाकिस्तान या बांगलादेश के भय के विरुद्ध सुरक्षा हेतु केन्द्रीकरण अपनाते हैं तो वह बिलकुल ही नहीं अपनाना चाहिए।

हमें जिसकी आवश्यकता है, वह हमें सुचारु रूप से प्राप्त हो उस प्रकार की व्यवस्था चाहिए। परन्तु इसके लिए हमारी आवश्यकता क्या है, इसका हमें पता होना चाहिए। इस विषय में तो हम शरणागत जैसी भूमिका अपनाते हैं। हमारी चिन्ता और किसी के अधीन कर देते हैं। बीस वर्ष तक हम रशिया की छत्रछाया में रहे। परन्तु हम यदि यही चाहते थे तो हमें स्पष्ट रूप से कहना भी चाहिए। ऐसा करने पर ही इसे सब लोग जान पाएँगे, और तभी हम शायद सम्मानपूर्वक इस स्थिति से मुक्त भी हो पाएँगे।

ऐसी स्थिति में राष्ट्र टूटने लगता है। ऐसी स्थिति में भारत के सामान्य लोगो को नई या पुरानी परेशानियाँ रहती हैं। समय समय पर एक या दूसरे कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वे एकत्रित होते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले पाँच छ महिनो से आंध्रप्रदेश में शराब के विरोध में एक आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन महिलाओं ने किया है। इसमें हजारों महिलाओं ने भाग लिया है। शायद लाखों की संख्या में भी होगी। भारत की, या फिर आंध्रप्रदेश की महिलाएँ एक अनिष्ट के विरोध में आंदोलन करे यह बहुत बड़ी बात है। आज यदि वे एक विषय पर आंदोलन कर सकती हैं तो कल दूसरे विषय पर करेंगी। वे भारत के लिए, भारत के सम्मान के लिए भी अपना योगदान दे सकती हैं।

लोग अपनी कोई न कोई आंतरिक परेशानी आंदोलन के माध्यम से व्यक्त करते हैं। यह बहुत स्वाभाविक घटना है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं अयोध्या की इस घटना को देखता हूँ। हम अयोध्या को किनारे कर सकते हैं, बाबरी मस्जिद की भी उपेक्षा कर सकते हैं, हर समय सभी को कुछ करना ही चाहिए, ऐसा तो नहीं है। जैसे कि प्रतिवर्ष लगभग ५० लाख लोग वाराणसी जाते हैं। उनमें से अधिकांश लोग भगवान विश्वनाथ के दर्शन करते ही होंगे, परन्तु विश्वनाथ का दर्शन करते समय उन्हें वहाँ की मस्जिद का ख्याल नहीं आता होगा। जब तक कोई उनसे न कहे तब तक मस्जिद की ओर उनका ध्यान तक नहीं जाता है। क्योंकि उसके साथ उनका कोई संबंध नहीं है।

हाल में ही कोई कहता था कि तुलसीदासजी के रामचरितमानस में बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं है। परन्तु ऐसा उल्लेख क्यों होना चाहिए ? रामचरितमानस अपने समय का कोई दस्तावेज नहीं है। सोलहवीं शताब्दी में क्या क्या हुआ उसका वर्षवार व्यौरा देने के

लिए तुलसीदासजीने रामचरितमानस की रचना नहीं की है। वे तो कोई बहुत बड़ी कहना चाहते हैं। हमारे मन में उसका मूल्य कम या ज्यादा हो सकता है पर तुलसीदासजी के मन में दैनिक घटनाओं की अपेक्षा राम के चरित्र का मूल्य अधिक इसलिए बाबरी मस्जिद से उन्हें कोई लेना देना न हो यह स्वाभाविक ही है।

इसी प्रकार जो लोग काशी में विश्वनाथ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं मस्जिद से कोई लेना देना न हो यह स्वाभाविक ही है। परन्तु यदि उनका ध्यान उस आकर्षित किया जाए तो कुछ हलचल अवश्य होगी। यही बात होती है। समय समय उनका ध्यान आकर्षित किया जाता है। परन्तु ऐसा ४५ वर्षों में ही हुआ है ऐसा नहीं है फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अथवा विश्व हिन्दु परिषद अथवा भारतीय जनता पार्टी का ध्यान आकर्षित किया हो, ऐसा भी नहीं है। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में सन्यासी हैं। वे देश में भ्रमण करते हैं। हमारे देश में क्या क्या हुआ एव क्या हो रहा है इसकी बातें वे त से कहते हैं। लोग सुनते हैं। अधिकांश भूल जाते हैं, परन्तु उसमें से कभी कोई महत्त्वपूर्ण बन जाता है, अभिनिवेश का मुद्दा बन जाता है।

हम अनुभव करते हैं कि अपमानास्पद तो बहुत कुछ है। हम उसे छिपाने प्रयास करते हैं। परन्तु कभी सीमा आ ही जाती है। जब जब ऐसा होता है तब तब अकेले हो जाते हैं। सर्व सामान्य जीवन से अलग होकर अधिक से अधिक सिधु जाते हैं। व्यक्ति एव समाज दोनों के विषय में ऐसा ही होता है। हमारे समाज के बहुत समय से ऐसा ही होता आ रहा है। पिछले डेढ़सौ वर्षों में तो इसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है। विशेष रूप से उत्तर भारत में तीनसौ चारसौ वर्षों से अपमान सहते सहते सिकुड़ते जा रहे हैं। दक्षिण में ऐसा कम ही हुआ है। परन्तु न भी हुआ हो तो भी उत्तर में होता है उसका प्रतिसाद दक्षिण में उठे बिना कैसे रह सकता है।

जब ऐसे अपमान का भाव पबल हो जाए एव उस अपमान का निमित्त कोई ढोंचा, कोई एक भूतकाल का अवशेष है ऐसा लगे तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकता सन् १९४७ में हम स्वतन्त्र हुए हैं उसकी परीक्षा क्या है ? मैं एक कारीगर, ग्रामवाच्य या अन्य कोई हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं स्वतन्त्र हूँ ? कहां स्वतन्त्रता ? क्या मेरी बात हो रही है ? मेरी बात सुनी जाती है ? क्या कलेक्टर साथ समानता का व्यवहार करता है ? क्या आयोजन पंच का सदस्य मेरे साथ समाज के स्तर पर बात करता है ? मैं केवल आज के ही आयोजन पंच के सदस्य की बात रहा हूँ। वे सब तो सीधे स्वतन्त्रता आंदोलन में से ही पैदा हुए थे जिसमें सामान्य लोका का बहुत योगदान था। वे भी सामान्य लोगों के साथ समानता से बात नहीं करते थे

भी सामान्य लोगों के प्रति तिरस्कार का भाव रख कर बात करते थे।

फिर सर्व सामान्य व्यक्ति क्या करे ? उसे एक स्वतन्त्र देश में रहने की अनुमति कैसे हो ? उसका कुछ तो मापदण्ड होगा ही। फिर लोग रोटी, कपड़ा एवं मकान की आवश्यकताएँ पूरी नहीं की जाती हैं ऐसा कहेंगे। यह सब सही हो या न हो परन्तु किसी न किसी रूप में उनकी सवेदनाएँ, अपना बोध व्यक्त करने के लिए मार्ग ढूँढ ही लेगी।

भारतीय किसान के बारे में सन् १७७० में लिखी हुई टिप्पणी है। उस समय के कोलकाता उच्च न्यायालय के एक ला मेइस्त्रे नामक न्यायाधीश द्वारा लिखी हुई वह टिप्पणी है। एक भारतीय किसान, उस पर लम्बे अरसे से क्या बीती है उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार करता है उस विषय पर टिप्पणी है। शुरुआत में उसका किराया कम था, वह बढ़ने लगा एवं बढ़ते बढ़ते दस गुना हो गया। इसी प्रकार वह अन्य दुर्भाग्यपूर्ण बातों के बारे में भी बताता है। परन्तु अंत में कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इन सारे दुःखों का अंत हो जाएगा।

अर्थात् हमारे देश के लोग ऐसे हैं। ये लोग ऐसे दिन की प्रतीक्षा में होते हैं जब ये विदेशी ढाँचे नष्ट हो जाएँगे। उनका ध्यान अयोध्या की ओर या वाराणसी की ओर या उन ३००० मस्जिदों की ओर आकर्षित किया जाता है जो मेरे मित्र सीताराम गोयल के कथनानुसार मदिरो को तोड़कर बनाई गई है। एक समय ऐसा आता है जब लोग कहते हैं, 'हमें इस विषय में कुछ करना चाहिए।' यों तो भारत के लोग बहुत ढीले हैं, बहुत आलसी हैं, फिर भी हलचल पैदा होती है एवं लोग कुछ करने के लिए तैयार होते हैं।

इसलिए एक बार वे ऐसे स्थान पर जाते हैं। खास कुछ होता नहीं है। केवल धार्मिक उत्सव होता है। धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। वे दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, एवं वर्षों वर्ष जाते हैं। परन्तु खास कुछ नहीं होता है। लोग कहने लगते हैं कि ये जो लोग हमें यहाँ भेजते हैं वे हमारे साथ खेल खेलते हैं। उन्हें कुछ करना नहीं है। सन् १९७७-७८ में भी लोग ऐसा ही कहते थे। उस समय दिल्ली में जनता पार्टी की सरकार बनी तब लोग बहुत खुश हुए थे, परन्तु एक वर्ष बीतने से पहले ही वे कहने लगे थे कि इंदिरा गांधी वापस आ जाएँ तो अच्छा। और डेढ़ वर्ष में इन्दिरा गांधी वापस आ भी गई थीं।

हो सकता है कि ६ दिसम्बर १९९२ के दिन भारत के प्रधानमंत्री ने या भारतीय पुलिस दल ने या भारतीय सेनाने या भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दु परिषद एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने या बजरंग दल ने या शिवसेना ने या सभी ने या कुछ लोगों ने मिलकर यह षडयंत्र रचा हो। परन्तु यह वास्तविकता है कि इनमें से कोई भी एक सगठन अकेले दम पर यह नहीं कर सकता है। ऐसा करने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। क्योंकि

विश्व हिन्दु परिषद और भारतीय जनता पार्टी तो अयोध्या का मसला नहीं चाहते थे, वे तो उसे ऐसे ही चालू रखना चाहते थे। उन्हे तो सालो सा भव्य तमाशा करना ही था। क्योंकि हम ऐसे तमाशो के आधार पर ही जीते हैं। ४५ सालो से धमकी दे रहा है। हम उस पर ही अपना गुजारा कर रहे एक सकट से दूसरे सकट मे ही जाते रहते है और उस मुद्दे को दोहराते रहते है भारत के लोगो के लिए सचमुच कुछ करने से बचा जा सके।

अतः ऐसे ही चलता रहता। मुझे विश्वास है कि भारतीय इस मुद्दे को कुछ वर्षो तक इसी प्रकार जीवित रखती। मैं यह नहीं कहता कि श्री अड़वाणी या ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति की यह व्यक्तिगत इच्छा होगी। पक्ष के रूप मे ऐसा इरादा हो सकता है। कांग्रेस भी वर्षो से एक या दूसरे मुद्दो तमाशा करती ही आई है। भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस, जनता दल या क्षी दलो से भिन्न नहीं है। सभी समान ही है। यहाँ तक कि स्वयं को नेता कहनेवाले देवीलाल भी ऐसा ही व्यवहार करते है।

परन्तु षडयंत्र के परिणाम स्वरूप हो या लोगो की के परिणाम स्वरूप परन्तु एक ढाँचा टूटा। लोगो ने उसे नष्ट कर दिया। टूट गया एव दूसरे दिन मैंने उसकी खबर सुनी तब मैंने चैन की सास ली। यहाँ लोगो को भी ऐसा ही लगा होगा। यहाँ बैठे कुछ लोग तो भारतीय जनता पार्टी स्वयंसेवक सघ से प्रभावित होंगे, असाप्रदायिक लोग भी होंगे। परन्तु उन्होने सास ली होगी। किसी बहुत बीमार व्यक्ति का लबी बीमारी के बाद निधन तब जिस प्रकार राहत का भाव उत्पन्न होता है उस राहत के भाव की बात हूँ। खेद, खुशी, एव क्रोध ये तीनों मनोभावो का अनुभव एक साथ होता है स्थिति की बात मैं कर रहा हूँ।

बाद में तो प्रत्येक को अपने अपने मोर्चे को सार्वजनिक कथितो मे दृष्टिकोण निश्चित करना था। फिर दगल भी हुए। भी हुई। पुलिस के अत्याचार भी हुए। हमारे पुलिस दल पर भी हद से ७ । इस लिए सहायता के लिए सेना को भी आना पडता है। हमारे पास पुलिस मात्रा मे नहीं है। ब्रिटन एव अमेरिका की अपेक्षा प्रति हजार पर हमारे सख्या बहुत कम है। इसलिए देश मे अलग अलग तीन सौ से चार सौ सेना की व्यवस्था करनी पडी। दगल, पुलिस कार्रवाई और पुलिस के लोग मारे गए। कुछ हजार लोग मृत्यु को प्राप्त हुए।

पु कल्पना कीजिए कि ढाँचा नहीं टूटा होता तो क्या होता ? तो देशभर में जो हताशा लहर फैल गई होती वह असहनीय हो जाती। उसके परिणाम स्वरूप जो स्थिति बन-उसे भी कोई नियंत्रित नहीं कर पाता। जवाहरलाल नेहरू या इन्दिरा गांधी जैसे अडिग कित्वाले लोग जीवित होते तो भी यह सभव नहीं था। जवाहरलाल नेहरू तो स १९४९ में जब अयोध्या में मूर्तियों की स्थापना की गई तब भी कुछ नहीं कर पाए थे। शायद कुछ करना ही नहीं चाहते थे क्योंकि वे लोगों का मूढ़ जानते थे।

राज्य नेता को तो लोगों का मूढ़ परख कर ही चलना पड़ता है। लोगों को जो स्वीकार्य। प्राप्त परिस्थिति में जो सम्भव है वही राजकीय नेता को करना पड़ता है। स्टालिन कोई तानाशाह शायद लोगों की इच्छा से अलग कुछ कर सके। परन्तु ऐसा भी नहीं है। क्यों कि स्टालिन ने जो कुछ किया वह भी ध्वस्त हो गया। फिर भी स्टालिन न्या एव रशियन लोगों के लिए कुछ न कुछ तो किया ही होगा। परन्तु हम इतना भी कर सकते क्योंकि हम स्टालिन नहीं हैं। हम यूरोपीय भी नहीं हैं। हम भारतीय हैं। इ हम आलसी हैं। हम थोड़ा सा भी कुछ करने के बाद आराम की इच्छा रखते हैं स्टालिन जैसा नहीं कर सकते। हम लोगों को रौंद नहीं सकते।

इसीलिहाता हूँ कि उस दिन बाबरी मस्जिद का ढाँचा टूटा यह भारत के लिए अच्छा था। परिणाम भले ही कुछ भी हो। यद्यपि उसके बाद इतने लोग मारे गए यह अच्छा हुआ। परन्तु भारत में इसी तरह लोग मारे जाते हैं। ऐसा खून खराबा केवल मुस्लिमों के बीच ही होता है, ऐसा भी नहीं है। इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रकारकाट चलती ही रहती है। ऐसी निरंतर मारकाट १९४७ के बाद से ही नहीं हो है। उन्नीसवीं शताब्दी में जो कत्लेआम हुआ वह तो और भयानक है। तरहवीं एव उन्नीसवीं शताब्दी में भूखमरी के कारण जो मृत्यु हुई उसकी तुलना के साथ ही नहीं सकती। आज हम जो अन्न, वस्त्र एव आवास की सम्पूज रहे हैं वह अठारहवीं एव उन्नीसवीं शताब्दी की तुलना में कुछ भी नहीं है

अयोध्या ने हमें अपनी समस्याओं के बारे में सोचने पर विवश कर दिया है। अयोध्या के बाद घटी हुई घटनाओं के बारे में बहुत बोला एव लिखा गया है। असंख्य उसकी चर्चा हुई है। अलग अलग भूमिकाएँ ली जाती रही हैं। पुरानी भूमिकाएँ अब आया है। इस प्रकार की तरह तरह की भूमिकाएँ ली जाती रहेगी एव चर्चाएँ। हम एक मुद्दे को छोड़कर दूसरा पकड़ लेंगे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात।

यद्यपि यह भी संभव है कि हम इसी मुद्दे पर लगे रहे। तब अयोध्या में मंदिर बन जाएगा और अड़वानीजी के प्रस्ताव के अनुसार सभी विवादों का अंत हो जाएगा। अड़वानीजी ने कहा है कि यदि मुस्लिम अयोध्या में मंदिर बनाने की बात पर सहमत हो जाते हैं तो सभी विवादों का अंत हो जाएगा। अड़वानीजी ने जब ऐसा कहा था तब मैं वहाँ उपस्थित था। उस समय ढाँचा नहीं टूटा था, इसलिए अड़वानीजी ने कहा कि मुस्लिम यदि मस्जिद दूसरी जगह ले जाएँ तो वे स्वयं पार्टियों को तथा साथी कार्यकर्ताओं को मथुरा एवं वाराणसी का मुद्दा छोड़ देने के लिए समझाएँगे।

अड़वानीजी का कथन सुनकर मुझे उस समय भी आश्चर्य हुआ था। राजकीय पक्ष के नेता के रूप में उन्हें ऐसा कहने की कभी कभी आवश्यकता पड़ भी सकती है, परन्तु जिस समय उन्होंने यह कहा था तब तो ऐसी कोई स्फोटक परिस्थिति का निर्माण नहीं हुआ था। उस समय दिल्ली में हिमाचल भवन में वे किन्हीं दो पुस्तकों का लोकार्पण कर रहे थे। वह कोई आपातकालीन स्थिति का समय नहीं था। फिर भी उन्होंने ऐसा कहा था। किसी ने ऐसा भी कहा था कि काशी, मथुरा एवं अयोध्या के तीन मंदिर बहुत हैं। और लोगो ने और प्रस्ताव रखे थे।

परन्तु ऐसे विषयों में कोई कैसे कुछ भी निर्णय कर सकता है ? कोई किस प्रकार कह सकता है कि अमुक मंदिरों का ध्वंस नहीं किया जाएगा ? हमारे देश में प्राचीन से लेकर वर्तमान समय के असंख्य चर्च एवं असंख्य मंदिर हैं। मंदिरों का तो कोई मालिक भी नहीं है। उन चर्चों एवं मंदिरों का विध्वंस नहीं होगा इसकी जिम्मेदारी कौन ले सकता है। ये मंदिर एवं गिरजाघर कोई सांस्कृतिक या शैक्षणिक गतिविधियों के केन्द्र भी नहीं हैं। फिर भी उनके विषय में कौन कुछ भी निश्चयात्मक रूप से कह या कर सकता है ?

कुछ दिन पूर्व मैं उत्तर प्रदेश की जनगणना के आकड़े देख रहा था। उत्तरप्रदेश में केवल डेढ़ लाख ईसाई हैं। उत्तरप्रदेश में ५८ से ६० जिले हैं। इसलिए जिलों के आधार पर औसतन तीन से चार हजार ईसाइयों की जनसंख्या मानी जा सकती है। परन्तु प्रत्येक जिले में चर्च एवं ईसाई शिक्षा संस्थाओं का अनुपात बहुत अधिक है। इन सभी चर्चों एवं शिक्षा संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करनेवाला लगभग कोई नहीं है।

यही बात अनेक स्थानों पर हिन्दू मंदिरों के सम्बन्ध में भी सही है। कई मंदिरों में तो कोई जाता भी नहीं होगा। ऐसे मंदिरों को हम क्यों सम्हाल कर रखते हैं। हम तो पाकिस्तान में भी हिन्दू मंदिर चाहिए ऐसा कहते हैं। क्यों ? किस लिए ? सिद्धों को छोड़कर वहाँ कोई हिन्दू नहीं है। जिस विषय में किसी को रुचि नहीं है ऐसी बातों को सम्हाल कर रखने में क्या स्वारस्य है ? विवेकपूर्ण ढंग से ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में सोचा

जा सकता है। कोई नीति की रचना हो ऐसा कोई कानून हमें निर्माण करने की आवश्यकता है। अतः हमें विवेकपूर्ण रूप से रहनेवाले रईस बनने की ही जरूरत है, जिससे हमारे आसपास के स्थानों एवं घटनाओं के साथ हमारा विवेकपूर्ण संबंध भी स्थापित हो।

हम इस प्रकार के एक केन्द्रित चित्र का निर्माण किस लिए करते हैं ? एक केन्द्रीकृत मुस्लिम एवं एक केन्द्रीकृत हिन्दू कौन है ? क्या उनके अन्य कोई सम्बन्धक्षेत्र ही नहीं है ? क्या हिन्दू की पहचान एक हिन्दू के अलावा और कुछ नहीं है ? वह हिन्दू होने के साथसाथ अन्य भी बहुत कुछ है। वह एक नागरिक है। वह एक जाति का अंग है, वह एक व्यवसायी है एवं व्यवसाय अर्थात् केवल विज्ञान, तन्त्रज्ञान, या अन्य विषयों का सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है। वह बढई (मिस्त्री), मोची, लुहार या अन्य बहुत कुछ हो सकता है। इसी प्रकार मुस्लिम भी एक मुस्लिम होने के साथ साथ बहुत कुछ है। हम लोगों को इस प्रकार सकुचित बाड़े में क्यों बाध देते हैं ? हम उनकी सीमित पहचान को ही क्यों आगे रखते हैं ?

मुझे लगता है कि हमारा समग्र दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। यदि अयोध्या इस परिवर्तन का प्रतीक है तो उसका स्वागत है। विश्व हिन्दु परिषद, या उनके विरोधी नेता, या समाचार पत्रों के संपादक को क्या चाहिए इस का कोई महत्त्व नहीं है। वे सब तो आनेवाले दस वर्षों के कालखण्ड में प्रभावहीन हो जाएंगे। वे सब तो ब्रिटिश राज्य के अवशेष हैं, बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जन्मे हुए लोग हैं। इस शताब्दी के अंत तक उनका भी अंत हो जाएगा। इसलिए उनका महत्त्व नहीं है। युवा पीढ़ी का, स्वतन्त्रताप्राप्ति के बाद जन्मी पीढ़ी का ही महत्त्व है।

आज हम दुनिया से कितना डरते हैं। किसलिए ? दुनिया तो हमेशा से ऐसी ही है। दुनिया हमेशा हिसापूर्ण होती है। हमेशा उसका अपना एक स्वार्थ होता है। उसे किसी की भी सेवा नहीं करनी होती है। हमें यूरोप के द्वारा दुनिया को सभ्य बनाने के मिशन का अनुभव है। यूरोप का एक मिशन था। इसलिए उसने दुनिया जीतकर उसका चेहरा बदलने का प्रयास किया। पर यह सब चलता ही रहेगा। पुनः पुनः इस प्रकार के प्रयास होंगे। कभी वे उसे पर्यावरण का नाम देंगे, कभी मानव अधिकार का, कभी और कुछ।

इस्लाम भी हमेशा युद्धरत ही रहा है। सातवीं शताब्दी में हजरत मुहम्मद पयगबर की मृत्यु के बाद तुरत ही इस्लाम ने दुनिया जीतने का आरंभ किया। ५० वर्षों में वह पश्चिम में स्पेन एवं पूर्व में सिंध तक पहुँच गया। परन्तु यह व्यापक विश्वविजय उसे

आधुनिकता के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई थी, या फिर टेक्नोलोजी की बड़ी बड़ी सस्थाओं में उत्पन्न आधुनिक टेक्नोलोजी के माध्यम से भी प्राप्त नहीं हुई थी, या फिर आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों के माध्यम से भी प्राप्त नहीं हुई थी। विजय तो केवल इच्छाशक्ति, सकल्प एवं उत्साह के बल पर ही प्राप्त हुई थी। ऐसा अभी भी हो सकता है, परन्तु जिन लोगों ने इस विजय को सपन्न किया उन्हें कोई बहुत बड़ा भौतिक लाभ हुआ ऐसा भी नहीं है। यूरोप ने भी जब विजययात्रा प्रारम्भ की तब जिन देशों को उसने जीता उनकी अपेक्षा विशेष कुछ भी यूरोप के पास अधिक नहीं था। यही स्थिति इस्लाम की भी थी।

आज विश्व में ऐसे लोग हैं जिनके पास यत्र एवं साधन विपुल मात्रा में हैं। उनके पास महँगी वस्तुएँ हैं, उनका जीवन स्तर बहुत ऊँचा है। परन्तु वह कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि हमारा उत्साह कैसा है। हम क्या चाहते हैं ? हम अपनापन चाहते हैं ? क्या भारतीय के रूप में हमारी कोई खास बात है ? यदि हममें एक भारतीय के रूप में कोई खास बात नहीं है तो हमें यह सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिसका अपना कुछ नहीं होता है एवं जो नेताओं के पीछे भेड़ बकरियों के समान ही दौड़ना चाहते हैं उनके लिए यह दुनिया नहीं है।

मुझे हमारे विषय में आश्चर्य होता है। भारतीय पहचान एवं भारतीय समझ को प्रस्थापित करने के प्रयासों के प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया है उसे देखकर। सामान्य लोग तो अज्ञानी होते हैं, वे एहसास एवं उत्तेजना के वश में जल्दी आ जाते हैं, परन्तु जब भारतीय अस्मिता पर आघात होने का प्रसंग आया तब महात्मा गांधी ने भी ऐसा ही प्रतिभाव दिया। (मुझे लगता है कि अभी दस या बीस वर्ष तक महात्मा गाँधी का नाम लेना हमें बदकर देना चाहिए) सन् १९२४ या २५ में गुलबर्गा में एक मंदिर का विध्वंस किया गया था। उसके बाद चार पाँच मास में ही गांधीजी का प्रतिभाव आया। दो वर्ष बाद वे गुलबर्गा गए। वहाँ उन्होंने इस घटना के सम्बन्ध में प्रवचन दिया। 'सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय' में डेढ़ पृष्ठ का यह प्रवचन दिया गया है। उसमें से एक परिच्छेद मैं आपके समक्ष पढ़कर सुनाता हूँ। 'मैं आपके समक्ष अपनी व्यथा पेश करना चाहता हूँ, परन्तु मुझे पता है कि वह एक प्रकार से 'अरण्यरुदन' होगा। इसलिए मैं रोज सुबह भगवान से प्रार्थना करता हूँ, 'भगवान हमें इस दावानल से बचाओ।' परन्तु एक आस्तिक एवं सत्याग्रही हिन्दू होकर यदि मैं अपने अन्दर के भावों को आपके समक्ष व्यक्त नहीं करूँ तो वह सही नहीं होगा। मैं मंदिर में गया तब मुझे हटाई गई मूर्ति एवं नष्ट किए गए नन्दी का स्थान दिखाया गया। मुझे यह देखकर बहुत दुःख हुआ। आप मुझे मूर्तिपूजक कह सकते

है। मैं सर्वत्र सभी में ईश्वर को देखता हूँ। परन्तु मंदिर तोड़ने की क्रिया को भगवान कभी योग्य नहीं मानेंगे। जब मैं यरवडा जेल में था तब मैंने मौलाना शिबली का 'लाइफ ऑफ ए प्रोफेट-पयगबर का जीवन' पढा। मैंने 'अस्व-ए- सहावा' भी पढा। इसके बाद ही मैं कहता हूँ कि यह कृत्य करनेवाले ने बहुत ही गलत किया है। इस्लाम कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता है। इन लोगो ने भगवान का तथा मनुष्य का अपराध किया है।'

महात्मा गांधी जैसे सयमी, मितभाषी व्यक्ति यदि इस प्रकार कहते हैं तो सामान्य आदमी को तो क्या लगता होगा यह समझ में आने वाली बात है। कोई यदि कहता है कि महात्मा गांधी तो दो वर्ष पूर्व ही घटी हुई घटना के विषय में कह रहे थे जबकि ये लोग तो पाच सौ वर्ष पूर्व घटित घटना के विषय में इतने उग्र बने हैं। परन्तु लोग यदि इस भाव का एहसास करते हैं तो दो वर्ष हो या पाच सौ कोई अन्तर नहीं पड़ता है। मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है। बात नई हो या पुरानी, हृदय को छू जाए तो वह स्वाभाविक ही लगती है। हमें मनुष्य को मनुष्य के रूप में ही अपनाना चाहिए। लोग देवता नहीं हैं, सन्यासी नहीं हैं, वे सामान्य गृहस्थ हैं। वे अतार्किक या तार्किक हो सकते हैं, क्रोधी या शांत हो सकते हैं, निष्क्रिय या सक्रिय हो सकते हैं। विविध प्रकार से उनकी उत्तेजना व्यक्त हो सकती है, एव उफान का शमन हो जाने पर वे शांत भी हो सकते हैं।

यदि राष्ट्रपति भवन, ससद भवन, आयोजनपत्र का भवन इत्यादि का ध्वस हो जाए तो हमारा प्रतिभाव कैसा होगा ? एक दिन यह भी होनेवाला है। और इसमें बहुत समय नहीं लगेगा। कदाचित् ५० वर्ष लगेगे। तुगलखाबाद का ध्वस हुआ है, अन्य कई स्थान भी नष्ट हुए ही हैं। उसी प्रकार ब्रिटिश ढाँचो का भी एक दिन ध्वस होगा।

समाज में यह सब होता ही है। और होना भी चाहिए। नहीं तो हमारी सस्थाओ, व्यवस्थाओ और हमारी सवेदनाओ का अगडखगड नष्ट ही नहीं होगा। वास्तविक रूप से तो इस प्रकार के कचरे को दूर करके सफाई करना भी एक बड़ा काम है। हम तो सैकडो वर्षों से कचरा इकट्ठा करते चले आ रहे हैं। इतिहास में अंतिम सफाई की प्रक्रिया महाभारत के युद्ध के समय में हुई थी। उस समय देवताओ ने ही सफाई का कार्यक्रम बनाया था।

जब तक ऐसी सफाई नहीं होगी, हमारा ठिकाना नहीं बैठेगा। हमारा जीवन तो जैसे चलता है वैसे ही चलता रहेगा, परन्तु हमारा बहाव रुक सा गया है। कदाचित् पाँच दस लाख परिवार अच्छा जीवन जीते होंगे। परन्तु यह तो इंग्लैंड, अमेरिका या यूरोप में जीने जैसा होगा। ऐसे लोगो के पास सत्ता होगी, अधिकार होंगे। भारत में लगभग पचास हजार अधिकारी हैं, शायद उससे दुगुने होंगे जो आसपास के लोगो को आदेश दे सकते

है। इस तरह देश तो चलता ही रहेगा।

परतु यदि इसी तरह चलने देना है, तो हमे कहना पड़ेगा कि देश के ८० करोड़ लोगो का कोई मूल्य ही नहीं है। उन सभी को नष्ट कर दो। जिस प्रकार यूरोप के लोग इन ८० करोड़ लोगो के नाश के लिए जिम्मेदार थे, उसी प्रकार हम भी हैं, यह कबूल कीजिए। यूरोपने तो प्रजा के कल्याण एव प्रजा के नाश की जिम्मेदारी ली थी। आज भी वह अन्य देशो मे इसी प्रकार करता है। यूरोप तो अपने यहाँ भी इसी प्रकार करता है। यूरोप ने क्रूरतापूर्ण आचरण केवल बाहर ही नहीं स्वयं के देश मे भी किया है, और वह भी प्लेटो के जमाने से या शायद उससे भी पहले से। हमारे मन मे यूरोप का जो मोहक चित्र है वह सच नहीं है। जवाहरलाल नेहरू को ऐसा मोह हुआ होगा, महात्मा गांधी को नहीं हुआ था। महात्मा गांधी ने शायद अन्य विषयो मे भूल की होगी परन्तु इस विषय मे नहीं की है।

हमे और स्पष्ट होना चाहिये। क्या हमे यूरोपीय समाज चाहिए ? हम वह समाज भारत के सर पर थोपना चाहते है ? हममे ऐसी ताकत है ? मुझे लगता है कि नहीं है। हम आरामप्रिय एव निष्क्रिय लोग है। हम यह सब नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमे अपने आप को ही समझाना पड़ेगा। हमारे लोग क्या कर सकते है, एव क्या सम्हाल सकते है यह समझने की आवश्यकता है। लोग असंभव बातो का बोझ उठाकर नहीं चल सकते हैं। आज तक हम लोगो के सिर पर ऐसी बातो का बोझ डालते ही रहे है।

मुझे लगता है कि शराब के विरोध मे आदोलन करनेवाली आंध्रप्रदेश की महिलाएँ, ६ दिसम्बर १९९२ के दिन अयोध्या मे एकत्रित लोग एव ऐसे ही कुछ मुद्दो को लेकर आदोलन करनेवाले अन्य लोग कुछ विशेष सकेत कर रहे है। यदि यह सब उनकी अतरात्मा मे स्थित भावो का आविष्कार है-भले ही वह तार्किक है या नहीं-तो हमे जानना चाहिए कि हम कुछ अलग प्रकार के ही राज्यतन्त्र की ओर जा रहे है एव ठीक हो रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो अभी भी हम इसी प्रकार से टकराते ही रहेगे।

चर्चा

लोगो का समूहीकरण एव केन्द्रीकृत राज्य

राधा राजन आपके वार्तालाप ने बहुत ही अस्वस्थता उत्पन्न कर दी है। प्रथम तो आप केन्द्रीकरण के हिमायती नहीं हैं ऐसा लगता है। आपने उसके विकल्प के विषय में अवश्य सोचा होगा। वह विकल्प कौन सा है ?

दूसरा, आप सस्थाओ एव सार्वजनिक स्थानो को हमारी विवेक बुद्धि पर आघात करनेवाला मानते हो ऐसा लगता है। इसलिए अयोध्या मे हुए बाबरी ढाँचे के ध्वस को उचित मानते है। हमारे सार्वजनिक जीवन की उलझनो को सर्जित करने मे ढाँचे का भी हिस्सा था इसलिए कभी न कभी तो उसे गिरना ही था, ऐसा आप मानते है। परन्तु क्या अनिष्ट है एव क्या नहीं है, क्या सुदर है एव क्या नहीं है, क्या आघात करनेवाला है एव क्या नहीं है-इस विषय मे लोगो एव समूहो के अभिमत अलग अलग होते है। ऐसे समूहो को जो अच्छा नहीं लगता है - फिर वह राष्ट्रपतिभवन हो या आयोजनपव का भवन, या मथुरा और काशी की मस्जिदे - लोग यदि उन्हे केवल स्वयको पसद नहीं है इसलिये ध्वस्त करते रहेगे तो उसका तो कहीं अत ही नहीं होगा। हम इस विषय मे निर्णय किस प्रकार करेगे ? कितने ढाँचे एव कितने सस्थानो को हम नष्ट करेगे ? और हम कब रुकेगे ?

धर्मपाल हम किस केन्द्रीकरण की बात कर रहे है यह मै नहीं समझ पा रहा हूँ। ब्रिटिशरो से हमे केन्द्रीकृत व्यवस्था का ढाँचा मिला है। हमने उसे छाती से लगाकर रखा है। वह तो छिन्न विच्छिन्न होनेवाला ढाँचा था। वह तो १९०० मे ही चरमरा गया था। ब्रिटिशर ही ऐसा कहते थे। वह बिलकुल अनुपयोगी था। उन्होने यहाँ वहाँ मरम्मत करके उसे ठीक करने का प्रयास किया था। परन्तु वे सुधार प्रभावक नहीं थे।

हमे ऐसा ही चरमरा गया ढाँचा विरासत मे मिला है। हमने भी अपनी पद्धति से उसकी कोरो को सीने का प्रयास किया है। हमने उसे ठीक करने के लिए विशेषज्ञ लोगो की सहायता ली है। ऐसे विशेषज्ञ सन् १९४८ मे ही दुनिया के भिन्न भिन्न भागो से हमे प्राप्त हुए है। उन्होने हमे अलग अलग योजनाएँ दी है। सन् १९२० से हमारे पास सिचाइ, उत्पादन, यत्रनिर्मिति, एव तन्त्रशिक्षण की पुरानी योजनाएँ भी थीं। उन योजानाओ को झाड पोछकर हमने भाखरा नगल बाँध एव आई आई टी जैसे सस्थान बनाए। हमे ऐसी योजनाओ पर गर्व भी है।

परन्तु ऐसा अस्थाई ब्रिटिश ढाँचा, दुनिया के विशेषज्ञो के तरह तरह के परामर्श एव सुझाव, भूले हुए समय एव स्थान मे समायोजित न होनेवाले ढाँचे-ये सब केन्द्रीकृत राज्यतन्त्र का अग नहीं है। केन्द्रीकृत व्यवस्था के नाम पर हम तो ब्रिटिश साम्राज्य के अवशेषों को अपनाते हैं। उस का कुछ भाग ब्रिटिशरो ने उनसे पूर्व के दिल्ली के शासको से प्राप्त किया था। या वे ऐसा कहते थे कि यह तो आपने अपना ही अपनाया है। ऐसे अवशेष चलते नहीं हैं। ऐसे अवशेष केन्द्रीकृत व्यवस्था का भाग नहीं हो सकते हैं।

यदि हमे आवश्यकता है तो हमे अपना केन्द्रीकृत ढाँचा बनाना चाहिये। परन्तु

हमने ऐसा नहीं किया। हमने सस्थानो या व्यवस्था के नियमो या कानून के विषय मे कुछ नहीं किया। हमारे पास सरकारी व्यवस्था के अलग अलग विभाग, पुलिस स्टेशन, कोष, भिन्न भिन्न कचहरियो की व्यवस्था के लिए ब्रिटिशो द्वारा निर्मित लगभग ३०० कार्यनिर्देशिकाएँ है। उनमें से अधिकाश नियम एव नियमन सन् १७७० से १८३० के कालखण्ड मे राजस्व विभाग, लश्कर विभाग एव अन्य विभागो मे बनाए गए थे। बाद में उनमे थोडा बहुत सुधार करके इन कार्यनिर्देशिकाओ मे शामिल कर दिए गए थे। हमारा सविधान भी ब्रिटिश कायदे कानून के आधार पर ही बनाया गया। इतना ही नहीं मूल ब्रिटिश कानूनपोथी मे दुनिया के अन्य सविधानो से भी कुछ ब्यौरे शामिल किए गए थे।

आपकी दूसरी चिंता यह है कि अलग अलग समूह यदि मनस्वी व्यवहार करते है तो क्या होगा। परंतु भारत के लोग जब उनकी जाति, उनके रिहायशी इलाके, उनके व्यवसाय आदि को केन्द्र मे रखकर समूह बनाते है तब अपनी स्वय की मरजी के अनुसार ही रहते भी हैं। हम उन्हें रहने का तरीका सिखानेवाले होते कौन है ?

मैं पाँच-छह वर्ष पूर्व मुरादाबाद में एक पार्टी मे गया था। वहाँ डीआईजी एव एसएसपी कक्षा के पुलिस अफसर भी थे। लगभग होली के आसपास का समय था। ये पुलिस अफसर किसी मुस्लिम इलाके के लोगो की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मुस्लिम इलाके एव मुरादाबाद के आसपास के गाँवो के लोग कहते थे कि दूरदर्शन ने हमारे जीवन पर आक्रमण किया है, उससे उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं, समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड रहा है। इन पुलिस अफसरो को लगता था कि मुस्लिम इस प्रकार की शिकायत कैसे कर सकते है ? वे यह तो मानते थे कि दूरदर्शन सचमुच बुरी चीज है, परन्तु उनका कहना था कि मुस्लिमों को इस विषय मे शिकायत करने का अधिकार ही नहीं है। मुस्लिम अपने बच्चो को दूरदर्शन देखने से रोके यह तो नामुमकीन है। हाँ, वे स्वय अपने अधिकार का उपयोग कर, मुस्लिमो का पक्ष लेकर दूरदर्शन के विरोध मे कदम उठा सकते है।

इसे क्या कहा जाए ? हमे अपने ज्ञान एव अपनी बुद्धि के विषय मे सोचने की आवश्यकता हे। इस देश को कौन चलाएगा ? सर्व सामान्य लोग, या जीर्ण शीर्ण ब्रिटिश विरासत को सम्हालने वाले अफसर ? ऐसी साम्राज्यवादी व्यवस्था की रीति अब नहीं चलनी चाहिए। अब वह निरर्थक हो गई है। अब तो खेल के रचनेवाले को भी इस खेल में आनंद नहीं आता है। पुलिस या व्यवस्था मे स्थित अफसर भी इससे ऊब गए है।

हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोग मजबूत से मजबूत ढाँचे को भी झुका सकते है। रशिया मे लोगो ने लेनिन को झुकाया ही था, वह भी येल्त्सिन के आने

से पहले। उस समय 'मोस्को न्यूज' जैसा समाचार पत्र भी लिखता था कि केवल लेनिन के जन्मस्थान पर ही उसका एक पुतला होना पर्याप्त है। रशिया में ऐसा हो सकता है तो अन्य स्थानों पर भी ऐसा हो ही सकता है।

कुछ लोग कहते हैं कि लोग लोकतन्त्र का मूल्य समझ सके इस प्रकार की शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। परन्तु आज भारत में शिक्षित लोग क्या कर रहे हैं ? वे केवल पैसा बनाने में लगे हैं। इंग्लैंड के आक्सफोर्ड एव केब्रिज में, या उसीके समान अमेरिकन संस्थानों में जाकर आए हुए लोग भी करोड़ों रूपए बनाने का ही काम करते हैं।

राधा राजन क्या हम संस्थानों एव डॉचों के प्रति जो तिरस्कार भाव है उसे लोगों की ओर मोड़े ?

धर्मपाल नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आज की भारत की स्थिति अव्यवस्था एव अराजकता से ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में कुछ भी कारगर नहीं होता है। ब्रिटिश डॉचा इसी स्थिति के लिए निर्मित किया गया था। लोगों की पहल, लोगों का प्रतिकार एव लोगों का तनाव नष्ट हो जाए इसी हेतु से उसकी रचना हुई थी। लोगों को नियन्त्रण में रखने के कुछ अन्य उपाय भी उन्होंने प्रयुक्त किए थे। उन्होंने ईसाईकरण का प्रयोग किया, पाश्चात्यीकरण का किया, इन्डो-यूरोपीय भाईचारे की सकल्पनाओं का किया, परन्तु किसी भी उपाय से वे भारत के लोगों को दबा नहीं सके। अतः में उन्होंने ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिसमें सभी प्रकार भी स्वतन्त्रता नष्ट हो जाए। कह सकते हैं कि यह बहुत ही विचारपूर्वक बनाई गई सुव्यवस्थित योजना है। यह आदेश कर सकती है, परन्तु समृद्धि एव गौरव नहीं दे सकती। यदि हम इस प्रकार के आदेशों से युक्त डॉचा ही चाहते हैं तो फिर प्रगति, विकास, आर्थिक सुधार एव ऐसी ही अन्य बातों की अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। ब्रिटिश डॉचे में यह संभव ही नहीं है। यदि हमें इस प्रकार के, सारी जीवमानता को समाप्त कर देने वाले आदेशों की ही आवश्यकता है तो वर्तमान व्यवस्थाओं को ही बनाए रखना चाहिए।

सम्प्रदाय एव राजनीति

सुंदर राजन आज कोई भी पूजास्थान धन या अन्य किसी निहित स्वार्थ के शिकजे से मुक्त नहीं रह गया है। इतना ही नहीं तो स्वार्थ के साथ अब धर्म की राजनीति भी की जाने लगी है। राजनीति धर्म को अपमानित करती है ऐसी घटनाओं की सिरमौर यह ६ दिसम्बर की घटना है। क्या हम धर्म को केवल व्यक्तिगत उपासना तक ही सीमित नहीं रख सकते ताकि इस प्रकार के संघर्ष जन्म ही न ले पाएँ ?

धर्मपाल हम यह कैसे निश्चित कर सकते हैं ? यदि लोग ही धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं, और वह भी हजारों वर्षों से, तो हम उसे कैसे बदल सकते हैं ? हमारे देश में और दुनिया में कई पयगबर एव सत हो गए। वे भी मानव स्वभाव को बदल नहीं पाए हैं। इसलिए जो सभव है, बुद्धिगम्य है उस पर ही हमने सोचना चाहिए।

यह दुनिया भगवान के लिए नहीं है। यह दुनिया भावनाओं से भरे हुए मनुष्यों के लिए है। ये भावनाएँ अच्छी भी हो सकती हैं एव बुरी भी, दोनों एकसाथ भी हो सकती हैं। मनुष्य का स्वभाव रागद्वेष से युक्त ही होता है। ऐसी स्थिति का स्वीकार करके ही चलना चाहिए कि सबकुछ ठीकठाक ही चलता है। व्यावहारिक रुख ही आवश्यक है। यही समाजजीवन है एव राज्य को ऐसे समाजजीवन की हिफाजत ही करना है।

राज्य मानवस्वभाव को एकाएक नहीं बदल सकता। राज्य की व्यवस्था के अनुसार मानवस्वभाव बदलेगा ऐसी अपेक्षा करने का कोई अर्थ नहीं है। ४० साल पूर्व हम कहते थे कि रशिया का प्रयोग करने से मनुष्य एकदम बदल जाएगा। बीसवीं शताब्दी के अंत तक तो मनुष्य एकदम अलग प्रकार के स्वभाव का ही हो जाएगा ऐसा हमें लगता था। सन् १९३० एव १९४० के दशक में इस विषय पर पुस्तकें भी लिखी गई थीं। परंतु हुआ क्या ? मनुष्य कहाँ बदला है ? और उस 'महान रशियन प्रयोग' का क्या हुआ ?

यूरोप की ही बात करें। वह तो १७०० साल तक ईसाई ही रहा है। यद्यपि यह भी हमारी ही धारणा है। मेरी जानकारी के अनुसार तो स्थिति कुछ अलग ही है। जर्मनी का कुछ भाग तो पंद्रहवीं शताब्दी में ईसाई बना था। फिर भी ४०० वर्षों से यूरोप ईसाई ही है। इन ४०० वर्षों में यूरोप में कितनी अधिक हिंसा का आचरण किया गया है। उनके उद्धारक तो शांति के सदेशवाहक हैं। फिर भी वहाँ शांति नहीं है। क्योंकि वह सभव ही नहीं है।

हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए। श्रेष्ठ माने जाने वाले समाज में भी मानवसहज दुर्बलताएँ होती ही हैं, उनका स्वीकार करना चाहिए। हमारा अभिगम व्यावहारिक होना चाहिए। हम ऊँचाई की ओर उच्चदृष्टि रखकर ही नहीं चल सकते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो अधिक असफल होंगे।

हिन्दुत्व एव हरिजन

वैरावन मुझे लगता है कि हिन्दुत्व की विचारधारा हिन्दू समाज के तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों को ही स्वीकार्य है। हरिजन तथा तथाकथित दलित वर्ग के लोग हिन्दुत्व से आकर्षित नहीं होते हैं। इस लिए हिन्दुत्व के जागरण में मुस्लिम या क्रिश्चियन

अवरोधरूप नहीं है, किन्तु हिन्दू समाज में पिछड़ी मानी जानेवाली जातियाँ एव समूह अवरोधरूप हैं। श्रीराम का मंदिर बनाने की अपेक्षा इन लोगों का विश्वास जीतना अधिक महत्त्वपूर्ण है।

धर्मपाल इस प्रकार की भावना हरिजनो में होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। अमुक स्वरूप में ही हिन्दुत्व की परिभाषा करनी है तो शायद आप कहते हैं ऐसा होगा। परन्तु हिन्दुत्व का अर्थ यदि हिन्दू होना ही होता है तो हरिजन उस से वंचित नहीं रह सकते। मैं नहीं मान सकता कि हरिजन कम हिन्दू हैं। उल्टे हमसे से कड़ियों की अपेक्षा वे अधिक हिन्दू हैं। वे अधिक श्रद्धावान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो वे बहुत पहले यह धर्म छोड़ चुके होते। परन्तु उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा है। हमसे भी बहुत अच्छी तरह से वे धर्म में टिके हुए हैं। हम धर्म से पलायन होने के उपाय ढूँढते हैं। हम हिन्दुत्व से दूर भागते हैं। हम आधुनिक बनने का दावा करते हैं। हम पाश्चात्य बनते हैं। हम पाश्चात्य तो बने ही हैं। वे नहीं बने हैं। उन्हें बहुत तिरस्कार सहना पड़ा है। सविधान में प्रावधान होने पर भी वे प्रतिष्ठित मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उनके लिए मंदिर भी अलग होते हैं। फिर भी वे हिन्दू हैं। मुझे लगता है कि हरिजन कोई समस्या नहीं हैं, हम हिन्दुत्व की जो व्याख्या करते हैं, वही समस्यारूप है।

अभी कुछ समय पहले यहाँ पास के गाँव में मुझे जो अनुभव हुआ वह मैं आपको बताता हूँ। वह गाँव मद्रास से ४० किलोमीटर दूर चेगलपट्टु जिले में स्थित है। वह बहुत पुराना गाँव है। मैं वहाँ कई बार गया हूँ। वह मुख्य गाँव एव हरिजन बस्ती इस प्रकार दो भागों में बँटा है। हरिजन बस्ती बहुत बड़ी है। वहाँ एक शिक्षक है। मुझे तमिल भाषा नहीं आती है। अतः अंग्रेजी की सहायता से मैंने उससे कुछ बातें कीं। हमारे विषय विविध थे। मैंने उससे पूछा कि बस्ती के लोग गाँव के मंदिर में कभी गए हैं या नहीं? वहाँ गाँव में एक सुन्दर मंदिर है। वह लगभग ८०० वर्ष पुराना है। इसलिए मैंने उससे पूछा, 'आप लोग इस गाँव के मंदिर में जाते हैं?' उसने कहा, 'हम जा सकते हैं, हमें वहाँ जाने से कोई रोक भी नहीं सकता, परन्तु गाँव के लोगों को यह अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम वहाँ नहीं जाते हैं।'

फिर बात आगे बढ़ी। उसने कहा कि उसकी लड़की का घर गाँव में है। वहीं गाँव का 'कर्णम' यानी मुनीम रहता है। वह जिस गली में रहता है, वह कुछ बड़ी है। इसलिए मंदिर के भगवान की रथयात्रा प्रतिवर्ष वहाँ से गुजरती है। परन्तु जबसे उसकी लड़की उस गली में रहने गई तब से रथयात्रा वहाँ से गुजरना बंद हो गया।

ये बातें वह बिलकुल सामान्य होकर बता रहा था। जब मैंने सुना कि रथयात्रा

का उस गली में जाना बंद हो गया तो मुझे चिंता हुई कि अब उस प्राचीन सुन्दर मंदिर का क्या होगा ? ब्राह्मण तो उसकी देखभाल कर नहीं सकते, क्योंकि गाँव में केवल १५ या १६ ब्राह्मण परिवार ही रह गए हैं। २०० वर्ष पूर्व कई परिवार थे, परन्तु वे गाँव छोड़कर चले गए हैं। अब जो हैं उनमें भी वृद्धों की संख्या ही अधिक है। आनेवाले दस बीस वर्षों में वे भी समाप्त हो जाएँगे। इसके बाद मंदिर का क्या होगा ? यदि हरिजनो को मंदिर से दूर रखा जाएगा तो मंदिर की रक्षा कौन करेगा ?

इस मंदिर की रक्षा कर सकने वाले ऐसे हरिजनो ने अपनी बस्ती में ही सुन्दर मंदिर बनाया है एवं प्रतिवर्ष वहाँ भव्य उत्सव भी होता है।

तो फिर हम हिन्दुत्व की कौन सी व्याख्या करते हैं। कौन हिन्दुत्व के पक्ष में है और कौन विरोधी यह कहना बहुत कठिन है। अलग अलग लोगों की हिन्दुत्व की कल्पना भी अलग अलग ही है। २०० वर्षों से हम इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति में जीते आए हैं कि हमारी सभी बातों का बतगड बनकर रह गया है। सदियों की गुलामी के बाद हम मुक्त हवा में सांस लेने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा दिन भी आएगा जब हम मुक्तरूप से सोचेंगे एवं अपनी हर कठिनाई का उपाय ढूँढ निकालेंगे। परन्तु हमारी गति इस प्रक्रिया में अत्यंत मन्द है। इसलिए जब हमें समस्या का उपाय सूझेगा तब तक समस्या का अस्तित्व ही मिट चुका होगा। हमारे सामने कोई अन्य कठिनाई आकर खड़ी हो चुकी होगी। इतिहास में ऐसा ही होता आया है। शायद भारत का भाग्य ही ऐसा है।

गांधीजी का मार्ग

शेखर राघवन जब बाबरी ढाँचा टूटा तब यदि गाँधीजी होते तो उनका क्या प्रतिभाव होता ?

धर्मपाल वे बहुत खुश नहीं हुए होते। हमारा एक वर्ग अत्यंत मुखरित होकर दर्शाता है उस प्रकार यदि उन्हें अस्मिता की चिंता हुई होती, या बाबरी विध्वंस उन्हें एक राष्ट्रीय शर्मनाक घटना लगी होती (जिस प्रकार यहाँ उपस्थित अनेक लोगों को लगती है) तो उन्होंने इस घटना की ओर भिन्न दृष्टि से देखा होता और अपनी जिदगी तक दाँव पर लगा दी होती उसे बचाने के लिए। वे इस प्रकार के व्यक्ति थे। वे ऐसा तो कभी नहीं कहते कि चलो साथ बैठकर समझ लेते हैं। परन्तु यह सब तो उन्होंने सन् १९४९ या ५० में ही किया होता। हमारी तरह उन्होंने इस समस्या को बढ़ने तो नहीं दिया होता।

राधाराजन जब लोगों ने विभाजन के विषय में गाँधीजी की बात नहीं मानी

थी तो इस प्रश्न में मानते ?

धर्मपाल आपकी बात सही है। उस समय भी गाँधीजी को किनारे कर दिया गया था। मेरी व्यक्तिगत धारणा भी यही है कि गांधीजी का प्रभाव १९४४ से ही कम होने लगा था। वे भी यह जानते थे। अन्य लोग भी यह जानते थे। इसीलिए लोगो ने उसका लाभ भी उठाया। अन्य देशो ने ऐसे फायदा उठानेवालो को सहारा दिया, प्रोत्साहन दिया। दुनिया को ऐसे लोगो की आवश्यकता थी। उदाहरण के तौर पर ब्रिटिशो द्वारा तैयार किए गए 'सत्ता के हस्तान्तरण' के दस्तावेजो के विषय में अमेरिका के प्रमुख रुझवेल्ट का दृढ मत था कि ब्रिटिशरो को ऐसा ही कुछ करना चाहिए जिससे भारत 'पश्चिम के प्रभाव' में रहे। स्पष्ट ही है कि महात्मा गांधी देश को कभी भी पश्चिम के प्रभाव में नहीं रहने देते। इसीलिए ब्रिटिश लोग इन अन्य लोगो को पसंद करते थे। यह जो कुछ हुआ वह उसी कारण से हुआ है।

परन्तु महात्मा गांधी अधिक जीए होते एव उनका सत्त्व बना रहता तो उन्होने फिर से एक लोक आंदोलन शुरू किया होता। क्योंकि लोकशक्ति ही उनकी शक्ति एव सत्ता थी। और फिर भारत में उन्हें कोई भी रोक नहीं पाया होता। निश्चित रूप से तब भारत में एक नई स्थिति का निर्माण होता। मैं यह नहीं कहता कि स्थिति एकदम आदर्श होती परन्तु आज हम जिस भ्रान्ति में जी रहे हैं कि हमने एक आधुनिक युग में प्रवेश किया है और इन सब बातों का कोई महत्त्व नहीं है - ऐसी भ्रान्ति का जन्म ही नहीं हुआ होता।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जिन विषयों पर ध्यान देना चाहिए था वह हमने दिया ही नहीं है। हम आधुनिकता एव विकास की धारा में बह गए। इन दो शब्दों का जादू हम पर छा गया। पाँच दस वर्ष तो हम उस जादू के सम्मोहन में ही रहे। उसके बाद 'रोस्तोव' जैसे विदेशी विद्वान आए और उन्होने कहा कि हम तो एकदम उड़ान भरने की स्थिति पर पहुँच गए हैं। और उसी क्षण से हमारा अधःपतन शुरू हो गया।

अर्थात् आधुनिकता भी कुछ काम न आई। समस्याएँ उसी प्रकार बिना ध्यान दिये रह गईं। राजनैतिक स्थिति दिनप्रतिदिन अधिक उलझनभरी बनती गई। उलझने केवल बाहरी दुनिया के कारण नहीं थीं, हमारी आंतरिक उलझने भी थीं। समाज का विघटन बढ़ते अनुपात में होता गया।

इसके बाद हम राजनीति की ओर उस दृष्टि से देखने लगे जो पश्चिम के लिए नई नहीं थी परन्तु हमारे लिए नई थी। हम राजनीति को सत्ता का खेल मानने लगे, गलत ढंग से प्राप्त होनेवाली संपत्ति का स्रोत मानने लगे, लोगो पर नियन्त्रण करने का साधन

मानने लगे। भारत में तो राजनीति लोगों की सेवा करने का क्षेत्र था, श्रेष्ठतम पद्धति से लोगों की सेवा करने का क्षेत्र था। यह मान्यता एव यह स्थिति सन् १९२० से १९४० के दौरान तो थी। परन्तु अब यह स्थिति बिलकुल बदल गई है। नेताओं की नई पीढ़ी का उदय हुआ और राजनीति के क्षेत्र में नए मूल्य उदित हुए। सन् १९७० के लगभग एक नई संस्कृति प्रतिष्ठित हुई। उसके बाद राजनैतिक क्षेत्र में जानेवाले सभी भ्रष्ट हैं ऐसा माना जाने लगा। भ्रष्टाचार चाहे वास्तव में उतना अधिक नहीं हो तो भी भाषा एव व्यवहार इस प्रकार का होने लगा जैसे सब कुछ भ्रष्ट हो गया है। भ्रष्टाचार हमारे दिलों दिमाग पर छा गया।

राज करनेवाले उपरी वर्ग के लोग सामान्य लोगों से विमुख होने लगे। इसके बाद तो हम एक अलग दुनिया में ही रहने लगे। हमारे जैसे लोगों की संख्या बढ़े इसलिए हम योजनाएँ बनाने लगे। लगभग ४ लाख भारतीय डाक्टर एव इंजिनियर भारत के बाहर रहते होंगे। अब हम जैसे कि विश्वबिरादरी में बसते हैं। हम भारतीय नहीं रहे। वैश्विक बनने की आकांक्षा प्रत्येक भारतीय के मन में पैदा हो गई। जहाँ मौका एव साधन मिले हम उसका उपयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं।

भारत की समस्या उलझ गई है। उसे सुलझाना सरल नहीं है। इस स्थिति के लिए किसी एक आदमी या किसी एक समूह को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। अभी हमारे पास भूतकाल की स्मृति शेष है। हम उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। उसे व्यवहार में ला सकने की स्थिति में हैं। परन्तु इस के लिए हम भूतकाल का त्याग भी नहीं कर सकते हैं और नया सम्पूर्ण रूप से अपना भी नहीं सकते हैं। इसलिए हम फँस गए हैं। फलस्वरूप जिसे भी मौका मिलता है वह इस उलझन से छूट कर भाग जाता है। और जहाँ अनुपातन जीवन कम उलझनों वाला है वहाँ रहने लगता है या उस दुनिया में रहने लगता है।

भारत की समस्या हल करने के विषय में हम तो आशा खो बैठे हैं। हमारे पास कोई उपाय नहीं है। भारत फिर से भारत कैसे बने इसका कोई रास्ता समझ में ही नहीं आता है। हम तो दुनिया की दया पर जी रहे हैं। जीने के लिए जी रहे हैं, बहुत ही क्षीण सत्त्वयुक्त जीवन जी रहे हैं। इस स्थिति में भारत के लोग सूत्र अपने हाथ में ले लें और हमें रास्ता दिखाने का प्रयास करें तो कोई आश्चर्य नहीं है। उसमें कुछ गलत भी नहीं है।

* २८-२-१९९३ का भाषण, सेन्टर फोर पोलिसी स्टडीज (Center for Policy Studies), समाजनीति समीक्षण केन्द्र, चेन्नई के जितेन्द्र बजाज द्वारा संपादित, और अयोध्या एड दि फ्युचर आव् इंडिया' में प्रकाशित। पृष्ठ सं २१३-२३८।

विभाग ३

यूरोप का स्वभाव और उसकी विश्वगत अभिव्यक्ति

- १९ यूरोपीय आधिपत्य के पाँच सौ वर्ष
- २० सन् १४९२ से यूरोप तथा विश्व के
अन्य देशों की स्थिति
- २१ आधुनिक विज्ञान एवं गुलामी का समान आधार
- २२ सत्याग्रह की विश्वपरिषद्
- २३ भारत एवं विश्व

१९. यूरोपीय आधिपत्य के पाँच सौ वर्ष

आज से चार वर्ष पश्चात्, १९९२ मे यूरोप विश्व की खोज मे निकला इस घटना को ५०० वर्ष पूर्ण होंगे। सन् १४९२ मे क्रिस्टोफर कोलम्बस अपने नौका काफिले के साथ अमेरिका के तट पर उतरा। वह पुर्तगाल, इटली या अन्य किसी देश का था यह कोई खास बात नहीं है। वह यूरोप का था इतना कहना पर्याप्त है। उसे यूरोपीय राज्यों की एव धनिकों की सम्पूर्ण सहायता मिली थी। यूरोप का इससे पूर्व, या तो बहुत ही प्राचीन समय से उत्तर आफ्रिका, एशिया के कुछ प्रदेश, पूर्व एव पश्चिम आफ्रिका के कुछ प्रदेश इत्यादि के साथ सीधा सम्बन्ध था। परन्तु यूरोप के साहसवीरो तथा यूरोप के राज्यों को नए नए प्रदेश खोजने की इच्छा जगी। 'ब्लैक डेथ' जैसी घटना भी इस चाह के लिए प्रेरणास्रोत बनी होगी। परन्तु यह घटना १५ वीं शताब्दी के मध्य मे घटी। प्रारम्भ मे वे पश्चिम आफ्रिका गए। पचास वर्ष के अन्दर अन्दर वे अभी तक विश्व को अज्ञात ऐसे अमेरिका तक पहुँच गये। पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त से पूर्व उन्होंने भारत आने का समुद्री मार्ग खोज लिया एव दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व आफ्रिका, हिन्द महासागर के द्वीप समूह तथा तटीय प्रदेशो एव दक्षिण, दक्षिण पूर्व एव पूर्व एशिया के साथ सम्पर्क बढ़ाया। सन् १५५० तक तो यूरोप ने केवल गोवा के आसपास के कुछ प्रदेश मे ही नहीं अपितु श्रीलंका एव दक्षिण पूर्व एशिया के प्रदेशो पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। अमेरिका एव पूर्व की ओर आनेवाले समुद्री मार्ग की खोज के सौ वर्षों मे तो बहुत दूर के एव सस्कृति की दृष्टि से यूरोप की अपेक्षा भिन्न व्यक्तित्ववाले जापान मे भी इतना प्रभाव पडा कि सन् १६०० के समीप लगभग ४ लाख जापानियों ने धर्मपरिवर्तन कर लिया एव वे ईसाई बन गए। परन्तु लगभग सन् १६४० मे ही जापान ने निर्णय कर लिया कि डचों को जापान के बन्दरगाह पर कभी भी उतरने की जो अनुमति दी गई थी उस पर रोक लगा दी जाए। यूरोप के लिए जापान के दरवाजे भी बन्द करके केवल तन्त्रज्ञान एव व्यापार के लिए ही सीमित सम्बन्ध रखना तय हुआ। कोलम्बस अमेरिका पहुँचा एव अमेरिका के तटीय प्रदेशो तथा एटलान्टिक महासागर के द्वीपो मे खेती प्रारम्भ हुई एव बस्तियों बसीं इसके कुछ ही वर्षों मे यूरोप ने आफ्रिका के काले लोगो को गुलाम बनाकर इन बस्तियों मे लाने का सुनियोजित रूप से एक अभियान ही प्रारम्भ किया। एक

सामान्य अदाज के अनुसार भी गुलाम पकड़ने से लेकर अमेरिका में अटलान्टिक के द्वीपो तक पहुँचने के बीच लगभग ८० प्रतिशत लोगों की मृत्यु हो गई। इस अभियान के प्रारम्भ होने से लेकर बाद के ३०० वर्षों में तो इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त आफ्रिकन स्त्री पुरुषों की संख्या दस करोड़ तक पहुँच गई होगी। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब गुलामी नहीं परन्तु गुलामों का व्यापार बंद करने की हलचल प्रारम्भ हुई तब अमेरिका में यूरोपीय निवासियों की अपेक्षा आफ्रिका से पकड़कर लाए गए गुलामों की संख्या अधिक थी।

सन् १६०० के आसपास यूरोप के अलग अलग राज्यों ने भारत के भी विभिन्न प्रदेशों में आना प्रारम्भ किया। पश्चिम, पूर्व एवं दक्षिण आफ्रिका की समुद्र तटीय पट्टी में तथा एशिया के मार्ग पर पड़नेवाले द्वीपो में यूरोप से इन प्रदेशों में आनेवाले समुद्री जहाजों को इन्धन, पानी एवं विश्राम के लिये स्थान मिले इस उद्देश्य से वे सुदृढ़ किलेबन्दी करने लगे। यूरोप का भारत पर प्रभाव इस बात से जाना जा सकता है कि महान विजयनगर साम्राज्य के राजा शस्त्रों के लिए पुर्तगालियों पर निर्भर रहने लगे एवं जहागीर ने अरबस्तान, पर्शियन खाड़ी एवं भारत के बीच उस काल में जहाजी डाकू के रूप में पहचाने जानेवाले समुद्री लुटेरों से समुद्र को मुक्त करने के लिए अंग्रेजों से सहायता मागी। सन् १६०० से बहुत पूर्व बर्मा में बन्दरगाहों का अधिपति ब्रिटिश था।

सन् १७०० तक या फिर सन् १७५० तक अमेरिका में यूरोपीय मूल के लोगों की संख्या कम होने पर भी उनका प्रभाव एवं शासन जम गए। कोलम्बस जब अमेरिका पहुँचा तब वहाँ के मूल निवासियों की संख्या लगभग नौ से ग्यारह करोड़ थी। सन् १७०० तक तो नि शस्त्रों की हत्या के कारण, यूरोपीय लोगों के आक्रमण के कारण एवं युद्ध के कारण यह संख्या आधी हो गई, यद्यपि उनका सम्पूर्ण उच्छेद उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में हुआ।

सन् १७०० के बाद यूरोप ने पूर्व की ओर विशेष ध्यान दिया। उनमें एक केन्द्र भारत था। भारत में सन् १७५० से यूरोप की उपस्थिति विशेष रूप से दिखाई देने लगी। सन् १७५० से तो यूरोप भारत को पूर्णतया जीत लेने की सुनियोजित योजना बनाने लगा। इसी समय यूरोप ने आस्ट्रेलिया एवं उसके समीप के द्वीपो की खोज की। सन् १८०० के तुरन्त बाद यूरोप ने चीन जाने का प्रारम्भ किया। सन् १८५० तक यूरोप समग्र विश्व का अधिपति बन गया।

यूरोप का ऐसा आधिपत्य विश्व के इतिहास में प्रथम ही है। कई शताब्दियों तक इस्लाम ने लगभग आधी दुनिया पर अपना शासन जमाया था। उसने भी यूरोप के समान ही तबाही मचाई थी। इस्लाम से पूर्व भगवान बुद्ध के उपदेशों का लगभग आधे

विश्व पर प्रभाव था। परन्तु उसमें हिंसा का तनिक भी अंश नहीं था। एशिया के बहुत से हिस्सों में भगवान बुद्ध के उपदेश के फलस्वरूप निर्मित सस्थाएँ एवं मनोभाव आज भी अस्तित्व में हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से तो भारत का प्रभाव पूर्व एशिया एवं मध्य एशिया के बहुत से देशों पर पड़ा था। पूर्ण सम्भावना है कि भारत तथा अन्य सस्कृतियों को भी विश्वविजय की आकांक्षा जगी होगी। परन्तु उसके लिए आवश्यक बल, प्रेरणा या भौतिक सामग्री या सहारक वृत्ति के अभाव के कारण वे इस इच्छा को अमल में नहीं ला पाए हैं। इसी दृष्टि से देखने पर यूरोप के विश्व आधिपत्य के ५०० वर्षों को इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त करनेवाली घटना मानी जा सकती है।

इस आधिपत्य का मनुष्य, वनस्पति, समग्र सृष्टि पर कैसा प्रभाव हुआ है इसका अध्ययन एवं मूल्यांकन खासकर जीती गई प्रजा की दृष्टि से करने की आवश्यकता है। यूरोपीय आधिपत्य का प्रभाव केवल राजनैतिक, आर्थिक, एवं पर्यावरणीय विषयों पर ही हुआ है ऐसा बिलकुल नहीं है। यह प्रभाव जीती गई प्रजा की स्वविषयक धारणा एवं चित्तव्यापार पर भी बहुत गहराई तक पड़ा है। इसी प्रकार विजेताओं की अपनी भूमिका, उन्होंने जो कुछ भी किया एवं जिस प्रकार से किया उसके जो परिणाम निकले उसका प्रभाव उन पर बहुत गहराई तक पड़ा। फिर भी यूरोप का मूल स्वभाव नहीं बदला है। उसकी विनाशक वृत्ति कोलम्बस के पूर्व कम अनुपात में व्यक्त हुई थी एवं कोलम्बस के बाद बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई दी इतना ही अन्तर था। रोमन साम्राज्य के समय से, प्लेटो के समय से या उससे भी पूर्व के समय से यूरोप की दुनिया जीतने की जो आकांक्षा थी उसे कोलम्बस के द्वारा अमेरिका की खोज से खुला एवं व्यापक मैदान मिला। विश्व की अन्य सभ्यताओं को भी ऐसी इच्छा हुई होगी, परन्तु हम उसके विषय में अधिक कुछ जानते ही नहीं हैं। यूरोप के विषय में जानते हैं। यदि ऐसा है तो हमें इसके विषय में जानने के प्रयास करने चाहिए जिससे हमारी दृष्टि का क्षेत्र अधिक सन्तुलित बने। परन्तु अब तो हम प्रत्यक्ष रूप से यूरोपीय अधिकार के अन्तर्गत उसके द्वारा बनाए गए सस्थाकीय एवं वैचारिक ढाँचे में जी रहे हैं इसलिए यूरोप का तथा अन्य किसी विश्वविजय की आकांक्षा रखनेवाली सभ्यता का अध्ययन करना केवल ऐतिहासिक एवं तात्त्विक दृष्टिकोण की अपेक्षा बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है।

गत ५०० वर्षों का अध्ययन जीती गई प्रजा के लिए आत्मबोध का साधन बनेगा एवं उसे अपनी सामाजिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा।

२०. सन् १४९२ से यूरोप तथा विश्व के अन्य देशों की स्थिति

हमारे आसपास की स्थिति एव विकास को, उसके विभिन्न दृष्टिकोण तथा अविरत चलनेवाले मतभेदों को यदि समझना है, तो हमें कुछ शताब्दियाँ पीछे जा कर देखना होगा। प्रस्तुत पत्र में, गत पाँच शताब्दियों में घटी हुई प्रमुख घटनाओं को तथा भारत के द्वारा बीताए गए समय के आधार पर, आज की उलझन भरी स्थिति के मूल तक पहुँचने का प्रयास किया गया है। हमें यह भी जानना आवश्यक है कि लगभग सन् १४९२ के काल से लेकर अनेकों विचारधाराओं तथा विभिन्न घटनाओं का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस उलझनभरी स्थिति को समझकर उसका कोई हल निकालने में यह प्रयास कदाचित् सहायक बनेगा।

१

यूरोप के द्वारा विश्व के अन्य देशों की खोज

आज से लगभग पाँच शताब्दी पूर्व, अर्थात् १४९२ में जब क्रिस्टोफर कोलम्बस तथा उसके साथी जहाज द्वारा अमेरिका के समुद्र तट पर पहुँचे, तभी से यूरोप द्वारा विश्व के अन्य देशों की खोज का श्रीगणेश हुआ। कोलम्बस एव उसके समकालीन जहाजरानों का मुख्य उद्देश्य तो भारत तथा दक्षिणपूर्व एशिया के प्रदेश तक पहुँचने का समुद्री मार्ग खोजना ही था। उस समय किसी यूरोपीय वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी का आकार गोल है। बस इसी बातने कोलम्बस को अपनी समुद्र यात्रा पश्चिम की ओर से प्रारम्भ करके अन्त में भारत तथा भारत के पूर्वीय प्रदेशों तक पहुँचने की आशा जगाई। लगभग १५५० तक तो पश्चिम यूरोप को इसकी कल्पना तक नहीं थी कि एक ओर यूरोप एव आफ्रिका तथा दूसरी ओर चीन एव भारत के बीचोबीच उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक फैला हुआ अमेरिका नाम के एक विशाल भूखण्ड का अस्तित्व भी है।

इस प्रकार, यूरोप की पंद्रहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण की यात्रा में कदाचित्

किसी प्रकार से घटी हुई लगभग एक सौ वर्ष अर्थात् १४५० तक चलनेवाली 'काले मृत्यु' की घटना, जिसने यूरोप को समाप्त कर दिया, उसकी प्रेरणा इतनी अधिक थी कि १४९२ के बाद केवल छ वर्षों में अर्थात् १४९८ में आफ्रिका के पूर्वी किनारे पर जाकर भारत तक पहुँचने का समुद्री मार्ग खोजा गया। वास्को-डी-गामा को सन् १४९८ में भारत के केरल प्रान्त के समुद्रतट पर स्थित कालिकट बन्दरगाह तक पहुँचाने में सहायक बननेवाले एशिया के जहाजरानों का यह मार्ग खोजने में योगदान हो सकता है। इसके बाद के चालीस से पचास वर्षों में तो यूरोपने अधिकांश पृथ्वी पर भ्रमण कर लिया। इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण यह है कि लगभग सन् १५४० तक दूरदराज के तथा यूरोप से भिन्न सस्कृतिवाले जापान में प्रभु ईसु का अनुसरण करनेवाला ईसाई समाज अस्तित्व में आया। यूरोप की यात्रा एवं उसके शासन का अन्य एक ज्वलन्त उदाहरण यह है कि उसके पश्चात् साठ वर्ष के बाद अर्थात् लगभग सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ईसाई कार्यकर्तों के प्रयासों से अनुमानत ४,००,००० जापानियों का ईसाई मत में मतान्तरण किया गया।

२

सत्रहवीं शताब्दी की जो जानकारी प्राप्त होती है उसके आधार पर सन् १४९२ से पूर्व अथवा प्राचीन काल से यूरोप के पश्चिम एशिया, पर्शिया, भारत के सीमावर्ती प्रान्त तथा उत्तर आफ्रिका के साथ सम्बन्ध थे ही। ऐसा माना जाता है कि ईसाई युग के प्रारम्भ के समय में रोम तथा दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित तटीय प्रदेशों के बीच आपसी व्यापार का सम्बन्ध था। इस प्रकार यूरोप को सत्रहवीं शताब्दी से चीन के पश्चिमी प्रदेशों की जानकारी थी।

नए प्रदेशों की खोज, उस पर आक्रमण, साम्राज्य विस्तार इत्यादि घटनाएँ सन् १४९२ से ही नहीं शुरू हुई हैं। वे तो मानव का पृथ्वी पर उद्भव होने जितनी ही प्राचीन हैं। कहा जाता है कि ईसा पूर्व ३२६ में साहसी युवक सिकन्दर ने उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश किया था। यद्यपि वह भारत के किसी भी विशिष्ट भाग को ग्रीस में समाविष्ट नहीं कर सका था। उसके लगभग एक हजार वर्ष पश्चात् अर्थात् सातवीं शताब्दी में इस्लाम के नेतृत्व में अरबों ने दक्षिण यूरोप तथा भारत के पश्चिम में स्थित सिंध पर आक्रमण किया। इसके बाद ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त में धर्मयुद्ध के नाम पर यूरोप ने बाईजेंटियम, पश्चिम एशिया तथा तुर्कीस्तान की प्राचीन भूमि पर आक्रमण करके उनके अधिकांश प्रदेशों पर राज्य भी किया। यह धर्मयुद्ध पश्चिम यूरोप के उमराव

पुत्रों की सरदारी में हुए जिसमें उनके साथ रोमन ईसाई गिरजाघरों की पीछे रहकर सहयोग देनेवाली शक्ति भी थी।

ऐसा लगता है कि भारत के पास अपने लिए आवश्यक ऐसी तमाम समृद्धि तथा विशाल उपजाऊ जमीन होने के कारण वह इस प्रकार के विश्वव्यापी विजय की प्राप्ति के लिए तैयार नहीं था। या ऐसा भी हो सकता है कि भारत को न तो ऐसी कोई महत्वाकांक्षा थी, न ही इस प्रकार का कोई झुकाव, या फिर ऐसी जिहाद के लिए आवश्यक साहसिक उत्साह उसमें नहीं था। इसके बावजूद २००० वर्ष पूर्व अर्थात् विक्रम संवत् के प्रारम्भ में भारत के विद्वान, पण्डित, बौद्ध भिक्षु इत्यादि एशिया खण्ड के विभिन्न भागों में फैले एव बसे थे।

३

यूरोप खण्ड का साम्राज्य विस्तार

सन् १४९२ से यूरोप की खोजें एव उसका साम्राज्य विस्तार दिखने में भी एक अलग प्रकार का रहा। यद्यपि ये विजय प्राप्त करने की उसकी पद्धति प्राचीन ग्रीस या रोम के राज्यों के द्वारा अनुसरित रीति से बहुत भिन्न नहीं थी। तो भी विजय प्राप्ति की जो पद्धति ब्रिटिशों ने अपनाई वह ११ वीं शताब्दी में साम्राट विलियम एव उसके वंशजों द्वारा इंग्लैण्ड पर कब्जा जमाने के लिए उपयोग में लाई गई रीति नीति से बहुत मिलती जुलती है। १५ वीं शताब्दी से लेकर यूरोप के दुनियाभर के साम्राज्य विस्तार में उपयोग में लाए गए साधनों में व्यापार एव वाणिज्य प्रमुख थे। जब कि ११ वीं शताब्दी से १५ वीं शताब्दी के मध्यमें किए गये युद्धों में मध्यकालीन यूरोपीय ईसाई धार्मिकता की धार्मिक एव लश्करी शक्ति साम्राज्य विस्तार एव स्थायीकरण के मुख्य कारक थे।

साम्राज्य विस्तार की नई पद्धति का सन् १४९२ से पूर्व के समय का दृष्टान्त इंग्लैण्ड के हेन्री सप्तम के एक दस्तावेज से मिलता है, जो सन् १४८२ में जारी हुआ था। यह दस्तावेज ज्हाउन केबोट एव उसकी सन्तानों को ऐसी जगहों को कब्जे में लेने एव उन जगहों पर राजा का झण्डा एव चिह्न स्थापित करने की अनुमति देता था जो "कोई भी गाँव, शहर, किला या टापू या प्रमुख भूमि जो उनके द्वारा नई खोजी गई हो", जो 'पूर्वी, पश्चिमी या उत्तरी समुद्रमें हो और जिस पर परधर्मियों या पापियों का स्वामित्व रहा हो, जो विश्व के किसी भी भाग में स्थित हो और जिसकी जानकारी आज तक किसी भी ईसाई को न हो'। राजा ने उन्हें उनके प्रत्येक समुद्री साहस के दौरान

ऐसी जगहों पर आक्रमण करके उन्हें हस्तगत करने की एव उस पर कब्जा जमाने की सत्ता दी, इस शर्त पर कि उन जगहों की आय का पाँचवा भाग वे राजा को दे दे।^१ लगभग १४५० से ऐसे अनेकों अभिलेख यूरोप के राजाओं के द्वारा जारी किए गए, एव उसकी परम्परा अशत हमारे समय तक चली।

इंग्लैण्ड के द्वारा अपनाई गई विजयप्राप्ति की अजीबोगरीब रीतियों का रोचक दृष्टान्त उसके पड़ोसी देश आयरलैण्ड के साथ के उसके सम्बन्धों से मिलता है। सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में आयरलैण्ड के एटर्नी जनरल सर ज्हाण डेविस ने अपने लेखों द्वारा आयरलैण्ड के लिए अधिक प्रभावशाली राजनीति के सम्बन्ध में यह सूचित किया है कि आयरलैण्ड के विजय में अवरोधक दो प्रमुख कारणों में एक, युद्ध के लिए की गई ढीली कार्यवाही एव दूसरा राजनीति में शिथिलता है। क्योंकि जमीन को बुआई के लिए तैयार करने के लिए प्रथम तो किसान को उसे अच्छी तरह से जोतना पड़ता है। और जब पूर्ण रूप से जुताई हो जाए एव उसमें खाद एव पानी अच्छी तरह से डाल दिए जाएँ तब यदि वह उसमें अच्छे बीज न बोए तो जमीन ऊसर बन जाती है एव उसमें खरपतवार के सिवा कुछ पैदा नहीं होता। इसलिए असस्कृत प्रजा को अच्छी सरकार की रचना के लिए सक्षम बनाने के लिये पहले ही उसका सामना करके उसे तोड़ना आवश्यक है। जब वह पूर्णतः नियन्त्रण में आ जाए तब यदि उसे नियमन के द्वारा व्यवस्थित न किया जाए तो वह प्रजा बहुत जल्दी ही अपनी असस्कारिता पर उतर आती है।^२

४

लगभग सन् १५०० से यूरोप का विस्तार केवल पश्चिम ही नहीं, पूर्व की ओर भी हुआ। पश्चिम की ओर उसका ध्यान अमेरिका की विशाल जमीन, उसकी खनिज सम्पत्ति तथा वन्य सम्पत्ति पर था। जिसके कारण अमेरिका के समीप स्थित द्वीपों पर तथा उत्तर, मध्य एव दक्षिण अमेरिका के पूर्वी खण्ड के प्रदेशों पर यूरोपवासियों की बस्तियाँ बढ़ने लगीं। कहा जाता है कि सन् १४९२ में जब यूरोप को अमेरिका खण्ड की जानकारी हुई तब वहाँ रहनेवालों की संख्या लगभग ९ से ११ २ करोड़ थी। जब कि यूरोप की जनसंख्या उस समय लगभग ६ से ७ करोड़ थी।^३

उस समय अमेरिका के निवासी स्थानीय लोगों का जब तक लगभग सर्वनाश नहीं हुआ तब तक अर्थात् अनुमानतः ४०० वर्ष तक यूरोप ने उनसे असंख्य युद्ध किए। उन्हें गुलाम बनाने तथा उन्हें खदानों में तथा नए शुरु किए गए खेती इत्यादि कामों में मजदूर के रूप में उपयोग में लेने के बहुत प्रयास किये। परन्तु उनकी यह योजना

यशस्वी नहीं हुई, क्योंकि गुलाम बनने की अपेक्षा अपने विनाश को उन्होंने अधिक श्रेष्ठ माना।

इन युद्धों से भी एक अन्य भीषण बात स्थानीय अमेरिका वासियों के लिए यह थी कि यूरोप से आनेवाले नवागन्तुक अपने साथ रोग भी लाए जो इन स्थानीय लोगों के लिए जानलेवा सिद्ध हुए। उदाहरणार्थ यूरोप के देशों में उस समय शीतला, चेचक, क्षय, मलेरिया, पीतज्वर, विषमज्वर के विभिन्न प्रकार तथा अनेक ससर्गजन्य गुप्त रोगों ने भीषण जानहानि की। इसके साथ ही सन् १६१८ के आसपास उत्तर अमेरिका के न्यू इंग्लैण्ड में प्लेग की महामारी फैली। यूरोपीयों के ससर्ग में आने से पहले अमेरिका के स्थानीय लोगों ने इस प्रकार के रोगों के जीवाणुओं का सामना नहीं किया था, इसलिए उनमें रोग प्रतिकारक शक्ति का अभाव था। परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों की बस्तियों का सफाया हो गया।^४

अमेरिका के मूल स्थानीय लोगों का बड़े पैमाने पर होने वाला सफाया सन् १६२५ में न्यू इंग्लैण्ड में आनेवाले अंग्रेजों के लिए तो जैसे 'ईश्वर की लीला' थी। उसने सोचा कि इस पतन के कारण 'यह पूरा प्रदेश अंग्रेजों को बसने के लिए एव प्रभु की कीर्ति बढ़ानेवाले मंदिर बनवाने के लिए अधिक उत्तम हो गया है।' उसी समय एक अंग्रेज ने कहा कि 'प्रभु ने यह प्रदेश हमारे लिए ही खोज दिया है एव अधिकांश स्थानीय लोगों को घातकी युद्धों द्वारा तथा जानलेवा बीमारियों के द्वारा मार डाला है।'^५ पचास वर्ष बाद न्यूयॉर्क के एक वर्णन में कहा गया 'सामान्य रूप से ऐसा देखा गया है कि जहाँ अंग्रेज स्थायी होना चाहते हैं वहाँ दैवी हाथ उनके लिए रास्ता बना देता है। या तो वे भारतीयों (अमेरिका के मूलनिवासी) को आन्तरिक युद्धों के द्वारा या जानलेवा बीमारियों के द्वारा नष्ट कर देता है।' और लेखक ने जोड़ा, "यह सचमुच प्रशंसनीय है कि जब से अंग्रेजों ने वहाँ निवास करना प्रारम्भ किया तब से ही वहाँ के निवासियों का आश्चर्यजनक रूप से ईश्वर के हाथों नाश हुआ एव उनकी संख्या कम होती गई। क्यों कि हमारे समय में जहाँ छ नगर थे उसकी जनसंख्या घटकर अब दो छोटे छोटे गाँवों में सिमटकर रह गई है।"^६

अठारहवीं शताब्दी के मध्य में या कदाचित् उससे भी पूर्व, यूरोप से जानेवाले नवागन्तुकों ने अपना शीतला, प्लेग जैसा जानलेवा रोग उस समय के अमेरिका के स्थानीय लोगों में जानबूझकर फैलाया। ब्रिटन के सेनापति द्वारा सन् १७६३ में जानबूझकर शीतला का रोग उत्तर अमेरिका में डाला गया। वे कैदियों को बदमाश मानते थे एव उनकी इच्छा ऐसी थी कि कोई भी बदमाश जीवित नहीं रहना चाहिए। उसे ऐसा

समाचार भी मिला था कि फोर्ट पिट में शीतला का रोग फैल गया है तब उसे लगा कि यह रोग उनके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकता है। यह जानकर ब्रिटन के सैन्य के एक अन्य अधिकारीने ऐसा भी कहा 'मे इस रोग के जीवाणुओं को कैदियों के कम्बलों में फैला दूंगा जिससे यह रोग उन्हें मार डाले। साथ ही साथ मैं यह सावधानी भी रखूँगा कि मुझे इस रोग का सक्रमण न लगे।' ^७ इस प्रकार, बीसवीं शताब्दी की दुश्मन देशों में रहनेवाले मनुष्य, प्राणी तथा वनस्पति जगत में जानलेवा बीमारी फैलाने की प्रथा के मूल पुरानी यूरोपीय संस्कृति में रहे होंगे ऐसा लगता है।

५

यूरोपीयों ने जब अमेरिका की खोज करने के बाद वहाँ बसना प्रारम्भ किया तब उन्हें मजदूरों की बहुत आवश्यकता पडने लगी। अमेरिका के जो थोड़े बहुत निवासी बचे थे उनसे मजदूरी का काम नहीं करवाया जा सकता था। यूरोपीय स्वयं तो खदान में काम करने, जंगल काटने या खेतीबाड़ी का काम करने जैसे परिश्रमी काम करने के लिए सक्षम नहीं थे। इसलिए उन्होंने पश्चिम तथा मध्य आफ्रिका के काले युवकों और प्रौढ़ों को पकड़ना शुरू किया। जो इस पकड़ने के हिंसक दौर से बचे उन्हें जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया गया। इन गुलामों को जहाजों द्वारा अमेरिका भेजा गया। सन् १५०० से सन् १८७० के दौरान अमेरिका या अटलान्टिक महासागर के द्वीपों पर वास्तविक पहुँचे हुए ऐसे गुलामों की संख्या उस समय की समुद्रयात्रा से सम्बन्धित टिप्पणियों के अनुसार १ करोड़ जितनी है। ^८ यदि हम विभिन्न प्रक्रियाएँ जैसी कि गुलामों को पकड़ना, अन्दरूनी क्षेत्रों से आफ्रिका के समुद्रतट पर लाना, जहाजों पर चढाना और लम्बी समुद्री यात्रा करवाना इत्यादि के दौरान मरनेवाले लोगों की गिनती का एक सामान्य अनुमान लगाएँ तो गुलामी की इस प्रक्रिया से प्रभावित काली आफ्रिकन प्रजा की संख्या लगभग पाँच करोड़ तक पहुँचेगी। कदाचित् यह संख्या दस करोड़ जितनी भी होगी। यद्यपि इस अनुमान में आफ्रिका के प्रभावित क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था में पैदा हुए विघटन या उनके समाज में हुई पुरुषों की संख्या की बहुत बड़ी मात्रा में कमी को या यूरोपीयों की घूसखोरी से प्रसूत नए रोगों को तो गिनती में लिया ही नहीं गया है।

सन् १७७० में ऐसे गुलामों की प्रतिशत में संख्या उस काल के ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी कैरेबियन में ९१ प्रतिशत थी वह उत्तर अमेरिका में २२ प्रतिशत एवं दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट्स में ४० प्रतिशत थी। ^९ सन् १७९० में उस समय के यू.एस.ए. में गुलामों की संख्या कुल प्रजा के १९.३ प्रतिशत थी जबकि यूरोपीयों की संख्या ८० प्रतिशत

थी। सन् १९०० तक यू.एस.ए. में आफ्रिकनो का अनुपात कम होकर ११८ प्रतिशत जितना था।^{१०} अमेरिका के मूल स्थानीय लोगो को १७९० और १९०० में गणना में नहीं लिया गया था।

इसके अतिरिक्त यूरोप के स्त्री पुरुष जिन्हें सन् १९०० तक ब्रिटेन में नीचले वर्ग का माना जाता था, उन्हें भी कुछ वर्षों तक के करार पर जबरदस्ती नोकरी पर रखा गया एव बाद में अमेरिका भेज दिया गया। यूरोपीयों के हमवतनी होने से उनकी स्थिति कम त्रासदीयुक्त तथा कुछ अच्छे भविष्य की वचनबद्धता से युक्त थी। निश्चित समयसीमा पूर्ण होने पर उन्हें मुक्त करके कुछ भूमि देकर स्वतन्त्रतापूर्वक काम करने की अनुमति दे दी जाती थी। सन् १६५५ से सन् १६७८ के दौरान बिस्टोल के इंग्लैण्ड के बन्दरगाह से उत्तर अमेरिका में ले जाए जानेवाले ऐसे नौकरीपेशा लोगो की वार्षिक संख्या अनुमानत ४०० थी। सन् १६८४ में लंदन से लाए जानेवाले मजदूरों की संख्या ७६४ थी एव सन् १७४५ से १७७५ के दौरान जो नौकरीपेशा लोग ब्रिटेन से उत्तर अमेरिका के एनापोलिस शहर में पहुँचे उनकी संख्या १९,९२० थी उनमें ९,३६० ऐसे लोगो का समावेश था जिन्हें अपराधी होने का ठप्पा लगाया गया था।^{११}

उन्नीसवीं शताब्दी में भारत से ऐसे नौकरीपेशा लोगो को ब्रिटेन के आधिपत्य में स्थित दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण आफ्रिका एव अटलाण्टिक महासागर के टापुओं पर बड़े पैमाने पर भेजा गया वह इस यूरोपीय प्रथा की केवल नकल ही थी।

यूरोप में ऐसे गुलामों की संस्थाएँ प्राचीनकाल से ही अस्तित्व में थीं। प्राचीन ग्रीस के तथा ईसा पूर्व के रोम के राज्य में गुलामी की प्रथा बड़े पैमाने पर अमल में थी। ईसा पूर्व ४३२ या उससे भी पूर्व के एथेन्स में अर्थात् लगभग सोक्रेटिस के समय में गुलामों की संख्या १,१५,००० थी, जबकि उस समय उसकी समग्र जनसंख्या ३,१७,००० थी। इसके अतिरिक्त वहाँ ३८,००० मेटिक (एक गुलाम जाति) एव उनके परिवार भी थे। ऐसा अनुमान है कि स्पार्टा में गुलामों का अनुपात बहुत अधिक था। सन् ३७१ ईसा पूर्व में स्पार्टा में अर्थात् प्लेटो के युग में गुलाम (जो कि हेलोट कहलाते थे) की संख्या १,४०,००० से २,००,००० तक थी एव पेरीओकी, गुलाम के समान, की संख्या ४०,००० से ६०,००० थी। जब कि वहाँ कुल जनसंख्या १,९०,००० से २,७०,००० थी। इसमें स्पार्टा के सम्पूर्ण नागरिक अधिकार युक्त लोगो की संख्या तो केवल २५०० से ३००० थी एव सीमित अधिकार वाले स्पार्टा के लोगो की संख्या १५०० से २००० थी।^{१२}

६

एशिया में यूरोप का बढ़ता हुआ वर्चस्व

यूरोप ने अमेरिका में अपने आधिपत्य का विस्तार किया एवं अफ्रिका में भी घूसखोरी शुरू की इसके साथ ही उसने पूर्व की ओर स्थित एशिया में भी अपना विस्तार शुरू किया। भारत पहुँचने का समुद्री मार्ग खोजा गया उसके दस बारह वर्षों में ही यूरोप ने गोवा तथा उसके आसपास के प्रदेशों पर अपना कब्जा जमा लिया। सोलहवीं शताब्दी के मध्य में विशाल विजयनगर के राजकर्मियों ने शस्त्रों के लिए पुर्तगालियों का आधार लिया, तो सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मुगल सम्राट जहागीर, एक ओर पश्चिम भारत एवं पश्चिम की खाड़ी तो दूसरी ओर अरेबिया के समुद्री मार्ग में अवरोध रूप बने हुए समुद्री डाकूओं को दूर करने के लिए अग्रेजों की सहायता ले रहा था। इससे भारत पर यूरोप का उस समय कैसा प्रभाव था इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सन् १५५० तक तो श्रीलंका, मलेशिया, थाइलैण्ड एवं इण्डोनेशिया के टापु तथा उसके आसपास के प्रदेशों में यूरोप की उपस्थिति दिखने लगी थी।

ऐसा लगता है कि सत्रहवीं शताब्दी में तो यूरोपने अफ्रिका के दक्षिण तथा पूर्व समुद्री किनारों के प्रदेशों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था। यह सब भिन्न भिन्न इस्ट इंडिया कंपनियों के माध्यम से किया गया था। यूरोप के भिन्न भिन्न राज्यों के द्वारा प्रेरणा दी गयी या उन प्रदेशों में कम्पनी चलाने के लिए लिखित परवाने दिए गए। साथ ही इन कंपनियों को यूरोप की स्थलसेना तथा नौसेना द्वारा संरक्षण दिया गया।

उस काल के एक लेखक के मतानुसार 'सन् १६८७ से भी बहुत पहले से ही सियाम (थाइलैण्ड) सरकार की दीवानी तथा लश्करी शाखाओं में अग्रेजों ने विश्वास सम्पादित किया था।' एक अग्रेज मिरजू तथा ताना करीम में 'शोबदर या आयात विभाग का उपरी अधिकारी' था तो दूसरा अग्रेज 'राजा के नौकादल के सेनापति' के समान ऊँची पदवी पर था।^{१३} सत्रहवीं शताब्दी में जब उच्च एवं पुर्तगालियों की प्रमुख सत्ता दक्षिण पूर्वी एशिया पर थी तब उन्होंने अपने वर्चस्वयुक्त क्षेत्रों में ऐसे अनगिनत पद प्राप्त किए थे।

अफ्रिका का यूरोप के राष्ट्रों के बीच बड़े पैमाने पर किया गया विभाजन तो उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, परन्तु यूरोप की अफ्रिका में घूसखोरी एवं उसके वर्चस्व का बीज तो सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही पड़ गया था। भारत, दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण एशिया पहुँचने का मार्ग खोजे जाने के तुरन्त बाद ही अफ्रिका के पश्चिम,

दक्षिण एव पूर्वी समुद्री किनारो पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर उनकी छावनी स्थापित की गई। लगभग १४५० से अस्तित्व में रही आफ्रिकनो को गुलाम बनाकर पहले भूमध्य सागर के टापुओ पर एव वहाँ से अमेरिका ले जाने की प्रथा के कारण यूरोप की घूसखोरी आफ्रिका के हार्द तक पहुँच गई। इसके बाद यूरोपीय वसाहतो के अनुकूल स्थान सर्व प्रथम दक्षिण आफ्रिका में खोजे गये। सन् १७०० तक बहुत स्थानों पर ऐसी बस्तियाँ बन गईं जिसके कारण वहाँ यूरोपीयों का पूर्ण वर्चस्व स्थापित हुआ।

अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ओस्ट्रेलिया तथा उसके आसपास के टापुओ में भी उन्होंने प्रवेश किया, और जो स्थिति अमेरिका की हुई उसीका पुनरावर्तन वहाँ भी हुआ।

लगभग सन् १७०० तक तो भारत के प्रमुख क्षेत्रों में यूरोप द्वारा कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं किया गया था। कदाचित् भारत बहुत विशाल एव विविधतापूर्ण देश था एव चीन तो उससे भी अधिक, इसलिए प्रयास कदाचित् यही हुए होंगे कि पहले भारत को बाहर की तरफ से घेरा जाए, उसके अन्य प्रदेशों के साथ सम्पर्क काट दिए जाएँ एव मौका मिलने पर उस पर सीधा आक्रमण किया जाए। ऐसी हलचल भले ही अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही हुई हो, परन्तु प्रमुख आक्रामक क्रियाकलाप तो सन् १७५० के आसपास ही शुरू हुए। प्रारम्भ में मद्रास एव उसके दस वर्ष बाद बंगाल में इसका प्रारम्भ हुआ। इसके बाद इस विजय प्राप्ति का सिलसिला एक शतक तक अर्थात् १८५० तक अविरत चलता रहा। चीन भारत की अपेक्षा अधिक विशाल एव दुर्गम होने के कारण यूरोप का चीन में हस्तक्षेप १८०० के बाद ही शुरू हुआ। १८५० तक तो यूरोप ने समग्र विश्व पर अपना प्रभुत्व प्राप्त कर लिया।

७

भारतीय समाज एव राज्य व्यवस्था में प्रवेश

अमेरिका एव आस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का लगभग सम्पूर्ण विनाश, पश्चिम एव मध्य आफ्रिका के राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में भयकर दखल, जहाँ युवकों तथा वयस्क पुरुषों को व्यापार की वस्तु के रूप में गिना जाता था, उन सब की तुलना में यूरोप का एशिया के प्रति व्यवहार बहुत ही 'सुसंस्कृत' कहा जा सकता है। सन् १४९८ से पूर्व के एशिया के मूल निवासियों के उत्तराधिकारी, यूरोप ने वहाँ पहुँचने का मार्ग खोजा उसके ५०० वर्ष बाद भी उसी भूमि पर निवास करते हैं। एशिया के

प्रदेशों पर यूरोप का प्रभाव निरन्तर दिखाई देता रहा। वहाँ के लोग यूरोपीयों के हमलों के सामने टिक तो पाए परन्तु मानसिक तथा सामाजिक स्तर पर वे टूट गए।

भारत का एक प्रमुख लक्षण है जातिव्यवस्था। यह व्यवस्था भौगोलिक रूप से स्थान से सम्बन्धित है एव सामाजिक रूप से समूह अथवा समुदाय केन्द्रित है। इसकी तुलना में यूरोप की रचना व्यक्ति केन्द्रित है। सन् १९४७ में ऐसी बस्तियों की संख्या लगभग ७,००,००० थी। यह संख्या हजार या दो हजार वर्ष पूर्व भी कदाचित् बहुत भिन्न नहीं होगी। भिन्न भिन्न बस्तियों में विभाजित एव भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से पहचानी जाने वाली ऐसी मूल जातियों की संख्या कदाचित् १०० से अधिक नहीं है। ऐसी जातियों की भिन्न भिन्न उपजातियों एव बस्तियों के सम्बन्ध एव परस्पर-आवलम्बन से ही भारत की समाज रचना बनी है। यह केवल हिन्दुओं की ही (जो कि भारत के ८५ प्रतिशत लोग हैं) बात नहीं है। जो इस्लाम या इसाई पन्थ में क्रमशः गत ८०० से २०० वर्षों में धर्मान्तरित हुए हैं वे भी लगभग इसी प्रकार की समाज रचना में सगठित हुए हैं।

जाति विषयक इतनी जानकारी से स्पष्ट है कि भारत अपने प्रत्येक प्रान्त या बस्ती में रहनेवाले समूह की सहमति के आधार पर स्थापित समाज है। भारत की राज्य व्यवस्था जो गत २००० वर्षों से भी अधिक वर्षों से रचित है वह, इन बस्तियों तथा प्रान्तों में बसने वाले समूहों के आपसी सम्बन्ध, तथा उससे उद्भूत सहमति ही भारतीय 'धर्म' की सकल्पना के मुख्य तत्त्व हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ बस्तियों या प्रान्तों के बीच या धर्म के विभिन्न अर्थघटनों को लेकर कोई मतभेद नहीं था, परन्तु भारतीय मानस जीवन के प्रति इस प्रकार के सर्वसामान्य एव मूलभूत दृष्टिकोण के द्वारा रचित है जो स्थानीय तनाव तथा आपसी मतभेदों पर स्वाभाविक रूपसे ही नियन्त्रण कर सकता है।

इस से लगता है कि भारतीय समाज एक मद गति से बहता हुआ अचल प्रवाह है जो घटनाओं रूपी अवरोधों से अपनी दिशा नहीं बदलता है। आपसी सहमति, समानता एव सन्तुलन भारत के लिए नवीन भविष्य के अतिशय मोहक प्रतिबिम्ब से भी अधिक महत्त्वपूर्ण रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बदलाव या परिवर्तन ही नहीं है, परन्तु वे भारतीय समाज में तभी आवश्यक रहे जब उन्होंने उनकी आपसी सहमति या सन्तुलन को बनाए रखा। इसलिए भारतीय राजकर्ता की भूमिका केवल एक मार्गदर्शक की या फिर प्लेटो द्वारा दर्शाए गए आदर्श पुरुष की या तो एक नियामक की है जो एक प्रबन्धकर्ता के रूप में रहकर स्थानीय या प्रान्तीय लोगों के रीति रिवाज एव पसन्द, नापसन्द के अनुसार कार्य

करे। यह एक ऐसी सांस्कृतिक राज्य व्यवस्था है जो अपने विविध भागों के बीच समान मूलभूत विचार तथा लक्ष्य से युक्त है। फिर भी उनके बीच का जोड़ सूत के तन्तु के समान नरम एवं मजबूत है। 'चक्रवर्ती' का विचार भारत के एक होकर मिलजुल कर रहने का स्वभाव तथा उसके अभिजात समाज का प्रतीक है ऐसा भासित होता है। चक्रवर्ती के प्रतीक ने कदाचित् यह एकचक्री राज्यव्यवस्था को शक्ति एवं अजेयता प्रदान की है।

यह राज्य व्यवस्था भारत में पुरातन काल से चली आ रही है। यूरोपीयों की कल्पना ऐसी है कि भारतवासी मूल भारत के नहीं हैं। (उनके मतानुसार कदाचित् भारत में भी अमेरिका के समान आक्रमण हुए होंगे।) परन्तु ऐसा कहना अधिक सही होगा कि प्राचीन भारतवर्ष का एक भाग भारत, एक ऐसा देश है जिस पर कदाचित् कम से कम आक्रमण हुए होंगे। जब कि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के सभी भारतवासी एक ही स्रोत से आए हों। कुछेक परदेशियों ने समयान्तर में भारत में प्रवेश भी किया था। जिनमें सबसे बाद के विदेशी भारत के पश्चिम में स्थित सीमावर्ती प्रदेश से आए थे। फिर भी लगभग बारहवीं शताब्दी के अन्त तक तो भारत का शासन प्रशासन अपने ही राज्यकर्ताओं तथा अपनी ही राज्य व्यवस्था के द्वारा चला। तेरहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी के दौरान मुगलों द्वारा किए गए आक्रमण या उनका वर्चस्व भारत पर होने के बावजूद भी वे भारत की सामाजिक अर्थव्यवस्था को हानि नहीं पहुँचा पाए थे। परन्तु ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्यों मुगलों का हस्तक्षेप भारतीय समाज पर बढ़ता गया। कुछ हद तक समाज दुर्बल व भीरु बनता गया। जिसके कारण वह अपनी आन्तरिक शक्ति के विषय में सशयग्रस्त बनता गया। यद्यपि इस दुर्बलता या अनिश्चितता के मनोभाव का मूल कदाचित् भारत की प्राचीन पद्धति में भी हो। १९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक भारत की शूरवीरता कुछ हद तक टिकी रही। ब्रिटन के आधिपत्य के प्रारम्भ के उसके राज्यप्रबन्ध के विषय में भारतवासियों द्वारा अवश्य विरोध किया गया, क्योंकि उनका व्यवहार भारतीय नियमों के अनुसार 'अन्यायपूर्ण' था। इस विरोध के द्वारा उन्हें समझाया गया कि वे जो कर रहे हैं उस 'अन्यायपूर्ण व्यवहार' को बदलकर भारतीय नियमों के अनुसार चले। इसके लिए महात्मा गांधी द्वारा सूचित 'सत्याग्रह' के विशिष्ट प्रयोग जैसे असहयोग, बहिष्कार, या सविनय कानूनभंग इत्यादि भी शुरू हुए। किसानों, मजदूरों, नगरवासियों, द्वारा ऐसे अनेक प्रकार के विरोध का प्रदर्शन किया गया। एक विशिष्ट उदाहरण के रूप में १८९०-९१ में प्राचीन वाराणसी तथा वर्तमान उत्तरप्रदेश तथा बिहार के कुछ नगरों के आवासों पर ब्रिटिश राज्य द्वारा 'कर' लगाया गया। उस समय का वृत्तान्त दर्शाता है कि उस 'कर' के विरोध में किसानों, एवं मजदूरों, विशेष करके सुनार, लुहार जैसे धातु से

सम्बन्धित कारीगरो एव कुछ तन्त्रज्ञो ने भी भाग लिया था। जिसमे लगभग २०,००० लोगो ने कई दिनो तक वाराणसी मे धरना दिया था और कहा जाता है कि पडोस के शहरो से लगभग २,००,००० लोग वहाँ एकत्र हुए थे। मरघट के डोम ने भी अपना काम बन्द कर दिया था एव मृतदेहो को भी बिना अन्तिम सस्कार किए ही गंगा मे प्रवाहित कर दिया गया था।^{१४} भारत के लगभग सभी प्रान्तो मे ऐसे अनेको विरोध ब्रिटिश राज्य के प्रारम्भ मे किए गए। सन् १८४३ मे सूरत शहर मे ब्रिटिश सरकार द्वारा 'नमक पर कर' लगाया गया तब वहाँ भी उसका अप्रत्याशित विरोध किया गया था।^{१५}

ब्रिटिश एव यूरोपीयो के मतानुसार सत्रहवीं एव अठारहवीं शताब्दी मे भारत की आन्तरिक स्थिति कुछ ऐसी थी। उस समय प्रजा राज्यकर्ता के दबाव मे नहीं थी। उल्टे राज्यकर्ता प्रजा के दबाव मे रहता था।^{१६} राज्यकर्ता के अन्यायपूर्ण व्यवहार करने पर उस समय के नियम के अनुसार उसे बदल दिया जाता था। यही कानून राजा एव प्रजा के सम्बन्धो मे आन्तरिक सभ्यता बनाए रखने मे सहायक था। प्रथा ऐसी थी कि जब कोई मुलाकाती आए तो अतिथि तथा यजमान दोनो एकदूसरे को भेट देते थे। उसमे मेहमान द्वारा लाई गई भेट सामान्य रूप से कम महगी व छोटी होती थी परन्तु यजमान द्वारा उसे कीमती भेटसौगाते दी जाती थीं। ऐसी ही सभ्यता न्यायालयो मे भी कायम थी। वहाँ आनेवाला प्रत्येक व्यक्ति जाते समय पान सुपारी की अपेक्षा करता था जो उसे अवश्य दिया जाता था।^{१७}

८

आज भारत मे जो विद्यमान एव दृश्यमान हैं वैसे सोलहवीं शताब्दी मे बनवाए गए भव्य मन्दिर, दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे मद्रास के पास उत्तर मैसूर मे स्थित भारत की राज्यव्यवस्था से सम्बन्धित असख्य शिलालेख, वहाँ के छोटेबड़े फव्वारो की कला-कारीगरी, दिल्ली के अशोकस्तम्भ जैसे अनेकानेक लोहस्तम्भ, ये सब भारतीय सस्कृति के भौतिक चिह्न हैं। यद्यपि भारत के या पश्चिम के साहित्य मे इसका बहुत उल्लेख नहीं है, तो भी सन् १८०० तक भारत की अधिकाश बस्तियों मे तथा कई प्रान्तो मे ऐसे सास्कृतिक चिह्नो के निर्माण का काम हो रहा था। सम्भव है कि इस सस्कृति की जो भव्यता बारहवीं शताब्दी मे चरम उत्कर्ष पर थी उसकी सुन्दरता एव व्यापकता धीरे धीरे कम होने लगी थी। लगभग सन् १८०० तक भले ही ये कलाकृतियाँ अपनी भव्यता खो चुकी थीं फिर भी व्यापकता यथावत् थी।

भारत का इतिहास दर्शाता है कि उसका विकेन्द्रीकरण अभी जिसे जिला कहते

है ऐसे ४०० छोटे प्रान्तों में एव भाषा तथा सस्कृति के आधार पर १५ से २० प्रान्तों में बहुत पहले से ही हुआ था। भारत के कई प्रान्त तथा जिलों में सूत, रेशम तथा ऊन कातने, रगने, उसका कपड़ा बुनने एव उसे छापने का काम बहुत बड़े पैमाने पर चलता रहा। लगभग सभी अर्थात् ४०० जिलों में कपड़ा तैयार किया जाता था। सन् १८१० के आसपास दक्षिण भारत के सभी जिलों में १०,००० से २०,००० के लगभग हथकरघे थे।^{१८} एक सामान्य अनुमान के अनुसार उस समय भारत में लोहे तथा फौलाद के उत्पादन के लिए १०,००० के लगभग भट्टियाँ थीं। उन्नतसर्वी शताब्दी के प्रारम्भ के दशकों में भारत में उत्पादित फौलाद बहुत उच्च गुणवत्तायुक्त माना जाता था। ब्रिटिश लोग शल्यक्रिया के साधन (Surgical Instruments) बनाने में उसी फौलाद का उपयोग करते थे। यह फौलाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सके ऐसी भट्टियों में बना हुआ था जिन की क्षमता एक वर्ष में ४० सप्ताह काम करके २० टन जितने उत्तम कक्षा के लोहे का उत्पादन करने की थी। उस समय सोना, चादी, पीतल एव कासे का काम करनेवाले कई कारीगर थे। साथ ही अन्य धातुओं का काम करनेवाले कारीगर भी थे। ऐसे लोग भी थे जो कच्ची धातु की खानों में काम करते थे और विभिन्न धातु का उत्पादन करते थे। कुछ लोग पत्थरों की खानों में काम करते थे। उस समय शिल्पियों, चित्रकार, मकान बनानेवाले कारीगर भी थे। साथ ही चीनी, नमक, तेल तथा अन्य वस्तु का उत्पादन करनेवाले (लगभग एक प्रतिशत लोग) भी थे। सन् १८०० से एव उसके आसपास हस्तकला तथा अन्य उद्योगों के १५ से २५ प्रतिशत भारतीय विभिन्न प्रान्तों में कम अधिक मात्रा में थे। इसके अतिरिक्त कुछ समय सूत कातने का काम भी चलता था। चरखे पर २५ घण्टे कातकर जितना सूत बनता था उससे कपड़ा बुनने के लिए ८-घण्टे लगते थे। बुनाई में लगभग सम्पूर्ण बस्ती के ५ प्रतिशत लोग लगे हुए थे। इस से लगता है कि भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में चरखा चलाने का काम वर्ष भर चलता होगा।

मनुष्य तथा पशुधन के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में भारत के पास ओषधियाँ तथा शल्य क्रियाकी सुप्रस्थापित प्राचीन पद्धति थी। सन् १८०० के आसपास के समय में मोतियाबिन्दु तथा प्लास्टिक सर्जरी का काम भारत के भिन्न प्रान्तों में होता ही था। ब्रिटेन में एक शोधक ने कहा है कि लगभग १७९० के बाद भारतीय प्लास्टिक सर्जरी के अध्ययन के आधार पर ब्रिटेन में वर्तमान आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी की पद्धति का विकास किया गया।

चेचक निवारण टीकाकरण की व्यापक भारतीय पद्धति का ब्रिटिश मुलाकातियों ने या अठारहवीं शताब्दी के मध्यमें भारत में रहनेवाले ब्रिटिश लोगों ने उपयोग किया एव

ब्रिटन के चिकित्साकर्मियों के लिए उपयोगी बनाने के उद्देश्य से उसका विस्तार से वर्णन किया है।

विशेष बात यह है कि ब्रिटिश मुलाकातियों या विशेषज्ञों द्वारा जिस किसी भी भारतीय पद्धति का विवरण किया गया है वह सब उस समय की ब्रिटिश पद्धतियों में सुधार करने हेतु था। अमुक पद्धतियाँ कितनी लाभकारी हैं यह सूचित करने हेतु उसका विवरण किया गया। लगभग १७७० के आसपास बंगाल के ब्रिटिश कमाण्डर इन चीफ की ओर से ब्रिटिश रोयल सोसायटी को विस्तार से दी गई जानकारी एक पत्र के रूप में थी। उसमें प्रमुख रूप से इलाहाबाद के गरम जलवायु को ध्यान में रखकर कृत्रिम बर्फ के उत्पादन की प्रक्रिया बताई गई थी। ऐसे उदाहरण तो अनेक हैं। उदाहरण के तौर पर बोर्ड ऑफ़ एग्रीकल्चर, लन्दनको, ब्रिटनमें १७९५ में प्रारम्भ हुए बीज तथा बीजाकुरण विषयक प्रयोगों के लिए उपयोगी, दक्षिण भारत में होनेवाले कुछेक बीजप्रयोगों का विवरण भेजा गया था। भारतीय चूना एवं कपड़े के रंगों के घटक तथा उसकी समग्र पद्धति तथा लोहे के उत्पादन की पद्धति का निरूपण ब्रिटन में अपनाई जानेवाली तत्कालीन पद्धति में सुधार लाने हेतु भेजा गया था।^{१९} जब ब्रिटन में लगभग सन् १८०० के आसपास साधारण बच्चों की शिक्षा हेतु प्रयास प्रारम्भ किए गए तब भारत में सत्रहवीं एवं अठारहवीं शताब्दी के दौरान प्रचलित 'प्रमुख छात्र पद्धति' (monitor system) की ओर कुछ यूरोपीयों का ध्यान गया था। ब्रिटन को प्रारम्भ में इसी पद्धति पर निर्भर रहना पड़ा था।^{२०}

हिन्दुस्तानी बस्ती का अधिकांश भाग खेती एवं पशुपालन पर निर्भर था। जबकि अधिकांश प्रदेशों में आधे से अधिक जनसंख्या खेती के व्यवसाय में ही थी। पूर्व में उल्लेख हुआ है उसके अनुसार खेती के उपकरण आधुनिक युक्तिपूर्वक तैयार करके उपयोग में लाए जाते थे। खेती की पद्धतियों में बहुत वैविध्य दिखाई देता था। जैसे कि बीज का चयन, उसकी देखभाल, विविध उर्वरक, बुआई, तथा सिंचन इत्यादि पद्धतियों की विभिन्न विकसित एवं युक्तिपूर्ण पद्धतियाँ अपनाकर भारत का किसान प्रचुर मात्रा में फसल प्राप्त करता था। १८०३ के ब्रिटिश अहवाल के अनुसार इलाहाबाद वाराणसी क्षेत्र की खेती की उपज एवं ब्रिटन की खेती की उपज की तुलना करने पर ब्रिटन में गेहूँ की पैदावार से यहाँ तीन गुना अधिक पैदावार दर्ज की गई थी। तमिलनाडु के चेगलपट्टु जिले में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार १७७० के लगभग की धान की प्रति हेक्टर औसत पैदावार ३ से ४ टन थी। जब कि जिले की उत्तम प्रकार की जमीन में यह पैदावार ६ टन जितनी थी। उल्लेखनीय है कि विश्व में आज भी धान का सर्वश्रेष्ठ

उत्पादन प्रति हेक्टर ६ टन ही दर्ज किया गया है।

सन् १८०० के आसपास देखी जाने वाली खर्च एव उपभोग प्रणाली से भी कुछ तुलना एव सन्तुलन बिठाया जा सकता है। इसके लिए १८०६ में दर्ज की गई बेलारी एव कुडाप्पा जिले की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। पूरा जनसमाज तीन भागों में बँटा है। उच्च वर्ग, मध्यम कक्षा के निर्वाहक साधनों से परिपूर्ण मध्यम वर्ग, निकृष्ट साधनों से निर्वाह करनेवाला निम्न वर्ग। बेलारी जिले में उच्च वर्ग में समाविष्ट लोगों की संख्या २,५९,५६८ थी। मध्यम वर्ग की ३,७२,८७७ एव निम्न वर्ग की संख्या २,१८,६८४ थी। इन वर्गों का प्रति परिवार वार्षिक औसत उपभोक्ता खर्च ६९ ३७ ३० के अनुपात में था। सभी परिवारों में अनाज का उपभोग समान था। परन्तु अनाज की गुणवत्ता एव भिन्नता के कारण उपभोक्ता खर्च का अनुपात भिन्न दिखाई देता है। उपभोग की सामग्री की सूची में २३ वस्तुओं के नाम थे, जिसमें घी, एव खाद्यतेल का अनुपात लगभग ३ १ १ था, जबकि दाल तथा अनाज ८ ३ ३ के अनुपात में खर्च होता था।^{२१}

९

अठारहवीं शताब्दी के मध्य के भारतीय समाज की राजनैतिक एव आर्थिक स्थिति को १७६७-१७७४ के दौरान तमिलनाडु के चेगलपट्टु जिले के ब्यौरेवार सर्वेक्षण के द्वारा समझा जा सकता है।^{२२} जबकि यह ब्रिटिशों के द्वारा बहुत विस्तार से किया गया प्रथम सर्वेक्षण था। उस समय वे हिन्दुस्तान की तत्कालीन सामाजिक स्थिति, उत्पादन प्रणालियों एव औद्योगिक ढाँचे के आन्तर्सम्बन्धों से लगभग अनजान थे। इसलिए यह सम्भव है कि यह सर्वेक्षण एक अनुमानित स्थिति ही हो जिसमें प्रवर्तमान बहुत सी वास्तविकताओं एव तत्कालीन स्थिति ध्यान में न आई हो। इसका सटीक उदाहरण नमक पकाने वाले लोगों की संख्या का ही है जो केवल ३९ जितना ही बताया गया है। जबकि वास्तव में केवल चेगलपट्टु जिले का ही १०० किमी लम्बा समुद्रकिनारा है, जिसके आसपास लगभग २००० हेक्टर में नमक पकाने के अंगर स्थित थे। ऐसा भी हो सकता है कि सर्वेक्षण में केवल नमक पकाने में व्यस्त एव देखभाल रखनेवालों की ही गणना की गई हो, समग्र उत्पादन प्रक्रिया के साथ सम्बन्धित लोगों की गणना नहीं की गई हो।

निम्न लिखित सारिणी में जो निरूपण दिया गया है उससे चेगलपट्टु क्षेत्र के सम्पूर्ण समाज की तत्कालीन (१७७० के आसपास) स्थिति को समझने में सहायता मिलने की सम्भावना है। यह चित्र तत्कालीन भारतीय समाज की अठारहवीं शताब्दी के अन्त भाग की स्थिति को भी दर्शाता है।

१ १८८० बस्तियों में वितरित भूमि, ('कणी' में)
(१ कणी लगभग आधे हैक्टर से अधिक भूमि के बराबर है)

	हैक्टर
कुल भूमि	७,७९,१३२
पर्वतीय एव नदी का क्षेत्र	३६,०९९
ऊसर	८४,९७३
नमक के अगर	४,१९०
सिचाई के स्रोत (तालाब, सरोवर इत्यादि)	१,००,८०६
जंगल	१,३०,७९०
बागायत क्षेत्र	१४,०५५
आवास क्षेत्र	२४,०८०
बिना खेती की सिचाईयुक्त भूमि	५८,६६८
बिना खेती की बिना सिचाईयुक्त भूमि	५०,६२२
सिचाईवाली खेती	१,८२,१७२
बिना सिचाई की खेती युक्त	८८,०६९

खेती के योग्य भूमि का अधिकांश भाग (बगाल में चाकरण एव बाजी जमीन) मान्यम् के रूप में जाना जाता था। जिस भूमि के 'कर' से प्राप्त धन राज्य की प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सस्थाओं एव लोगों के लिए उपयोग में लिया जाता था उसे मान्यम् कहते थे। इस प्रकार १७७० में चेगलपट्टु जिले की सिचाईयुक्त ४४,०५७ कणी एव बिनासिचाईकी २२,६८४ कणी भूमि मान्यम् थी। उत्तर एव दक्षिण का अधिकांश क्षेत्र बारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक तो मान्यम् ही था। ऐसी मान्यम् भूमि धारक लोगों व सस्थाओं की संख्या हजारों में थी। केवल बगाल के एक जिले में सन् १७७० के आसपास ऐसे ७०,००० व्यक्ति मान्यम् के अधिकार से युक्त थे।

२ मवेशियों की संख्या (१५४४ बस्तियों में)

गाय	९४,६८५
भैंस	५,४१७
बकरी	१४,९३१
भेड़	१४,९७०
बैल	५९,५५०

३ व्यवसाय (१५४४ बस्तियों में)

कुल परिवार	६२,५२९	व्यापार एव सराफी	४,३१२
खेती एव पशुपालन	३३,९६३	चेट्टी	२,०५१
चर्मकार	७,४११	अन्य व्यापारी	१,८३९
पल्ली	९,६९३	सराफ	४२२
पेरियार	११,०५२	आवश्यक सेवाएँ	१,६८५
रेड्डी	१,४१७	नाई	६६४
कम्मावर	१,००५	धोबी	८६२
गोपाल	२,५७३	चिकित्सक	१५९
शनार	८१२	विद्वान, उच्च शिक्षा, पुरोहित एव	
हुन्नर एव उद्योग	८,२३४	सास्कृतिक गतिविधि	८,६८४
बुनकर	४,०११	ब्राह्मण	६,६४६
कपास धुनिया	८५	पडाराम	१,०५४
बढई	५३६	देवदासी	६२२
लोहार	३९४	चर्मकला	१३७
शिल्पी	४५	वोचून्स	१७३
महरा	३६	सगीतकार	२७
सुनार	२०९	कुटाडी (रग कर्मी)	२५
तेली	६३७	प्रशासनिक सेवा एव रक्षकदल	२,६८१
कुम्हार	३८९	तालुकदार (कनकपिल्लई)	१,६६०
लकडहारा	५९६	पनिसेवान	३१४
आगरी	३९	तालीयार	७०७
मछुआरा	५९०	सैनिक सेवा	१,४७९
मोची	७८	मुस्लिम	७३३
खानिए	८९	भूमि सुधारक	६७१
अन्य (लगभग)	५००	फकीर	६२
		अन्य घरेलू कार्य	७४८

मान्यम भूमि के 'कर' (उत्तर भारत में चाकरण या बाजी जमीन के रूप में) की आय के अतिरिक्त विविध सस्था या व्यक्ति अथवा एक ही सस्था या व्यक्ति एव अन्य कई खेती की समग्र उपज एव बिनखेती व्यवसाय (व्यापार, आर्थिक प्रवृत्ति तथा उद्योग

धधो) से होनेवाली आय का अंश प्राप्त करते थे। ऐसा भी देखने को मिलता था कि खेती की उपज का एक चौथाई हिस्सा स्थानीय मन्दिरो या मस्जिदों जैसे देवस्थानों को दिया जाता था। यह हिस्सा सबसे पहले निकाला जाता था। चंगलपट्टु जिले में, खेती की उपज का २७ प्रतिशत हिस्सा इसके लिए अलग रखा जाता था। १,४५८ बस्तियों के लिए किए गए सर्वेक्षण के अनुसार उत्पादन वितरण की स्थिति कलाम के रूप में निम्न विवरण से जानी जा सकती है। (एक कलाम लगभग १२५ किलोग्राम के बराबर है)

	कलाम
खेती की उपज	१४,७९,६४६
कुल वितरण	३,९४,९५०
प्रत्येक बस्ती की सस्थाएँ एव व्यवसाय	२,६४,८२४
स्थानीय देवालय	१३,८८२
देवदासी, पण्डाराम एव ज्योतिषी	१८,५०३
खेतमजदूर (इनमें अधिकांश पेरियार थे)	८७,५०४
सिचाई के लिए धन	१९,८०६
कारीगर (बढई/लुहार)	१९,४७०
कुम्हार	२,७४९
नायी	६,१६९
धोबी	६,०५८
तोलाट	११,५६१
सराफ	९,३३२
कनकपिल्लई	३१,६२४
पनिसेवान	३,११०
तोटी	१,३७१
स्थानीय लोग (निवासी)	३१,१९७
अन्य	२,४८८
बाहर की सस्था एव व्यक्ति	१,३०,१२६
साधु, सत, महात्मा, विद्वान, छात्र	२५,३२१
प्रशासनिक	५३,५७२
सैनिक (पालयक्करण)	४५,९३६
मस्जिद/दरगाह/फकीर	२,५१८
अन्य	२,७७९

भारतवासियों की प्रतिष्ठा का जो उत्तरोत्तर क्षरण होता गया उसके साथ खेतीबाड़ी, शिक्षा, उद्योग एवं टेक्नोलोजी के स्तर पर भी स्थिति बिगड़ गई। साथ ही भौतिक ससाधनों की भी बहुत खानाखराबी हुई। पर्यावरण को भी बहुत सहना पड़ा। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। यहाँ तक कि भारत के अधिकांश जंगल एवं जल संपत्ति बेहाल हुई। विदेशी आधिपत्य के कारण इन की ओर ध्यान देना बन्द हो गया एवं लोगों से इन सभी को छीन लिया गया। यह इस बरबादी का प्रमुख कारण है। यह भी उतना ही सत्य है कि अन्य स्थानों की यूरोपीय नीति के समान ही ब्रिटिश भारतीय वन नीति भी भारतीय वन को कुबेर का भण्डार मानने लगी एवं सारी संपत्ति यूरोप की ओर खींचने का प्रयास करने लगी। सन् १७५० - १८०० के दौरान यूरोपीयों की एक निजी टिम्बर सिन्डीकेट भारत के अधिकांश भागों में अस्तित्व में रही। विशेष रूपसे मलबार में, जहाँ का वन अक्षय संपत्ति के समान था। लगभग १८०५ के आसपास लन्दन से आदेश आया था कि सभी निजी वनों को सरकारी नियन्त्रण में लाया जाए। सन् १८२६ की बर्मा की लड़ाई के बाद बर्मा हिन्दुस्तानी ब्रिटिश आधिपत्य में आ गया, एवं वहाँ के वनों को सीधे सरकारी नियन्त्रण में ले लिया गया। सन् १८०० से सन् १८४८ के दौरान अकेले ही एक मिलियन टन साग की लकड़ी का निकास करनेवाले मोलमेन बदरगाह को भी सरकारी नियन्त्रण में ले लिया गया।^{२३} सन् १८५० के बाद भारत में रेल तथा अन्य औद्योगिक विकास के बहाने भारत के वनों की माग बढ़ा दी गई। साथ ही वननीति एवं कानून अस्तित्व में आए जिससे २५ वर्ष की कम अवधि में ही समग्र भारत की वनसम्पत्ति ब्रिटिश राज्य के हाथों में चली गई। परन्तु इसके बाद इस विपुल सम्पत्ति का अन्धाधुन्ध निकन्दन होता रहा। यह उस समय की हिन्दुस्तानी ब्रिटिश नीति के अनुरूप ही था। उसमें यूरोप या अमेरिका में जो हुआ उसी का विकृत रूप दिखाई देता था। यही नहीं भारत में तो उसका अनापशनाप अमल होता रहा। यूरोप ने इस प्राकृतिक सम्पदा को भौतिक सम्पदा के रूप में ही देखा जो कि मानव शोषण का एक साधन बनती रही। ऐसी भ्रान्त धारणा के कारण ही यूरोप के जंगल नामशेष हुए। सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक इंग्लैण्ड वनाच्छादित भूखण्ड था, जो सन् १८२३ तक एक तिहाई भाग ही रह गया, जब कि फ्रान्स में सन् १५०० में बारहवें भाग का ही जंगल बचा था।

सन् १८४० के समय में भारत में राजकीय अर्थतन्त्र बहुत तेजी से नष्ट हो रहा था। उस अवधि में उत्तर अमेरिका से लन्दन आनेवाले अहवाल के अनुसार वनों के

व्यापक विनाश के कारण वर्षा कम हो रही थी। इसलिए लन्दन चौक उठा एव बगाल, मुबई एव मद्रास स्थित अपनी सरकार को उसने इस विषय पर गहरी छानबीन करने का आदेश दिया। मद्रास प्रेसीडेन्सी एव उसके अधिकांश अधिकारी इस बात पर एकमत हुए कि पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में जहाँ जंगल कटे हैं ऐसे क्षेत्रों में वर्षा का अनुपात कम हुआ है। जब कि सन् १८४९ में मद्रास रेवन्यू बोर्ड एव मद्रास सरकार का निष्कर्ष कुछ अलग ही था -

- १ देश के वे मैदान जो वृक्षों से आच्छादित रहते हैं, वर्षा लाने में सक्षम नहीं हैं।
- २ उसका जलवायु पर प्रभाव एव क्षेत्र की उत्पादन क्षमता पर पेचीदा प्रश्न उठता है एव जंगल की स्वाभाविक जलवायु जानलेवा मलेरिया के लिए जिम्मेदार है।
- ३ यदि देश में अधिक जंगल रहे या उनका विस्तार बढ़ाया जाय तो कदाचित् अधिक वर्षा में सहायता मिल भी सकती है। परन्तु दूसरी ओर स्वास्थ्य की दृष्टि से जलवायु बहुत ही खतरनाक बन सकती है। भारत ने बहुत सी हानिकारक महामारी का अनुभव किया है। ऐसी महामारी में घर जंगल बन जाँगे।^{२४}

इन तर्कों को मान्यता मिली। वातावरण को शुद्ध रखने के विचार से यह स्वीकृत हुआ एव फलस्वरूप 'जंगल हटाओ' अभियान को मान्यता मिल गई।

भारतीय समाज का जबरदस्ती से होनेवाला क्षरण

भारत में समय समय पर ब्रिटन, फ्रान्स एव उससे भी पूर्व पुर्तगालियों के द्वारा देश के विभिन्न भागों में युद्ध हुए एव फलस्वरूप लूटमार एव अराजक की घटनाएँ बार बार घटती रहीं। सन् १७५० - १८०० के दौरान ही देशी राजाओं ने अपनी प्रजा एव क्षेत्र को बचाने के लिए ब्रिटिशों एव फ्रन्सीसियों को बड़ी राशि देने की बात दर्ज की गई है। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो हमलावर उन्हें लूट कर छीन लेते। जो लोग विजेताओं की शरणागति स्वीकार नहीं करते थे उन्हें विजेताओं की सेना का खर्चा उठाना पड़ता था एव ब्रिटिश या फ्रान्सीसी वरिष्ठ अधिकारियों को हँसकर स्वीकार करना पड़ता था। जिन लोगों के पास रूपए नहीं थे उन्हें ब्रिटिश सैन्य के कमाण्डर से उधार लेना पड़ता था। एकत्रित की गई सम्पत्ति उन्हें भेंट कर देना पड़ता था। अन्त में ऐसा खर्चा चुकाने के एवज में राजनैतिक भुगतान (Political power) पत्र लिखने के लिए

बाध्य किया जाता था। उधार ली गई राशि वार्षिक ५० प्रतिशत व्याज की दर से भरपाई करनी पड़ती थी। व्याज का इतना ऊँचा दर चुकाने के लिए देशी राज्यों को कर - विशेषरूप से जमीन पर कर - बढ़ाने के लिए बाध्य होना पड़ता था या ली गई राशि एव भारी व्याज की राशि चुकाने के लिए अपने राज्य का कुछ हिस्सा उस लेनदार के पास गिरवी रखना पड़ता था, जिससे वह लेनदार अपनी ऋण की राशि मनमाने रूप से वसूल कर सकता था।

यूरोप की आश्चर्यचकित कर देने वाली सस्थागत दुष्ट कुशलता एव भारत के अधिकांश जीते हुए प्रदेशों में फैली अराजकता एव टूटी हुई मन स्थिति के कारण भारत के अधिकांश भागों में सामाजिक व्यवस्था भी टूट गई थी। मान्यम जैसी पद्धति एव खेतीबाड़ी की उपज से भारत के राज्यों का कार्यकलाप चलता था। कुछ समय के बाद वह जीतनेवालों के हाथों में जाने लगा। प्रथा ऐसी थी कि उपज प्राप्त करनेवालों के पास उतना ही बचना चाहिए कि जिससे वे कठिनाई से अपना निर्वाह चला सके, परन्तु भारत का आपस में अनुबन्धित आंतरिक ढाँचा छिन्न भिन्न हो जाए। ऐसा भी निश्चित किया गया कि ५ प्रतिशत से अधिक जमीन मान्यम के लिए नहीं रहने देनी चाहिये एव किसानों के पास सस्थाओं एव व्यक्तियों को देने के लिए कुल उपज की ५ प्रतिशत से अधिक उपज नहीं रहनी चाहिये।

ब्रिटिश आधिपत्य के लिये देशी राज्य की विभिन्न सस्थाएँ सबसे बड़ी चुनौती एव भयस्थान थीं। इसलिए ऐसे प्रयास तथा रीतिनीति अपनाई गईं की उनकी अवमानना होती रहे, पग पग पर उनका मानभंग होता रहे, या उन्हें छोटी छोटी जागीरों में बाँटकर उनकी एकता एव बल को तोड़ा जा सके। इस प्रकार का एक खास सन्देश, ब्रिटन की सर्वोच्च सत्ता की ओर से मैसूर के नये महाराजा को सन् १७९९ में मूल राज्यपद वापस करते समय भेजा गया था। इसके साथ ही व्यापार पर, व्यवसायों एव रोजगारों पर, भूमि पर एव उपयोगी चीज वस्तुओं पर कर बढ़ाने की बात भी की गई थी। ब्रिटिश आधिपत्य के प्रथम सौ वर्षों में भूमि का राजस्व, समग्र खेती की पैदावार का ५० प्रतिशत जितना समग्र भारत में लागू कर दिया गया। तब तक मान्यम भूमि (चाकरण या बाजी भूमि) आधारित जो लाभ मिलता था वह समग्र खेती की पैदावार का १२ से १६ प्रतिशत से अधिक नहीं रहता था। यह सिलसिला इतने पर भी नहीं रुका। समग्र खेती की पैदावार का ५० प्रतिशत राजस्व लादने पर भी उन्हें चैन नहीं मिला। राजकीय अर्थव्यवस्था को खोखला बनाने की जैसे ब्रिटिशों ने कसर कस ली। कुछ उपजाऊ जमीनों पर तो राजस्व इतना लगाया गया कि वह उपज के मूल्य से भी अधिक हो गया। यही बात

उद्योग एवं व्यापार की भी थी। इसी समय निभाव स्रोत समाप्त कर दिये गये। सार्वजनिक काम रुक गये। देवालय, मठ, छत्र, कुएँ, तालाब जैसे निर्माण कार्य बन्द हो गये और १८४० तक तो भारत की सिचाई व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। ऐसी अवस्था के कारण राजस्व चुकाने में कठिनाई होने लगी। इसका प्रभाव सरकारी अधिकोष पर भी दिखाई देने लगा। अन्ततोगत्वा बाध्य होकर स्थानीय मजदूरों की सहायता से कुछेक मरम्मत का काम करवाना पड़ा तथा कुछ नई सिचाई व्यवस्था भी करनी ही पड़ी। इसी के साथ जमीन पर लागू किए गए, समग्र खेती की पैदावार के ५० प्रतिशत राजस्व को घटाकर सैद्धान्तिक रूप से ३३ प्रतिशत करने का निर्णय किया गया। ऐसे कुछ राहती नियमों का क्रियान्वयन सन् १८६० के बाद के समय में हुआ।

१२

आर्थिक अराजक के अनुभव के बाद सामाजिक ढाँचा भी छिन्नभिन्न हुआ। परिणामस्वरूप शिक्षा, आभिजात्य, बार बार आयोजित मेलों सम्मेलनों तथा उत्सवों में भी कमी आई। साक्षरता की मात्रा भी कम होने लगी। इसी समय में अर्थात् सन् १८२० के दशक में दक्षिण भारत में पाठशाला में पढ़ने योग्य बच्चों के २५ प्रतिशत पाठशाला में पढ़ते थे। उससे भी अधिक संख्या में छात्र जब समाजजीवन के अन्यान्य क्षेत्रों में अनवस्था प्रसूत थी तब भी अपने घरों में ही शिक्षा प्राप्त करते थे। परन्तु केवल ६० वर्षों के बाद, १८८० के दशक में यह अनुपात एक अष्टमांश हो गया। विद्वत्ता एवं उच्च अध्ययन जैसी गतिविधियाँ भी कम हो गईं। यह स्थिति सार्वत्रिक थी। देश में विद्वान कम होने लगे एवं सेकड़ों शिष्यवृत्तियाँ प्रतीक्षा में ही रह गईं। ऐसा लगने लगा कि भारत की आत्मा ही घुटन का अनुभव कर रही थी।

ऐसी भौतिक दुर्दशा एवं आर्थिक बेहाली के साथ ही देशी राज्यों का सगठन टूट गया, विद्वान मूक हो गये और समृद्धि का हास होने लगा। भारतीय समाज में फूट एवं विघटन की स्थिति निर्माण होने लगी। दीर्घ काल की इस दासता के फलस्वरूप लोगों में हीनता दृढ़ होने लगी। परिणामस्वरूप लोग अपने भव्य भूतकाल में जीने लगे और यूरोप में स्वयं पर तथा पड़ोसियों पर किस प्रकार एवं क्यों प्रभुत्व जमाया इसकी मनघडन्त बातें फैलाने लगे।

प्रारम्भ में मनोरम भूतकाल में रत रहना कदाचित् देशी समाज को टिकाए रखने के लिए तिनके के सहारे के समान उपयोगी भले ही लगा हो, परन्तु आज भी अधिकांश भारतवासी इसी रोग को पाले हुए हैं। दूसरी ओर सामान्य लोगों में आर्थिक एवं

सास्कृतिक अनवस्था एव हताशा, मानसिक उलझन या जटिलता जैसी स्थिति निर्माण हुई, जिससे लोग और जड़ हो गए। पण्डित या विद्वान एव समृद्ध लोग यूरोपीय विद्वत्ता से प्रभावित होकर, उनकी सभ्यता को अपनाकर अपनी एक अलग पहचान बनाने में लग गए। हो सकता है कि इस प्रकार से प्राप्त की गई विद्वत्ता, बुद्धिचातुर्य या कौशल गैरयूरोपीय विश्व की तुलना में भारत में अधिक चमकीला लगता हो। यद्यपि उन्नीसवीं एव बीसवीं शताब्दी में ऐसे लोगों में ही एक व्यक्ति - मोहनदास करमचंद गांधी - ऐसे भ्रामक प्रभाव से मुक्त ही रहे। उल्टे स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पर इसका बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता था। ऐसे विरोधाभास के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं -

१९३० से १९४७ के दौरान भारतीय राष्ट्रवादी २६ जनवरी के दिन को 'पूर्ण स्वराज्य की माग के दिन' के रूप में मनाते रहे। १९५० से यह दिवस गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतन्त्रता से पूर्व इनमें से ही किसी एक दिन एक शपथ ली गई, जिसमें प्रतिज्ञा थी, 'भारत की ब्रिटिश सरकारने भारत के लोगों को न केवल स्वतन्त्रता से वंचित रखा है अपितु समग्र प्रजा के शोषण के लिए हम पर सवार होकर देशको आर्थिक, राजनैतिक, सास्कृतिक एव आध्यात्मिक रूप से नष्ट किया है। ऐसे दुष्कृत्यों को हम मानव एव ईश्वर के प्रति किया गया अपराध समझते हैं। हमारे देश का विनाश करनेवाले राज्य के सामने हम नहीं झुकेगे।' देश की सस्कृति के विनाश के विषय में उसमें कहा गया था कि 'शिक्षा प्रणाली (ब्रिटिशों द्वारा प्रस्थापित) ने हमें छिन्न भिन्न करके तोड़ कर ताराज कर दिया है। और हमें जकड़नेवाली शृंखला को ही हम चाहने लगे हैं।'

भारत की स्वतन्त्रता विषयक अन्य विधेयको के समान ही इस विधेयक का मुसद्दा भी महात्मा गांधी ने ही रचा था।^{२५} सन् १९२८ के जनवरी में महात्मा गांधी ने ऐसी भी आशा व्यक्त की कि भारत की स्वतन्त्रता अन्य उपनिवेशों एव गुलाम बनाए गए लोगों की स्वतन्त्रता का सोपान बनेगी। वे कहते थे, 'भारत अपनी इच्छा के अनुसार जो प्राप्त करेगा वह अन्य देश भी प्राप्त करेगा।'^{२६} हम भली प्रकार जानते हैं कि ब्रिटिश आधिपत्य से भारत के स्वतन्त्र होने के पन्द्रह वर्षों में विश्व के दक्षिणपूर्व एशिया, आफ्रिका, जैसे देश भी एक या दूसरे रूप से स्वतन्त्र हो ही गए हैं।

अधिकांश भारतवासियों की ऐसी मान्यता रही है कि ब्रिटिश शासनने भारत को सास्कृतिक एव आध्यात्मिक रूप से चौपट कर दिया है। परन्तु कुछ लोग इस सोच से सहमत नहीं हैं। १९४७ में स्वतन्त्रता मिलने के बाद भी वे असहमत ही रहे हैं। ऐसे

आधुनिकों में जवाहरलालजी एक थे। यद्यपि सार्वजनिक रूप से वे ऐसे कथनों का आमना सामना करने से स्वयं को बचाते थे, परन्तु १९२८ के आसपास के दिनों में व्यक्तिगत रूप से वे अपने विचार व्यक्त करते रहे थे। महात्मा गांधी को लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा, 'आपने कहीं पर कहा है कि भारत को पाश्चात्यों से सीखने लायक कुछ भी नहीं है, उसने तो पहले से ही सयानेपन के शिखर सर कर लिए हैं। मैं आपके इस दृष्टिकोण से निश्चित रूप से सहमत नहीं हूँ। मेरे मतानुसार पश्चिम, विशेष कर औद्योगिक संस्कृति भारत को जीतने में समर्थ है। हाँ उसमें सुधार और परिवर्तन अवश्य होंगे। आपने औद्योगिकरण की कुछ कमियों की आलोचना तो की पर उसके लाभ तथा उत्तम पहलू को अनदेखा भी किया है। लोग कमियाँ समझते ही हैं फिर भी आदर्श राज्य व्यवस्था एवं सामाजिक सिद्धान्तों के द्वारा उसका निवारण सम्भव है ही। पश्चिम के कुछ बुद्धिजीवियों का मन्तव्य है कि ये कमियाँ औद्योगिकरण की नहीं हैं परन्तु पूँजीवादी प्रणाली की शोषणवृत्ति की पैदाइश है। आपने कहा है कि पूँजीपति एवं मजदूरों के बीच संघर्ष नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि पूँजीवादी प्रथा में ऐसा संघर्ष अनिवार्य है।'^{२७} पश्चिमी आधुनिकता विषयक सोच ही उस प्रकार की है ऐसा पंद्रह वर्ष बाद गांधीजी को नेहरूने बताया।^{२८} अपने पत्र में नेहरू ने यह भी टिप्पणी की कि, 'क्यों गाँवों को सत्य एवं अहिंसा के साथ जोड़ना चाहिए ? गाँव तो सामान्य रूप से बौद्धिक एवं सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। पिछड़ेपन के वातावरण में विकास सम्भव नहीं है। सकुचित सोच रखनेवाले लोग अधिकांशतः झूठे एवं हिंसापूर्ण ही होते हैं।'^{२९}

१३

पश्चिम का सम्पूर्ण ज्ञान एवं विविध तथ्यों विषयक सिद्धांतीकरण किसी मूल तथ्यों का साररूप ही यह माना जा सकता है। यह केवल मानवता या समाजविद्या जैसी विद्या तक सीमित न रहकर भौतिक विज्ञान के लिए भी कहा जा सकता है। उनमें एक, मानव नृवशशास्त्र है। मानववश विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो केवल गैर यूरोपीय और विजित लोगों के विषय में ही है। यह तथा इसके अनुपागिक अन्य शास्त्र गैर यूरोपीय लोगों ने जो सजा दी उसे केवल एक बीज समझ कर मूल्यांकन करते हैं। प्रोफेसर क्लाउड लेवी इस शास्त्र का वर्णन इस प्रकार करते हैं -

'नृवशशास्त्र कोई ऐसा शास्त्र या विज्ञान नहीं है जो खगोलशास्त्र के समान दूर सुदूर के पदार्थों के सिद्धान्त समझाता हो। वह तो इतिहास के ऐसे तथ्यों से रजित शास्त्र है जिसमें मानव समूह का अधिकांश भाग अन्य किसी के अधिकार में रहा हो,

जिस काल के दौरान लाखों लोगो ने अपने जीवन आधार को खो दिया हो, उनके सस्थागत ढाँचे टूट चुके हो, उन्हें क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतारा गया हो, गुलामी में जकड़ दिया गया हो, और ऐसे शेर का शिकार बनाया गया हो जिसके सामने वे टिक न पाए हो। नृवशशास्त्र हिंसा के इस युग की पुत्री है। मानव का वस्तु के रूप में मूल्यांकन करने की उसकी पद्धति तो ज्ञानमीमासा को भी पार कर जाती है। इसमें (करुणता तो यह है कि) मानव समूह का एक हिस्सा अपने जैसे ही दूसरे हिस्सेको वस्तु समझ कर सिद्धान्त बनाता है।

‘यह सरलता से भुलाई जा नहीं सकती। सब मिटाया भी नहीं जा सकता। यह केवल पश्चिम के विश्व द्वारा दिया गया मानवशास्त्र ही नहीं है अपितु विदेशी सस्कृति के प्रभाव में प्राप्त होनेवाली वस्तुनिष्ठ सोच का भी परिणाम है। उसी के अनुसार सभी बातों का वस्तु के रूप में मूल्यांकन करना आवश्यक हो गया। हम यह भूल गए कि उनकी चिन्ताओं के प्रति हम क्या कर सकते थे। हमने वह नहीं किया। वे हमारे प्रति एव उनके स्वयं के प्रति किए गए व्यवहार में कोई समानता नहीं रखते थे - न हो सकती थी।’^{३०} प्रोफेसर क्लाउड लेवी ने जो कुछ भी कहा उसमें मानवशास्त्र के लिए कुछ भी नया नहीं है। इससे पूर्व अस्सी वर्ष पूर्व सर एडवर्ड बरनेट टेलर ने इस शास्त्र की भूमिका को पुरानी सस्कृति के सहायक के रूप में गिनाया था। याद रहे एडवर्ड बरनेट को कुछ लोग नृवशशास्त्र का पितामह कहते थे। वे इस धर्माधिपत्य वाली सस्कृति के विषय में अन्त में बताते हैं कि वह खूब निर्दयी, कठोर एव कुछ दुःखदायी भी थी। इसलिए इस शास्त्र में माननेवालों की सस्था पुरानी सस्कृति में बची हुई क्रूरता को बाहर लाने के लिए आगे आयी। ‘ऐसी क्रूरता अत्यधिक दुःखदायी एव अत्याचारी होने के कारण उसका सहाय करना ही उचित था। यह कार्य शुभ या उचित लगे या न लगे तो भी मानवजाति के हित के लिए तत्काल करना आवश्यक है।’^{३१}

नृवशशास्त्र की यह परिभाषा तथा यूरोपीयों का उसके प्रति झुकाव, यूरोप से अतिरिक्त शेष विश्व को निगल गया।

यूरोप के प्रभाव में आए गैरयूरोपीय समाज में भी कुछ लक्षण समान दिखाई देते हैं। इस समाज ने अपने आराध्य देवताओं या भावनाओं एव तत्कालीन प्राणी जगत एव वनस्पति सृष्टि के साथ सन्तुलन बनाए रखा। इन सभी को वे अपनी सभ्यता का भाग ही मानते थे। इस प्रकार का भाव सन् १४९२ के पूर्व आए हुए अमेरिकन, आफ्रिकन,

दक्षिणपूर्व एशिया या भारतीय समाज में अधिक दिखाई देता था। भारत में तो यह बात अधिक दृढतापूर्वक प्रस्थापित दिखाई देती थी जिसके कारण भारतीय समाज की व्यापकता, विविधता एवं सकुलता का एक विशिष्ट चित्र उभर कर सामने आया है। इस समाज में ऐसा सन्तुलन स्थिर गुणधर्म या स्थाई स्वरूप का हो यह आवश्यक नहीं है। कदाचित् भारत के लिए यह सच हो, जहाँ प्रवाह विशिष्ट रूप से हमेशा बदलते रहते हैं। यह केवल भारतीय समाज का भिन्न भिन्न समयावधि का हूबहू वर्णन नहीं है। परन्तु भारतीय साहित्य की व्यापकता एवं उसके काल एवं चित्त की सकल्पना का परिचय भी है। एक लम्बे अन्तराल के बाद भारत जैसे समाज ने अपना सन्तुलन एक ओर से दूसरी ओर बदला है। परन्तु ऐसा बदलाव बहुत ही धीमा था। इसके विपरीत यूरोपीय समाज प्राचीन काल से आज तक ऐसे सन्तुलन से वंचित दिखाई देता है। इसलिए वहाँ हमेशा आन्तरिक तनाव रहा एवं इसीलिए उसके धर्मतन्त्र का ढाँचा सुदृढ बना। इससे विपरीत यूरोपीय सभ्यता का उद्देश्य समग्रता के मूल्य पर आशिक उपलब्धि को महत्त्व देता दिखाई रहा है। इसीलिए यूरोपीय समाज किसी निश्चित समय बिन्दु पर सन्तुलित हुआ नहीं जान पड़ता है। यदि ऐसा ही है तो वह यूरोप की आक्रामक एवं विध्वंसक प्रकृति का परिचायक ही माना जाएगा।

यह सम्भव है कि विश्व अब कदाचित् धीरे धीरे, परन्तु एक होने की दिशा में, बसुधैव कुटुम्बकम् की नयी (?) सोच साथ लेकर, सृष्टिसर्जन की स्वचालित प्रक्रिया को स्वीकार करके विशुद्ध समझ के साथ आगे बढ़ रहा है। यह यदि सच है तो यह नूतन दृष्टि सबका नारा बन जाएगी। सभी को उसे अपना ही पडेगा। इसके लिए प्रत्येक को आत्मखोज करनी पडेगी। ऐसी खोज समग्र समाज, राज्य, राष्ट्र, यूरोप या अन्य सभी को करनी ही पडेगी। ऐसा आत्मदर्शन, आत्मनिवेदन, गत पाँच शताब्दियों के हमारे भयानक कृत्यों के लिए पश्चाताप की भूमिका निभायेगा एवं अब तक जो भी हानि हुई है उसकी पूर्ति के या सुधार के उपाय का अवसर भी देगा।

अन्त में इतना ही है कि जब ऐसे भयानक कृत्य शुरू हुए एवं यूरोप की चालाकी ने अग्नि में घी डालने का काम किया तब गैरयूरोपीय विश्व ने यूरोप को दोष दे देकर अपनी स्थिति को अधिक बिगड़ने दिया। यूरोप के प्रभाव से पूर्व गैरयूरोपीय लोग तो सृष्टिसर्जन को नैसर्गिक मानकर स्वयं को अन्यो का स्वामी नहीं मानते थे। वे तो सृष्टि के अन्य सभी के साथ सहअस्तित्व के सम्बन्ध बनाने में लगे थे। उनका ऐसा व्यवहार समयान्तर में भी तटस्थ नहीं बना। यूरोप को दोषित मानने में स्वयं ही पामर, दु खदायी

जिस काल के दौरान लाखों लोगो ने अपने जीवन आधार को खो दिया हो, उनके सस्थागत ढाँचे टूट चुके हो, उन्हें क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतारा गया हो, गुलामी में जकड़ दिया गया हो, और ऐसे शेर का शिकार बनाया गया हो जिसके सामने वे टिक न पाए हो। नृवशशास्त्र हिंसा के इस युग की पुत्री है। मानव का वस्तु के रूप में मूल्यांकन करने की उसकी पद्धति तो ज्ञानमीमासा को भी पार कर जाती है। इसमें (करुणता तो यह है कि) मानव समूह का एक हिस्सा अपने जैसे ही दूसरे हिस्सेको वस्तु समझ कर सिद्धान्त बनाता है।

‘यह सरलता से भुलाई जा नहीं सकती। सब मिटाया भी नहीं जा सकता। यह केवल पश्चिम के विश्व द्वारा दिया गया मानवशास्त्र ही नहीं है अपितु विदेशी सस्कृति के प्रभाव में प्राप्त होनेवाली वस्तुनिष्ठ सोच का भी परिणाम है। उसी के अनुसार सभी बातों का वस्तु के रूप में मूल्यांकन करना आवश्यक हो गया। हम यह भूल गए कि उनकी चिन्ताओं के प्रति हम क्या कर सकते थे। हमने वह नहीं किया। वे हमारे प्रति एव उनके स्वयं के प्रति किए गए व्यवहार में कोई समानता नहीं रखते थे - न हो सकती थी।’^{३०} प्रोफेसर क्लाउड लेवी ने जो कुछ भी कहा उसमें मानवशास्त्र के लिए कुछ भी नया नहीं है। इससे पूर्व अस्सी वर्ष पूर्व सर एडवर्ड बरनेट टेलर ने इस शास्त्र की भूमिका को पुरानी सस्कृति के सहारक के रूप में गिनाया था। याद रहे एडवर्ड बरनेट को कुछ लोग नृवशशास्त्र का पितामह कहते थे। वे इस धर्माधिपत्य वाली सस्कृति के विषय में अन्त में बताते हैं कि वह खूब निर्दयी, कठोर एव कुछ दुःखदायी भी थी। इसलिए इस शास्त्र में माननेवालों की सस्था पुरानी सस्कृति में बची हुई क्रूरता को बाहर लाने के लिए आगे आयी। ‘ऐसी क्रूरता अत्यधिक दुःखदायी एव अत्याचारी होने के कारण उसका सहार करना ही उचित था। यह कार्य शुभ या उचित लगे या न लगे तो भी मानवजाति के हित के लिए तत्काल करना आवश्यक है।’^{३१}

नृवशशास्त्र की यह परिभाषा तथा यूरोपीयों का उसके प्रति झुकाव, यूरोप से अतिरिक्त शेष विश्व को निगल गया।

यूरोप के प्रभाव में आए गैरयूरोपीय समाज में भी कुछ लक्षण समान दिखाई देते हैं। इस समाज ने अपने आराध्य देवताओं या भावनाओं एव तत्कालीन प्राणी जगत एव वनस्पति सृष्टि के साथ सन्तुलन बनाए रखा। इन सभी को वे अपनी सभ्यता का भाग ही मानते थे। इस प्रकार का भाव सन् १४९२ के पूर्व आए हुए अमेरिकन, आफ्रिकन,

दक्षिणपूर्व एशिया या भारतीय समाज में अधिक दिखाई देता था। भारत में तो यह बात अधिक दृढतापूर्वक प्रस्थापित दिखाई देती थी जिसके कारण भारतीय समाज की व्यापकता, विविधता एवं सकुलता का एक विशिष्ट चित्र उभर कर सामने आया है। इस समाज में ऐसा सन्तुलन स्थिर गुणधर्म या स्थाई स्वरूप का हो यह आवश्यक नहीं है। कदाचित् भारत के लिए यह सच हो, जहाँ प्रवाह विशिष्ट रूप से हमेशा बदलते रहते हैं। यह केवल भारतीय समाज का भिन्न भिन्न समयावधि का हूबहू वर्णन नहीं है। परन्तु भारतीय साहित्य की व्यापकता एवं उसके काल एवं चित्त की सकल्पना का परिचय भी है। एक लम्बे अन्तराल के बाद भारत जैसे समाज ने अपना सन्तुलन एक ओर से दूसरी ओर बदला है। परन्तु ऐसा बदलाव बहुत ही धीमा था। इसके विपरीत यूरोपीय समाज प्राचीन काल से आज तक ऐसे सन्तुलन से वंचित दिखाई देता है। इसलिए वहाँ हमेशा आन्तरिक तनाव रहा एवं इसीलिए उसके धर्मतन्त्र का ढाँचा सुदृढ बना। इससे विपरीत यूरोपीय सभ्यता का उद्देश्य समग्रता के मूल्य पर आशिक उपलब्धि को महत्त्व देता दिखाई रहा है। इसीलिए यूरोपीय समाज किसी निश्चित समय बिन्दु पर सन्तुलित हुआ नहीं जान पड़ता है। यदि ऐसा ही है तो वह यूरोप की आक्रामक एवं विध्वंसक प्रकृति का परिचायक ही माना जाएगा।

यह सम्भव है कि विश्व अब कदाचित् धीरे धीरे, परन्तु एक होने की दिशा में, बसुधैव कुटुम्बकम् की नयी (?) सोच साथ लेकर, सृष्टिसर्जन की स्वचालित प्रक्रिया को स्वीकार करके विशुद्ध समझ के साथ आगे बढ़ रहा है। यह यदि सच है तो यह नूतन दृष्टि सबका नारा बन जाएगी। सभी को उसे अपना ही पड़ेगा। इसके लिए प्रत्येक को आत्मखोज करनी पड़ेगी। ऐसी खोज समग्र समाज, राज्य, राष्ट्र, यूरोप या अन्य सभी को करनी ही पड़ेगी। ऐसा आत्मदर्शन, आत्मनिवेदन, गत पाँच शताब्दियों के हमारे भयानक कृत्यों के लिए पश्चाताप की भूमिका निभायेगा एवं अब तक जो भी हानि हुई है उसकी पूर्ति के या सुधार के उपाय का अवसर भी देगा।

अन्त में इतना ही है कि जब ऐसे भयानक कृत्य शुरू हुए एवं यूरोप की चालाकी ने अग्नि में घी डालने का काम किया तब गैरयूरोपीय विश्व ने यूरोप को दोष दे देकर अपनी स्थिति को अधिक बिगड़ने दिया। यूरोप के प्रभाव से पूर्व गैरयूरोपीय लोग तो सृष्टिसर्जन को नैसर्गिक मानकर स्वयं को अन्धों का स्वामी नहीं मानते थे। वे तो सृष्टि के अन्य सभी के साथ सहअस्तित्व के सम्बन्ध बनाने में लगे थे। उनका ऐसा व्यवहार समयान्तर में भी तटस्थ नहीं बना। यूरोप को दोषित मानने में स्वयं ही पामर, दुःखदायी

एव लुटेरो के समान बन गया। अब विवेकपूर्ण सन्तुलन मात्र यूरोप के द्वारा आत्मखोज या पश्चाताप करने से प्राप्त नहीं होगा अपितु गैरयूरोपीय विश्वको भी इस प्रक्रिया में सहभागी बनना पड़ेगा।

संदर्भ

- १ डेविड बी विचन, 'नूतन अमेरिकी विश्व १६१२ तक का उत्तरी अमेरिका का दस्तावेजी इतिहास न्यू अमेरिकन वर्ल्ड अ डोक्यूमेण्टरी हिस्ट्री ऑफ़ नॉर्थ अमेरिका टू १६१२ New American world A Documentary History of North America to 1612 पाच खण्डों में, १९७९
- २ सर ज़ॉन डेविस, 'नामदार सम्राट के सुशासन के प्रारम्भ होने तक आयर्लैंड को पूर्ण रूप से परास्त कर अंग्रेज सत्ता के आधिपत्य में नहीं लाया जा सका उसके सही कारणों की खोज अ डिस्कवरी ऑफ़ द टू कोझेड व्हाय आयर्लैंड वॉज़ नेवर एण्टायरली सबड्यूड एण्ड ब्रॉट अण्डर ओबेडिअन्स ऑफ़ द क्राउन ऑफ़ इंग्लैंड अण्टील द बिगिनिंग ऑफ़ हिज़ मैजेस्टीज़ हैपी रेइज़ A Discovery of True Causes, Why Ireland was never entirely subdued and brought under obedience of the Crown of England until the beginning of His Majesty's happy reign, 1630 (पुनर्मुद्रण १८६०)
- ३ एच एफ डोबिन्स, 'अमेरिका के मूल निवासियों की जनसंख्या का अनुमान एस्टीमेटिंग अबोरिजिनल अमेरिकन पोप्युलेशन Estimating Aboriginal American Population' करण्ट एथ्नोपोलॉजी, खण्ड ७, क्र ४, अक्टूबर १९६६, पृ ३९५-४४९
- ४ बर्नार्ड डबल्यू शिहान, 'विनाश के बीज जेफरसन की उदारता और अमेरिकन भारतीय सीड्स ऑफ़ एक्स्टिंक्शन Jeffersonian Philanthropy and the American Indian' १९७३, पृ २२७-२२८
- ५ एच सी पोर्टर, 'अस्थिर जगली इंग्लैंड और उत्तरी अमेरिकी भारतीय, १५०० से १६०० द इन्कॉन्स्टण्ट सेवेज इंग्लैंड एण्ड द नॉर्थ अमेरिकन इण्डियन १५०० - १६०० The Inconstant Savage England and the North American Indian 1500 - 1600' १९७९, पृ ४२८
- ६ डैण्टन्स न्यूयॉर्क 'पूर्व में नया नेदरलैंड के नाम से पहचाने जाने वाले न्यू यॉर्क का संक्षिप्त विवरण अ ब्रीफ़ डिस्क्रिप्शन ऑफ़ न्यू यॉर्क फॉर्मर्ली कॉल्ड न्यू नेदरलैंडस A Brief Description of New York formerly called New Netherlands', १६७० (पुनर्मुद्रण १९०२), पृ ४५
- ७ जे सी लॉग, 'लॉर्ड जैफरी एम्हर्स्ट राजा का सिपाही लॉर्ड जैफरी एम्हर्स्ट अ सोल्डियर ऑफ़ द किंग Lord Jeffery Emherst A Soldier of the King', १९३३, पृ १८६-१८७

- ८ अन्यो के साथ आर डबल्यू फोगेल और एस एल एगरमन, 'समय क्रूस पर अमेरिका के नीग्रो की गुलामी का अर्थकारण टाइम ऑन क्रॉस द इकनॉमिक्स ऑफ अमेरिकन नीग्रो स्लेवरी Time on Cross The economics of American Negro Slavery', १९८९, पृ २१-२२। फोगेल और एगरमन द्वारा निर्दिष्ट ९५ लाख की सख्या अमेरिका में गुलामों के आयात को सूचित करती है।
- ९ वही
- १० एन्साईक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ११ वा सस्करण, १९११, खण्ड २७ पृ ६३६
- ११ अबट इमर्सन स्मिथ, 'उपनिवेशी बंधन में अमेरिका में गोरों की गुलामी और बधुआ मजदूरी, १६१७ से १७७६ के दौरान कोलोनिस्टस् इन बॉण्डेज व्हाउट सर्विट्यूट एण्ड कन्विक्ट लेबर इन अमेरिका, १६१७ - १७७६ Colonists in Bondage White Servitude and Convict Labour in America, 1617-1776' १९४७, पृ ३०८-३२५
- १३ डी जी ई हॉल के उद्धरण, 'बर्मा के साथ अंग्रेजों का प्रारम्भिक सम्बन्ध अर्ली इंग्लिश इन्टरकोर्स विद बर्मा Early English Intercourse with Burma', १९२८, पृ २५०
- १४ अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में जो भी टक्कर हुई उसके विषय में पुरातन लेख और अन्य सामग्री व्यापक रूप में उपलब्ध है। उसमें अधिकांश सामग्री भारतीय पुरातन लेख के रूप में भी निरूपित है। सन् १८१०-११ में आवास कर के विरोध में उठे जनआंदोलन का ब्यौरा 'भारतीय परम्परा में असहयोग', पुनरुत्थान, २००७ में उपलब्ध है।
- १५ सन् १८४३ में नमक पर डाले गये कर के विरोध में सुरत में हुए आन्दोलन का विवरण उसी वर्ष के मुम्बई प्रेसीडेन्सी रिकार्ड में उपलब्ध है।
- १६ ब्रिटिशों के भारत में आने से पूर्व के शासक शासित सम्बन्धों के विषय में भारत सरकार के, बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसीडेन्सी के अभिलेखागारों में ब्रिटिशों द्वारा निर्मित विपुल सामग्री उपलब्ध है। यही सामग्री अठारहवीं एवं उन्नीसवीं शताब्दी की है। इस काल के इंग्लैण्ड के भारत विषयक सरकारी कागजों में भी ऐसी सामग्री मिलती है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की सिलेक्ट कमिटी के समक्ष की हुई प्रस्तुति में इतिहासकार जेम्स मिल ने भी इस प्रकार की जानकारी दी है।
- १७ राजा और प्रजा के आपसी सम्बन्ध और भेंट के आदानप्रदान के विषय में सामग्री १८वीं एवं १९वीं शताब्दी के अभिलेखागारों में उपलब्ध है।
- १८ 'मोतरफा' और 'वीसाबुडी' नामक करों की जानकारी मद्रास प्रेसीडेन्सी के अभिलेखों में उपलब्ध है। इसमें गैरकृषक व्यवसायों और उद्योगों में जुड़े लोगों की सख्या है। विभिन्न जिलों में कितने करधे हैं उसकी भी सख्या है। भारत के और प्रदेशों में भी इसी प्रकार की जानकारी मिलती है। साथ ही १८७१, १८८१, १८९१ की जनगणना विषयक जानकारी भी उपलब्ध है।
- १९ भारत के सन् १८०० के आसपास के विज्ञान और तन्त्रज्ञान विषयक अभिलेखीय जानकारी भारत और इंग्लैण्ड दोनों में मिलती है।
- २० १८वीं एवं १९वीं शताब्दी की भारतीय शिक्षाकी पद्धति और व्याप से सम्बन्धित जानकारी लेखक के 'रमणीय वृक्ष १८वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा' पुस्तक में उपलब्ध है।

- २१ तमिलनाडु स्टेट आर्काइव्ज़ (टी एन एस ए), मद्रास बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू प्रोसीडींग्स (BRP), खण्ड २०२५, कार्यवाही ८-६-१८४६, पृ ७४५७, कडप्पा जिले के उपभोग विषयक सामग्री, खण्ड २०३०, कार्यवाही १३-७-१८४६ पृ ९०३१-७२४७, बेलारी जिले की जानकारी के लिये।
- २२ चेंगलपट्टु जिले के लगभग २,२०० गावों के विस्तृत सर्वेक्षण पर आधारित
- २३ इ पी स्टेबिंग, 'भारत के जंगल द फॉरेस्ट्स ऑफ़ इण्डिया The Forests of India', खण्ड १, १९२२
- २४ टीएनएसए बीआरपी, खण्ड २२१२, कार्यवाही १-१०-१८४९, पृ १४२२४ - १४२६०, विशेष अनुच्छेद ५४
- २५ सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय, खण्ड ४२, पृ ३८४-३८५ (अंग्रेजी), १० जनवरी, १९३०
- २६ सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय, खण्ड ३५, पृ ४५७ (अंग्रेजी), १२ जनवरी १९२८
- २७ सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय, खण्ड ३५, पृ ५४४ (अंग्रेजी), नेहरू का गांधीजी को पत्र, ११ जनवरी १९२८
- २८ सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय, खण्ड ८१, पृ ३१९-३२१, ५ अक्टूबर १९४५, महात्मा गांधी का नेहरू को पत्र
- २९ जवाहरलाल नेहरू, 'सिलैक्टेड वर्क्स', खण्ड १४, पृ ५५४-५५७, नेहरू का महात्मा गांधी को पत्र, ४ अक्टूबर १९४५
- ३० १७ नवम्बर १९६५ को अमेरिका के वॉशिंग्टन डी सी की स्मिथसोनियन इन्स्टीट्यूट के अर्धशताब्दी समारोह के अवसर में प्रा क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की टिप्पणी, अप्रैल १९६६ में 'करन्ट एन्थ्रोपोलॉजी' खण्ड २, अंक २ में प्रकाशित
- ३१ एस जे ताल्विआ द्वारा उद्धृत, 'जादू, विज्ञान, धर्म के परिप्रेक्ष्य में तर्क का औचित्य मैजिक, साइन्स, रिलिजन एण्ड द स्कोप ऑफ़ रेशनालिटी Magic, Science, Religion and the Scope of Rationality', १९९०, पृ ४४

२१. आधुनिक विज्ञान एवं गुलामी का समान आधार

वैचारिक आदोलन मनुष्य के इतिहास के समान ही प्राचीन है। भिन्न भिन्न युगों में ऐसे सभी आदोलनों का सदर्थ भिन्न भिन्न होने के बावजूद प्रभाव लगभग एक समान ही रहता है। इससे लगता है कि गौतम बुद्ध के बाद का समय, ईसापूर्व की रोम की उन्नति का समय, यूरोप एवं स्पेन के अन्य राज्यों में इस्लाम के विस्तार का समय-किसी भी समय में जो विचार जन्मे एवं प्रसारित हुए वे लगभग समान प्रकार के ही थे और जिन पर उनका प्रभाव पड़ा वह भी लगभग एक समान था। आजकी आधुनिक पश्चिमी ज्ञान शाखाएँ एवं विचारों के प्रभाव की भी यही स्थिति है।

गोलाबारुद, मुद्रण यंत्र और होकायत्र तेरहवीं या चौदहवीं शताब्दी में यूरोप में आया ऐसा कहा जाता है। एक लंबे अंतराल के बाद कदाचित् यूरोप को इसका बहुत बड़ा लाभ मिला हो, परन्तु प्रारम्भ में तो उसके कारण हलचल मच गई होगी। सत्रहवीं एवं अठारहवीं शताब्दी में भारत से आयात होनेवाले सूती कपड़े ने इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग को विच्छिन्न कर दिया था। प्राप्य अभिलेखों के अनुसार सन् १७२० में जब तुर्की से इंग्लैंड में शीतला का टीका लाया गया तब उसका बहुत विरोध हुआ था एवं वह बहुत बड़े वैद्यकीय एवं धार्मिक वादविवाद का विषय बना था।

इसी प्रकार इंग्लैंड एवं पश्चिम यूरोप में जब वपित्र एवं कृषि के अन्य उपकरण आए, धातुविद्या की नई प्रक्रियाएँ आईं, नई वनस्पतियाँ आईं, नई एवं अपूर्वज्ञात खगोलशास्त्रीय जानकारीयाँ आईं तब भी उतनी ही हलचल हुई होगी।

फिर भी ब्रिटिशरोंने जब पूना में सन् १७९० के दशक में प्लास्टिक सर्जरी देखी एवं उसी कालखण्ड में ब्रह्मदेश में तेल के कुएँ देखे एवं उसकी जानकारी इंग्लैंड में पहुँची तब सामाजिक जीवन में इतनी खलबली नहीं मची थी। उसके महत्त्व एवं प्रभाव के विषय में अब चर्चा करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। इतनी वह सर्वज्ञात हो गई है।

तेरहवीं शताब्दी से उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यभाग तक पश्चिम यूरोप को पूर्व से, विशेषकर एशिया के देशों से अनगिनत विचार एवं कारीगरी प्राप्त हुई है। संभव है कि

इनमें से कुछ विचारों का जन्म यूरोप में ही हुआ हो एव ईसा मसीह के बाद के प्रारम्भ के शतकों में वे लुप्त हो गये हो। इसलिए उनका मूल चाहे जो हो परन्तु जब इन विचारों एव कारीगरी का आगमन पहली बार यूरोप में हुआ तब उनका प्रबल विरोध हुआ। इतना ही नहीं तो उससे सामाजिक जीवन में भी अस्वस्थता की स्थिति का निर्माण हुआ। फिर भी इन सभी विचारों एव कारीगरी के कारण यूरोप के सामर्थ्य में वृद्धि ही हुई।

गत कुछ शतकों में यूरोप की सभ्यता ने बहुत सी समस्याओं का निर्माण किया है। उनमें से कुछ तो कभी हल न होने वाली हैं। वे समस्याएँ यूरोप ने स्वयं के लिए तो निर्मित की ही हैं परन्तु इससे भी अधिक गैरयूरोपीय देशों के लिए पैदा की हैं। यूरोप चाहे जितनी चिंता करता हो, चिन्ताता हो, वह चिंता प्रमाणिक भी हो तो भी उसने पर्यावरण के आत्यंतिक प्रदूषण की समस्या तो निर्मित की ही है, परन्तु उसके अतिरिक्त समस्याएँ भी यूरोप के लिए कोई नई नहीं हैं। नया तो यह है कि एक के बाद एक साहस करने में यूरोप गैरयूरोपीय देशों के लिए एक के बाद एक समस्या का निर्माण करता ही रहा है।

चारसौ पाँचसौ वर्षों से तीसरा विश्व अनेक प्रकार के लाद दिये जानेवाले सकटों का शिकार बनता ही रहा है। जबसे तीसरा विश्व यूरोपीय आधिपत्य, उसकी सगठनात्मक हिकमतों, उसकी व्यूहात्मक रचना आदि का स्वीकार करने लगा तबसे ही ये सकट पैदा हुए हैं। इस आधिपत्य ने तीसरे विश्व को अत्यंत दरिद्र बना दिया है। साथ ही अमेरिका के समान वहाँ की मूल जातियाँ पूर्णतः नष्ट हो गई हैं। इसलिए यह सकट अत्यंत तीव्रता से अनुभव नहीं किया जा सकता है। आज तो तीसरा विश्व ऐसी स्थिति पर पहुँच गया है जहाँ इन सभी सकटों की पराकाष्ठा हो गई है।

जवाहरलाल नेहरू एव उनके जैसे आज के तीसरे विश्व के विद्वानों के मानस आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान एव टेक्नोलॉजी की चमक एव शक्ति से अभिभूत हो गए हैं, यहाँ तक कि उनकी स्वतन्त्र रूप से सोचने की क्षमता ही जैसे हर ली गई है। यह चमक एकाध शताब्दी से अधिक पुरानी नहीं है, परन्तु शक्ति कुछ शताब्दी पुरानी है। जिस प्रकार, जिस क्षेत्र में, जितने व्यापक रूप में इस शक्ति का प्रयोग हो रहा है वह पश्चिम का रहस्य है। वर्तमान पाश्चात्य विज्ञान एव तन्त्रज्ञान इस शक्ति का परिणाम है। मुझे लगता है कि यूरोप की शक्ति तथा उसके विज्ञान एव तन्त्रज्ञान का मूल उसके तत्त्वज्ञान एव बाइबल की मान्यताओं में है। यूरोप का भूगोल एव उसकी आवश्यकताओं ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस तत्त्वज्ञान एव इन मान्यताओं को स्वीकार करने की परंपरा निर्माण की है। यह उसकी असीम शक्ति का मूल आधार है।

अति प्राचीन काल से भौतिक शक्ति का केन्द्रीकरण करना, यूरोप की सस्कृति का मुख्य लक्ष्य रहा है। इसी लक्ष्य के आधार पर सदियों से यूरोप की समग्र रचना बनी है। इसी लक्ष्य के आधार पर मनुष्य से व्यवहार करने की पद्धति का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार यूरोप अन्य देशों के साथ व्यवहार करता है वैसे ही व्यवहार उसने अपने देश के नागरिकों के साथ भी किया है। इंग्लैंड में तो ऐसा बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ है। ऐसा व्यवहार अमेरिका को खोज या यूरोप समुद्रमार्ग से एशिया के देशों में पहुँचा उससे पूर्व का है। यूरोप तो बहुत ही प्राचीनकाल से स्वतन्त्रता, बहुता एव समानता में यकीन करता है यह उन्नीसवीं शताब्दी में रेडिकल एव लिबरल हलचलों द्वारा पैदा की गई बहुत बड़ी भ्रान्ति है।

इतिहास को देखते हुए ऐसा लगता है कि भिन्न भिन्न सभ्यताएँ अपनी समकालीन सभ्यताओं से अलिप्त ही रही हैं। केवल अन्य सभ्यताओं की ही नहीं तो अपनी सभ्यता में भी मनुष्य की तो उन्होंने कभी परवाह ही नहीं की है। सैनिकी विजय के फलस्वरूप या अन्य किसी भी रूप में लोगों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया हमेशा से अस्तित्व में रही है।

बहुत बड़े पैमाने पर मनुष्य को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति यूरोपीय सभ्यता का प्रमुख लक्षण है। बहुत ही विशाल पैमाने पर लोगों को गुलाम बनाया जाता था। सोलहवीं, सत्रहवीं, एव अठारहवीं शताब्दी में गुलामों का व्यापार होता था, केवल उसी को याद करना पर्याप्त है। इससे भी पूर्व ग्रीक एव रोमन साम्राज्य के काल में भी इसी प्रकार होता था यह बात समझने की आवश्यकता है। आफ्रिका से गुलामों के रूप में लाखों लोगों को पकड़कर लाया जाता था। उसे 'शाही व्यापार' की सज़ा फर्नांड ब्रोडेल ने दी है। प्लेटो ने गुलामों के साथ किए जानेवाले कठोर व्यवहार की निंदा की है, परन्तु एक वर्ग के रूप में गुलामों का तिरस्कार भी किया है, एव गुलामी की व्यवस्था का उसने स्वीकार भी किया है। एथेन्स सहित समग्र ग्रीस में, लोकतांत्रिक ग्रीस में गुलाम ही शारीरिक या कारीगरी की मजदूरी करते थे।

समय बीतने पर गुलामी निरस्त हुई एव उमरावशाही ने उसका स्थान लिया। उमरावशाही की जड़े अनेक हैं, वे सभी विवाद का विषय भी हैं। इंग्लैंड में तो ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य में नोर्मन विजय के बाद उमरावशाही प्रस्थापित हुई। अन्य देशों में उसके प्रस्थापित होने के अनेक कारण हैं। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एन्जल्स, एव अन्यो के मतानुसार टेक्नोलॉजी में होनेवाला बड़ा परिवर्तन भी एक कारण है। अब तक गुलामों की जो स्थिति थी वही अब सर्फ एव विलियन्स के रूप में पहचाने जानेवाले विशाल

सख्या के लोगो की थी। जिनकी सपत्ति मे वृद्धि हुई उनकी सत्ता मे भी वृद्धि हुई। सत्ता एव सपत्ति ने मिलकर यूरोप मे विशाल भवन एव जहाजो का निर्माण करके और अधिक सपत्ति प्राप्त करने का जतन किया।

यूरोप ने विश्वविजय के परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण किया। अठारहवीं शताब्दी के अंत मे शुरू हुआ औद्योगिकरण ऐसे विजय के बिना संभव ही नहीं था। यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विजय के फलस्वरूप नई खोजे, नई टेक्नोलोजी की आवश्यकता का निर्माण हुआ। जो हमेशा कहा जाता है कि युद्धो के कारण विज्ञान एव तन्त्रज्ञान को गति प्राप्त होती है वह यूरोप के अंतिम कुछ शताब्दियों के अनुभवो का ही परिणाम है।

अर्थात् आधुनिक विज्ञान गुलामी प्रथा, उमरावशाही, विश्वविजय एव अत्याचार तथा आधिपत्य की ही उपज है। इनके लक्षण समान है। पिछले २००० वर्षों की अपेक्षा आज के यूरोप का चेहरा एकदम भिन्न लगता हो तो भी उसकी असलियत वही है। महात्मा गांधी को एक बार कहा गया था कि 'प्रत्येक अमेरिकन के पास ३६ गुलाम है क्यो कि उसके पास जो यत्र है वह ३६ गुलामो के बराबर काम करता है।' प्राचीन यूरोप की अपेक्षा यह बहुत प्रगतिशील स्थिति मानी जाएगी क्यो कि एक ग्रीक नागरिक की आवश्यकता १६ गुलामो की थी। १९३० के दशक मे लगभग प्रत्येक अमेरिकन नागरिक अधिकारो से सज्ज था एव प्राचीन ग्रीस मे नागरिक को जो सुविधाएँ प्राप्त होती थीं उससे कहीं अधिक सुविधाएँ उसे प्राप्त थीं। अमेरिका मे मनुष्य के रूप में तो गुलामी निरस्त हो गई, परन्तु गुलामी का विचार निरस्त नहीं हुआ, इतना ही नहीं उसने अधिक आकर्षक रूप धारण किया। महात्मा गांधी को जब उपरोक्त वाक्य कहा गया तब उनका उत्तर था कि 'ठीक है, अमेरिकनो को गुलामो की आवश्यकता होगी, हमे नहीं। हम मानवता को गुलाम बनानेवाला औद्योगिकरण कर ही नहीं सकते।'

साफ शब्दो मे कहे तो पाश्चात्य सभ्यता, सभी के अस्तित्व को निगल जाना चाहती है। इसलिए नहीं कि उसे अपना अस्तित्व टिकाए रखना है बल्कि इसलिए कि उसकी क्षुधा कभी भी शान्त न होने वाली है।

यूरोप अपनी इस वृत्ति से अनजान है एव यह सब अनजाने मे ही हो गया है, ऐसा बिलकुल नहीं है। कभी कभी यूरोप ने अपने आप को सुधारने का प्रयास किया है, परन्तु ऐसे प्रयास अधिक से अधिक दिशा बदलने के लिए ही हुए हैं। उसके बल का उपयोग करके सब कुछ स्वाहा करने की एकमात्र वृत्ति बदलना उसे कभी नहीं सूझा।

इसलिए आधुनिक विज्ञान की भाषा एव उद्देश्य वही पुरानी गुलामीयुक्त सभ्यता,

उमरावशाही एव विश्वविजय के जमाने जैसे ही हे।

तीसरे विश्व मे प्रचलित आधुनिक विज्ञान एव तन्त्रज्ञान विषयक कल्पनाएँ भी कुछ नई नहीं हैं। चालीस वर्ष पूर्व पड़ित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, 'मे ट्रेक्टर्स एव विशाल यत्रसामग्री की पूर्ण रूप से तरफदारी करता हूँ।' उनका मत था कि, अद्ययावत् टेक्नोलोजी पर आधारित अर्थतन्त्र ही प्रभावी अर्थतन्त्र बन सकता है। अतः टेक्नोलोजी और विशाल यत्रसामग्री के जो कुछ भी परिणाम हो उसे हमे स्वीकार करना ही पड़ेगा।

उससे भी दस वर्ष पूर्व नेहरू अधिक मुखर थे। अपनी आत्मकथा मे उन्होने लिखा, 'मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई सन्देह नहीं है कि आधुनिक औद्योगिक सस्कृति का विरोध करने के हिन्दू या मुस्लिम किसी भी प्रकार के प्रयास असफल ही रहेंगे। मैं इस असफलता को खेद के किसी भी प्रकार के भाव के बिना ही देखूँगा।'

पड़ित नेहरू समझदार व्यक्ति थे। उनकी देशभक्ति के विषय मे सन्देह नहीं किया जा सकता। उन्हे अपने एशियन होने पर गर्व था। उन्हे तीसरे विश्व का नागरिक होने पर भी गर्व था। वे पश्चिम को जानते थे। पाश्चात्य सभ्यता के भयकर प्रभाव को भी वे जानते थे। फिर भी आधुनिक विज्ञान एव टेक्नोलोजी की उपजो के प्रति उनका आकर्षण एव उसकी क्षमता मे उनका विश्वास भी अमर्याद थे एव हम जानते है कि इतने मतभेदो के बावजूद भी पड़ित नेहरू २४ वर्ष तक महात्मा गाँधी के निकटतम अनुयायी भी थे।

इस बात से तो सभी सम्मत है कि आधुनिक पश्चिमी सभ्यता, उसका राज्यतन्त्र एव उसके विज्ञान एव टेक्नोलोजी का गाँधीजी से अधिक कठोर आलोचक और कोई नहीं था। महात्मा गांधी को उनके यूरोप के प्रारम्भिक सम्पर्क के दौरान बेचैन करनेवाला कोई तत्त्व था तो वह था यूरोप, एव खास कर इंग्लैंड का अपने ही लोगो के साथ किया जानेवाला व्यवहार। इंग्लैंड के शासक जिस तरह से नागरिको के आत्मगौरव एव मर्यादा पर आघात करते थे, जिस तरह मनुष्यो को एक व्यवस्था के ढांचे मे जकड़ लिया जाता था, उसे देखकर गाँधीजी को अधिक दुःख होता था। अग्रेज भारत को नुकसान पहुँचा रहे थे इसके दुःख से भी यह दुःख महत्तर था। देश को होनेवाले नुकसान का तो वे अपनी देशभक्ति से मुकाबला कर सकते थे परन्तु इंग्लैंड के ही लोगो का अपमान तो उनका मानवता के प्रति अपराध था। उसे देखकर ही उन्होने निश्चय किया कि उनका देश एव अन्य जो भी कोई उनकी इस भावना से सहमत होगा उनका ऐसी सभ्यता के साथ किसी प्रकार का कोई सबध नहीं होगा। परन्तु अपनी यह भावना वे पड़ित नेहरू जैसे लोगो मे नहीं जगा पाए।

स्पष्ट है कि तीसरे विश्व के शासक एव विद्वान आधुनिक विज्ञान से अभिभूत हो

गए हैं, हतप्रभ हो गए हैं। उसकी चमक उनमें आकर्षण पैदा करती है, उसकी शक्ति उन्हें यूरोप के नेताओं एवं उद्योगपतियों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करती है। परन्तु ऐसा मानना कि वे आधुनिक विज्ञान के सभी दावों एवं भ्रमों में भी विश्वास करते हैं उनके साथ अन्याय करना होगा। कदाचित् ४० वर्ष पूर्व उनमें ऐसा विश्वास होगा, परन्तु वर्तमान समय में तो आंतरिक एवं बाह्य कारकों के विरुद्ध उत्पन्न विवशता के कारण एवं स्वयं (अपने) विद्वानों की वैकल्पिक आकर्षक व्यवस्था निर्माण की एवं उसे प्रतिष्ठित करने की अक्षमता के कारण तीसरा विश्व, अपने विद्वान एवं राष्ट्र निर्माताओं सहित आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक एवं उससे भी ज्यादा उसके साथ अविनाभाव से संबंधित ढाँचे एवं व्यवस्था के अजगरमुख में धँसता जा रहा है। कम से कम भारत के विषय में तो यह सच ही है।

हम आधुनिक विज्ञान के अनिष्टों के विषय में दुःख व्यक्त करते हैं वह आज पश्चिम में उसे लेकर जो प्रश्नचिह्न खड़े हुए हैं उससे सुसगत होगा, परन्तु जिस प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं उससे तो आधुनिक विज्ञान अधिक सामर्थ्यवान बनता है। यदि उसके गैरयूरोपीय विकल्पों का निर्माण करना है तो भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर चलना होगा।

तीसरा विश्व आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान के स्थान पर जो विकल्प खोजेगा उसका स्वरूप भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न होगा। भौगोलिक रूप से तीसरा विश्व बहुत ही विशाल है। उसमें भिन्न भिन्न प्रदेशों की जलवायु, वृक्ष, वनस्पति, एवं लोगों में विविधता बहुत बड़े पैमाने पर है। तीसरे विश्व के लोगों में इतिहास के सदर्थ में तो बहुत बड़ा अंतर एवं विविधता पाई जाती है। इतने अधिक विभिन्नता वाले देशों को एक सूत्र में पिरोनेवाला यदि कोई तथ्य है तो वह यह है कि सभी समान रूप से गत १५०० वर्षों से यूरोपीयन सभ्यता के शिकजे में जकड़े हुए हैं, परन्तु प्रत्येक देश की इस जकड़न की अनुभूति भिन्न है। अलग अलग समय में अलग अलग प्रदेश पर अलग अलग मात्रा में इस जकड़न का प्रभाव रहा है। इस विषय में भी सभी देशों में एक समानता है तो वह है सामान्य मनुष्य के आत्मगौरव पर बहुत बड़ा आघात हुआ है, उनके व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कुछ भी कर सकने के सामर्थ्य को कुचल दिया गया है, उनके पर्यावरण की हानि हुई है, उनका उत्पादन एवं अर्थतन्त्र यूरोप के अधीन हो गया है, उनके विद्वान देश के सामान्य जन से विमुख गए हैं एवं बड़ी संख्या में लोग गरीब हो गए हैं। इसलिए हो सकता है कि इन सभी का समान लक्ष्य यह बने कि किस प्रकार इस अभूतपूर्व अस्वस्थता पर विजय प्राप्त करके खोया हुआ सतुलन तथा गौरव वापस प्राप्त किया जा

सके एवं इसके बाद वैविध्य एवं भिन्नता होने के बावजूद एक प्रकार के बहुत्व की स्थापना की जा सके। यह बहुत्व तीसरे विश्व के साथ हो और वह और ज्यादा मजबूत भी हो। यद्यपि इस प्रक्रिया का स्वरूप प्रत्येक प्रदेश के लिए अलग अलग होगा। परन्तु उसके नमूने के रूप में किसी एक प्रदेश में, उदाहरण के तौर पर भारत में यह प्रक्रिया कैसी होगी इसके विषय में चर्चा की जा सकती है।

यूरोपीय आधिपत्य में आने से पूर्व भारत में बहुत ही समृद्ध कृषि एवं विभिन्न प्रकार के अत्यंत विकसित उद्योगक्षेत्र थे। सन् १८०० तक तो भारत की कृषि उपज उस समय के इंग्लैंड की कृषि उपज से तीन गुना थी। औद्योगिक सामर्थ्य का पता इस बात से चलता है कि उस काल में भारत लगभग १,००,००० टन उत्तम प्रकार के इस्पात का निर्माण करता था।

उससे पूर्व छहसौ सातसौ वर्ष अर्थात् ग्यारहवीं से सत्रहवीं शताब्दी तक पश्चिम भारत एवं उत्तर भारत अनेक प्रकार के आक्रमणों का शिकार बनते रहे हैं। इन आक्रमणों एवं उसके बाद के आक्रमणों का शासन ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में असतोष एवं परेशानी का कारण बना। साथ ही ये क्षेत्र धार्मिक असहिष्णुता का भी शिकार बने। ऐसे शासन का एक परिणाम यह हुआ कि शासन एवं समाज के आपसी संबंध टूटने लगे, क्योंकि शासन एक सकल्पना के अनुसार चलता था, समाज की जीवनशैली दूसरी सकल्पना के अनुसार चलती थी। फलस्वरूप समाज व्यवस्था कमजोर पड़ गई। फिर भी समाज की जीवनशैली एक सीमा तक बनी रही। आक्रमणों के आघात का लगभग समग्र देश में अनुभव हो रहा था। फिर भी लगभग अठारहवीं शताब्दी तक समाज प्राचीनकाल से प्रस्थापित मूल्यों एवं परंपराओं के आधार पर ही चलता था। व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन, एवं राजनैतिक व्यवस्थाएँ लगभग वही थीं। इसलिए १७५० से १८५० के सौ वर्षों में यूरोपीय विस्तारवाद का सबसे अधिक एवं सबसे सशक्त प्रतिरोध भी उत्तर एवं पश्चिम भारत ने ही किया था।

सन् १७५० से १८०० तक दक्षिण एवं मध्यभारत लगभग स्वतन्त्र था। हमलों का प्रभाव कुछ कम था। इसलिए वहां की मौलिकता एवं सत्त्व आज भी पर्याप्त मात्रा में सुस्थिति में लगता है। ये क्षेत्र यूरोपीय शैली एवं रीतिरिवाजों से कम प्रभावित हुए लगते हैं। साथ ही स्वत्व बनाए रखकर यूरोपीय ज्ञान एवं विज्ञान का अपने उद्देश्य के अनुरूप उपयोग भी वे कर सकते हैं।

समृद्ध कृषि एवं विशाल औद्योगिक परंपरा के कारण भारत आज भी अपनी अर्थ व्यवस्था अपनी ही पद्धति से समर्थ रूप में कर सकता है। अपनी उत्पादन क्षमता पुन

बढ़ा सकता है। भले ही दो सौ वर्ष अवनति के, विनाश के एव निराशा के बीते हैं तो भी भारत में पुन उत्थान की क्षमता है ही। कम से कम दैनन्दिन उपयोग की वस्तुएँ तो विपुल मात्रा में बनाई ही जा सकती हैं। सबसे पहले सामाजिक, पर्यावरणीय एव तकनीक की दृष्टि से अत्यंत हानिकारक पद्धतियाँ एव उस से होनेवाला वस्तुओं का उत्पादन सर्वथा बंद कर देना चाहिए। उसी प्रकार बीज, पौधे, एव अन्य वस्तुएँ, जो भारत पर जबरदस्ती लादी जा रही हैं, उनका भी त्याग करना चाहिए। यह भी पिछले कई दशकों से हो रहा एक प्रकार का आक्रमण ही है। गाँवों एव शहरों के कस्बों जैसे क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए, न कि बाजार एव आन्तरराष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता के अनुसार। इसका अर्थ यह नहीं है कि नगरों एव महानगरों में रहनेवाले लोगों की आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाए, अथवा आन्तरराष्ट्रीय व्यापार बंद कर दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि हमारी प्राथमिकताओं की पुनर्गठना की जाए। उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन के साथ वितरण व्यवस्था में भी परिवर्तन अपेक्षित है। वस्तु का उत्पादन जहाँ होता है उस क्षेत्र का उस वस्तु पर प्रथम अधिकार होना चाहिए। यदि केवल बाजार को ही ध्यान में रखा जाएगा तो वस्तु की हेराफेरी की समस्या निर्माण होगी, दूर तक ले जाना है तो उसका वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया पर प्रभाव पड़कर उसका स्वरूप भी बदल जाता है। वस्तु मँहगी होती है एव जहाँ उसका उत्पादन होता है वहाँ, एव जो लोग उसका उत्पादन करते हैं उनके लिए वह वस्तु दुर्लभ बन जाती है। बेची जा सकती है ऐसी ही वस्तुओं का उत्पादन होता है, आवश्यक वस्तुओं का नहीं। जहाँ वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है वहाँ या तो उत्पादन होने लगे या उसका कोई बड़ा सग्रह हो जहाँ से उन्हें वे वस्तुएँ मिल सकें। सिद्धांत यह है कि अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन एव उपयोग स्थानीय हो। भारत जैसा घनी आबादीवाला देश अन्न एव अन्य प्राथमिक आवश्यकता की वस्तुएँ अन्य देशों को मुहैया कराने में असमर्थ है ऐसी कल्पना करना भी हास्यास्पद है। चाय, कपास, कच्चा लोहा, कोयला इत्यादि का निर्यात करना है तो तब विचार करना पड़ेगा जब वे आवश्यकता से सचमुच अधिक हैं, या इतनी विपुल मात्रा में मिलती हैं कि वे कभी समाप्त नहीं होंगी। उदाहरण के तौर पर पश्चिम यूरोप में वर्तमान समय में डेरी उत्पादन का विकास हो सकता है क्योंकि वहाँ वे वस्तुएँ वास्तव में आवश्यकता से ज्यादा बनती हैं।

खाद्य पदार्थ, कपड़ा, आवास एव सार्वजनिक उपयोग के मकान बनाने के लिए उपयोगी सामग्री, जंगल उत्पादन एव वनस्पति तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ, जो कि

भारत की संस्कृति एव सभ्यता से स्वाभाविक एव अटूट संबध रखती है उन का अर्थव्यवहार स्थानीय ही हो यह अत्यंत आवश्यक है। उस कारण से कहीं कहीं यदि उत्पादन की मात्रा कम हो तो भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि उससे उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, भारत के सदियों से संचित सोदयबोध को नवजीवन मिलेगा और मात्रा कम होने पर भी उसका बहुत बड़ा एव अच्छा मुआवजा मिलेगा।

इसी प्रकार परिवर्तन करने पर भी पुरानी पद्धति को पकड़कर रखना जरूरी नहीं है। पुराने स्वरूप को प्रतिष्ठित करने का अर्थ है उसमें निहित संकल्पना को बनाए रखना, उस समय व्यक्ति एव समाज का जो आंतरिक सहसंबध था उसे बनाए रखना, ऐसे उत्पादकों के भिन्न-भिन्न समूहों का आंतरसंबध बनाए रखना। भारतीय राज्यतन्त्र का मर्म ही यह आंतरसंबध है। भारत की ढाँचागत एव संस्थागत रचना का हार्द भी वही था। केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही नहीं अपितु भारत के सर्वसामान्य समाज को जो रचना उपयोगी एव मूल्यवान लगती है उसे यदि पुन अपनाया जाय, युगानुकूल उसमें सामान्य लोगों की सूझबूझ से ही परिवर्तन किया जाय, एकवार वह रचना प्रस्थापित हो जाए उसके बाद ही अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने स्वयं के स्वतन्त्र निर्णय से हम बाहर से वस्तुएँ आयात करें अथवा यंत्रों का उपयोग करें तो नुकसान नहीं होगा। बाहर से आया हुआ होकायंत्र अथवा मुद्रणालय जिस प्रकार यूरोप के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ था उसी प्रकार हमें भी आयात लाभकारी सिद्ध होगा।

परन्तु अन्न, वस्त्र, आवास भले ही अनिवार्य हो मनुष्य के लिए इतनी ही बात पर्याप्त नहीं होती। उदाहरण के तौर पर अब तो भारत डेढ़ सौ वर्षों से विशाल रेल व्यवहार से जुड़ा हुआ है, डाक एव तार की व्यवस्था भी उतनी ही पुरानी है, अब टेलिफोन भी आ गया है, समाचारपत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकें भी दैनिक आवश्यकताएँ हैं, रेडियो, दूरदर्शन एव मोटरे भी सामान्य हो गए हैं, हवाई जहाज भी परिचित है। हवाई जहाज के कारण ही तो असंख्य आंतरराष्ट्रीय परिषद, परिसंवाद, बैठक, यात्राएँ इत्यादि संभव बनते हैं, दुनिया को चलाने का दावा करनेवाले लोग सरलता से एकदूसरे से मिल सकते हैं एव मुड़ीभर लोग दुनिया को मुड़ी में बाधे रख सकते हैं एव पूरा विश्व एक छोटा सा गाँव है ऐसा बोलने का साहस होता है। सैद्धांतिक रूप से कदाचित इस प्रकार का वाहनव्यवहार छोड़कर परंपरागत धीमी गति का वाहनव्यवहार अपनाया जा सकता है। उससे व्यक्ति एव समाज दोनों का लाभ होगा। परन्तु भले ही भारत के दस से बीस प्रतिशत लोग ही इन सभी सुविधाओं का उपयोग करते हों तो भी वाहनव्यवहार एव सूचना प्रसारण में इतना जलद परिवर्तन करना संभव नहीं है। यद्यपि इन दोनों

व्यवस्थाओं का भारतीय दृष्टिकोण एव भारतीय पार्श्वभूमि में मूल्यांकन होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे मूल्यांकन में व्यावहारिक विकल्प एव उसके क्रियान्वयन की पद्धति का भी समावेश होना चाहिए।

ऊर्जा के विषय में भी पुनर्विचार की आवश्यकता है। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में पशु, कोयला, लकड़ी एव लकड़ी के कोयले जैसी वस्तुओं पर निर्भर है। दिनो दिन ईंधन के लिए ही योग्य लकड़ी का उपयोग करने के स्थान पर जंगल कटते जा रहे हैं एव नीलगिरी जैसे वृक्षों की उपज एव बुआई बढ़ती जा रही है। देश के ८० से ९० प्रतिशत लोगो को तो ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। उनके लिए सूर्यप्रकाश ही ऊर्जा का स्रोत है। वास्तव में भारत जैसे भरपूर सूर्यप्रकाशवाले देश में ऊर्जा की आवश्यकता कम ही होनी चाहिए, ऊर्जा की अधिक आवश्यकता तो सूर्यप्रकाश के विषय में इतने सद्भागी नहीं हैं ऐसे देशों को पडनी चाहिए। परन्तु इतनी बड़ी कृपा का लाभ उठाया जा सके इस प्रकार की लोगो की जीवन शैली एव स्वाभाविक कुशल रचना भी होनी चाहिए। भारत की जीवनशैली मूलतः ऐसी ही थी, परन्तु अठारहवीं, उन्नीसवीं शताब्दी से इसमें बहुत विकृति आई है। अब लोगो की जीवनशैली एव रचना में पुनः परिवर्तन हो तब तक वर्तमान परिस्थिति में भी ऊर्जा का पुनर्वितरण जरूरी है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए, बड़े बड़े प्रकल्पों के लिए, योजनाओं के लिए सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है।

जिन जिन क्षेत्रों में तीसरे विश्व के समान भारत को अन्य देशों के व्यवहार को ही केन्द्रस्थान पर रखने की जरूरत है वहीं भिन्न रूप से सोचने की भी जरूरत है। आज समग्र विश्व में बल का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। इस विषय में भारत को एक विशेष दृष्टि विकसित करने की जरूरत है। महात्मा गांधी ने अहिंसा पर आधारित विश्व रचना की, एव समय पर आधारित व्यक्तिगत एव सामाजिक जीवन रचना की बात की थी। विश्व में अनेकानेक लोगो ने इस बात को समझकर अपनाया है। आज भी इन्हीं सूत्रों को आधार बनाकर आज के सदर्भ में उसके विभिन्न विकल्पों को छोटकर उसे व्यावहारिक बनाने की जरूरत है। इस विषय में भारत पहल कर सकता है एव रास्ता भी दिखा सकता है, परन्तु ऐसे प्रयास सफल होने तक भारत को स्वाभाविक रूप से ही अपनी सुरक्षा की ओर ध्यान देना ही पड़ेगा। एव उसके लिए आवश्यक सभी उपायों का भी आयोजन करना पड़ेगा। इस विषय में भारत को आज विश्व में प्रबल भौतिक ससाधन, अनुसंधान, उपकरण एव उससे प्राप्त होनेवाला सामर्थ्य भी प्राप्त करना पड़ेगा।

अभी तक तो भारत जैसे देशों ने अपने व्यक्तिगत एव सार्वजनिक जीवन में

आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिक एव तांत्रिक ज्ञान को दखल से रोके रखा है, या बेमन से कुछ कुछ अपनाया है। इसमें असफलता ही प्राप्त हुई है। भारत की मानसिक एव आध्यात्मिक स्थिति आज उलझ गई है। यूरोप के सेनिकी, राजनैतिक एव बौद्धिक आक्रमण का यह परिणाम है। इस स्थिति में विज्ञान एव तन्त्रज्ञान को उचित रूप से अपनाने में असफलता प्राप्त होना स्वाभाविक है। यूरोप का यह आक्रमण इतना प्रबल है कि महात्मा गाँधी के निकटतम अनुयायी एव उनकी ही प्रेरणा से कार्य करनेवाली सभी सस्थाएँ अपने शत्रु की ही विचारधारा, व्यवहारप्रणाली एव पद्धतियों का अनुसरण एव अनुकरण करते हैं। ब्रिटिश राज्यतन्त्र द्वारा निर्मित ढाँचे, नीतिनियम, पद्धति एव प्रक्रियाओं को उन्होंने अपना लिया है। उन लोगों को होश ही नहीं है कि उद्देश्य चाहे लोगों का भला करने का ही हो परन्तु होता तो नुकसान ही है।

उत्पादन के क्षेत्र में महात्मा गांधी ने स्थानीय कच्चा माल एव उत्पादन केन्द्र, मनुष्य की मेहनत एव स्वावलम्बन को आधारभूत तत्त्व माना था। आज उनकी सस्थाएँ बाते तो इन्हीं सब की करती हैं परन्तु व्यवहार उसके विलकुल विपरीत करती हैं। इसका उन्हें होश ही नहीं रहा। पश्चिम की निरर्थक एव बेकार तकनीक को वैकल्पिक रास्ता कहकर उन्होंने अपना लिया है। इस तरह अपने ही समाज से वे अलग हो गए हैं। मूल हथकरघे के स्थान पर कपड़े की मिलों में उपयोग किए जानेवाले कताईयंत्र की छोटी प्रतिकृति जैसे अबर चरखे का प्रचलन इस विकृति का एक उदाहरण है।

भारत यदि तीसरे विश्व एव समग्र विश्व को भी रास्ता दिखाना चाहता है तो अपने भूतकाल को, अपने सही स्वभाव एव स्वरूप को तथा वर्तमान वास्तविकता को उसने ठीक प्रकार से समझना होगा। साथ ही पश्चिम को भी उसके वास्तविक रूप में ही समझना होगा। आधुनिक विज्ञान द्वारा निर्मित सक्तों से बच निकलने के लिए भारत जैसे देश को स्वयं तो जागना ही पड़ेगा साथ ही उसे प्रभावित करनेवाली सांसारिक स्थिति के विषय में भी जागृत बनना पड़ेगा।

* नवम्बर १९८६ में मलेशिया में आयोजित 'द क्राइसिस ऑफ़ मोडर्न साइन्स (The Crisis of Modern Science)' विषयक गोष्ठि में प्रस्तुत पत्र का विस्तृत पाठ

२२. सत्याग्रह की विश्वपरिषद्

अभी अभी कुछ समय से अहिंसक बहिष्कार, सत्याग्रह एव असहयोग की अन्य अहिंसक पद्धतियों की चर्चा विविध प्रसंगों में भिन्न भिन्न स्थानों पर सुनने को मिलती है। आज स्थिति ऐसी है कि एक सिरे पर सत्याग्रही पद्धतियाँ हैं तो दूसरे सिरे पर अणुपरीक्षण है। सत्याग्रह की यह बहस एक दूसरे से बहुत ही दूर स्थित इंग्लैंड, अमेरिका, जापान एव भारत जैसे देशों में हो रही है। परन्तु यह सारा प्रयास असंगठित एव असकलित है। साथ ही आज के संघर्ष इतने व्यापक एव दूरगामी प्रभाव डालनेवाले हैं कि सत्याग्रह के किसी भी प्रकार के प्रयास विश्व के सफटों को दूर नहीं कर सकते हैं।

गाँधीजी का उदाहरण

वर्तमान समय में अत्याचार एव गुलामी के प्रतिकार के लिए सत्याग्रह एव अहिंसा के शस्त्र के मुख्य पुरस्कर्ता के रूप में महात्मा गाँधी का उदाहरण हमारे समाने है। देश के आंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रश्नों को हल करने के लिए भी उन्होंने इस शस्त्र का प्रभावी एव सफल उपयोग किया था। भारत की स्वतन्त्रता, १९४७ के बाद भारत एव इंग्लैंड के बीच कटुता का अभाव, अस्पृश्यता एव उसी प्रकार की अन्य समस्याओं का निवारण इसके जीवित उदाहरण है। आज मोन्टगोमरी (अलाबामा) एव जोहानिसबर्ग में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। भारत में भूदान आंदोलन की सफलता भी इसका सफल उदाहरण है।

गांधीजी के जीवनकाल में उनकी एव उनके सभी कार्यकर्ताओं की पूरी शक्ति भारत के ही प्रश्नों को हल करने में लगी हुई थी। भारत के अपने ही प्रश्न इतने विकट थे कि वैश्विक सफटों के लिए अहिंसा एव सत्याग्रह के हथियार का उपयोग किस प्रकार किया जाए इसके विषय में सोचने का कोई अवकाश ही नहीं था।

भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई उसके तुरंत बाद ही गांधीजी ने हम से बिदा ली। इसलिए हमारे पास ऐसा कुछ करने के लिए अनुभव एव उदाहरण दोनों ही नहीं हैं। इसीलिए हम जहाँ तहाँ रुक जाते हैं। अणुपरीक्षण के विषय में अभी अभी राजगोपालाचारी ने कहा, 'विश्व के इतिहास के ऐसे आपातकालीन समय में गाँधीजी हमारे बीच होते तो अच्छा होता।' भारत को ऐसे भीषण सग्राम में हिस्सा लेने के लिए कहने में उन्होंने एक

क्षण का भी विलंब नहीं किया होता। सच है कि हम गाधीजी के दृष्टिकोण को समझते हैं फिर भी भारत की ऐसी दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति में कुछ भी करने के लिये कितने असमर्थ हो गए हैं।

फिर भी उनके जीवन से प्राप्त प्रेरणा बिल्कुल निरर्थक नहीं है। विभिन्न देशों में ऐसे समूह एवं सगठन हैं जो अहिंसा के विचार को पुरस्कृत करनेवाले हैं। उदाहरण के लिये एस सी आई (SCI - सर्विस सिविल इन्टरनेशनल Service Civil International ब्रिटिश शाखा British Branch), इन्टरनेशनल वोलन्टरी सर्विस फोर पीस - शांति विषयक आंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्था - (International Voluntary service for Peace), फ्रेंड्स सर्विस यूनिट्स (Friend service units - सेवा मित्र मंडल), रामकृष्ण संघ (Ramkrishna Mission) एसोसिएशन फोर वॉर ऑन वॉन्ट (Association for War on Want) इत्यादि सगठन विश्वबधुत्व की भावना को मूर्त रूप देने के लिए प्रयासरत हैं।

परन्तु वर्तमान स्थिति असाधारण है। समग्र विश्व में आमूल परिवर्तन हो रहा है, अनवरत रूप से सामाजिक एवं राजनैतिक रूपान्तरण हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त मानवजाति मानसिक रूप से इन परिवर्तनों के लिए तैयार न होने के कारण ये सभी परिवर्तन उसे हतप्रभ बना देते हैं एवं कठिनाइयों एवं दुःखों में और अधिक वृद्धि होती है।

सगठित प्रयासों की आवश्यकता

इस स्फोटक स्थिति में जो लोग मानते हैं कि वर्तमान वैश्विक आपातकालीन स्थिति में अहिंसक प्रयासों की त्वरित आवश्यकता है उन्हें एकत्र होने की एवं सगठित प्रयास करने की आवश्यकता है। 'अहिंसक प्रतिकार के लिए विश्वपरिषद्' (World Council for Non Violent Resistance) की रचना करना उचित शुरुआत है। इस प्रकार की रचना स्थायी बने, उसके सदस्य सारे विश्व से आएँ, इस विचार का आदर करनेवाले लोगों एवं सगठनों के लिए एक मंच बने एवं अहिंसक प्रतिकार के विषय में विश्वमानस का प्रबोधन एवं शिक्षण हो यही इस परिषद् का कार्य होगा।

हमेशा ऐसा होता है कि प्रत्येक घटना के बाद हमारा रोष एवं हमारी शर्म कायरता को जन्म देती है। उससे ऐसा भाव पैदा होता है कि सत्ता एवं ताकत के सक्तों का प्रतिकार राजनैतिक एवं सैनिकी बल एवं पद्धति का उपयोग करके ही किया जा सकता है। वर्तमान समय में तो इस प्रकार की प्रतीति से उबरने के लिए तत्काल कुछ न कुछ करने की जरूरत है। शांति के सही मार्ग में जिनका विश्वास है ऐसे सभी का सगठित होकर प्रयासशील रहना ही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

२३. भारत एवं विश्व

विश्व के अधिकांश प्रदेशों पर अपना आधिपत्य जमाने के बाद ब्रिटिशों ने भारत के प्राचीन साहित्य में रुचि दिखाना शुरू किया। वे उसका गंभीरता से अध्ययन करने लगे। इन ग्रंथों में एक था 'मनुसंहिता'। १७९० में उन्होंने मनुसंहिता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। उन्नीसवीं शताब्दी में बंगाल में उसका प्रकाशन हुआ। उसके अनेक मुद्रण हुए। उसी अंतराल में शाकुन्तल जैसी अनेक साहित्य कृतियों का भी अनुवाद हुआ। ग्रीस के एलेक्झांडर एव मेगस्थनीज की यात्राओं पर आधारित पुस्तकें भी प्रकाशित की गईं। हेरोडोटस एव स्ट्रेबो जैसे ग्रीक एव रोमन विद्वानों द्वारा कथित एव लिखित भारत विषयक वृत्तांतों का भी प्रकाशन किया गया।

समय बीतने पर भारत के अधिकांश प्रदेशों पर राजकीय आधिपत्य जमाने के बाद भारतीय साहित्य के प्रकाशन कार्य को गति प्राप्त हुई। १८६० के करीब भारत में इस्लामी शासन के विषय में इस्लामी इतिहासकारों के द्वारा लिखित वृत्तांतों का भी प्रकाशन हुआ। चौथी से सातवीं शताब्दी के दौरान चीनी यात्रियों द्वारा किया गया भारत के वर्णन का भी अंग्रेजी में रूपांतर हुआ। चीनी यात्रियों के वर्णनों में ह्यु एन सांग का वृत्तांत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसका समय सन् ६२९ से ६४५ का है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने चीनी यात्रियों के ऐसे वृत्तांतों का प्रकाशन करने के बाद भी हमने अपनी भाषा में अपनी पद्धति से सीधे सीधे चीनी भाषा से अनुवाद करके ऐसे वृत्तांतों को प्रकाशित करने का विचार नहीं किया है।

ज्ञान धाराएँ एव विद्वत्ता सामान्य रूप से राज्यतन्त्र के साथ हाथ मिलाते हैं। एव एक नहीं तो दूसरे रूप में राज्यतन्त्र के द्वारा नियंत्रित एव निर्धारित भी होते रहते हैं। राज्यतन्त्र विदेशी होने पर यह प्रवृत्ति विशेष रूप से दिखाई देती है। यह बात रोमन हुकूमत के अंतर्गत यूरोप एव भूमध्य सागर के देशों को जितनी लागू है उतनी ही वर्तमान समय में इस्लामी एव यूरोपीय हुकूमत में रहे देशों को भी लागू है।

भारत आज भी अनेक कारणों से उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटिशों द्वारा स्थापित की गई विद्यासंस्थाओं एव ग्रंथों के बौद्धिक आधिपत्य में रह रहा है। इसका एक गंभीर

परिणाम यह है कि आज भी यह सस्स्थान एव राज्यतन्त्र चलानेवाले विद्वान भारत के बारे में वैसा ही मानते हैं एव वैसा ही समझते हैं जैसा ब्रिटिश करते थे। इतना ही नहीं तो सन् १४०० से पूर्व भारत में क्या था, कैसा था, उसकी कोई जानकारी या समझ उन्हें नहीं थी। सन् १४०० से पूर्व पड़ोसी देश, पूर्व आफ्रिका तथा चीनी समुद्र के देशों के साथ भारत का सबंध कैसा था उस विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें यह भी पता नहीं है कि ब्रिटिशों ने जो कुछ हमारे सिर पर थोप दिया है उसका हमारे मूल स्वभाव से कोई मेल नहीं है एव सन् १४०० से पूर्व तक देश में जो ज्ञान एव जो व्यवस्थाएँ थीं वे प्रारम्भ से ही भारत के व्यक्तिगत एव सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग के समान थीं एव वे वैसी ही हमेशा रहनेवाली भी हैं।

वर्तमान समय में वैश्वीकरण की बातें हो रही हैं। 'एक विश्व' की बातें हो रही हैं। इसका प्रारम्भ १९४० के आसपास अमेरिका में हुआ है। यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये नारे वास्तव में नए नहीं हैं। विश्व के भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न समय पर ये उठते रहे हैं। प्राचीन रोम में चीन की हुकूमत के प्रदेश में एव पाँच-छह शताब्दी पूर्व भी ऐसे नारे उठते रहे हैं। इसका एक उदाहरण चीनी नाखुदा चेग हो है। वह लगभग ३० वर्ष (१४०५ से १४३३) तक ३०० लडाकू जहाजों का कप्तान था एव चीन, दक्षिणपूर्व एशिया, ईरान, अरबस्तान के समुद्रतट से लेकर आफ्रिका के मोगादीशु (माडागास्कर) तक समुद्र में घूमता था। ऐसा भी कहा जाता है कि दिसम्बर १४०६ से अप्रैल १४०७ के दौरान उसका ३१७ जहाज एव २७,८७० सैनिकों का काफिला केरल के कालीकट बंदरगाह पर रुका था। यदि विद्वान सन् १४०० पूर्व के इतिहास का शोध करेंगे तो उन्हें इसी तरह के अरब, इंडोनेशिया, भारत एव अन्य देशों के नौकाकाफिलों की ईसा पूर्व के समय से होनेवाली समुद्रयात्राओं की जानकारी मिलने की संभावना है। १५ वीं शताब्दी में भी चीन से बंगाल तक राजनयी लोगों की यात्रा होती थी। उससे पूर्व एशिया के अलग अलग देशों के बीच सदेश एव समाचारों का लेन देन होता था। परन्तु किसी कारण चेग हो के बाद एक शतक के अंदर अंदर ही स्पेन, पुर्तगाल, नेदरलैंड, इंग्लैंड, एव फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों का विश्व पर आधिपत्य स्थापित हो गया। विश्व सत्ता की इस रचना में फिर से विश्वस्तर का परिवर्तन हो सकता है। वह असंभव नहीं है।

वास्तव में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रा. सेम्युअल पी. हर्मिंगटन ने अपने ताजा प्रकाशित पुस्तक में इस संभावना के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित किया है। पुस्तक का शीर्षक है 'सभ्यताओं का संघर्ष एव विश्व की पुनर्रचना (दि क्लेश ऑफ़ सिविलाइजेशन्स एण्ड दि रीमेकिंग ऑफ़ वर्ल्ड आर्डर - The Clash of Civilizations and the

Remaking of World Order) काल भगवान ही कह सकते हैं कि ऐसी पुनर्रचना कौन सी दिशा पकड़ेगी एव कैसा आकार धारण करेगी, तथा ऐसी पुनर्रचना के बाद यूरोपीय, चीनी, जापानी, अरबी, ईरानी, भारतीय, दक्षिण पूर्व एशियाई एव आफ्रिकी सभ्यताओं का आपसी सतुलन कैसा होगा।

भविष्य में विश्व की पुनर्रचना जिस तरह होनी है, भारत ने तो अपने भूतकाल, अपने इतिहास, समाज, परंपरा इत्यादि के विषय में जागृति लाने के लिए ईसा पूर्व ६०० से सन् १५०० तक के हमारे इतिहास का उसके विभिन्न सोपानों के साथ गभीरतापूर्वक अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसे अध्ययन के लिए ज्ञान एव जानकारी के मूल स्रोत तक जाना होगा। आज से पूर्व के समय में भारतीय एव चीन, कोरिया, जापान, दक्षिणपूर्व एशिया इत्यादि देशों में प्राप्त मूल ग्रंथों के मूल अध्ययन तक जाना पड़ेगा। हमें सन् १८५० के बाद लिखित यूरोपीय एव अमेरिकी साहित्य को भी देखना होगा। यूरोपीय साहित्य अधिकांशतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया होगा परन्तु फ्रेंच, जर्मन, डच, इटालियन, स्पेनिश एव रशियन जैसी यूरोपीय भाषाओं में भी लिखा गया होगा। चीन जैसे देशों का साहित्य उस समय की एशियाई भाषा में लिखा गया होगा। ऐसा अध्ययन करने के लिए विद्वत्ता के अन्य गुणों के साथ-साथ ऐसी भाषाओं का ज्ञान या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता वाले, शोधवृत्ति वाले विद्वानों की जरूरत पड़ेगी। ऐसा अध्ययन जहाँ होता है ऐसे केन्द्रों को विश्वविद्यालय कहे या अन्य कोई नाम दिया जाय। वहाँ अध्यापन ही होना चाहिए यह अनिवार्य नहीं है। वह ३० से ५० विद्वानों का एक समूह, एव उत्तम प्रकार का पुस्तकालय एव पुरातात्विक विभाग से युक्त केन्द्र होना चाहिए। ऐसे केन्द्रों में जो सामग्री प्रकाशित होगी वह भारत का सर्वजन समाज जिससे परिचित है ऐसी भाषाओं में होना चाहिए।

इस कार्य का प्रारम्भ कुछ सख्या में कम परन्तु जिन्हें रुचि है ऐसे युवा विद्वान उपयुक्त सामग्री खोजकर, प्राप्त कर उसमें निहित सामग्री का गभीर अध्ययन शुरू करके करे यह अपेक्षित है।

इति शुभम्।

लेखक परिचय

श्री धर्मपालजी का जन्म सन् १९२२ में उत्तर प्रदेश के मुझफ्फरनगर में हुआ था। उनकी शिक्षा डी ए वी कालेज, लाहौर में हुई। १९३० में ८ वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार गांधीजी को देखा। उसके एक ही वर्ष बाद सरदार भगतसिंह एव उनके साथियों को फॉरसी दी गई। १९३० में ही वे अपने पिताजी के साथ लाहौर में कांग्रेस के अखिल भारतीय सम्मेलन में गये थे। उस समय से लेकर आजन्म वे गांधीभक्त एव गांधीमार्गी रहे।

१९४० में, १८ वर्ष की आयु में उन्होंने खादी पहनना शुरू किया। चरखे पर सूत कातना भी शुरू किया। १९४२ में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में भाग लिया। १९४४ में उनका परिचय मीरावहन के साथ हुआ। उनके साथ मिलकर रुड़की एव हरिद्वार के बीच सामुदायिक गाँव के निर्माण का प्रयास किया। उस सामुदायिक गाँव का नाम था 'बापूग्राम'। आज भी बापूग्राम अस्तित्व में है। १९४९ में भारत का विभाजन हुआ। परिणाम स्वरूप भारत में जो शरणार्थी आये उनके पुनर्वसन के कार्य में भी उन्होंने भाग लिया। १९४९ में वे इंग्लैण्ड, इज़रायल और अन्य देशों की यात्रा पर गये। इज़रायल जाकर वे वहाँ के सामुदायिक ग्राम के प्रयोग को जानना समझना चाहते थे। १९५० में वे भारत वापस आये। १९६४ तक दिल्ली में रहे। इस समयावधि में वे Association of Voluntary Agencies for Rural Development (AVARD) के मन्त्री के रूप में कार्यरत रहे। अवार्ड की सस्थापक अध्यक्षा श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय थीं, परन्तु कुछ ही समय में श्री जयप्रकाश नारायण उसके अध्यक्ष बने और १९७५ तक बने रहे। १९६४-६५ में श्री धर्मपालजी आल इण्डिया पचायत परिषद के शोध विभाग के निदेशक रहे। १९६६ में लन्दन गये। १९८२ तक लन्दन में रहे। इन अठारह वर्षों में भारत आते जाते रहे। १९८२ से १९८७ सेवाग्राम (वर्धा, महाराष्ट्र) में रहे। उस दौरान चैन्नई आते जाते रहे। १९८७ के बाद फिर लन्दन गये। १९९३ से जीवन के अन्त तक सेवाग्राम, वर्धा में रहे।

१९४९ में उनका विवाह अग्रेज युवति फिलिस से हुआ। फिलिस लन्दन में,

बापूग्राम में, दिल्ली में, सेवाग्राम में उनके साथ रहें। १९८६ में उनका स्वर्गवास हुआ। उनकी स्मृति में वाराणसी में मानव सेवा केन्द्र के तत्त्वावधान में बालिकाओं के समग्र विकास का केन्द्र चल रहा है। धर्मपालजी एव फिलिस के एक पुत्र एव दो पुत्रियाँ हैं। पुत्र डेविड लन्दन में व्यवसायी हैं, पुत्री रोझविता लन्दन में अध्यापक हैं और दूसरी पुत्री गीता धर्मपाल हाईडलबर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी में इतिहास विषय की अध्यापक हैं।

धर्मपालजी अध्ययनशील थे, चिन्तक थे, बुद्धि प्रामाण्यवादी थे। परिश्रमी शोधकर्ता थे। अभिलेख प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन बारह चौदह घण्टे लिखकर लन्दन तथा भारत के अन्यान्य महानगरों के अभिलेखागारों में बैठकर नकल उतारने का कार्य उन्होंने किया। उस सामग्री का सकलन किया, निष्कर्ष निकाले। १८ वीं एव १९ वीं शताब्दी के भारत के विषय में अनुसन्धान कर के लेख लिखे, भाषण किये, पुस्तकें लिखीं।

उनका यह अध्ययन, चिन्तन, अनुसन्धान विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने के लिये या विद्वता के लिये प्रतिष्ठा, पद या धन प्राप्त करने के लिये नहीं था। भारत की जीवन दृष्टि, जीवन शैली, जीवन कौशल, जीवन रचना का परिचय प्राप्त करने के लिये, भारत को ठीक से समझने के लिये, समृद्ध, सुसंस्कृत भारत को अंग्रेजों ने कैसे तोड़ा उसकी प्रक्रिया जानने के लिये, भारत कैसे गुलाम बन गया इसका विश्लेषण करने के लिये और अब उस गुलामी से मुक्ति पाने का मार्ग ढूँढने के लिये यह अध्ययन था। जितना मूल्य अध्ययन का है उससे भी कहीं अधिक मूल्य उसके उद्देश्य का है।

श्री जयप्रकाश नारायण, श्री राम मनोहर लोहिया, श्री कमलादेवी चट्टोपाध्याय, श्री मीराबहन उनके मित्र एव मार्गदर्शक हैं। गांधीजी उनकी दृष्टि में अवतार पुरुष हैं। वे अन्तर्बाह्य गांधीभक्त हैं, फिर भी जाग्रत एव विवेकपूर्ण विश्लेषक एव आलोचक भी हैं। वे गांधीभक्त होने पर भी गांधीवादियों की आलोचना भी कर सकते हैं।

इस ग्रन्थश्रेणी में प्रकाशित पुस्तकें १९७१ से २००३ तक की समयवधि में लिखी गई हैं। विद्वज्जगत में उनका यथेष्ट स्वागत हुआ है। उससे व्यापक प्रभाव भी निर्माण हुआ है।

मूल पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। अभी वे हिन्दी में प्रकाशित हो रही हैं। भारत की अन्यान्य भाषाओं में जब उनका अनुवाद होगा तब बौद्धिक जगत में बड़ी भारी हलचल पैदा होगी।

२४ अक्टूबर २००६ को सेवाग्राम में ही ८४ वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ।



